पावरग्रिड

पावरग्रिड
वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

टीम भावना से नवोन्मेष
नवोन्मेष से विकास

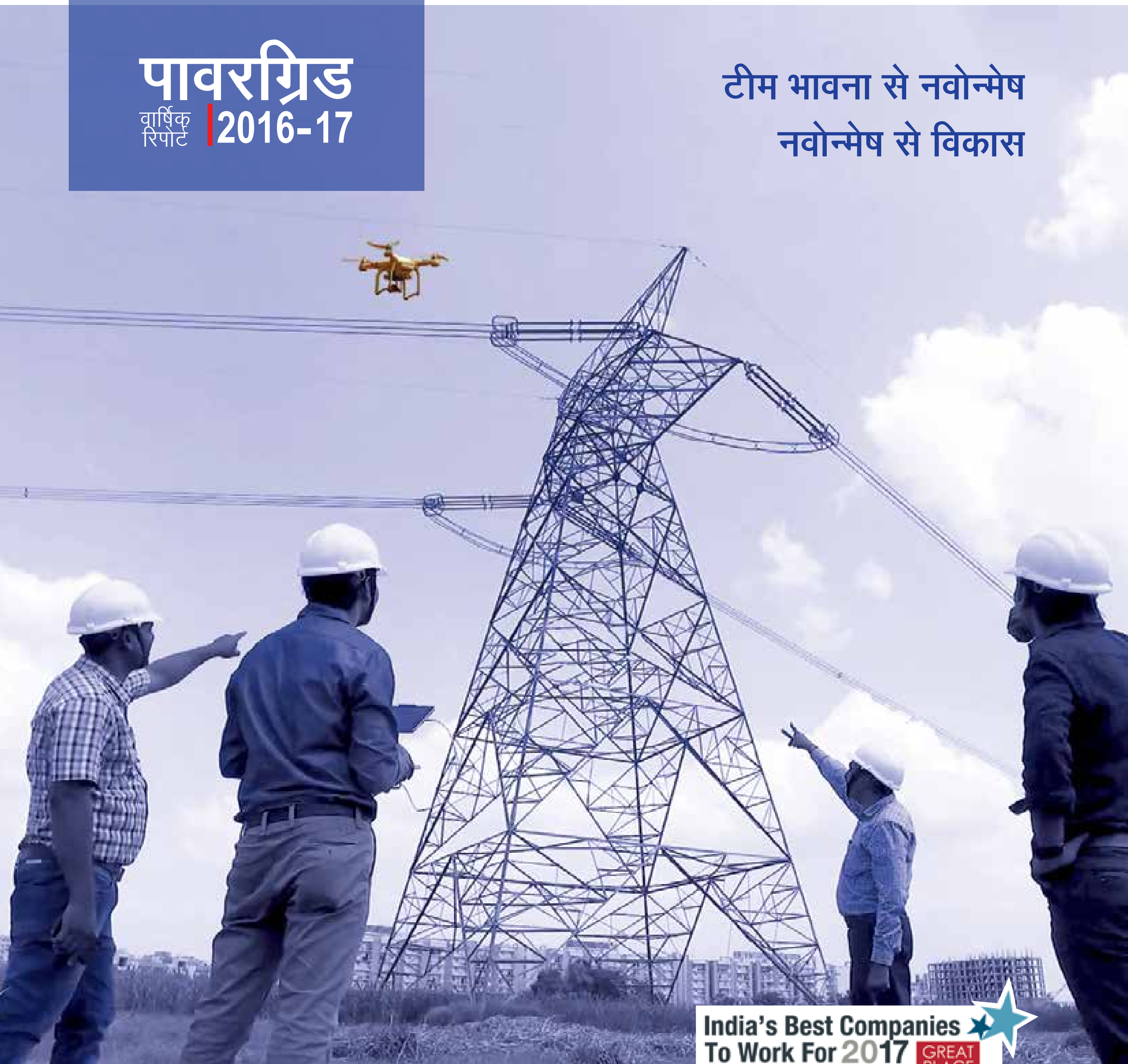

India's Best Companies To Work For 2017
A STUDY BY THE ECONOMIC TIMES
GREAT PLACE TO WORK®

www.powergridindia.com

एकीकृत प्रबंधन नीति

पावरग्रिड निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध

- समय, लागत, प्रौद्योगिकी और मूल्यवर्धन का पूरा ध्यान रखते हुए एक दक्ष एवं प्रभावी ''नेशनल ग्रिड'' की स्थापना एवं उसका रखरखाव।
- परिहार, न्यूनीकरण एवं प्रशमन के सिद्धांत पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने के जरिए सतत् विकास।
- विधिक एवं विनियामक प्रावधानों के अनुरूप अपनी प्रबंधन प्रणालियों और पद्धतियों के सभी क्षेत्रों में पणधारकों की संतुष्टि के लिए सुरक्षित, व्यावसायिक रूप से बाधामुक्त और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना।

विषय - सूची

दृष्टि	02
संदर्भ सूचना	04
निदेशकों का परिचय	05
वरिष्ठ कार्यपालकों की सूची	09
पावरग्रिड का कार्यनिष्पादन	10
पंच-वर्षीय सारांश	11
अध्यक्षीय भाषण	13
निदेशकों की रिपोर्ट	20
अनुबंध-I प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	36
अनुबंध- II व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	54
अनुबंध- III ऊर्जा का संरक्षण आदि	65
अनुबंध- IV भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	69
अनुबंध- V-सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	71
अनुबंध -VI-एमजीटी -9	74
अनुबंध- VII कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	99
अनुबंध- VIII कारर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाणप्रत्र	118
अनुबंध- IX एओसी-2	119
अनुबंध- X एओसी- I	124
अनुबंध- XI कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी रिपोर्ट	126
तुलन पत्र	164
लाभ और हानि विवरण	163
नकदी प्रवाह विवरण	164
इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण	166
टिप्पणियां	168
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	150
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक	256
समेकित वित्तीय विवरण	257

दृष्टि

"विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययिता सुनिश्चित करते हुए उभरते विद्युत बाजारों में प्रभावशाली नेतृत्व के साथ विश्वस्तरीय, एकीकृत वैश्विक पारेषण कंपनी"

मूल्य

- परिवर्तनकामी तथा उत्कृष्टता के लिए तत्पर
- सभी मामलों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता
- वैयक्तिक प्रतिष्ठा और क्षमता के लिए सम्मान
- प्रतिबद्धताओं के प्रति कठोर अनुपालन
- त्वरित प्रत्युत्तर सुनिश्चित करना
- सीखने, सृजनात्मकता और टीम कार्य को प्रोत्साहन देना
- पावरग्रिड के प्रति निष्ठा और गौरव

मिशन

"हम विश्वस्तरीय क्षमताओं के साथ निम्नलिखित द्वारा उभरते विश्व बाजारों में प्रभावशाली नेतृत्व से वैश्विक पारेषण कंपनी बनेंगे -

- विश्वस्तरीय : उद्योग और अपने लिए पूंजीगत परियोजना प्रबंधन और प्रचालनों में उत्कृष्ट मानक स्थापित करना
- वैश्विक : भारत में और उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सभी पणधारकों के लिए निरंतर अधिकतम मूल्य सृजन के लिए उत्तोलक क्षमताएं
- व्यावसायिकों की अगली पीढ़ी को अभिप्रेरित, पोषित और सशक्त करना
- नवोन्मेष और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए सतत सुधार हासिल करना
- स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण में उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्धता"

उद्देश्य

केंद्रीय पारेषण निकाय के रूप में अपने विज़न, मिशन और अपनी स्थिति के अनुरूप निगम ने निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं :

- अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के जरिए विद्युत का पारेषण करना
- निम्नलिखित के साथ अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली से संबंधित आयोजना और समन्वय के सभी कार्यों का निर्वहन करना :
  - i. राज्य पारेषण निकाय;
  - ii. केंद्र सरकार;
  - iii. राज्य सरकार;
  - iv. उत्पादक कंपनियां;
  - v. क्षेत्रीय विद्युत समितियां
  - vi. प्राधिकरण;
  - vii. लाइसेंसी;
  - viii. इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति
- उत्पाद केंद्रों से भार केंद्रों तक विद्युत के सुचारु प्रवाह के लिए अंतर-राज्य पारेषण लाइनों की दक्ष, समन्वित और किफायती प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना।
- पारेषण प्रणालियों का दक्ष प्रचालन एवं अनुरक्षण
- सुपर चक्रवात, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदा की किसी स्थिति में आपातकालीन बहाली प्रणालियों की तैनाती के जरिए शीघ्रतम संभव समय में विद्युत की बहाली
- संगठन द्वारा विकसित आंतरिक विशेषज्ञता के आधार पर पारेषण क्षेत्र में देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शी सेवाएं प्रदान करना
- लंबी दूरी के दूरसंचार कारोबार उद्यमों में भागीदारी
- इसके कार्यकलापों से प्रभावित और लाभान्वित दोनों तरह के लोगों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और स्वच्छ परिवेश के लिए उभरती/वांछनीय अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय, सुरक्षा और मितव्ययिता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना।

POWERTEL™

राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने और प्रचालित करने में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए दूरसंचार में विविधीकरण, विस्तृत रूप से फैली पारेषण अवसंरचना पर 650 से अधिक पीओपी को कनेक्ट करने के लिए 42,000 किलोमीटर का ब्राडबैंड टेलीकॉम नेटवर्क स्थापित।

- देश में एकमात्र निकाय जिसके पास एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पारेषण नेटवर्क पर अखिल भारत ओवरहेड ऑप्टिक फाइबर है
- पावरग्रिड फाइबर टेलीकॉम नेटवर्क
  - मजबूत एवं सुरक्षित
  - कृंतक आशंका एवं तोड़-फोड़ से मुक्त
- बैकबोन के साथ ही इंट्रा-सिटी एक्सेस नेटवर्क में पुरातनता के लिए स्वतः लोचदार रिंग हैं
- समग्र समाधान की पेशकश और ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना
- टेलीकॉम नेटवर्क की विश्वसनीयता 99.95 प्रतिशत
- सभी मेट्रो और प्रमुख शहरों में बैंडविड्थ क्षमता उपलब्ध
- आम आदमी के लाभ के लिए गैर-किफायती और पिछड़े क्षेत्रों को सेवा देने के लिए विस्तृत टेलीकॉम नेटवर्क
- क्षेत्रीय सार्क टेलीकॉम ग्रिड के लिए पड़ोसी देशों में नेटवर्क का विस्तार करने की योजना। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के लिए नेटवर्क पहले ही स्थापित किया जा चुका है।
- देश में एनएलडी सेवाएं और आईएसपी (श्रेणी-क) सेवाएं प्रदान करने के प्राधिकार संबंधी यूनिफाइड लाइसेंस प्राप्त
- भारत सरकार की प्रमुख महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन), नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन ओ एफ एन) आदि के लिए निष्पादन एजेंसियों में से एक
- उद्यम कारोबार पेशकश, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क (वी एल ए एन), वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वी पी एन) आधारित मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एम पी एल एस)
- अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की शुरुआत
  - टावर अवसंरचना
  - वाई फाइ सेवाएं
  - डेटा सेंटर सेवा

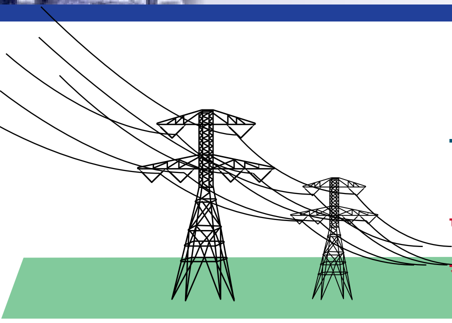

संदर्भ सूचना

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : एल40101 डीएल1989जीओआई038121

पंजीकृत कार्यालय :
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
दूरभाष संख्या : 011-26560112, फैक्स : 011-26601081

केन्द्रीय कार्यालय :
सौदामिनी, प्लाट नं. 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा)
फोन नं. : 0124-2571700-719, फैक्स : 0124-2571762

महाप्रबंधक, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
श्रीमती दिव्या टंडन

वेबसाइट : www.powergridindia.com
ई-मेल आईडी : powergrid@powergrid.co.in

आलोच्य वित्त वर्ष अर्थात् 2016-17 के लिए

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
मित्तल हाउस,
ई-29, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II
नई दिल्ली-110049
ई-मेल : skmittalca@yahoo.co.in

मैसर्स आर जी एन प्राइस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
सिंपसन बिल्डिंग्स, 861,
अन्ना सलाय,
चेन्नै-600002
ई-मेल : rangarajan@rgnprice.com

मैसर्स कोठारी एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार
1 ई, नीलकंठ, 26-बी कैमेक स्ट्रीट
कोलकाता-700016
ई-मेल :manaswykothari@yahoo.co.in

मैसर्स परख एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार
ए-101, प्रतीक अपार्टमेंट
रामचंद्र नगर-3 , कैडबरी सिग्नल के पास,
थाने पश्चिम, मुंबई -400604
ई-मेल : sharmapsd@yahoo.com

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार
8, चित्रगुप्त नगर- I
ज्योति नगर रेलवे क्रॉसिंग,
जयपुर-302005
ई-मेल : rajeshgoyaljaipur@yahoo.co.in

मैसर्स आर. एम बंसल एंड कंपनी,
लागत लेखाकार
ए-201, ट्विन टावर्स
लखनपुर
कानपुर-208024
ई-मेल : cmarmbansal11@gmail.com

रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट :

इक्विटी शेयर :
कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,
प्लाट नं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद-500081
दूरभाष : 040-44655000, फैक्स : 040-23420814
ई-मेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

बांड :
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,
एफ-65 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
फेज-I, नई दिल्ली-110020
दूरभाष : 011-41406149-52
टेलीफैक्स : 011-41709881
ई-मेल : admin@mcsregistrars.com

बैंकर्स
इंडियन ओवरसीज बैंक
बैंक आफ बडौदा
स्टेट बैंक आफ पटियाला
केनरा बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक आफ इंडिया
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई बैंक
आंध्रा बैंक
कार्पोरेशन बैंक
एक्सिस बैंक लिमिटेड
कोटक महिंद्रा बैंक
देना बैंक
स्टेट बैंक आफ मैसूर

शेयर निम्नलिखित के पास सूचीबद्ध है :
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड

डिपाजिटरी :
नेशनल स्क्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

डिबेंचर न्यासी

बांड शृंखला VIII से XV निर्गम के लिए :
इंडियन ओवरसीज बैंक
10, पार्लियामेंट स्ट्रीट
जीवनदीप बिल्डिंग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष :011-23341421, 23742559
फैक्स : 011-23348928
ई-मेल : lob0762@iob.in

बांड श्रृंखला ऋण XVI से LVIII निर्गम के लिए
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड,
एशियन बिल्डिंग, भूतल,
17, आर कमानी मार्ग,
बैलर्ड एस्टेट, मुंबई-400 001
दूरभाष : 022-40807000
फैक्स : 022-66311776
ई-मेल : itsl@idbitrustee.com

निदेशकों का परिचय

निदेशकों का परिचय

श्री आई.एस. झा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री आई.एस. झा (58 वर्ष), (डीआईएन : 00015615) नवम्बर, 2015 से हमारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व इन्होंने सितम्बर, 2009 से कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में काम किया और वे सभी पारेषण और वितरण परियोजनाओं की आयोजना, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, निगरानी एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। इन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है और उन्हें प्रख्यात विद्युत प्रणाली व्यावसायिक के रूप में 36 वर्ष से अधिक का विभिन्न कार्यों का अनुभव है। इन्होंने अपना व्यावसायिक करियर एनटीपीसी में कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में 1981 में शुरू किया था। वे 1991 में पावरग्रिड की स्थापना के समय से ही इससे जुड़े रहे हैं और निगम के अनेक विभागों का भाग रहे हैं। इन्होंने कम्पनी के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक और इंजीनियरी और निगम के अनुवीक्षण समूह के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया। एनटीपीसी और पावरग्रिड की विभिन्न परियोजनाओं और निगम कार्यालय में काम करते हुए वे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं की संकल्पना, आयोजना, डिजाइन, इंजीनियरी अनुवीक्षण और कार्यान्वयन में शामिल रहे।

उन्होंने अति उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ देश में एकीकृत सुदृढ़ नेशनल ग्रिड तथा नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए ग्रीन एनर्जी गलियारों के विकास को आगे बढ़ाया है। एक काफी बड़ी उच्च क्षमता ±800 केवी चंपा-कुरुक्षेत्र एचवीडीसी बाइपोल का प्रारंभ तथा राष्ट्रीय ग्रिड क्षमता को और सुदृढ़ करने वाली पारेषण स्कीमें, जो जीवंत विद्युत बाजार को अत्यधिक कार्यशील बनाती हैं, उनके प्रधान उल्लेखनीय योगदान हैं।

वे अपनी प्रौद्योगिकीय कौशल और लोक केन्द्रित नेतृत्व के लिए विख्यात हैं। वे सीपीआरआई, बंगलौर के शासी निकाय के सदस्य हैं तथा इन्टरनेशनल काउंसिल आफ लार्ज इलेक्ट्रिक सिस्टम (सीआईजीआरई) - भारत तथा अन्य व्यावसायिक संगठनों के अध्यक्ष हैं। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिका/सम्मेलन में विद्युत प्रणाली के क्षेत्र में अनेक लेख/तकनीकी पर्चे प्रकाशित/प्रस्तुत किए हैं।

श्री के. श्रीकांत

निदेशक (वित्त)

श्री के. श्रीकांत (53 वर्ष), (डीआईएन : 06615674) हमारी कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। इस दायित्व को स्वीकार करने से पूर्व वे एनटीपीसी के महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्य कर रहे थे। वे बी.काम (एच), सीएमए तथा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गुड़गांव से पीजीडीएम (वित्त) हैं। श्री श्रीकांत को विद्युत क्षेत्र में इकतीस वर्षों का अनुभव है जिसमें वित्त और लेखांकन के सभी पक्ष, विशेषकर दीर्घकालिक वित्तीय आयोजना, निवेश मूल्यांकन, पूंजीगत बजट की तैयारी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संसाधन जुटाना और कॉर्पोरेट खाते शामिल हैं। सितम्बर, 2016 में उन्हें हमारे बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री रवि पी. सिंह

निदेशक (कार्मिक)

श्री रवि पी. सिंह (57 वर्ष), (डीआईएन : 05240974) हमारी कंपनी के निदेशक (कार्मिक) हैं। उन्होंने एआईएमए, नई दिल्ली से मानव संसाधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ एनआईटी, इलाहाबाद से प्रथम श्रेणी में अभियांत्रिकी (आनर्स) उत्तीर्ण की है। वे पहले पावरग्रिड में कार्यपालक निदेशक (पूर्वी क्षेत्र-II) तथा कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन प्रबंधन तथा केन्द्रीय संचार) के पद पर कार्यरत थे। श्री सिंह को विविध क्षेत्र में विभिन्न बहुविधात्मक कार्यों जैसे मानव संसाधन, दूरसंचार, संविदा, सामग्री, आयोजना, अनुवीक्षण पारेषण प्रणाली संरचना/प्रचालन और अनुरक्षण का निष्पादन करने का 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है। 1991 में पावरग्रिड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री सिंह ने एनटीपीसी में 10 वर्ष तक कार्य किया है। उन्हें अप्रैल, 2012 में हमारे बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री आर. पी. ससमल
निदेशक (प्रचालन)

श्री आर.पी. ससमल (59 वर्ष), (डीआईएन : 02319702) हमारी कंपनी के निदेशक (प्रचालन) हैं। इस दायित्व को स्वीकार करने से पूर्व वे कंपनी में कार्यपालक निदेशक (प्रचालन सेवाएं) थे। श्री ससमल संभलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा से इंजीनियर स्नातक हैं जिन्हें विद्युत क्षेत्र में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है। श्री ससमल ने एचवीडीसी परियोजनाओं की मानीटरिंग और कार्यान्वयन, ईएचवी पारेषण प्रणाली और प्रेषण (लोड डिस्पैच) तथा संचार प्रणाली जैसे बहुविधात्मक कार्य संभाला है। उन्होंने ± 800 केवी के मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी पारेषण प्रणाली को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो विश्व में अपनी तरह की पहली है। उनके मार्गदर्शन में भिवाडी में ± 400 केवी का पहला गैर-मानव संचालित, सब-स्टेशन प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया। उन्हें 'डिस्टींग्यूस्ड मेंबर आफ सीआईजीआरई', 2012 प्रदान किया गया और उन्होंने आईईईई और सीआईजीआरई जैसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय मंचों/सोसाइटियों में अनेक पारेषण प्रणालियों विशेषकर एचवीडीसी पर अनेक तकनीकी निबंध प्रकाशित किए हैं। वर्तमान में वह एचवीडीसी के सीआईजीआरई में एचवीडीसी और पावर इलेक्ट्रॉनिक के लिए भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं। 1993 में पावरग्रिड में कार्यभार संभालने से पूर्व उन्होंने एनटीपीसी में 13 वर्षों तक कार्य किया था। अगस्त-2012 में उन्हें हमारे बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया।

श्री प्रभाकर सिंह
निदेशक (परियोजना)

श्री प्रभाकर सिंह (59 वर्ष), (डीआईएन : 01391766) हमारी कंपनी के निदेशक (परियोजना) हैं। वर्ष 1978 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारतीय विद्युत क्षेत्र के उल्लेखनीय संगठनों नामतः मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, एनटीपीसी लिमिटेड, पारवग्रिड और जेपी पावरग्रिड लिमिटेड (जेपी पावर वेंचर लिमिटेड और पावरग्रिड का संयुक्त उद्यम) में निदेशक, (परियोजना) के रूप में 39 वर्ष से अधिक समय तक सेवा की है। पावरग्रिड में निदेशक (प्रचालन) के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व वे पावरग्रिड के सबसे बड़े क्षेत्रों (रीजन) में से एक उत्तरी क्षेत्र-I के कार्यपालक निदेशक थे जहां उन्होंने 6000 मेगावाट ± 800 केवी एचवीडीसी बाइपोल - बिश्वनाथ चारियाली - आगरा लाइन के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण किया जो विश्व में सबसे लंबी एचवीडीसी पारेषण प्रणाली है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ प्रमुख परामर्शी परियोजनाओं को संभाला। वे उत्तरी क्षेत्र में प्रचालन कर 765/400/220 केवी एसी और 800/500 केवी डीसी, छह एचवीडीसी, सैंतीस एचवीएसी एआईएस/जीआईएस और बीस एफएससी स्टेशनों का पर्यवेक्षण कर रहे थे। फरवरी, 2017 में उन्हें हमारे बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

सुश्री शालिनी प्रसाद
सरकारी नामिती

सुश्री शालिनी प्रसाद (54 वर्ष), (डीआईएन : 07908489) भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग की अधिकारी हैं और वर्तमान में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। सरकार में अपने तीन दशकों से अधिक समय के यशस्वी करियर में उन्होंने केन्द्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (संयुक्त सचिव के रूप में), मानव संसाधन विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में और उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न पदों पर काम किया है। अगस्त, 2017 में हमारे बोर्ड में निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई।

श्री जगदीश आई पटेल

स्वतंत्र निदेशक

श्री जगदीश आई. पटेल (52 वर्ष), (डीआईएन : 02291361) बीएससी, एएसटीएम-यूटी/एमबीए (इंड) हैं और कारोबार सहायक इकाइयों में इंजीनियरी समाधान प्रदाता और कार्यनीतिक नियोजनकर्ता के रूप में ऊर्जा उत्पादन, खनन और अंतरिक्ष क्षेत्रों में उनका 36 से अधिक वर्षों का अनुकरणीय करियर रहा है। केआईए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ-साथ पुष्पक ट्रेडमैक लिमिटेड में निदेशक (तक.) और गुजरात चैंबर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री : (जीसीसीआई) के सक्रिय सदस्य रहे हैं, और आईटीआई की जिला कार्यान्वयन एवं औद्योगिक प्रबंधन समिति, आईजीटीआर की औद्योगिक प्रबंधन समिति जैसी कई संस्थाओं के सदस्य के रूप में साथ-साथ एलयूबी गुजरात के अध्यक्ष के तथा कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया। ये एमएमसी की स्थायी समिति, तथा नगर नियोजन समिति/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं। उन्हें नवम्बर, 2015 में हमारे बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री से तेन दोर्जी

स्वतंत्र निदेशक

श्री से तेन दोर्जी (66 वर्ष), (डीआईएन : 03469466) एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने भारत सरकार के बहुत से मंत्रालयों/विभागों में अनेक पदों को सुशोभित किया है। उन्हें अनेक विषयों जैसे कार्मिक और सामान्य प्रशासन, वित्त, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, पशु पालन, आयोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन, भू-राजस्व प्रबंधन और जिला प्रशासन आदि में अनुभव प्राप्त है। फरवरी, 2017 में उन्हें हमारे बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री वी. के. सक्सेना

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री वी. के. सक्सेना (57 वर्ष), एमए, एलएलबी, पावरग्रिड के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। वे भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के 1984 बैच के अधिकारी हैं, और कर कानून प्रवर्तन में उन्हें 32 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है और उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर भी कार्य किया है। आयकर विभाग, भारत सरकार में इन्होंने प्रशासनिक और अपीलीय सहित विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है और न्यायिक तथा सतर्कता कार्य भी देखें हैं। इन्होंने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय के कर नीति एवं विधि निर्माण प्रभाग में भी कार्य किया है। इन्होंने लॉस एजेंल्स, यूएसए में कर लेखा परीक्षा और संग्रहण की तकनीकी संबंधी यूएनडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्हें जुलाई, 2016 में पावरग्रिड का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

1 अगस्त, 2017 को वरिष्ठ कार्यपालकों की सूची

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	रो. संख्या	पद	स्तर	विभाग	क्षेत्र	स्थान
1	पी. एन. दीक्षित	60010046	ईडी	ई9	परि. प्रबंधन	सीसी	गुडगांव
2	टी. सी. सरमाह	60020026	सीओओ	ई9	बीडीडी, जेवी एवं पीआई, एनर्जी एफिसिएंसी	सीसी	गुडगांव
3	संजीव सिंह	60010040	ईडी	ई9	सीएमजी	सीसी	गुडगांव
4	एच. के. मलिक	60010773	ईडी	ई9	वाणिज्यिक एवं विनियामक प्रकोष्ठ	सीसी	गुडगांव
5	ए. चौधरी	60040017	ईडी	ई9	वाणिज्यिक एवं विनियामक प्रकोष्ठ	सीसी	गुडगांव
6	डी. सी. जोशी	60040045	ईडी	ई9	संविदा सेवाएं	सीसी	गुडगांव
7	चेतन वर्मा	60000477	ईडी	ई9	कॉर्पोरेट संचार	सीसी	गुडगांव
8	आर. के. चौहान	60010951	ईडी	ई9	कॉर्पोरेट इंजि एचवीडीसी	सीसी	गुडगांव
9	अनिल जैन	60010060	ईडी	ई9	कॉर्पोरेट योजना, कॉस्ट इंजी., क्षेत्र के प्रमुख (एनआर-II)	सीसी	गुडगांव
10	डॉ. सुबीर सेन	60000158	ईडी	ई9	सीटीयू, स्मार्ट ग्रिड	सीसी	गुडगांव
11	डी. के. वालेचा	60010027	ईडी	ई9	इंजी. - टीएल, एस/एस, सिविल	सीसी	गुडगांव
12	पंकज कुमार	60000105	ईडी	ई9	ईआरपी सेल, आईटी	सीसी	गुडगांव
13	एस. के. गुप्ता	60010034	ईडी	ई9	ईएसएमडी, सीएसआर, एलएसी	सीसी	गुडगांव
14	एस. वैथिलिंगम	60040050	ईडी	ई9	एफ एंड ए	सीसी	गुडगांव
15	रंजन कुमार श्रीवास्तव	60010073	ईडी	ई9	एफ एंड ए	सीसी	गुडगांव
16	के. एस. आर. मूर्ति	60010072	ईडी	ई9	एफ एंड ए	सीसी	गुडगांव
17	मीनाक्षी डावर	60000384	ईडी	ई9	एचआर	सीसी	गुडगांव
18	अनील मेहरा	60000464	सीओओ	ई9	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	सीसी	गुडगांव
19	सुनील अग्रवाल	60020497	ईडी	ई9	एलडी एंड सी	सीसी	गुडगांव
20	भोज पॉल	60010947	ईडी	ई9	उत्तर पूर्व-उत्तरी/पश्चिमी आईसी-I परियोजना	सीसी	गुडगांव
21	एस. सेन	60010871	सीओओ	ई9	एनटीएएमसी	सीसी	मानेश्वर
22	एस. के. मिश्रा	60010091	ईडी	ई9	क्यूए एंड आई, सीएमडी समन्वय प्रकोष्ठ	सीसी	गुडगांव
23	ए. के. सिंघल	60000151	ईडी	ई9	टीबीसीबी	सीसी	गुडगांव
24	ए. के. अरोड़ा	60010907	सीओओ	ई9	टेलीकॉम	सीसी	नई दिल्ली
25	उपेन्द्र पांडे	60020074	ईडी	ई9	सतर्कता	सीसी	गुडगांव
26	संजय गर्ग	60000434	ईडी	ई9	विद्युत मंत्रालय में तैनात	सीसी	नई दिल्ली
27	राजेश कुमार	60000130	जीएम (आई/सी)	ई8	डीएमएस	सीसी	गुडगांव
28	पंकज कुमार	60000369	जीएम (आई/सी)	ई8	सामग्री	सीसी	गुडगांव
29	अनिल सबरवाल	60040051	जीएम (आई/सी)	ई8	पावरग्रिड एकेडेमी ऑफ लीडरशिप (पीएएल/एचआरडी)	सीसी	मानेसर
क्षेत्र / प्रोजेक्ट							
1	सीमा गुप्ता	60000127	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	एनआर-I	नई दिल्ली
2	अतुल त्रिदेवी	60040707	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	एनआर-III	लखनऊ
3	एस. एन. सहाय	60040044	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	ईआर-I	पटना
4	भारत भूषण	60020006	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	ईआर-II	कोलकाता
5	डी. एस. यादव	60010037	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	एनईआर	शिलांग
6	वी. शेखर	60020107	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	एसआर-I	सिकंदराबाद
7	आर. के. सिह	60011044	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	एसआर-II	बंगलौर
8	वी. के. खेर	60020015	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	डब्ल्यूआर-I	नागपुर
9	डी. के. सिंह	60040065	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	डब्ल्यूआर-II	वडोदरा
10	आर. एन. सिंह	60040054	ईडी	ई9	राजगढ़-पुगलुर-त्रिशूर परियोजना	एसआर-II	बंगलौर
11	एस. गुप्ता	60011045	ईडी	ई9	ओडिशा परियोजना	ईआर-II	भुवनेश्वर
12	राजीव कुमार	60010083	ईडी	ई9	एनईआरपीएसआईपी परियोजना	एनईआर	गुवाहाटी
13	राकेश कुमार	60000148	जीएम (आई/सी)	ई8	पश्चिमी/उत्तरी आईसी परियोजना	एनआर- II	कुरुक्षेत्र
अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति							
1	टी. पाण्डे	60020009	ईडी	ई9	प्रतिनियुक्ति पर - बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		पटना
2	पी. एन. प्रसाद	60020511	ईडी	ई9	प्रतिनियुक्ति पर - क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		गुडगांव
3	अश्वनी जैन	60000095	ईडी	ई9	प्रतिनियुक्ति पर - नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नई दिल्ली
4	जे. पी. सिंह	60000195	ईडी	ई9	प्रतिनियुक्ति पर - तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		नई दिल्ली
5	आर. के. सरकार	60000115	ईडी	ई9	प्रतिनियुक्ति पर - टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड		अहमदाबाद

पावरग्रिड का कार्यनिष्पादन

निधियों के स्रोत (%) 2016-17

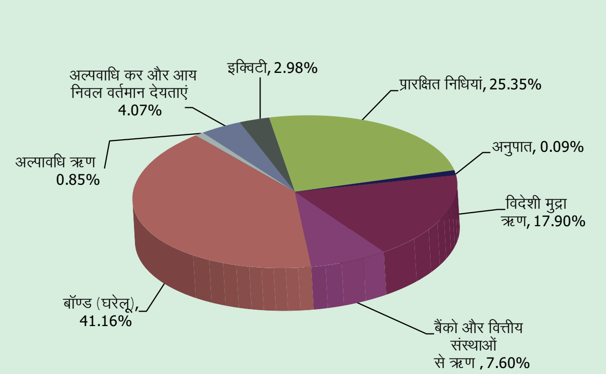

निधियों का अनुप्रयोग (%) 2016-17

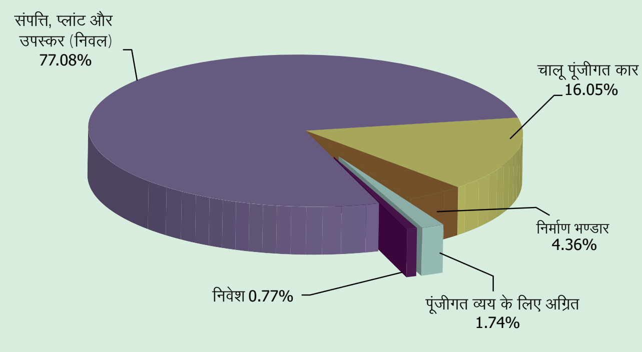

इक्विटी और प्रारक्षित निधियां

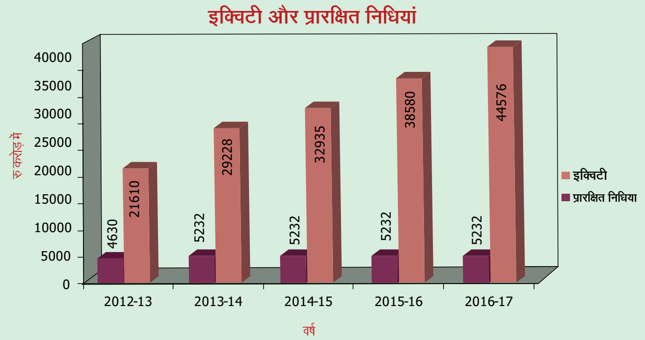

टिप्पणी :वित्त 2015-16 और वित्त 2016-17 के आंकडे भा. ले. मा. के अनुपात में हैं

ऋण और इक्विटी अनुपात (%)

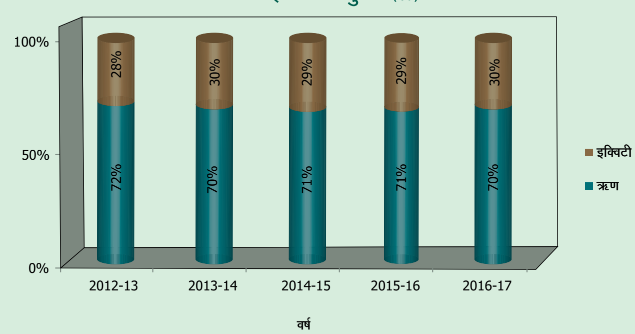

टिप्पणी :वित्त 2015-16 और वित्त 2016-17 के आंकडे भा. ले. मा. के अनुपात में हैं

आय के ब्यौर (%) - 2016-17

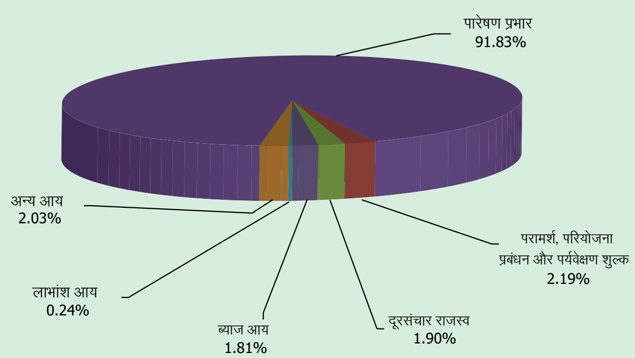

राजस्व का विवरण (%) - 2016-17

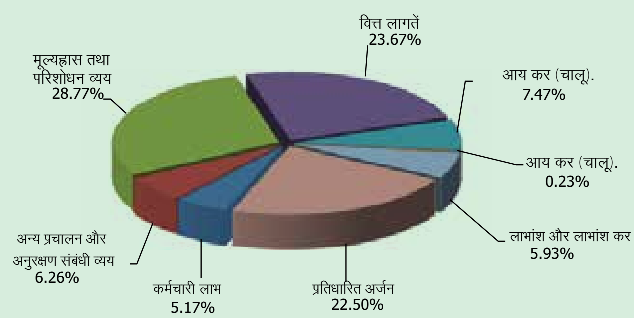

पांच-वर्षीय सारांश

प्रचालन संबंधी परिणाम

(₹ करोड़ में)

	इंड एएस के अनुसार 2016-17	इंड एएस के अनुसार 2015-16	इंडियन जीएएपी के अनुसार 2014-15	इंडियन जीएएपी के अनुसार 2013-14	इंडियन जीएएपी के अनुसार 2012-13
(क) निम्न से अर्जित :					
पारेषण प्रभार	24411.66	19732.06	16450.86	14250.05	12162.66
परामर्श राजस्व					
सेवाओं की बिक्री	582.43	465.46	380.60	332.48	228.96
उत्पादों की बिक्री	-	-	-	294.07	86.44
दूरसंचार राजस्व	503.83	392.25	274.89	276.14	231.39
अन्य प्रचालनात्मक राजस्व	218.62	76.04	70.88	77.54	48.40
अन्य आय	864.92	577.49	602.81	491.13	570.89
कुल अर्जन	**26581.46**	**21243.30**	**17780.04**	**15721.41**	**13328.74**
(ख) निम्न के लिए प्रदत्त और व्यवस्थित :					
स्टॉक - इन - ट्रेड की खरीद	-	-	-	219.40	63.50
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ	1377.13	993.72	1023.65	941.68	886.40
पारेषण संबंधी व्यय	821.43	612.76	605.15	456.24	367.65
प्रशासन संबंधी व्यय	903.59	773.63	705.80	629.54	494.56
अन्य व्यय	3.83	0.49	47.38	25.25	(18.12)
प्रावधान	9.02	7.41	43.95	22.35	2.75
कुल व्यय (मूल्यह्रास और ब्याज को छोड़कर)	**3115.00**	**2388.01**	**2425.93**	**2294.46**	**1796.74**
मूल्यह्रास और वित्त लागत से पूर्व लाभ	23466.46	18855.29	15354.11	13426.95	11532.00
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	7662.80	6179.80	5085.41	3995.68	3351.92
वित्त लागतें	6303.83	5134.93	3979.32	3167.52	2535.22
ब्याज और वित्त लागत के पश्चात निवल लाभ	9499.83	7540.56	6289.38	6263.75	5644.86
विनियामक आय/(व्यय)	69.93	(0.05)	-	-	-
कर पूर्व लाभ	9569.76	7540.51	6289.38	6263.75	5644.86
कर के लिए प्रावधान (एमएटी)	1988.45	1574.79	1280.99	1274.13	1052.08
एमएटी के बाद निवल लाभ	7581.31	5965.72	5008.39	4989.62	4592.78
अस्थगित कर	61.16	17.22	29.22	492.20	358.28
अस्थगित कर पश्चात लाभ	7520.15	5948.50	4979.17	4497.42	4234.50
अन्य व्यापक आय	49.83	(11.97)	-	-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	7569.98	5936.53	-	-	-
लाभांश	1313.12	1103.87	360.98	1349.76	1273.18

वित्तीय स्थिति

(₹ in crore)

		इंड एएस के अनुसार 2016-17	इंड एएस के अनुसार 2015-16	01.04.2015 को आदि इंड/एएस आंकड़े	इंडियन जीएएपी के अनुसार 2014-15	इंडियन जीएएपी के अनुसार 2013-14	इंडियन जीएएपी के अनुसार 2012-13
(क)	**कंपनी के स्वामित्वाधीन :**						
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (^)	149730.18	121336.82	89549.41	118264.26	96503.66	80600.05
	घटाएं : संचित मूल्यह्रास	14222.22	6394.52	-	28578.05	23349.59	19199.41
	निवल संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (^)	135507.96	114942.30	89549.41	89686.21	73154.07	61400.64
	चालू पूंजीगत कार्य (निर्माण भंडार सहित)	35884.13	43795.15	52922.41	52924.15	49476.71	34823.54
	निवेश संपत्ति	0.03	0.03	0.03	-	-	-
	पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	3057.92	3020.19	3348.96	3367.44	3853.61	5328.98
	गैर-चालू निवेश	1355.55	836.08	826.07	740.99	814.33	964.24
	विनियामक आस्तियां	107.60	37.67	37.72	37.72	-	-
	अन्य गैर-चालू ऋण और अग्रिम	7701.56	6125.58	3832.59	3614.27	3221.35	2517.07
	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम	11064.71	9652.25	7837.91	7930.10	9069.00	6099.09
	कुल (क)	**194679.46**	**178409.25**	**158355.10**	**158300.88**	**139589.07**	**111133.56**
(ख)	**कंपनी द्वारा देय :**						
	दीर्घावधिक ऋण :						
	- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से	12902.00	12031.00	7600.22	7600.22	5101.94	1705.31
	- विदेशी मुद्रा ऋण	29511.71	29256.76	26708.25	26713.66	24721.62	21031.17
	- घरेलू बॉण्ड	68549.46	58885.55	55003.32	55061.96	46966.66	40339.79
	कुल दीर्घावधि ऋण	110963.17	100173.31	89311.79	89375.84	76790.22	63076.27
	दीर्घावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वताएं	6234.74	6081.60	4468.56	4468.71	3679.63	3111.60
	कार्यशील पूंजी ऋण (अल्पावधि)	1500.00	2000.00	1200.00	1200.00	2700.00	2000.00
	चालू देयताएं और प्रावधान	17024.39	16202.66	15332.47	16195.81	13137.50	9596.90
	अस्थगित कर देयता (निवल)	2550.54	2489.38	2472.16	2472.15	2442.96	1959.16
	अस्थगित राजस्व-मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	1624.81	1770.66	1911.50	1938.57	2018.07	2094.96
	राजस्व-डीएफसीएफआई/ई खाता	3107.26	3818.31	2750.23	2751.22	2404.32	1505.61
	सहायतानुदान आस्थगित राजस्व	150.30	109.17	73.12	73.12	95.07	117.03
	गैरचालू प्रावधान	789.56	650.45	580.23	580.23	524.37	442.63
	अन्य गैर-चालू देयताएं	927.44	1302.48	1055.36	1078.64	1337.30	989.93
	कुल (ख)	**144872.21**	**134598.02**	**119155.42**	**120134.29**	**105129.44**	**84894.09**
(ग)	**निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित कंपनी का निवल मूल्य :**						
	इक्विटी अंश पूंजी	5231.59	5231.59	5231.59	5231.59	5231.59	4629.73
	अन्य इक्विटी	44575.66	38579.64	33968.09	32805.48	29181.30	21583.68
	कुल (ग)	**49807.25**	**43811.23**	**39199.68**	**38037.07**	**34412.89**	**26213.41**
(घ)	**प्रतिबद्ध प्रारक्षित राशि**						
	सीएसआर कार्यकलापों के लिए प्रारक्षित निधि (@)	-	-	-	129.52	46.74	26.06
	कुल (घ)	**-**	**-**	**-**	**129.52**	**46.74**	**26.06**
	कुल (ख + ग + घ)	**194679.46**	**178409.25**	**158355.10**	**158300.88**	**139589.07**	**111133.56**
	नियोजित पूंजी	**121813.54**	**100310.29**	**76386.29**	**75751.79**	**62705.94**	**52791.23**
	निवल संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर + निवल चालू आस्तियां						
(ङ)	**अनुपात**						
	नियोजित पूंजी के प्रति निवल लाभ (%)	6.17	5.93		6.57	7.17	8.02
	निवल मूल्य के प्रति निवल लाभ (%)	15.10	13.58		13.09	13.07	16.15
	प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपया निवल मूल्य (₹)	9.52	8.37		7.27	6.58	5.66
	ऋण/इक्विटी अनुपात (#)	70:30	71:29		71:29	70:30	72:28
	वर्तमान अनुपात	0.45:1	0.40:1		0.36:1	0.46:1	0.41:1
	प्रति शेयर अर्जन (तनुकृत ईपीएस) (₹)	14.37	11.37		9.52	9.36	9.15
	प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	95.20	83.74		72.71	65.78	56.62
	प्रति शेयर लाभांश (₹)	2.51	2.11		2.00	2.58	2.75
	पूंजीगत व्यय	24429	22584		22456	23158	20037
(च)	**अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ**						
	पारेषण लाइनों की लम्बाई (सीकेटी)	139077	129354		115637	106804	100200
	उप केंद्रों की संख्या	219	207		192	184	167
	अंतरण क्षमता (एमवीए)	289543	254848		231709	205923	164763
	कर्मचारियों की संख्या ($)	9346	8606		8575	8694	8909
	पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता (%)	99.79%	99.72%		99.78%	99.92%	99.90%

(^) संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में अन्य अमूर्त आस्तियां भी शामिल हैं।

(@) सीएसआर रिजर्व को इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रतिबद्ध रिजर्व नहीं माना जाता है।

(#) ऋण इक्विटी अनुपात के परिकलन के लिए ऋण देयता में दीर्घावधिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वताएं भी शामिल हैं।

($) सेकेंडमेंट आधार पर पोसोको में तैनात कर्मचारी शामिल नहीं है।

अध्यक्षीय संबोधन

प्रिय शेयरधारकों, नमस्कार,

पावरग्रिड के निदेशक-मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं इस बैठक में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपकी कंपनी की सफलता के लिए आपका सतत् सहयोग और सद्भाव अति महत्त्वपूर्ण है।

मेरे लिए यह एक बार पुनः गर्व की बात है कि मैं आपके समक्ष अपनी कंपनी का कार्यनिष्पादन प्रस्तुत कर रहा हूँ। कंपनी का वित्त वर्ष 2016-17 का लेखा और निदेशक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, शेयरधारकों के लिए मेरा पत्र तथा प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण आपको प्रेषित कर दिए गए हैं। आपकी अनुमति से मैं उन्हें पढ़ा हुआ मान रहा हूँ।

जैसा कि मैंने पिछले वर्ष आपसे साझा किया था, आपकी कंपनी शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक और बड़े मूल्यों का सृजन करने के प्रति वचनबद्ध है और इस अवसर पर मैं आवश्वस्त करता हूँ कि "पावरग्रिड की टीम" उद्योग और राष्ट्र की सेवा उत्कृष्ट तरीके से करने के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमने अपने शेयरधारकों के साथ परामर्शी और सहयोगी दृष्टिकोन अपनाया है।

अपने निष्पादन को आपके साथ साझा करते हुए मैं आगे आने वाले अवसरों एवं चुनौतियों पर तथा गतिमान व्यवसाय वातावरण में कंपनी की तैयारी पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

व्यवसाय-माहौल

प्रिय शेयरधारको, व्यवसाय माहौल वैश्विक ताकतों एवं प्रवृत्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आर्थिक दृष्टिपत्र के अनुसार विश्व की वृद्धि में 2016 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 में 3.6 प्रतिशत होने की संभावना है। वर्ष 2016-17 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.1 प्रतिशत की विकास दर के साथ विश्व में तेजी से बढ़ती एक बड़ी अर्थव्यवस्था है।

ऊर्जा को नागरिकों के लिए जीवन स्तर को उठाने के संबंध में एक मुख्य इनपुट के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत सरकार ने "2022 तक सभी के लिए 24 x 7बिजली" का लक्ष्य रखा है और 2030 तक 300 यूनिट से अधिक की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बढ़ाने का लक्ष्य है।

एक ओर भारत को अपने आर्थिक एवं विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी विकास गति को बनाए रखने की जरूरत है, दूसरी ओर पेरिस जलवायु समझौता, 2015 पर हस्ताक्षर करने के कारण अपनी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की जरूरत है।

भारत सरकार ने इस दिशा में कई पहले शुरू की हैं, जैसे कि 2022 तक बड़े पैमाने पर 175 जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता उपाय आदि।

भारत में सौर आतपन के साथ-साथ पवन ऊर्जा की संभावना है। इन प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाने से देश को नई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में आत्म-निर्भर बनने में भी मदद मिलेगी।

सौर और पवन ऊर्जा अस्थिर प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनसे ग्रिड की सुरक्षा और स्थिरता के लिए कुछ चुनौतियाँ आती हैं। तथापि, सौर और पवन ऊर्जा को परंपरागत उत्पादन से मिश्रित करने से अस्थिरता को दूर करने और पारेषण प्रणाली के इष्टतम उपयोग से भिन्न आंतरायिक मुद्दों को दूर करने में मदद मिलेगी।

अंतर-राज्य पारेषण

पिछले कुछ वर्षों में पारेषण की भूमिका बाजार को सक्षम बनाने वाले के रूप में परिवर्तित हो गई है। देश को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) के रूप में आपकी कंपनी ने विश्वसनीय पारेषण अवसंरचना की आयोजना और समन्वित विकास की जिम्मेदारी ली है और वर्षों में एक बड़ा कदम मजबूत तुल्यकालिक राष्ट्रीय ग्रिड का विकसित किया गया है। इससे देशभर में निर्बाध विद्युत प्रभाव से असमान रूप से वितरित ऊर्जा संसाधन का इष्टतम उपयोग आसान हो गया है। यह देखकर संतोष होता है कि अल्पकालिक बाजार में बिजली की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है, जैसा कि अब **"विद्युत प्रवाह"** एप पर तुरंत देखा जा सकता है।

दृढ़ निष्पादन

यहां, मैं भारत रत्न जे. आर. डी. टाटा जी का उल्लेख करना चाहूंगा- "किसी भी कार्य में हमेशा उत्कृष्टता या यहां तक की संपूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए, भले ही वह कार्य कितना भी छोटा हो और सर्वोत्तम से कम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए।"

मित्रो, आपकी कंपनी के निषादन की झलकियों को आपके साथ साझा करने से मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, ताकि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सभी मोर्चों पर हमारी उपलब्धियों का सिंहावलोकन किया जा सके:-

उप-केन्द्र का रात्रि दृश्य

- हमने ₹ 23,000 करोड़ के लक्ष्य के स्थान पर ₹ 24,429 करोड़ के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य प्राप्त किया है।

  यह अत्यधिक खुशी का विषय है कि अभी समाप्त XII योजना में हमने ₹1,12,664 करोड़ का केपेक्स प्राप्त किया है जो की XI योजना में प्राप्त हमारे लक्ष्य का दोगुने से भी अधिक है।
- हमने ₹ 31,000 करोड़ का पूंजीकरण हासिल किया है। यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि परियोजनाओं को आरम्भ करने के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी ने XII योजना के दौरान ₹ 1,17,665 करोड़ मूल्य की पूंजीकृत परिसंपत्तियां हैं।
- वित्तीय मोर्चे पर आपकी कंपनी ने अभी पुनः नई ऊंचाई प्राप्त की है जिनमें इसकी कुल आय बढ़कर ₹ 26,581 करोड़ हो गई और करोपारांत लाभ बढ़कर ₹ 7,520 करोड़ हो गया है।
- परामर्शी प्रवाह में राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 582 करोड़ तक की वृद्धि हुई है।
- आपकी कंपनी ने वर्ष इस दौरान 15,000 मेगावॉट अंतर-क्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण क्षमता की वृद्धि की है, जो एक रिकार्ड है। राष्ट्रीय ग्रिड की वर्तमान संचयी अंतर-क्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण क्षमता 75,050 मेगावॉट है, जो 11वीं योजना के अंत की क्षमता से 2-7 गुना ज्यादा है।
- बड़ी मात्रा में निर्बाध पारेषण सुगम बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पारेषण परियोजनाएं शुरूकी गई हैं जो इस प्रकार है:
  - पश्चिमी क्षेत्र के संसाधन संपन्न छत्तीसगढ़ से उत्तरी क्षेत्र को विद्युत अंतरण के लिए ±800 केवी चंपा-कुरुक्षेत्र उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) पोल-।
  - ±800 केवी बिश्वनाथ चारियाली - अलीपुर द्वार - आगरा एचवीडीसी मल्टी टर्मिनल पारेषण परियोजना, जो दुनिया में अपने किस्म की पहली योजना है जिससे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और देश के अन्य भागों से विद्युत हस्तांतरण को सुगम बनाया जा सके।
  - 765 केवी डबल सर्किट (डी/सी) उच्च क्षमता गलियारा, रायपुर- वर्धा, निजामाबाद- हैदराबाद और अंगुल - श्रीकाकुलम - वेमागिरि ताकि दक्षिण क्षेत्र को विद्युत स्थानांतरण में संकुलन को दूर किया जा सके।
  - 765 केवी डी/सी तूतीकोरन- सलेम ताकि दक्षिणी क्षेत्र में विद्युतद उपलब्धता में सुधार लाया जा सके।
  - 400 केवी डी-सी रांची - चँदवा - गया और 765 केवी सिंगल सर्किट गया - वाराणसी और 765 केवी डी/सी वाराणसी - कानपुर - झटीकरा लाइन, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश को ओडिशा और झारखंड क्षेत्र से बिजली प्राप्त हो सके।

माननीय, एमओएसपी (प्रभारी) एनटीएएमसी, मानेसर में

- टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के अंतर्गत आपकी कंपनी ने मेदिनीपुर-जीरत पारेषण परियोजना प्राप्त की है। मुझे आपसे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज तक आपकी कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अर्थात् पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड के जरिए शुरूकी गई तीन टीबीसी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक समय पर पूरा किया है।

प्रचालनात्मक उत्कृष्टता

31 अगस्त, 2017 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी के स्वामित्व एवं प्रचालन में 1,42,400 सर्किट किलोमीटर ईएचवी पारेषण लाइनें तथा 224 ईएचवी एसी और एचवीडीसी सब-स्टेशन है, जिनकी ट्रांसफॉरमेशन क्षमता 2,97,000 एमवीए है। देश भर में इतने व्यापक स्तर पर फैली परिसंपत्तियों का प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, जिसमें सावधानीपूर्वक योजना तैयार करने तथा कठोर प्रक्रियाएं शामिल रही हैं। आपकी कंपनी ने 99 प्रतिशत से अधिक पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता बनाए रखी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

यह निष्पादन, क्षमता निर्माण, लाइव लाइन एरियल पेट्रोलिंग, ड्रोन और हेलीकाप्टर जैसे उन्नत अनुरक्षण तकनीकों के इस्तेमाल, 765 केवी तक वोल्टेज स्तर पर हॉटलाइन रखरखाव, डायनेमिक टेस्टिंग, थर्मो विजन, स्कैनिंग, ट्रांसफार्मरों और रिएक्टरों के फ्रीक्वेंसी रेस्पांस एनालासिस आदि सहित उपस्कर की स्थिति मानीटरिंग आदि तथा अत्याधुनिक **नेशनल ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर (एनटीएएमसी)** स्तर पर केंद्रीकृत मॉनीटरिंग के माध्यम से बनाए रखा जा सका है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बनारस जीआईएस उप-केन्द्र का समर्पण

दुर्गम क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाईन

दृष्टिकोण

"सबसे अधिक मजबूत या सबसे अधिक समझदार नहीं बल्कि परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक अनुक्रियाशील व्यक्तियों का अस्तित्व बना रहता है" - चार्ल्स डर्विन

प्रिय शेयरधारको, बाजार अस्थिर है, व्यापार मॉडलों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम समझते हैं कि अधिक शीघ्रता से नई क्षमताएं बनाई जानी आवश्यक हैं।

आपकी कंपनी अपना मूल व्यापार उत्साह के साथ चलाती रही है और देश भर में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण बिजली प्रदान करने के लिए प्रगामी एकीकरण की दिशा में आपकी कंपनी मजबूत अन्तःराज्यीय पारेषण नेटवर्क के विकास में भी योगदान करने के लिए अग्रसर है। इसके अतिरिक्त, जब भी अवसर मिले, हम "कैरिज पार्टनर" के रूप में वितरण व्यापार में योगदान देने के लिए उत्सुक हैं।

एडीबी के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर

अप्रैल, 2017 के प्रारंभ में, आपकी कंपनी का अगले 3-4 वर्षों में देश में पारेषण और संयुक्तत अवसंरचना को बढ़ाने के लिए तथा सीमा पार इंटर-कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगभग ' 90,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय का कार्यक्रम है।

मूल्य सृजन के अनुसरण में आपकी कंपनी ने कार्य कुशल परियोजना प्रबंधन के लिए ईआरपी सहित प्रणालियां और प्रक्रियाएँ विकसित की हैं।

आपकी कंपनी के पास अनेक बड़ी परियोजनाओं से संबंधित प्रापण के लिए परखी हुई पारदर्शी और उचित प्रणाली है। मैं आप लोगों के साथ यह बात साझा करना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी का 95 प्रतिशत प्रापण सरकारी पहलों के अनुरूप ई-प्रापण आरईआरए (रिवर्स नीलामी) के माध्यम से किया जाता है। आपकी कंपनी की पारदर्शी और परखी गई प्रापण प्रणाली की प्रशंसा, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और विश्व बैंक जैसी बहुराष्ट्रीय निधियन एजेंसियों ने बार-बार की है।

विश्व बैंक ने "वैकल्पिक प्रापण व्यवस्था" के तहत पावरग्रिड की प्रापण प्रणाली को स्वीकार किया है, जो देश के स्वामित्व, सुदृढ़ीकृत प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने और लेनदेन लागतों को कम करने में मदद करेगा। यह उल्लेखनीय विषय है कि पावरग्रिड विश्व बैंक द्वारा वैकल्पिक प्रापण व्यवस्था के तहत स्वीकार की जाने वाली एक पहली एजेंसी है।

महत्वपूर्ण रूप से, इस वर्ष ±800 केवी एचवीडीसी रायगढ़- पुगलूर पारेषण प्रणालीय जिसमें ±320 केवी, 2000 मेगॉवाट, पुगालूर (तमिलनाडु) त्रिशूर (केरल) वीएससी

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में आईपीडीएस योजना की प्रगति की समीक्षा

आधारित प्रणाली शामिल है, को छत्तीसगढ़ में स्थित आईपीपी से दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता में सुधार लाने के लिए विद्युत अंतरण को सुगम बनाने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रिय शेयरधारको, बड़ी उपलब्धियां, बड़ी आशाएं जगाती हैं। आज पावरग्रिड एक ब्रांड हैं, जिसे विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, पूरे देश में दुर्गम भूभागों और कठोर समय-सीमा के भीतर अपनी उत्कृष्ट परियोजना प्रबंधन क्षमताओं के लिए जाना जाता है। आपकी कंपनी ने सफल वाणिज्यिक प्रचालन के 25 वर्ष पूरे किए हैं और उच्च निष्पादन मानक स्थापित किए हैं।

लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी

मित्रो, ट्रांसमिशन सेक्टर में पथ प्रदर्शक और अग्रणी होने के कारण आपकी कंपनी हमेशा ही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति को अपनाने के साथ-साथ विद्युत पारेषण के प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता का अनुसरण करते हुए अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यों को कार्यान्वित करती रही है। इनमें से नवीनतम है, पारेषण लाइनों के मापन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली उपकरणों का प्रयोग तथा सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम में प्रोसेस बस टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग, ताकि रखरखाव की विश्वसनीयता और सुगमता बढ़ाई जा सके।

ईएचवी पारेषण में विश्व में अग्रणी होने की अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करते हुए अनेक प्रौद्योगिकीय पहलें की गई हैं जैसे:

- ±800 केवी, 6000 मेगावॉट मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी पारेषण प्रणाली का कार्यान्वयन।
- ±320 केवी, 2000 मेगावॉट, पुगलुर (तमिलनाडु) - त्रिशुर (केरल) वीएससी आधारित एचवीडीसी प्रणाली
- बीना (मध्य प्रदेश) में 1200 केवी यूएचवीएसी (विश्व का सबसे ऊंचा वोल्टेज स्तर) टेस्ट स्टेशन का प्रचालन करना।
- एन. पी. कुंटा (मध्य प्रदेश) सौर पार्क में ±100 एमवीएआर स्टेटकॉम।
- लुधियाना (पंजाब) में, विश्व के सबसे बड़े एसवीसी रेंज में से एक 1000 एमवीएआर स्टैटिक वीएआर कंपेंसेटर

नवीकरणीय ऊर्जा का ग्रिड समेकन

मित्रो, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, अंतरायिकता, लोड संतुलन, मौसमी अनिश्चितता आदि से संबंधित मुद्दों के कारण एक बड़ी चुनौती है। इन मुद्दों को हल करने के लिए, हमने स्मार्ट ट्रांसमिशन समाधान तैयार किया है, जैसे कि व्यापक क्षेत्र मूल्यांकन प्रणाली (डब्ल्यूएएमएस) जिसमें फेजर माप यूनिट कर संस्थापन ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर के जरिए संतुलन का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (आरईएमसी), गतिज क्षतिपूरण शामिल है।

आपकी कंपनी लगभग ₹ 11,400 करोड़ की लागत से एक उच्च क्षमता वाले ग्रीन एनर्जी कॉरिडर (जीईसी), नामतः मुंद्रा-भुज-बनासकांठा-चित्तौड़गढ़-अजमेर-बीकानेर-मोगा और तिरूनेलवेली- तूतीकोरीन को तैयार कर रही है। इस परियोना को केएफडब्ल्यू, जर्मनी और एशियाई विकास बैंक से रियायती विदेशी मुद्रा ऋण की सहायता प्राप्त हुई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा 21 राज्यों में 20,000 मेगावॉट क्षमता के 34 सौर पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिनमें से 8 सौर पार्कों के लिए पारेषण नेटवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी आपकी कंपनी को सौंपी गई है। वर्तमान में, ग्रीन एनर्जी कॉरिडर फेज II (जीईसी II) के भाग के रूप में ₹ 4300 करोड़ की अनुमानित लागत से इन सौर विद्युत पार्कों से 7200 मेगावॉट ऊर्जा के निष्कासन के लिए पारेषण प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, और राजस्थान जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत संपन्न राज्यों में राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, (एमएलडीसी) दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों और राज्य भार प्रेषण केन्द्रों के साथ 11 रिन्यूबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटरों (आर.ई.एम.सी) की स्थापना कर रही है। भारत सरकार की इस पहल से नवीकरणीय उत्पादन की विश्वसनीय पूर्वानुमान और समय सारणी निर्धारित की जा सकेगी, जिससे ग्रिड स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

क्षितिज का विस्तार

बड़ी मात्रा में विद्युत पारेषण के महत्वपूर्ण व्यापार और उभरते व्यवसायों में अवसरों की खोज पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करने के अतिरिक्त आपकी कंपनी अपनी दूरसंचार तथा परामर्शी व्यापार का विस्तार करने के लिए अवसर तलाश रही है।

❖ दूरसंचार व्यापार

अपने देशव्यावी पारेषण अवसंरचना का लाभ उठाते हुए आपकी कंपनी **"पावरटेल"** ब्रांड नाम के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा उद्यम ग्राहकों को डोमेस्टिक लीज्ड सर्किट, मल्टी प्रोटोकॉल लेबेल स्विचिंग (एमपीएलएस) सेंवाए,

आन्ध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में दूरसंचार कार्य के विस्तार हेतु समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान

इन्टरनेट और अन्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है।

आपकी कंपनी लगभग 42,000 किलोमीटर के दूरसंचार नेटवर्क की मालिक है और इसका संचालन करती है, जो सभी मेट्रो, बड़े शहरों और कस्बों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है जिसमें जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदराज के क्षेत्र शामिल हैं। कंपनी के दूरसंचार नेटवर्क के लगभग 99.9 प्रतिशत उपलब्धता बनाई रखी गई है।

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में योगदान देते हुए हमने अखिल भारतीय आधार पर बैकबोन नेटवर्क में 100 जी क्षमता के साथ ओपीजीडब्ल्यू लिंक बढ़ाया है।

❖ दूरसंचार टावर व्यापार

मित्रो, दूरदराज के क्षेत्रों में तथा जिन स्थानों पर टेलीकॉम आपरेटर नहीं पहुंच सकते हैं, वहां बेहतर दूरसंचार कनेक्टिविटी सुलभ करवाने के लिए आपकी कंपनी की पूरे देश में व्याप्त अपने 2,50,000 टावरों को बढ़ाने की खोज में लगी है। आपकी कंपनी ने अर्थ वायर प्रवृत्त वोल्टेज के उपयोग से दूरसंचार

उपस्करों के लिए आवश्यक बिजली प्रदान करने की एक अग्रगामी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे डीजल जेनेरेटरों की जरूरतों को कम किया जा सके और इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी मदद मिलेगी। हम इसे आगे ले जान के लिए संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक सांविधिक मंजूरी ले रहे हैं।

❖ विशेषज्ञता साझेदारी - परामर्शी सेवाएं

मित्रो, पावरग्रिड, पारेषण के क्षेत्र में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों- आयोजना, डिजाइन, इंजीनियरी, प्रापण, परियोजना कार्यान्वयन, लोड डिस्पैच और संचार, समार्ट ग्रिड, नवीकरणीय समेकन, दूरसंचार आदि में अपनी विशेषज्ञा का विस्तार कर रहा है। आपकी कंपनी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए अपनी क्षमता लाभ उठा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी आपकी कंपनी ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप क्षेत्रों के 20 देशों में अपना प्रभाव बढ़ाया है और विभिन्न अन्य देशों को भी लक्ष्य बना रही है। इस वर्ष आपकी कम्पनी ने फिजी में अपना पहला कार्य सुरक्षित किया है, जिससे एशिया पैसीफिक क्षेत्र में इसका प्रवेश हो सकेगा।

रेलवे विद्युतीकरण हेतु समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान

❖ स्मार्ट ग्रिड

मित्रो, स्मार्ट पारेषण के अंतर्गत आपकी कंपनी सभी राज्य और केंद्रीय ग्रिडों को समेकित कर लगभग 1400 फेजर मेजरमेंट यूनिट (पीएमयू) के संस्थापन के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम (डब्ल्यूएएमएस) में से एक को कार्यान्वित कर रही है।

आपकी कंपनी स्मार्ट ग्रिड विकास के लिए नौ उपयोगिताओं को भी परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रही है जिसमें वितरण अवसंरचना, उन्नत मीटरिंग अवंसरचना, आसूचना आउटेज प्रबंधन, वितरित उत्पादन आदि शामिल हैं।

❖ ई-वाहन चार्जिंग अवसंरचना विकास एवं बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस)

सरकार ने देश में वर्ष 2020 तक 6 मिलियन विद्युत वाहन लाने का महत्तवाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत में विद्युत वाहनों के चार्जिंग के अवसर के लिए बाजार की संभावना से उत्साहित होकर आपकी कंपनी की देश भर में चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने की योजना है, जिसमें बड़े पैमाने पर यूटिलिटी ग्रेड बैटरी चार्जिंग की सुविधाएं शामिल होंगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड समेकन से भी सहायक होंगी।

आपकी कंपनी बैटरी जैसे व्यवहार्य ऊर्जा भंडारण समाधान की भी तलाश कर रही है, जिससे ग्रिड की स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी तथा जो ग्रिड में नवीकरणीय उत्पादन की अस्थिरता को नियमित करने के लिए अति आवश्यक संतुलन प्रदान करेगा। इसका मूल भाव, इन बैटरियों में नवीकरणीय उपकरणों द्वारा उत्पादित अधिशेष बिजली का भंडारण किया जाना है। बड़ी संकलित ग्रिड स्तर की बैटरियां ग्रिड में आपूर्ति मांग असंतुलन को व्यवस्थित करेंगी।

❖ रेलवे ट्रेकों का विद्युतीकरण

मित्रो, आपको रिपोर्टों के बारे में जानकारी होगी कि भारतीय रेल ने अपने डीजल नेटवर्क को कार्बनरहित बनाने के लिए 5 वर्षों में लगभग 24,000 आरकेएम (रूट किलोमीटर) विद्युतीकरण की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। मुझे आपको यह बताने में हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी को ₹ 890 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत में 761 आरकेएम ट्रैक के विद्युतीकरण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श का कार्य सौंपा गया है।

राज्य सेक्टर को योगदान

विद्युत आपूर्ति चेन में राज्य उपयोगिता की संधारणीयता महत्वपूर्ण है। पावरग्रिड, ग्रामीण विद्युत अवसंरचना विकास के लिए भारत सरकार की अनेक स्कीमों में बहुमूल्य योगदान कर रहा है।

वितरण

- इस वर्ष, **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** (**डीडीयूजीजेवाई**) के अंतर्गत 4,365 गांवों में विद्युतीकरण के लिए अवसंरचना का सृजन किया गया है और 77,000 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सर्विस कनेक्शन दिए गए हैं।

400/220 केवी एन.पी. कुंटा में ± 100 एमवीएआर स्टेटकॉम

- आपकी कंपनी ने वाराणसी नगर के पुराने काशी क्षेत्र में मौजूदा ओवरहेड वितरण नेटवर्क को बदल कर एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत नए भूमिगत केबल नेटवर्क लगाने का चुनौतीपूर्ण कार्य शुरू किया है। घने बसे संकुचित क्षेत्र में काम करने की अपने तरह की चुनौतियों से भरा यह प्रतिष्ठित कार्य, जिसके लिए सीमित कार्य के घंटे उपलब्ध थे, अनुसूची के अनुसार प्रगति पर है तथा अन्य क्षेत्रों में दोहराए जाने के लिए एक आदर्श परियोजना बन गया है।

इन वितरण अवसंरचना स्कीमों को क्रियान्वित करने में प्राप्त हुए अनुभव से हमें संभावित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त बिजली उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में व्यापार का प्रसार करने में मदद मिलेगी।

अंतः राज्यीय पारेषण

मित्रो, जबकि आपकी कंपनी एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड विकास को बढ़ाने में सफल रही है, वास्तविक चुनौती, अभी राज्यों में बिजली के आमेलन को सुगम बनाने के लिए अंतः पारेषण अवसंरचना के समानुपाती विकास में सन्निहित है।

आपकी कंपनी संयुक्त उद्यम के जरिए (जैसे बिहार में जेवी) और परामर्शी सेवा आधार पर अन्तःराज्यीय परियोजनाएं शुरूकरके अंतः राज्यीय पारेषण प्रणाली को बढ़ावा देने में राज्यों को मदद कर रही है। कुछ राज्य टीबीसीबी के माध्यम से अंतः राज्यीय पारेषण प्रणालियों के विकास हेतु प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं, और इस खंड को हमने आपकी कंपनी के लिए एक बड़े व्यावसायिक अवसर के रूप में देखा है।

हमारे ग्राहकों की संतुष्टि को इसी तथ्य से मापा जा सकता है कि हमारे बहुत से ग्राहकों ने कठोर समय सीमा वाली तथा कठिन स्थितियों वाली परियोजनाओं को हमें देने में विश्वास व्यक्त किया है। हाल ही में पावरग्रिड ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर विद्युत संयंत्र से बिजली के निष्कासन की एक ऐसी ही पारेषण परियोजना को सफलतापूर्वक शुरुकिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के लिए परियोजनाएं

इसके अलावा, आपकी कंपनी पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कठिन भूभाग में राष्ट्रीय महत्व की सामरिक अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन कर रही हैः

- पूर्वोत्तर राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अवसंरचना, विद्युत पहुंच एवं विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से आपकी कंपनी असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा राज्यों में **पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी)** के अंतर्गत पारेषण एवं वितरण सुदृढ़ीकरण कार्यो को सम्पादित कर रही है जो कि भारत सरकार और विश्व बैंक (50:50 आधार) द्वारा निधिपोषित की जा रही हैं। इसके साथ ही, भारत सरकार द्वारा निधिपोषित **अरूणाचल प्रदेश एवं सिक्किम के लिए पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक योजना** पावरग्रिड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

  इन परियोजनाओं में लगभग ₹ 10,000 करोड़ की अनुमोदित लागत पर 3800 किमी. 33 केवी ट्रांसमिशन लाइनों सहित 4600 किमी. ईएचवी ट्रांसमिशन लाइनें एवं 155 नये डिस्ट्रीब्यूशन सब-स्टेशनों के साथ 77 नये ईएचवी सब-स्टेशनों का निर्माण शामिल है।

नार्वेजिन सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज (एनसीई) के साथ समझौता ज्ञापन

पावरग्रिड द्वारा एम्स, नई दिल्ली में सीएसआर के तहत निर्मित धर्मशाला

- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में ग्रिड कनेक्टिविटी एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए आपकी कंपनी द्वारा रु 2,300 करोड़ की लागत पर भारत सरकार के 220 केवी श्रीनगर-द्रास- कारगिल-खलहस्ती-लेह लाइन एवं सहायक प्रणाली का परामर्शी आधार पर कार्यान्वयन किया जा रहा है।

पड़ोसी देशों के साथ इंटर - कनेक्शन

सीमा पार बिजली के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने तथा उपलब्ध स्रोतों का प्रयोग कार्यकुशल ढंग से करने के लिए आपकी कंपनी भारत सरकार से घनिष्ठ रूप से समन्वय कर पड़ोसी देशों के साथ अनेक इंटर कनेक्शन स्थापित कर रही है। आपकी कंपनी ने पहले ही भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ इंटर कनेक्शन स्थापित किए हैं, जिससे समग्र संचयी क्षमता 2500 मेगावॉट हो गई है। इसके अलावा, बहुत से अतिरिक्त उच्च क्षमता वाले पारेषण लिंकों की योजना बनाई गई है, जिनकी कुल क्षमता 4000 मेगावॉट तक है और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

सीएसआर पहलों के अंतर्गत हमारे क्रिया-कलाप के क्षेत्रों के समीप ग्रामीण विकास, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, पारिस्थितिकी और पर्यावरण आदि पर बल दिया जाता है।

वित्त वर्ष 2016.17 के दौरान, आपकी कंपनी के विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत रु 147 करोड़ खर्च किए हैं। हमारी कुछ बड़ी सीएसआर परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैः

- ₹ 33 करोड़ की लागत से एम्स, नई दिल्ली में 10 मंजिली 275 बिस्तरों वाली धर्मशाला, पटना और गुवाहाटी में भी इसी प्रकार की परियोजनाएं शुरूकी गई हैं।
- लगभग ₹ 4 करोड़ की लागत से डॉ. बी. बरूआ कैंसर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी में **"सेंटर फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट इन ऑकोलाजी"**।
- ₹ 30 करोड़ की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई में विश्व की सबसे बड़ी **"न्यूक्लियर मेडिसिन थरोनोस्टिक यूनिट"** के निर्माण में आंशिक निधियां प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना।
- आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में **"इक्रीसैट"** के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि में ₹ 18 करोड़ की लागत से ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने के लिए लगभग 10,000 हेक्टेयर में **"एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन"**।
- **"स्किल इंडिया" कार्यक्रम** में योगदान करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान 10,500 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दीर्घकालिक विकास

पावरग्रिड, भारतीय विद्युत क्षेत्र में संवहनीयता रिपोर्टिंग के क्षेत्र में अग्रणी है। 2017 में, इसकी पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति एवं प्रक्रियाएं (ईएसपीपी) को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा अपनी "कंट्री सेफगार्ड सिस्टम (सीएसएस)" की नीति

सीएसआर फेयर 2017 के दौरान पावरग्रिड स्टॉल पर माननीय केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री

के तहत एशिया में पहले संगठन के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसकी रक्षोपाय प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय उच्चतम प्रणाली के अनुरूप स्वीकार किया गया है। इससे, पावरग्रिड को अब विश्व में पहला संगठन होने की विशिष्ट पहचान मिली है, जिसकी रक्षोपाय नीति (ईएसपीपी) को दो प्रमुख बहुपक्षीय एजेंसियों अर्थात विश्व बैंक एवं एडीबी द्वारा स्वीकार किया गया है।

हमारे लोग - हमारी शक्ति

आपकी कंपनी ने प्रशिक्षित विद्युत इंजीनियरों और प्रबंधन पेशेवरों को, जो प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करने के लिए समर्पित और प्रेरित है, एक बड़ा पूल विकसित किया है। हालांकि, हमारे निष्पादन की प्रशंसा कंपनी के बाहर सभी लोग करते हैं, "ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट" द्वारा आयोजित "इंडियाज बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर 2017" में हमारे कर्मचारियों ने भी हमें इसी प्रकार का होना सर्वसम्मति से स्वीकार किया है।

पावरग्रिड में सतत शिक्षण एक 'मूलमंत्र' रहा है और कर्मचारियों को उनके ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण के अनुसार उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकी, व्यापारिक माहौल से अद्यतन बनाया जाता है और उनके स्तर में सुधार किया जाता है।

कॉर्पोरेट शासन

प्रिय शेयरधारको, आपकी कंपनी, कंपनी के मालिक के रुप में आपके अधिकारों का सम्मान करती है और हम कंपनी से आपकी अपेक्षाओं से परिचित है। पणधारियों के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और व्यापर संप्रेषण, हमारे कार्य के अभिन्न अंग हैं। ''सेबी'' और अन्य संविधिक दिशानिर्देशों के नियमित अनुपालन के अनिरिक्त आपके कंपनी की पारदर्शी कार्य संस्कृति प्रेस और मीडिया सम्मेलनों में प्रस एवं मीडिया के विश्लेषकों तथा प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन द्वारा सामने लाई जाती है।

मान्यता और पुरस्कार

प्लैट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग के अनुसार आपकी कंपनी को लगातार तीन वर्षों (2016,2015,2014) से एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बिजली से जुड़ी जनोपयोगी संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। आपकी कंपनी के निष्पादन को विभिन्न पणधारियों द्वारा समय-समय पर विभिन्न मंचों पर विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों के रूप में मान्यता दी गई है और प्रशंसा की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, भारत सरकार और अन्य प्रतिष्ठित संगठन तथा संस्थाएं शामिल हैं। आपकी कंपनी को दिए गए कुछ पुरस्कार इस प्रकार है:

- **नॉर्थ अमेरिका सिंक्रो फेजर इनिशिएटिव एनएएसपीआई अवार्ड -** वर्ष 2017 में उत्कृष्ट उपयोगिता होने के लिए यह पुरस्कार दिया गया।
- **इंडस्ट्री एकक्सेलेंस अवार्ड** 2017 स्टेप अप 360 और ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम द्वारा आयोजित और एक एसएमई-डीआई, नई दिल्ली द्वारा समर्थित एमएसएमई और स्टेप अप के लिए ब्रिक्स इंटरनेशनल कानक्लेव के अवसर पर ऊर्जा और विद्युत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया।
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) द्वारा "बेस्ट निर्गमन ऑन ईबीपी" पीसयू
- स्कोप अवार्ड 2016- पावरग्रिड द्वारा अभिनव पणधारी संलग्नता के लिए यह पुरस्कार दिया गया।
- बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रेक्टिस अवार्ड- सीएन बीसी टीवी 18 द्वारा पीएसयू की श्रेणी में तीसरे भारतीय जोखिम प्रबंधन अवार्डस में यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- बीटी सीएसआर एक्सेलेंस अवार्ड 2016- सीएसआर के अंतर्गत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

आभार

मैं, इस अवसर पर भारत सरकार विशेषकर विद्युत मंत्रालय, एमएसआई, सीआरसी, सीईए, लोक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, राज्य सरकारों, हमारे सम्मानित ग्राहकों, लेखापरीक्षकों, विक्रेताओं तथा कंपनी को निर्बाध समर्थन देने वाले प्राधिकारियों और एजेंसियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ।

मैं, घरेलू और वैश्विक निवेशकों, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय दोनों प्रकार की एजेंसियों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कंपनी को दिए गए उनके सतत सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ।

कंपनी को सुदृढ़ करने में बहुमूल्य सेवा प्रदान करने के लिए मैं, बोर्ड के अपने सहयोगियों के प्रति प्रशंसा व्यक्त करता हूँ।

अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा पूरे मन से सहयोग देने और उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और योगदान के लिए मैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ।

पावरग्रिड परिवार की ओर से मैं आश्वासन देता हूँ कि पावरग्रिड की टीम सबके लिए हमेशा और मूल्यों का सृजन करेगी।

धन्यवाद,

नई दिल्ली,
19 सितम्बर, 2017

(आई. एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्वच्छ भारत कोष में योगदान

निदेशकों की रिपोर्ट

विद्युत मंत्रायल, भारत सरकार को लांभाश चेक

सेवा में
प्रिय सदस्यगण

आपके निदेशक मंडल की ओर 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित विवरण सहित कंपनी के कार्यानिष्पादन पर 28वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, मुझे प्रसन्नता हो रही है।

आपकी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी और सर्वोत्तम प्रबंधित पारेषण संस्थाओं में से एक है और यह वित्तीय, भौतिक और प्रचालनात्मक निष्पादन का बेंचमार्क बनाती रही है। परियोजना प्रारंभण के क्षेत्र में कंपनी ने लगभग **₹ 31,000 करोड़ (टी बी सी बी परियोजना सहित)** का पूंजीकरण रिकार्ड दर्ज किया। **9,723 सर्किट किलोमीटर (सी के एम) एक्स्ट्रा** हाई वोल्टज (ई एच वी) पारेषण लाइनों **तथा 12 नए सब-स्टेशनों सहित 34,696 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम वी ए)** ट्रांसफार्मेशन क्षमता वाली नई पारेषण आस्तिय का प्रारंभण हो जाने पर कंपनी की कुल पारेषण परिसंपत्ति बढ़कर 219 सब-स्टेशनों सहित **1,39,077 सी के एम** और **2,89,543 एम वी ए** तक हो गई है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सभी मोर्चों पर कंपनी की उपलब्धियों के पुनरावलोकन के ब्यौरे का सार नीचे दिया गया है :

- ❖ ₹2300 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में ₹24,429 करोड़ का पूंजी निवेश
- ❖ भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ''उत्कृष्ट'' एम ओ यू रेटिंग अधिसूचित।
- ❖ ₹36,5000 करोड़ की पारेषण परियोजनाओं के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया।
- ❖ 99.79 प्रतिशत पर पारेषण प्रणाली उपलब्धता बनाए रखी गई जिसमें वर्ष के लिए प्रति लाइन ट्रिपिंग की संख्या 0.68 तक सीमित रखी गई।
- ❖ ₹25,716.54 करोड़ के प्रचालन से राजस्व (वर्षानुवर्ष वृद्धि 24 प्रतिशत) और कर पश्चात लाभ ₹7,520.5 करोड़ (वर्षानुवर्ष वृद्धि 26 प्रतिशत)।
- ❖ प्रतिशेयर ₹1.00 का लाभांश (अंकित मूल्य प्रत्येक ₹10) का भुगतान किया गया है और इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2016-17 के लिए प्रति शेयर ₹3.35 प्रति शेयर का अंतिम लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन।
- ❖ चंपा-कुरूक्षेत्र तक की ±800 एच वी डी सी की पोल I (1500) मेगावाट की बाइपोल पारेषण लाइन मार्च, 2017 में प्रारंभ की गई है।
- ❖ 15,000 मेगावाट की अंतर क्षेत्रीय विद्युत स्थानांतरण क्षमता जोड़ी गई। इसके साथ, मार्च, 2017 के अंत में नेशनल ग्रिड की संचयी अंतरक्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण क्षमता 75,050 मेगवाट की।
- ❖ प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टी बी सी बी) के आधार पर एक और परियोजना हासिल की गई - 765 केवी पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम (ई आर एस एस-XVIII) के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना।
- ❖ दूरसंचार राजस्व बढ़कर ₹503.83 करोड़ हो गया (28 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि)।

12वीं योजना का निष्पादन

आपको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 12वीं योजना के ₹1,10,000 करोड़ के कैपेक्स की तुलना में कंपनी ₹1,12,664 करोड़ का व्यय कर चुकी है। साथ ही परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया गया और 12वीं योजना के दौरान प्राप्त किया गया कुल पूंजीकरण ₹1,17,000 करोड़ से अधिक है (टी बी सी बी परियोजनाओं को शामिल करते हुए।

12वीं पंचवर्षीय योजना में 1,65,000 एमवीए पारेषण क्षमता वृद्धि सहित लगभग 46,000 सीकेएम पारेषण लाइन जोड़ी गई है। इसके साथ ही 72,350 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में संचयी लाइन क्षेत्रीय क्षमता 75,050 मेगावाट तक बढ़ाई गई है।

वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने स्टेलर वित्तीय निष्पादन का प्रदर्शन किया है। पिछले वर्ष 2015-16 की तुलना में कार्य निष्पादन का सार नीचे दिया गया है :

(प्रति शेयर डाटा को छोड़कर आंकड़े ₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16#	वर्ष दर वर्ष वृद्धि
पारेषण प्रभार	24630.28	19808.10	**24.34 %**
परामर्शी - सेवाओं की बिक्री	582.43	465.46	**25.13%**
दूरसंचार	503.83	392.25	**28.45%**
प्रचालनों से राजस्व	**25716.54**	**20665.81**	**24.44%**
अन्य आय	864.92	577.49	**49.77(%)**
कुल आय	**26581.46**	**21243.30**	**25.13%**
कर पश्चात लाभ (पैट)	7520.15	5948.50	**26.42%**
प्रतिशेयर आय (₹)	14.37	11.37	**26.39%**
प्रतिशेयर बही मूल्य (₹)	95.20	83.74	**13.69%**
सकल अचल परिसंपत्तियां	149730.18	121336.82	**23.40%**
दीर्घावधि ऋण*	117197.91	106254.91	**10.30%**
निवल मूल्य	49807.25	43811.23	**13.69%**
ऋण साम्या अनुपात	70:30	71:29	_
निवल मूल्य पर प्रतिफल	15.10%	13.58%	_

*दीर्घावधिक ऋणों की चालू परिपक्वताओं सहित
#इंड -एएस के अनुसार

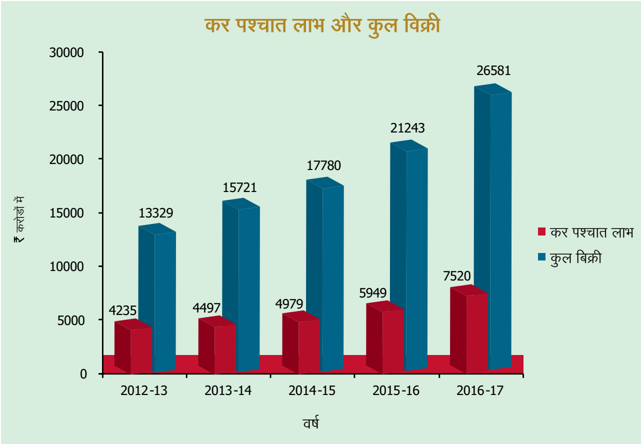

टिप्पणी: वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2016-17 के आंकड़े भा.ले.मा. के अनुपात में हैं।

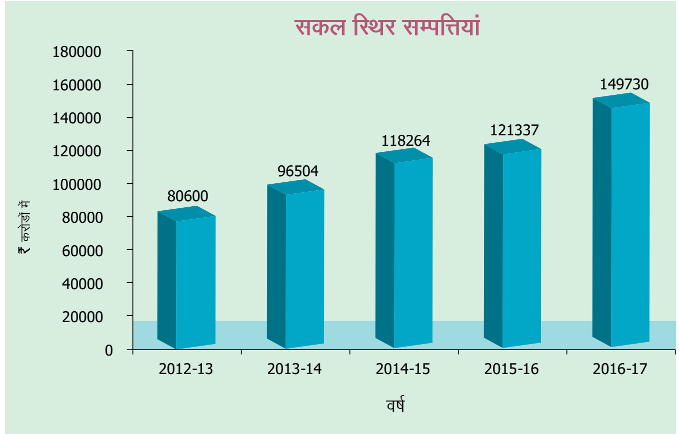

टिप्पणी: वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2016-17 के आंकड़े भा.ले.मा. के अनुपात में हैं।

लाभांश का भुगतान

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आपकी कंपनी ने ₹1.00 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त ₹3.35 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की अनुशंसा की है जिससे कुल लाभांश प्रति शेयर ₹4.35 हो गया है। अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में आपके अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा। वर्ष के लिए भुगतान किए गए कुल लाभांश की राशि ₹2,275.74 करोड़ है (इसमें ₹523.15 करोड़ का अंतरिम लाभांश शामिल है।

प्रचालनात्मक उत्कृष्टता

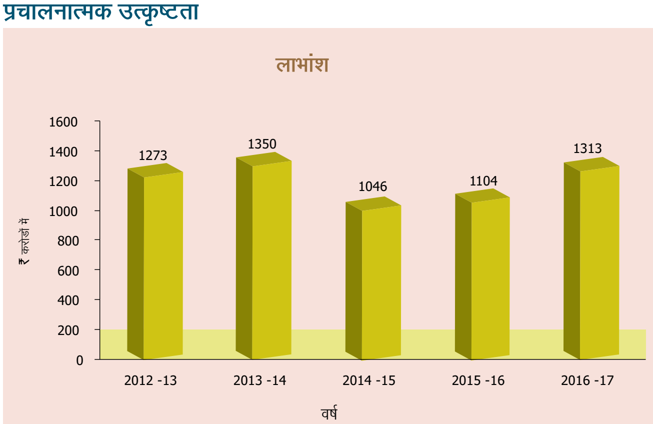

टिप्पणी: वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2016-17 के आंकड़े भा.ले.मा. के अनुपात में हैं।

आस्तियों का प्रबंधन

कंपनी, देश के कुल ईएचवी/यूएचवी पारेषण नेटवर्क के लगभग 85 प्रतिशत की स्वामी है और उसका प्रचालन करती है। 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी के स्वामित्वाधीन और प्रचालनाधीन पारेषण आस्तियों में 1,39,077 सीकेएम अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण लाइनें और 219 ईएचवीएसी तथा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) उप केंद्र थे जिसकी रूपांतरण क्षमता 2,89,543 एमवीए है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता 99.79 प्रतिशत पर कायम रखा जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय है। वर्ष के दौरान प्रति लाइन ट्रिपिंग (अनियोजित) 0.68 थी जो पावरग्रिड की पारेषण प्रणाली की उच्च विश्वसनीयता को निर्दिष्ट करती है।

इस प्रकार के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए अनुवीक्षण कार्यकलाप अग्रिम रूप से नियोजित किए जाते हैं और तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार लीव लाइन अथवा बंदी अनुवीक्षण के लिए प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए वार्षिक अनुवीक्षण योजना बनाई जाती है।

कंपनी, पारेषण परिसंपत्तियों के रखरखाव और रिफर्बिशमेंट का अति सक्रिय रूप से रख रखाव कर रही है ताकि लाइनों की ट्रिपिंग विशेषकर धुंध, पर्यावरण और प्राकृतिक कारणों से होने वाली ट्रिपिंग को कम से कम किया जा सके। कंपनी, बेहतर प्रचालनात्मक निष्पादन के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकीय उपकरणों को अपनाने के प्रति समर्पित है और इस दिशा में कंपनी द्वारा निम्नलिखित नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाई गई है।

- **सब स्टेशन उपस्करों के लिए नवीनतम स्थिति निगरानी प्रौद्योगिकियों को अपनाना**

  आरंभिक स्तर पर खराबियों की पहचान करने के लिए सब स्टेशन उपस्करों के लिए अत्याधुनिक स्थिति निगरानी प्रौद्योगिकी। इनमें शामिल है : ट्रांसफार्मरों और रिएक्टरों की फीक्वेंसी रेस्पांस एनालिसिस, सर्किट ब्रेकरों के लिए डायनामिक कंटैक्ट रेसिस्टेंस मेजरमेंट सर्ज अरेस्टरों के लिए तीसरा हारमोनिक रेसिस्टिव करंट मेजरमेंट, सब स्टेशन उपस्करों के लिए थर्मो विजन स्कैनिंग आदि। ये तकनीक आरंभ से ही खराबियों की पहचान करने में काफी उपयोगी रहे हैं। अग्रिम तौर पर निवारक उपचारी कार्रवाइयां की गई थी और बड़ी असफलताओं को होने से रोक दिया गया था। इसके अतिरिक्त, आवधिक ऑयल पैरामीटर जांच, ट्रांसफार्मरों/रिएक्टरों की धुली हुई गैस और इसके वाशिंग पार्टिकिल कोउंट के विश्लेषण (डीपीसी) इनहिबिटर करंट टेस्ट ट्रांसफार्मरों की जीवन अवधि बढ़ाने तथा समस्याओं की पहचान करने में काफी उपयोगी हैं जिसे पावरग्रिड ने सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया।

- **सबस्टेशन ऑटोमेशन**

  पावरग्रिड ने कंपलेक्स प्रोटेक्शन, नियंत्रण और मापन केबलों से बचे रहने के लिए आईईसी 61850 प्रोटोकाल का प्रयोग कर आप्टिक फाइबर्स एथर्नेट के माध्यम से सर्किट ब्रेकरों और आइसोलेटों तथा सीटी/पीटी को जोड़कर प्रोसेस बस आर्किटेक्चर शुरू किया है। इससे डिजिटल सब स्टेशन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

मानेसर, हरियाणा स्थित अत्याधुनिक **नेशनल ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट** सेंटर (एनटीएएमसी वित्त वर्ष 2016-17 के अंत में दूर स्थित रह कर 122 सबस्टेशनों की व्यवस्था करता रहा है और वर्तमान में दूर स्थित रहकर 150 सब स्टेशनों की व्यवस्था की जा रही है। इससे प्रचालन निर्बाध हो गए हैं ओर इससे ग्रिड के विभिन्न पैरामीटरों को देखने में मदद मिली है ताकि नेटवर्क की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आपकी कंपनी पारेषण के क्षेत्र में ऑटोमेशन के महत्त्व का समझती है ओर एनटीएएमसी इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है।

देश के भीतर और विश्व के अन्य विद्युत सेक्टरों के साथ ज्ञान साझा करने के लिए कंपनी ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए। ईएचवी और यूएचवी एसी तथा डीसी पारेषण सिस्टम आस्तियां के संबंध मे उत्कृष्ट पर गुड़गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय था : 765 केवी एसी, यूएचवीडीसी और जीआईएस प्रचालन और अनुरक्षण इसमें सीआईजीआरई-फ्रांस, हाइड्रो क्वेबैक कनाडा, बीसी हायड्रो कनाडा, सीआरआईईपीआई - जापान, ट्रांसग्रिड - कनाडा, आईआरईक्यू-कनाडा, यूएमएस ग्रुप यूएसए तथा एएएम आस्ट्रेलिया के विख्यात विशेषज्ञों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय पारेषण प्रचालन और अनुरक्षण अध्ययन (आईटीओएमएम-2017) के लिए क्षेत्रीय समान समूह बैठक की मेजबानी की गई। इस बैठक का आयोजन एशिया-प्रशांत मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए किया गया तथा इसे यूएसएस समूह यूएसए द्वारा सुकर बनाया गया। इस सम्मेलन में मलेशिया, ओमान, यूएई तथा यूएसए की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

साइबर सुरक्षा

पावरग्रिड, महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना सुरक्षा नीति और प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। पावरग्रिड के केंद्रीय कार्यालय को आईएसओ : 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक प्रमाणपत्र दिया गया है क्षेत्रीय मुख्यालयों को आईएसओ:27001 प्रमाणपत्र देने की कार्रवाई चल रही है। सीईआरटी - इन तथा एनसीआई आईपीसी के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया जा रहा है। साइबर-आक्रमणों के कारण संभावित जोखिम के मद्देनजर ग्रिड से जुड़े इंटेलीजेंट (आसूचना) नियंत्रण उपस्कर, बाहरी आंकड़ा संचार प्रणाली से अलग-थलग (ऐयर गैप) रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, नेटवर्कों के बड़े हिस्से में महत्त्वपूर्ण उपस्कर के प्रचालन को नियंत्रित करने वाले अंकीय संकेत (डिजिटल सिग्नल) भी इस प्रकार सीमित और अलग-थलग रखे जाते हैं ताकि बड़े पैमाने पर कोई अनहोनी होने से रोका जा सके। एक वरिष्ठ कार्यपालक को पावरग्रिड का मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी बनाया जाता है जो साइबर सुरक्षा तैयारी की समीक्षा करता है।

आपदा प्रबंधन

किसी प्राकृतिक संकट या आपदा आने पर देशवासियों को राहत प्रदान के मामले में कंपनी अग्रणी रही है और प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत बहाली में योगदान किया है।

दिसम्बर, 2016 में चेन्नई के पास वर्धा चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त ईएचवी पारेषण लाइनों को बहाल करने के लिए तमिलनाडु में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई गई। तत्काल राहत के तौर पर पावरग्रिड कार्यबल प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत पहुंच गया और तमिलनाडु ट्रांसमिशन कंपनी (ट्रांटरांस्को) को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए अपनी आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) तैनात किया।

चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कैंप भी आयोजित किए गए और लगभग 1000 प्रभावित परिवारों को भोजन के पैकेट, पानी के बोतल, बिस्तर की चादरें, मच्छर मैट, टॉयलेट किट आदि वितरित किए गए। समय से सहायता उपलब्ध करवाने के पावरग्रिड के प्रयासों को सराहा गया और लोगों में विश्वास और सद्भाव पैदा हुआ।

परियोजना कार्यान्वयन

आपकी कंपनी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है और इसका विकास काफी हद तक पारेषण परियोजनाओं के कार्यकुशल कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। आपकी कंपनी का प्रतिकूल भूभाग में सैकड़ों किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण ऐसी पारेषण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का अपवादात्मक रिकार्ड रहा है जिनमें सामाजिक-आर्थिक मुद्दे शामिल रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत उठाव तथा सिस्टम सुदृढ़ीकरण की परियोजनाएं, प्रणाली आवश्यकता के अनुरूप पूरी की जाएं, कार्यान्वयन के दौरान विस्तृत योजना बनाई गई है और विभिन्न स्तरों पर प्रगति की समीक्षा की जाती है ताकि उपचारी कदम उठाए जा सकें। आपकी कंपनी उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी), समेकित परियोजना प्रबंधन और नियंत्रण प्रणाली जैसे नवीनतम परियोजना प्रबंधन उपस्करों का प्रयोग करती है तथा शीर्षस्थ प्रबंधन स्तर के नियमित परियोजना समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि

परियोजना निष्पादन में आने वाली बाधा की पहचान की जा सके और समय से उनका समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, हमारे निष्पादन में लगातार सुधार लाने के लिए उद्योग जगत के साझेदारों के साथ पारस्परिक बैठक आयोजित की गई है। व्यावसायिक वार्तालाप के अतिरिक्त पावरग्रिड ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान भिन्न-भिन्न् श्रेणी के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं संविदाकारों को सम्मानित किया।

वर्ष के दौरान अनेक महत्त्वपूर्ण पारेषण परियोजनाएं शुरू पूरी की गई हैं जिनमें शामिल हैं :

- ±800 केवी चंपा - कुरूक्षेत्र एचवीडीसी - बाईपोल (पोल 1) लिंक
- ±800 केवी बिश्वनाथ चारियाली/अलीपुरद्वार - आगरा एचवीडीसी मल्टी टर्मिनल ट्रांसमिशन सिस्टम के पोल II और III
- 765केवी/डबल सर्किट (डीसी) वर्धा - निजामाबाद लाइन

- 765 केवी/डी/सी गया - वाराणसी लाइन
- 765 केसी/डी/सी वाराणसी - कानपुर - झटीकरा लाइन
- 765 केवी/डी/सी अंगुल - श्रीकाकुलम लाइन
- 765 केवी/डी/सी श्रीकाकुलम - वेमागिरि लाइन (टीबीसीबी)
- 765 केवी/डी/सी रायपुर - वर्धा (सेकेंड) लाइन
- 765 केवी/डी/सी तूतीकोरीन नसेलम (400 केवी पर चार्जड)
- 400 केवी/डी/सी रांची -चंदवा - गया लाइन

वित्तीय प्रबंधन

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने पणधारकों के लिए मूल्य बढ़ाकर अपने सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सतत निष्पादन जारी रखा। आपकी कंपनी ने ₹26,581.46 करोड़ की कुल आय तथा ₹7,520.15 करोड़ का कुल लाभ प्राप्त किया।

पूंजी निवेश और निधियां जुटाना

आपकी कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान ₹24,429 करोड़ का पूंजी निवेश (कैपेक्स) किया। वित्त वर्ष 2016-17 के कैपेक्स के लिए बांडों और मियादी ऋणों के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ₹14806 करोड़ जुटाए गए थे और एक्सटर्नल कामर्शियल बौरोइंग (ईसीबी)/सप्लायर क्रेडिट के जरिए ₹3,037 करोड़ तथा आंतरिक संसाधन से ₹6,585 करोड़ जुटाए गए थे।

हाल के वर्षों में कैपेक्स के वित्तपोषण के लिए पावरग्रिड ने आंतरिक स्रोतों से निधियां एकत्र की हैं और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर घरेलू तथा बाहरी स्रोतों से ऋण की व्यवस्था की है। उधार लेने का बड़ा स्रोत घरेलू बांडों का प्राइवेट प्लेसमेंट। कैपेक्स के वित्तपोषण के लिए पावरग्रिड अन्य स्रोतों को बंद किया जिनमें वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेना, तथा मल्टीलेटरल फंडिग एजेंसियों (एडीवी विश्व बैंक) से सप्लायर क्रेडिट और सावरेन गांरटी ऋण करना शामिल है।

वाणिज्यिक निष्पादन

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य पारेषण प्रभार और हानियों की साझेदारी) विनियम, 2010 के अनुसार कंपनी को अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) लाइसेंसधारियों की ओर के पारेषण प्रभार बिल भेजने, धनराशि वसूल कर उनमें बांटने जैसी गतिविधियों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आपकी कंपनी सौंपी गई जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा कर रही है और इसने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लगभग 99 प्रतिशत वसूली की है।

राष्ट्रीय ग्रिड का विकास

राष्ट्रीय ग्रिड को सुदृढ़ करने के लिए अनेक अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लाइनें शुरू की गई हं और इसी प्रकार की अन्य लाइनें निर्माणाधीन हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ± 800 केवी चंपा पूल - कुरुक्षेत्र एच/वीडीसी बाईपोल 1 का पोल 1 (1500 मेगावाट) अंगुल - श्रीकाकुलम 765 केवी डी/सी, वर्धा - निजामाबाद, 765 केवी डी/सी और ±800 केवी बिश्वनाथ चारियाली - आगरा मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन जिसकी नई एचवीडीसी टर्मिनल लाइन अलीपुरद्वार में स्थित तथा 1500 मेगावाट की पारेषण प्रणाली पूरी की गई है। इसके फलस्वरूप वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान नेशनल ग्रिड की संचयी अंतर-क्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण क्षमता 57,450 मेगावाट में से बढ़कर 75,050 मेगावाट (लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि) हो गई है। वर्ष 2021-22 के अंत तक राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण क्षमता के बढ़कर 1,18,000 मेगावाट हो जाने की संभावना है।

उपरोक्त अंतर क्षेत्रीय लिंकों के कारण पारेषण क्षमता में अखिल भारतीय स्तर के बाजारों में वृद्धि वर्ष 2016-17 के दौरान हुई है। इसके अतिरिक्त पूरे राष्ट्र में 138 बिलियन यूनिट से अधिक अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण सुकर बनाया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक है।

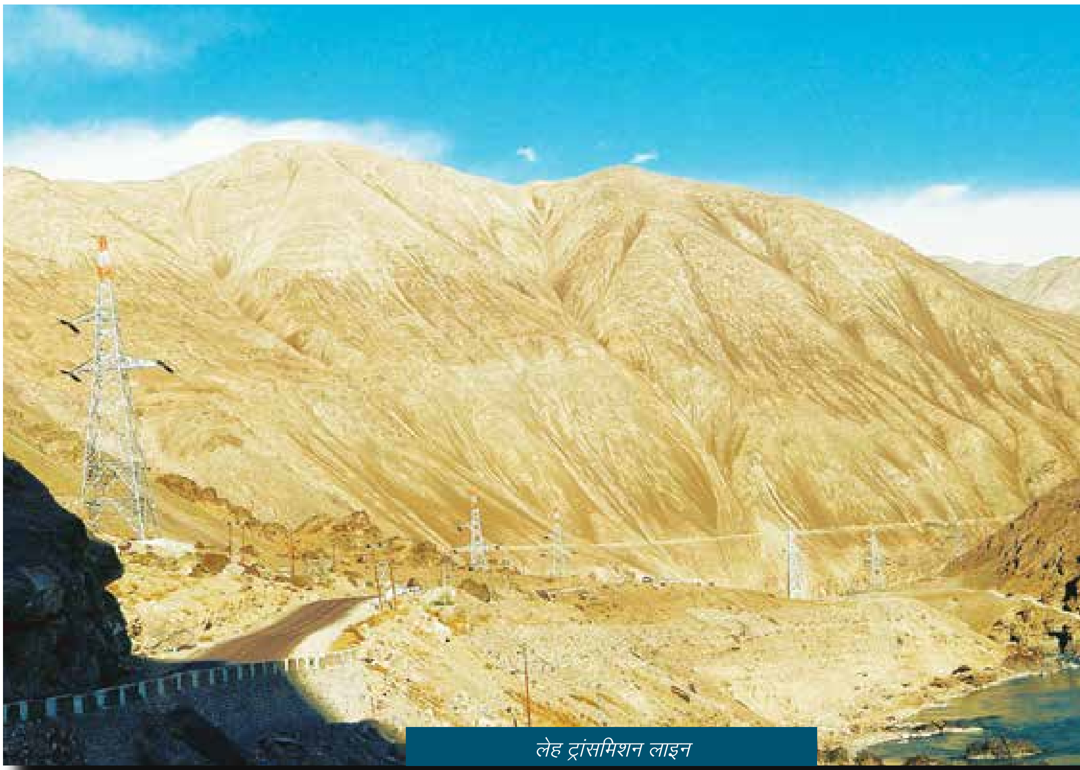
लेह ट्रांसमिशन लाइन

संयोजकता, मध्यावधि खुली पहुंच (एमटीओए) तथा दीर्घावधिक पहुंच (एलटीए)

केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) के रूप में आपकी कंपनी विभिन्न आवेदकों को संयोजकता दीर्घावधि पहुंच (एलटीए) और मध्यावधि खुली पहुंच (एमटीओए) की कार्रवाई करने और प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है। संयोजकता, एमटीओए तथा एसटीए आवेदनों के लिए संबंधित विनियम, प्रक्रिया, दिशानिर्देश और संबंधित दस्तावेज की स्थिति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी ने 95,800 मेगावाट के लिए 136 पात्र आवेदकों को संयोजकता और 99,260 मेगावाट के लिए 204 पात्र आवेदकों को एलटीओए/एलटीए प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, पारेषण मार्जिन उपलब्धता के आधार पर 12,204 मेगावाट क्षमता के लिए 106 आवेदकों को एमटीओए भी प्रदान किया।

गुणवत्ता प्रबधंन

कंपनी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पहचान करने के बजाय निवारण करने के दर्शन के लिए निर्मित सर्वोत्तम प्रणालियों की सुकरकर्ता है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामान खरीदते समय गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में काफी प्रयास किया गया है और बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न गुणवत्ता सुधार उपाय शुरू किए गए हैं और कार्यान्वित किए गए है।

- वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹20,000 करोड़ की सामग्री/उपस्कर का स्मार्ट निरीक्षण किया गया ताकि वर्ष के दौरान रिकार्ड परिसंपत्ति पूंजीकरण किया जा सके।
- पावरग्रिड की गुणवत्ता नीति के अनुसार शून्य उत्पाद निरीक्षण की दिशा में आगे बढ़ने के लक्ष्य के साथ मानक दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य स्थल पर व्यापक प्रक्रिया लेखापरीक्षा के बाद टावरों, कंडक्टर, केबलों, ट्रांसफार्मर ऑयल आदि की कुछ विनिर्माण इकाइयों में निरीक्षण कम कर दिए गए हैं। सिस्टम में सुधार लाने के लिए अन्य विनिर्माण इकाइयों में प्रक्रिया लेखापरीक्षा के लिए बचाए गए मानव दिवस का प्रयोग किया गया। इसने पूरे सेक्टर में योगदान किया।
- वर्ष के दौरान निगमित केंद्र से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक कठोर क्षेत्र गुणवत्ता लेखापरीक्षाएं की गई ताकि क्षेत्र गुणवत्ता योजनाओं का सख्ती से अनुपालन किया जा सके। इसने बेहतर जागरूकता, निष्पादन एजेंसियों से बेहतर प्रतिक्रिया तथा सामयिक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया है। क्षेत्रीय गुणवत्ता आश्वासन के लिए केंद्रीय कार्यालय में एक स्वतंत्र टीम का गठन किया गया है ताकि अनेक निवारक और अति सक्रिय कदम उठाए जा सकें।
- इस अवधि के दौरान ''मेक इन इंडिया'' पहल पर अत्यधिक बल दिया गया है। अधिकांश 765 केवी क्लस ट्रांसफार्मर/रिएक्टर और यहां तक कि जीआईएस इक्विपमेंट/स्टेटकाम/एसवीसी की अब स्वदेशी आपूर्ति की जा रही है।
- सब वेंडर के रूप में भारत में अनेक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकसित और अनुमोदित किए गए हैं ताकि विभिन्न उपस्कर के घटकों की आपूर्ति की जा सके जिनमें नए स्थापित किए गए कारखाने भी शामिल हैं। इनसे देश में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
- एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ओखला, नई दिल्ली के सहयोग से कंपनी ने एमएसएमई सेक्टर के लाभ के लिए नेशनल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम कम इंडस्ट्रियल एक्सिविशन आयोजित किया जिससे भारत सरकार के ''मेक इन इंडिया'' के लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया।
- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001 सहित समेकित प्रबंधन प्रणाली के साथ सिस्टम और प्रोसीजर विकसित कर अनुरक्षित किए गए; पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001 तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ओएचएसएएस 18001 विकसित कर अनुरक्षित किए गए। यह प्रमाणन, बीएसआई ग्रुप इंडिया द्वारा कठोर लेखापरीक्षा के बाद बनाए रखा गया है। सामाजिक जवाबदेही मानक एसए 8000, आईएसओ 50001 के अनुसार ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली तथा आईएसओ 27001 के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखने के लिए भी सिस्टमों की लेखापरीक्षा की गई।

उद्यम संसाधन आयोजना

कंपनी की उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) नामक पहल ''रूपांतर'' परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है और कंपनी के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाएं और प्रणालियां स्थिर की गई हैं। वर्तमान में व्यापार से जुड़ी अधिकांश प्रमुख प्रक्रियाएं ईआरपी पर चल रही हैं। प्रायोगिक आधार पर ईआरपी सिस्टम में घरेलू बोलियों के लिए ई-टेंडरिंग शुरू की गई है। ईआरपी प्रणाली को स्थिरता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए बंगलौर में एक आपदा मोचन केंद्र स्थापित किया गया है।

प्रौद्योगिकी विकास

आपकी कंपनी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई नवीनतम उन्नति अपनाने तथा विद्युत पारेषण

में प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता अनुसंधान और विकास गतिविधियों को कार्यान्वित करने के कार्य में अग्रणी रही है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान उनमें उल्लेखनीय हैं : प्रतिष्ठित 1200 केवी नेशनल टेस्ट स्टेशन, भौगोलिक सूचना प्रणाली से संबंधित उपकरणों का प्रयोग और सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम में प्रोसेस बस टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग।

1200 केवी राष्ट्रीय जाँच स्टेशन

आपकी कंपनी ने मई, 2016 में 1200 केवी नेशनल टेस्ट स्टेशन से सफलतापूर्वक विद्युत प्रवाह शुरू किया है। राष्ट्रीय महत्त्व की इस परियोजना के लिए कंपनी ने 1200 केवी उपस्कर प्राप्त करने के लिए भारतीय उपस्कर विनिर्माताओं से सहयोग किया है जिन्हें इस समय संस्थापित किया गया है, 1200 केवी वोल्टेज पर चार्ज किया गया है और दीर्घकालिक क्षेत्र प्रचालन और निष्पादन मानीटरिंग के लिए बीना, मध्य प्रदेश में लोड किया है।

भौगोलिक सूचना प्रणाली उपकरण

आपकी कंपनी ने अपनी पारेषण परिसंपत्तियों के मापन, नई पारेषण लाइनों की आयोजना के दौरान रूट एलाइनमेंट तथा आपदा प्रबंधन अध्ययन के लिए प्रायोगिक आधार पर भुवन जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली उपकरण का प्रयोग करना शुरू किया है।

नवोन्मेष पोर्टल

आपकी कंपनी ने एक अभिनव पोर्टल स्थापित किया है जिसमें इसके सभी कर्मचारियों को प्रौद्योगिकी और प्रबंधन से जुड़े नए और अभिनव विचार रखने का मंच (प्लेटफार्म) प्रदान किया जाता है। शीर्षस्थ प्रबंधन में इन विचारों की समीक्षा की जाती है ताकि तकनीकी - आर्थिक व्यवहार्यता और लाभों का मूल्यांकन किया जा सके।

प्रौसेस बस टेक्नोलॉजी

भिवाड़ी और नीमराना में प्रौसेस बस टेक्नोलाजी से संबंधित प्रायोगिक परियोजना से अनुभव प्राप्त कर कंपनी ने ऑटोमेशन सिस्टम से परंपरागत संरक्षण और उन्नत तथा नियंत्रण स्कीमों की रिट्रोफिटिंग के लिए मालेरकोट सब स्टेशन में परियोजना शुरू की है। आशा है कि नई स्कीम से भविष्य में अनुरक्षण और कठिनाइयां आसान हो जाएंगी और किसी दुर्घटना के मामले में पूर्व स्थिति बहाल करने का समय काफी कम हो जाएगा। साथ ही आशा है कि बड़ी मात्रा में तांबे के केबिलों के स्थान पर कम फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किए जाने स्थान की आवश्यकता इष्टतम हो सकेगी।

स्मार्ट ग्रिड

आपकी कंपनी स्मार्ट ग्रिड के लिए इंटेलीजेंट प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के जरिए अपने पणधारकों को मूल्य सुपुर्दगी की अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। आपकी कंपनी स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में आंतरिक अनुसंधान एवं प्रदर्शन परियोजनाओं के जरिए अपनी सक्षमताएं निरंतर बढ़ा रही है। यह उपरोक्त क्षेत्र सफलता की कहानी के लिए यूटिलिटी परियोजनाओं के लिए निरंतर उन्नत एट्रिब्यूट्स की वृद्धि कर रही है। स्मार्ट ग्रिड वर्टिकल अपना ग्राहक आधार बढ़ा रही है और भविष्य में स्मार्ट ग्रिड को एक संभावना से भरपूर कारोबार क्षेत्र बनाने के लिए नई परियोजनाओं में वृद्धि कर रही है।

पिछले कुछ वर्षों में आपकी कंपनी ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में मूल्यवान अनुभव हासिल किया है और इस समय वितरण अवसंरचना, उन्नत मीटरिंग अवसंरचना, इंटेलीजेंट आउटेज मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग स्टेशन, विद्युत गुणवत्ता प्रबंधन, वितरित उत्पादन, नेट मीटरिंग आदि को शामिल करते हुए नौ (09) परियोजनाओं के लिए परामर्श दे रही है। स्मार्ट शहर विकास के लिए भारत सरकार के प्रयास के भाग के रूप में आपकी कंपनी वाराणसी और गुड़गांव में स्मार्ट ग्रिड के कार्यान्वयन से निकटता से जुड़ी हुई है।

स्मार्ट पारेषण के लिए आपकी कंपनी वाइड एरिया मेजरमेंट्स (डब्ल्यू ए एम एस) के लिए सभी राज्यों और केंद्रीय ग्रिडों को एकीकृत करते हुए फेजर मेजरमेंट (यू आर टी डी एस एम) परियोजना कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, आई आई टी, मुंबई के सहयोग से पीएमयू डाटा का प्रयोग करते हुए एनालिटिक्स विकसित की जा रही है। हाई एंड एनालिटिक्स सहित एकीकृत सिंक्रोनाइज्ड मेजरमेंट्स उन्नत निगरानी, विजुएलाइजेशन और ग्रिड विश्वसनीयता सुधार के लिए रियल टाइम संबंधी ग्रिड घटनाओं की वर्द्धित स्थिति जागरूकता को सुकर बनाएगी।

आपकी कंपनी वैद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना का कार्यान्वयन करने तथा सिटी परियोजनाओं में भाग लेने के लिए नए अवसर तालाश रही है।

नवीकरणीय का एकीकरण

आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के ग्रिड में एकीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। आपकी कंपनी द्वारा हरित ऊर्जा कॉरिडोर कार्यान्वयनाधीन है जो नवीकरणीय उतार-चढ़ाव का समाधान करने के लिए नवीकरणीय के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ग्रिड में इंटरकनेक्शन के साथ-साथ संतुलन क्षेत्र को बढ़ाने की सुविधा का दोहरा प्रयोजन पूरा करेगी। इसके अतिरिक्त, हरित ऊर्जा कॉरिडोर-II के भाग के रूप में विभिन्न राज्यों में ₹4300 करोड़ की 7200 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्कों के लिए पारेषण योजनाएं भी कार्यान्वयनाधीन हैं। हरित ऊर्जा कॉरिडोर कार्यान्वयन और अल्ट्रा मेगावाट सोलर पार्कों के ग्रिड एकीकरण के अतिरिक्त इसके विभिन्न बैटरी प्रौद्योगिकियों से प्रथम ग्रिड इंटरएक्टिव एनर्जी स्टोरेज पायलट परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इन एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं के अनुसंधान परिणाम नवीकरणीय ऊर्जा की इंटरमीटेसी परिवर्तनीयता और अनिश्चितता के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर नियोजन में सहायक होगा।

आपकी कंपनी एसआर, डब्ल्यूआर, एनआर के साथ-साथ राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र में क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों सहित 11 (ग्यारह) नवीकरणीय समृद्ध राज्यों अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नए नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आर ई एम सी) स्थापित करने के चुनौतीपूर्ण और फ्लैगशिप दायित्व को भी पूरा कर रही है। इससे नवीकरणीय स्रोतों के बारे में पूर्वानुमान लगाना तथा विभेदीय नवीकरणीय उत्पादन को दक्ष प्रबंधन किया जा सकेगा जिससे ग्रिड की स्थिरताओं संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पावरग्रिड द्वारा आरईएमसी के कार्यान्वयन करने पर उन्हें संबंधित मालिकों अर्थात राज्य एलडीसी/पोसोको के सौप दिया जाएगा।

ऊर्जा दक्षता

आपकी कंपनी ने विभिन्न भारी और मध्यम उद्योगों, संस्थानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापना की नगरपालिकाओं तथा नहर तथा सिंचाई विभाग की अन्य जल प्रबंधन प्रणालियों ऊर्जा लेखापरीक्षा कर ऊर्जा दक्षता अवसरों को अभिचिह्नित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। कंपनी द्वारा ली गई लेखापरीक्षा और सुलझाए गए उपायों से Co_2 के उत्सर्जन का निवारण होगा और क्षमता वृद्धि आवश्यकता टल जाएगी।

विभिन्न उद्योगों में ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं शुरू करने तथा बेस लाइनिंग कार्य के लिए अन्य तटीय पक्ष परामर्श के लिए आपकी कंपनी एक बीईई ग्रेड-I ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) भी है।

भारतीय विद्युत उद्योग क्रांतिकारी परिवर्तन और विस्तृत एडवांसमेंट के युग में है। 90 ऊर्जा लेखापरीक्षकों से सुसज्जित आपकी कंपनी एक स्टार निष्पादक बनने के लिए अच्छी तरह से तैयार है और ऊर्जा दक्षता समाधान का चुनौतीपूर्ण परिवेश में अच्छी तरह से सक्षम है। हाल ही में भारत सरकार की निष्पादन प्राप्ति व्यापार (पैट) के अंतर्गत वितरण कंपनियां शामिल की गई हैं। पारेषण क्षेत्र में अग्रणी होने के कारण आपकी कंपनी भारत सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के माध्यम से वितरण सेक्टर में भी कार्य कर रही है और वितरण सेक्टर में ऊर्जा लेखापरीक्षा सौर ऊर्जा दक्षता समाधान कर सकती है।

'पावरटेल' - पारेषण अवसंरचना पर दूरसंचार सेवाएँ

आपकी कंपनी ब्रांड नाम ''पावरटेल'' के तहत अपनी देशव्यापी पारेषण अवसंरचना से अपने शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित कर रही है। दूर संचार बैंडविड्थ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा उद्यम ग्राहकों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बीपीएन इंटरनेट और अन्य संचार सेवाएं उपलब्ध कराने में इसने अपने मौजूदा राष्ट्रीय लंबी दूरी एनएलडी और इंटरनेट सेवा प्रदाता श्रेणी ए (आईएसपी-A) लाइसेंस दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए विकृत लाइसेंस को दिए गए है। कंपनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

प्राचल	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2016-17	प्रतिशत परिवर्तन
कुल नेटवर्क कवरेज	36,563 किमी.	41,988 किमी.	(+) 14.8 प्रतिशत
प्वाइंट्स प्रजेंट की संख्या (पीओपी)	595	662	(+) 11.26 प्रतिशत

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए टेलीकॉम बैकबोन उपलब्धता 99.9 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन के एन)

भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एन के एन परियोजना, जो देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईटीआई) 'भारतीय विज्ञान संस्थान' 'आईआईएससी' आदि जो ज्ञान केंद्रों को जोड़ती हैं, उच्च कनेक्टिविटी पर 10 तथा बीपीएस के 36 लिंक, 01 जीबीपीएएस/100 एमबीपी के 114 लिंक तथा 100 एमबीपीएस 01 जीबीपीएस के 450 लिंक कार्यान्वित किए गए हैं।

अर्जित किया है जो पिछले वर्ष के ₹465.46 करोड़ की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2016-17 के दौरान घरेलू मोर्चों पर 26 परामर्शी कार्य हासिल किए गए हैं जिनकी अनुमानित परियोजना लागत ₹1500 करोड़ है हासिल किए गए कुछ नए कार्यों में चार अलग-अलग रेलवे जोनों के रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण तथा रेलवे के 220 केवी और 132 केवी पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी प्रबंधकीय सेवाएं शामिल हैं।

वर्तमान में पावरग्रिड को नवम्बर 2016 में 761 किमी ट्रैक के विद्युतीकरण मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत (₹890 करोड़ की अनुमानित लागत) का कार्य सौंपा गया है। उसके बाद भिन्न-भिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत चारों सेक्शनों पर कार्यों को देने और निष्पादन के लिए कार्रवाई भारतीय रेलवे के सक्रिय सहयोग से शुरूकी गई है। आशा है कि पावरग्रिड द्वारा विद्युतीकरण के इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर भारतीय रेलवे से इस प्रकार की और परामर्श व्यापार प्राप्त होंगे क्योंकि भारत में रेलवे का दीर्घकालिक रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य है और मौजूदा परामर्शी कार्य में वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त, रेलवे के ट्रैक्शन सब स्टेशनों को अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कंपनी अनेक पारेषण लाइनों और सब स्टेशनों (लगभग ₹358 करोड़ की अनुमानित लागत पर) के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रही है।

पावरग्रिड पूर्वोत्तर और जम्मू तथा कश्मीर राज्य के दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र के भारत सरकार की महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी)

पावरग्रिड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में एन ई आर पी एस आई पी के अंतर्गत पारेषण और वितरण कार्यों का कार्यान्वयन कर रही है जिसके लिए निधियां ₹5111.33 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर भारत सरकार और विश्व बैंक (50:50 आधार पर) द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस परियोजना में 2114 किमी ईएचवी पारेषण लाइनों के साथ-साथ 34 नए ईएचवी सबस्टेशनों का निर्माण तथा 1891 किमी के 33 केवी पारेषण लाइनों के साथ-साथ 85 नए वितरण सबस्टेशनों का निर्माण शामिल है।

अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पारेषण तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक स्कीम

पावरग्रिड अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की स्कीम के अंतर्गत पारेषण और वितरण कार्य का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके लिए निधियां ₹4754.42 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर भारत सरकार उपलब्ध करवा रही है। इस परियोजना में 2943 किमी एचवी पारेषण लाइनों के साथ-साथ 43 नए ईएचवी सबस्टेशनों तथा 33 केवी पारेषण लाइनों सहित 1923 किमी के साथ-साथ 70 नए वितरण सबस्टेशनों के निर्माण कार्य परिकल्पित है।

लेह/करगिल क्षेत्र की 220 केवी स्तर पर एनआर ग्रिड के साथ संयोजकता

सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र को ग्रिड संयोजकता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए भारत सरकार की 220 केवी श्रीनगर-द्रास-करगिल-खाल्स्ती-लेह लाइन और इस से जुड़ी प्रणाली का कार्यान्वयन लगभग ₹1788 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर पावरग्रिड द्वारा परामर्शी आधार पर किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयनाधीन अन्य महत्त्वपूर्ण परामर्शी कार्यों में शामिल हैं : दिल्ली में ट्रांसमिशन नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और उत्तर प्रदेश के ललितपुर विद्युत संयंत्र से बिजली निकासी के लिए पारेषण प्रणाली का निष्पादन।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

कार्यान्वयन के मोर्चे पर अब तक आपकी कंपनी ने 19 देशों में अपना प्रभाव स्थापित किया है। वर्तमान में विभिन्न देशों में 14 परियोजनाएं चल रही हैं।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन ओ एफ एन)

बीएसएनएल, रेलटेल तथा पावरग्रिड ने विद्यमान फाइबरों का प्रयोग कर तथा ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए यथावश्यक फाइबर बिछाकर देश में 250,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) को संयोजित करने की भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की योजना के भाग के रूप में, आपकी कंपनी को भारत ब्रांडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल) द्वारा तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड तथा ओडिशा के राज्यों में एन ओ एफ एन नेटवर्क के विकास और अनुरक्षण का कार्य समनुदेशित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लगभग 36000 जीपीएस को शामिल करते हुए इंक्रीमेंटल फाइबर के जरिए 6699 जीपी संयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 4454 जीपी एंड टू एंड संयोजित किए गए हैं और 1133 ग्राम पंचायतों में ब्रांडबैड प्रचालन में है।

मल्टी प्रोटोकाल लेबल स्विचिंग (एम पी एल एस) सिस्टम

एंटरप्राइज सेगमेंट ग्राहकों को संयोजकता पावरग्रिड के एमपीएलएस क्लाउड पर उपलब्ध करवाई जाती है। पावरग्रिड 2 एमबीपीएस से 10 जीबीपीएस की रेंज में पोर्ट क्षमताओं से युक्त लेयर 2 और लेयर 3 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (पी पी एन एस) दोनों उपलब्ध करवाता है। पावरग्रिड 2 एमबीपीएस से 01 जीबीपीएस की रेंज में विभिन्न क्षमताओं के अपने इंटरनेट क्लाउड पर विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी सोल्युशन भी उपलब्ध करवाता है। पावरग्रिड आईएसपी को आईपी ट्रांजिट सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए ग्लोबल करेंट मतदाताओं के रूप में समूह बना रहा है। आईपी ट्रांजिट सर्विस लागत कम करती है और आईएसपी के लिए होस्ट किए गए करेंट की सर्विस क्वालिटी बढ़ाती है और इससे अपने उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बेहतर इंटरनेट सेवाओं की पेशकश कर सकता है। अपने लोकल एसेस पार्टनरों के साथ पावरग्रिड के एक्सटेंसिव बैकबोन टेलीकाम नेटवर्क के हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच और वहनीयता के लिए छोटे शहरों के स्थान नुकसान को समाप्त कर दिया है। इसमें तथाकथित डिजिटल डिवाइड को कम करने की संभावना है और डिजिटल इंडिया के विजन को मूर्त रूप देने के लिए परिवर्तनकारी तत्त्व हो सकता है। इसके लिए महत्त्वपूर्ण घरेलू ग्राहकों के साथ एमपीएलएस की वीपीएन/इंटरनेट सौदे हस्ताक्षरित किए गए हैं।

कारोबार विकास और परामर्शी सेवाएं

आपकी कंपनी ने विद्युत पारेषण, उप पारेषण, भार प्रेषण और संचार (एलडी एंड सी) और स्मार्ट ग्रिड आदि के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की है। परामर्शदाता के रूप में अपनी क्षमता और अनुभव का लाभ उठाते हुए कंपनी ₹17,000 करोड़ की लागत से पूरे भारत में कार्यों को निष्पादित कर रही है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने ₹528.43 करोड़ का घरेलू परामर्श राजस्व

नार्वेजियन सेंटर ऑफ एक्सपरटाइज (एनसीई) - स्मार्ट एनर्जी मेर्केट्स के साथ कंपनी द्वारा सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें स्मार्ट ग्रिड, क्षमता विकास और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए एनसीई, नार्वे और पावरग्रिड के बीच सहयोग की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, फिजी में 132 केवी पारेषण लाइन 132 केवी स्विचिंग स्टेशन और 132/33 केवी सबस्टेशन के निर्माण के लिए टेंडर विनिर्देशन की डिजाइन और तैयारी के लिए परामर्शी कार्य के लिए कंपनी ने फिजी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ संविदा करार पर हस्ताक्षर किया।

कंपनी ने आबू धाबी वाटर एड इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (एडी डब्ल्यू ई ए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ स्मार्ट ग्रिड, ई एच वी पारेषण प्रोद्योगिकियों आदि के क्षेत्र में काम करने तथा प्रचालन और अनुरक्षण के विद्युत पारेषण और वितरण के क्षेत्र में क्षमता विकास और प्रशिक्षण देने के लिए एडी डब्ल्यूईए तथा इसकी समूह कंपनियों के बीच सहयोग की परिकल्पना की गई है। पावरग्रिड, यू ए ई में विश्वस्तरीय उन्नत क्षमता विकास संस्थान स्थापित करने में भी ए डी डब्ल्यू ई ए की सहायता करेगा।

आबू धाबी जल और विद्युत प्राधिकरण के साथ समझौता-ज्ञापन

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की भारतीय प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) स्कीम के तहत वर्ष 2017 के दौरान कुल साठ अंतर्राष्ट्रीय/अफ्रीकी सहभागियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। इस प्लेटफार्म के जरिए पावरग्रिड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नीति निर्माताओं और अन्य कार्यपालकों के साथ दीर्घकालिक संबंध और परिचय स्थापित करने की संभावना है। पावरग्रिड एकेडेमी ऑफ लीडरशिप (पी ए एल) के लिए नियमित तौर पर व्यापार प्राप्त करने के अतिरिक्त यह अवसर पावरग्रिड को परामर्शी/ई पी सी संविदा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपनी के क्षमता निर्माण कौशल को दर्शाएगा।

सीमा पार (क्रास बार्डर) इंटरकनेक्शन

विद्युत के आदान-प्रदान में वृद्धि करने के लिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ वैद्युत इंटरकनेक्शन सुदृढ़ किए जा रहे हैं। कुछ भावी और नियोजित इंटरकनेक्शन इस प्रकार हैं :

भारत और नेपाल के बीच

- गोरखपुर नया (भारत) - नया बूटवाल (नेपाल) 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन - योजनाधीन

भारत और भूटान के बीच

- भूटान की विभिन्न भावी जल विद्युत परियोजनाओं (एच ई पी) पुनासंगचू-1 एच ई पी (भूटान) - अलीपुरद्वार (भारत) और जिम्मेलिंग - अलीपुरद्वार 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइनें से बिजली की निकासी के लिए - कार्यान्वयनाधीन।

भारत और बांग्लादेश के बीच

- बहरामपुर (भारत) - भेरामारा (बांग्लादेश) 400 केवी डी/सी द्वितीय लाइन - कार्यान्वयन के अधीन
- कटिहार (भारत) - पार्बतीपुर (बंग्लादेश) - बोरनगर (भारत), 765 केवी डी/सी लाइन शुरू में 400 केवी पर प्रचालित होगी। 500 मेगावाट एच वी डी सी बैक-टू-बैक पार्बतीपुर टर्मिनल (765 केवी आपरेशन लाइन से दूसरा 500 मेगावाट) टर्मिनल संस्थापित किया जाएगा - नियोजित।

वितरण सुधारों में योगदान

ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई)

ग्रामीण विद्युत अवसंरचना तथा घरेलू विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी डी यू जी जे वाई) के तहत आपकी कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अवसंरचना कार्य करती रही है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 4365 अंशतः विद्युतीकरण गांवों/गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण के लिए अवसंरचना का सृजन किया गया। लगभग 77000 बीपीएल परिवारों को सेवा कनेक्शन दिए गए। मार्च, 2017 तक संचयी रूप से 9 राज्यों के 70 जिलों में लगभग 79000 गांवों के विद्युतीकरण के लिए अवसंरचना का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, संचयी रूप से लगभग 37.5 लाख बीपीएल परिवारों को सेवा कनेक्शन दिए गए हैं।

वर्तमान में 11वीं योजना के चरण 2/12वीं योजना के तहत उत्तर प्रदेश (यूपी) और ओडिशा में पावरग्रिड को दिया गया आरई कार्य कार्यान्वयनाधीन हैं। ओडिशा में ₹1800 करोड़ की अनुमानित लागत से 15 जिलों में लगभग 11,900 गांवों के विद्युतीकरण (गैर-विद्युतीकृत गांव 590 और अंशतः विद्युतीकृत गांव 11,307) और लगभग 3 लाख बीपीएल परिवारों को सर्विस कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2018 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में ₹500 करोड़ की लागत से 4 जिलों का आरई कार्य दिसम्बर, 2017 तक पूरा हो जाने की आशा है।

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आई पी डी एस)

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पी यू वी वी एन एल) द्वारा सौंपे गए वाराणसी शहर के पुराने क्षेत्र में आई पी डी एस कार्य के कार्यान्वयन में मौजूदा शिरोपरि वितरण नेटवर्क को भूमिगत करना और मौजूदा उपभोक्ता कनेक्शन के नए भूमिगत सिस्टम से जोड़ना शामिल है। कुल 1340 किमी में से अब तक 1000 किमी का केबल डालने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, नए भूमिगत सिस्टम से 30,000 उपभोक्ताओं को जोड़ा गया है।

हमारे लोग, हमारी शक्ति

प्रतिभा का आमेलन व विकास

आपकी कंपनी अपने विकास के लिए मानव संसाधन को आधार स्तंभ मानती है। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रति कर्मचारी लाभ पिछले वर्ष के ₹65.68 लाख की तुलना में बढ़कर ₹80.46 लाख हो गया है। इसके साथ ही वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी सर्किट किलोमीटर और प्रति कर्मचारी एमवीए भी बढ़कर क्रमशः 14.86 सीकेएम और 30.87 एमवीए हो गया जबकि पिछले वर्ष यह 14.25 सीकेएम तथा 28.15 एमवीए था।

नई प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों और प्रथाओं को अपनाने के लिए जनशक्ति के स्तर में सुधार लाने और जनशक्ति को भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण विकास हस्तक्षेप के माध्यम से मानव संसाधन विकास ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने संगठन की आवश्यकता के आकलन (ओ एन ए) और क्षमता आधारित आवश्यकता आकलन (सी बी टी एन ए) के आधार पर पूरे संगठन में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य सिस्टम तथा प्रक्रिया विकास हस्तक्षेप आयोजित किए हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के तर्ज पर कंपनी ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है।

गौरवान्वित पावरग्रिडियन

सिस्टम के स्तर पर सुधार लाने के भाग के रूप में देश भर के सभी व्यापारिक वर्टिकलों के विशेषज्ञों की सलाह से कार्य संबंधी और व्यवहार संबंधी क्षमताएं अद्यतित की गई थीं। कार्य संबंधी और व्यवहार संबंधी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल को भी अद्यतन बनाया गया है और ऑनलाइन वर्कफ्लो के माध्यम से उन्हें दो स्तरों पर वैध बनाया गया था। क्षमताओं को पुनः देखा गया था और कर्मचारियों को कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग बास्केट की ऑनलाइन पेशकश की गई थी ताकि वे अपना संगत प्रशिक्षण विकल्प प्राप्त कर सकें।

संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों सहित बड़ी संख्या में पावरग्रिड द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन देखते हुए पावरग्रिड के कर्मचारियों और पणधारियों को कौशल सेट में लगातार सुधार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कंपनी पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति, प्रक्रिया तथा सिस्टम के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण दे रही है।

मानेसर स्थित विश्व स्तरीय अत्याधुनिक पावरग्रिड एकेडेमी ऑफ लीडरशिप (पी ए एल) विविध प्रकार का प्रशिक्षण दे रही है जिसमें पावरग्रिड तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विद्युत संस्थाओं में कर्मचारियों का प्रवेशन हैंडस ऑन, प्रबंधकीय और व्यवहार संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं।

उल्लेखनीय लोक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी को 'ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट' द्वारा कंपनी को भारत में काम करने का सर्वोत्तम स्थल माना गया है और 700+ कंपनियों में से पिछले वर्ष के 58 से इसका रैंक बढ़कर 31 हो गया है।

कर्मचारी कल्याण

अपने कर्मचारियों की चुनौतीपूर्ण जरूरतों का पूरा करने के लिए कंपनी नई कल्याण नीतियां तैयार करने तथा मौजूदा नीतियों में संशोधन करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कामगारों से संबंधित मुद्दे, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय द्विपक्षीय समिति (पी एन बीसी/पी आर बी सी) के माध्यम से सुलझाए जाते हैं जो एक संयुक्त परामर्शी मंच है जिसमें प्रबंधन और कामगारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। स्वस्थ सामुदायिक जीवन, दीवाली, होली, नव वर्ष, स्थापना दिवस आदि जैसे विभिन्न त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

कंपनी अंत-क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय कबड्डी, क्रिकेट, वालीबाल, शतरंज और बैडमिंटन आदि खेलों की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करती है और अंतर-पीएसयू स्पोर्ट्स मीट में भी भाग लेती है। आपकी कंपनी की टीम ने टेबल टेनिस, नेशनल मैनेजमेंट

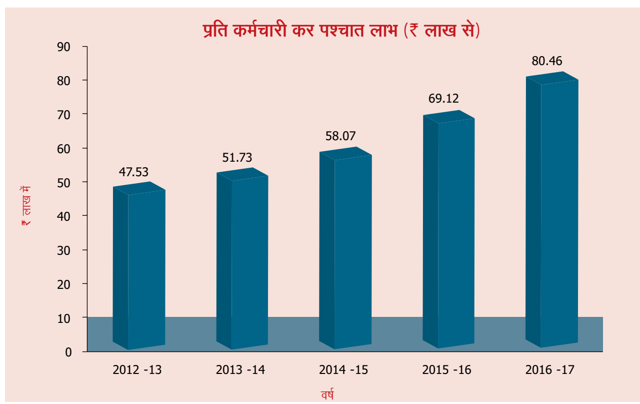

नोट: वित्तीयवर्ष 2015-16 और वित्तीयवर्ष 2016-17 के आँकडे इंडी एएस के अनुपालन में

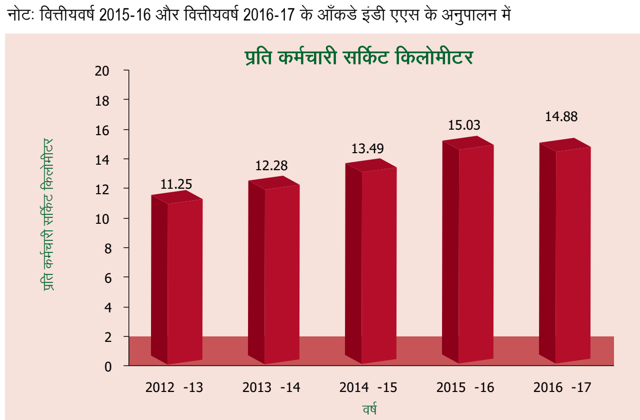

गेम्स तथा अन्य खेलों में जीत हासिल की और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

पावरग्रिड के सभी कार्यालयों में योग के संबंध में सूचनाप्रद वार्ता के माध्यम से अभ्यास सत्र और व्यवहार सत्र आयोजित कर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें कर्मचारियों और उनके परिवारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और इससे लाभ उठाया।

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का निवारण

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षा के अनुसार कंपनी ने यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समितियों (आई सी सी) का गठन किया है। पावरग्रिड यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों और कानून के बारे में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित करता रहा है। पिछले वर्ष पावरग्रिड ने पूरे संगठन में ऐसे 07 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 189 कर्मचारियों ने भाग लिया। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका निपटान कर दिया गया है।

नागरिक चार्टर

कंपनी का नागरिक चार्टर तैयार किया गया है जिसमें विजन, मिशन, उद्देश्य, कंपनी प्रोफाइल प्रतिबद्धताएं, नागरिकों से अपेक्षाएं, समेकित प्रबंधन नीति, पेशकश की गई सेवाएं, सेवाओं के मूल्य और मानक, सूचनाओं तक पहुंच तथा शिकायत निवारण दिए गए हैं। अद्यतित नागरिक चार्टर पावरग्रिड के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

भारतीय भाषाओं और राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में कंपनी ने सभी स्तरों पर अपने काम में हिंदी के प्रयोग को एकीकृत करने और बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास किए हैं। पावरग्रिड ने राजभाषा

के क्रियान्वयन को सुनिश्चीत काल हेतु उपरी वचनबद्धता प्रमाणित किए है।

राजभाषा का प्रयोग बढ़ाना सुनिश्चीत करने के लिए कंपनी की प्रत्येक इकाई में, अनुवाद अभ्यास कार्यक्रम, कार्यशाला प्रशिक्षण, प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी कम्प्यूटरों में कार्यसाधक ज्ञान बढ़ाने के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिए जा रहे है। हिंदी शिक्षण योजना के माध्यम से हिंदीतर कर्मचारियों के लिए हिंदी कक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। हिंदी में काम करने के लिए कर्मचारियों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए प्रख्यात विद्वानों द्वारा विरासत, सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों पर नियमित रूप से व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं।

हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक गतिविधियां चलाई जाती हैं। प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, कवि सम्मेलन, नाटक, ई मेल के द्वारा हिंदी में मासिक लेखों का प्रकाशन, हिंदी एस एम एस के जरिए हिंदी दिवस, दीवाली, होली, ईद आदि अवसरों पर शुभकामनाएं/सूचनाएं भेजना उनमें प्रमुख हैं। इतना ही नहीं, हिंदी पखवाड़ा पर विशेष बल देते हुए वर्ष भर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। साथ ही विभागीय बैठकें और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें भी आयोजित की जाती रही हैं। आपकी कंपनी ने केंद्रीय कार्यालय में एक अत्यंत अच्छा पुस्तकालय तथा कंपनी को विभिन्न प्रतिष्ठानों में 100 अन्य पुस्तकालय स्थापित किया हैं जहां कर्मचारियों के लोकप्रिय पत्रिकाएं/साहित्यिक पत्रिकाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार हिंदी में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। हिंदी को बढ़ावा देने में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए गृह पत्रिकाओं में लेख/सार का योगदान देकर और पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने आदि की व्यवस्था कर विभिन्न पुरस्कार और पारितोषिक योजनाएँ चलाई गई हैं।

कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों की वर्ष 2016-17 के दौरान अनेक मंचों पर प्रशंसा हुई है जिसमें 8.01.2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा आहूत हिंदी सलाहकार समितियों की वार्षिक बैठक में लगातार दो वर्षों के लिए राजभाषा शील्ड प्राप्त होना/राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में भिन्न-भिन्न राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा अनेक पुरस्कार दिए गए हैं। विभिन्न अवसरों पर माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए विभिन्न निरीक्षणों तथा विचार-विमर्श के दौरान पावरग्रिड के प्रयासों की सराहना हुई।

सूचना का अधिकार

पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" के अनुरूप आपकी संपूर्ण कंपनी में एक समुचित तंत्र स्थापित किया गया है। आपकी कंपनी ने अपने केंद्रीय कार्यालय में तथा देश भर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिनियम के प्रावधानों के तहत नागरिकों को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त सभी 346 आरटीआई आवेदनों का निपटान समय से किया गया। अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त विभिन्न अपीलों पर उचित कार्रवाई की गई।

पारदर्शिता तथा सतर्कता कार्य के प्रति वचनबद्धता

आपकी कंपनी अपने प्रबंधन कार्यकरण में अभिशासन पारदर्शिता और सिद्धांतों का समर्थन करती है। सतर्कता विभाग, प्रबंधन के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। विभाग, संगठन में सर्वोत्तम नैतिक परिपाटियों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित करता है।

निवारक सर्तकता पर बल

हालांकि सतर्कता विभाग संगठनात्मक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने तथा संगठन की विभिन्न प्रणालियों तथा गतिविधियों में कदाचार को कम करने के लिए निवारक, अति सक्रिय तथा दंडात्मक कार्य करता है, परंतु मुख्य बल निवारक और अति सक्रिय सतर्कता पर दिया जाता है जबकि निवारक सतर्कता का बल सही प्रकार के सिस्टम की मौजूदगी और पुनः तैयार करने की आवश्यकता पर होता है, अतिसक्रिय सतर्कता का उद्देश्य अवसरों की पहचान करना तथा भारी खतरों के विरुद्ध अति सक्रिय

कार्रवाई करने पर होता है। इस अवधि के दौरान 40 औचक निरीक्षण तथा 50 सीटीई प्रकार के निरीक्षण/प्रोसेस ऑन लाइन निरीक्षण किए गए। सतर्कता निरीक्षणों और टिप्पणियों/सिफारिशों के परिणामस्वरूप संगठन के विभिन्न कार्यों में अनेक सिस्टम सुधार किए गए हैं।

क्षमता निर्माण के भाग के रूप में निवारक सतर्कता कार्यशालाएं : क्षमता निर्माण के भाग के रूप में केंद्रीय कार्यालय तथा निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निवारक सतर्कता पर कार्यशालएं आयोजित की गई। इस अवधि के दौरान 579 गैर-सतर्कता कार्यपालकों के लिए 20 निवारक कार्यशालाएं आयोजित की गई। साथ ही निगम के 175 कर्मचारियों के लिए 6 आरटीआई कार्यशालाएं आयोजित की गई। निवारक सतर्कता कार्यशाला में नैतिक प्रबंधन का माड्यूल शामिल होता है जो कर्मचारियों को नैतिक समस्याओं की पहचान कर निपटने, उनकी नैतिक अंतर्ज्ञान को विकसित इसमें करने योग्य बनाता है जो दैनिक विकल्पों और कार्यों में स्पष्ट है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2016 : : केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेश के अनुसार इस वर्ष पावरग्रिड में 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह बनाया गया था। सप्ताह भर चलने वाली यह गतिविधि सीएमडी, सीवीओ तथा सभी निदेशकों द्वारा सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। संदेश का प्रचार करने तथा कर्मचारियों को ई-शपथ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संगठन की वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया। डा. टी.एम. भसीन सतर्कता आयुक्त सहित प्रख्यात वक्ताओं को बुलाया गया जिन्होंने पावरग्रिड केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को संबोधित किया तथा इस अवसर पर सतर्कता विभाग की गृह पत्रिका ''कैंडर'' का उद्घाटन किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2016 के दौरान ''वेंडर्स मीट'' आयोजित किए गए और ऐसे मीट/शिविरों का उपयोग वेंडरों के साथ वार्तालाप करने तथा उनसे फीड बैक प्राप्त करने के लिए किया गया। पावरग्रिड ने देश भर के 121 कालेजों तथा 115 स्केलों में कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अनुसार आयोग के संदेश को प्रसारित करने के लिए अनेक क्षेत्रों में ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। निष्ठा की शपथ लेने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने में आयोग का संदेश प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन, न्यूज चैनल, एफ एम रेडियो चैनल जैसे मीडिया को भी संलग्न किया गया। आयोग की थीम को प्रचारित करने के लिए पावरग्रिड ने प्रतिष्ठित थियेटर समूहों को संलग्न कर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए।

पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन

सतर्कता जागरुकता सप्ताह, 2016 के दौरान नुक्कड़ नाटक

एक उत्तरदायी निगमित निकाय होने के नाते पावरग्रिड शुरूसे प्रचालन चरण तक अपने कार्यकलापों के क्षेत्रों में सदैव पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयास करता रहा है इसने 1998 में एक विस्तृत पर्यावरणात्मक और सामाजिक नीति एवं प्रक्रियाएं (ईएसपीपी) विकसित की है तथा संभव पर्यावरणात्मक और सामाजिक मुद्दों के लिए उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप समय-समय पर इसका उन्नयन किया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अपनी "कंट्री सेफगार्ड सिस्टम" (सी एस एस) की नीति के तहत एशिया में प्रथम संगठन के रूप में पावरग्रिड ईएसपीपी को स्वीकार किया जिसकी सुरक्षोपाय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय उत्तम प्रणालियों से मेल खाती हुई मानी गई है। वर्ष 2009 में विश्व बैंक द्वारा भी इसकी यूज कंट्री सिस्टम (यूसीएम) के अंतर्गत ईएसपीपी को स्वीकृत किया गया है। इसके साथ पावरग्रिड अब विश्व में ऐसा संगठन बन गया है जिसकी सुरक्षोपाय नीति (ईएसपीपी) को दो बहुपाश विक एजेंसियों अर्थात विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकार किया गया है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र में धारणीयता रिर्पोटिंग के क्षेत्र में अग्रणी पावरग्रिड ने सितम्बर, 2015 में अपनी तीसरी द्विवार्षिक धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित थी। इस रिपोर्ट को उच्चतम संभव ए+रेटिंग भी प्राप्त हुई है। यह रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल (जी आर आई-जी 3) दिशानिर्देशों पर आधारित प्रत्यायन आश्वासन प्रदाता मैसर्स इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बाह्य रूप से आश्वस्त है। इसमें इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज सप्लीमेंट (ई यू एस एस) और अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे जवाबदेही, यूके मानक एए1000 एपी एस (2008) और एए 1000 एसईएस (2011) शामिल है। जी आर आई - जीप दिशानिर्देशो के अनुपालन में इमताहकी चौथी रिपोर्ट तौरपर की जा रही है।

पावरग्रिड प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जरूरत के प्रति पूर्णतः जागरूक है और

वनों, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों में रूट एलाइनमेंट के इष्टतमीकरण के जरिए जहां तक संभव हो वन्य अभयारण्यों/राष्ट्रीय पार्कों, बायोस्फीयर रिजर्व और तटीय विनियम जोन क्षेत्रों को बचाता है। सावधानीपूर्वक रुट का चयन कर पावरग्रिड ने एन ई आर पी एस आई पी के तहत 220 केवी डीसी बाइरनीहाट - मागैप न्यू शिलांग के लिए मेघालय में नोंगाखिलेम वन्य जीव अभयारण्य को बचाया। तथापि 765 केवी डीसी भुज-बनासकंठा लाइन के मामले में जहां गुजरात में इसकी रणनीतिक अवस्थिति और आकार के कारण वन्य गर्दभ अभ्यारण्य को बचाना संभव नहीं था, पावरग्रिड ने स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा जैव विविधता मूल्यांकन अध्ययन करवाया और क्षेत्र के वन्य जीवन तथा जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव को कम से कम करने के लिए विशिष्ट उपशामक कदम उठाए। बचाव और काम करने के बुनियादी सिद्धांत का पालन करते हुए, जंगलों को शामिल करने में 1998 में 6 प्रतिशत के वर्तमान 2.26 प्रतिशत की उत्तरोत्तर कमी आई है। तथापि, कुछ मामलों में जहां वन क्षेत्रों को शामिल करना अपरिहार्य हो जाता है, वहां वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाती है।

उपरोक्त से मिल, कंपनी ने दीर्घकालिक विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता को शुरू करने और अपनी व्यापारिक प्रक्रिया से जुड़ी संभावित पर्यावरणीय नियमों का समाधान करने के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न पहलें की हैं। इस संबंध में प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं :

- लाइनों में मल्टी सर्किट और पोल टावरों जैसे नवाचारी टावरों की डिजाइन और संस्थापन से न केवल बहुमूल्य मार्ग का अधिकार (आर ओ डब्ल्यू) का संरक्षण किया जा सका है बल्कि पेड़ों को काटने में भी उल्लेखनीय कमी आई है और पारिस्थतिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में वन्य जीवों का संरक्षण संभव हुआ है।
- बस्ती/टाउन एरिया के आसपास एयर इंसूलेटेड स्विचयार्ड (एआईएस) के बजाय गैस इंसुलेटेड स्विचगार्ड संस्थापित किए जाने से भूमि की जरूरत में उल्लेखनीय कमी आई है तथा बहुमूल्य भूमि संसाधन के संरक्षण में भी मदद मिली है।
- सभी नए सब स्टेशनों में वर्षा के जल का संरक्षण किए जाने से न केवल बहुमूल्य जल संसाधनों का संरक्षण किया गया बल्कि आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर में वृद्धि भी हुई।
- सब स्टेशन में एलईडी बल्बों और सोलर स्ट्रीट लाइटिंग का संस्थापन, डीजी सेट आदि के लिए ईंधन उत्प्रेरक उपकरण आदि।
- गुड़गांव कार्यालय परिसर में 50 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी सिस्टम के अतिरिक्त नागपुर में आरएचक्यू भवन में 40 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी सिस्टम स्थापित किए जाने से कार्बन डाईआक्साइड गैस में वर्ष में लगभग 47 टन की कमी आई है।
- 175 स्थानों पर 15000 अधिक वृक्ष भी लगाए गए।
- कंपनी वाराणसी के 25 वार्डों में एमएसडब्ल्यू कचरे से विकेंद्रीकृत कंपोस्टिंग के लिए कार्यकुशल और प्रभावी संग्रहण, भंडारण और परिवहन प्रणाली के लिए वाराणसी नगर निगम को व्यावसायिक और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
- ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार।
- जहां कहीं संभव हो, भवनों के निर्माण के लिए फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का इस्तेमाल।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से प्रापण

भारत सरकार के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण आदेश, 2012 अधिसूचित किया है। उक्त नीति के अनुसार एमएसई द्वारा उत्पादित माल और दी गई सेवाओं (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाली एसएसई को शामिल कर) का कुल अर्ह मूल्य वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹3,410 करोड़ था। एमएसई से की गई कुल खरीद (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों वाले एमएसई सहित) ₹777 करोड़ (22.79 प्रतिशत) था।

वित्त वर्ष 2017-18 में एमएसई (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसई सहित, से वर्ष में खरीदे गए माल और दी गई सेवाओं का कुल अर्ह मूल्य लगभग ₹1000 करोड़ के रेंज में अनुमानित है।

एमएसई से खरीदारी बढ़ाने के लिए वार्षिक खरीदारी योजना तथा एमएसई से खरीदारी से जुड़े अन्य संगत ब्यौरे एमएसई के लाभ के लिए पावरग्रिड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसई द्वारा की गई शिकायतों/व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान करने के लिए संगठन में एक उच्च स्तरीय समिति है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से की गई खरीदारी से संबंधित पहलुओं की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है।

आपकी कंपनी नियमित आधार पर एमएसई से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेती रही है और उनका आयोजन करती रही है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

निदेशकों की रिपोर्ट में मुद्दों के अतिरिक्त कुछ प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए हैं और अनुबंध-I में दिए गए हैं।

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(2) के अंतर्गत निर्धारित व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपार्ट अनुबंध-II में दी गई है और वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वेंडर्स मीट का संबोधन

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिस्राव

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड) के अंतर्गत प्रकटन की अपेक्षाओं के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिस्राव से संबंधित सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-III में दी गई हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन ढांचे के संबंध में जानकारी अनुबंध-I पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दी गई है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और पर्याप्तता

बोर्ड ने अपने कार्य के भलीभांति और कार्यकुशल रूप से संचालन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं जिनमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी का निवारण और पहचान करना त्रुटि की रिपोर्ट करने का तंत्र, लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णतः तथा विश्वसनीय वित्तीय प्रकटन की समय से तैयारी शामिल है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स ए.के. मित्तल एंड कंपनी, मैसर्स आर जी एन प्राइस एंड कंपनी, मैसर्स कोठारी एंड कंपनी और मैसर्स परख एंड कंपनी की नियुक्ति की गई थी।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अनर्ह रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है और इस पर बोर्ड द्वारा कोई अन्य टिप्पणी की जानी आवश्यक नहीं है।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से ''शून्य'' टिप्पणियां प्राप्त हुई है। उसकी प्रति इस रिपोर्ट के अनुबंध-IV में संलग्न है।

सचिवालयीय लेखापरीक्षक

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा व्यवसायरत कंपनी सचिव कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स ने की है। सचिवालयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और टिप्पणियां और उन पर बोर्ड द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण इस रिपोर्ट का भाग (अनुबंध-V) है।

कंपनी के लागत लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत वित्त वर्ष (2016-17) के लिए मैसर्स के. जी. गोयल एंड एसोएसिएट्स लागत लेखाकार और मैसर्स आर. एम. बंसल एंड कंपनी को लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए व्यपगत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट निर्धारित तारीख 27 सितम्बर, 2017 से पूर्व लागत लेखापरीक्षा 2014, कंपनी कार्य मंत्रालय के पास दायर की जाएगी।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के अनुसार वार्षिक विवरणी का सार निर्धारित एमजीटी-9 फार्मेट में इस रिपोर्ट के अनुबंध-VI में दिया गया है।

कंपनी बोर्ड

वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में कुछ परिवर्तन हुए। श्री के. श्रीकांत ने 01 सितम्बर, 2016 को निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री आर. टी. अग्रवाल ने 31 अगस्त, 2016 को निदेशक (वित्त) का पद त्याग दिया। बोर्ड निदेशक (वित्त) के रूप में दिए गए उल्लेखनीय योगदान और सहयोग के लिए श्री आर. टी. अग्रवाल के प्रति अपनी सहारना और आभार प्रकट करता है।

श्री प्रभाकर सिंह ने 08 फरवरी, 2017 से निदेशक (परियोजना) का कार्यभार संभाला। उनकी नियुक्ति होने से पूर्व श्री आर. पी. ससमाल, निदेशक (प्रचालन), निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

श्री त्से तेन दोर्जी और श्रीमती ज्योतिका कालरा को 16 फरवरी, 2017 को गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप श्रीमती ज्योतिका कालरा ने 6 अप्रैल, 2017 से स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया है।

श्रीमती ज्योति अरोड़ा और डा. प्रदीप कुमार क्रमशः 5 जुलाई, 2007 (अपराह्न) और 31 जुलाई, 2017 (अपराह्न) को विद्युत मंत्रालय से कार्यमुक्त होने पर पावरग्रिड के अंतर्नियम अनुच्छेद 31(iv) के अनुसार पावरग्रिड के बोर्ड निदेशक नहीं रह गए। बोर्ड, कंपनी को दिए गए योगदान और सहयोग के लिए श्रीमती ज्योति अरोड़ा और डा. प्रदीप कुमार के प्रति सराहना और आभार प्रकट करता है।

विद्युत मंत्रालय ने अपने 03 अगस्त, 2017 के आदेश संख्या 25-11/4/2017 पी जी द्वारा श्रीमती शालिनी प्रसाद, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय की श्रीमती ज्योति अरोड़ा के स्थान पर अंशकालिक निदेशक (सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक) के रूप में नियुक्ति की सूचना दी है।

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 31 (iii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार श्री रवि पी. सिंह, निदेशक (कार्मिक) आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होते हुए उन्होंने अपनी पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव किया है।

बोर्ड के बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की 13 बैठकें हुईं। बोर्ड की बैठकों की तारीखों और उपस्थिति के ब्यौरे निगम अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिए गए हैं जो इस रिपोर्ट का भाग हैं।

बोर्ड की समितियां

पावरग्रिड की लेखापरीक्षा समिति, सीएसआर समिति तथा अन्य समितियां हैं। इन समितियों की संरचना और दायरा निगम अभिशासन की रिपोर्ट में दिया गया है।

निगम अभिशासन के बारे में रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट का भाग है, इस पर रिपोर्ट के साथ इस रिपोर्ट के अनुबंध-VII में दी गई है।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

वर्ष के दौरान सभी स्वतंत्र निदेशकों ने स्वतंत्र निदेशक का पद धारण करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) की विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं पूर्ण कर ली हैं तथा धारा 149(7) के तहत प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हो गई है।

निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 के सामान्य परिपत्र द्वारा सरकारी कंपनियों को धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट दे दी है जिसमें प्रत्येक निदेशक का निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा किया जाना आवश्यक है जहां निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के उस मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी होता है या जैसी भी स्थिति हो, राज्य सरकार द्वारा अपनी मूल्यांकन प्रणाली द्वारा किया जाता है। सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत सेबी ने ऐसा ही अनुरोध किया है जो विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के तहत स्वतंत्र निदेशकों की संहिता में संशोधन कर दिया है जिसके अनुसार स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बोर्ड के मूल्यांकन के मामले में कंपनियों को छूट दी गई है।

निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा प्रकार्यात्मक निदेशक को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित शर्तों और निबंधनों के अनुसार है। डीपीई ने प्रकार्यात्मक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। स्वतंत्र निदेशकों को भाग ली गई प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक के लिए उपस्थिति शुल्क ही दिया जाता है।

पावरग्रिड प्रत्येक वर्ष विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) का निष्पादन करता है जिसमें कंपनी का मूल्यांकन विभिन्न वित्तीय तथा गैर-वित्तीय प्राचलों पर किया जाता है। कंपनी तथा निदेशक मंडल के निष्पादन का मूल्यांकन डीपीई द्वारा विद्युत मंत्रालय के साथ किए गए एमओयू के अनुसार किया जाता है।

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में नीति

पावरग्रिड ने अधिनियम की धारा 178 के प्रावधानों के तहत की गई अपेक्षा के अनुसार निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में नीति तैयार की है। उक्त नीति निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है।

https://www.powergridindia.com/sites/default/files/Investor/Reports_Fillings/code_of_Conduct_Policies/04_Remuneration%20policy.pdf

ऋणों, गारंटियों और निवेशों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के भाग होते हैं (टिप्पणी संख्या 60) जिन्हें इस वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या प्रबंधों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या प्रबंधों का विवरण निर्धारित फार्म एओसी-2 में निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध-IX के रूप में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 60 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें संबंधित पक्ष के प्रकटन को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों के विवरण

कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को कर्मचारियों के पारिश्रमिक की तुलना में प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक के अनुपात तथा निदेशकों की रिपोर्ट में समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे को प्रकट करना आवश्यक होता है।

तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट प्राप्त है। इसलिए इस प्रकार के विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं।

सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

वर्ष के दौरान पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसो) के शेयर 2 जनवरी, 2017 को भारत सरकार को अंतरित किए गए थे। 31 मार्च, 2017 को पावरग्रिड की 11 सहायक कंपनियां थीं।

वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यमों की संख्या में कोई अंतर नहीं आया है। इसके अतिरिक्त, हमारी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं से युक्त विवरण निर्धारित प्रपत्र एओसी-I में अनुबंध-X के रूप में संलग्न है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी, पारदर्शी तथा नैतिक स्वरूप के आर्थिक सामाजिक तथा पर्यावरणीय सतत रीति से व्यवसाय का संचालन करने के लिए अपने पणधारकों के प्रति वचनबद्धता के रूप में नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर में विश्वास करती है। पणधारियों में कुल मिलाकर कंपनी की गतिविधियों से सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले व्यक्ति, स्थानीय लोग और पर्यावरण तथा समाज आते हैं। यह प्रमुख रूप से अपने प्रचालन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समाज के सीमांत और वंचित वर्गो के विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक संवृद्धि पर संकेद्रित करती है। इस दृष्टिकोण के साथ आपकी कंपनी ग्रामीण विकास/अवसंरचना विकास, कौशल विकास स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण आदि पर बल देते हुए सीएसआर गतिविधियां कार्यान्वित करती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी में ₹147,27 करोड़ खर्च किए और ₹ 180 करोड़ की 171 सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी जिन्हें अगले 2-3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाना है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने जे.पी. एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली में पावरग्रिड विश्राम सदन का निर्माण कार्य पूरा किया।

आपकी कंपनी ने स्वच्छ भारत अभियान में भी भाग लिया है। देश भर के 150 स्थानों पर पावरग्रिड के कर्मचारियों और उनके परिवारों ने स्वेच्छा से श्रमदान किया और इस कार्य को पूरा करने के लिए 60,000 से अधिक मानव घंटों का योगदान किया। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड ने भारत सरकार के ''स्वच्छ भारत कोष'' में ₹30 करोड़ की राशि प्रदान की है।

आपकी कंपनी के अनेक कर्मचारियों ने अपने अंगदान करने का प्रण लिया तथा कंपनी द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों में भाग लिया।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि में अंशदान दिया। इस प्रयास के भाग के रूप में देश भर के 24 स्थानों पर विभिन्न ट्रेडों में 3500 से अधिक युवकों का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त युवाओं को उच्च प्रशिक्षण देने के लिए पावरग्रिड ने सीआईपीईटी, इंडो डैनिश टूल रूम (आईडीटीआर) जमशेदपुर, इंडो-जर्मन इंस्टीट्यूट फार एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आईजीआईएटी) विजाग, इंडो-जर्मन टूल रूम (आईडीटीआर) इंदौर से तालमेल किया गया। ऐसे 10 स्थानों पर 1100 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और उनमें से अधिकांश युवाओं को लाभप्रद रोजगार प्राप्त हुए।

कुर्नूल (आंध्र प्रदेश) और कुडगी (कर्नाटक) में आई सी आर आई एस ए टी (दि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दि सेमी एरिड ट्रापिक्स) के माध्यम से 10,000 हेक्टेयर भूमि पर ''किसान केंद्रित समेकित वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार'' की परियोजना में संतोषजनक प्रगति हुई है। इस परियोजना के तहत की गई विभिन्न पहलों से फसल उत्पादकता में लगभग 15-22 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। जिससे परिणामस्वरूप लगभग 45,000 क्यू.पी. पानी संरक्षित हुआ।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम और मणिपुर के 1200 से अधिक छात्रों को राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव न्यास (एन एफ सी एच) के माध्यम से छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के सुब्रतों मुकर्जी स्पोर्ट्स एंड एजूकेशन सोसायटी के माध्यम से 75 मेधावी फुटबाल खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां दी गईं ताकि वे फुटबाल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें । महिलाओं के लाभ के लिए नैगम सामाजिक दायित्व (सी एस आर) के तहत हरियाणा के नूह में एक कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण

किया जा रहा है। साथ ही पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर में एक पुरूष छात्रावास का निर्माण कर औपचारिक रूप से सौंपा गया।

सेवा दिवस के अवसर पर माननीय केन्द्रीय विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा श्रमदान

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सोलर स्ट्रीट लाइटों का संस्थापन, हैंड पंपों से पेयजल की सुविधा, जल भंडारण और वितरण नेटवर्क, सामुदायिक केंद्रा, आंतरिक सड़कें, पुलियां का निर्माण, कक्षाओं का निर्माण शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण स्कूलों में डेस्क और बेंचों की आपूर्ति, एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने, सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरूकरने जैसी ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास से जुड़ी बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गईं।

सीएसआर नीति से संबंधित ब्यौरे हमारी वेबसाइट http://10.100.18.171/sites/default/files/CSR_Policy_2015_0-pdf पर उपलब्ध है। हमारी सीएसआर गतिविधियों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध-XI के रूप में संलग्न है।

लाभांश वितरण नीति

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण) विनियम, 2015 सूचीयन विनियामक के विनियम 43-क के अनुसार शीर्षस्थ 500 सूचीबद्ध कंपनियां लाभांश वितरण प्रणाली नीति तैयार करेंगी। तदनुसार एसे प्राचल और परिस्थितियां निर्धारित करने के लिए नीति स्वीकार की गई जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश का वितरण और/या कंपनी द्वारा अर्जित लाभों को रखते समय ध्यान में रखा जाएगा। यह नीति कंपनी की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

https://www.powergridindia.com/sites/default/files/Dividend%20Distribution%20Policy.pdf.

महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय आदेश

ऐसे कोई महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं जिन्हें विनियामकों, न्यायालयों या अधिकरण ने पारित किया है जिनसे संस्था की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रभाव पड़े।

निदेशकों के दायित्व संबंधी वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और 134(5) के तहत की गई अपेक्षा के अनुसार आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है और महत्त्वपूर्ण विचलन में उचित स्पष्टीकरण का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें लगातार लागू किया और ऐसे निर्णय तथा अनुमान लगाए जो तर्कसंगत और समझदारीपूर्ण है जिससे वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की सही और वस्तुनिष्ठ तस्वीर प्राप्त हो सके और अवधि के दौरान कंपनी के लाभ की जानकारी प्राप्त हो सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का निवारण और पहचान करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा था;

(घ) निदेशकों ने सतत चिंता आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार किया था;

(ङ.) निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए थे जिनका पालन कंपनी द्वारा किया जाना था तथा यह कि ऐसे वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और कारगर ढंग से काम कर रहे थे;

(च) निदेशकों ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं जिनमें सभी लागू कानूनों का प्रावधान किया गया था तथा ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और कारगर ढंग से काम कर रही थी।

प्रशंसा एवं पुरस्कार

आपकी कंपनी के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के भारत सरकार तथा अन्य प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थाओं द्वारा समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न अवार्डों/पुरस्कारों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी को निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण एवार्ड/पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

प्लैट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कम्पनी रैंकिंग के अनुसार - लगातार तीन वर्ष (2016-2015 और 2014 से एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली विद्युत कंपनी सीबीआईपी पुरस्कार 'सर्वोत्तम कार्यरत पारेषण संस्था, 2016'

भारत की सर्वोत्तम विद्युत पारेषण संस्था होने तथा सतत विकास के क्षेत्र में इसके उल्लेखनीय प्रयासों और भारत में स्वच्छ ऊर्जा पारेषण को बढ़ावा देने के लिए एआई ग्लोबल, यूके द्वारा 'क्लीन एनर्जी अवार्ड, 2016'।

वाणिज्य मंत्रालय के तत्वाव्धान में इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए मध्यम श्रेणी के निर्यातकों में शीर्षस्थ निर्यातक के लिए गोल्ड ट्राफी।

सीएनबीसी टीवी 18 द्वारा पीएसयू श्रेणी में तीसरे भारतीय जोखिम प्रबंधन वार्डो में सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रैक्टिस पुरस्कार। यह पुरस्कार उन फर्मो को दिया जाता है जिन्होंने जोखिम प्रबंधन की समझ और व्यवहार में वृद्धि की हो।

सेट अप 360 एंड ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम द्वारा आयोजित तथा एम एस एम ई, डी आई, नई दिल्ली द्वारा समर्थित कनक्लेव फार एम एस एम ई एंड स्टार्ट्स अप्स के अवसर पर ''एनर्जी एंड पावर'' श्रेणी में इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड 2017''

वर्ष 2016-17 के दौरान उत्कृष्ट संस्था के लिए ''नार्थ अमेरिकन सिंक्रोफेसर इनिशिएटिव (एन ए एस पी आर) अवार्ड

सी एस आर के अंतर्गत किसान केंद्रित समेकित वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन अवार्ड, 2016

पावरग्रिड द्वारा ''नवोन्मेषी पणधारी संलग्नता'' के लिए स्कोप अवार्ड, 2016

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार विशेषकर विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन

मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अपीलीय अधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नीति आयोग, लोक उद्यम विभाग क्षेत्रीय विद्युत समितियों और केंद्र और राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड, मुंबई से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है जिनके सक्रिय सहयोग के बिना समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कारपोरेशन द्वारा हासिल उपलब्धियों को प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं होता।

निदेशक मंडल अपने मूल्यावान ग्राहकों, राज्य सरकारों और राज्य विद्युत संगठनों और अन्य ग्राहकों, जिन्होंने कई परामर्शी सेवा आधार पर विभिन्न परामर्शी कार्य किए और उन्हें निपटाने के लिए कंपनी की दक्षता पर विश्वास व्यक्त किया, को भी धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए संविदाकारों, विक्रेताओं और परामर्शदाताओं की भी सराहना करता है।

निदेशकगण समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों और मार्गदर्शन को भी अभिस्वीकृत करते हैं। निदेशक मंडल विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं (विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक) बैंकों/राष्ट्रीय (सीएआरई, आईसीआरए एवं क्रिसिल) और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड फिच रेटिंग्स) को भी उनकी सहायता, पावरग्रिड में उनके द्वारा व्यक्त निरंतर आस्था और विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है।

मैं निदेशक मंडल की ओर से वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी की उपलब्धियों में पावरग्रिड परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सेवाओं तथा समर्पित प्रयासों की हार्दिक सराहना करता हूं। मैं कार्यपालक दल को भी उनकी सुदृढ़ नेतृत्वशीलता के लिए विभिन्न कर्मचारी संघों को उनके सहयोग के लिए तथा हमारे सभी कर्मचारियों को विश्व का अग्रणी पारेषण नेटवर्क संगठन बनने के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
(आई. एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 09 अगस्त, 2017

बेस्ट इशुअर ऑन ईबीपी -पीएसयू अवार्ड

विद्युत क्षेत्र पारेषण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सीबीआईपी अवार्ड

बीटी सीएसआर एक्सीलेंस पुरस्कार 2016

पीएसई एक्सीलेंस पुरस्कार 2016

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

आर्थिक दृष्टिकोण

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से बढ़ रही है जिसकी वित्त वर्ष 2017 के दौरान समग्र वृद्धि 7.1 प्रतिशत[1] रही है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में विद्युत क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में विद्युत क्षेत्र, देश के आर्थिक विकास के साथ आगे बढ़ा है जिसमें लगभग 1.25 बिलियन लोगों की विद्युत आवश्यकता पूरी हुई हैं। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली पैदा करने के लिए सीमित संसाधनों का इष्टतम उपयोग जरूरी है। वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत उत्पादन, 1,159.84 बीयू हुआ है जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.70 वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2017-18 के लिए परम्परागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य, 1229.400 बीयू रखा गया है जिसमें 1,042.08 बीयू ताप विद्युत; 141.400 बीच जल विद्युत; 40.972 नाभिकीय विद्युत और 5.000 बीयू भूटान से आयात हुआ है।

क्षेत्रवार दृष्टिकोण

12वीं योजना अवधि अर्थात 2012-17 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि 88,537 मेगावाट अनुमानित है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र में 26,182 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 15,530 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 46,825 मेगावाट शामिल है। 12वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का सार नीचे दिया गया है :

(मेगावाट)

किस्म/क्षेत्र	केंद्र	राज्य	निजी	कुल
ताप	14,878.00	13,922.00	43,540.00	**72,340.00**
जलविद्युत	6,004.00	1,608.00	3,285.00	**10,897.00**
नाभिकीय	5,300.00	0.00	0.00	**5,300.00**
कुल	**26,182.00**	**15,530.00**	**46,825.00**	**88,537.00**

88,537 मेगावाट के उपरोक्त लक्ष्य के लिए मार्च, 2017 तक लगभग 99,209.47 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है, जो 12वीं योजना में परिकलित लक्ष्य का लगभग 112.03 प्रतिशत बैठता है। इस अवधि के दौरान केंद्र, राज्यों और निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए गए व्यक्तिगत लक्ष्य क्रमशः 78.12 प्रतिशत, 157.61 प्रतिशत और 115.92 प्रतिशत है। 12वीं योजना के दौरान मार्च, 2016 तक उपलब्धि निम्नानुसार है :

स्रोत : सीईए वेबसाइट : www.cea.nic.in

(मेगावाट)

किस्म/क्षेत्र	केंद्र	राज्य	निजी	कुल
ताप	15,868.60	22,201.35	53,660.50	**91,730.45**
जलविद्युत	2,584.02	2,276.00	619.00	**5,479.02**
नाभिकीय	2,000.00	0.00	0.00	**2,000.00**
कुल	**20,452.62**	**24,477.35**	**54,279.50**	**99,209.47**
उपलब्धि प्रतिशत	**78.12**	**157.61**	**115.92**	**112.05**

स्रोत : सीईए वेबसाइट : www.cea.nic.in

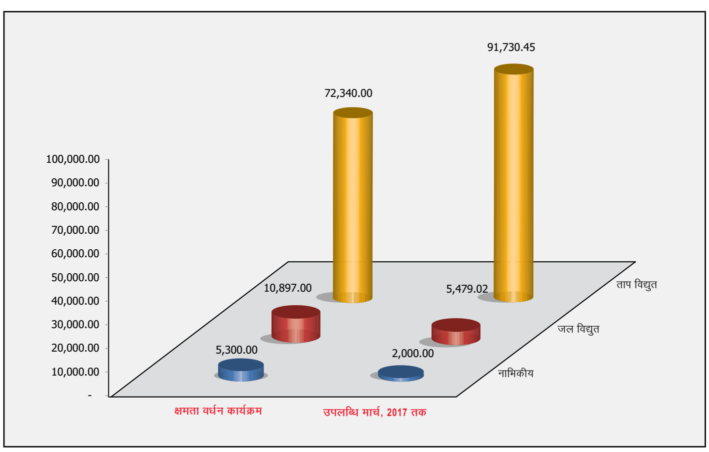

स्रोत : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 के दौरान क्षमता जोड़ने के लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार हैं :

वर्ष 2016-17 के दौरान उत्पादन क्षमता में वृद्धि 14324.50 मेगावाट थी जबकि लक्ष्य 9914.00 मेगावाट था। वर्ष 2016-17 के दौरान जोड़े गए 14324.50 मेगावाट में से तापीय क्षेत्र का अंशदान उल्लेखनीय था अर्थात 11730.5 मेगावाट (कुल का 81.89 प्रतिशत) जल विद्युत क्षेत्र 1594 मेगावाट था।

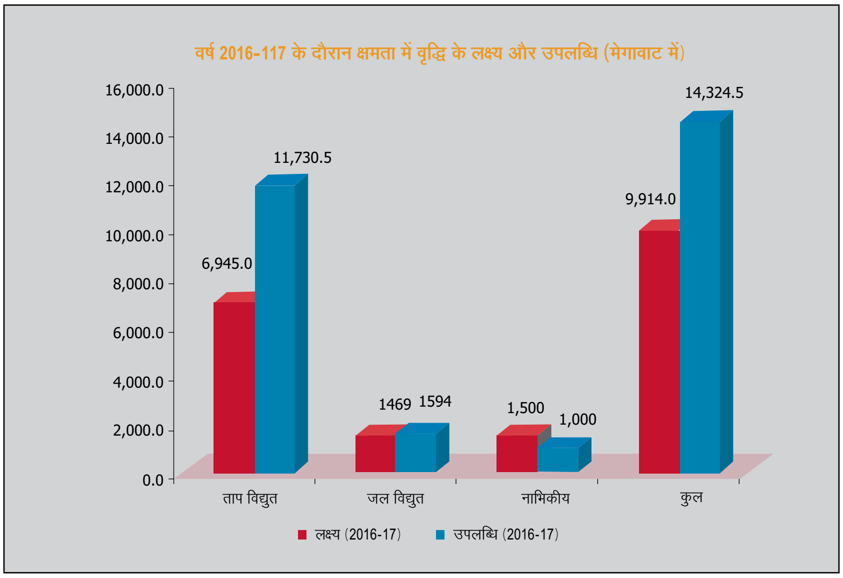

31.03.2017 को (क्षेत्रवार) अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता निम्नवत हैं :

क्षेत्र	ताप विद्युत				नाभिकीय	जल विद्युत	आरईएस	कुल जोड़
	कोयला	गैस	डीजल	कुल				
राज्य	64,685.50	7257.95	363.93	72,307.38	0.00	29,683.00	1,976.90	1,03,967.28
निजी	73,142.38	10,580.60	473.70	84,196.68	0.00	3,144.00	55,283.33	1,42,624.01
केंद्र	54,335.00	7,490.83	0.00	61,825.83	6,780.00	11,651.42	0.00	80,257.25
अखिल भारत	**1,92,162.88**	**25,329.38**	**837.63**	**2,18,329.88**	**6,780.00**	**44,478.42**	**57,260.23**	**3,26,848.53**

स्रोत : सीईए वेबसाइट : www.cea.nic.in

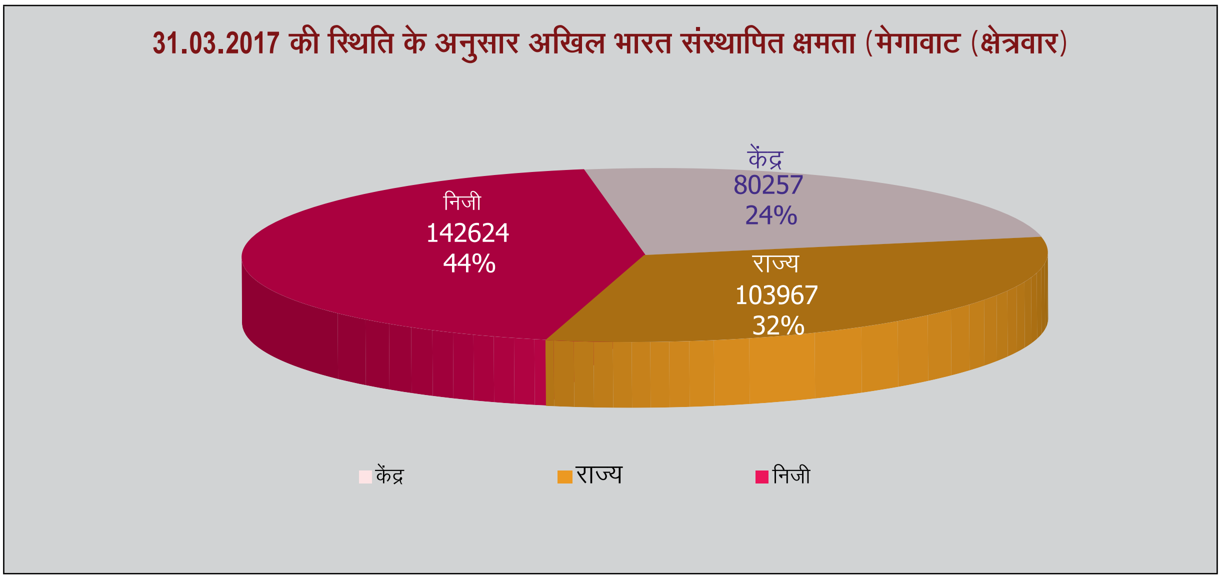

2016-17 के दौरान विद्युत उत्पादन

2016-17 के दौरान देश में समग्र उत्पादन ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय स्रोतों से शामिल करते हुए 1173 बीयू से वर्ष 2016-17 के दौरान बढ़कर 1242 बीयू हो गया है। वर्ष 2016-17 के ये श्रेणीवार उत्पादन निष्पादन निम्नानुसार हैं :

2016-17 के लिए विद्युत उत्पादन (एमयू) का लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार दी गई है :

क्षेत्र	अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017		प्रतिशत उपलब्धि
	लक्ष्य	उपलब्धि	
ताप			
केंद्रीय क्षेत्र	3,30,632	3,37,855	102.18
राज्य क्षेत्र	3,16,697	2,99,515	94.57
निजी आईपीपी क्षेत्र	3,31,859	3,37,894	101.82
निजी यूटीएल क्षेत्र	19,812	18,951	95.65
कुल	**9,99,000**	**9,94,215**	**99.52**
जल विद्युत			
केंद्रीय +क्षेत्र	53,400	57,908	108.44
राज्य क्षेत्र	62,550	51,284	81.99
निजी आईपीपी क्षेत्र	11,399	11,655	102.25
निजी यूटीएल क्षेत्र	19,812	1,466	7.40
कुल	**1,47,161**	**122,313**	**83.11**
नाभिकीय			
केंद्रीय क्षेत्र	40,000	37,664	94.16
कुल	**40,000**	**37,664**	**94.16**
भूटान आयात	**5,000**	**5,644**	**112.88**
सकल योग	**11,91,161**	**11,59,836**	**97.37**

स्रोत : सीईए वेबसाइट : www.cea.nic.in/http:/pawwmin.nic

पारेषण क्षेत्र

वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र में 26,300 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें 81,816 एमवीए अंतरण क्षमता जोड़ी गई है। इनमें केंद्रीय क्षेत्र में 800 केवी एचवीडीसीबी 3 लाइनें, 765 केवी की 11 लाइनें और 400 केवी की 30 लाइनें शामिल हैं और 765 केवी की एक लाइन, 440 केवी की 33 लाइन और 220 केवी की 147 लाइनें राज्य क्षेत्र में और 765 केवी 4 लाइन, 400 केवी 22 लाइनें, 220 केवी 2 लाइनें निजी क्षेत्र में शामिल है। इन पारेषण लाइनों के चालू होने से देश में विद्युत अंतरण की अंतर-राज्य तथा अंतरा-राज्य क्षमता काफी बढ़ गई है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पारेषण क्षेत्र की वृद्धि निम्नानुसार है :

वोल्टेज स्तर/क्षेत्र	अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017			
	पारेषण लाइन (आंकड़े सीकेएम में)		सब-स्टेशन (आंकड़े एमवीए में)	
	कार्यक्रम	उपलब्धि	कार्यक्रम	उपलब्धि
±800 केवी				
केंद्रीय क्षेत्र	2,597	2,618	1,500	4,500
राज्य क्षेत्र	0	0	0	0
जेवी/निजी क्षेत्र	-	-	0	0
कुल	**2,597**	**2,618**	**1,500**	**4,500**
765 केवी				
केंद्रीय क्षेत्र	3,123	5,331	10,500	19,500
राज्य क्षेत्र	750	337	1,500	4,500
जेवी/निजी क्षेत्र	1,133	1,327	2,000	2,500
कुल	**5,006**	**6,995**	**14,000**	**26,500**
400 केवी				
केंद्रीय क्षेत्र	3,953	3,687	9,890	11,435
राज्य क्षेत्र	5,873	3,799	13,015	16,645
जेवी/निजी क्षेत्र	942	3,171	2,000	3,260
कुल	**10,768**	**10,657**	**24,905**	**31,340**
220 केवी				
केंद्रीय क्षेत्र	78	33	0	0
राज्य क्षेत्र	4,935	5,917	4,783	19,276
जेवी/निजी क्षेत्र	0	80	0	200
कुल	**5,013**	**6,030**	**4,783**	**19,476**
कुल जोड़	**23,384**	**26,300**	**45,188**	**81,816**

स्रोत : सीईए वेबसाइट : www.cea.nic.in

2016-17 के दौरान अखिल भारत वास्तविक विद्युत आपूर्ति

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल एक्स-बस ऊर्जा उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 4.1 प्रतिशत बढ़ गई और व्यस्ततम पूर्ति 5.7 प्रतिशत बढ़ गई। ऊर्जा मांग 9.0 प्रतिशत की प्रक्षेपित वृद्धि की तुलना में वर्ष के दौरान 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और व्यस्ततम मांग 7.8 प्रतिशत की प्रक्षेपित मांग की तुलना में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर ऊर्जा और व्यस्ततम उपलब्धता की दृष्टि से देश में विद्यमान कमी की स्थितियां नीचे दी गई है :

	ऊर्जा (एमयू)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)
आवश्यकता	11,42,929	1,59,542
उपलब्धता	11,35,334	1,56,934
कमी	-7,595	-2,608
(प्रतिशत)	-0.7	-1.6

स्रोत : सीईए वेबसाइट : www.cea.nic.in

ऊर्जा और व्यस्ततम की दृष्टि से वर्ष 2016-17 के दौरान देश में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति के संबंध में क्षेत्रवार स्थिति नीचे दी गई है।

क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम मांग			
	आवश्यकता	उपलब्धता	आधिक्य/कमी (-)		मांग	पूर्ति	आधिक्य/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(प्रतिशत)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(प्रतिशत)
उत्तरी	3,49,172	3,43,513	-5,659	-1.6	53,372	52,612	-760	-1.4
पश्चिमी	3,45,247	3,45,127	-120	0.0	48,531	48,313	-218	-0.4
दक्षिणी	3,05,586	3,05,107	-480	-0.2	42,232	42,232	0	0.0
पूर्वी	1,27,783	1,26,868	-916	-0.7	18,908	18,788	-120	-0.6
उत्तर-पूर्वी	15,140	14,720	-420	-2.8	2,487	2,475	-12	-0.5

स्रोत : सीईए वेबसाइट : www.cea.nic.in

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अखिल भारत ग्रामीण विद्युतीकरण निम्नानुसार है :

गांवों की कुल संख्या	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव (संख्या)	विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत
5,97,464	5,92,080	98.75

स्रोत : सीईए वेबसाइट : www.cea.nic.in

पावरग्रिड - देश की केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी

पावरग्रिड देश की केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) है जो अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आई एस टी एस) की आयोजना कार्यान्वयन, प्रचालन और अनुरक्षण में लगा हुआ है। पावरग्रिड ई एच वी एसी तथा एचवीडीसी उपकेंद्रों के साथ संपूर्ण देश में फैली अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण लाइनों का स्वामित्व और प्रचालन करता है। देश का कुल 90 प्रतिशत पारेषण इसके स्वतिमत्व में उन्हें पावरग्रिड ने देश में राष्ट्रीय ग्रिड विकसित किया है जो विश्व के सबसे बड़े सिंक्रोन्स प्रचालनरत इलेक्ट्रिकल ग्रिडों में से एक है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार पावरग्रिड :

- पावरग्रिड पारेषण नेटवर्क के स्वामित्व तथा प्रचालनाधीन 1,39,077 सर्किट किलोमीटर की अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों का पारेषण नेटवर्क 2,89,543 एमवीए की कुल रूपांतरण क्षमता वाले 219 ईएचवीएसी और उच्च वोल्टेज प्रत्यक्ष करंट (एच वी डी सी) उपकेंद्र है।
- इसने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पारेषण प्रणाली उपलब्धता 99.79 प्रतिशत बनाए रखी है।

सुदृढ़ और विश्वसनीय राष्ट्रीय ग्रिड के लिए पावरग्रिड की प्रतिबद्धता:

आपकी कंपनी ने 9723 सर्किट किलोमीटर पारेषण नेटवर्क और 34,696 एमवीए की अंतरण क्षमता के साथ 12 नए सब स्टेशन उपकेंद्र जोड़े हैं। मार्च, 2017 तक लगभग 75,050 मेगावाट अंतरक्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमताओं (220 केवी)और इससे ऊपर का राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना कार्यान्वयन में पावरग्रिड का लक्ष्य तथा उपलब्धि निम्नानुसार रही हैं :

निर्माण कार्य	लक्ष्य (उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग के लिए)	उपलब्धि
कमीशनिंग के लिए तैयार पारेषण लाइनें (जीडब्ल्यू - सर्किट किलोमीटर में)	15,000	17,628
रूपांतरण क्षमता/कमीशनिंग के लिए तैयार (एमवीए)	32,000	33,880
अंतरक्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता वर्द्धन/कमीशनिंग के लिए तैयार	14,000	15,000

वित्तीय समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के साथ वास्तविक की तुलना नीचे दी गई है :

समझौता ज्ञापन प्राचल	लक्ष्य समझौता ज्ञापन (उत्कृष्ट) वित्त वर्ष 2016-17	वास्तविक वित्त वर्ष 2016-17
प्रचालनों से राजस्व (₹करोड़ में)	24,000	25,717
प्रचालन लाभ (₹करोड़ में)	8,000	8,635
लाभांश पैट (प्रतिशत)	20.00	30.26
पैट/निवल पूंजी (प्रतिशत)	13.80	15.10
लाभांश/निवल पूंजी /(प्रतिशत)	2.76	4.57

अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आई एस टी एस) के निर्माण और प्रचालन एवं अनुरक्षण में प्रमुख कठिनाइयां/ सामना की गई चुनौतियां और उनका शमन करना:

तीव्र शहरीकरण, आबादी घनत्व में वृद्धि, वास स्थलों, तथा अवसंरचना की विकास आदि से पिछली कुछ अवधि में अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए उपयोग करने योग्य भूमि की उपलब्धता में कमी हुई है। पारेषण अवसंरचना के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण में प्रमुख कठिनाइयां और चिंताएं नीचे दी गई हैं :

(i) मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) के मुद्दे

(ii) वन स्वीकृतियां प्राप्त करना

(iii) कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता

(iv) प्रचालनात्मक और अनुरक्षण में कुशलता का विकास

उपरोक्त चिंताओं का समाधान करने में आपकी कंपनी द्वारा की गई पहलों पर नीचे चर्चा की गई। कुछ प्रमुख पहलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) बाधाओं का समाधान :

आर ओ डब्ल्यू आवश्यकता को इष्टतम करने के लिए पारेषण लाइनों की वहन क्षमता तेजी से बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी उच्च वोल्टेज स्तर, विशेष रूप से डिजाइन किए गए टावरों और नई प्रौद्योगिकियों को अपना रही है। कंपनी द्वारा की गई कुछ प्रौद्योगिकीय पहल नीचे दी गई हैं :

- **आधुनिक तकनीक का प्रयोग का रूट एलाइनमेंट और विस्तृत सर्वेक्षण**

  एलाइनमेंट तथा पारेषण लाइनों के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए आपकी कंपनी द्वारा आधुनिक तकनीकें अपनाई गई हैं जिनमें मुख्य रूप से जीआईएस तकनीकों की सहायता से विभिन्न विकल्पों की जांच करने के बाद पारेषण लाइन रूट का चयन शामिल है। सैटेलाइट इमेजों के जरिए प्राप्त अद्यतनकारी और ब्यौरों से रूट के चयन के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच की जाती है।

- **बल्क विद्युत अंतरण के लिए उच्च वोल्टेज अपनाना**

  आपकी कंपनी ने विश्व में उच्चतम पारेषण स्तर 1200 केवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज अल्ट्रा हाईवोल्टेज (यू एच सी) एसी प्रौद्योगिकी 1200 केवी यू एच वी ए सी नेशनल टेस्ट स्टेशन सफलतापूर्वक किया है और स्वदेशी रूप से विकसित उपस्कर का प्रयोग करके पायलट परियोजना के रूप में 1200 केवी बे से संबद्ध 1200 केवी सिंगल और डबल पारेषण लाइन सेक्शन चालू किए हैं। फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं। 1200 केवी नेशनल टेस्ट स्टेशन के जरिए मई, 2016 में विद्युत प्रवाह सफलतापूर्वक शुरू किया गया है।

  देश में 765 केवी डबल सर्किट पारेषण लाइनें ±800 एच वी डी सी जैसी उच्च क्षमता की पारेषण प्रणालियां शुरू करने के प्रति मेगावाट विद्युत अंतरण के लिए आर ओ डब्ल्यू आवश्यकता में काफी कमी की जा सकेगी। 765 केवी डबल सर्किट की कई लाइनें पहले ही चालू की जा चुकी हैं और कई लाइनें निर्माणाधीन हैं। बिश्वनाथ चरियाली (असम) से आगरा (उत्तर प्रदेश) वाया अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल) (लगभग 1750 किमी) ±800 केवी 6000 मेगावाट एच वी डी सी लिंक के एक पोल से कंस्ट्रेक्टेड चिकन नेक एरिया के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र और विलोमतः से बल्क विद्युत का अंतरण सफलतापूर्वक चालू किया गया है और यह विश्व में सबसे बड़े एच वी डी सी मल्टी टर्मिनल लाइनों में से एक है। बिश्वनाथ चरियाली (असम) से आगरा (उत्तर प्रदेश) के लिए ±800 केवी 6000 मेगावाट एच वी डी सी प्रणाली का विद्युत प्रवाह और वाणिज्यिक प्रचालन दिनांक 01.11.2015 से शुरू हो गया है और इसके बाद सितम्बर, 2016 में पोल II शुरू हुआ। लगभग 1,300 किमी लंबी चंपा (पश्चिमी क्षेत्र) और कुरुक्षेत्र (उत्तरी क्षेत्र) के बीच दूसरी ±800 केवी एच वी डी सी प्रणाली का 2017 को शुरू हो गई है तथा पोल का निर्माण पूरा होने वाला है। दक्षिणी क्षेत्र से भी विद्युत के अंतरण के लिए रायगढ और पुगलार के बीच दूसरी ±800 केवी एच वी डी सी लाइन निर्माणाधीन है। ±320 केवी पुगालर-त्रिचूर एच वी डी सी वीएससी के लिंक के जरिए केरल को 2,000 मेगावाट विद्युत के अंतरण के लिए आपकी कंपनी 320 केवी डीसी एक्सएलपीई केबल के साथ ±320 केवी एच वी डी सी वीएससी प्रौद्योगिकी कार्यान्वित करेगी जो आंशिक रूप से ओवरहेड और आंशिक रूप से अंडरग्राउंड आर ओ डब्ल्यू मुद्दों का समाधान करेगी।

- **वर्तमान और नई लाइनों में उच्च निष्पादन के कंडक्टरों का प्रयोग**

  उसी पारेषण लाइन से अधिक विद्युत ले जाने की क्षमता वाले विभिन्न कांफ्रिगेशन के उच्च निष्पादन कंडक्टर नए समानांतर गलियारे का सृजन करने और कम भूमि, आर ओ डब्ल्यू और वन संसाधनों के संरक्षण आदि को सुकर बनाता है। रि-कंडक्टिग के माध्यम से भिन्न-भिन्न कांफ्रिगेशन के कंडक्टरों के प्रयोग से मौजूदा टावरों में किसी प्रकार बदलाव/शक्तिवर्धन के बिना विद्युत ले जाने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है और इस प्रकार लागत प्रभावकारिता आती है। नई लाइनों के लिए उच्च निष्पादन कंडक्टरों के प्रयोग से परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि में कमी आती है तथा समग्र पूंजी और प्रचालन व्यय कम हो जाता है।

  उपरोक्त लाभों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने कुछ मौजूदा लाइनों की रिकंडक्टिंग के लिए पहलें की है जहां विद्युत प्रवाह में कठिनाइयां आ रही थीं। संसाधनों की आवश्यकता, प्रयास और लागत को इष्टतम करने के लिए आपकी कंपनी ने गया-कोडरमा, गया-मैथन, जालंधर-कुरुक्षेत्र 400 केवी डी/सी लाइनों पर अब्दुल्लापुर-सोनीपत का एल आई एल ओ जैसी लाइनों के कुछ मल्टी सर्किट टुकड़ों में क्वाड/ट्रिपल बंडल एसीएसआर कंडक्टरों के स्थान पर ट्विन एचटीएलएस कंडक्टरों का प्रयोग करने का विकल्प चुना है। उच्च विद्युत अंतरण आवश्यकता के लिए 400 केवी डी/सी सागरदीघी - बेहरामपुर लाइन और 400 केवी डी सी फरक्का बेहरामपुर लाइन (निर्माणाधीन) में एच टी एल एस कंडक्टर प्रयोग किए गए हैं।

- **उपयुक्त टाइप के टावर का चयन**

  घने बसे शहरी क्षेत्रों की समस्या, वन संरक्षण आर ओ डब्ल्यू की समस्या से निपटने के लिए आपकी कंपनी विभिन्न प्रकार के टावरों की डिजाइन और प्रयोग करती रही है। वर्ष 2016-17 के दौरान 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी और ±800 केवी एच वी डी सी वोल्टेज के लिए 16 प्रकार के टावरों की आंतरिक डिजाइन की गई है जो जिनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

- **सब-स्टेशनों के लिए जमीन में कमी**

  सब-स्टेशन के लिए तथा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन से जुड़े मुद्दों के लिए जमीन की जरूरत को कम करने के लिए आपकी कंपनी ने गैस इंसूलेटेड स्विचयार्ड (जी आई एस) जैसी नई प्रौद्योगिकियों में निवेश कर लगातार स्तर में सुधार और प्रावधान किया है। परंपरागत एयर इंसूलेटेड स्विचयार्ड (ए आई एस) की तुलना में इसके लिए काफी कम जमीन की जरूरत पड़ती है।

- **आर ओ डब्ल्यू मुआवजा**

  आर ओ डब्ल्यू मुआवजा मुद्दों का समाधान करने के लिए पारेषण लाइनों के लिए मार्ग के अधिकार से संबंधित नुकसानी के लिए भुगतान हेतु विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों के प्रावधान की दिशा में 15 अक्तूबर, 2015 को तत्काल कार्रवाई की और नवम्बर, 2015 में ही इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया गया है।

(ii) वन स्वीकृति प्राप्त करना

आपकी कंपनी के अथक प्रयासों और विद्युत मंत्रालय/भारत सरकार के समर्थन से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम ओ ई एफ सी सी), जिसने हाल के वर्षों में शीघ्र वन स्वीकृति की सुविधा प्रदान की है, द्वारा पारेषण लाइनों सहित विभिन्न स्वीकृति प्रक्रिया विशेष रूप से लाइन परियोजना आसान हो गई है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 25 वन स्वीकृतियां प्राप्त की गईं जिनमें 547.63 हेक्टेयर वन भूमिका डायवर्जन शामिल है। इसके अतिरिक्त पावरग्रिड ने वन विभाग के प्रतिपूरक वानिकी और निवल वर्तमान मूल्य के लिए क्रमशः ₹53.30 करोड़ और ₹ 40.49 करोड़ प्रदान किए वन आच्छादित क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जा सके और वैकल्पिक वन क्षेत्रों का परिस्थितिकीय/जैव विविधता मूल्य बढ़ाया जा सके।

(iii) कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता

विद्युत उत्पादन, पारेषण और विवरण क्षेत्र में कई प्रौद्योगिकीय उन्नयन हो रहे हैं। प्रशिक्षण विकास हस्तक्षेपों के माध्यम से मानव संसाधन के विकास ने नई प्रौद्योगिकियां, सिस्टम और प्रथाएं अपनाने तथा भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए जनशक्ति को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई है।

वर्ष के दौरान 132 कार्यपालकों को परियोजना प्रबंधन के लिए प्रमाणित किया गया है। देश में समग्र कौशल विकास विशेष रूप से विद्युत पारेषण लाइन निर्माण के विक्रेताओं की सहायता से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 870 से अधिक युवकों को प्रशिक्षित किया गया। इस पहल के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 तक संचयी रूप से लगभग 3224 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(iv) प्रचालनात्मक और अनुरक्षण दक्षता का विकास

उन्नत प्रचालनात्मक और अनुरक्षण तकनीकों का प्रयोग कर कंपनी के स्वामित्व वाले बड़े पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता व्यपगत 99 प्रतिशत से अधिक बनाए रखी गई है।

कंपनी की परिसंपत्तियों में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि सिस्टम में 765 केवी पारेषण लाइनें हो गई हैं। ये परिसंपत्तियां पूरे देश में फैली हुई हैं, बिजली का खुला बाजार है, मात्रा और दिशा की दृष्टि से विद्युत प्रवाह में काफी उतार-चढ़ाव हैं, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई है, मौजूदा परिसंपत्तियों के कारगर उपयोग की जरूरत है जिनसे ऐसी बड़ी प्रणाली को विश्वसनीयता, सुरक्षा और संरक्षा के साथ सही समय के अनुसार बनाए रखना चुनौतीपूर्ण कार्य है। निश्चित समय के आधार पर कारगर नियंत्रण की आवश्यकता को पहचान कर तथा कुल मिलाकर विद्युत प्रणाली की आयोजना और प्रचालन में सुधार लाने के लिए आपकी कंपनी निम्नानुसार अनेक कदम उठा रही है:

- डिजिटल सब स्टेशन : भिवाड़ी सब स्टेशन तथा नीमराना सब स्टेशन पर प्रोसेस बस प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रायोगिक परियोजनाओं से अनुभव प्राप्त का आपकी कंपनी ने मालेरकोटला सबस्टेशन पर परियोजना शुरू की है ताकि उन्नत ऑटोमेशन प्रणालियों से परंपरागत रक्षण और नियंत्रण स्कीमों को रिट्रोफिट किया जा सके। इसके साथ ही आपकी कंपनी चंडीगढ़ की भावी 220/66 केवी जीआईएस सबस्टेशन परियोजना में प्रौसेस बस प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है। आशा है कि नई स्कीम से रख रखाव आसान हो जाएगा, कठिनाइयों का समाधान हो जाएगा और आपातकालीन स्थिति में पुनः बहाली के समय में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम फाइबर ऑप्टिक केबल सहित बड़ी मात्रा में कॉपर केबल से स्थान की आवश्यकता इष्टतम हो जाएगी।

- सब स्टेशनों का दूरस्थ प्रचालन वर्ष 2016-17 के अंत तक एनटीएएमसी/आरटीएएमसी से 122 सबस्टेशनों को दूरस्थ प्रचालन के तहत लाया गया।

  आपकी कंपनी ने शुरूआती दौर में ही खराबियों की पहचान करने के लिए उन्नत स्थिति मानीटरिंग तकनीक अपनाया है। इनमें ट्रांसफार्मरों और रिएक्टरों, सर्किट ब्रेकरों के लिए डायनामिक कंटैक्ट रेसिस्टेंट मेजरमेंट, फ्यूज अरेस्टरों के लिए थर्ड हारमोनिक रिजर्व करंट मेजरमेंट, थर्मो विजन स्कैनिंग आदि के लिए फ्रीक्वेंसी रेस्पांस एनालिसिस (एफ आर ए), फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रोस्कॉपी, डिजाल्वड गैस एनालिसिस (डी जी ए) डीजीए ऑफ बुशिंग एंड सीटी, वाइब्रो एक डोस्टिक्स ऑफ ऑन लोड टैप चेंजर आदि शामिल हैं ताकि उनकी उपयोगी सेवा अवधि के दौरान उच्च विश्वसनीयता और उपलब्धता के साथ निर्बाध रूप से प्रचालन किए जा सकें। पावरग्रिड ने ट्रांसफार्मर और रिएक्टर में फाइबर ऑप्टिक सेंसरों के माध्यम से बुमिंग, डायनामिक टेम्प्रेचर रिकार्ड के लिए ऑनलाइन कैपेसिटेंस और टेन डेल्टा मानीटरिंग की शुरूआत की हैं और दूरस्थ मानीटरिंग तथा उपस्कर की स्थिति में गतिशील परिवर्तन के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए इन सभी मानीटरिंग प्रणालियों को एससीएडीए के साथ समेकित किया जा रहा है।

- हाटलाइन मेंटेनेंस, अत्यधिक विशेषीकृत अनुरक्षण गतिविधि है जिसमें अत्यधिक कुशल जनशक्ति लाइव लाइनों पर इंसूलेटर के प्रतिस्थापन, वाइब्रेशन डैंपर्स, हार्डवेयर आदि जैसी अनुरक्षण कार्य करती है।

- अंतर्राष्ट्रीय ओ एंड एम प्रथाओं के अनुरूप पावरग्रिड ने डी जी सी ए और गृह मंत्रालय से उचित अनुमति प्राप्त कर अप्रैल, 2016 से मानवरहित आकाशीय वाहन (यूएवी) का प्रयोग पर ±500 केवी एचवी डीसी बलिया - भिवाड़ी लाइन की टॉप पेट्रोलिंग शुरू की है।

  इन यू ए वी में गिम्बल माउंटेड अल्ट्रा एचडी वीडियो कैमरे लगे हुए हैं जो नजदीक से टावरों और उने घटकों के उच्च रिजोलुशन फोटो और वीडियो ले सकते हैं जिससे खराबियों की पहचान की जा सके। यूएवी का इस्तेमाल कर टावरों की पैट्रोलिंग से ऐसे निरीक्षणों के लिए (टावरों पर चढ़कर) टॉप पेट्रोलिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे पारेषण लाइनों की मानीटरिंग में सुधार आएगा और मितव्ययी बनेगी।

- आपकी कंपनी ने हेलीकॉप्टरों का प्रयोग कर भारत में पहली बार चुनिंदा क्षेत्रों जैसे जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों, और बर्फ से ढके क्षेत्रों, जहां जमीन से पेट्रोलिंग करना कठिन है और बहुत समय लेने वाली हैं, में लाइनों की एरियल पेट्रोलिंग शुरू की है। गिम्बल मांउटेड ''लिडार'' (हल्की दूरी और पहचान), थर्मो विजन कैमरा, हाई रिजोलुशन वीडियो और डिजिटल कैमरा लगे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो मनुष्य द्वारा पैदल चल कर लाइनों की पेट्रोलिंग की तुलना में बहुत कम समय में खराबियों की पहचान कर लेते हैं और उपचारी कदम उठाए जाते हैं।

- देश के पूर्वोत्तर राज्यों, जो आकाशीय बिजली संभावित क्षेत्र हैं, में विशेष रूप से आकाशीय बिजली के कारण ट्रिप्पिंग को न्यूनतम करने के लिए पारेषण लाइनों में लाइटनिंग अरेस्टर लगाए गए हैं।

- यूआरटीडीएसएम परियोजना : स्मार्ट ग्रिड विकास प्रयासों के लिए आपकी कंपनी ने यूनिफाइड रियल टाइम डायनेमिक स्टेट मेजरमेंट सिस्टम (यू आर टी डी एस एम) परियोजना के अंतर्गत अखिल भारत के आधार पर डब्ल्यू ए एम एस (वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम) प्रौद्योगिकी का पूरे प्रभाग पर कार्यान्वयन किया हैं जिससे समग्र ग्रिड प्रबंधन में वृद्धि होने की संभावना है परियोजना से टाउम आधार पर विस्तृत रूप से फैले ग्रिड के ग्रिड प्राचलों का सिंक्रोंस मेजरमेंट हो सकेगा। सिंक्रोनाइज्ड पी एम यू मॉनिटरिंग और विजुएलाइजेशन में सुधार करेगा और रियल टाइम पर ग्रिड घटनाओं की स्थिति जागरूकता बढ़ाएगा जिससे ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार होगा।

  इस परियोजना के अंतर्गत 220 केवी के स्तर सहित सभी एचवीडीसी, 400 केवी और उससे अधिक के उप केंद्रों और उत्पादन केंद्रों में फेजर मेजरमेंट यूनिट (पीएमयू) लगाई जाएगी। आपकी कंपनी ने जब यू आर टी डी एस एम के भाग के रूप में 900 से अधिक पीएमयू संस्थापित कर दिए हैं। इसके अलावा, कीन (3) कंट्रोल सेंटर मैं हार्डवेअर एवं साफ्टवेअर का संस्थापन पूरा हो गया है और शेष 31 कंट्रोल सेंटरों का कार्य प्रगतिपर है। यू आर टी डी एस एम में चरण-1 में 34 नियंत्रण केंद्रों में लगभग 1200 पीएमयू और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर संस्थापित करना शामिल है।

  आपकी कंपनी पावरग्रिड डायग्नोसिस वैलिडेशन और नियंत्रण प्रयोजन के लिए पीएमयू मेजरमेंट का प्रयोग करके विभिन्न एनालिटिक्स भी विकसित कर रही है। बंदर (6) एनसिटीक्स से तीन (3) एनसिटिक्सं भाविका पूरा होगया हैं। ये एनालिटिक्स वाइड एरिया प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए सक्षम करेंगे जो ग्रिड की स्थिरता में सुधार करेगा।

आपकी कंपनी ने एचवीडीसी के लिए रियल टाइम डिजिटल सिम्यूलेटर (आर टी डी एस) के जरिए विद्युत प्रणाली अध्ययन भी किए हैं। आर टी डी एस विशेष रूप से डायनामिक्स निष्पादन के अध्ययन के लिए एचवीडीसी एफएसीटीएस और प्रोटेक्टिव रिले आदि सहित विद्युत प्रणालियों का रियल टाइम सिम्यूलेशन प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया विशिष्ट कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जिससे प्रचालन में दक्षता में सुधार होने की संभावना है।

यू आर टी डी एस एम और स्काडा उन्नयन की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पावरग्रिड के सभी उप केंद्र केंद्रीय उत्पादन केंद्र और राज्यों के महत्त्वपूर्ण केंद्र फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़े जा रहे हैं। 2016-17 के दौरान उप केंद्रों, विद्युत केंद्रों को जोड़ने के लिए 11000 किलोमीटर ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क स्थापित किया गया है और पर्याप्त पाथ में उपलब्ध कराया गया है। यह ग्रिड के लिए एसएलडीसी आरएलडीसी और एलएलडीसी में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित डविड्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। फाइबर बिछाना नेशनल ट्रांसमिशन एंड असेट्स मैनजमेंट सेंटर (एनटीएएमसी) के विश्वसनीयता प्रचालन को सुविधा प्रदान करेगा और दूरसंचार कारोबार के विस्तार सहायता करेगा। इस वित्तीय वर्ष के दौरान स्वदेशी विनिर्माताओं से ओपीजीडब्ल्यू की आपूर्ति भी की गई है जो 'मेक इन इंडिया' के भाग के रूप में भावी परियोजना बाजार विकास को सुनिश्चित करता है।

उपर्युक्त जोखिम तथा चुनौतियों के आलवा, हमारी परियोजनाओं के निष्पादन में शामिल कुछ जोखिम तथा उनका समाधान निम्नवत है :

- **उत्पादन परियोजना के साथ सहचालन का जोखिम**

उत्पादन इकाइयों के आरंभण का सहबद्ध पारेषण प्रणाली के आरंभण के साथ सदैव अंतराल हो सकता है तथा कुछ उत्पादन परियोजनाओं के साकार होने में विलंब हो सकता है। ऐसे जोखिम को प्रशमित करने के लिए उत्पादक आपकी कंपनी के साथ करार पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और लागू सीईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार पारेषण प्रभार वहन करते हैं।

- **राजस्व जोखिम**

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य पारेषण प्रभारों तथा हानियों की साझेदारी) विनियम, 2010, जो 01.07.2011 से प्रभावी हुए हैं, में पारेषण प्रभारों की साझेदारी के लिए नई प्रविधि शुरू कर प्वाइंट ऑफ कनेक्शन (पीओसी) प्रभारों तथा हानियों के परिकलन की व्यवस्था है। तथापि, कतिपय राज्य जैसे बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा महाराष्ट्र ने उपर्युक्त साझेदारी प्रविधि को न्यायालय में चुनौती दी थी तथा उसका अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार सभी उपर्युक्त राज्य उक्त विनियम के अनुसार भुगतान कर रहे हैं। इसी बीच सीईआरसी ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को उक्त साझेदारी विनियमों का तीसरा संशोधन अधिसूचित किया है जिससे साझेदारी पैटर्न में परिवर्तन आ गया है।

संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटियों (एसटीयू) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाले डाउन स्ट्रीम/अप स्ट्रीम नेटवर्क के साथ-साथ आईएसटीएस पारेषण प्रणाली के चालू होने में सदैव अंतर हो सकता है। भारतीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 के चौथे संशोधन में बेमेलपन को कवर करने के लिए लागत आधिक्य के अंतर्गत डाउन स्ट्रीम/अप स्ट्रीम नेटवर्क कार्यान्वित करने वाले पारेषण लाइसेंसियों के साथ कार्यान्वयन करार हस्ताक्षरित करने का प्रावधान किया गया है।

सीईआरसी प्रशुल्क विनियम बिलों की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर पारेषण प्रभारों के लिए मासिक बिलों का भुगतान करने और 60 दिनों के बाद विलंबित भुगतान पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से अधिकतम लगाने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, 60 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है तो ग्रेडेड छूट का प्रावधान भी किया गया है। अधिकांश यूटिलिटियां अपने बकाया का भुगतान करने के लिए 60 दिनों की अनुमेय अवधि का लाभ उठाती हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संग्रहण दक्षता बहुत अच्छी रही है और चूक करने वाली यूटिलिटियों के विरुद्ध कंपनी द्वारा बकाया की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गई।

कंपनी की ट्राई-पारटाइट एग्रीमेंट (टीपीए) द्वारा समर्थित लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एलसी) के रूप में भुगतान सुरक्षा तंत्र की सुदृढ़ प्रणाली है। वर्ष 2001-02 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों की देयताओं के एकमुश्त समाधान स्कीम के जारी होने के बाद टीपीए पर भारत सरकार - भारतीय रिजर्व बैंक तथा अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जो अक्तूबर, 2016 तक वैध था। भारत सरकार ने और अगले 10 वर्षों तक इन टीपीए का विस्तार किया है। अधिकांश राज्यों ने टीपीए के विस्तार के लिए करारों को निष्पादित किया है और शेष राज्यों के साथ मामले का अनुसरण किया जा रहा है। टीपीए के प्रावधानों के अनुसार ग्राहकों से एलसी स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है जिसमें 12 महीनों का कंपनी का औसत मासिक बिलिंग कर 105 प्रतिशत शामिल होगा। टीपीए में इस बात का भी प्रावधान है कि यदि राज्य संस्था यूटिलिटी वर्तमान देनदारी के भुगतान में कोई चूक करेगी तो बकाया देनदारी राज्य के आरबीआई खाते से काटा जाएगा तथा सीपीएसयू को उसका भुगतान कर दिया जाएगा। देनदारियों का भुगतान न किए जाने तथा एलसी की स्थापना न किए जाने पर कंपनी द्वारा विद्युत के विनियमन का भी प्रावधान है।

दूरसंचार और परामर्श से प्राप्त व्यापारिक आय के संबंध में ग्राहक क्रेडिट जोखिम का प्रबंध बकाया प्राप्य की नियमित मानीटरिंग द्वारा किया जाता है तथा वसूली के लिए उपभोक्ता से अनुसरण किया जाता है।

प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के अंतर्गत निष्पादन

आपकी कंपनी प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी माहौल में भलीभांति काम कर रही है। ईआरएसएस-XVIII परियोजना के लिए सफल बोली लगाने वालों का चयन हो जाने के बाद आपकी कंपनी को मेदिनीपुर-जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड मिला है। इस परियोजना एसपीवी में ''पूर्वी क्षेत्र में 765केवी सुदृढ़ीकरण (ईआरएसएस-XVIII)'' के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु परियोजना एसपीवी है। इसके साथ कंपनी ने अपनी सहभागिता के समय से टीबीसीबी के माध्यम से दस (10) परियोजनाएं हासिल की हैं। टीबीसीबी के तहत दो परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं तथा दूसरी परियोजनाओं के तत्त्वों को धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है।

आपकी कंपनी ने दूरसंचार कारोबार परामर्शी तथा स्मार्ट ग्रिड के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

- **पावरग्रिड का दूरसंचार का कारोबार:**

दूरसंचार कारोबार दिन-प्रतिदिन काफी प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है और कीमतों में कमी करने के लिए सदैव दबाव बन रहा है। तथापि आपकी कंपनी नए कारोबार खंडों का पता लगा रही है और मूल घटक की सुपुर्दगी नेटवर्क उत्पाद सहित एमपीएलएस वीपीएन, पीयरिंग विद कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ड्राप एंड कैरी ब्राडकास्टिंग सर्विसेज आदि की पेशकश कर रही है। इसके अतिरिक्त, प्रक्षेपित मांग के लिए नेटवर्क विस्तार में समय पर निवेश करके पावरग्रिड मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण राजस्व में हानि को कम कर रहा है। पावरग्रिड अपनी नेटवर्क पहुंच और उपस्थिति बढ़ाने के लिए आर ओ डब्ल्यू फाइबर लीजिंग आदि के लिए अंतिम माइल कनेक्टिविटी प्रदाताओं और राज्य विद्युत बोर्डों के साथ भागीदारी भी कर रहा है। अपने स्थान विषयक पहुंच भागीदारों के साथ पावरग्रिड के एक्सटेंसिव बैकबोन दूरसंचार नेटवर्क ने यह प्रदर्शित किया है कि हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच और वहनीयता के लिए छोटे शहरों में स्थानीय नुकसान को दूर किया जा सकेगा। इसमें डिजिटल डिवाइड को कम करने की क्षमता है और डिजिटल इंडिया के विजन को मूर्त रूप देने में एक चेंज एजेंट हो सकता है।

- **पावरग्रिड का परामर्श कारोबार:**

  हालांकि हमारा मौजूदा घरेलू परामर्श कार्य राज्य जनोपयोगी संस्थाओं से संबंधित है परंतु घरेलू प्रतिस्पर्धियों से काम प्राप्त करने में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद अखिल भारतीय आधार पर अति सक्रिय विपणन गतिविधियां गहन बनाई गई हैं और समेकित समग्र समाधान की पेशकश ग्राहकों को की गई है जिसमें सुपुर्दगी पर बहुत अधिक बल दिया गया है। इस क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना के घरेलू परामर्श राजस्व में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

कंपनी में उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा कार्यान्वित किया गया है और यह ढांचा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन करने के लिए संरचित, संगत और सतत प्रक्रिया है। इस ढांचे के अनुसार महत्त्वपूर्ण व्यापारिक प्रक्रियाओं/जोखिमों की निगरानी और नियंत्रण अनेक प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) द्वारा किया जाता है।

पावरग्रिड में एक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति है। समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर होती हैं और उनमें नियमित आधार पर केपीआई की समीक्षा की जाती है और लेखापरीक्षा समिति बोर्ड को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाता है।

- **एकीकृत प्रबंधन नीति**

  पावरग्रीड प्रतिबद्ध हैं :

  - समय, लागत, प्रौद्योगिकी तथा मूल्यवर्द्धन पर यथेष्ठ ध्यान देते हुए एक दक्ष तथा प्रभावी ''राष्ट्रीय ग्रिड'' की स्थापना तथा अनुरक्षण करना।
  - प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के जरिए तथा परिहार्य, न्यूनीकरण तथा प्रशमन के सिद्धांतों पर पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाकर स्थायी संधारणीयता विकास।
  - सुरक्षित पेशेवर, खतरा मुक्त तथा स्वस्थ कार्य माहौल को सुनिश्चित करना।
  - अपने क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में पणधारकों को संतुष्ट करना तथा अपनी प्रबंधन प्रणालियों तथा पद्धतियों में कानूनी तथा विनियामक प्रावधानों के समानुरूप निरंतर सुधार करने का प्रयास करना।

- **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं पर्याप्तता**

  नियंत्रणों की पर्याप्तता, सामग्री की जांच, वित्तीय उपयुक्तता पक्ष और अनुपालन कार्यान्वयन तंत्र का सत्यापन करने के लिए पावरग्रिड में गहन नियंत्रण आंतरिक तंत्र है।

  वित्तीय रिपोर्टिंग एप्रोच पर आंतरिक नियंत्रण, लाभ सूची प्रबंधन, राजस्व (पारेषण, दूरसंचार और परामर्श) प्रापण और भुगतेय प्रबंधन जैसे प्रचालनों और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान जैसी संस्थाओं के समर्थन प्रचालनों, पूंजी परियोजनाओं और अचल परिसंपत्तियों, सामान्य लेखांकन और रिपोर्टिंग, मानव संसाधन और वेतन नामावली प्रबधांन, खजाना प्रबंधन निवेश और नकद तथा बैंक जैसे मुख्य प्रचालनों के लिए स्थापित किया गया है।

  कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित धारा 179 के प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए थे। कंपनी के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के घनिष्ठ संपर्क से अनुभवी लागत/सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है ताकि स्थापित जांच और संतुलन तथा आंतरिक नियंत्रणों/प्रणालियों की प्रभावकारिता सुनिश्चित की जा सके। निगम का आंतरिक लेखारीक्षा विभाग भी आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए प्रणाली लेखापरीक्षा और प्रबंधन लेखापरीक्षा करता है। आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य क्षेत्र और प्राधिकार लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित आंतरिक लेखापरीक्षा योजना से लिया गया है।

  लेखापरीक्षा समिति की बैठक नियमित अंरातल पर आयोजित की जाती है। लेखापरीक्षा समिति के महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय निष्कर्षों को समीक्षा, चर्चा और तत्पश्चात कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

- **कंपनी की परिसंपत्तियों/लाभ की हानि आदि के लिए कंपनी का बीमा**

  पावरग्रिड की (i) सभी एचवीडीसी केंद्र (बैक टु बैक और बाइपोल सहित) नियंत्रण कक्ष भवन सहित स्विचयार्ड क्षेत्र में उपस्कर तथा (iii) पावरग्रिड के स्वामित्व में सभी कार्यालय भवनों और उनकी परिसंपत्तियों के लिए बाहरी बीमा कंपनी से मेगा बीमा नीति है। इस मेगा बीमा नीति में आग मशीनरी की खराबी प्राकृतिक आपदा, भूकंप और आतंकवाद के कारण हुई क्षति/हानि शामिल की जाती है और एचवीपीडीसी सिस्टम के लिए व्यापारिक व्यवधान हानि भी शामिल की जाती है।

  इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड सभी एसी सबस्टेशनों और अन्य पारेषण लाइनें पारेषण लाइनों तथा अन्य सभी परिसंपत्तियों, जिनको मेगा बीमा नीति में शामिल नहीं किया गया है, को शामिल करने के लिए स्वबीमा योजना भी बनाए रखता है। स्वबीमा योजना के अंतर्गत आग, प्राकृतिक आपदा/भूकंप, आतंक के कारण काफी क्षति/हानि को शामिल किया जाता है, जिसके लिए हमारे सकल ब्लॉक के 0.12 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान किया जाता है।

- **खरीद प्रक्रिया के लिए ई-रिवर्स नीलामी**

  अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उत्तरोतर प्रयोग के अग्रणी के रूप में पावरग्रिड ने अपनी खरीद प्रक्रिया के लिए ई-रिवर्स नीलामी (ईआरए) अपनाई है। एक गतिशील ऑनलाइन रीयल टाइम प्रक्रिया ईआरए सोर्सिंग नीति युक्ति में एक रणनीतिक युक्ति है जिसे एक उचित और पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्द्धी कीमतों का पता लगाने के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह सभी आपूर्तिकर्ताओं और स्थानों पर साधारण, शीघ्र परिणाम और प्रतिस्पर्द्धा मूल्यन की व्यवस्था करता है। खर्च में कमी करके, आपूर्ति बाजार आसूचना में सुधार करके और प्रक्रिया पारदर्शिता उपलब्ध कराकर ईआरए प्रक्रिया आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के लिए लाभदायक है। इसके अतिरिक्त, यह किसी बोली की प्रतिस्पर्द्धात्मकता के संबंध में रीयल टाइम फीड बैक उपलब्ध करती है।

वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2016 से भारतीय लेखांकन मानक (इंड ए एस) अपनाया है और तदनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय विवरण तथा तुलनात्मक विवरण उनमें वर्णित मान्यता और मापन सिद्धांतों और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

इंडएएस के तहत कंपनी के वित्तीय विवरण पहली बार तैयार किए गए हैं। इंड एस में संक्रमण की तारीख 01 अप्रैल, 2015 है। इंड एस संक्रमण के प्रभाव विस्तृत वित्तीय विवरणों में दिए गए हैं।

राजकोषीय वर्ष 2016 की राजकोषीय वर्ष 2017 से तुलना

राजकोषीय वर्ष 2017 में कुल आय ₹26581.46 थी जो राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹21,243.30 करोड़ की कुल आय की तुलना में 25.13 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है। राजकोषीय वर्ष 2017 में पारेषण तथा पारेषण संबंधित क्रियाकलापों ने हमारी कुल आय के 92.66 प्रतिशत का संघटन किया जबकि शेष राशि हमें अपने परामर्शी, दूरसंचार व्यवसाय तथा अन्य आयों से प्राप्त हुई।

आय

प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

प्रचालनों से राजस्व	राजकोषीय 2017	राजकोषीय 2016
पारेषण प्रभारों से राजस्व	24,630.28	19,808.10
परामर्शी-परियोजना प्रबंध और पर्यवेक्षण	582.43	465.46
दूरसंचार से राजस्व	503.83	392.25
कुल	**25,716.54**	**20,665.81**

हमारे प्रचालन परिणामों को प्रभावित करने वाले कारक

प्रशुल्क मानदंड

पारेषण ग्राहकों के लिए हमारे प्रभार केंद्र सरकार की प्रशुल्क नीति तथा विधान के अनुसरण में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (''सीईआरसी'') द्वारा निर्धारित प्रशुल्क मानदंडों द्वारा अभिशासित किए जाते हैं। टैरिफ नीति के अनुसार केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधनों एवं शर्तो को निर्दिष्ट करते समय टैरिफ नीति द्वारा मार्गदर्शित होगा। सीईआरसी ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना द्वारा टैरिफ ब्लॉक 2014-19 के लिए विद्युत में अंतरराज्यीय पारेषण के लिए प्रयुक्त संचार सहित पारेषण प्रणाली के लिए प्रयोज्य टैरिफ विनियमों को अधिसूचित किया है जो 01.04.2014 से 31.03.2019 तक लागू रहेंगे। विनियमों के तहत हमें अपने ग्राहकों से वार्षिक नियत लागत (''एएफसी'') की वसूली हेतु पारेषण प्रभार प्रभारित करने की अनुमति है जिसमें शामिल संघटक हैं - इक्विटी पर प्रतिशत, बकाया ऋण पर ब्याज, मूल्य ह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण व्यय तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज।

इक्विटी पर प्रतिफल का परिकलन संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी दर पर इक्विटी पर प्रतिफल की 15.5 प्रतिशत की आधार दर संकलित करके पूर्व कर आधार पर किया जाता है। पहली अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात चालू की गई परियोजनाओं के मामले में इक्विटी पर 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिफल अनुमत किया जाएगा यदि ऐसी परियोजनाएं ब्लॉक वर्ष 2014-19 के लिए सीईआरसी प्रशुल्क विनियम के तहत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पूर्ण हो जाती हैं। तथापि, 50 किलोमीटर से कम लंबाई वाली पारेषण लाइन के लिए 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त आरओई अनुमत्य होगा। आरओई की दर ऐसी अवधियों के लिए 1 प्रतिशत तक घटाई जा सकती है जैसाकि सीईआरसी द्वारा निर्णय लिया जाता है यदि किसी पारेषण प्रणाली का डाटा टेलीमीटर, भार प्रेषण केंद्र या संरक्षण प्रणाली तक संचार प्रणाली को चूल किए बिना वाणिज्यिक प्रचालन के तहत घोषित किया जाता है।

प्रशुल्क अवधि 2014-19 के वर्ष के लिए ऋण पूंजी की वापसी अदायगी को उस वर्ष के लिए अनुमत मूल्यह्रास के समतुल्य माना जाता है। आपकी कंपनी द्वारा उपभोग की गई किसी स्थगन अवधि के बावजूद, ऋण की वापसी अदायगी परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रशुल्क हेतु विचार में ली जाती है तथा यह अनुमत वार्षिक मूल्यह्रास के समतुल्य होगी।

कार्यशील पूंजी पर ब्याज के लिए कार्यशील पूंजी परिकलन में निम्न को शामिल किया जाता है : (i) दो माह की नियत लागत के समतुल्य प्राप्य राशि; (ii) प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय के 15 प्रतिशत की दर पर अनुरक्षण के अतिरिक्त पुर्जे; तथा (iii) एक माह के लिए प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय। कार्यशील पूंजी पर वर्ष के लिए ब्याज दर मानदंडात्मक आधार पर है तथा 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार अथवा उस वर्ष की पहली अप्रैल की स्थिति के अनुसार जिसमें पारेषण प्रणाली को वाणिज्यिक प्रचालन में घोषित किया जाता है तथा 2014-15 से 2018-19 तक की टैरिफ अवधि के लिए 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पारेषण प्रणाली को वाणिज्यिक प्रचालन में घोषित किए जाने वाले वर्ष की पहली अप्रैल को जो भी बाद में हो, एसबीआई आधार दर जमा 350 आधार बिंदु (बैंक दर) है।

प्रशुल्क ब्लॉक वर्ष 2014-19 के लिए सीईआरसी द्वारा निर्धारित प्रशुल्क मानदंडों के तहत आपकी कंपनी को प्रचालनात्मक मानदंड हासिल करने पर पारेषण प्रभार की वसूली अनुमत है। एसी सिस्टम और एचवीडीसी सिस्टम के लिए क्रमशः 98 प्रतिशत और 95 प्रतिशत प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि हमारे पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता वैकल्पिक करेंट प्रणालियों से ऊपर और 99.7 प्रतिशत एचवीडीसी प्रणालियों के संबंध में 96 प्रतिशत से ऊपर और 99.75 प्रतिशत तक है तथा दंडित किया जाता है यदि हमारे नेटवर्क की उपलब्धता क्रमशः 98 प्रतिशत, 95 प्रतिशत से कम है। उपलब्धता प्रोत्साहन मासिक पारेषण प्रभारों के साथ संबद्ध है।

टीबीसीबी के तहत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क लागत आधार पर नहीं होता है और इसका निर्धारण बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसमें सफल बोलीदाता वह होगा जिसने निर्मित स्वामित्व प्रचालन और अनुरूप (बूम) आधार पर 35 वर्षों के लिए पारेषण परियोजनाएं स्थापित करने का कोटेशन दिया हो।

लाभभोगियों द्वारा पारेषण प्रणाली को साझा करना सीईआरसी द्वारा जारी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यीय पारेषण में पारेषण प्रभारों और हानियों को साझा करना) विनियम, 2010 द्वारा शासित होते हैं। अंतरराज्य पारेषण प्रभार एवं हानि संबंधी विनियम, 2010 जो दिनांक 01.7.2011 से प्रवृत्त हुआ के अनुसार सीटीयू के रूप में पावरग्रिड सभी आईएसटीएस लाइसेंसी और कुछ गैर-आईएसटीएस लाइसेंसियों, जिनकी लाइनें आईएसटीएस के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु आरपीसी द्वारा प्रभावित की गई है की ओर से बिलिंग संग्रहण और संवितरण (बीसीडी) के कार्यकलाप निष्पादित कर रहा है।

विदेशी मुद्रा विनियम दर अंतर

ब्लॉक वर्ष 2014-19 के लिए प्रशुल्क विनियमों के तहत आपकी कंपनी के पास विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और पारेषण प्रणाली के लिए अधिगृहीत विदेशी ऋण की आंशिक या पूर्ण वापसी अदायगी के संबंध में विदेशी मुद्रा देनदारी की संरक्षा करने तथा संगत वर्ष में मानदंडात्मक विदेशी ऋण के सदृश विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर संरक्षा की लागत वसूल करने का विकल्प है।

यदि विदेशी मुद्रा देनदारी की संरक्षा नहीं की जाती तो संगत वर्ष में मानदंडात्मक विदेशी मुद्रा ऋण के सदृश ब्याज भुगतान तथा ऋण पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त रूपया देयता अनुमत है बशर्ते कि यह उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारक या इसके आपूर्तिकर्ताओं या संविदाकारों पर आरोप्य न हो। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा देनदारी की कोई संरक्षा नहीं ली गई है।

अन्य सेवाओं से राजस्व

आपकी कंपनी परामर्श से (जिसमें परियोजना प्रबंधन तथा पर्यवेक्षी सेवाओं के लिए परामर्श शामिल हैं) तथा हमारे दूरसंचार व्यवसाय से भी राजस्व अर्जन करती है। हमारी परामर्शी आय में मुख्यतः ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों, संचार प्रणाली संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन तथा भारतीय राज्य यूटिलिटियों, अन्य देशों में सयुक्त उद्यम कंपनियों तथा सहायक कंपनियों के लिए तकनीकी परामर्शी समनुदेशनों से शुल्क शामिल है। परामर्शी राजस्व से आय राजकोषीय वर्ष 2017 में ₹582.43 करोड़ है जबकि राजकोषीय वर्ष 2016 में यह ₹465.46 करोड़ थी जो 25.13 प्रतिशत की वृद्धि है।

हमारे दूरसंचार व्यवसाय से राजस्व मुख्यतः हमारी फाइबर ऑप्टिक लाइनों की बैंथविड्थ को लीज देने के करण है। दूरसंचार राजस्व में राजकोषीय वर्ष 2017 में ₹503083 करोड़ थी जो राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹392.25 करोड़ थी अर्थात 28.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अन्य आय

आपकी कंपनी की अन्य आय राजकोषीय वर्ष 2017 में ₹ 864.92 करोड़ थी जो राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹ 577.49 करोड़ की अन्य आय की तुलना में 49.77 प्रतिशत अधिक है।

अन्य आय में वृद्धि अधिभार में ₹95.59 करोड़ की वृद्धि सहायक बैंकों कंपनियों से ऋण पर ₹126.27 करोड़ के ब्याज पर आय के रूप में ₹39.43 करोड़ के कारण हुई।

व्यय को निम्न प्रकार श्रेणीकृत किया गया है : (i) कर्मचारी लाभ व्यय (ii) वित्त लागतें, (iii) मूल्यह्रास व ऋणमुक्ति व्यय, (iv) अन्य व्यय।

आपकी कंपनी का कुल व्यय राजकोषीय वर्ष 2017 में ₹17081.83 करोड़ था जो राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹13702.74 करोड़ के कुल व्यय से 24.66 प्रतिशत अधिक है। कुल आय के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय राजकोषीय वर्ष 2017 में 64.50 प्रतिशत की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2016 में 64.25 प्रतिशत था।

(i) कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ व्ययों में वेतन तथा मजदूरी, प्रोत्साहन, भत्ते, भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान तथा कर्मचारी कल्याण व्यय शामिल हैं।

आपकी कंपनी की वेतन नामावली में कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 8606 कर्मचारी की तुलना में 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 8887 थी 3.26 प्रतिशत की वृद्धि है। कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ राजकोषीय वर्ष 2016 में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से इस वृद्धि का मुख्य कारण 01.01.2017 से लागू कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए ₹204.51 करोड़ के प्रभाव के कारण हुआ जिसमें से ₹107.75 करोड़ उपदान की सीमा में ₹10 लाख से ₹20 लाख की प्रस्तावित वृद्धि है।

(ii) वित्त लागत

वित्त लागत राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹5,134.93 करोड़ में 22.76 प्रतिशत बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2017 से ₹6,303.83 करोड़ हो गई। यह वृद्धि राजकोषीय वर्ष 2016 और 2017 में शुरू की गई नई परियोजनाओं के लिए भुनाए जाने वाले प्रतिभूति/अप्रतिभूत बांडों से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण पर ब्याज के कारण था।

(iii) मूल्यह्रास तथा ऋण आस्थगन व्यय

आपकी कंपनी का मूल्यह्रास तथा ऋण स्थगन व्यय राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹6179.80 करोड़ से 24 प्रतिशत बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2017 में ₹7662.80 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः ₹29,029.34 करोड़ मूल्य की नई पारेषण आस्तियों के चालू किए जाने के कारण हुई।

प्रत्येक मूल्यह्रास योग्य आस्ति श्रेणी की सीईआरसी द्वारा यथानिर्धारित तकनीकी जीवनावधि को ध्यान में रखकर मूल्यह्रास प्रयोज्य किया गया हैं नामतः पारेषण लाइन 35 वर्ष और सब स्टेशन - सीधी रेखा पद्धति पर 25 वर्ष परामर्शी तथा दूरसंचार व्यवसायों की आस्तियों की मूल्यह्रास दरें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लाभदाय जीवन के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रदान की गई है। 01 अप्रैल, 2014 से पूर्व चालू की गई यूएलडीसी आस्तियां 6.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सीधी रेखा विधि पर मूल्यहासित हैं।

(iv) अन्य व्यय

अन्य व्ययों में मुख्य रूप से भवनों संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत और अनुरक्षण तथा विद्युत प्रभार शामिल होते है। अन्य व्ययों में राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹1394,19 करोड़ में 24.64 वृद्धि होकर राजकोषीय वर्ष 2017 में ₹737.87 करोड़ हो गया। अन्य व्ययों में वृद्धि मुख्यतः संयंत्र और मशीनरी के मरम्मत और अनुरक्षण में ₹119.42 करोड़, विद्युत प्रभार में ₹167.17 करोड़ तथा सीएसआर व्यय में ₹28.53 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

कर-पूर्व लाभ

आपकी कंपनी का कर-पूर्व लाभ राजकोषीय वर्ष 2017 में ₹9,499.83 करोड़ था जो राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹7540.56 करोड़ था। यह कर-पूर्व लाभ पहले की तुलना में 25.98 प्रतिशत है।

कर के लिए प्रावधान

राजकोषीय वर्ष 2017 में हमने ₹1988.45 करोड़ के न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए प्रावधान किया जबकि इसकी तुलना में राजकोषीय वर्ष 2016 में यह न्यूनतम वैकल्पिक कर ₹1,574.79 करोड़ था। इस वृद्धि का मुख्य कारण राजकोषीय वर्ष 2017 में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में संवृद्धि का होना था।

अस्थगित कर के लिए प्रावधान मुख्यतः आयकर प्रावधानों के तहत उपलब्ध उच्चतर मूल्यह्रास दरों के कारण समय अंतर के संबंध में किया जाता है।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2014-19 के लिए टैरिफ मानदंड पारेषण आय पर वर्ष के दौरान अदा किए गए वास्तविक कर पर आधारित वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर पर आधारित इक्विटी पर प्रतिफल को सकल बनाने का प्रावधान करते हैं। तदनुसार, पारेषण आय पर 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्रदान किए गए अस्थगित कर को अस्थगित कर समाप्त के विरुद्ध अस्थगित आस्तियों के रूप में हिसाब में लिया गया है। वर्ष के अस्थगित कर देनदारी के विरुद्ध अस्थगित आस्ति को भविष्य के वर्षों में दिया जाएगा जब संबंधित अस्थगित कर देनदारी चालू कर का भाग बनती है।

विनियामक आस्थगीय खाता शेष में निवल संचलन

इंड एएस 114 विनियामक आस्थगीत खाता के प्रावधानों के अनुसार सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत भविष्य में लाभग्रहियों को प्रतिपूर्ति किए जाने वाले/उन्हें दिए जाने वाले कुल व्यय और आय का लेखा-जोखा लाभ और हानि विवरण में उस सीमा तक किया जाना है जिस सीमा तक ऐसे व्यय और आय को सीईआरसी विनियमों के तहत प्रशुल्क के भाग के रूप में वसूलनीय/भुगतेय विनियामक/आस्थगीय परिसंपत्ति/देनदारी माना जाता है। राजकोषीय वर्ष 2017 के लिए विनियामक आस्थगीत खाता शेष में निवल संचलन (₹0.05) करोड़ की तुलना में शेष में निवल ₹69.93 करोड़ हुआ।

कर पश्च लाभ

आपकी कंपनी का कर पश्च लाभ राजकोषीय वर्ष 2017 में ₹7,520.15 करोड़ था जो राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹5,948.50 करोड़ के कर पश्च लाभ की तुलना में 26.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अन्य गहन आय

राजकोषीय वर्ष 2017 में आपकी कंपनी की अन्य गहन आय 49.83 करोड़ थी जबकि राजकोषीय वर्ष 2016 में (₹11.97) करोड़ थी।

तरलता तथा पूंजी संसाधन

आपकी कंपनी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने तथा पूंजी आवश्यकता का निधियन करने के लिए नकदी के आंतरिक तथा बाह्य संसाधन दोनों पर निर्भर हैं। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी के पास ₹3228.43 करोड़ की नकदी तथा नकदी समतुल्य थी। जबकि 31 मार्च, 2016, ₹1,540.64 थी। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹2500 करोड़ की कार्यशील पूंजी में से आपकी कंपनी ने लैटर आफ क्रेडिट तथा बैंक गारंटी के रूप में सुविधा के रूप में ₹995.45 करोड़ का प्रयोग किया था जिसमें से ₹1,504.55 करोड़ बच गया था।

नकदी प्रवाह

(₹करोड़ में)

प्रचालनों से राजस्व	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी	21,344.96	15,119.76
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	(23,527.70)	(20,904.41)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी	3,870.53	5,272.70
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य	3,228.43	1,540.64

प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी

आपकी कंपनी के प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाहों का प्रयोग मुख्य रूप से पूंजीगत व्ययों के लिए दीर्घावधिक ऋण के शोधन के लिए निवेशों के लिए तथा लाभांशों के लिए किया जाता है।

प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹15,119.26 करोड़ की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2017 में ₹21,344.96 करोड़ थी।

निवेश क्रियाकलापों में निवल नकदी

आपकी कंपनी की निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी की राशि राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹20,904.41 करोड़ की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2017 में ₹23,527.70 करोड़ थी।

वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी

राजकोषीय वर्ष 2017 में आपकी कंपनी को वित्तीय क्रियाकलापों से ₹3870.53 करोड़ का निवल नकद प्रवाह प्राप्त हुआ जबकि राजकोषीय वर्ष 2016 में यह राशि ₹5272.70 करोड़ थी। आपकी कंपनी ने ₹19,342.85 करोड़ के नए उधार जुटाए। इन उधारों

में मुख्यतः मूल्यवर्ग के बांड और विदेशी करेंसी बांड शामिल थे। कंपनी ने ₹8092.24 करोड़ के उधारों की वापस अदायगी कर दी तथा ₹5802.20 करोड़ के ब्याज तथा वित्त प्रभार अदा किए। राजकोषीय वर्ष 2017 में हमने ₹1,313.12 करोड़ के लाभांश अदा किए जिनमें राजकोषीय वर्ष 2016 के लिए अंतिम लाभांश तथा राजकोषीय वर्ष 2017 के लिए अंतरिम लाभांश शामिल हैं।

अनाहरित लिया गया घरेलू और विदेशी ऋण

31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार न लिए गए घरेलू और विदेशी मुद्रा की स्थिति इस प्रकार है :

घरेलू ऋण

घरेलू	संस्वीकृत सीमा (₹करोड़ में)	लिया गया (₹करोड़ में)	न लिया गया (₹करोड़ में)
आई एन आर (₹)	13,000	8,810	4,190

आईएनआर - भारतीय राष्ट्रीय रुपए

विदेशी मुद्रा ऋण

मुद्रा	संस्वीकृत सीमा (₹ करोड़ में)	लिया गया (₹ करोड़ में)	न लिया गया (₹ करोड़ में)
यूएसडी ($)	2250.00	1397.63	852.37
यूरो (£)	555.01	230.08	324.93
एस ई के (के आर)	3304.50	2835.53	468.97

यूएसडी - अमेरिकी डालर
यूरो - यूरोपीय मुद्रा
एस ई के - स्वीडिश क्रोन

पूंजीगत व्यय

आपकी कंपनी के पूंजीगत व्यय प्रमुखतः नई पारेषण क्षमता की संस्थापना तथा विद्यमान क्षमता के विस्तार के लिए है। राजकोषीय वर्ष 2017 तथा राजकोषीय वर्ष 2016 में हमारा पूंजीगत व्यय क्रमशः ₹24,429 करोड़ तथा ₹22,584 करोड़ थी।

निवल पूंजी पर प्रतिफल

राजकोषीय वर्ष 2017 में हमारे निवल पूंजी पर प्रतिफल 15.10 प्रतिशत रहा जबकि राजकोषीय वर्ष 2016 में यह 13.58 प्रतिशत था।

गैर-चालू आस्तियां

आपकी कंपनी की गैर-चालू आस्तियां 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को क्रमशः ₹1,83,507.15 करोड़ और ₹1,68,719.33 करोड़ थीं। गैर-चालू आस्तियों को (i) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर चालू; (ii) प्रगति में पूंजीगत कार्य; (iii) विकासाधीन मूृत आस्तियां; (iv) अन्य आमूर्त आस्तियां (v) निवेश; (vii) ऋण; (vii) अन्य गैर-चालू वित्तीय आस्तियां और (viii) अन्य गैर-चालू आस्तियों में श्रेणीबद्ध किया गया है।

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

इंड एएस 101 के अनुसरण में भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाने पर आपकी कंपनी ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वहनीय क्षमता को लागत माने जाने पर विचार किया है अर्थात सकल ब्लॉक जिसमें से संचित मूल्यह्रास घटा लिया गया हो। इसके कारण तथा अन्य इंड एएस के समायोजन के कारण संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का सकल ब्लॉक दिनांक 01.04.2015 तक की स्थिति के अनुसार ₹117,305.35 करोड़ से घटकर ₹88,765.71 करोड़ हो गया था।

राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹1,13,991.76 करोड़ की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर थे। राजकोषीय वर्ष यह 2016 में ₹1,34,252.57 करोड़ की तुलना 17.77 प्रतिशत की वृद्धि है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) में मुख्य रूप से भूमि, भवन, पारेषण लाइनें, सब स्टेशन, एचवीडीसी, यूएलडीसी उपस्कर, फर्नीचर और फिक्सचर आदि शामिल हैं।

(ii) अन्य अमूर्त आस्तियां

अन्य अमूर्त आस्तियों में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और मार्गाधिकार वानिकीकरण व्यय शामिल हैं। अपरिशोधित (ऋण न चुकाई गई) अमूर्त आस्तियों का मूल्य राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹950.54 करोड़ से बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2017 में ₹1255.39 करोड़ हो गया, जो 32.07 प्रतिशत की वृद्धि है।

(iii) चालू पूंजीगत कार्य

आपकी कंपनी का चालू पूंजीगत कार्य 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹35,806.80 करोड़ तथा ₹43,623.04 था जो 17.92 प्रतिशत की कमी है। खपत की गई सामग्री की लागत उन्निर्माण प्रभार तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपगत अन्य व्यय पूर्ण हुई परियोजना के पूंजीकरण किए जाने तक तुलनपत्र में चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाए गए हैं। इस राशि में परिवर्तन अनेक पारेषण परियोजनाओं की कमीशनिंग पर उन परियोजना के पूंजीकरण के कारण तथा नई पारेषण परियोजनाएं शुरूकरने के कारण है।

(iv) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

मार्गाधिकारण वानिकीकरण व्यय तथा 1200 केवी पारेषण सिस्टम के विकास पर उपगत व्यय, तुलन पत्र में विकासाधीन अमूर्त आस्तियों के रूप में दर्शाए गए है। विकासाधीन अमूर्त आस्तियों का मूल्य 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹77.33 करोड़ तथा ₹172.11 करोड़ था जो राजकोषीय वर्ष 2017 के दौरान पारेषण परियोजनाओं के संबंध में व्यय के पूंजीकरण के कारण था।

(v) निवेश

निवेश को चालू तथा गैर चालू श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार गेर-चालू निवेश तथा चालू निवेश ₹112.08 करोड़ तथा ₹1243.43 करोड़ थे जबकि 31 मार्च, 2016 के अनुसार क्रमशः ₹76.80 करोड़ तथा ₹759.28 करोड़ चालू श्रेणी के अंतर्गत किए गए निवेश वे निवेश हैं जो पीटीसी लिमिटेड में किए गए है और जिनकी गणना अंकित मूल्य पर की जाती है। राजकोषीय वर्ष 2017 में गैर-चालू श्रेणी में किए गए निवेशों में वे निवेश शामिल हैं जो संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश के रूप में किए गए हैं। संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए मुख्य निवेश निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	31.03.2017 तक स्थिति के अनुसार निवेश (₹करोड़ में)
1	(सहायक) पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	162.00
2	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	209.73
3	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.96
4	पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	25.10
	संयुक्त उद्यम	
5	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	229.32
6	टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	23.40
7	जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	78.00
8	पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	70.94
9	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	94.28
10	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	106.96
11	नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	30.40
12	क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.62
13	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	148.50
14	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	4.88
15	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	3.40

(vi) ऋण

ऋणों को संबंधित पक्ष को ऋण तथा कर्मचारियों को ऋण दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 31 मार्च, 2017 को संबंधित पहले और कर्मचारियों का ऋण क्रमशः ₹3486.13 करोड़ तथा ₹132.28 करोड़ था जबकि 31 मार्च, 2016 को यह ऋण क्रमशः ₹1159.84 करोड़ तथा ₹144.97 करोड़ था। राजकोषीय वर्ष 2016 से राजकोषीय वर्ष 2017 में ऋणों में वृद्धि मुख्य रूप से सहायक कंपनियों को अप्रतिभूत ऋणों में वृद्धि के कारण थी जो प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) रूट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिग्रहित परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

(vii) अन्य गैर-चालू वित्तीय आस्तियां

आपकी कंपनी की 31 मार्च, 2017 और 2016 के अन्य गैर-चालू आस्तियां क्रमशः ₹793.55 और ₹6880.78 करोड़ थी जो 9.90 प्रतिशत की कमी है।

(viii) अन्य गैर-चालू आस्तियां

आपकी कंपनी की गैरर चाल आस्तियां 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹6347.52 और ₹6960.18 करोड़ की जो 8.80 प्रतिशत की कमी है। अन्य गैर-चालू आस्तियों में पूंजी व्यय के लिए अग्रिम, आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव अस्ति, वस्तु रूप में प्राप्य वसूलनीय या प्राप्त होने के लिए अग्रिम।

चालू आस्तियां

31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 के आपकी कंपनी की आस्तियां क्रमशः ₹11,064.71 करोड़ तथा ₹9,652.25 करोड़ थी। चालू आस्तियों को (i) मालसूची (ii) व्यापार से प्राप्त आय (iii) नकद और नकद समतुल्य (iv) अन्य चालू वित्तीय आस्तियों (v) अन्य चालू आस्तियों में श्रेणीकृत किया गया है।

(i) वस्तु सूचियां

वसतु सूचियों का मूल्य निर्धारण भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत तथा निवल वसूलनीय मूल्य में से निम्तर पर किया जाता है। वस्तु सूचियों की लागत 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹906.95 करोड़ की थी जबकि राजकोषीय वर्ष 2016 की स्थिति के अनुसार वस्तु सूचियों की लागत ₹707.43 करोड़ थी। हमारी वस्तु सूचियों में पारेषण लाइन मदें यथा टावर पुर्जे, कंडक्टर, इंसूलेटर तथा मदें एवं उपकेंद्र मदें यथा ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर आईसीटी तथा अन्य मदें शामिल हैं। हमारी वस्तु सूचियों की लागत राजकोषीय वर्ष 2016 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2017 में आपकी कंपनी द्वारा पारेषण नेटवर्क का विस्तार करना तथा नई परियोजनाओं का पूंजीकरण किया जाना जारी रखने के कारण बढ़ गई।

(ii) व्यापार से प्राप्त राशि

व्यापार से प्राप्य राशि में मुख्यतः पारेषण सेवाओं से जुड़ी प्राप्य राशि तथा साथ ही परामर्शी सेवाओं तथा दूरसंचार सेवाओं से प्राप्य राशि भी शामिल है। हमारी व्यापार प्राप्य राशियां 31 मार्च, 2017 तथा 2016 की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹3221.10 करोड़ तथा ₹2,737.90 करोड़ थी। व्यापार प्राप्य राशियों में राजकोषीय वर्ष 2016 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2017 में 17.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यापार से प्राप्त राशि की औसत संग्रहण अवधि राजकोषीय वर्ष 2016 में 48 से घटकर राजकोषीय वर्ष 2017 में 46 दिन रह गई है।

(iii) नकद और नकद समतुल्य

31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार नकद और नकद समतुल्य की राशि क्रमशः ₹3,228.43 करोड़ और ₹1,540.64 करोड़ थी। सावधि जमाओं और बैंक शेष के कारण राजकोषीय वर्ष 2016 की तुलना में राजकोषीय 2017 में 109.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(iv) अन्य चालू वित्तीय आस्तियां

31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को हमारी चालू परिसंपत्तियां क्रमशः ₹3,334.43 करोड़ और ₹3361.90 करोड़ थी।

(v) अन्य चालू आस्तियां

31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को हमारी चालू परिसंपत्तियां क्रमशः ₹224 करोड़ और ₹538.19 करोड़ थी।

ऋणग्रस्तता

हम रुपया तथा विदेशी मुद्रा मूल्यवर्धित उधारों, दोनों पर निर्भर हैं। हमारे विदेशी निधियन का एक महत्त्वपूर्ण भाग बहुपक्षीय अभिकरणों जैसे विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा ऋणों के जरिए है, जहां ऐसे ऋणों के तहत हमारे निष्पादन की गारंटी भारत सरकार देती है।

निम्न सारणी में मुद्रा के अनुसार हमारा बकाया कर्ज तथा अवधियां दी गई हैं जिनके दौरान ऋण राशियां परिपक्व होंगी या भुगतान अन्यथा देय हैं। मुद्रा रूपांतरण 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

ऋण का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	केवल 2021-22 के आगे	कुल
घरेलू बांड (1)	3812.37	5211.98	6742.97	5007.97	51586.55	72361.84
घरेलू बांड (2)	454.00	454.00	1454.00	1454.00	9540.00	13356.00
विदेशी मुद्रा ऋण						
अमरीकी डालर	1613.62	1693.80	1781.61	1919.38	20448.95	27457.36
यूरो	53.02	53.02	220.88	388.74	980.59	1696.25
एस ई के	291.03	291.03	291.03	291.03	1056.12	2220.24
जे पी वाई	10.70	10.70	10.70	10.70	63.42	106.22
कुल (3)	**1968.37**	**2048.55**	**2304.22**	**2609.85**	**22549.08**	**31480.07**
सकल योग (1+2+3)	**6234.74**	**7714.53**	**10501.19**	**9071.82**	**83675.63**	**117197.91**

दीर्घावधिक उधार

31 मार्च, 2017 तथा 2016 की स्थिति के अनसार आपकी कंपनी के दीर्घावधिक उधार क्रमशः ₹10963.17 करोड़ तथा ₹00173.31 करोड़ थे। दीर्घावधिक उधारों में बांडों के हमारे निजी व्यवस्थापन से जुटाई गई राशियां, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से सावधिक ऋण शामिल हैं। गत वार्ष के दौरान नई परियोजनाओं में वर्धित निवेश के कारण हमारे उधार बढ़ गई हैं।

प्रतिभूत ऋण

31 मार्च, 2017 तथा 2016 की स्थिति के अनुसार हमारे प्रतिभूत ऋण (दीर्घावधिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वताओं को छोड़कर) क्रमशः ₹1,04,187.54 करोड़ तथा

₹94,119.79 करोड़ के थे। इनमें से अधिकांश ऋण कंपनी की चल तथा अचल संपत्तियों पर अस्थिर प्रभारों द्वारा प्रतिभूत किए गए हैं। निम्न सारणी में 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूत ऋणों को दर्शाया गया है :

	राशि (₹करोड़ में)	कुल अप्रतिभूत ऋण का प्रतिशत
रूपयों में मूल्यवर्धित बांड	68,549.46	65.79
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अन्य ऋण तथा अग्रिम		
विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित	22,886.08	21.97
रूपए में मूल्यवर्गित	12,752.00	12.24
जोड़	**1,04,187.54**	**100**

अप्रतिभूत ऋण

31 मार्च, 2017 तथा 2016 की स्थिति के अनुसार हमारे अप्रतिभूत ऋण (वर्तमान परिपक्वताओं को छोड़कर) क्रमशः ₹6,775.63 करोड़ तथा ₹6053.32 करोड़ के थे, जिनमें आईएनआर ऋण विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण तथा विदेशी मुद्रा बांड शामिल हैं।

निम्न सारणी 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार हमारे अप्रतिभूत ऋण दर्शाती है :

	राशि (₹करोड़ में)	कुल प्रतिशत ऋण का प्रतिशत
विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांड	3262.79	48.15
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अन्य ऋण तथा अग्रिम		
विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित	3362.84	49.64
रूपए में मूल्यवर्गित	150.00	2.21
जोड़	**6,775.63**	**100**

मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी)

मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम प्रशुल्क का ऐसा घटक है, जिसको परिसंपत्तियों पर किसी वर्ष में मूल्यह्रास के संदर्भ में हुई हानि को पूरा करने और ऋणों की वापसी-अदायगी के लिए प्रभारित करने के लिए हमें ब्लॉक वर्ष 2004-09 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों के तहत अनुमति प्रदान की गई थी। एएडी को 2009-14 के प्रशुल्क ब्लॉक में ही समाप्त कर दिया गया तथा मूल्यह्रास को पुनः परिकलित किया गया। इन प्रशुल्क मानदंडों और मूल्यह्रास की दरों में 1.4.2009 से परिवर्तन के कारण बकाया एएडी को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 12 वर्ष के पश्चात पारेषण आय के रूप में उस सीमा तक माना गया है जहां तक पारेषण प्रणाली के संबंध में प्रभारित मूल्यह्रास प्रशुल्काधीन मूल्यह्रास वसूली से अधिक है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार हमारा एएडी राजकोषीय वर्ष 2016 में ₹1770.66 करोड़ से 8.24 प्रतिशत घटकर राजकोषीय वर्ष 2017 में ₹1624.81 करोड़ हो गया।

चालू देयता

आपकी कंपनी की चालू देयताएं दिनांक 31 मार्च, 2017 को ₹24,759.13 करोड़ की थी (पिछले वर्ष ₹24,284.26 करोड़)। चालू देयताओं में (ii) अल्पावधि उधार (ii) व्यापार संदेय, (iii) अल्प चालू वित्तीय देयताएं (iv) अन्य चालू देयताएं शामिल हैं। दिनांक 31 मार्च, 2016 की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2017 को चालू देयताएं 1.96 प्रतिशत अधिक थी।

(i) अल्पकालिक ऋण

31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी के अल्पकालिक ऋण क्रमशः ₹1,500 करोड़ तथा ₹2,000 करोड़ थे। राजकोषीय वर्ष 2017 के दौरान वाणिज्यिक कागज पेपर जारी कर अल्पकालिक ऋण लिए गए थे।

(ii) व्यापार से प्राप्य आय

31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की व्यापार से प्राप्य आय क्रमशः ₹413.98 करोड़ तथा ₹313.89 करोड़ थे। मार्च 2017 में व्यापार देयताएं 31 मार्च, 2016 की तुलना में 31.89% अधिक कीं।

(iii) अन्य चालू वित्तीय देयताएं

31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 के अनुसार आपकी कंपनी की अन्य चालू वित्तीय देयताएं क्रमशः ₹19,324.61 करोड़ तथा ₹17,840.29 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2017 के लिए अन्य चालू वित्तीय देयताओं में मुख्य रूप से प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत बांडों के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण से प्राप्त वर्तमान परिपक्वता मूल्य और ₹6234.74 करोड़ का विदेशी मुद्रा ऋण, भारतीय और विदेशी बैंकों से ऋण पर उपगत परंतु आदेय ₹3170.83 करोड़ का ब्याज ₹3546.60 करोड़ के पूंजीगत व्यय पर देयताएं और ठेकेदारों से जमा/प्रतिधारण के रूप में ₹5449.79 करोड़ शामिल है। 31 मार्च, 2017 को अन्य चालू वित्तीय देयताएं 31 मार्च, 2016 की अन्य चालू देयताओं की तुलपन पत्र में 8.32 प्रतिशत अधिक थी।

(iv) अन्य चालू देयताएं

31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की अन्य चालू देयताएं क्रमशः ₹2,566.00 करोड़ तथा ₹3,532.56 करोड़ थी। अन्य चालू देयताओं में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम तथा सांविधिक देयताएं शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहायक कंपनियों का व्यवसाय और वित्तीय समीक्षा:

संयुक्त उद्यम कंपनियां

(क) पावरलिंक्स पारेषण लिमिटेड (पावरलिंक्स)

पावरग्रिड और टाटा पावर इस संयुक्त उद्यम कंपनी के संयुक्त उद्यम भागीदार है और क्रमशः 49 प्रतिशत और 51 प्रतिशत की इक्विटी पर इन दोनों कंपनियों का स्वामित्व है। कंपनी का गठन ताला एचईपी से संबद्ध पारेषण लाइनों, पूर्वोत्तर परस्पर - संपर्क और पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश तक उत्तर क्षेत्र पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए किया गया था तथा यह विद्युत पारेषण के क्षेत्र में पावरग्रिड की पहली सरकारी निजी भागीदारी थी। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पावरलिंक्स के ₹483.60 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी और ₹468 करोड़ की संदत्त पूंजी है जिसमें से पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹229.32 करोड़ है और टाट पावर के पास ₹238.68 करोड़ के शेयर है। पॉवरलिंक्सने अगस्त 2006 में अत्तरोत्तर रूप से परियोजना को शुरु किया था और यह 1 सितंबर 2006 से वाणिज्यिक प्रचालन में हैं। पावरलिंक्स ने राजकोषीय वर्ष 2017 के लिए 15 प्रतिशत के कुल लाभांश का भुगतान किया है जो ₹34.40 करोड़ की राशि का है।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2017	राजकोषीय वर्ष 2016
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	229.32	229.32
सकल आय	162.78	178.46
कर पश्चात लाभ	195.78	121.77
प्रति शेयर अर्जन*	4.18	2.60

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक है।

(ख) जेपी पावरग्रिड लिमिटेड (जेपीएल)

कंपनी का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित 1000 मेगावाट करछम वांग्टू जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली का कार्यान्वयन वांग्टू से अब्दुल्लापुर तक किया जाना था। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार जेपीएल की अधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी ₹300 करोड़ है जो ₹10 प्रत्येक के 30,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। इसमें पावरग्रिड की इक्विटी ₹78 करोड़ है 31.02.2017 को जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और पावरग्रिड के अलग-अलग शेयर क्रमशः 734 प्रतिशत और 26 प्रतिशत हैं। जेपीएल ने राजकोषीय वर्ष 2017 के लिए 13 प्रतिशत के कुल लाभांश का भुगतान किया है जिसकी राशि ₹10.14 करोड़ की है। परियोजना को प्रगामी रूप से अप्रैल, 2012 में शुरू किया गया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2017	राजकोषीय वर्ष 2016
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	78.00	78.00
सकल आय	175.22	174.01
कर पश्चात लाभ (हानि)	50.24	51.48
प्रति शेयर अर्जन*	1.67	1.72

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक है।

(ग) टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड (टीपीएल)

कंपनी का मुख्य उद्देश्य गुजरात के सूरत जिले में अखखोल स्थित टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल) के उत्पादन केंद्र की 1100 मेगावाट की गैस आधारित परियोजना (सुगेन) से संबद्ध पारेषण प्रणाली की स्थापना करना था। इस कंपनी में पावरग्रिड और टोरेंट पावर लिमिटेड की क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटी है जिसमें से पावरग्रिड का शेयर ₹23.400 करोड़ है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार टीपीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹125 करोड़ और संदत्त पूंजी ₹90 करोड़ है परियोजना को प्रगामी रूप से मार्च, 2011 में शुरू किया गया और राजकोषीय वर्ष 2017 में पावरग्रिड को 3 प्रतिशत लाभांश का भुगतान करने का टीपीएल ₹3.25 करोड़ है।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2017	राजकोषीय वर्ष 2016
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	23.40	23.40
सकल आय	41.24	56.76
कर पश्चात लाभ	3.45	8.07
प्रति शेयर अर्जन*	0.38	0.90

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक है।

(घ) नॉर्थ ईस्ट पारेषण कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी)

पावरग्रिड ने त्रिपुरा राज्य में स्थापित 726.6 मेगावाट पालाताना गैस आधारित विद्युत परियोजना से संबद्ध 400 केवी डी/सी पालाताना-सिल्वर बोंगईगांव पारेषण परियोजना की पारेषण लाइन स्थापित करने के लिए ओ एन जी सी त्रिपुरा पावर प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (ओ टी पी सी), त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम सरकार, असम विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड, मेघालय तथा नागालैंड के साथ फरवरी, 2009 में एक संयुक्त उद्यम करार निष्पादित किया। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम ''नॉर्थ ईस्ट पारेषण लिमिटेड'' (आई एल एंड एफ एस लिमिटेड) का एक संयुक्त उद्यम है। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार एन ई टी सी एल की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹600 करोड़ और संदत्त शेयर पूंजी ₹411.4 करोड़ है, इसमें पावरग्रिड की इक्विटी ₹106.96 करोड़ है। परियोजना को क्रमिक रूप से फरवरी, 2015 में चालू किया गया।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2017	राजकोषीय वर्ष 2016
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	106.96	106.96
सकल आय	394.52	418.39
कर पश्चात लाभ	31.57	93.97
प्रति शेयर अर्जन*	0.76	2.29

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक है।

(ड.) पार्बती कोलडैम पारेषण कंपनी लिमिटेड (पी के टी सी एल)

पावरग्रिड ने पार्बती-II (800 मेगावाट) एचईपी और कोलडैम (800 मेगावाट) एचईपी से संबद्ध पारेषण लाइनों के कार्यान्वयन हेतु रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (आरईएल) अब रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ 23 नवम्बर, 2007 को एक संयुक्त उद्यम करार किया था। संयुक्त उद्यम मार्ग के जरिए पार्बती तथा कोलडैम पारेषण प्रणालियों का क्रियान्वयन पार्बती कोलडैम पारेषण कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी ने शुरू किया तथा सितम्बर, 2008 में पारेषण लाइसेंस प्राप्त किया। दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार पीकेटीसीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹331.00 करोड़ और संदत्त पूंजी ₹272.82 करोड़ है, इसमें पावरग्रिड की इक्विटी ₹70.94 करोड़ है। परियोजना क्रमिक रूप से नवम्बर, 2015 में शुरूकी गई और इसमें ₹15.16 करोड़ का लाभ है। राजकोषीय वित्त वर्ष 2017 में पावरग्रिड को 3 प्रतिशत लाभ का भुगतान करने का पीकेटीसीएल ₹8.21 करोड़ रहा है।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2017	राजकोषीय वर्ष 2016
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	70.94	70.94
सकल आय	230.44	152.49
कर पश्चात लाभ	71.79	14.88
प्रति शेयर अर्जन*	2.50	0.42

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक है।

(च) तीस्तावैली पावर पारेषण लिमिटेड (टीपीटीएल)

पावरग्रिड ने तीस्ता-III की पारेषण लाइनों अर्थात किशनगंज उपकेंद्र (करणडिगी) तक 1200 मेगावाट तीस्ता-III जल विद्युत पावर परियोजना से संबद्ध 400 केवी डी/सी लाइन के कार्यान्वयन हेतु तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) के साथ 23 नवम्बर, 2007 को एक संयुक्त उद्यम करार किया, इस संयुक्त उद्यम में पावरग्रिड की इक्विटी शेयरधारिता 26 प्रतिशत और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) की इक्विटी शेयरधारिता 74 प्रतिशत की है तथा कंपनी को राजकोषीय वर्ष 2009 में पारेषण लाइसेंस प्राप्त हुआ है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार टीपीटीएल की प्राधिकृत अंश पूंजी ₹500 करोड़ और प्रदत्त पूंजी ₹362.61 करोड़ है, जिसमें पावरग्रिड की इक्विटी ₹94.28 करोड़ की है। चूंकि परियोजना क्रियान्वयन है, इसे कोई प्रचालन लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एन एच पी टी एल)

एनएचपीटीएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावरग्रिड, डीवीसी और सीपीआरआई की प्रत्येक की 20 प्रतिशत समान इक्विटी प्रतिभागिता वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। एनएचपीसीएल का मुख्य उद्देश्य देश में एक आनलाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट सुविधा स्थापित करना है। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र, स्वशासित, अत्याधुनिक, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी की ऑनलाइन हाई

पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट सुविधा होगी जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी की ₹153 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी और ₹152 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूंजी है जिसमें से पावरग्रिड के ₹30.40 करोड़ के शेयर है। एनएचपीटीएल को आशा थी कि चरण-I के तहत इसकी प्रयोगशाला का हाई वोल्टेज ट्रांसफामर (एचवीटीआर) सेक्शन जुलाई, 2017 में वाणिज्यिक रूप से आरंभ हो जाएगा। चरण-I 50 एमवीए 132 केवी क्लास से 315 एमवीए तक 400 केवी क्लास से इलेक्ट्रिक ट्रांसफामर के शार्टसर्किट टेस्ट की जरूरत पूरी करेगा।

(ज) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई ई एस एल)

पावरग्रिड ने नवम्बर, 2009 में एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के साथ समान भागीदारी (प्रत्येक 25 प्रतिशत इक्विटी) में एक संयुक्त उद्यम करार किया। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ऊर्जा, दक्षता ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में किए जाने वाले उपायों को बढ़ावा देगी, और यह सरकारी भवनों, परामर्शदायी समनुदेशनों आदि की ऊर्जा लेखापरीक्षा से संबंधित कारोबार कर रही है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹500 करोड़ है प्रत्येक जो ₹10/- के ₹50 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित है और चुकता पूंजी ₹46.2 करोड़ है जो प्रत्येक ₹10 के ₹46.2 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित है इसमें पावरग्रिड की इक्विटी ₹22.5 करोड़ अर्थात (4.9 प्रतिशत) है।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2017	राजकोषीय वर्ष 2016
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	22.5	22.5
सकल आय	1227.18	803.11
कर पश्चात लाभ	51.86	37.08
प्रति शेयर अर्जन*	1.25	2.73

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक है।

(झ) बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बी जी सी एल)

पावरग्रिड ने 50:50 इक्विटी प्रतिभागिता के आधार पर बिहार राज्य में अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए बिहार राज्य विद्युत (नियंत्रक) कंपनी लिमिटेड (बी एस पी (एच) सी एल) के साथ 29.12.2012 को शेयरधारक करार निष्पादित किया। कंपनी चरण-IV, भाग-I में ₹1699 करोड़ मूल्य की बिहार पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। कंपनी को बीईआरसी द्वारा जून, 2013 में पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत पूंजी ₹297.00 करोड़ है, जिसमें से पावरग्रिड की इक्विटी ₹148.50 करोड़ है। परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और नवम्बर, 2017 में इसके प्रारंभ की आशा है।

(ञ) कलिंग विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड (के बी पी एन एल)

पावरग्रिड ने 50:50 इक्विटी प्रतिभागिता के आधार पर ओडिशा राज्य में अंतर राज्य पारेषण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए ओ पी टी सी एल के साथ 04.01.2013 को शेयरधारक करार निष्पादित किया गया। कंपनी को चरण-I परियोजनाओं (मूल्य ₹599.50 करोड़) के लिए पारेषण लाइसेंस आईआरसी द्वारा प्रदान किया गया है।

(ट) आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड (आर पी टी पी एल)

पावरग्रिड और आर आई एन एल ने भारत और विदेश में पारेषण लाइन टावर विनिर्माण व्यापार में उभरते हुए अवसर का उपयोग करने की दृष्टि से विशाखापत्तनम में पारेषण लाइन टावर (टीएलटी) विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए 50:50 की इक्विटी प्रतिभागिता पर एक संयुक्त उद्यम कंपनी आर आई एन एल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आर पी टी पी एल) बनाई है।

आर आई एन एल पारेषण लाइन टावर और टावर के हिस्से पुर्जो के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी को री-रोलेबल स्टील/काले एंगल के रूप में गुणवत्ता की कच्ची सामग्री की आपूर्ति करेगा। इस टीएलटी विनिर्माण संयंत्र की वार्षिक क्षमता 120,000 टन होगी।

यह संयुक्त उद्यम कंपनी ₹ 20 लाख की आरंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी से 19.08.2015 को निगमित की गई थी। बाद में प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाई गई थी और 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार आर पी टी पी एल की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 50 करोड़ है। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

(ठ) क्रॉस बार्डर पावर पारेषण कंपनी लिमिटेड (सी पी टी सी एल)

पावरग्रिड ने पारेषण लाइन के भारतीय भाग अर्थात 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर-ढलकेबार-भारत-नेपाल क्रॉस बार्डर पारेषण लाइन के भारतीय पक्ष पर मुजफ्फरपुर-सुरसांद भाग के क्रियान्वयन के लिए आई एल एंड एफ एस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आई ई डी सी एल), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एस जे वी एन एल) तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एन ई ए) के साथ जुलाई, 2012 को एक संयुक्त करार निष्पादित किया है। जे वी सी में पावरग्रिड, एस जे वी एन, आई ई डी सी एल तथा एनईए, का इक्विटी योगदान क्रमशः 26 प्रतिशत, 26 प्रतिशत, 38 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹242.53 करोड़ है। परियोजना को 80:20 ऋण प्रतिशत इक्विटी अनुपात पर क्रियान्वित किया जा रहा है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सी पी टी सी एल की प्राधिकृत अंश पूंजी ₹75 करोड़ तथा प्रदत्त पूंजी ₹48.50 करोड़ की है, जिसमें पावरग्रिड के शेयर ₹1261.2 करोड़ के है। यह लाइन 19 फरवरी, 2017 से वाणिज्यिक प्रचालन में है।

(ड) पावर पारेषण कंपनी नेपाल लिमिटेड (पी टी सी एन)

पावरग्रिड ने 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर ढलकेबार भारत नेपाल क्रॉस बार्डर पारेषण लाइन के नेपाली भाग अर्थात पारेषण लाइन के ढलकेबार-बिटामोड संभाग के क्रियान्वयन के लिए आई ईडीसीएल तथा एनईए हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एच आई डी सी एल) के साथ 5 अप्रैल, 2014 को एक संयुक्त करार निष्पादित किया है उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी में उक्त संयुक्त में पावरग्रिड, एनईए तथा एचआईडीसीएल तथा आई ई डी सी एल का क्रमशः 26 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 14 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत इक्विटी का हिस्सा है। नेपाली हिस्से की लेखापरीक्षित लागत ₹101 करोड़ है तथा परियोजना को 70.30 की ऋण साम्या अनुपात में कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई है 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार पीटीसीएन की प्राधिकृत पूंजी ₹45 करोड़ नेपाली रु तथा संदत्त पूंजी एनपीआर ₹30 करोड़ नेपाल रु है। वर्तमान में पावरग्रिड की इक्विटी ₹10.4 करोड़ नेपाली रु है। नेपाली भाग 19 फरवरी, 2016 से वाणिज्यिक प्रचालन में है। मुजफ्फरपुर-ढलकेबार भारत नेपाल क्रॉस बार्डर का प्रयोग भारत और नेपाल के बीच बिजली के पारेषण के लिए किया जा रहा है।

सहायक कंपनियां

(क) पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल), जो पहले नागापट्टिनम् मधुगिरी ट्रांसमिशन के नाम से ज्ञात थी, का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से नागापट्टिनम/कुड्डालोर क्षेत्र (पैकेज ए) के आईपीपी से संबद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम को स्थापित करने के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत 29 मार्च, 2012 को किया गया था। इस अधिग्रहण के पश्चात, पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई है। सीईआरसी द्वारा जून, 2013 में कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया गया। ट्रांसमिशन सिस्टम में 765 केवी डी/सी और 765 केवी एस/सी लाइनें शामिल हैं, जो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से गुजरेगी। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पीएनएमटीएल की प्राधिकृत पूंजी ₹215 करोड़ तथा प्रदत्त अंश पूंजी ₹162 करोड़ है। परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। नागापट्टिनम -सलेम 765 केवी डी/सी लाइन 23 अक्तूबर, 2016 को प्रारंभ की गई है और सलेम मधुगिरि 765 केवी एस/सी लाइन कार्यान्वियन के अधीन है।

(ख) पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीवीटीएल) का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा 30 अगस्त, 2013 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत पूर्वी क्षेत्र से विद्युत के आयात के लिए दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए आरईसी पारेषण परियोजना कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात, पीवीटीएल, पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई है। यह पारेषण प्रणाली श्रीकाकुलम-वेमागिरि 765 केवी डी/सी लाइन और खन्नम-नागार्जुन सागर 400 केवी डी/सी वाली यह पारेषण प्रणाली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य से गुजरेगी। 31.03.2017 की स्थिति के अनसार, पीवीटीएल की प्राधिकृत तथा प्रदत्त अंश पूंजी क्रमशः ₹220 करोड़ और ₹209.73 करोड़ है। खन्नम-नागार्जुन सागर 406 केवी डी/सी लाइन 31 दिसम्बर, 2015 को शुरू कर दी गई है और श्रीकाकुलम-वेमागिरी 765 केवी डी/सी लाइन 01.02.2017 को शुरूकर दी गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2016
सकल आय	67.97	7.89
कर पश्चात लाभ /(हानि)	(21.94)	2.96

(ग) पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीयूटीएल) का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा 24 मार्च, 2014 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत बनाओ, प्रचालित करो और अनुरक्षण करो (बूम) आधार पर ऊंचाहार टीपीएस के एटीएस के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात, पीयूटीएल, पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई है। 400 केवी डी/सी वाली यह पारेषण प्रणाली उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरेगी। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पीयूटीएल की प्राधिकृत शेयरपूंजी ₹14 करोड़ तथा संदत शेयर अंश पूंजी ₹12.96 करोड़ है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस जुलाई, 2014 में प्रदान किया गया है। ऊंचाहार फतेहपुर 400 केवी लाइन 23.09.2016 को पूरी हो गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2016
सकल आय	4.08	शून्य
कर पश्चात लाभ	(.06)	शून्य

(घ) पावरग्रिड काला अम्ब पारेषण लिमिटेड

पावरग्रिड काला अम्ब पारेषण लिमिटेड (पी के ए टी एल) (जो पहले एन आर एस एस -XXXI ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात था) का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा 12 मई, 2014 को उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, एन आर एस एस XXXI (भाग-क) के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना करने के लिए आरईसी पारेषण प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात पी के ए टी एल पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। 400/220 केवी जीआईएस सब-स्टेशन 400 केवी डी/सी एल आई एल ओ तथा श्रृंखला क्षतिपूर्ति को समाहित करने वाली यह पारेषण प्रणाली हिमाचल प्रदेश के राज्य में परिकल्पित की गई है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पी के ए टी एल की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹5 करोड़ तथा संदत्त शेयर पूंजी ₹1.05 करोड़ है। इसके पश्चात कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ कर ₹35 करोड़ हो गई है। कंपनी को सितम्बर, 2014 में सीआईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया है। परियोजना 12.07.2017 को पूरी हुई है।

(ड.) पावरग्रिड जबलपुर पारेषण लिमिटेड

पावरग्रिड जबलपुर पारेषण लिमिटेड (पी जे टी एल), जो पहले विंध्याचल जबलपुर पारेषण लिमिटेड के नाम से ज्ञात थी, का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा 26 मई, 2015 को विंध्याचल-V से संबद्ध पारेषण प्रणाली की स्थापना करने के लिए आरईसी पारेषण प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात पीजेटीएल पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। पारेषण प्रणाली में 765 केवी डी/सी पारेषण लाइन शामिल है जो मध्य प्रदेश से गुजरेगी। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पीजेटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹20 करोड़ और संदत्त शेयर पूंजी ₹0.15 करोड़ है। सीईआरसी द्वारा कंपनी को जून, 2015 में पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया है।

(च) पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पी डब्ल्यू टी एल) (पहले गदरवारा (ए) ट्रांसको लिमिटेड) का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा 24 अप्रैल, 2015 को एनटीपीसी (भाग-क) के गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्राली की स्थापना करने के लिए आरईसी पारेषण प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात पीडब्ल्यूटीएल पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। पारेषण प्रणाली के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्यों में परिकल्पना की गई है और पारेषण प्रणाली में 765 केवी डी/सी, 400 केवी डी/सी पारेषण लाइनें और वरोरा में 2x1500 एमवीए 765/400 केवी के नए स्टेशन स्थापित करना शामिल है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पीडब्ल्यूटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹35 करोड़ और संदत्त शेयर पूंजी ₹25.10 करोड़ है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा अगस्त, 2015 में पारेषण लाइसेंस दिया गया था। गदरवारा स्थिति मौजूद शिवनी-बीना एलआईएलओ पूरा कर लिया गया है और 30.11.2016 को इसमें वाणिज्यिक प्रचालन घोषित कर दिया गया है। गदरवारा-जबलपुर पूल 765 केवी डीसी अंततः पूरा हो गया और 31.05.2017 को वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2016
सकल आय	3.66	शून्य
कर पश्चात लाभ	1.32	शून्य

(छ) पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले गदरवारा (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड नाम से विख्यात) का पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहण 24 अप्रैल, 2015 को एनटीपीसी

के गदरवारा एसटीपीएस (2x800 एमडब्ल्यू) (भाग-ख) पारेषण प्रणाली की स्थापना करने के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत आरईसी पारेषण प्रोजेक्टर कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के बाद पीपीटीएल, पावरग्रिड की पूर्णस्वामित्व वाली कंपनी बन गई। पारेषण प्रणाली हिमाचल प्रदेश राज्य में परिकल्पित की गई है और इसमें 765 केवी डी/सी, 400 केवी डी/सी पारेषण लाइनें तथा पार्ली में 2x1500 एमवीए 765/400 केवी नए सब स्टेशन शामिल हैं। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पीपीटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹20 करोड़ तथा संदत्त शेयर पूंजी ₹0.10 करोड़ है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा जुलाई, 2015 में पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया है।

(ज) पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पी एस आई टी एस एल) (पहले वेमागिरि-II ट्रांसमिशन लिमिटेड) का पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहण 4 दिसम्बर, 2015 को ''वेमागिरि से आगे पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए बनाओ, प्रचालन करो और अनुरक्षण करो (बूम) "आधार पर प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत आरईसी पारेषण परियोजना कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के बाद पी एस आई टी एस एल पावरग्रिड के संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन गई। 765 केवी और 400 केवी, डी/सी पारेषण लाइनों से युक्त पारेषण प्रणाली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरेगी जिसमें आंध प्रदेश के दो मौजूदा सब स्टेशनों पर 765/400 केवी सब स्टेशन तथा 400 केवी के बे एक्सटेंशन की स्थापना शामिल है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पी एस आई टी एस एल की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹1 करोड़ तथा संदत्त शेयर पूंजी ₹0.05 करोड़ है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा मार्च 2016 में पारेषण लाइसेंस दिया गया है।

(झ) पावरग्रिड मेदिनीपुर - जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड मेदिनीपुर - जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड (पी एम जे टी एल) (पहले मेदिनीपुर -जीरात ट्रांसमिशन नाम से विख्यात) का पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहण 28 मार्च, 2017 को ''पूर्वी क्षेत्र (ई आर एस एस- XVIII) में 765 केवी सुदृढ़ीकरण'' से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पीएफसी कनसल्टिंग लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात पीएमजेटीएल पावरग्रिड की पूर्णस्वामित्व वाली कंपनी बन गई। पारेषण प्रणाली में 765 केवी और 400 केवी पारेषण लाइनें शामिल हैं जो पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य से होकर गुजरेंगी तथा पश्चिम बंगाल में 765/400 केवी सब स्टेशनों की स्थापना शामिल है। दिनांक 31.03.2017 को पीएमजेटीएल की प्राधिकृत और संदत्त शेयर पूंजी ₹0.01 करोड़ है। कंपनी के सीईआरसी द्वारा जून, 2017 में पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया है।

(ञ) पावरग्रिड वेमागिरि ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड वेमागिरि पारेषण लिमिटेड जिसे पहले वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड कहा जाता था, का पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहण 18 अप्रैल, 2012 को वेमागिरि क्षेत्र के आईपीपी (पैकेज ए) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात पावरग्रिड वेमागिरि ट्रांसमिशन लिमिटेड पावरग्रिड के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन गई। 765 केवी डी/सी से युक्त पारेषण लाइनें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से होकर गुजरेंगी। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पावरग्रिड वेमागिरि ट्रांसमिशन लिमिटेड की प्राधिकृत और संदत्त शेयर पूंजी ₹5 लाख है। सीईआरसी ने दिनांक 06.04.2015 के आदेश द्वारा उल्लेख किया कि परियोजना के अंतर्गत विमागिरि-खम्माम-हैदराबाद 765 केवी डीसी लाइनों की न तो निकासी लाइन और न ही प्रणाली सुदृढ़ीकरण लाइन के रूप में आवश्यकता है। पारेषण प्रभारों को अंगीकार कर और उक्त पारेषण लाइन के लिए याचिकादाता को लाइसेंस प्रदान करने से कोई सार्थक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और इसलिए इसने (सीईआरसी) ने पारेषण परियोजना के लिए विनियामक अनुमोदन वापस ले लिया है।

(ट) ग्रिड कंडक्टर्स लिमिटेड

पावरग्रिड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ग्रिड कंडक्टर्स लिमिटेड को अंगुल, ओडिशा में एक एल्युमिनियम कंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए किया गया था। अपनी स्थापना के समय से ही कंपनी ने कोई व्यापारिक गतिविधि संपादित नहीं की है और फास्ट ट्रैक एक्जिट स्कीम के माध्यम से कंपनी का नाम हटाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन दिया गया है।

पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको)

भारत सरकार के आदेश के अनुसरण में दिनांक 2 जनवरी 2017 को पावरग्रिड ने भारत सरकार की उक्त कंपनी को 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग अंतरित कर दिया, इसलिए पोसोको पावरग्रिड के संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नहीं रह गई।

पावरग्रिड का समेकित वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण इंड एएस तथा लेखांकन मानक (एएस-21) के अनुसार तैयार किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरण और लेखांकन मानक (एएस 21) ''संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग'' और लेखांकन मानक (एएस 27)। इस रिपोर्ट में समेकित आधार पर शामिल की गई है।

वित्त वर्ष 2016-17 में कंपनी की आय ₹28,287.77 करोड़ थी जबकि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ₹21,118.37 करोड़ थी। इस प्रकार लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹13662.02 करोड़ की आय की तुलना में 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यय ₹17,042.40 करोड़ था। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कर पश्चात लाभ में वित्त वर्ष 2015-16 की तुलना में 25.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समेकित आधार पर परिणामों का सार नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2016
सकल आय	26,287.72	21,118.37
कर पूर्व लाभ	9,387.07	7,571.59
कर पश्चात लाभ	7,450.73	5,958.61
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद	21,614.23	15,008.08

सचेतक कथन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण तथा निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए विवरण, जिनमें कंपनी के उद्देश्यों प्रक्षेपणों और अनुमानों के बारे में बताया गया है, संभावनायुक्त विवरण हैं और लागू नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत प्रगतिशील हैं। आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों, और अन्य गौण कारकों से वास्तविक परिणाम व्यक्त या अंतर्निहित से भिन्न हो सकता है। पाठकों को सचेत किया जाता है कि वे संभावनायुक्त विवरणों पर अत्यधिक निर्भर न हों।

निदेशक मंडल के लिए उनकी ओर से

(आई. एस. झा)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 अगस्त, 2017

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

भाग क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

<table>
<tr><td>1</td><td>कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सी आई एन)</td><td>एल40101डीएल 1989जीओआई 038121</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कंपनी का नाम</td><td>पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पंजीकृत पता</td><td>बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016</td></tr>
<tr><td>4</td><td>वेबसाइट</td><td>www.powergridindia.com</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ई-मेल पता</td><td>sustainabillty.report@powergrid.co.in</td></tr>
<tr><td>6</td><td>सूचित वित्तीय वर्ष</td><td>2016-17</td></tr>
<tr><td>7</td><td>क्षेत्र (क्षेत्रों) जिनमें कंपनी कार्य कर रही है (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार)</td><td><table>
<tr><td>क्षेत्र</td><td>आईटीसी कोड संख्या</td></tr>
<tr><td>अंतराज्यीय पारेषण प्रणाली (आई एस टी एस), देश की केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू)</td><td>99691110</td></tr>
<tr><td>दूरसंचार</td><td>99841100</td></tr>
<tr><td>परामर्शी और परियोजना प्रबंधन</td><td>99833244</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>कंपनी के तीन महत्त्वपूर्ण उत्पाद/सेवाएं जिनका निर्माण/प्रदान करती है (जैसा तुलनपत्र में है)</td><td>(i) पारेषण
(ii) दूरसंचार
(iii) परामर्श सेवाएं (घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी की व्यवसाय गतिविधियां की जाती हैं।
i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 प्रमुख के ब्यौरे दें)
ii) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या</td><td>(i) अंतर्राष्ट्रीय : पावरग्रिड की विश्व भर में 20 देशों में फैले अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ पारेषण प्रणाली की सेवाओं के सभी पहलुओं में परामर्शी व्यवसाय में सुदृढ़ उपस्थिति है। प्रमुख पांच में कीनिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और सीएएसए (कीर्गीज गंणराज्य, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान) हैं।
(ii) राष्ट्रीय : कुल 229 जिसमें 219 उपकेंद्र, 9 क्षेत्रीय मुख्यालय और गुड़गांव में एक कॉर्पोरेट कार्यालय। दूरसंचार विभाग की पूरे देश में फैले 600 से अधिक स्थानों में उपस्थित है। उपर्युक्त के अलावा, वर्तमान में बहुत से उपकेंद्र और पारेषण लाइनें निर्माणाधीन हैं और इन स्थल (स्थलों) में कार्मिक अवस्थित हैं।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>कंपनी द्वारा सेवित बाजार - स्थानीय/ राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय</td><td>पावरग्रिड की सभी बाजारों - स्थानीय/ राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय में उपस्थिति है।</td></tr>
</table>

भाग ख : कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1	चुकता पूंजी (₹भारतीय)	₹5231.59 करोड
2	कुल कारोबार (₹भारतीय)	₹26,581.49 करोड़
3	कर के पश्चात कुल लाभ ('भारतीय)	₹7520.15 करोड़
4	कर पश्चात लाभ (प्रतिशत) के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर कुल खर्च	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर (कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2.17 प्रतिशत) ₹147.27 करोड़ खर्च किए हैं।
5	गतिविधियों की सूची जिनमें उपर्युक्त 4 पर व्यय किया गया है।	ग्रामीण विकास, कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संधारणीयता आदि के लिए अवसंरचना सृजन।

भाग ग : अन्य ब्यौरे

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं ?

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार पावरग्रिड की ग्यारह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं नामतः पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड वरोरा पारेषण लिमिटेड, पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड दक्षिण अंतर्संयोजक ट्रांसमिशन लिमिटेड, (पूर्व में वेमागिरी-II ट्रांसमिशन लिमिटेड), ग्रिड कंडक्टर्स लिमिटेड और मेदिनिपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड (अब पावरग्रिड मेदिनिपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड के रूप में ज्ञात)।

2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या निर्दिष्ट करें।

हाँ, पावरग्रिड की बी आर पहलें सामान्यता सहायक कंपनियों पर भी लागू होती हैं।

3. क्या कोई अन्य हस्ती/हस्तियां (उदाहरण के लिए आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कंपनी के साथ व्यवसाय करती हैं, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी हस्ती/हस्तियों का प्रतिशत निर्दिष्ट करें? (30 प्रतिशत से कम, 30-60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)।

हां, पावरग्रिड की पर्यावरण और सामाजिक नीति तथा प्रक्रियाएं (ईएसपीपी) कंपनी, इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी - पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, सामान्य सहायक कंपनियां और विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/संविदा की शर्तों के माध्यम से संविदाकारों से संबंधित सापेक्ष पहलुओं को सम्मिलित करती है। विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों को संविदा की शर्तों में प्रतिबंध शर्तों के माध्यम से श्रम कानूनों, पर्यावरणीय कानूनों और अमोघ सुरक्षा के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। ऐसे विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाओं का प्रतिशत 60 प्रतिशत से अधिक है।

भाग घ : बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे

क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे

बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- डीआईएन संख्या : 01391766
- नाम : श्री प्रभाकर सिंह*
- पदनाम : निदेशक (परियोजना)

ख) बीआर प्रमुख के ब्यौरे

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरे
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री अजय कुमार सिन्हा#
3.	पदनाम	कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन, सीएसआर एवं एलएसी विभाग)
4.	दूरभाष संख्या	0124-2571980
5.	ई-मेल आईडी	ak_sinha@powergridindia.com

* दिनांक 08.02.2017 से निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त। इसके पूर्व श्री आर पी सासमल निदेशक (प्रचालन) के पास निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त कार्यभार था।

श्री अजय कुमार सिन्हा ने फरवरी, 2017 में कार्यपालक निदेशक (ईएसएमडी, सीएसआर एवं एलए) का पदभार ग्रहण किया। इसके पहले, श्री अतुल त्रिवेदी के पास उक्त कार्यभार था। इसके अलावा, दिनांक 31.07.2017 को श्री अजय कुमार सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद श्री एस.के. गुप्ता ने कार्यपालक निदेशक (ईएसएमडी, सीएसआर एवं एलए) का पदभार ग्रहण किया है।

2. बीआर नीति/नीतियां सिद्धांत-वार (एन वी जी के अनुसार) (उत्तर हां/नहीं में दें)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों में से व्यवसाय जिम्मेदारी के क्षेत्र में निम्नलिखित नौ क्षेत्रों को अपनाया गया है :

पी1	व्यवसाय को नीतिशास्त्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालित और स्वयं को अभिशासित करना चाहिए।
पी2	व्यवसाय को ऐसे माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो उनके पूरे जीवन चक्र के दौरान सुरक्षित और निरंतरता में योगदान देती हो।
पी3	व्यवसाय को सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन करना चाहिए।
पी4	व्यवसाय को हितों का सम्मान और सभी हिस्सेदारों, विशेष रूप से वो जो वंचित, संवेदनशील और उपेक्षित हैं, के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए।
पी5	व्यवसाय को मानव अधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।
पी6	व्यवसाय को पर्यावरण की बहाली के लिए सम्मान, संरक्षा और प्रयास करना चाहिए।
पी7	व्यवसाय जब जनता और विनियामक नीति को प्रभावित कर रहे हों तो इसे जिम्मेदारी से करना चाहिए।
पी8	व्यवसायों को समावेशी विकास और एकसमान विकास को समर्थन देना चाहिए।
पी9	व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदारी से महत्त्व प्रदान करना चाहिए।

(क) अनुपालन का ब्यौरा (हां/नहीं में उत्तर दें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास ....लिए नीति/नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2	क्या नीति संबंधित हिस्सेदारों के साथ परामर्श से बनाई जा रही हैं ?*	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
3	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें (50 शब्द) ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ#	लागू नहीं	हाँ	हाँ
4	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है ? यदि हां, तो क्या इस पर एमडी/स्वामी/सीईओ/उपर्युक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
5	क्या कंपनी की नीति के कार्यान्वयन को देखने के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की निर्दिष्ट समिति है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं ?	www.powergridindia.com								
7	क्या नीति को संबद्ध सभी आंतरिक और बाह्य हिस्सेदारी को औपचारिक रूप से संसूचित किया गया है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी की नीति/नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए आंतरिक संरचना है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित हिस्सेदारों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत समाधान तंत्र है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनी द्वारा किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्य की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया गया है ?*	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ

* भारत सरकार/सीवीसी/डीपीई दिशानिर्देशों, प्रयोज्य कानूनों आदि सहित राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अनुरूपता है/अद्यतन बनाया गया/समीक्षा की गई।

विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक दोनों ने क्रमशः वर्ष 2009 और 2017 में अपनी देश प्रणाली के उपयोग (यूसीएस) तथा ''देश सुरक्षोपाय प्रणाली (सीएसएस)'' पावरग्रिड की पर्यावरणीय और सामाजिक नीति और प्रक्रिया (ईएसपीपी) को प्रमाणित किया है।

(ख) यदि किसी सिद्धांत के विरुद्ध क्रम संख्या 1 के लिए उत्तर ''नहीं'' है, तो कृपया स्पष्ट करें क्यों : (2 विकल्प तक निशान लगाएं)

क्र.सं.	प्रश्न	सिद्धांत 7- जिम्मेदार सार्वजनिक नीति क वकालत
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को समझा नहीं है	-
2.	कंपनी ऐसी अवस्था में नहीं है जिसमें यह पाती है कि स्वयं विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं है।	-
3.	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानवशक्ति के संसाधन नहीं है।	-
4.	ऐसा करने की अगले 6 महीनों में योजना बनाई गई है।	-
5.	ऐसा करने की अगले 1 वर्ष में योजना बनाई गई है।	-
6.	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	पावरग्रिड विभिन्न औद्योगिक और व्यापार निकायों का सदस्य है और इन मंचों पर ऐसे मुद्दों और नीति संबंधी मामलों में भाग लेता है जो हिस्सेदारों के हित पर प्रभाव डालते हैं। पावरग्रिड के पारेषण क्षेत्र में उल्लेखनीय हित को देखते हुए एक अलग विनियामक कक्ष बनाया गया है जो हिस्सेदारों और सीईआरसी के साथ नीतिगत समर्थन के एक भाग के रूप में पावरग्रिड के सक्रिय दृष्टिकोण के प्रयास को आगे लेकर जाता है। जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता है हम सीईआरसी, ट्राई, अन्य प्राधिकरणों द्वारा जारी विभिन्न दृष्टिकोण प्रपत्रों, परामर्शी प्रपत्रों, मसौदा विनियमनों आदि पर अपनी टिप्पणी देते हैं।

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

- **कंपनी के बीआर निष्पादन के मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ की बारंबारता निर्दिष्ट करें। 3 महीने, 3-6 महीने में, वार्षिक रूप से, एक वर्ष से अधिक में।**

  3-6 महीने

- **क्या कंपनी बीआर या ''निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं ? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है ? कितनी बार यह प्रकाशित की जाती है ?**

  वर्ष 2010 से पावरग्रिड अलग से ''निरंतरता रिपोर्ट'' द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित कर रहा है। ये रिपोर्टें कंपनी की निम्नलिखित वेबसाइट http://www.powergridindia.com/sustainabillty-report पर उपलब्ध है।

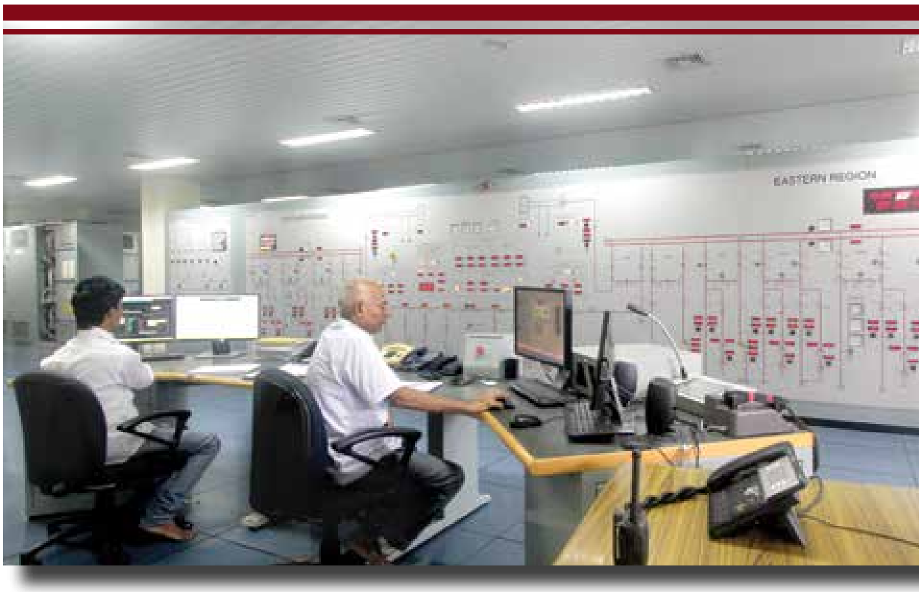

भाग ड. : सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1 - व्यवसायों को स्वयं को नीतिशास्त्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और शासन करना चाहिए।

1. क्या नीतिशास्त्र, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है ? हाँ/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/एनजीओ/अन्यों तक विस्तारित होती है ?

पावरग्रिड अपने सभी प्रचालनों में पारदर्शिता और सामंजस्य अनुपालन के लिए वचनबद्ध है, पावरग्रिड विभिन्न नीतियों/नियमों का निम्नलिखित सहित सभी स्तरों पर नीतिपरक आचरण को सुदृढ़ करने का पालन करता है :

क) **व्यवसाय नीतिशास्त्र और आचरण कोड :** पावरग्रिड ने व्यवसाय नीतिशास्त्र और आचरण के दो अलग-अलग कोड निर्धारित किए हैं - कंपनी के विजन और मिशन के अनुरूप एक बोर्ड के सदस्यों के लिए और दूसरा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्ति सहित) के लिए और उनका लक्ष्य कंपनी के कार्यों के प्रबंध में नीतिपरक और पारदर्शी प्रक्रियाओं को बढ़ाना है।

ख) **आचरण और अनुशासन अपील नियम (सीडीए नियम) :** पावरग्रिड के सीडीए नियम कर्मचारियों के लिए वांछनीय और अवांछनीय कृत्यों और आचरणों को परिभाषित करते हैं और इसके साथ कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों (सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्ति सहित) पर लागू होते हैं। घूसखोरी और भ्रष्टाचार के पहलू भी सीडीए नियमों के तहत कवर होते हैं। परिभाषित शब्दों के साथ गैर-अनुपालन के मामले के साथ-साथ किसी दुराचार के लिए कार्रवाई हेतु निर्धारित प्रक्रियाएं हैं।

ग) **विसल ब्लोअर एवं धोखाधड़ी निवारण नीति :** विसल ब्लोअर एवं धोखाधड़ी निवारण नीति में पावरग्रिड के कर्मचारियों (सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक, तदर्थ/अस्थायी/संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों) तथा विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, सेवा प्रदाताओं या पावरग्रिड में किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाली किसी बाहरी एजेंसी के प्रतिनिधि के संबंध में कर्मचारियों द्वारा प्रकट किए गए अथवा किसी धोखाधड़ी की शिकायत अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था है।

चूंकि पावरग्रिड एक नामित सार्वजनिक कॉर्पोरेट है इसलिए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान भी हमारे पर प्रयोज्य है। कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) समयबद्ध ढंग से सूचना के लिए निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

पावरग्रिड द्वारा अपनी व्यवसाय प्रथाओं में सत्यनिष्ठों, पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सी पहलें की गई हैं/या की जा रही हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) सुपरिभाषित ''शक्तियों का प्रत्यायोजन'' किया गया है और समुचित तरीके से कार्य करने के लिए उच्च कार्यकारियों और नीचे के कर्मचारियों की शक्तियों का वर्णन किया गया है।

(ii) पावरग्रिड ने जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ शीघ्रता से और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने पर प्रमुख बल के साथ अपने व्यवसाय प्रचालनों में नीतियों और प्रक्रियाओं को अधिक क्रमबद्ध, पारदर्शी और पूर्णतया एकसमान रूप से प्रशासित करने में सुगम ''कार्य देने से पहले और कार्य देने के पश्चात की अवस्थाओं के लिए'' निर्माण कार्य और खरीद नीति और प्रक्रिया (डब्ल्यू पी पी पी) समय-समय पर यथासंशोधित तैयार की है और क्रियान्वित की है।

(iii) ''सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम'' कार्यान्वित किया गया है जिसे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभदायक साधन माना जाता है। ₹ 100 करोड़ के मूल्य से ऊपर की संविदाओं को ''स्वतंत्र बाह्य मानीटरों (आईईएम)'' के पैनल द्वारा भी मानीटर किया जाता है।

(iv) निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए नियम पुस्तिका और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं।

(v) अधिकांश परियोजना खरीद के लिए ई-प्रापण तंत्र को क्रियान्वित किया गया है।

(vi) ई-विपरीत नीलामी तंत्र भी है।

(vii) हमारी कंपनी की उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) ''रूपांतरण परियोजना पहल'' को क्रियान्वित किया गया है और वर्तमान में व्यवसाय से संबंधित अधिकांश महत्त्वपूर्ण प्रोसेस ईआरपी पर चल रहे हैं।

(viii) कार्य देने के ब्यौरा वास्तविक समय आधार पर वेबसाइट पर डाला जाता है।

(ix) पावरग्रिड निवारक और सक्रिय सतर्कता के साथ-साथ दंडात्मक सतर्कता पर प्रमुख जोर देता है। बेहतर पारदर्शिता के लक्ष्य और संगठन के भीतर सुशासन की भावना जगाने के लिए पावरग्रिड ने बहुत सी पहलें की है। अधिक ब्यौरे के लिए निदेशकों की रिपोर्ट में ''पारदर्शिता और सतर्कता कार्य के प्रति वचनबद्धता'' पर भाग देखें।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में हिस्सेदारों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ? यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे लगभग 50 या इतने शब्दों में दें।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न हिस्सेदारों से सतर्कता विभाग द्वारा 59 शिकायतें प्राप्त की गई जिसमें से लगभग 83 प्रतिशत शिकायतों को निपटा दिया गया है जबकि शेष प्रक्रियाधीन हैं।

सिद्धांत 2 - व्यवसाय को ऐसा वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र में निरंतरता को योगदान दें।

1. अपने उत्पादों या सेवाओं की 3 की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।

- नवीन टावर जैसे मल्टी सर्किट और पोल टाइप टावर की डिजाइन ने अधिकृत रास्ता (आर ओ डब्ल्यू) और प्राकृतिक वन संसाधन के संरक्षण को काफी कम किया है।
- अर्थ इलेक्ट्रोड स्टेशनों के स्थान पर एचवीडीसी सिस्टम में धात्विक रिटर्न का उपयोग जिसके परिणामस्वरूप कीमती भूमि की आवश्यकता में और कमी तथा इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होने की कम जोखिम के कारण अधिक सुरक्षा।
- ''वर्षा जल संरक्षण'' की व्यवस्था को सभी उपकेंद्र डिजायन के अनिवार्य हिस्से के रूप में कर दिया गया है।

सभी पारेषण लाइनों और उपस्टेशनों को सांविधिक कानूनों का अनुपालन करके और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लगातार डिजाइन तैयार किया जा रहा है और क्रियान्वित किया जा रहा है।

2- ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद के प्रति यूनिट संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, पानी, कच्ची सामग्री आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें (वैकल्पिक) :

(i) पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से लेने/उत्पादन/वितरण के दौरान प्राप्त की गई कटौती ?

(ii) पूर्ववर्ती वर्ष से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, पानी) द्वारा प्रयोग के दौरान प्राप्त की गई कटौती ?

इन गतिविधियों को विभिन्न नीतियों / दिशानिर्देशों के तहत किया जा रहा है और समय-समय कार्यन्वित किया जाता है।

3. क्या कंपनी के पास सतत रूप से प्राप्त करने (परिवहन सहित) की प्रक्रियाएं हैं ?

(क) यदि हां, तो आपकी निविष्टियों को कितना प्रतिशत सतत आधार पर लिया गया है ? उसके ब्यौरे भी लगभग 50 शब्दों या इतने में प्रदान करें।

प्राप्त करने में निरंतरता पावरग्रिड की पर्यावरण और सामाजिक नीति तथा प्रक्रियाओं (ईएसपीपी) के माध्यम से लागू की जाती है जो संविदा शर्तों के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/विक्रेताओं तक विस्तारित होती है। विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ता/ संविदाकरों को संविदा की शर्तों में अनुबंध शर्तों के माध्यम से ईएसपीपी, श्रम कानूनों, पर्यावरणीय कानूनों और फलप्रद सुरक्षा योजनाओं का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। संविदाओं में उक्त प्रावधानों को भंग करने की दशा में विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।

4. क्या कंपनी ने अपने कार्य के स्थान के आसपास समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तु और सेवाएं खरीदने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

(क) यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जी, हां। हम स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिष्ठानों के आसपास और कतिपय कार्यो के लिए स्थानीय विक्रेताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।

5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुनःचक्रण के लिए कोई तंत्र है ? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट के पुनःचक्रण का क्या प्रतिशत है ? (अलग-अलग जैसे <5 प्रतिशत, 5-10 प्रतिशत, >10 प्रतिशत)। साथ ही उसके ब्यौरे भी लगभग 50 शब्दों या इतने में प्रदान करें।

पावरग्रिड ने पुनः प्रयोग और री-साइक्लिंग के लिए धातु के कचरे, पैकेजिंग मदों, प्रयुक्त बैटरियों, प्रयुक्त तेल आदि जैसी अपशिष्ट सामग्री के पृथक्करण/निपटान के लिए प्रणालियां स्थापित की हैं। धातु के कचरे और पैकेजिंग मदों को नीलामी के माध्यम से री-साइकल किया जाता है जबकि उत्पन्न प्रयुक्त तेल तथा प्रयुक्त बैटरियों को निर्धारित कानूनों/विनियमों के अनुसार री-साइकलिंग के लिए पंजीकृत री-साइकलरों या नव-निर्माताओं को वापस दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 से गुड़गांव सबस्टेशन में अपशिष्ट कागज पुनःचक्रण संयंत्र प्रचालन में है, जिसकी पुनःचक्रण क्षमता40-60 किलोग्राम अपशिष्ट कागज प्रतिदिन है। प्रचालन के चालू वर्ष के दौरान पुनःचक्रण की प्रतिशतता 5-10 प्रतिशत थी।

सिद्धांत 3 - व्यवसायों को अपने कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन करना चाहिए।

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 8887 थी।

2. कृपया अस्थायी/संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार संविदात्मक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या 459 (संविदात्मक श्रमिक को छोड़कर) थी।

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 598 थी।

4. कृपया अशक्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अशक्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या 171 थी।

5. क्या आपके पास कोई कर्मचारी संघ है, जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता दी गई है ?

''कामगार'' श्रेणी के तहत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व व्यापार संघों द्वारा किया जाता है और संगठन का मान्यताप्राप्त कामगार प्रबंध मंच है।

6. आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं ?

''कामगार'' श्रेणी के तहत सभी कर्मचारी व्यापार संघ के सदस्य हैं। कामगार पावरग्रिड में लगभग 28 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या को दर्शाते हैं।

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रमिकों, बाध्य किए गए श्रमिकों, अनैच्छिक श्रमिकों, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित की संख्या बताएं।

क्र.सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष के दौरान दाखिल की गई शिकायतें	वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रमिक/बाध्य श्रमिक/अनैच्छिक श्रमिक	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	2	शून्य
3.	भेदमूलक रोजगार	शून्य	शून्य

8. पिछले वर्ष में नीचे बताए गए कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया ?

कर्मचारी	पिछले वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2016-17 में सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिए गए कर्मचारियों का प्रतिशत
स्थायी कर्मचारी	83.62 प्रतिशत
स्थायी महिला कर्मचारी	88.00 प्रतिशत
अनियत/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी	68.90 प्रतिशत
अशक्त कर्मचारी	8.61 प्रतिशत

सिद्धांत 4 - व्यवसायों को सभी हिस्सेदारों, विशेष रूप से उनका जो प्रतिकूल परिस्थिति, संवेदनशील और उपेक्षित हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति संवेदी होना चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हिस्सेदारों का मानचित्रण किया है ? हां/नहीं।

जी, हां। पावरग्रिड ने अपने आंतरिक और बाह्य हिस्सेदारी का मानचित्रण किया है। हम शेयरधारकों, विनियामक प्राधिकारियों (जीओआई), प्रचालन के आसपास के इलाके में रहने वाले उपभोक्ताओं, समुदायों/व्यक्तियों, परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी)/समुदायों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और संविदाकारों, अनुसंधान और विकास संस्थाओं, निधियन एजेंसियों और मीडिया को आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक आयामों में अपने महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारों के रूप में मानते हैं।

पावरग्रिड अपने पहचान किए गए हिस्सेदारों के साथ सतत आधार पर मिलकर कार्य करता है और ऐसी नियुक्ति प्राथमिकता कारकों, जैसे निर्भरता, प्रभाव, जिम्मेदारी और निकटता पर विचार करते हुए दी गई है। संरचित हिस्सेधारक नियुक्ति मेट्रिक्स है जो प्रत्येक हिस्सेधारक श्रेणी के लिए नियुक्ति की विधि और आवर्तिता सहित विशिष्ट नियुक्ति तंत्रों के ब्यौरे देती है।

2. उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने प्रतिकूल परिस्थिति वाले, संवेदनशील और उपेक्षित हिस्सेदारी की पहचान की है ?

हां, कंपनी ने प्रतिकूल परिस्थिति वाले, संवेदनशील और उपेक्षित हिस्सेदारों की पहचान की है और मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा है, नामतः आंतरिक हिस्सेदार [कर्मचारी - अशक्त (पीडब्ल्यूडी)/एससी/एसटी/महिलाएं] और बाह्य हिस्सेदार [परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्ति/परिवार (पीएपी/पीएएफ) : विधवा मुखिया वाले परिवार, एससी/एसओ/अशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)]।

3. क्या कंपनी द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति, संवेदनशील और उपेक्षित हिस्सेदारों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है। यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे 50 या इतने शब्दों में प्रदान करें।

पावरग्रिड ने प्रतिकूल परिस्थिति, संवेदनशील और उपेक्षित हिस्सेदारों के साथ जुड़ने में निम्नलिखित पहलें की हैं :

- आंतरिक हिस्सेदारी (कर्मचारी - अशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)/एससी/एसटी/महिलाएं) -पावरग्रिड आरक्षण मामलों में भारत सरकार के निदेशों के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/पूर्व-सैनिक/अशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के उम्मीदवारों के पूल से अत्यधिक प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती, विकास और प्रतिधारण के लिए प्रयासों के माध्यम से कार्यस्थल पर विविधता को सुनिश्चित करता है। इस संबंध में की गई विशेष पहलों में निम्न शामिल हैं -

शिकायतों के समाधान के लिए समयबद्ध तंत्र निम्नानुसार हैं :

(क) एससी/एसटी/ओबीसी/पूर्व-सैनिकों/अशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण मामलों से संबंधित भारत सरकार के निदेशों का पालन करने के लिए कॉर्पोरेट के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर आरक्षण कक्ष का गठन किया गया है। यह कक्ष नामित संपर्क अधिकारी (अधिकारियों) के नियंत्रणाधीन है। संपर्क अधिकारी सप्ताह में एकबार परस्पर संपर्क के लिए पूर्व निश्चित दिन और समय पर उपलब्ध होते हैं। संपर्क अधिकारी की उपलब्धता के संबंध में व्यापक प्रचार को एससी/एसटी कर्मचारियों में सुनिश्चित किया जाता है। एससी/एसटी/ओबीसी संघों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती है। एससी/एसटी/ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को सरकारी निदेशों के तहत उनके लिए उपलब्ध छूटों और रियायतों के बारे में परिचित कराने के लिए ''जागरूकता कार्यक्रम'' आयोजित किए जाते हैं।

(ख) कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोक, प्रतिबंध समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए कंपनी में आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) हैं।

महिला कर्मचारियों को कतिपय छूट जैसे सुगम स्थानों में तैनाती आदि दिया जाता है। अशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं जैसे ढलान आदि प्रदान की जाती है।

- बाह्य हिस्सेदारी [परियोजना प्रभावित व्यक्ति/परिवार (पीएपी/पीएएफ) - विधवा महिला मुखिया के परिवार, एससी/एसटी/शारीरिक रूप से विकलांग]की गई विशेष पहलों में निम्न शामिल हैं -

(क) पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) उपाय : संवेदनशील समूह जैसे विधवा महिला मुखिया के परिवार/एससी/एसटी/ पीडब्ल्यूडी/शारीरिक रूप से विकलांग/अशक्त परिवार जिन्होंने भूमि की हानि/संरचना की हानि/जीवन निर्वाह की हानि (मजदूरी या व्यवसाय) उठाई है, को अतिरिक्त जरूरत आधारित लाभों के लिए विचार किया जाता है।

(ख) सीएसआर पहल : हमारी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) सामुदायिक विकास के मुद्दे (जिसमें कौशल विकास से आजीविका सृजन, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल हैं) का मुख्यतः हमारे प्रचालनों के क्षेत्रों के आसपास समाधान करती है। पावरग्रिड के सीएसआर हस्तक्षेप का मुख्य ध्यान समाज के शोषित, संवेदनशील और वंचित वर्ग के समावेशी विकास पर है। सीएसआर पहलों के फलस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाओं, लड़कियों, एससी/एसटी/ अल्पसंख्यक जनसंख्या के गरीब, सीमांत वर्ग को लाभ हुआ। विभिन्न सीएसआर पहलें जैसे सड़कों का निर्माण, सौर स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति पंप, जल शोधन संयंत्र, जल एटीएम, गांवों में सामुदायिक केंद्र, विभिन्न स्कूलों में कक्षा के कमरों, शौचालय, स्कूल फर्नीचर, जलापूर्ति व्यवस्था, छात्रों को छात्रवृत्ति, एम्बुलेंस की आपूर्ति, दिव्यांगों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण, चिकित्सा उपकरण आदि शुरू की गई थी। इसके अलावा, कंपनी जीवनयापन से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण जैसे खाद्य/पेय/अतिथि सेवा, वेल्डिंग, टेलरिंग, आटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विसिंग, खाद्य और फल प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिशियन, ग्राहक सेवा कार्यपालक, सामान्य ड्यूटी सहायक, कृषि व्यवस्था, मशीन प्रचालक आदि का प्रशिक्षण देकर अनेक सीएसआर कौशल विकास पहलें कर रही है।

सिद्धांत 5 - व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।

1. क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/एनजीओ/अन्यों तक विस्तारित होती है।

पावरग्रिड ने संबंधित नीति और प्रथाओं के तहत मानव अधिकारों के मुद्दों को शामिल किया है जो सभी कर्मचारियों, जिसमें वे भी शामिल हैं जो सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, तक विस्तारित होता है और संविदा शर्त के माध्यम से विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों से संबंधित सापेक्षित पहलुओं तक विस्तारित होता है। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड के आचरण और अनुशासन अपील नियम (''सीडीए नियम'') कर्मचारियों (इसमें सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्त व्यक्ति शामिल हैं) के लिए वांछनीय और अवांछनीय कृत्य और आचरण को परिभाषित करते हैं। परिभाषित शर्तों के साथ-साथ कोई अनुपयुक्त या यौन रूप से निर्धारित अप्रिय व्यवहार के गैर अनुपालन के मामले में कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। उचित और बराबर के रोजगार संबंधों को संवर्धित करने के लिए कर्मचारियों की शिकायत का समाधान करने के लिए स्कीम है जो शिकायतों के समाधान के लिए समयबद्ध तंत्र को सुनिश्चित करती है। यौन शोषण के संबंध में प्राप्त शिकायतों का समाधान करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) गठित की गई हैं।

पावरग्रिड ने स्वयं को अपने मानव संसाधनों और श्रमिक प्रबंध नीतियों और प्रथाओं के लिए सामाजिक जवाबदेही मानक एसए-8000 के लिए प्रमाणीकृत करवाया है। विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों को संविदा की शर्तों में अनुबंध शर्तों के माध्यम से श्रम कानूनों/मानव अधिकारों आदि के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है। संविदा करार के अनुसार संविदाकारों को अपने कामगारों से बाल श्रम, बलपूर्वक या अनिवार्य श्रम करवाना निषिद्ध है। सभी संविदाकारों को विभिन्न मुआवजा और विनियामक अधिनियमों का पालन करना अपेक्षित है। पावरग्रिड के सभी आपूर्तिकर्ताओं को संविदा की शर्तों और एसए 8000 के खंडों की पुष्टि करनी होती है। पावरग्रिड सामाजिक जवाबदेही मानक अर्थात एसए 8000 की

सभी अपेक्षाओं के पालन के लिए बोलीदाताओं/संविदाओं से सामाजिक जवाबदेही के संबंध में घोषणा लेता है, यह घोषणा संविदा दस्तावेजों का भाग बनती है। इसके गैर-अनुपालन के लिए अर्थदंडों का प्रावधान भी संविदा शर्तों में शामिल किया गया है।

पावरग्रिड अपनी मूल्य श्रृंखला में मानव अधिकारों के सम्मान के महत्व की जागरूकता का संवर्धन करता है और दुरुपयोग की घटनाओं को हतोत्साहित करता है। तकनीकी और व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण के अलावा, महिलाओं, अशक्त व्यक्तियों और समाज के सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति लोगों को सुग्राही बनाने के मुद्दों पर भी मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण भी दिया गया है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में हिस्सेदारों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ?

सूचित अवधि (2016-17) के दौरान मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6 - व्यवसाय को पर्यावरण के सम्मान, सुरक्षा और बहाली के लिए प्रयास करने चाहिए।

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/ एनजीओ/अन्यों तक विस्तारित होती है।

पावरग्रिड की पर्यावरण और सामाजिक नीति तथा प्रक्रियाएं (ईएसपीपी) कंपनी, इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी - पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड सामान्य सहायक कंपनियों और संविदा शर्त के माध्यम से विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों को संबंधित सापेक्षिक पहलुओं को सम्मिलित करती है।

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक गर्मी आदि के समाधान के लिए रणनीतियां/पहलें हैं ? यदि हां, तो वेब पृष्ठ आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

जी, हाँ। इन पहलों के विवरण के बारे में निरंतरता रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है जो पावरग्रिड की वेबसाइट http://powergridindia.com/sustainabillty-report हाइपरलिंक पर भी उपलब्ध है।

पर्यावरण संरक्षण, जिनमें ऊर्जा प्रबंध, जल प्रबंध, निस्सारण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंध, सामग्री संरक्षण और अन्य प्रौद्योगिकीय पहलें शामिल हैं; के लिए की गई पहलें निम्नानुसार हैं :-

क) **ऊर्जा प्रबंधन :** ऊर्जा संरक्षण के प्रति हमारा दृष्टिकोण विशिष्ट ऊर्जा खपत में कटौती और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के माध्यम से निम्न कार्बन विकास रास्ते को अपनाने पर आधारित है। चूंकि हमारा विद्युत की खपत का प्रमुख स्रोत उप-स्टेशन, कालोनी और कार्यालय भवनों में प्रकाश के प्रयोजन के लिए है, इसलिए विशेष ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए विभिन्न पहलें जैसे कि एलईडी बल्ब की संस्थापना, डीजी सेटों के लिए ईंधन उत्प्रेरक युक्तियां आदि शुरूकी गई है ताकि इष्टतम ऊर्जा खपत हो। हम आंतरिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यालय भवनों में सौर फोटोवोल्टिक भी संस्थापित कर रहे हैं।

ख) **जल प्रबंधन :** उचित उपयोग एवं प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से जल प्रबंधन पर हमारा प्रमुख ध्यान है। हमने जल के प्रयोग की कुशलता में सुधार लाने और शून्य निर्मुक्ति हासिल करने के लिए ठोस पहलें की हैं। यद्यपि हमारे प्रचालनों में कोई औद्योगिक बहिस्राव नहीं होता तथापि, सभी स्टेशनों ने वर्षा के जल को संचित करने की प्रणाली पर केंद्रित एकीकृत जल प्रबंध दृष्टिकोण को क्रियान्वित किया है, जो अब प्रत्येक नए सब-स्टेशन के डिजाइन का अभिन्न अंग है।

ग) **उत्सर्जन नियंत्रण :** विद्युत पारेषण परियोजनाओं में ऐसे कार्यकलाप नहीं हैं जो अपशिष्ट जहरीली गैस जैसे SOx, NOx, CO_2 आदि का निस्सारण सीधे वायुमंडल में करते हों। तथापि, डीजी सेट का प्रयोग सब-स्टेशनों में और कॉर्पोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में बैकअप आपातकालीन विद्युत और निर्माण गतिविधियों में किया जा रहा है, उत्सर्जन के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। तथापि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्धारित उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए इन डीजी सेटों के नियमित अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जाता है। एसएफ 6, जिसका प्रयोग सर्किट ब्रेकरों में किया जाता है, के प्रबंध को इसकी वैश्विक ऊष्णता क्षमता को ध्यान रखते हुए अत्यधिक प्राथमिकता एवं महत्त्व दिया जाता है। एसएफ 6 गैस सिलिंडरों के भंडारण, सार संभाल और पुनर्भरण के लिए सख्त और सुपरिभाषित प्रणालियां मौजूद हैं। प्रत्येक पुनर्भरण का लेखा जोखा रखा जाता है तथा गैस की मात्रा में किसी भी असामान्य अंतर के बारे में समीक्षा और सुधार हेतु संबंधित उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाता है। प्रत्येक लीकेज का तुरंत पता लगाया जाता है, समाधान किया जाता है और अभिलेखित किया जाता है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज (ओडीएस) से युक्त हमारे अधिकतर पुराने उपस्करों को बदल दिया गया है और हमारे सभी नए उपस्कर तथा शीतलन सीएफसी (क्लोरोफ्लूरोकार्बन) मुक्त प्रमाणित हैं।

घ) **अपशिष्ट प्रबंधन** : हमारा अपशिष्ट प्रबंध कार्यक्रम कम करो, पुनः प्रयोग करो और पुनःचक्रण करने के सिद्धांत पर आधारित हैं। हमारी गतिविधियों के कारण धातु स्क्रैप, प्रयोग की गई बैटरियां और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को छोड़कर कोई बड़ा ठोस या तरल अपशिष्ट पैदा नहीं होता है। तथापि, हमारे पास पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण के लिए अपशिष्ट सामग्री को अलग करने/निपटान हेतु प्रणालियां हैं। संधारणीय पहलों के भाग के रूप में हमने कॉर्पोरेट कार्यालय से निकले अपशिष्ट कागज के पुनः चक्रण के लिए कागज के प्रतिदिन 30-40 किलोग्राम को संभालने की क्षमता से पुनः चक्रित अपशिष्ट कागज के उत्पादन के लिए गुड़गांव उपस्टेशन में ''अपशिष्ट पेपर पुनःचक्रित करने'' का संयंत्र स्थापित किया है। पुनःचक्रित पेपर का प्रयोग कंपनी के पत्रशीर्ष, विजटिंग कार्ड, लिफाफे फाइल/फोल्डर, डीओ, पैड आदि बनाने के लिए किया जा रहा है। इस पहल से हमने खुले बाजार से कागज और स्टेशनरी सामग्री की खरीद काफी कम दी है जिसने कार्बन पादचिन्ह और कम किया है क्योंकि बेदाग प्रिंटिंग पेपर के 1 टन के लिए 17 वृक्षों, 4 किलोमीटर पानी, 1350 किलोवाट ऊर्जा और 400 किग्रा. खनिज ईंधन की आवश्यकता होती है। प्रयुक्त बैटरियां और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग के लिए या तो पंजीकृत रिसाइकलरों या विनिर्माताओं को वापस दिया जाता है।

ङ.) **सामग्री संरक्षण** : प्राकृतिक संसाधन आधार के संरक्षण के लिए हमारा योगदान और सामग्री गहनता को कम करने के प्रयास कंपनी की निरंतरता कार्यनीति का अनिवार्य अंग है। हम पारेषण लाइन और उपकेंद्र के कुशल डिजाइनों के माध्यम से प्रमुख कच्ची सामग्रियों जैसे इस्पात, अल्युमीनियम आदि की खपत को कम करने पर ध्यान देते हैं। इन सामग्रियों की विशिष्ट खपत में पिछले वर्षों के दौरान थोक विद्युत के पारेषण के लिए उच्च क्षमता वाली लाइनों अर्थात 765 केवी, ±800 एचवीडीसी की नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कमी हुई है।

च) **प्रौद्योगिकी पहल :** अपनी परियोजनाओं में - योजना बनाने की अवस्था से लेकर निष्पादन अवस्था तक और संपूर्ण ओएंडएम अवधि में ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं। हम मार्गाधिकार और पर्यावरणीय समस्याओं को कम से कम करने के लिए ±800 एचवीडीसी प्रणालियां और 765 केवी डी/सी लाइनें क्रियान्वित कर रहे हैं। हमने स्वदेशी रूप से देशी निर्माताओं के साथ सहयोगात्मक प्रयासों से 1200 केवी अल्ट्रा उच्च

वोल्टेज (यूएचसी) एसी प्रौद्योगिकी, विश्व में उच्चतम पारेषण वोल्टेज स्तर की भी विकसित की है। यह एकल गलियारे में 6000-8000 मेगावाट विद्युत के अंतरण में समर्थ बनाएगा। इसके अलावा, मौजूदा और नई लाइनों में उच्च निष्पादन कंडक्टरों को बदलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें उच्च प्रचालन तापमानों पर पारंपरिक कंडक्टरों के विरुद्ध निम्न सैग अंतर्ग्रस्त होता है, जिससे टावर का भार कम होता है और अवधि बढ़ती है तथा इसके फलस्वरूप इस्पात की कम आवश्यकता होने से निम्न कार्बन पदचिन्ह होते हैं। सुपर कंडक्टर प्रौद्योगिकी को एक आशाजनक भावी प्रौद्योगिकी मानते हुए हम व्यवहार्यता एवं प्रचालनात्मक मुद्दों के मूल्यांकन के लिए उच्च तापमान सुपर कंडक्टर (एचटीएस) पर एक प्रदर्शन परियोजना की योजना बना रहे हैं। एचटीएस केवल प्रणाली टावरों के बिना उच्च क्षमता के पारेषण को सुगम बनाती है। इन नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उच्च वोल्टेज पारेषण का पर्यावरणीय और सामाजिक

प्रभाव को न्यूनतम करने में व्यापक प्रभाव है और इन पहलों से मार्गाधिकार और इससे संबद्ध पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव को इष्टतम करने में व्यापक प्रभाव होगा। पावरग्रिड भूमि की भौगोलिक और स्थितियों पर निर्भर रहते हुए सुगठित टावर/पोल की किस्म के टावर/बहु-सर्किट टावर का डिजाइन बनाता रहा है और प्रयोग करता रहा है। भूमि का उपयोग कम करने के लिए पावरग्रिड गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) भी स्थापित कर रहा है। पावरग्रिड, सबस्टेशन में केबल का प्रयोग कम करने के लिए प्रोसेस बस आर्किटेक्चर के साथ सबस्टेशन आटोमेशन सिस्टम कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। उपर्युक्त के अलावा, वितरण में कुशलता लाने के प्रति भारत में स्मार्ट ग्रिड के विकास के लिए पहलें शुरू की हैं और विभिन्न राज्यों में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

इसके अलावा, पावरग्रिड ''कॉर्पोरेट अभिशासन में हरित पहल'' के तहत शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्टें/पोस्टल बैलेट नोटिस और अन्य संप्रेषणों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रेषित करने सहित बहुत सी अन्य पहलें करता रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी कम हुई है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती हैं? हां/नहीं।

समग्र परियोजना विश्लेषणों के भाग के रूप में संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन के लिए विस्तृत जोखिम निर्धारण और प्रबंध प्रक्रियाएं हैं। पावरग्रिड की ईएसपीपी जो बचने, न्यूनतम करने और मंद करने के सिद्धांतों पर आधारित है, पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम/मुद्दों से निपटने और इसे कम करने के लिए प्रबंधन की प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के लिए पावरग्रिड के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह संगठनात्मक और परियोजना स्तर पर पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं की पहचान करने, निर्धारण और प्रबंध के लिए ढांचा प्रदान करती है। ईएसपीपी ढांचे में निम्नलिखित के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं : (क) जोखिमों की जांच और पहचान करना (पर्यावरण अभिग्राहकों, सामाजिक अभिग्राहकों और अन्य हिस्सेदारों); (ख) जोखिमों से बचना (जिसमें वैकल्पिक रूट के लिए पद्धति और प्रक्रियाएं शामिल हैं; (ग) प्रभाव प्रबंध, अच्छी अंतर्राष्ट्रीय उद्योग प्रथाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से प्रभावित हिस्सेदारों को पर्याप्त मुआवजा, लोक परामर्श और प्रकटन तथा शिकायत समाधान के माध्यम से जोखिम को कम करना; (घ) मानीटरिंग, रिपोर्टिंग, मूल्यांकन, फीडबैक, प्रबंध समीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई; और (ड.) सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम के प्रबंध के लिए एक संगठन ढांचे सहित जिम्मेदारी और संसाधन आवंटन।

पावरग्रिड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विनिर्देशन पीएएस 99:2006 आधारित एकीकृत प्रबंध प्रणाली (आईएमएस) के साथ प्रमाणीकृत हैं, जिसमें आईएसओ 9001:2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंध प्रणाली) और ओएचएसएएस 18001:2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध प्रणाली) शामिल है।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है, तो 50 शब्द या इतने में उसके ब्यौरे प्रस्तुत करें। यह भी कि यदि हां है तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?

नहीं।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हां/नहीं/ यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

पावरग्रिड ऊर्जा दक्षता संबंधी पहलें निरंतर करता आ रहा है जिसमें विभिन्न उद्योगों/संस्थाओं/अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं/ नगरपालिकाओं की ऊर्जा जांच शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन पर रोक लगी है; विभिन्न इस्पात निर्माता उद्योगों में इस्पात री-रॉलिंग मिलों के लिए भीतर ही डिजाइन की गई अपशिष्ट ताप रिकवरी प्रणालियों की संस्थापना आदि हुई है। हम ऊर्जा दक्षता समाधान लागू करने के लिए बीईई ग्रेड-1 ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) भी हैं।

राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के एकीकरण तथा नवीकरणीय अस्थिरता का समाधान करने के लिए शेष क्षेत्र को बड़ा करने के निमित्त पावरग्रिड उच्च क्षमता के ग्रीन एनर्जी कोरिडोर कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्कों की पारेषण योजनाएं भी कार्यान्वयनाधीन हैं। ग्रीन एनर्जी कोरिडोर कार्यान्वयन और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों के ग्रिड एकीकरण के अलावा हम विभिन्न बैटरी प्रौद्योगिकियों वाली पहली ग्रिड इंटरएक्टिव एनर्जी स्टोरेज पायलट परियोजनाओं की स्थापना करने की प्रक्रिया में है।

अधिक विवरण के लिए ''निदेशकों की रिपोर्ट के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता'' एवं ''नवीकरणीय का एकीकरण'' संबंधी पैरा देखे जा सकते हैं।

6. क्या कंपनी द्वारा निस्सारण/उत्पादित अपशिष्ट रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत्य सीमाओं के अंदर हैं?

विद्युत पारेषण क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण में कोई निस्सारण या अपशिष्ट पैदा नहीं किया जाता है। मात्र निस्सारण जो हमारे द्वारा विद्युत एवजी के लिए डीजी सेटों का उपयोग से होता है, उसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुमत्य सीमाओं के अंदर रखा जाता है।

7. सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित हैं (अर्थात संतुष्टि तक समाधान नहीं किया गया)।

शून्य

पावरग्रिड को सीपीसीबी/एसपीसीबी से कोई कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

सिद्धांत 7 - जब जनता और विनियामक नीति को प्रभावित कर रहे हों तो इसे जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर या संघ की सदस्य है? यदि हां, तो केवल मुख्य-मुख्य का नाम बताएं जिससे आपका व्यवसाय संबंध रखता है :

पावरग्रिड निम्नलिखित सहित विभिन्न उद्योग निकायों का सदस्य है :

1. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
2. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)

3. सीआईआई सीपीएसई परिषद
4. सतत विकास के लिए टीईआरआई व्यवसाय परिषद
5. दि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचेम)
6. पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)
7. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर (सीबीआईपी)
8. डब्ल्यूईसी इंडिया (पहले वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल - इंडिया मेम्बर कमेटी के रूप में ज्ञात)
9. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंजीनियर्स (आईआईपीई)
10. लोक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)
11. इंडिया एनर्जी फोरम (आईईएफ)
12. ग्लोबल काम्पेक्ट नेटवर्क (जीसीएन)
13. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन इंडिया (आईएसपीएआई)
14. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एवं लॉजिस्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (आईएलएफआई)।

2. क्या आपने लोक कल्याण को बढ़ाने या सुधार करने के लिए उपर्युक्त संघों के माध्यम से हिमायत/समर्थन जुटाया है ? हां/नहीं, यदि हां, तो वृहत क्षेत्रों को निर्दिष्ट करें।

पावरग्रिड उपर्युक्त (1) में संघों के माध्यम से उन मुद्दों और नीति संबंधी मामलों में भागीदारी करता है जो इसके हितधारकों के हित को प्रभावित करते हैं।

पारेषण क्षेत्र में पावरग्रिड के उल्लेखनीय हितों को देखते हुए पावरग्रिड के हिस्सेदारों ओर सीईआरसी के साथ नीति संबंधी समर्थन के भाग के रूप में सक्रिय दृष्टिकोण के प्रयास को करने के लिए एक अलग विनियामक कक्ष है। जहां कहीं भी आवश्यक महसूस किया जाता है, हम सीईआरसी/टीआरएआई/अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न दृष्टिकोण, प्रपत्रों, परामर्श प्रपत्रों, मसौदा विनियमनों आदि पर अपनी टिप्पणी देते हैं। इसके अलावा, पावरग्रिड, अभिशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियों, ऊर्जा सुरक्षा, जल, संधारणीयता व्यवसाय सिद्धांतों आदि पर अपनी टिप्पणी देता है, जब भी भारत सरकार द्वारा मांगी जाती है।

सिद्धांत 8 - व्यवसायों को समावेशी विकास और एक समान विकास का समर्थन करना चाहिए।

1. क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति का अनुसरण करने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहलें/परियोजनाएं हैं ? यदि, हां, तो उसके ब्यौरे दें।

हमारे व्यवसाय के स्वरूप द्वारा और केंद्रीय पारेषण उपयोगिता होने से हम प्रतिदिन लाखों की जिंदगियों को स्पर्श करते हैं और समझते हैं कि वास्तविक सफलता अंतर्ग्रस्त हस्तियों और हिस्सेदारों के समावेशी विकास के परिणाम हैं। हम कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों के साथ-साथ अपने कोर व्यवसाय के माध्यम से समावेशी विकास और एक समान विकास के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं।

सामाजिक जिम्मेदारी (श्रमिक, कर्मचारी, समुदाय, कर्मचारियों के परिवार) के प्रति हमारी वचनबद्धता को प्रचुर मात्रा में हमारी पहले से अपनाई गई एकीकृत प्रबंध नीति, पर्यावरणीय और सामाजिक नीति तथा प्रक्रियाएं (ईएसपीपी), पुनर्वास कार्रवाई योजना (आरएपी), विजन और मिशन, ओएसएचएएस-18001 और सामाजिक जवाबदेही एसए 8000 में दर्शाया गया है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी मुख्यतः हमारी अनुपालनीय वचनबद्धता और अब तक प्राप्त किए

गए लाभों के लिए समाज और पर्यावरण को वापस अदा करने के लिए चिंता दर्शाती है। सीएसआर सदैव हमारे विजन का अनिवार्य अंग रहा है और अच्छी कॉर्पोरेट नागरिकता के कोर मूल्यों का महत्त्व रहा है। हम समाज पर इसके प्रभाव, हालांकि स्वरूप में यह बहुत कम है, के लिए जिम्मेदारी लेने के प्रति वचनबद्ध हैं और प्रकृति माता के निवासियों के प्रति जवाबदेह रहेंगे। हम विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, पहलों, जैसे कि आजीविका पैदा करना, कौशल विकास, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, पौध रोपण, स्वच्छता, पीने का पानी, सड़कें, जल निकासी प्रणाली, सामुदायिक केंद्रों, जलाशयों का विकास और संरक्षण आदि के माध्यम से हमारे प्रचालनों के आसपास के क्षेत्रों और समुदायों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास पर बल देते हैं।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आंतरिक टीम/स्वयं के फाउंडेशन/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचना/किसी अन्य संगठन के माध्यम से की जाती है ?

कार्यक्रम/परियोजनाएं मुख्यतः आंतरिक टीमों द्वारा की जाती हैं, तथापि ऐसी परियोजनाओं को करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति की सरकारी/अर्ध सरकारी एजेंसियों/एजेंसियों आदि को भी लिया जाता है।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है ?

प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। पावरग्रिड आंतरिक रूप से अपनी पहलों का निम्न के लिए प्रभाव मूल्यांकन करता है : (i) की गई सामुदायिक विकास गतिविधियों को समझना/मूल्यांकन, समुदायों को हुए लाभ और (ii) भविष्य में सामुदायिक विकास की गतिविधियों को तैयार करने और सुधारने के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए।

4. आपकी कंपनी का सामुदायिक विकास परियोजनाओं में प्रत्यक्ष योगदान हुआ है - भारतीय रुपयों में राशि और शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे ?

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के तहत ₹147.27 करोड़ की राशि खर्च की गई और पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएंडआर) उपायों के तहत पुनर्स्थापना सहायता (आरएंडआर) के रूप में लगभग ₹4.54 करोड़ का प्रावधान किया गया। आरएंडआर के लिए किए गए उपायों के अलावा, आसपास के गांवों और समुदाय के समग्र सुधार के लिए सामुदायिक विकास कार्य भी किए गए। सामाजिक मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर हम स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से जरूरत आधारित विकास कार्य जैसे सड़कों का निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति पम्प, जल शोधन संयंत्र, जल एटीएम, गांवों में सामुदायिक केंद्र, विभिन्न स्कूलों में कक्षा के कमरे, शौचालय, स्कूल फर्नीचर, जलापूर्ति व्यवस्था आदि क्रियान्वित करते हैं।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है ? कृपया 50 या इतने शब्दों में स्पष्ट करें।**

   पर्यावरण एवं सामाजिक नीति तथा प्रक्रिया (ईएसपीपी) के अनुसार प्रत्येक कदम पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम एवं समग्र सार्वजनिक परामर्श किए गए हैं। इस उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर विभिन्न उपाय अपनाए गए जिनमें सार्वजनिक बैठकें, अनौपचारिक लघु समूह बैठकें, सूचना पत्र एवं पैम्पलेट, प्रचालन फील्ड अधिकारी, स्थानीय योजना दौरे तथा स्थल दौरे, जनता की पूछताछ का उत्तर, टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रेस सूचना, परियोजना समन्वय समितियां, निगरानीकर्ता या प्रतिनिधि तथा सार्वजनिक प्रदर्श शामिल हैं।

सिद्धांत 9 - व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से जुड़ना चाहिए और मूल्य प्रदान करने चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहकों की शिकायतों/उपभोक्ताओं मामलों का कितने प्रतिशत बकाया है।**

   शून्य

2. **क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर, स्थानीय मामलों के अनुसार क्या अधिदेशित है के अलावा, उत्पाद सूचना प्रदर्शित करती है हां/नहीं/लागू नहीं होता/टिप्पणी (अतिरिक्त सूचना)।**

   लागू नहीं होता।

3. **क्या कंपनी के विरुद्ध किसी हिस्सेदार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथा, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा रोधी व्यापार के संबंध में कोई मामला दाखिल किया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है ? यदि ऐसा है, तो उसका 50 या इतने शब्दों में ब्यौरा दें।**

   नही।

4. **क्या आपकी कंपनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियां करती है ?**

   हम अपने ग्राहकों के साथ नियमित आधार पर मिलते हैं और सामान्यतः उनके साथ नियमित रूप से बैठकें करते हैं। उक्त बैठकों के उद्देश्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रोसेस सुधार क्षेत्रों की पहचान करना, ग्राहकों की चिंताओं को समझना शामिल है। फीडबैक के आधार पर कंपनी जहां कहीं भी आवश्यक होता है, प्रणाली सुधार के लिए उपाय करती है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(आई. एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:00015615

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 अगस्त, 2017

लंबवत पारेषण लाइनों वाला अनोखा मल्टी सर्किट टावर

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-III

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ड) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के तहत अपेक्षित विवरण

क. ऊर्जा का संरक्षण

(क) किए गए और जारी ऊर्जा संरक्षण उपाय :

पावरग्रिड का अपनी सभी परियोजनाओं में योजना बनाने के चरण से क्रियान्वयन चरण तक तथा ओ एंड एम की पूरी अवधि के दौरान ऊर्जा के संरक्षण के लिए हर संभव कोशिश करने का प्रयास रहा है। पारेषण योजनाओं को अंतिम रूप देते समय विद्युत अंतरण के विभिन्न विकल्पों/प्रौद्योगिकियों की जांच की जाती है तथा कम नुकसान पारेषण प्रणाली के चयन के लिए प्रमुख मानदंडों में से एक है। वास्तव में, पावरग्रिड ने विभिन्न क्षेत्रों में थोक विद्युत अंतरण के लिए अपनी पारेषण प्रणाली में उच्च वोल्टेज स्तरों जैसे 756 केवी एसी, ±500 केवी एचवीडीसी, ±800 केवी एचवीडीसी को अपनाया है जिससे प्रणालियों में कम हानि हुई है। थोक विद्युत पारेषण के लिए 1200 केवी एसी प्रणाली पर भी विचार किया जा रहा है जो अब फील्ड ट्रायल चरण में है। पावरग्रिड पारेषण के लिए सुपरकंडक्टर केबल भी विकसित कर रहा है जो लगभग हानिरहित पारेषण सुविधा है।

पारेषण प्रणाली के डिजाइन स्तर में ही विभिन्न पैरामीटरों को इष्टतम बनाया जाता है ताकि पारेषण प्रणाली में होने वाली हानियों का भी इष्टतमीकरण किया जा सके। कंडक्टरों का चयन विस्तृत इष्टतमीकरण अध्ययनों के बाद किया जाता है जो एक प्राथमिक मानदंड के रूप में लाइन हानियों में कमी पर विचार करने का आधार होते हैं। बस बार सामग्री और क्लैंप तथा कनेक्टर ऐसे चुने जाते हैं जो सख्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करें ताकि हानियां कम से कम की जा सकें। ट्रांसफार्मर और शंट रिएक्टर पैकेजों के मूल्यांकन के दौरान न्यूनतम हानियों वाले उपस्कर को प्राथमिकता दी जाती है। एचसीवी प्रणाली के मामले में भी फिल्टर कंपोनेंट, थायरिस्टर, वाल्व कनवर्टर ट्रांसफार्मर आदि के चयन हेतु पैरामीटरों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि समग्र हानियां विभिन्न प्रणाली प्रचालन स्थिति में भी न्यूनतम की जाए। साथ ही, पारेषण हार्डवेयर के मामले में कम हानियों वाली सामग्री निर्धारित की जाती है। विभिन्न अन्य उपस्करों के मानक और किस्म भी इस तरीके से चुने जाते हैं कि हानियां कम से कम हों। इस प्रकार पावरग्रिड द्वारा प्रत्येक कदम पर ऊर्जा संरक्षण उपाय किए जाते हैं ताकि एक दक्ष एवं कम हानि का पारेषण नेटवर्क विकसित किया जा सके। पावरग्रिड ने ऊर्जा के संरक्षण में मार्ग बनाने तथा औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक समर्पित ऊर्जा दक्षता सेल की स्थापना भी की है। ऊर्जा बचत के लिए अवसरों का पता लगाने हेतु ऊर्जा जांच कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं और उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में ऊर्जा खपत कम करने के लिए कुछ कार्यान्वयन भी सफलतापूर्वक किए गए हैं। पावरग्रिड ने एकीकृत इस्पात संयंत्रों की ऊर्जा जांच की है।

(ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई है :

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है कि पावरग्रिड अपनी पारेषण योजनाओं में आयोजना से कार्यान्वयन तक हानियों को कम करके ऊर्जा संरक्षण उपाय करता है।

ख. अनुसंधान एवं विकास

पावरग्रिड का प्रयास पारेषण प्रणाली में नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयत्नों को आगे बढ़ाना रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर बना रह सके। साथ ही, ठीक ढंग से संरक्षण की जरूरत और भविष्य में विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च क्षमता वाली पारेषण प्रणाली के विकास की आवश्यकता को मानते हुए पावरग्रिड पर्यावरण के अनुकूल पारेषण प्रणाली के सृजन के लिए भारतीय पावरग्रिड में नई और दक्ष प्रौद्योगिकियों के निर्बाध एकीकरण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। पावरग्रिड विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, हानियों की कटौती, उपलब्ध पारेषण आस्तियों का इष्टतम उपयोग, पर्यावरण का संरक्षण और विस्तारित विद्युत की लागत को इष्टतम करने के लिए विश्वभर में उपलब्ध नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर विशेष बल देता रहा है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थाओं, विनिर्माताओं आदि के सहयोग से कार्य कर रही है और इस प्रकार अत्याधुनिक पारेषण प्रणालियों के डिजाइन और इंजीनियरी के लिए आंतरिक सक्षमताएं बढ़ा रही है।

पावरग्रिड उन्नत अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र

पावरग्रिड विद्युत पारेषण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए मानेसर, गुड़गांव में विश्वस्तरीय प्रयोगशालाएं एवं परीक्षण सुविधाएं स्थापित कर रहा है। ये अनुसंधान एवं विकास केंद्र विद्युत प्रणाली विश्लेषण, उन्नत उपस्कर नैदानिकी, स्मार्ट ग्रिड, नियंत्रण एवं स्वचालन, सामग्री विज्ञान, विजनियरी डिजाइन आदि के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के साथ भारी मात्रा में पावरग्रिड और देश की अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

प्रौद्योगिकी विकास

पावरग्रिड विद्युत पारेषण में प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता की दृष्टि से अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) क्रियाकलाप अपनाता एवं प्रोत्साहित करता है। उनमें से बीना, मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित 1200 केवी नेशनल टेस्ट स्टेशन परियोजना तथा सब स्टेशन ऑटोमेशन प्रणाली में प्रोसेस बस उल्लेखनीय है।

कंपनी द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य के विशिष्ट क्षेत्र तथा उनसे होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं :

पूर्ण परियोजना :

1. बलिया-भिवाडी एचवीडीसी में एलटीटी थ्रिस्टर के साथ एचवीडीसी परियोजना।
2. ऐसी आकृति में 4 कन्वर्टर ट्रांसफार्मरों को व्यवस्थित किया जाए कि ट्रांसफॉर्मर का आउटेज समय न्यूनतम किया जा सके।
3. पारेषण लाइनों के लिए 9 टावर की इन-हाउस डिजाइन तैयार की गई।
4. 40 पाइल फाउंडेशन सहित 765 केवी तक पारेषण लाइनों के लिए लगभग 600 टावर फाउंडेशन की इन-हाउस डिजाइन तैयार की गई।
5. 800 केवी एचवीडीसी, 765 केवी ईएचवीएसी डी/सी और 200 केवी मल्टीसर्किट टावरों सहित विभिन्न पारेषण लाइनों के 5 टावरों की जांच पूरी की गई।
6. 765 केवी ट्रांसफार्मरों, रिएक्टरों, सर्किट ब्रेकर, करेंट ट्रांसफार्मर और वेब ट्रैप के लिए स्वदेशी वेंडरों का विकास।

7. उच्च तापमान निम्न सैप कंडक्टर के साथ 400 केवी फरक्का-मालदा लाइन का पुनः संचालन पूरा किया।

चालू परियोजनाएं

1. 12000 केवी यूएचवीएसी प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास : पावरग्रिड ने माह मई, 2016 में 1200 केवी नेशनल टेस्ट स्टेशन के माध्यम से विद्युत प्रवाह सफलतापूर्वक आरंभ कर लिया है। इस राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना के लिए पावरग्रिड ने 1200 केवी उपस्कर विकसित करने के लिए भारतीय उपस्कर विनिर्माताओं के साथ सहयोग किया है, जिन्हें इस समय दीर्घावधि फील्ड आपरेशन तथा निष्पादन मानीटरिंग के लिए बीना, मध्य प्रदेश में परीक्षण स्थल पर संस्थापित किया गया है, 1200 केवी वोल्टेज पर चार्ज

किया गया है और लोड किया गया है।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र को 1700 किमी. में लंबी दूरी तक विद्युत अंतरण के लिए उच्च क्षमता की ±800 केवी, 6000 मेगावाट, एचवीडीसी मल्टी टर्मिनल प्रणाली।

3. पश्चिम क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र को 1300 किमी. में लंबी दूरी तक विद्युत अंतरण के लिए उच्च क्षमता के ±800 केवी, 6000 मेगावाट एचवीडीसी।

4. उच्च क्षमता के ±800 केवी, 6000 मेगावाट, एचवीडीसी बाई पोल संपर्क - पश्चिम क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगालुर, तमिलनाडु) और पुगालुर (तमिलनाडु) - उत्तरी त्रिचुर (केरल) के बीच 2000 मेगावाट वीएससी आधारित एचवीडीसी बाईपोल लाइन। केरल में भारी मार्गाधिकार के मुद्दों के कारण लाइन के एक भाग को भूमिगत केबल के रूप में विचार किया गया है।

5. पारेषण कोरिडोर की क्षमता लगभग दुगुनी तक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित लाइनों की उच्च तापमान सहनशीलता कंडक्टर के साथ री-कंडक्टरिंग करना :

   - मैथन - मैथन आरबी 400 केवी डी/सी (ट्विन मूज)
   - अगरतला - अगरतला जी बी पी पी 132 केवी डी/सी
   - इम्फाल (पीजी) - युरेम्बम 132 केवी एस/सी
   - नेवेली टीएस-11 नेवेली टीएस-1 विस्तार 400 केवी एस/सी

6. **दोष करंट के सीमित करने वाले :** नेटवर्क में बढ़ते हुए शार्ट सर्किट करंट स्तरों को नियंत्रित करने के लिए ग्रिड में दोष करंट को सीमित करने वाले रिएक्टरों का अनुप्रयोग शुरू किया जा रहा है। शुरू में 4 सीरीज रिऐक्टर जिसमें मंडोला और बल्लभगढ़ में 2 सीरीज बस रिऐक्टरयुक्त और मंडोला में दादरी - मंडोला 400 केवी डी/सी पर 2 सीरिज लाइन रिऐक्टर शामिल है, शुरू किए जाएंगे और बाद में प्राप्त किए गए प्रचलानात्मक अनुभव से अतिरिक्त सीरीज रिऐक्टरों पर कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।

7- **गतिशील प्रतिपूर्ति :** उत्तरी क्षेत्र में 3 स्थानों पर स्टेटिक वीएआर प्रतिपूरक (एस वी सी) और दक्षिणी क्षेत्र में 1 स्थान पर स्टेटकाम आरंभ किए गए हैं। वोल्टेज को बनाए रखने और ग्रिड की स्थिरता में सुधार लाने के लिए रिएक्टिव पावर के गत्यात्मक नियंत्रण के लिए उत्तरी क्षेत्र में 1 स्थान पर एसवीसी और अखिल भारतीय ग्रिड पर 13 स्थानों में स्टेटकाम (पश्चिमी क्षेत्र में 4, पूर्वी क्षेत्र में 4, दक्षिणी क्षेत्र में 3 और उत्तरी क्षेत्र में 2) क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ये गतिशील प्रतिपूरक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित होंगे और ग्रिड को ऑनलाइन गतिशील समर्थन प्रदान करेंगे।

8. जारी पारेषण लाइन परियोजनाओं में प्रयोग के लिए 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, ±320 केवी एचवीडीसी ±800केवी एचवीडीसी और 765 केवी डी/सी बहु सर्किट टावरों सहित आंतरिक टावर और नींव डिजाइन का विकास।

9. एचटीएलएस कंडक्टरों के लिए स्वदेशी विक्रेताओं का विकास।

10. विशेष संकीर्ण आधार पर टावर का डिजाइन ताकि 765 केवी डी/सी पारेषण लाइन पार हो सके।

11. भारत में 765 केवी जीआईएस के लिए विक्रेता विकास।

12. हरित ऊर्जा कोरिडोर : व्यापक पैमाने पर नवीकरणीय उत्पादन का एकीकरण सुकर करने के लिए पावरग्रिड ने देश में आठ नवीकरणीय संसाधन समृद्ध राज्यों में हरित ऊर्जा कोरिडोरों (जीईएस) का कार्यान्वयन शुरू किया है। इन कोरिडोरों में पूलिंग उप केंद्रों की स्थापना, प्रतिक्रियात्मक प्रतिपूर्ति सहित 765 केवी एवं 400 केवी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पारेषण लाइनें शामिल हैं। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की विविधता और अनिरंतरता से निपटने के लिए हम विभिन्न एसएलडीसी/आरएलडीसी/एनएलडीसी में नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) स्थापित कर रहे हैं। आरईएमसी से नवीकरणीय संसाधनों और अनिरंतर नवीकरणीय उत्पादन के दक्ष प्रबंधन का पूर्वानुमान हो पाएगा।

   हम पूरे राष्ट्र में सौर संसाधनों के माध्यम से नवीकरणीय उत्पादन निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन कर रहे हैं और हमने अंतर्राष्ट्रीय पारेषण नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न अल्ट्रा मेगा और पार्कों से विद्युत निकालने के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। साथ ही आपकी कंपनी देश में आईएसटीएस नेटवर्क के साथ एकीकृत विभिन्न और पार्कों के लिए निकास प्रणाली भी कार्यान्वित कर रही हैं।

13. 400 केवी पारेषण लाइनों के लिए सर्किट ब्रेकर और ट्रांसफार्मरों की नियंत्रित स्विचिंग स्कीमों का कार्यान्वयन।

14. जीआईएस प्लेटफार्म पर इंजीनियरी डाटा का एकीकरण।

15. प्रोसेस बस प्रौद्योगिकी : भिवाड़ी उपकेंद्र और नीमराना उपकेंद्र की प्रोसेस बस प्रौद्योगिकी संबंधी प्रायोगिक परियोजनाओं से अनुभव लेते हुए पावरग्रिड ने प्रोसेस बस पर आधारित उन्नत आटोमेशन प्रणाली के साथ रेट्रोफिटिंग पारंपरिक सुरक्षा एवं नियंत्रण स्कीमों के लिए मलेरकोटला उपकेंद्र पर परियोजना आरंभ की है। इसके साथ ही, पावरग्रिड चंडीगढ़ में आरंभ होने वाले 220/66 केवी जीआईएस उपकेंद्र में प्रोसेस बस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। नई स्कीम से भविष्य में अनुरक्षण और समस्या निवारण आसान होने की संभावना है तथा किसी आकस्मिकता में पुनः स्थापन में

कम समय लगने की संभावना हैं। साथ ही, महीन फाइबर ऑप्टिक केबल से बड़ी मात्रा में कायर केबल के प्रतिस्थापन से जगह की आवश्यकता को इष्टतम किए जाने की संभावना है।

16. प्रदूषण मानचित्रण : पावरग्रिड दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एसआरपीसी और ईआरपीसी) और दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र के संघटक एसटीयू के साथ सहयोग से दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में प्रदूषण मानचित्रण गतिविधि कर रहा है।

17. भौगोलिक सूचना प्रणाली उपस्कर : पावरग्रिड ने नई पारेषण लाइनों की आयोजना के दौरान मार्ग संरेखण के लिए तथा आपदा प्रबंधन अध्ययनों के लिए अपनी पारेषण परिसंपत्तियों के मानचित्रण के लिए प्रायोगिक आधार पर भुवन जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली उपस्कर का उपयोग आरंभ किया है।

18. 765 केवी आईसोलेटरों और हिलोरे रोकने के लिए देशी विक्रेताओं का विकास।

19. 765 केवी क्लेम्प, कनेक्टर और इंसुलेटर स्ट्रिंग हार्डवेयर का देशी विकास।

20. आउटेज/बंद होने की अवधि को न्यूनतम करने के लिए 765 केवी ट्रांसफार्मर और रिएक्टर के लिए अतिरिक्त फेज स्विचिंग व्यवस्था को अपनाया जा रहा है।

21. व्यापक क्षेत्र में मापनों और ग्रिड पैरामीटरों की वास्तविक समय पर मानीटरिंग के लिए नियंत्रण केंद्रों के साथ संपूर्ण भारत आधार पर एकीकृत ईएचवी उपस्टेशनों में फेजर मापन यूनिट (पीएमयू) की संस्थापना के माध्यम से विद्युत प्रणाली में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

22. वितरण अवसंरचना, उन्नत मीटरिंग अवसंरचना, कुशाग्र आउटेज प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, विद्युत गुणवत्ता प्रबंधन, वितरित उत्पादन, नेट मीटरिंग आदि को शामिल करते हुए नौ (9) परियोजनाओं के लिए स्मार्ट ग्रिड परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

प्रौद्योगिकी आमेलन :

1. रूट चयन के लिए, पारेषण लाइनों के लिए लंबाई को इष्टतम करने और बीओक्यू का अनुमान लगाने के लिए पावरग्रिड ने आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का प्रयोग किया है।

2. आईईसी 61850 प्रोटोकोल के साथ सब स्टेशन स्वचालन को पावरग्रिड के सभी नए सब-स्टेशनों के लिए अपनाया जा रहा है। इसके फलस्वरूप प्रचालनात्मक लागत में बचत होगी और प्रचालनात्मक और अनुरक्षण कुशलता बढ़ेगी।

3. राष्ट्रीय ग्रिड की दिशा में कदम के रूप में और हमारे देश में 765 केवी एसी डी/सी और ±500 केवी एचवीडीसी और ±800 केवी एचवीडीसी और प्रौद्योगिकी क्रियान्वित की गई है।

4. विशेष क्षेत्रों में, साधन टावर जैसे पोल टावर, डेल्टा संरूपण टावर और संकीर्ण आधारित टावर जो टावर आधार द्वारा घेरे गए स्थान को कम करते हैं, का प्रयोग किया जा रहा है। लंबे टावरों और बहु सर्किट टावरों का भी प्रयोग दुर्लभ रास्ते के आधार पर संरक्षण किया जा रहा है।

5. एचवीडीसी प्रणाली में धात्विक रिटर्न के प्रयोग को अपनाया गया है।

6. प्रदूषित क्षेत्रों में पारेषण लाइनों में विशेष इंसुलेटरों जैसे पालिमर मिश्रित इंसुलेटरों को अपनाया गया है।

7. पारेषण गलियारों की अंतरण क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च तापक्रम वाले निम्न सैग कंडक्टरों को अपनाया गया है।

8. जगह की तंगी वाले सब-स्टेशनों में 400 केवी और 765 केवी स्तर पर जीआईएस प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है।

9. सब-स्टेशन के निकट लाइन गलियारा क्षेत्रों को इष्टतम करने के लिए बहु-सीकेटी लाइनों के साथ जीआईएस और एआईएस सब-स्टेशनों में बहु-स्तरीय बीम का प्रयोग किया गया है।

10. विद्युत ट्रांसफार्मरों का महत्त्वपूर्ण पैरामीटरों की मानीटरिंग के लिए ऑनलाइन ट्रांसफार्मर तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।

11. वोल्टता बनाए रखने तथा ग्रिड की स्थिरता में सुधार लाने के लिए प्रतिक्रियात्मक विद्युत के प्रभावी नियंत्रण के लिए एसवीसी और स्टेटकॉमों के रूप में प्रभावी प्रतिपूर्ति कार्यान्वित की जा रही है। प्रणाली में शार्ट सर्किट करंट को नियंत्रित करने के लिए ग्रिड में फाल्ट करंट लिमिटरों की योजना बनाई गई है।

ग. भूमि का संरक्षण और पर्यावरणीय समस्याएं

एचवीडीसी बाईपोलर पारेषण प्रणाली के प्रचालन के ग्राउंड रिटर्न मोड के लिए अब इलेक्ट्रोड स्टेशनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिनके लिए इलेक्ट्रोड स्थल लगभग 150 एकड़ भूमि (बाईपोलर प्रणाली के प्रत्येक टर्मिनल के लिए 75 एकड़) की जरूरत होती है। इन इलेक्ट्रोड स्टेशनों के लिए भूमि का चयन, अर्थ इलेक्ट्रोड स्टेशन के प्रस्तावित स्थल के केंद्र से लगभग 8 से 10 किलोमीटर के घेरे में कोई दबी हुई धात्विक वस्तु अर्थात धात्वित तेल और गैस पाइन लाइन, धात्विक पाइपें, रेलवे लाइन, धात्विक तारों का प्रयोग करके टेलीफोन लाइनें, बिजली से चलने वाली पानी के पम्प सेट आदि को ध्यान में रखकर किया जाना होता हे। चूंकि इनवर्टर टर्मिनल सामान्यतः लोड केंद्रों के निकट स्थित होते हैं, इसलिए भूमि अधिग्रहण की लागत काफी ऊंची होती है।

इसके अलावा, एचवीडीसी टर्मिनल की इलेक्ट्रोड लाइन के लिए इसके रास्ते का अधिकार भी अपेक्षित होता है जो भूमि प्रयोग की बाधा का सृजन करता है।

इसलिए, भविष्य की ±800 केवी/±600 केवी परियोजनाओं के लिए रिटर्न पाथ के रूप में ग्राउंड इलेक्ट्रोड रखने की बजाय लाइन/पोल कंडक्टर को ले जाने वाले उसी टावर में तीसरे रिटर्न कंडक्टर के प्रयोग को अपनाया गया है। अर्थ इलेक्ट्रोड स्टेशन के उचित रूप में कार्य करने के बारे में अनिश्चितता के कारक को समाप्त करने के लिए, रिटर्न पाथ के रूप में तीसरे कंडक्टर का प्रयोग पारंपरिक इलेक्ट्रोड स्टेशन के लिए अपेक्षित भूमि के संरक्षण में परिणत होगा। यह अलग इलेक्ट्रोड लाइन और इलेक्ट्रोड लाइन से संबंधित तदनुरूपी रास्ते के अधिकार से बचेगा जिससे और भूमि संरक्षण होगा।

पावरग्रिड प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में बहुत सी पहले की गई हैं। भूमि जो अब दुर्लभ संसाधन बन गया है, अतः सब-स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान मुद्दों का आधिक्य उठता है। पावरग्रिड ने नई प्रौद्योगिकी (उदाहरण के लिए वायु इंसुलेटिड सब स्टेशन से गैस इंसुलेटिड सब स्टेशन) का उपयोग करके भूमि की आवश्यकता को काफी कम किया है। आजकल नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधिनियमित होने से भूमि अधिग्रहण एक प्रमुख समस्या है। पावरग्रिड ने भूमि अधिग्रहण के दौरान आने वाले जनता के प्रतिरोध और न्यायालय हस्तक्षेप से बचने के लिए बाजार/बातचीत की गई दर पर इच्छुक खरीदार इच्छुक विक्रेता पर समिति के माध्यम से भूमि की प्रत्यक्ष खरीद के लिए नीति संबंधी निर्णय लिया है। पडघे, वाराणसी, ओराई, अलीगढ़ आदि के लिए भूमि उपर्युक्त विधि से खरीदी गई है।

पावरग्रिड इस तथ्य के प्रति जागरूक है कि उनकी परियोजनाएं कुल मिलाकर पारेषण लाइनों के रूट के साथ-साथ उप-स्टेशनों की स्थापना में उपलब्ध निहित लोचशीलता के कारण पर्यावरणीय हितैषी है। परंतु पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियां समझते हुए पावरग्रिड ने सदैव अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में योजना से लेकर पूरा होने तक और बाद में परियोजनाओं के प्रचालन में पर्यावरण के परिरक्षण का प्रयास किया है। पावरग्रिड स्वयं को संधारणीय विकास के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करता है जो हमारी सुपरिभाषित पर्यावरणीय सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं सहित हमारे आदर्श वाक्य ''कम करें जहां आप कर सकते हैं और मंद करें जहां आप नहीं सकते'', के माध्यम से दर्शाया गया है।

वर्तमान में हमारे द्वारा सामना की जा रही सबसे महत्त्वपूर्ण चिंता पारेषण लाइनों के लिए रास्ते के अधिकार की पहुंच है। विभिन्न कारक जैसे कि जनसंख्या का उच्च घनत्व, अन्य जारी अवसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय परिरक्षण के लिए हमारा कर्त्तव्य आरओडब्ल्यू मुद्दों के विहीन सबसे इष्टतम मार्ग का चयन करने की स्वतंत्रता को सीमित करता है। संभव सीमा तक ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से पावरग्रिड ने आरओडब्ल्यू की चौड़ाई कम करने के लिए नवीन टावर डिजाइन अपनाया है और वन तथा अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदी क्षेत्रों में केवल दोहरे सर्किट (डी/सी) या बहु-सर्किट टावर संस्थापित करने का नीति संबंधी निर्णय भी लिया है। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज जैसे 765/800 केवी के व्यापक उपयोग, वह भी डी/सी लाइनों पर, ने भी ले जाने की क्षमता का 6000 मेगावाट तक विस्तार किया है, जिसने बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों और आरओडब्ल्यू को भी संरक्षित करने में सहायता दी है।

विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(₹करोड़ में)

विदेशी मुद्रा अर्जन		
(i)	परामर्श शुल्क	23.34
	कुल	**23.34**
विदेशी मुद्रा व्यय		
(i)	पूंजीगत माल और अतिरिक्त पुर्जे	3,242.22
(ii)	ब्याज	546.03
(iii)	अन्य	163.31
	कुल	**3,951.56**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(आई. एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00015615

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 अगस्त, 2017

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-IV

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखाकरण संबंधी मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित है। दिनांक 29 मई, 2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत उनके द्वारा ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजातों की उपलब्धता के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ तथा कुछ चुनिंदा लेखाकरण रिकार्डों की जांच तक ही सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं आई है, जो सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में की गई कोई टिप्पणी बने अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का पूरक बने।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III , नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 जुलाई, 2017

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्धारित लेखांकन संबंधी मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित है। दिनांक 29 मई, 2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत उनके द्वारा ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है परंतु हमने उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुबंध-I में सूचीबद्ध सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6) (ख) संबंधित कानूनों के तहत निजी कंपनियां होने के नाते पावरलिंक पारेषण लिमिटेड, टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड, जेपी पावरग्रिड लिमिटेड और पार्बती कोलडैम पारेषण कंपनी लिमिटेड तथा विदेश में निगमित होने के नाते विद्युत पारेषण कंपनी नेपाल लिमिटेड पर उनके सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने या पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए लागू नहीं हैं। तदनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने न तो इन कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है और न ही इन कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों को कार्यकारी कागजात उपलब्ध कराए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कुछ भी महत्त्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है, जिससे कोई टिप्पणी बने या सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का पूरक बने।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III , नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 जुलाई, 2017

सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां जिनके वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित नहीं किए गए हैं :

क) भारत में निगमित सहायक कंपनियां

1. पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड
2. पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
3. पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड
4. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड
5. पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड
6. पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
7. पावरग्रिड पारली ट्रांसमिशन लिमिटेड
8. पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड
9. पावरग्रिड दक्षिण अंतर्संयोजक पारेषण प्रणाली लिमिटेड
10. ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड
11. मेदिनिपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड

ख) भारत में निगमित संयुक्त उद्यम

1. बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
2. कलिंगा बिदुयत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड
3. क्रॉस बॉर्डर पावर पारेषण कंपनी लिमिटेड
4. आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड
5. तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
6. नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
7. नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-V

प्रपत्र संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्य,

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

हमने प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके पश्चात कंपनी कहा जाएगा) द्वारा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई थी कि इसने कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए समुचित आधार पर उन पर हमारी राय व्यक्त करने का प्रावधान किया।

सचिवीय लेखापरीक्षा करने के दौरान कंपनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और दाखिल की गई विवरणियों और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्‌द्वारा रिपार्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पालन किया है और यह भी कि कंपनी के उचित बोर्ड-प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक है और उस ढंग से है और इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन है :

हमने वित्तप्रावधाकों के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तिय वर्ष के कम्पनी द्वारा किए गए बहियों पेपरों, मिनटपुस्तकों, फार्मो एवं दप्तर की गई विवरणियों एवं अन्य रिकार्डो की जांच की हैं।

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपाजिटरी अधिनियम, 1956 और विनियम 55क की सीमा तक उसके तहत बनाए गए विनियम और उपविधियां;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत विनिर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :

  (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

  (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इंसाइडर ट्रेडिंग का निवेश) विनियम, 2015;

  (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन शर्त) विनियम, 2009;

  (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; लागू नहीं

  (ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियां जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008;

  (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम का रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम के संबंध में और जारी प्रतिभूतियों की सीमा तक ग्राहक से लेनदेन;

  (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009, लागू नहीं; और

  (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 1998; लागू नहीं।

(vi) जैसाकि कंपनी के प्रबंध द्वारा सूचित और प्रमाणित किया गया है निम्नलिखित कानून, क्षेत्र/उद्योग के आधार पर कंपनी पर विशेष रूप से लागू हैं :

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उसके तहत बनाए गए नियम एवं विनियम।

हमने निम्नलिखित को लागू खंडों/विनियमों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक 01.07.2015 से प्रभावी।

(ii) सेबी (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटन शर्त) विनियम, 2015 के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), बीएसई लिमिटेड के साथ कंपनी द्वारा किए गए एक समान सूचीकरण करार।

(iii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटन शर्त) विनियम, 2015

आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

1. कंपनी ने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन शर्त) विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधान का पालन नहीं किया है। एसके अलावा, कम्पनी के स्वतंत्र निदेशको की एक अलग बैठक, जदैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के तहत अपेक्षित है। पुनरीक्षाधीन वर्ष में नहीं -------- रखी गई थी।

2. कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति के गठन के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन शर्त विनियम, 2015 के विनियम 18 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

3. कंपनी ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं शर्त प्रकटन शर्त) विनियम, 2015 के विनियम 19 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है।

4- कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रभार करने से संबंधित कतिपय ई-फार्म प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनमें ऋणदाताओं के स्थायी लेखा संख्या (पैन) उपलब्ध नहीं हैं, जो कि अनिवार्य है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

उपर्युक्त क्रम सं. 1, 2 और 3 के प्रेक्षणों के अध्यधीन दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या को छोड़कर कंपनी का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के साथ यथोचित रूप से गठित है। निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन जो आलोच्य अवधि के दौरान हुए, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों को आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट अग्रिम रूप से भेजे गए थे और बैठक से पहले और बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए एजेंडा मदों और सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है। सभी निदेशकों की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं।

हम आगे रिपार्ट करते हैं कि प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को मानीटर और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अर्थात निजी प्लेसमेंट के आधार पर ₹13481 करोड़ के बांड जारी किए हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	बांड के प्रकार	राशि (₹करोड़ में)
1	प्रतिभूत, गैर संचयी, प्राप्य, करयोग्य पावरग्रिड बांड एल III इशू	3996
2	प्रतिभूत, गैर संचयी, प्राप्य, करयोग्य पावरग्रिड बांड एल IV इशू	3000
3	प्रतिभूत, गैर संचयी, प्राप्य, करयोग्य पावरग्रिड बांड एल V इशू	1240
4	प्रतिभूत, गैर संचयी, प्राप्य, करयोग्य पावरग्रिड बांड एल VI इशू	1065
5	प्रतिभूत, गैर संचयी, प्राप्य, करयोग्य पावरग्रिड बांड एल VII इशू	2120
6	प्रतिभूत, गैर संचयी, प्राप्य, करयोग्य पावरग्रिड बांड एल VIII इशू	2060

कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

हस्ता./-

(नरेश कुमार सिन्हा)

प्रोप्राइटर

सदस्यता संख्या : एफसीएस1807

प्रेक्टिस प्रमाणपत्र संख्या : 14984

दिनांक : 06.06.2017

स्थान : नोएडा

टिप्पणी : इस रिपोर्ट को हमारे उसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

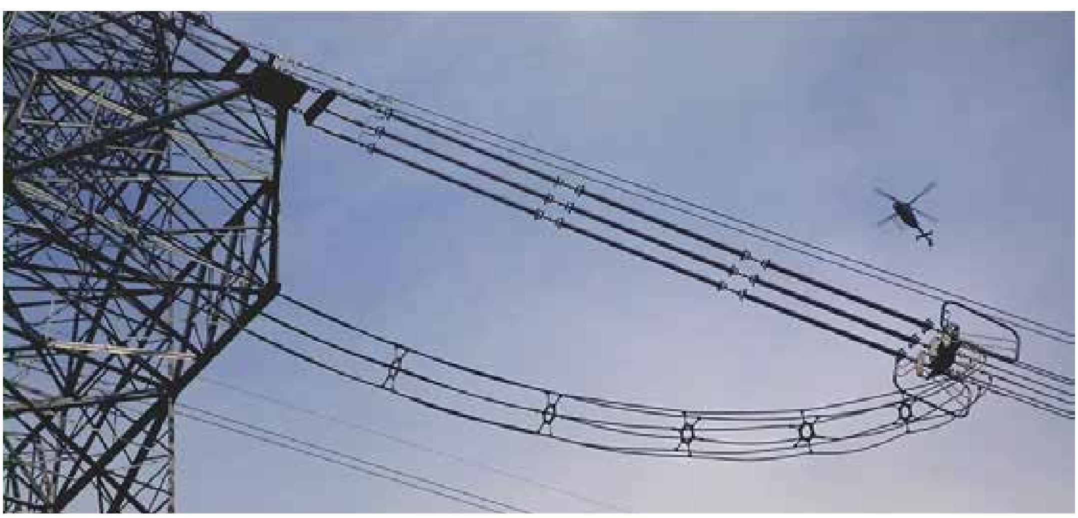

अनुबंध-क

सेवा में,
सदस्य,
पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकार्डों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा प्रथाएं और प्रक्रिया अपनाए हैं जो सचिवीय रिकार्डों की सामग्री की शुद्धता के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन यादृच्छिक आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रथा हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार थे।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और खाता बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित था हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं के होने आदि के बारे में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधान के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य में व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और न ही कंपनी के कार्यों को करने में प्रबंध की प्रभाविता है।

कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
हस्ता./-
(नरेश कुमार सिन्हा)
प्रोप्राइटर
सदस्यता संख्या : एफसीएस1807
प्रेक्टिस प्रमाणपत्र संख्या : 14984
दिनांक : 06.06.2017
स्थान : नोएडा

सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर बोर्ड का स्पष्टीकरण

<table>
<tr><th>टिप्पणी</th><th>बोर्ड का स्पष्टीकरण</th></tr>
<tr><td>1. कंपनी ने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन शर्त) विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधान का पालन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के तहत यथा अपेक्षित कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित नहीं की गई।</td><td rowspan="3">पावरग्रिड के कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2(45) के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। वर्ष के दौरान पावरग्रिड के बोर्ड में 7 स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के प्रति केवल तीन पद भरे गए हैं - दिनांक 17.11.2015 को श्री जगदीश ईश्वरभाई पटेल और दिनांक 16.02.2017 को श्री त्से तेन दोरजी और सुश्री ज्योतिका कालरा। सुश्री ज्योतिका कालरा ने दिनांक 06.04.2017 से स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया है।

इसलिए, कंपनी अधिनियम की धारा 149,177 और 178 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन शर्त) के विनियम 17 और 18 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पाई है जैसाकि सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणी की गई है। तथापि, कंपनी ने दिनांक 29.03.2017 को इन समितियों के पुनर्गठन के मद्देनजर दिनांक 29.03.2017 से 31.03.2017 की अवधि के दौरान ''लेखापरीक्षा समिति'' और ''नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति'' के गठन का पालन किया। पावरग्रिड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की रिक्तियों को भरने के लिए मामले को प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष पहले ही उठाया गया है।

चूंकि वर्ष 2016 के दौरान पावरग्रिड के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था इसलिए उनकी बैठक बुलाई नहीं जा सकी।</td></tr>
<tr><td>2. कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति के गठन के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन शर्त) विनियम, 2015 के विनियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।</td></tr>
<tr><td>3. कंपनी ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन शर्त) विनियम, 2015 के विनियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।</td></tr>
<tr><td>4. कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रभार तैयार करने से संबंधित कतिपय ई-फार्म प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनमें ऋणदाताओं के स्थायी लेखा संख्या (पैन) उपलब्ध नहीं हैं जो कि अनिवार्य है।</td><td>पावरग्रिड एजेंसियों के पैन की अनुपलब्धता के कारण एमसीए 21 के प्रभार के संबंध में कतिपय ई-फार्म प्रस्तुत नहीं कर सका जिसमें ऋणदाता बहुपक्षीय एजेंसियां - विश्व बैंक, एडीबी और आईएफसी हैं। एमसीए-21 में ई-फाइल करने के लिए पैन एक अनिवार्य क्षेत्र है।</td></tr>
</table>

फार्म संख्या एमजीटी-9

वार्षिक विवरण का उद्धरण

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे :

i	सीआईएन	एल40101डीएल1989जीओआई038121
ii	पंजीकरण की तिथि	23 अक्तूबर, 1989
iii	कंपनी का नाम	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/केंद्र सरकार की कंपनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
vi	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	हां
vii	रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा	कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट संख्या 31 और 32, गच्चीवॉली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032 दूरभाष : 91-40-67162222, फैक्स : +91-40-23420814, टोल फ्री सं. : 1800-345-4001

II. कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियाः

कंपनी के कुल कारोबार के 10 प्रतिशत या अधिक योगदान देने वाले सभी व्यवसाय गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा।

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	पारेषण	35107	95.87 प्रतिशत

III. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियों के ब्यौरे :

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/सहयोगी	धारित शेयरों की प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
1	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016	यू40300डीएल2011जीओआई217975	सहायक	100	धारा 2(87)
2	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016	यू40106डीएल2011जीओआई219542	सहायक	100	धारा 2(87)
3	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016	यू40300डीएल2011जीओआई228136	सहायक	100	धारा 2(87)
4	पावरग्रिड दक्षिण ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016	यू40300डीएल2012जीओआई246341	सहायक	100	धारा 2(87)
5	पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016	यू40106डीएल2013जीओआई256048	सहायक	100	धारा 2(87)
6	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन पंजीकृत कार्यालय 8वीं मंजिल, ''ए'' विंग, सौदामिनी प्लॉट नं. 2, सेक्टर 29, गुड़गांव-122001, हरियाणा	यू40300डीएल2014जीओआई270433	सहायक	100	धारा 2(87)

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/सहयोगी	धारित शेयरों की प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
7	पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016	यू40300डीएल2014जीओआई269918	सहायक	100	धारा 2(87)
8	पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016	यू40109डीएल2014जीओआई269652	सहायक	100	धारा 2(87)
9	पावरग्रिड दक्षिण अंतर्संयोजक ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016	यू40106डीएल2015जीओआई278746	सहायक	100	धारा 2(87)
10	ग्रिड कंडक्टर्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: 8वीं मंजिल, ''ए'' विंग, सौदामिनी प्लॉट नं. 2, सेक्टर 29, गुड़गांव-122001, हरियाणा	यू31909एचआर2015जीओआई056647	सहायक	100	धारा 2(87)
11	पावरग्रिड मेदिनिपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016	यू40300डीएल2016जीओआई290075	सहायक	100	धारा 2(87)
12	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, 10वां तल, डीएलएफ टावर ए, जिला केंद्र जसोला, नई दिल्ली-110025	यू40105डीएल2001पीएलसी110714	संयुक्त उद्यम	49	धारा 2(6)
13	टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड, टोरेंट हाउस, आशाराम रोड के पीछे, अहमदाबाद-380009	यू40104जीजे2005पीएलसी046660	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2(6)
14	जेपी पावरग्रिड लिमिटेड, जेए हाउस, 63 वसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057	यू40101डीएल2006पीएलसी154627	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2(6)
15	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, हाउस नं. 051358 डालेश्वर रोड नं. 3, पीओ डालेश्वर, अगरतला-794007	यू40101टीआर2008पीएलसी008249	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2(6)
16	पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016	यू40108डीएल2002पीएलसी116786	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2(6)
17	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, द्वितीय तल, विजय भवन, 7 बाराखंभा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001	यू40109डीएल2006एसजीसी151871	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2(6)
18	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड, कोर 7, प्रथम तल स्कोप काम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	यू73100डीएल2009पीटीसी190541	संयुक्त उद्यम	20	धारा 2(6)
19	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, दूसरा तल, बोरिंग रोड, अलंकार प्लेस, पटना, बिहार-800001	यू40100बीआर2013पीएलसी019722	संयुक्त उद्यम	50	धारा 2(6)
20	कालिंगा बिद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 2, शहीद नगर, भुवनेश्वर, खोरडा-751007	यू40102ओआर2012पीटीसी016411	संयुक्त उद्यम	50	धारा 2(6)
21	क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मार्फत आईएल एंड एफएस सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड, 10, कम्यूनिटी सेंटर, दूसरा तल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065	यू40102डीएल2006पीएलसी156738	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2(6)
22	आर आई एन एल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड, (आर पी टी पी एल) कमरा नं. 31, बी ब्लॉक परियोजना कार्यालय, विशाखापटनम, इस्पात संयंत्र, विशाखापटनम-530031, आंध्र प्रदेश, भारत	यू28121एपी2015पीटीसी097211	संयुक्त उद्यम	50	धारा 2(6)
23	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड, मार्फत नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, दरबार मार्ग, काठमांडू, नेपाल	-	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2(6)

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रति प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विभाजन)

श्रेणी कोड	शेयरधारक की श्रेणी	01.04.2016 को वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की संख्या				31.03.2017 को वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान : प्रतिशत परिवर्तन
		डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(क)	**प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह**									
(1)	भारतीय									
(क)	व्यक्ति/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार (सरकारें)	3028835198	0	3028835198	57.90	3028835198	0	3028835198	57.90	0.00
(ग)	निकाय कॉर्पोरेट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	वित्तीय संस्थान/बैंक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ङ.)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप-योग क (1) :	**3028835198**	**0**	**3028835198**	**57.90**	**3028835198**	**0**	**3028835198**	**57.90**	**0.00**
(2)	विदेशी									
(क)	व्यक्ति (एनआरआई/ विदेशी व्यक्ति)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	निकाय कॉर्पोरेट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ग)	संस्था	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ङ.)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप-योग क (2) :	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	जोड़ क = क(1) + क(2)	**3028835198**	**0**	**3028835198**	**57.90**	**3028835198**	**0**	**3028835198**	**57.90**	**0.00**
(ख)	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
(1)	संस्था									
(क)	म्युचुअल फंड	249258323	0	249258323	4.76	276186229	0	276186229	5.28	0.51
(ख)	वित्तीय संस्था/बैंक	41222176	0	41222176	0.79	37664995	0	37664995	0.72	-0.07
(ग)	केंद्र सरकार/राज्य सरकार (सरकारें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	वेंचर पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ङ.)	बीमा कंपनियां	144088169	0	144088169	2.75	131716517	0	131716517	2.52	-0.24
(च)	विदेशी संस्थागत निवेशक	1374862451	0	1374862451	26.28	1389716715	0	1389716715	26.56	0.28

श्रेणी कोड	शेयरधारक की श्रेणी	01.04.2016 को वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की संख्या				31.03.2017 को वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान : प्रतिशत परिवर्तन
		डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(छ)	विदेशी बेंचर पूंजी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ज)	अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(झ)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप-योग ख (1)	**1809431119**	**0**	**1809431119**	**34.59**	**1835284456**	**0**	**1835284456**	**35.08**	**0.49**
(2)	**गैर-संस्थाएं**									
(क)	निकाय कॉर्पोरेट	185247255	0	185247255	3.54	161403440	0	161403440	3.09	-0.46
(ख)	व्यक्ति									
	(i) ₹ 1 लाख तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्ति	162306620	35059	162341679	3.10	152771059	33612	152804671	2.92	-0.18
	(ii) ₹ 1 लाख से अधिक में सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्ति	11737618	10500	11748118	0.22	13345899	10500	13356399	0.26	0.03
(ग)	अन्य									
	क्लीयरिंग सदस्य	2547387	0	2547387	0.05	5712753	0	5712753	0.11	0.06
	विदेशी निकाय	11123476	0	11123476	0.21	8342607	0	8342607	0.16	-0.05
	एनबीएफसी	1484274	0	1484274	0.03	526296	0	526296	0.01	-0.02
	अनिवासी भारतीय	3403231	0	3403231	0.07	2608653	0	2608653	0.05	-0.02
	एनआरआई गैर-प्रत्यावर्तन	0	0	0	0.00	1322483	0	1322483	0.03	0.03
	न्यास	**15427911**	**0**	**15427911**	**0.29**	**21392692**	**0**	**21392692**	**0.41**	**0.11**
(घ)	अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप-योग ख (2)	**393277772**	**45559**	**393323331**	**7.52**	**367425882**	**44112**	**367469994**	**7.02**	**-0.49**
	जोड़ ख=ख (1)+ख (2)	**2202708891**	**45559**	**2202754450**	**42.10**	**2202710338**	**44112**	**2202754450**	**42.10**	**0.00**
	कुल (क) + (ख)	**5231544089**	**45559**	**5231589648**	**100.00**	**5231545536**	**44112**	**5231589648**	**100.00**	**0.00**
(ग)	अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर, जिसके विरुद्ध डिपाजिटरी रसीद जारी की गई है									
(1)	प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह									
(2)	जनता	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	कुल योग (क+ख+ग)	**5231544089**	**45559**	**5231589648**	**100.00**	**5231545536**	**44112**	**5231589648**	**100.00**	

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	01.04.2016 को वर्ष के शुरू में शेयरधारिता			31.03.2017 को वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति भारित गिरवी शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति भारित गिरवी शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति	2927565398	55.9593851	0	2927565398	55.9593851	0	0
2	भारत के राष्ट्रपति	101269800	1.935736685	0	101269800	1.935736685	0	0
	कुल	**3028835198**	**57.89512178**	**0**	**3028835198**	**57.89512178**	**0**	**0**

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (विनिर्दिष्ट करें यदि कोई परिवर्तन हो)

क्र.सं.		01.04.2016 को वर्ष के शुरू में शेयरधारिता		31.03.2017 को वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के शुरूमें				
	वृद्धि/कमी (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) के लिए कारण निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	**कोई परिवर्तन नहीं**			
	वर्ष के अंत में				

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एएचडीआर धारकों को छोड़कर)

31.03.2016 और 31.03.2017 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना									
			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्र.सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
1	अथ शेष	यूरोपैसिफिक ग्रोथ फंड	201847722	3.86	31/03/2016			201847722	3.86
	विक्रय				08/04/2016	-1287067	हस्तांतरण	200560655	3.83
	विक्रय				15/04/2016	-2567219	हस्तांतरण	197993436	3.78
	विक्रय				22/04/2016	-1005770	हस्तांतरण	196987666	3.77
	विक्रय				09/12/2016	-3640993	हस्तांतरण	193346673	3.70
	विक्रय				16/12/2016	-1149222	हस्तांतरण	192197451	3.67
	विक्रय				23/12/2016	-249785	हस्तांतरण	191947666	3.67
	इति शेष				31/03/2017			191947666	3.67

31.03.2016 और 31.03.2017 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना									
			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्र.सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
2	अथ शेष	भारतीय जीवन बीमा निगम	169473294	3.24	31/03/2016			169473294	3.24
	विक्रय				08/04/2016	-4657417	हस्तांतरण	164815877	3.15
	विक्रय				15/04/2016	-5981051	हस्तांतरण	158834826	3.04
	विक्रय				22/04/2016	-1569252	हस्तांतरण	157265574	3.01
	विक्रय				20/05/2016	-258907	हस्तांतरण	157006667	3.00
	विक्रय				27/05/2016	-400000	हस्तांतरण	156606667	2.99
	विक्रय				03/06/2016	-100000	हस्तांतरण	156506667	2.99
	विक्रय				10/06/2016	-83000	हस्तांतरण	156423667	2.99
	विक्रय				17/06/2016	-170000	हस्तांतरण	156253667	2.99
	विक्रय				24/06/2016	-45000	हस्तांतरण	156208667	2.99
	विक्रय				30/06/2016	-30000	हस्तांतरण	156178667	2.99
	विक्रय				01/07/2016	-25000	हस्तांतरण	156153667	2.98
	विक्रय				08/07/2016	-40000	हस्तांतरण	156113667	2.98
	विक्रय				15/07/2016	-10000	हस्तांतरण	156103667	2.98
	विक्रय				29/07/2016	-100000	हस्तांतरण	156003667	2.98
	विक्रय				05/08/2016	-600000	हस्तांतरण	155403667	2.97
	विक्रय				19/08/2016	-33946	हस्तांतरण	155369721	2.97
	विक्रय				26/08/2016	-346004	हस्तांतरण	155023717	2.96
	विक्रय				02/09/2016	-235000	हस्तांतरण	154788717	2.96
	विक्रय				09/09/2016	-60000	हस्तांतरण	154728717	2.96
	विक्रय				30/09/2016	-25709	हस्तांतरण	154703008	2.96
	विक्रय				07/10/2016	-300000	हस्तांतरण	154403008	2.95
	विक्रय				14/10/2016	-200000	हस्तांतरण	154203008	2.95
	विक्रय				21/10/2016	-359566	हस्तांतरण	153843442	2.94
	विक्रय				28/10/2016	-150000	हस्तांतरण	153693442	2.94
	क्रय				11/11/2016	680000	हस्तांतरण	154373442	2.95
	विक्रय				02/12/2016	-610400	हस्तांतरण	153763042	2.94
	विक्रय				09/12/2016	-1095700	हस्तांतरण	152667342	2.92
	विक्रय				16/12/2016	-900000	हस्तांतरण	151767342	2.90
	विक्रय				23/12/2016	-450000	हस्तांतरण	151317342	2.89
	विक्रय				30/12/2016	-1000	हस्तांतरण	151316342	2.89
	विक्रय				06/01/2017	-5000	हस्तांतरण	151311342	2.89
	विक्रय				13/01/2017	-18190	हस्तांतरण	151293152	2.89

31.03.2016 और 31.03.2017 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना									
			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्र.सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	इति शेष				31/03/2017			151293152	2.89
3	अथ शेष	आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिऐन्टेड फंड	118596500	2.27	31/03/2016			118596500	2.27
	क्रय				08/04/2016	1096	हस्तांतरण	118597596	2.27
	विक्रय				08/04/2016	-10366	हस्तांतरण	118587230	2.27
	क्रय				15/04/2016	40000	हस्तांतरण	118627230	2.27
	विक्रय				15/04/2016	-262680	हस्तांतरण	118364550	2.26
	क्रय				22/04/2016	4572331	हस्तांतरण	122936881	2.35
	विक्रय				22/04/2016	-5175435	हस्तांतरण	117761446	2.25
	क्रय				29/04/2016	834569	हस्तांतरण	118596015	2.27
	क्रय				06/05/2016	772164	हस्तांतरण	119368179	2.28
	विक्रय				06/05/2016	-9241	हस्तांतरण	119358938	2.28
	क्रय				13/05/2016	11072762	हस्तांतरण	130431700	2.49
	विक्रय				13/05/2016	-11742701	हस्तांतरण	118688999	2.27
	क्रय				20/05/2016	1280161	हस्तांतरण	119969160	2.29
	विक्रय				20/05/2016	-1812	हस्तांतरण	119967348	2.29
	क्रय				27/05/2016	3882	हस्तांतरण	119971230	2.29
	विक्रय				27/05/2016	-3624	हस्तांतरण	119967606	2.29
	क्रय				03/06/2016	936302	हस्तांतरण	120903908	2.31
	विक्रय				03/06/2016	-1528087	हस्तांतरण	119375821	2.28
	क्रय				10/06/2016	268604	हस्तांतरण	119644425	2.29
	विक्रय				10/06/2016	-980100	हस्तांतरण	118664325	2.27
	क्रय				17/06/2016	4240	हस्तांतरण	118668565	2.27
	विक्रय				17/06/2016	-1042059	हस्तांतरण	117626506	2.25
	क्रय				24/06/2016	136991	हस्तांतरण	117763497	2.25
	विक्रय				24/06/2016	-287816	हस्तांतरण	117475681	2.25
	क्रय				30/06/2016	81106	हस्तांतरण	117556787	2.25
	विक्रय				01/07/2016	-1212	हस्तांतरण	117555575	2.25
	क्रय				08/07/2016	1572	हस्तांतरण	117557147	2.25
	विक्रय				08/07/2016	-2642721	हस्तांतरण	114914426	2.20
	विक्रय				15/07/2016	-4124572	हस्तांतरण	110789854	2.12
	क्रय				22/07/2016	5769	हस्तांतरण	110795623	2.12
	विक्रय				22/07/2016	-105922	हस्तांतरण	110689701	2.12

31.03.2016 और 31.03.2017 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना									
			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्र.सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	क्रय				29/07/2016	2432	हस्तांतरण	110692133	2.12
	क्रय				29/07/2016	-6696648	हस्तांतरण	103995485	1.99
	विक्रय				05/08/2016	1916864	हस्तांतरण	105912349	2.02
	क्रय				05/08/2016	-1836371	हस्तांतरण	104075978	1.99
	विक्रय				12/08/2016	400000	हस्तांतरण	104475978	2.00
	क्रय				12/08/2016	-2154590	हस्तांतरण	102321388	1.96
	विक्रय				19/08/2016	1824	हस्तांतरण	102323212	1.96
	विक्रय				26/08/2016	8512	हस्तांतरण	102331724	1.96
	क्रय				26/08/2016	-4862793	हस्तांतरण	97468931	1.86
	विक्रय				02/09/2016	2102037	हस्तांतरण	99570968	1.90
	क्रय				02/09/2016	-901920	हस्तांतरण	98669048	1.89
	विक्रय				09/09/2016	-894066	हस्तांतरण	97774982	1.87
	क्रय				16/09/2016	4848	हस्तांतरण	97779830	1.87
	विक्रय				16/09/2016	-863431	हस्तांतरण	96916399	1.85
	क्रय				23/09/2016	2462	हस्तांतरण	96918861	1.85
	विक्रय				23/09/2016	-890390	हस्तांतरण	96028471	1.84
	क्रय				30/09/2016	303	हस्तांतरण	96028774	1.84
	विक्रय				30/09/2016	-1930206	हस्तांतरण	94098568	1.80
	क्रय				07/10/2016	17710	हस्तांतरण	94116278	1.80
	विक्रय				07/10/2016	-2816814	हस्तांतरण	91299464	1.75
	क्रय				14/10/2016	11756	हस्तांतरण	91311220	1.75
	विक्रय				14/10/2016	-381725	हस्तांतरण	90929495	1.74
	क्रय				21/10/2016	392545	हस्तांतरण	91322040	1.75
	विक्रय				21/10/2016	-2700653	हस्तांतरण	88621387	1.69
	क्रय				28/10/2016	1034568	हस्तांतरण	89655955	1.71
	विक्रय				28/10/2016	-839432	हस्तांतरण	88816523	1.70
	क्रय				04/11/2016	580567	हस्तांतरण	89397090	1.71
	विक्रय				04/11/2016	-2064379	हस्तांतरण	87332711	1.67
	क्रय				11/11/2016	302375	हस्तांतरण	87635086	1.68
	विक्रय				11/11/2016	-1509090	हस्तांतरण	86125996	1.65
	क्रय				18/11/2016	14431	हस्तांतरण	86140427	1.65
	विक्रय				18/11/2016	-468369	हस्तांतरण	85672058	1.64
	क्रय				25/11/2016	463421	हस्तांतरण	86135479	1.65
	विक्रय				25/11/2016	-3391758	हस्तांतरण	82743721	1.58

31.03.2016 और 31.03.2017 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना									
			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्र.सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	क्रय				02/12/2016	7399	हस्तांतरण	82751120	1.58
	विक्रय				02/12/2016	-542809	हस्तांतरण	82208311	1.57
	क्रय				09/12/2016	535606	हस्तांतरण	82743917	1.58
	विक्रय				09/12/2016	-772183	हस्तांतरण	81971734	1.57
	क्रय				16/12/2016	3636	हस्तांतरण	81975370	1.57
	विक्रय				16/12/2016	-131017	हस्तांतरण	81844353	1.56
	क्रय				23/12/2016	9406	हस्तांतरण	81853759	1.56
	क्रय				30/12/2016	4848	हस्तांतरण	81858607	1.56
	विक्रय				30/12/2016	-3980000	हस्तांतरण	77878607	1.49
	क्रय				06/01/2017	436729	हस्तांतरण	78315336	1.50
	विक्रय				06/01/2017	-1509725	हस्तांतरण	76805611	1.47
	क्रय				13/01/2017	2004545	हस्तांतरण	78810156	1.51
	विक्रय				13/01/2017	-1738946	हस्तांतरण	77071210	1.47
	क्रय				20/01/2017	12992	हस्तांतरण	77084202	1.47
	विक्रय				20/01/2017	-3637013	हस्तांतरण	73447189	1.40
	क्रय				27/01/2017	7538	हस्तांतरण	73454727	1.40
	विक्रय				27/01/2017	-250423	हस्तांतरण	73204304	1.40
	क्रय				03/02/2017	300000	हस्तांतरण	73504304	1.41
	विक्रय				03/02/2017	-1206302	हस्तांतरण	72298002	1.38
	विक्रय				10/02/2017	4242	हस्तांतरण	72302244	1.38
	क्रय				10/02/2017	-1108421	हस्तांतरण	71193823	1.36
	विक्रय				17/02/2017	22760	हस्तांतरण	71216583	1.36
	क्रय				17/02/2017	-635961	हस्तांतरण	70580622	1.35
	विक्रय				24/02/2017	14847	हस्तांतरण	70595469	1.35
	क्रय				24/02/2017	-229	हस्तांतरण	70595240	1.35
	विक्रय				03/03/2017	2149300	हस्तांतरण	72744540	1.39
	क्रय				03/03/2017	-13271	हस्तांतरण	72731269	1.39
	विक्रय				10/03/2017	3163018	हस्तांतरण	75894287	1.45
	क्रय				10/03/2017	-4161	हस्तांतरण	75890126	1.45
	विक्रय				17/03/2017	1256430	हस्तांतरण	77146556	1.47
	क्रय				17/03/2017	-149028	हस्तांतरण	76997528	1.47
	विक्रय				24/03/2017	16001573	हस्तांतरण	92999101	1.78
	क्रय				24/03/2017	-15518781	हस्तांतरण	77480320	1.48
	विक्रय				31/03/2017	395259	हस्तांतरण	77875579	1.49
	क्रय				31/03/2017		हस्तांतरण	77875579	1.49

31.03.2016 और 31.03.2017 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना									
			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्र.सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
4	इति शेष		88005551	1.68	31/03/2016			88005551	1.68
	अथ शेष	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड			08/04/2016	100162		88105713	1.68
	क्रय				15/04/2016	187309	हस्तांतरण	88293022	1.69
	क्रय				22/04/2016	24152	हस्तांतरण	88317174	1.69
	क्रय				29/04/2016	-1961139	हस्तांतरण	86356035	1.65
	विक्रय				06/05/2016	262165	हस्तांतरण	86618200	1.66
	क्रय				13/05/2016	-333525	हस्तांतरण	86284675	1.65
	विक्रय				20/05/2016	-280402	हस्तांतरण	86004273	1.64
	विक्रय				27/05/2016	-2121540	हस्तांतरण	83882733	1.60
	विक्रय				03/06/2016	-180122	हस्तांतरण	83702611	1.60
	विक्रय				10/06/2016	282001	हस्तांतरण	83984612	1.61
	क्रय				17/06/2016	-7210	हस्तांतरण	83977402	1.61
	विक्रय				24/06/2016	168324	हस्तांतरण	84145726	1.61
	क्रय				24/06/2016	-50000	हस्तांतरण	84095726	1.61
	विक्रय				30/06/2016	-2657481	हस्तांतरण	81438245	1.56
	विक्रय				01/07/2016	-1303929	हस्तांतरण	80134316	1.53
	विक्रय				08/07/2016	-258979	हस्तांतरण	79875337	1.53
	विक्रय				15/07/2016	-407236	हस्तांतरण	79468101	1.52
	विक्रय				22/07/2016	-4592	हस्तांतरण	79463509	1.52
	विक्रय				29/07/2016	-1172700	हस्तांतरण	78290809	1.50
	विक्रय				05/08/2016	-199172	हस्तांतरण	78091637	1.49
	विक्रय				12/08/2016	105077	हस्तांतरण	78196714	1.49
	क्रय				19/08/2016	174809	हस्तांतरण	78371523	1.50
	क्रय				26/08/2016	-1818552	हस्तांतरण	76552971	1.46
	विक्रय				02/09/2016	963085	हस्तांतरण	77516056	1.48
	क्रय				09/09/2016	979515	हस्तांतरण	78495571	1.50
	क्रय				16/09/2016	-442898	हस्तांतरण	78052673	1.49
	विक्रय				23/09/2016	-1253695	हस्तांतरण	76798978	1.47
	विक्रय				30/09/2016	28314	हस्तांतरण	76827292	1.47
	क्रय				07/10/2016	-136018	हस्तांतरण	76691274	1.47
	विक्रय				14/10/2016	183078	हस्तांतरण	76874352	1.47
	क्रय				21/10/2016	549264	हस्तांतरण	77423616	1.48

31.03.2016 और 31.03.2017 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना									
			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्र.सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	क्रय				28/10/2016	-70099	हस्तांतरण	77353517	1.48
	विक्रय				04/11/2016	10643	हस्तांतरण	77364160	1.48
	क्रय				11/11/2016	-2122233	हस्तांतरण	75241927	1.44
	विक्रय				18/11/2016	157809	हस्तांतरण	75399736	1.44
	क्रय				25/11/2016	155436	हस्तांतरण	75555172	1.44
	क्रय				02/12/2016	149459	हस्तांतरण	75704631	1.45
	क्रय				09/12/2016	604	हस्तांतरण	75705235	1.45
	क्रय				16/12/2016	85	हस्तांतरण	75705320	1.45
	क्रय				23/12/2016	40485	हस्तांतरण	75745805	1.45
	क्रय				30/12/2016	74053	हस्तांतरण	75819858	1.45
	विक्रय				06/01/2017	-9203	हस्तांतरण	75810655	1.45
	क्रय				13/01/2017	135978	हस्तांतरण	75946633	1.45
	क्रय				20/01/2017	-2435197	हस्तांतरण	73511436	1.41
	विक्रय				27/01/2017	-1309001	हस्तांतरण	72202435	1.38
	विक्रय				03/02/2017	-339277	हस्तांतरण	71863158	1.37
	विक्रय				10/02/2017	98453	हस्तांतरण	71961611	1.38
	क्रय				17/02/2017	72153453	हस्तांतरण	144115064	2.75
	क्रय				17/02/2017	-71961611	हस्तांतरण	72153453	1.38
	विक्रय				24/02/2017	212517	हस्तांतरण	72365970	1.38
	क्रय				03/03/2017	147069	हस्तांतरण	72513039	1.39
	क्रय				10/03/2017	89143	हस्तांतरण	72602182	1.39
	क्रय				17/03/2017	-5722	हस्तांतरण	72596460	1.39
	विक्रय				24/03/2017	142570	हस्तांतरण	72739030	1.39
	क्रय				31/03/2017	-180586	हस्तांतरण	72558444	1.39
	इति शेष				31/03/2017		हस्तांतरण	72558444	1.39
5	अथ शेष	कामजेस्ट ग्रोथ पीएलसी कामजेस्ट ग्रोथ इमर्जिंग मार्क	74281497	1.42	31/03/2016			74281497	1.42
	क्रय				22/04/2016	274000		74555497	1.43
	विक्रय				19/08/2016	-2424359	हस्तांतरण	72131138	1.38
	विक्रय				26/08/2016	-2027048	हस्तांतरण	70104090	1.34
	क्रय				21/10/2016	1060992	हस्तांतरण	71165082	1.36
	विक्रय				25/11/2016	-3152894	हस्तांतरण	68012188	1.30
	विक्रय				02/12/2016	-4578044	हस्तांतरण	63434144	1.21

31.03.2016 और 31.03.2017 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना									
			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्र.सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	इति शेष				31/03/2017		हस्तांतरण	63434144	1.21
6	अथ शेष	न्यू वर्ल्ड फंड इंक	66671261	1.27	31/03/2016			66671261	1.27
	विक्रय				08/04/2016	-1378895		65292366	1.25
	विक्रय				15/04/2016	-2750381	हस्तांतरण	62541985	1.20
	विक्रय				22/04/2016	-1329914	हस्तांतरण	61212071	1.17
	विक्रय				29/04/2016	-2407721	हस्तांतरण	58804350	1.12
	विक्रय				13/01/2017	-7952000	हस्तांतरण	50852350	0.97
	विक्रय				20/01/2017	-4682000	हस्तांतरण	46170350	0.88
	इति शेष				31/03/2017		हस्तांतरण	46170350	0.88
7	अथ शेष	कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ एंड इनकम फंड	64038000	1.22	31/03/2016			64038000	1.22
	इति शेष				31/03/2017			64038000	1.22
8	अथ शेष	मेगाल्लन	60267770	1.15	31/03/2016			60267770	1.15
	विक्रय				12/08/2016	-1273616		58994154	1.13
	विक्रय				19/08/2016	-2336576	हस्तांतरण	56657578	1.08
	विक्रय				26/08/2016	-1953655	हस्तांतरण	54703923	1.05
	विक्रय				14/10/2016	-1060992	हस्तांतरण	53642931	1.03
	विक्रय				25/11/2016	-2289666	हस्तांतरण	51353265	0.98
	विक्रय				02/12/2016	-4008536	हस्तांतरण	47344729	0.90
	अथ शेष				31/03/2017		हस्तांतरण	47344729	0.90
9	अथ शेष	अमेरिकन फंड इंश्योरेंस सीरिज इंटरनेशनल फंड	54907097	1.05	31/03/2016			54907097	1.05
	विक्रय				08/04/2016	-1348654		53558443	1.02
	विक्रय				15/04/2016	-2690060	हस्तांतरण	50868383	0.97
	विक्रय				22/04/2016	-1365710	हस्तांतरण	49502673	0.95
	विक्रय				29/04/2016	-2974633	हस्तांतरण	46528040	0.89
	विक्रय				09/09/2016	-579669	हस्तांतरण	45948371	0.88
	विक्रय				16/09/2016	-417065	हस्तांतरण	45531306	0.87
	विक्रय				30/09/2016	-600000	हस्तांतरण	44931306	0.86
	विक्रय				07/10/2016	-190266	हस्तांतरण	44741040	0.86

31.03.2016 और 31.03.2017 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना									
			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्र.सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	विक्रय				11/11/2016	-4520000	हस्तांतरण	40221040	0.77
	विक्रय				09/12/2016	-3412588	हस्तांतरण	36808452	0.70
	विक्रय				16/12/2016	-1077131	हस्तांतरण	35731321	0.68
	विक्रय				23/12/2016	-234115	हस्तांतरण	35497206	0.68
	इति शेष				31/03/2017		हस्तांतरण	35497206	0.68
10	अथ शेष	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एकाउंट एचडीएफसी ड्यूल एडवांडेज फंड-I	53023991	1.01	31/03/2016			53023991	1.01
	क्रय				08/04/2016	68345		53092336	1.01
	क्रय				29/04/2016	100790	हस्तांतरण	53193126	1.02
	विक्रय				29/04/2016	-151	हस्तांतरण	53192975	1.02
	क्रय				06/05/2016	32771	हस्तांतरण	53225746	1.02
	क्रय				13/05/2016	496584	हस्तांतरण	53722330	1.03
	क्रय				20/05/2016	14472	हस्तांतरण	53736802	1.03
	विक्रय				27/05/2016	-597	हस्तांतरण	53736205	1.03
	क्रय				03/06/2016	176240	हस्तांतरण	53912445	1.03
	क्रय				10/06/2016	4000	हस्तांतरण	53916445	1.03
	क्रय				17/06/2016	685	हस्तांतरण	53917130	1.03
	विक्रय				17/06/2016	-74815	हस्तांतरण	53842315	1.03
	क्रय				24/06/2016	170935	हस्तांतरण	54013250	1.03
	क्रय				30/06/2016	38659	हस्तांतरण	54051909	1.03
	क्रय				08/07/2016	670	हस्तांतरण	54052579	1.03
	विक्रय				08/07/2016	-576	हस्तांतरण	54052003	1.03
	क्रय				15/07/2016	241	हस्तांतरण	54052244	1.03
	विक्रय				15/07/2016	-3159	हस्तांतरण	54049085	1.03
	क्रय				22/07/2016	385000	हस्तांतरण	54434085	1.04
	विक्रय				22/07/2016	-20636	हस्तांतरण	54413449	1.04
	क्रय				29/07/2016	1278000	हस्तांतरण	55691449	1.06
	विक्रय				29/07/2016	-1624344	हस्तांतरण	54067105	1.03
	क्रय				05/08/2016	2315484	हस्तांतरण	56382589	1.08
	विक्रय				05/08/2016	-310000	हस्तांतरण	56072589	1.07
	क्रय				12/08/2016	2475	हस्तांतरण	56075064	1.07
	विक्रय				12/08/2016	-475	हस्तांतरण	56074589	1.07
	क्रय				19/08/2016	500000	हस्तांतरण	56574589	1.08

31.03.2016 और 31.03.2017 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना									
			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्र.सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	विक्रय				19/08/2016	-430	हस्तांतरण	56574159	1.08
	क्रय				26/08/2016	534000	हस्तांतरण	57108159	1.09
	विक्रय				26/08/2016	-388	हस्तांतरण	57107771	1.09
	क्रय				02/09/2016	842905	हस्तांतरण	57950676	1.11
	विक्रय				02/09/2016	-48525	हस्तांतरण	57902151	1.11
	क्रय				09/09/2016	35	हस्तांतरण	57902186	1.11
	विक्रय				09/09/2016	-17334	हस्तांतरण	57884852	1.11
	क्रय				16/09/2016	10541	हस्तांतरण	57895393	1.11
	विक्रय				16/09/2016	-643	हस्तांतरण	57894750	1.11
	क्रय				23/09/2016	106966	हस्तांतरण	58001716	1.11
	क्रय				30/09/2016	48740	हस्तांतरण	58050456	1.11
	विक्रय				30/09/2016	-1639	हस्तांतरण	58048817	1.11
	क्रय				07/10/2016	69126	हस्तांतरण	58117943	1.11
	विक्रय				07/10/2016	-120092	हस्तांतरण	57997851	1.11
	क्रय				14/10/2016	500343	हस्तांतरण	58498194	1.12
	विक्रय				14/10/2016	-48130	हस्तांतरण	58450064	1.12
	क्रय				21/10/2016	1050587	हस्तांतरण	59500651	1.14
	क्रय				28/10/2016	5046	हस्तांतरण	59505697	1.14
	क्रय				04/11/2016	601406	हस्तांतरण	60107103	1.15
	विक्रय				04/11/2016	-5511	हस्तांतरण	60101592	1.15
	क्रय				11/11/2016	12426	हस्तांतरण	60114018	1.15
	क्रय				18/11/2016	7590	हस्तांतरण	60121608	1.15
	क्रय				25/11/2016	11171	हस्तांतरण	60132779	1.15
	क्रय				02/12/2016	387499	हस्तांतरण	60520278	1.16
	विक्रय				02/12/2016	-300	हस्तांतरण	60519978	1.16
	क्रय				09/12/2016	3401948	हस्तांतरण	63921926	1.22
	क्रय				16/12/2016	6634	हस्तांतरण	63928560	1.22
	विक्रय				16/12/2016	-25182	हस्तांतरण	63903378	1.22
	क्रय				23/12/2016	1001092	हस्तांतरण	64904470	1.24
	क्रय				30/12/2016	205908	हस्तांतरण	65110378	1.24

31.03.2016 और 31.03.2017 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना									
			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्र.सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	क्रय				06/01/2017	1268211	हस्तांतरण	66378589	1.27
	विक्रय				06/01/2017	-472000	हस्तांतरण	65906589	1.26
	क्रय				13/01/2017	118424	हस्तांतरण	66025013	1.26
	विक्रय				13/01/2017	-232452	हस्तांतरण	65792561	1.26
	क्रय				20/01/2017	527	हस्तांतरण	65793088	1.26
	विक्रय				20/01/2017	-28548	हस्तांतरण	65764540	1.26
	क्रय				27/01/2017	1311	हस्तांतरण	65765851	1.26
	विक्रय				27/01/2017	-95000	हस्तांतरण	65670851	1.26
	विक्रय				03/02/2017	-31665	हस्तांतरण	65639186	1.25
	क्रय				10/02/2017	204242	हस्तांतरण	65843428	1.26
	विक्रय				10/02/2017	-929	हस्तांतरण	65842499	1.26
	क्रय				17/02/2017	3035	हस्तांतरण	65845534	1.26
	विक्रय				17/02/2017	-212	हस्तांतरण	65845322	1.26
	क्रय				24/02/2017	1398	हस्तांतरण	65846720	1.26
	विक्रय				24/02/2017	-168	हस्तांतरण	65846552	1.26
	क्रय				03/03/2017	1896561	हस्तांतरण	67743113	1.29
	विक्रय				03/03/2017	-46119	हस्तांतरण	67696994	1.29
	क्रय				10/03/2017	136978	हस्तांतरण	67833972	1.30
	विक्रय				10/03/2017	-135125	हस्तांतरण	67698847	1.29
	क्रय				17/03/2017	1868115	हस्तांतरण	69566962	1.33
	विक्रय				17/03/2017	-581	हस्तांतरण	69566381	1.33
	क्रय				24/03/2017	213680	हस्तांतरण	69780061	1.33
	विक्रय				24/03/2017	-6458	हस्तांतरण	69773603	1.33
	क्रय				31/03/2017	470818	हस्तांतरण	70244421	1.34
	विक्रय				31/03/2017	-411	हस्तांतरण	70244010	1.34
	इति शेष				31/03/2017		हस्तांतरण	70244010	1.34

(V) निदेशकों और केएमपी की शेयरधारिता

1. श्री आई एस झा, निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2016 के आरंभ में	2,998	0	2,998	0
वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण : आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अंत में	2,998	0	2,998	0

2. श्री के. श्रीकांत, निदेशक (वित्त) (1.9.2016 से)

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2016 के आरंभ में	1,029	0	1,029	0
वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण : आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अंत में	1,029	0	1,029	0

3. श्री रवि पी सिंह, निदेशक (कार्मिक)

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2016 के आरंभ में	9,016	0	9,016	0
वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण : आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अंत में	9,016	0	9,016	0

4. श्री आर पी ससमल, निदेशक (प्रचालन)

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2016 के आरंभ में	1,798	0	1,798	0
वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण : आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अंत में	1,798	0	1,798	0

5. श्री प्रभाकर सिंह, निदेशक (परियोजना) (08.02.2017 से)

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2016 के आरंभ में	2,526	0	2,526	0
वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण : आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अंत में	2,526	0	2,526	0

6. डॉ. प्रदीप कुमार, सरकारी निदेशक

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2016 के आरंभ में	0	0	0	0
वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण : आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अंत में	0	0	0	0

7. श्रीमती ज्योति अरोड़ा, सरकारी निदेशक

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2016 के आरंभ में	0	0	0	0
वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण : आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अंत में	0	0	0	0

8. श्री जगदीश आई. पटेल, स्वतंत्र निदेशक

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2016 के आरंभ में	0	0	0	0
वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण : आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अंत में	0	0	0	0

9. श्री से तेन दोरजी, स्वतंत्र निदेशक (16.02.2017 से)

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2016 के आरंभ में	0	0	0	0
वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण : आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अंत में	0	0	0	0

10. सुश्री ज्योतिका कालरा, स्वतंत्र निदेशक (16.02.2017 से)

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2016 के आरंभ में	0	0	0	0
वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण : आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अंत में	0	0	0	0

11. श्रीमती दिव्या टंडन, कंपनी सचिव

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2016 के आरंभ में	15,337	0	15,337	0
वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण : आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अंत में	15,337	0	15,337	0

12. श्री आर. टी. अग्रवाल, निदेशक (वित्त) (31.08.2016 को सेवानिवृत्त)

प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2016 के आरंभ में	3,056	0	3,056	0
वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण : आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अंत में	3,056	0	3,056	0

V. ऋण (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार)

बकाया/लगाए गए ब्याज, जो भुगतान के लिए देय नहीं है, सहित कंपनी का ऋण भार				
	जमाराशि को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूति ऋण	जमा	कुल ऋण भार
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋण भार			लागू नहीं	
(i) मूलधन	99,926.67	8,328.24		1,08,254.91
(ii) भुगतान नहीं किया गया देय ब्याज				
(iii) ब्याज लगाया गया परंतु देय नहीं	2636.71	32.49		2,669.20
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋण भार में परिवर्तन				
वृ+द्धि	16,528.24	2,814.61		19,342.85
कमी	5,826.34	2,265.90		8,092.24
विशुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋण भार				
(i) मूलधन	1,10,169.27	8,528.64		1,18,697.91
(ii) भुगतान नहीं किया गया देय ब्याज				
(iii) ब्याज लगाया गया परंतु देय नहीं	3136.57	34.26		3,170.83
कुल (i+ii+iii)	1,13,305.84	8,562.90		1,21,868.74

VI. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (2016-17)

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री आई एस झा, सीएमडी	श्री के. श्रीकांत, निदेशक (वित्त) तथा सीएफओ (31.08.2016 से)	श्री रवि पी. सिंह, निदेशक (कार्मिक)	श्री आर पी ससमाल, निदेशक (प्रचालन)	श्री प्रभाकर सिंह, निदेशक (परियोजना) (08.02.2017 से)	श्री आर टी अग्रवाल, निदेशक (वित्त) (31.08.2016 से पद पर नहीं है)	कुल राशि
1	कुल वेतन							
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) से निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	4753687.15	1569189.15	4685448.22	4894503.37	783601.17	3740486.97	20426916.03
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत प्राप्तियों का मूल्य	849817.44	242580.41	805888.11	799580.29	78424.17	548335	3324625.42
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टॉक विकल्प	0	0	0	0	0	0	0

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री आई एस झा, सीएमडी	श्री के. श्रीकांत, निदेशक (वित्त) तथा सीएफओ (31.08.2016 से)	श्री रवि पी. सिंह, निदेशक (कार्मिक)	श्री आर पी ससमाल, निदेशक (प्रचालन)	श्री प्रभाकर सिंह, निदेशक (परियोजना) (08.02.2017 से)	श्री आर टी अग्रवाल, निदेशक (वित्त) (31.08.2016 से पद पर नहीं है)	कुल राशि
3	स्वेट इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0
4	कमीशन	0	0	0	0	0	0	0
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0
5	अन्य, कृपया बताएं	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (क)	**5603504.59**	**1811769.56**	**5491336.33**	**5694083.66**	**862025.34**	**4288821.97**	**23751541.45**
	अधिनियम के अनुसार सीमा							

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम			कुल राशि
1	**स्वतंत्र निदेशक**	**श्री जे आई पटेल**	**श्री त्से तेन दोरजी (16.02.2017 से)**	**सुश्री ज्योतिका कालरा (16.02.2017 से)**	
	(क) बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	580000	20000	40000	640000
	(ख) कमीशन	0	0	0	0
	(ग) अन्य कृपया उल्लेख करें	0	0	0	0
	कुल (1)	**580000**	**20000**	**40000**	**640000**
2	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक				
	(क) बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	0	0	0	0
	(ख) कमीशन	0	0	0	0
	(ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें	0	0	0	0
	कुल (2)	0	0	0	0
	कुल (ख) = (1+2)	580000	20000	40000	640000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**580000**	**20000**	**40000**	**640000**
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा	**₹. 100,000/- बोर्ड अथवा समिति की मीटिंग के लिए**			

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (2016-17)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			कुल
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	0.00	3322944.34	0.00	3322944.34
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत प्राप्तियों का मूल्य	0.00	125112.52	0.00	125112.52
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00
2	स्टॉक विकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00
3	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कमीशन	0.00	0.00	0.00	0.00
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य (उल्लेख करें)	0.00	0.00	0.00	0.00
5	अन्य, कृपया बताएं	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**0.00**	**3448056.86**	**0.00**	**3448056.86**

VII. जुर्माना/दंड/अपराध का संयोजन

लागू नहीं

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/लगाया गया संयोजन शुल्क	प्राधिकारी (आर डी/एन सी एल टी/न्यायालय)	की गई अपील यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
संयोजन					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड					
संयोजन					
ग. व्यतिक्रम में अन्य अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
संयोजन					

निगम अभिशासन पर रिपोर्ट

कंपनी के निदेशक निगम अभिशासन पर कंपनी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

1. कंपनी का अधिशासन दर्शन :

निगम अधिशासन कंपनी में विभिन्न हितधारकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निगमित निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह एक प्रणाली है, जिसके द्वारा व्यावसायिक निगम निर्देशित और नियंत्रित होते हैं। भारतीय पावरग्रिड निगम (पावरग्रिड या कंपनी) का यह मानना है कि अच्छे अधिशासन में सरकारी नीतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के साथ-साथ प्रबंधन की विश्वसनीयता, सशक्तीकरण और जबावदेही निहित होनी चाहिए। पावरग्रिड की अधिशासन प्रक्रिया, ''उभरते पावर बाजारों में विश्वसनीयता, सुरक्षा और मितव्ययिता को सुनिश्चित करते हुए, प्रमुख नेतृत्व के साथ विश्व स्तरीय, एकीकृत, वैश्विक ट्रांसमिशन कंपनी के इसके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करती है,'' और इसके मिशन अर्थात ''हम निम्न के द्वारा विश्वस्तरीय क्षमताओं के साथ उभरते पावर बाजारों के साथ एक वैश्विक ट्रांसमिशन कंपनी बनेंगे :

1. उद्योग और स्वयं के लिए बड़ी परियोजना प्रबंधन एवं प्रचालनों में उत्कृष्ट मानकों का व्यवस्थापन।
2. वैश्विक : भारत में तथा उभरती एवं विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में सभी पणधारियों के लिए सुसंगत रूप से अधिकतम मूल्य तैयार करने की उत्तोलनकारी क्षमताएं।
3. अगली पीढ़ी के व्यावसायिकों को प्रेरित करना, परिपोषित करना और उन्हें सशक्त बनाना।
4. नवीनीकरण एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए निरंतर सुधार हासिल करना।
5. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में उच्च मानकों की प्रतिबद्धता।

पावरग्रिड के निगम अधिशासन को निम्नलिखित के माध्यम से अभिप्रेरित किया जाता है :

(i) भारत सरकार और निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए गए अल्पावधिक, मध्यावधिक और दीर्घावधिक उद्देश्यों और विशिष्ट लक्ष्यों को हर वर्ष पूरा करना और इसके लिए जॉब प्रोफाइल/कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक उपयुक्त स्तरों पर लोगों का सशक्तीकरण करना।

(ii) चुनौतियों और उभरते हुए अवसरों के प्रति उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करना तथा देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका अदा करना।

निगम अधिशासन संरचना के अंतर्गत निगम में विभिन्न भागीदारों के बीच अधिकारों, उत्तरदायित्वों और शक्तियों के वितरण को विनिर्दिष्ट किया जाता है। निवेश, विविधीकरण से संबंधित सभी कार्यनीतिक निर्णयों, अधिप्राप्ति, वाणिज्यिक और वित्त से संबंधित बड़े प्रमुख निर्णयों का क्रियान्वयन निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात ही किया जाता है।

पावरग्रिड मई, 2008 से एक ''नवरत्न पीएसई'' है। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को निवेश करने और प्रचालनात्मक निर्णय करने के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता मिली है। अब पावरग्रिड का निदेशक मंडल नई मदों की खरीद अथवा किसी धन संबंधी सीमा के बिना पुरानी मदों के प्रतिस्थापन पर उच्चतम पूंजीगत व्यय करने के लिए अनुमोदन प्रदानकर्ता प्राधिकारी है। भारत अथवा विदेश में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश पर कंपनी के निवल मूल्य की 15 प्रतिशत राशि की सीमा रखी गई है। तथापि, किसी एक परियोजना के लिए यह सीमा ₹1000 करोड़ तक सीमित है। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश पर संपूर्ण उच्चतम सीमा को समेकित करने पर यह पावरग्रिड के निवल मूल्य का 30 प्रतिशत है।

पावरग्रिड के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। कर्मचारियों के अधिकारों और बाध्यताओं का उल्लेख प्रकाशित की जाने वाली नीतिगत नियम पुस्तिकाओं में किया जाता है और उनमें समय-समय पर किए संशोधनों को अधिसूचित किया जाता है। आंतरिक भागीदारों अर्थात शीर्षस्थ कार्यपालकों और उनसे नीचे वाले अधिकारियों की शक्तियां सुस्थापित और परंपरागत ढंग से किए गए ''शक्तियों के प्रत्यायोजन में दी जाती हैं। पावरग्रिड ने ''कार्य और अधिप्राप्ति नीति और अधिनिर्णय से पूर्व तथा अधिनिर्णय के पश्चात वाले चरणों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस उद्देश्य से तैयार और कार्यान्वित की है कि नीतियों और प्रक्रियाओं को अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी बनाया जा सके और जवाबदेही तथा जिम्मेदारी के साथ शीघ्र और विकेंद्रीकृत ढंग से निर्णय करने पर विशेष जोर देते हुए उन्हें आसानी से लागू किया जा सके। बोर्ड ने कई समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति; परियोजनाओं में निवेश संबंधी समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति; जोखिम प्रबंधन समिति संविदाओं के अधिनिर्णय की समिति; बांडों के लिए समिति; ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) और अन्य डिपॉजिट कार्य से संबंधित संविदाओं के अधिनिर्णय के लिए समिति, सीएसआर समिति; पणधारियों के साथ संबंध की समिति आदि का बेहतर ध्यान देने के लिए गठन किया है। पर्यावरण और सामाजिक नीति तथा कार्यविधियों तथा अनुसंधान एवं विकास और दूरसंचार व्यवसाय के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों और इन क्षेत्रों में मतैक्य स्थापित करने के लिए पावरग्रिड को सलाह एवं सुझाव देने के उद्देश्य से प्रख्यात व्यक्तियों का एक सलाहकार मंडल भी बनाया गया है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाए) विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करते हुए पावरग्रिड लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निगम अधिशासन से संबंधित दिशानिर्देशों का भी पालन करता है।

आपकी कम्पनी को वर्ष 2014 में सर्वोत्तम अभिशासित कं. के रूप मे पुरस्कृत किया गया था और वर्ष 2013 में आईसीएसआई द्वारा, ''कॉर्पोरेट अभिशासन में उत्कृष्टता'' हेतु स्वीकारण प्रमाणपत्र दिया गया था।

निगम अधिशासन की शर्तों तथा वर्ष 2016-17 के लिए प्रकटन अपेक्षाओं के संबंध में कंपनी का अनुपालन नीचे दिया गया है:

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का आकार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के आशय की परिधि में पावरग्रिड एक सरकारी कंपनी है और भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 57.90 प्रतिशत धारित करते हैं। अंतर्नियमावली के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार और शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं।

कंपनी की अंतर्नियमावली के संदर्भ में पावरग्रिड के निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या चार से कम अथवा अट्ठारह से अधिक नहीं होगी। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक निदेशक या फिर अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

2.2 निदेशक मंडल की संरचना

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में दस निदेशक हैं जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पांच पूर्णकालिक निदेशक दो सरकार द्वारा नामित निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक थे। बोर्ड की संरचना में एक महिला निदेशक भी शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा 4 में यह शर्त है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में कुल निदेशकों में कम से कम एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक के रूप में होने चाहिए।

स्वतंत्र निदेशक का पद धारण करने के लिए सभी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, की धारा 149(6) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरी करते हैं।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी अधिनियम) में यह शर्त है कि कंपनी के मंडल के आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पूर्वगामी अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पूरी नहीं हुई थी।

2.3 निदेशक की आयु-सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की आयु-सीमा 60 वर्ष है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष अथवा उनकी अधिवर्षिता की आयु की तारीख तक अथवा भारत सरकार द्वारा आगामी आदेश जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने पर, चूंकि पावरग्रिड एक सूचीबद्ध कंपनी है, इन निदेशकों का अतिरिक्त निदेशकों के रूप में सह वरण किया जाता है और इस नियुक्ति को निम्नलिखित वार्षिक आम बैठक में विनियमित किया जाता है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामिती निदेशक कंपनी के निदेशक मंडल से अपनी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद सेवानिवृत्त होंगे, जब तक कि भारत सरकार उनकी अवधि नहीं बढ़ाती है।

स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा सामान्य तौर पर तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु नियुक्त किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2017 को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार था :

निदेशकों का विवरण		नाम	निदेशक मंडल में शामिल होने की तारीख	अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने/कार्यकाल पूरा होने की तारीख
श्रेणी (कार्यात्मक/ सरकारी/ गैर-सरकारी)	पदनाम			
1. पूर्णकालिक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री आई. एस. झा	10.11.2015	अधिवर्षिता की तारीख - 30.06.2019
	निदेशक (वित्त)	श्री के. श्रीकांत^	01.09.2016	कार्यकाल पूरा होने की तारीख - 31.08.2021 अधिवर्षिता की तारीख - 31.12.2023
	निदेशक (कार्मिक)	श्री रवि पी. सिंह	01.04.2012	अधिवर्षिता की तारीख - 31.01.2020 कार्यकाल पूरा होने की तारीख - 31.01.2020
	निदेशक (प्रचालन)	श्री आर. पी. ससमल	01.08.2012	कार्यकाल पूरा होने की तारीख - 31.07.2017 अधिवर्षिता की तारीख - 28.02.2018
	निदेशक (परियोजनाएं)	श्री प्रभाकर सिंह^^	08.02.2017	अधिवर्षिता की तारीख - 31.07.2018 कार्यकाल पूरा होने की तारीख - 31.07.2018
2. सरकारी नामिती - अंशकालिक निदेशक	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय	डा. प्रदीप कुमार	10.09.2013	भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहें
	संयुक्त सचिव (ट्रांस.) विद्युत मंत्रालय	श्रीमती ज्योति अरोड़ा^^^	20.03.2014	भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहें

निदेशकों का विवरण		नाम	निदेशक मंडल में शामिल होने की तारीख	अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने/कार्यकाल पूरा होने की तारीख
श्रेणी (कार्यात्मक/ सरकारी/ गैर-सरकारी)	पदनाम			
3. गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक*	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	श्री जगदीश आई पटेल	17.11.2015	कार्यकाल पूरा होने की तारीख 16.11.2018
	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	श्रीमती ज्योतिका कालरा^^^^	16.02.2017	कार्यकाल पूरा होने की तारीख 15.02.2020
	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	श्री सें तेन दोर्जी^^^^^	16.02.2017	कार्यकाल पूरा होने की तारीख 15.02.2020

* बोर्ड का संघटन उक्त अधिनियम की धारा 149 के उपबंधों और सेबी विनियमों के अनुसार नहीं है।

^ श्री के. श्रीकांत ने 01 सितम्बर, 2016 को निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला। श्री आर. टी. अग्रवाल अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख अर्थात 31 अगस्त, 2016 तक निदेशक (वित्त) के पद पर गने रहे।

^^ श्री प्रभाकर सिंह ने 08 फरवरी, 2017 को निदेशक (परियोजना) का कार्यभार संभाला। श्री आर. पी. ससमल, निदेशक (प्रचालन) 07 फरवरी, 2017 तक निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त कार्यभार धारण किए गए थे।

^^^ श्रीमती ज्योति अरोड़ा और डा. प्रदीप कुमार, सरकारी नामिती निदेशकों का कार्यकाल क्रमशः 05 जुलाई, 2007 (अपराह्न) और 31 जुलाई, 2017 (अपराह्न) को समाप्त हुआ। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 03 अगस्त, 2017 के आदेश के द्वारा श्रीमती ज्योति अरोड़ा के स्थान पर श्रीमती शालिनी प्रसाद की अंशकालिक निदेशक (सरकारी नामिती निदेशक) के रूप में नियुक्ति को संसूचित किया।

^^^^ श्रीमती ज्योतिका कालरा को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 2017 के कार्यालय आदेश के द्वारा नामित किए जाने पर उन्हें बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 06 अप्रैल, 2017 को पावरग्रिड के स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया।

^^^^^ श्री से तेन दोर्जी को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 2017 के कार्यालय आदेश द्वारा नामित किए जाने पर उन्हें बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

2.4 निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति

निदेशक मंडल की बैठक सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती है। बैठकों की समय-अनुसूची सामान्यतः अग्रिम तौर पर तैयार कर ली जाती है और निदेशकों को नोटिस, मंडल की बैठक के लिए विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधकीय रिपोर्टें और बोर्ड की अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां परिचालित की जाती हैं। मंडल के सदस्यों को निगम से संबंधित सभी सूचना पहुंचती रहती है। निदेशक मंडल द्वारा चर्चा किए जाने वाले मुद्दों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निदेशक मंडल की बैठकों में वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है। अत्यावश्यकता की स्थिति में परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मंडल की 13 बैठकें दिनांक 2 अप्रैल, 2016, 5 मई, 2016, 26 मई, 2016, 20 जुलाई, 2016, 5 अगस्त, 2016, 16 अगस्त, 2016, 16 सितम्बर, 2016, 22 अक्तूबर, 2016, 09 नवम्बर, 2016, 06 दिसम्बर, 2016, 09 फरवरी, 10 मार्च, 2017 तथा 29 मार्च, 2017 को आयोजित की गई। इस अवधि के दौरान किन्हीं भी दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 65 दिन रहा। निदेशकों के द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया, उनकी संख्या, पिछली आम बैठक में उपस्थिति, वर्ष 2016-17 के दौरान उनके द्वारा अन्य अवसरों पर निदेशक के रूप में/समितियों की सदस्यता की संख्या यानि सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारकों की संबंध समिति के विवरण नीचे सारणी में दिए गए हैं:

निदेशकों का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या	दिनांक 16.09.2016 को आयोजित की गई अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	दिनांक 31.03.2017 को आयोजित निदेशकों के पदों की संख्या	दिनांक 31.03.2017* को आयोजित अन्य समिति की सदस्यता की संख्या	
					अध्यक्ष	सदस्य
पूर्णकालिक निदेशक						
श्री आई. एस. झा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	13	13	हां	9	शून्य	शून्य
श्री आर. टी. अग्रवाल निदेशक (वित्त) (30.08.2016 से)	6	6	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री के. श्रीकांत निदेशक (वित्त) (01.09.2016 तक)	7	7	हां	शून्य	शून्य	1
श्री रवि पी. सिंह, निदेशक (कार्मिक)	13	13	हां	7	शून्य	2

निदेशकों का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या	दिनांक 16.09.2016 को आयोजित की गई अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	दिनांक 31.03.2017 को आयोजित निदेशकों के पदों की संख्या	दिनांक 31.03.2017* को आयोजित अन्य समिति की सदस्यता की संख्या	
					अध्यक्ष	सदस्य
श्री आर पी ससमल, निदेशक (प्रचालन)	13	13	हां	10	शून्य	1
श्री प्रभाकर सिंह, निदेशक (परियोजना) (08.02.2017 से)	3	3	लागू नहीं	2	शून्य	शून्य
गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकारी नामिती)						
डॉ. प्रदीप कुमार, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय	13	11	हां	1	शून्य	3
श्रीमती ज्योति अरोड़ा संयुक्त सचिव (टी), विद्युत मंत्रालय	13	12	नहीं	2	शून्य	1
स्वतंत्र निदेशक						
श्री जगदीश आई पटेल (17.11.2015 से)	13	13	हां	3	2	1
श्रीमती ज्योतिका कालरा (16.02.2017 से)	2	2	लागू नहीं	1	शून्य	1
श्री से तेन दोर्जी (16.02.2017 से)	2	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	1

'' लागू नहीं'' निर्दिष्ट करता है कि संबंधित व्यक्ति संगत तारीख को पावरग्रिड में निदेशक नहीं था।

* सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुरूप पावरग्रिड में समिति स्थिति सहित अध्यक्ष के रूप में और सदस्य के रूप में समिति सदस्यता की गणना में केवल लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारकों की संबंध समिति को हिसाब में लिया गया है। कंपनी का कोई भी निदेशक एक दूसरे का संबंधी नहीं है।

2.5 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

निदेशक मंडल कंपनी से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। निदेशक मंडल को नियमित रूप से दी जाने वाली सूचना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा उनमें किए जाने वाले अद्यतन संशोधन।
2. वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
3. कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम।
4. लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त जिनमें सहायक कंपनियों के कार्यवृत्त शामिल हैं।
5. किए गए प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के गठन, कार्यनीतिक गठबंधन आदि।
6. बड़ी संविदाएं प्रदान करना।
7. अन्य कंपनियों में उनके द्वारा समितियों में अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में धारित पदों संबंधी हितों का प्रकटन।
8. कंपनी की वाणिज्यिक स्थिति पर मासिक रिपोर्ट।
9. विभिन्न चालू परियोजनाओं/योजनाओं की स्थिति और बजट के उपयोग संबंधी रिपोर्ट।
10. प्रचालन और रखरखाव समीक्षा संबंधी रिपोर्ट।
11. मानव संसाधनों/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में कोई महत्त्वपूर्ण घटना जैसे मजदूरी करार पर हस्ताक्षर आदि।
12. किसी भी विनियामक, सांविधिक अथवा सूचीबद्ध करार की अपेक्षाओं और शेयरधारक सेवा का गैर-अनुपालन जैसे लाभांश का भुगतान न किया जाना, शेयर हस्तांतरण में विलंब आदि।
13. अधिशेष निधियों का अल्पावधिक निवेश।
14. अन्य सारगर्भित महत्त्वपूर्ण सूचना।

बैठक पश्च अनुवर्तन प्रणाली

15. कंपनी की अधिशासन प्रक्रिया में एक प्रभावी बैठक-पश्च अनुवर्तन, बोर्ड तथा बोर्ड की समिति (यों) के निर्णयों पर की गई कार्रवाई/लंबित कार्रवाई की समीक्षा तथा प्रक्रिया सूचित करना शामिल है।

3. निदेशक मंडल की समितियां :

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है :

(i) लेखापरीक्षा समिति

(ii) शेयरधारकों की संबंध समिति

(iii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

(iv) परियोजनाओं पर निवेश संबंधी समिति

(v) संविदाएं देने के लिए समिति

(vi) शेयरों के स्थानांतरण/विभाजन/पुनः भौतिकीकरण इत्यादि के लिए समिति

(vii) बांडों के लिए समिति

(viii) आरई और अन्य निक्षेप कार्यों से संबंधित संविदाएं देने के लिए समिति

(ix) सीएसआर समिति

(x) जोखिम प्रबंधन समिति

3.1 लेखापरीक्षा समिति :

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित शामिल थे :

(i)	श्री जगदीश आई. पटेल	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	श्री त्से तेन दोर्जी^	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	सदस्य
(iii)	श्रीमती ज्योतिका कालरा^^	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	सदस्य
(iv)	डा. प्रदीप कुमार^^^	नामिती निदेशक - विद्युत मंत्रालय	सदस्य

^ 29 मार्च, 2017 को लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त

^^ 29 मार्च, 2017 को लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त 06 अप्रैल, 2017 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में पद से त्याग पत्र दिया।

^^^ 31 जुलाई, 2017 (अपराह्न) को निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त

नोट : उपर्युक्त के अतिरिक्त, श्री आर पी ससमल, निदेशक (प्रचालन) 29 मार्च, 2017 तक लेखापरीक्षा के सदस्य थे।

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा का संघटन उक्त अधिनियम और सेबी विनियमों में विनिर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

लेखापरीक्षा समिति वर्ष में कम से चार बार अपनी बैठक आयोजित करती है और उस वर्ष के दौरान दो बैठकों के बीच में 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं हुआ है। लेखापरीक्षा समिति की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति या तो 2 सदस्य अथवा लेखापरीक्षा समिति के एक-तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो, स्वीकार्य है, परंतु बैठक में कम से कम दो स्वतंत्र सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं :

1. इसके विचारार्थ विषयों की परिधि में आने वाले किसी भी कार्यकलाप की जांच करना।
2. किसी भी कर्मचारी के बारे में तथा उससे सूचना प्राप्त करना।
3. बाह्य विधिक अथवा अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. आवश्यक समझे जाने पर संगत विशेषज्ञता वाले बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. जानकारी देने वालों की संरक्षा करना।
6. निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित किए गए अन्य मामलों पर विचार करना।

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर और इसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन पर नजर रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

2. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदा किए जाने वाले लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किन्हीं अन्य सेवाओं के संबंध में भुगतान के अनुमोदन के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

3. निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में निदेशक मंडल को अनुमोदन करने के लिए प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ, वार्षिक वित्तीय विवरणों और इन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना :

   क. कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 134 के उपधारा 3 के खंड (ग) के अनुसार निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले।

   ख. लेखाकरण नीतियों एवं चलनों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके कारण।

   ग. प्रबंधन द्वारा अधिनिर्णय के प्रयोग पर आधारित अनुमानों वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।

   घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से प्रत्युत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्त्वपूर्ण समायोजन।

   ड़. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता एवं अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।

   च. किन्हीं संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को प्रकट करना।

   छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हता/संशोधित राय।

4. निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा/जांच करना।

5. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, राईट्स निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि) के जरिए जुटाई गई निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग के विवरण, पेशकश दस्तावेज विवरणियां/सूचना में उल्लिखित से अन्यथा प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निधियों के विवरण तथा किसी सार्वजनिक या राईट्स निर्गम की आय के अंतिम प्रयोग/उपयोग का तथा संबंधित मामलों का अनुवीक्षण करने वाली अनुवीक्षण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना तथा इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की समुचित अनुशंसा बोर्ड को करना।

6. प्रबंधन के साथ सांविधिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग एवं विभाग के प्रमुख की वरिष्ठता, आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज एवं बारम्बारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, यदि कोई हो, करना।

8. आंतरिक लेखापरीक्षकों तथा/अथवा लेखापरीक्षकों के साथ महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों पर चर्चा करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

9. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/अभिकरणों द्वारा किसी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा उन मामलों में करना जहां किसी धोखाधड़ी या अनियमितता का संदेह या वास्तविक स्वरूप की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता हो तथा मामले की सूचना बोर्ड को देना।

10. सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा शुरू होने के पहले लेखापरीक्षा के स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र के बारे में एवं साथ ही लेखापरीक्षा के बाद परिचर्या करना ताकि सरोकार के किसी क्षेत्र का पता लगाया जा सके।

11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश की अदायगी न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में वास्तविक चूकों के कारणों का पता लगाना।

12. कंपनी के सतर्कता तंत्र/जानकारी प्रदाता तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा/निगरानी करना।

13. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षक अवलोकनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

14. संसदीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा कना।

15. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा बोर्ड के बीच संचार का मुक्त मार्ग व्यवस्थित करना।

16. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या इनका अनुवर्ती संशोधन।

17. कंपनी में सभी संबंधित पक्षकार लेनदेनों की समीक्षा करना। इस प्रयोजनार्थ, लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को पदनामित करेगी जो संबंधित पक्षकार लेनदेनों की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी होगा;

    ''संबंधित पक्षकार लेनदेन'' का वही अर्थ होगा जो सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 2(य ग) में दिया गया है।

18. कार्यक्षेत्र की पूर्णता, बेकार प्रयासों का अपचयन तथा सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करना।

19. स्वतंत्र लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्न पर विचार करना तथा उसकी समीक्षा करना :

    क. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता; तथा

    ख. स्वतंत्र लेखापरीक्षक तथा आंतरिक लेखापरीक्षक के संबंधित निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं और साथ ही प्रबंधकों की अनुक्रियाएं।

20. प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्न पर विचार तथा समीक्षा करना :

    क. वर्ष के दौरान महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों जिसमें विगत लेखापरीक्षा अनुशंसाओं की प्रस्थिति शामिल है; और

    ख. क्रियाकलापों के कार्यक्षेत्र या अपेक्षित सूचना तक अभिगम पर किन्हीं प्रतिबंधों सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामने आई सभी कठिनाइयां।

21. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता तथा निष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की कारगरता की समीक्षा और निगरानी करना।
22. अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों तथा निवेशों की जांच करना।
23. जहां कहीं आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों तथा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।
24. आंतरिक वित्त नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
25. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगम अधिशासन पर दिए गए और समय-समय पर यथासंशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के तहत लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में यथाउल्लिखित अन्य कोई कार्य करना।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा जानकारी की समीक्षा :

लेखापरीक्षा समिति अनिवार्यतः निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करती है :

1. वित्तीय स्थिति एवं प्रचालनों के परिणामों पर प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण।
2. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार संव्यवहार विवरण।
3. प्रबंधकों के पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों संबंधी पत्र।
4. आंतरिक नियंत्रण की कमियों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
5. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, उसे हटाने और उसके पारिश्रमिक की शर्तें।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।
7. उल्लंघनों संबंधी विवरण :
   (क) विनियम 32(1) के संदर्भ में, निगरानी एजेंसी की रिपोट। यदि लागू हो, सहित उल्लंघनों का तिमाही विवरण स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया।
   (ख) विनियम 32(7) के संदर्भ में पेशगी दस्तावेज/विवरणिका/नोटिस में उल्लिखित प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण।

उपस्थिति :

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की नौ बैठकें क्रमशः 26 मई, 2016, 5 अगस्त, 2016, 16 अगस्त, 2016, 16 सितम्बर, 2016, 22 अक्तूबर, 2016, 09 नवम्बर, 2016, 06 दिसम्बर, 2016, 9 फरवरी, 2017 को तथा 29 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक उपस्थिति :

लेखापरीक्षा समिति के सदस्य का नाम	सदस्यों की तत्संबंधी पदावधि के दौरान आयोजित	जिन बैठकों में भाग लिया उनकी संख्या
श्री जगदीशभाई ईश्वरभाई पटेल	9	9
श्रीमती ज्योतिका कालरा^	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री से तेन दोर्जी^	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. प्रदीप कुमार	9	7
श्री राजेन्द्र प्रसाद ससमल	9	9

'' लागू नहीं'' से तात्पर्य है कि संबंधित व्यक्ति तत्संबंधी तारीख को पावरग्रिड की लेखापरीक्षा का सदस्य नहीं था।

^ बोर्ड द्वारा 29 मार्च, 2017 को लेखापरीक्षा के सदस्यों के रूप में नियुक्त। श्रीमती ज्योतिका कालरा ने 6 अप्रैल, 2017 को निदेशक के पद से त्याग-पत्र दिया।

अप्रैल, 2016 से मध्य फरवरी, 2017 के दौरान कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक होने के कारण लेखापरीक्षा बैठक में दो स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की अपेक्षा पूरी नहीं की जा सकी।

3.2 पणधारक संबंध समिति :

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के उपबंधों और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुरूप पणधारक संबंध समिति का गठन किया है।

समिति का कार्यक्षेत्र

समिति का कार्यक्षेत्र शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों और कंपनी के अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों पर विशिष्ट रूप से विचार करना और उनका समाधान करना है इसमें शेयरों का अंतरण, तुलनपत्र का न मिलना, घोषित लाभांश का न मिलना आदि शिकायतें भी शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पणधारक संबंध समिति की संरचना :

31 मार्च, 2017 को पणधारक संबंध समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

श्री जगदीश आई. पटेल	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	अध्यक्ष
श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
श्री के. श्रीकांत^	निदेशक (वित्त)	सदस्य

^ 01 सितम्बर, 2016 को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त। वह 22 अक्तूबर, 2016 को समिति के सदस्य बने।

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पणधारक संबंध समिति की संरचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए :

श्री जगदीश आई. पटेल	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	अध्यक्ष
श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
श्री आर. टी. अग्रवाल^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री के श्रीकांत^^	निदेशक (वित्त)	सदस्य

^ अधिवर्षिता प्राप्त करने पर 31 अगस्त, 2016 को निदेशक (वित्त) सेवा निवृत्त हुए।
^^ 01 सितम्बर, 2016 को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त। वह 22 अक्तूबर, 2016 को समिति के सदस्य बने।

पणधारक संबंध समिति की दो बैठकें वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 07 दिसम्बर, 2016 और 29 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थी।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पणधारी संबंध समिति की बैठकों में उपस्थिति

नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित पणधारियों/निवेशकों की शिकायत समिति की बैठकें	
	आयोजित	उपस्थिति
श्री जगदीश आई. पटेल	2	2
श्री रवि पी. सिंह	2	2
श्री के. श्रीकांत	2	2

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

श्रीमती दिव्या टंडन, कंपनी सचिव, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

निवेशकों की शिकायतें

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान विवादों और विधिक कारणों द्वारा बाधित मामलों को छोड़कर कंपनी के निवेशकों की शिकायतों का त्वरित निवारण किया गया है। वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	विवरण	आदि शेष	प्राप्त	निपटाई गई	लंबित
1	वापसी आदेशों का न मिलना	0	10	10	0
2	लाभांश वारंटों का न मिलना	0	503	503	0
3	शेयर प्रमाणपत्र न मिलना	0	40	40	0
4	सेबी	0	7	5	2
5	स्टॉक एक्सचेंज	0	2	2	0
6	वकीलों के नोटिस	0	0	0	0
7	उपभोक्ता मंच/अदालती मामले	0	0	0	0
	कुल	**0**	**562**	**560**	**2**

31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार निवेशकों की लंबित शिकायतों का तदनंतर निपटान कर दिया गया है।

शेयर एस्क्रो खाते में लंबित शेयर :

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची 5 (च) के अनुसरण में यह प्रकटन किया गया है किः

शेयर एस्क्रो खाते में शेयर						
परिघटना	आईपीओ		एफपीओ (2010)		एफपीओ (2013)	
	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
01.04.2016 की स्थिति के अनुसार	181	35,095	18	3,439	शून्य	शून्य
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार	177	34,112	18	3,439	शून्य	शून्य
2016-17 के दौरान अंतरण	4	983	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ऐसे शेयरों के वास्तविक मालिक द्वारा शेयरों के संबंध में दावा किए जाने तक एस्क्रो खाते में शेयरों के संबंध में मताधिकार अवरुद्ध रहेगा। ये शेयर पूल एकाउंट में डिमैट रूप में रजिस्ट्रार अर्थात मैसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं और उन पर प्राप्त लाभ का उचित लेखा जोखा रखा जा रहा है।

केंद्रीयकृत वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली-स्कोर्स

सेबी की केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली अर्थात स्कोर्स (सेबी की शिकायत समाधान प्रणाली) जून, 2011 से लागू है। स्कोर्स के माध्यम से शेयरधारक कंपनी के विरुद्ध अपनी शिकायतें समाधान के लिए दर्ज कर सकते हैं। जब शिकायतें दर्ज की जाती हैं तो यूनीक शिकायत पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ और ट्रैकिंग के लिए आवंटित की जाती है। दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है और शेयरधारक अपनी शिकायत के लिए अनुस्मारक भेज सकते हैं। आपकी कंपनी शिकायत के समाधान के लिए कार्रवाई करती है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड करती है। यदि सेबी समझता है कि शिकायत का पर्याप्त रूप से समाधान हो गया है तो वह शिकायतों का निपटान करता है। कोई शेयरधारक जो स्कोर्स से शिकायत नहीं करता है तो वह अपनी शिकायत को लिखित रूप में भी कर सकता है।

3.3 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

पावरग्रिड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया था।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार इस समिति के सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

श्री जगदीश आई. पटेल	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	अध्यक्ष
श्री त्से तेन दोर्जी	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	सदस्य
श्रीमती ज्योतिका कालरा^	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	सदस्य
श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
डा. प्रदीप कुमार^^	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य
श्रीमती ज्योति अरोड़ा^^^	संयुक्त सचिव, सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य

^ 06 अप्रैल, 2017 को निदेशक के रूप में त्यागपत्र दिया।

^^ 31 जुलाई, 2017 (अपराह्न) से निदेशक नहीं रहे।

^^^ 5 जुलाई, 2017 (अपराह्न) से निदेशक नहीं रहे।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुएः

श्री जगदीश आई पटेल	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	अध्यक्ष
श्री त्से तेन दोर्जी^	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	सदस्य
श्रीमती ज्योतिका कालरा^	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	सदस्य
श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
डा. प्रदीप कुमार	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य
श्रीमती ज्योति अरोड़ा	संयुक्त सचिव, सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य

^ श्री त्से तेन दोर्जी और श्रीमती ज्योतिका कालरा को नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के रूप में 29 मार्च, 2017 को नियुक्त किया गया।

नामांकन एवं परिश्रमिक समिति निर्धारित सीमाओं में अपने सभी कर्मचारिओं में वितरण है। वार्षिक बोन स. अलग-अलग वेतन पूल तथा नीति को निर्धारित करती है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें क्रमशः 05 अगस्त, 2016 और 09 फरवरी, 2017 को आयोजित की गई।

वर्ष 2016-17 के दौरान नामांकन और परिश्रमिक समिती की बैठक में उपस्थिति:

नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें	
	आयोजित	उपस्थिति
श्री जगदीश आई. पटेल	2	2
श्री त्से तेन दोर्जी^	लागू नहीं	लागू नहीं
श्रीमती ज्योतिका कालरा^	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री इंदु शेखर झा	2	2
डा. प्रदीप कुमार	2	2
श्रीमती ज्योति अरोड़ा	2	2

^ नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के रूप में 29 मार्च, 2017 को नियुक्त।

कंपनी में वित्त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2013 के विनियम 19 का अनुपालन नहीं किया था।

स्वतंत्र निदेशकों को प्रशासन मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किया जाता है। जनवरी, 2016 में पांच स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हुआ। उक्त परिघटना के बाद फरवरी, 2017 तक केवल एक स्वतंत्र निदेशक था जिनमें दो स्वतंत्र निदेशकों को विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था। अतः जनवरी, 2016 से फरवरी, 2017 तक कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था जो कि उक्त अधिनियम और सेबी विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप अपर्याप्त संख्या थी।

निदेशकों का निष्पादन संबंधी मूल्यांकन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अधीन निदेशकों के निषादन संबंधी मूल्यांकन की आवश्यकता को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के द्वारा सरकारी कंपनियों के लिए समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना के द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-IV में संशोधन किया है, जिसके द्वारा इसने स्वतंत्र निदेशक द्वारा गैर-स्वतंत्र निदेशकों के और अध्यक्ष के तथा बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के निषादन मूल्यांकन की अपेक्षा का अनुपालन करने की शर्त से सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की गई है, बशर्ते कि संबंधित विभागों या मंत्रालयों ने इन अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट किया हो।

पावरग्रिड के बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति, पदावधि और पारिश्रमिक के बारे में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तों और निबंधनों के अनुसार होता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक में शामिल होने पर ही भुगतान किया जाता है। पावरग्रिड हर वर्ष विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है, जिसमें कंपनी का विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

निदेशकों का पारिश्रमिक

पावरग्रिड कंपनी सरकारी कंपनी होने के कारण इसके निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों को वर्ष 2016-17 के दौरान दिया गया पारिश्रमिक, उनकी नियुक्ति की शर्तों और निबंधनों के अनुरूप था। स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठक में शामिल होने के लिए और समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए भाग ली गई प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल सिटिंग शुल्क [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 4 के अंतर्गत सरकार के अनुमोदन के बिना निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा नियत दर] अदा किया जाता है।

वर्ष 2016-17 में पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किया गया पारिश्रमिक निम्नलिखित है :

क्र.सं.	निदेशक	पदनाम	वेतन (₹)	लाभ (₹)	बोनस/ कमीशन (₹)	निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (₹)	कुल (₹)
1.	श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	3,228,296	788,452	-	1,875,171	5,891,919
2.	श्री प्रभाकर सिंह^	निदेशक (परियोजनाएं)	6,34,189	92,522	-	3,71,137	10,97,848
3.	श्री आर. टी. अग्रवाल^^	निदेशक (वित्त)	1,424,663	2,585,109	-	726,891	4,736,663
	श्री के. श्रीकांत^^^	निदेशक (वित्त)	1,538,553	284,060	-	38,357	1,860,970
4.	श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	3,100,555	592,692	-	1,930,641	5,623,888
5.	श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन)	3,072,993	1,144,604	-	1,598,885	5,816,482

^ 8 फरवरी, 2017 से

^^ 31 अगस्त, 2016 तक

^^^ 01 सितम्बर, 2016 से

पावरग्रिड के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं लेते। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए '20,000/- प्रति बैठक शुल्क अदा किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के लिए किए गए भुगतान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(₹ in lacs.)

गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल (₹)
	बोर्ड की बैठक (₹)	निदेशक मंडल की समिति की बैठकें (₹)	
श्री जगदीश आई. पटेल	2.80	3.00	5.80
श्री त्से तेन दोर्जी	0.20	शून्य	0.20
श्रीमती ज्योतिका कालरा	0.40	शून्य	0.40

दिनांक 31.03.2017 को निदेशकों की शेयरधारिता निम्नलिखित है :

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
	श्री आई. एस. झा	2,998
	श्री के. श्रीकांत	1,029
	श्री रवि पी. सिंह	9,016
	श्री आर. पी. सस्मल	1,798
	श्री प्रभाकर सिंह	2,526
	डा. प्रदीप कुमार	NIL
	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	NIL
	श्री जगदीश आई. पटेल	NIL
	श्री से तेन दोर्जी	NIL
	श्रीमती ज्योतिका कालरा	NIL

3.4 परियोजनाओं पर निवेश संबंधी समिति

बोर्ड ने नई परियोजनाओं की निवेश स्वीकृति और जारी परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों के प्रस्तावों, जैसा बोर्ड से अपेक्षित होता है, पर विचार करने के लिए निदेशकों की यह समिति गठित की है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, परियोजनाओं पर निवेश संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन)	सदस्य
श्री के. श्रीकांत	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री प्रभाकर सिंह	निदेशक (परियोजना)	सदस्य
डा. प्रदीप कुमार^	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, सरकारी नामित निदेशक	सदस्य
श्रीमती ज्योति अरोड़ा^^	संयुक्त सचिव, सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य

^ 31 जुलाई, 2017 (अपराह्न) से निदेशक नहीं रहे।

^^ 05 जुलाई, 2017 (अपराह्न) से निदेशक नहीं रहे।

परियोजनाओं पर निवेश संबंधी समिति के पुनर्गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री आर टी. अग्रवाल^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री के. श्रीकांत^^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री आर. पी. सस्मल	निदेशक (प्रचालन)	सदस्य
श्री प्रभाकर सिंह^^^	निदेशक (परियोजना)	सदस्य
डा. प्रदीप कुमार	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य
श्रीमती ज्योति अरोड़ा	संयुक्त सचिव, सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य

^ 31 जुलाई, 2016 को अधिवर्षिता की आयु होने पर वे निदेशक (वित्त) के पद से सेवानिवृत्त हुए।
^^ 01 सितम्बर, 2016 को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त। वे 22 अक्तूबर, 2016 को समिति के सदस्य बने।
^^^ 08 फरवरी, 2017 को निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त।
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना पर निवेश संबंधी समिति की 07 बैठकें आयोजित की गई थी।

3.5 संविदा अधिनिर्णय पर समिति

निदेशकों की यह समिति ₹ 30 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 100 करोड़ तक की संविदाओं के अधिनिर्णय के अनुमोदन के लिए गठित की गई है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित निदेशक समिति के सदस्य थे :

श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री के. श्रीकांत	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन)	सदस्य
श्री प्रभाकर सिंह	निदेशक (परियोजना)	सदस्य
श्रीमती ज्योति अरोड़ा^	संयुक्त सचिव (पारेषण) सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य

^05 जुलाई, 2017 (अपराह्न) से निदेशक नहीं रहे।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संविदा अधिनिर्णय समिति की संरचना में परिवर्तन इस प्रकार थे :

श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री आर. टी. अग्रवाल^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री के. श्रीकांत^^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री आर. पी. ससमल^^^	निदेशक (प्रचालन)	सदस्य
श्री प्रभाकर सिंह^^^^	निदेशक (परियोजना)	सदस्य
श्रीमती ज्योति अरोड़ा	संयुक्त सचिव (पारेषण), सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य

^ 31 अगस्त, 2016 से निदेशक (वित्त) नहीं रहे।

^^ 01 सितम्बर, 2016 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त। वे 22 अक्तूबर, 2016 को समिति के सदस्य बने।

^^^ इनके पास 07 फरवरी, 2017 तक निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त कार्यभार था।

^^^^ 08 फरवरी, 2017 को निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त।

संविदा अधिनिर्णय समिति की वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 11 बैठकें आयोजित की गई।

3.6 शेयरों के अंतरण/विभाजन/रीमैटीरियलाइजेशन आदि की समिति :

कंपनी ने शेयरों के अंतरण/विभाजन/रीमैटीरियलाइजेशन आदि के लिए निदेशकों की एक समिति पुनर्गठित की है। इस समिति में 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित निदेशक, अध्यक्ष/सदस्य के रूप में शामिल थे :

श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	अध्यक्ष
श्री के. श्रीकांत	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री प्रभाकर सिंह	निदेशक (परियोजना)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरों के अंतरण/विभाजन/रीमैटीरियलाइजेशन आदि की समिति की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन थे :

श्री रवि. पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	अध्यक्ष
श्री आर. टी. अग्रवाल^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री के. श्रीकांत^^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री आर. पी. ससमल^^^	निदेशक (प्रचालन)	सदस्य
श्री प्रभाकर सिंह^^^^	निदेशक (परियोजना)	सदस्य

^ 31 अगस्त, 2016 से निदेशक (वित्त) नहीं रहे।

^^ 01 सितम्बर, 2016 से निदेशक वित्त के रूप में नियुक्त हुए। वह 22 अक्तूबर, 2016 को समिति के सदस्य बने।

^^^ इनके पास 07 फरवरी, 2017 तक निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त कार्यभार था।

^^^^ 08 फरवरी, 2017 को निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त हुए।

वर्ष के दौरान शेयरों का अंतरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के द्वारा निर्धारित समय में ही ठीक प्रकार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरों के अंतरण/विभाजन/रीमैटीरियलाइजेशन आदि की समिति की 14 बैठकें आयोजित की गई थीं।

3.7 बांड समिति

कंपनी के निदेशक मंडल ने मर्चेंट बैंकरों, निर्गम के पंजीयक, आदि की नियुक्ति करने सहित पावरग्रिड के बांडों के आवंटन, अंतरण, पारेषण, विभाजन (स्पिलिटिंग) एवं समेकन आवंटन पत्रों तथा बांडों से जुड़े अन्य मामलों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए निदेशकों की एक समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बांड समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री के. श्रीकांत	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन)	सदस्य
श्री प्रभाकर सिंह	निदेशक (परियोजना)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बांड समिति की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री आर. टी. अग्रवाल^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री के. श्रीकांत^^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन)	सदस्य
श्री प्रभाकर सिंह^^^	निदेशक (परियोजना)	सदस्य

^ 31 अगस्त, 2016 से निदेशक (वित्त) नहीं रहे।

^^ 01 सितम्बर, 2016 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त हुए। 22 अक्तूबर, 2016 को समिति के सदस्य बने।

^^^ 08 फरवरी, 2017 को निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त हुए।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बांड समिति की 30 बैठकें आयोजित की गईं।

3.8 आरई एवं अन्य निक्षेप कार्यों के लिए संविदाओं के अधिनिर्णय के संबंध में समिति :

भारत सरकार के आरजीजीवीवाई कार्यक्रम को संचालित करने के लिए निदेशकों की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति को आरई और अन्य निक्षेप कार्यों के लिए '30 करोड़ से अधिक और '100 करोड़ तक की संविदाएं अधिनिर्णित करने की शक्ति प्रदान की गई है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार समिति में सदस्यों के रूप में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री के. श्रीकांत	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन)	सदस्य
श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
श्री प्रभाकर सिंह	निदेशक (परियोजना)	सदस्य

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशकों को इस समिति की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री आर. टी. अग्रवाल^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री के. श्रीकांत^^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन)	सदस्य
श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
श्री प्रभाकर सिंह^^^	निदेशक (परियोजना)	सदस्य

^ 31 अगस्त, 2016 से निदेशक (वित्त) नहीं रहे।
^^ 01 सितम्बर, 2016 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त हुए। 22 अक्तूबर, 2016 को समिति के सदस्य बने।
^^^ 08 फरवरी, 2017 को निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त हुए।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरई एवं अन्य निक्षेप कार्यों के लिए संविदाओं के अधिनिर्णय के संबंध में समिति की 9 बैठकें आयोजित की गई थी।

3.9 सीएसआर समिति :

पावरग्रिड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीएसआर समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार सीएसआर समिति में सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
श्री के. श्रीकांत	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री प्रभाकर सिंह	निदेशक (परियोजना)	सदस्य
श्री ज्योति अरोड़ा^	संयुक्त सचिव (पारेषण), सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य
श्री जगदीश आई. पटेल	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	सदस्य

^05 जुलाई, 2017 (अपराह्न) से निदेशक के पद पर नहीं रहे।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की संरचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए :

श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
श्री आर. टी. अग्रवाल^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री के. श्रीकांत^^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन)	सदस्य
श्री प्रभाकर सिंह^^^	निदेशक (परियोजना)	सदस्य
श्रीमती ज्योति अरोड़ा	संयुक्त सचिव (पारेषण), सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य
श्री जगदीश आई पटेल	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक	सदस्य**

^ 31 अगस्त, 2016 से निदेशक (वित्त) के पद पर नहीं रहे।
^^ 01 सितम्बर, 2016 को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त हुए। 22 अक्तूबर, 2016 को समिति के सदस्य बने।
^^^ 08 फरवरी, 2017 को निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त हुए।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में सीएसआर समिति की 03 बैठकें आयोजित की गई थी।

3.10 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुरूप पावरग्रिड ने जोखिम प्रबंधन समिति गठित की थी। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य थे :

श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन)	अध्यक्ष
श्री के. श्रीकांत	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना निम्नलिखित थी :

श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन)	अध्यक्ष
श्री आर. टी. अग्रवाल^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री के. श्रीकांत^^	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

^ 31 अगस्त, 2016 से निदेशक (वित्त) नहीं रहे।

^^ 01 सितम्बर, 2016 को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त हुए। 22 अक्तूबर, 2016 को समिति के सदस्य बने।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 2 बैठकें आयोजित की गई।

पावरग्रिड में ''उद्यम जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क'' (ईआरएम फ्रेमवर्क) को कार्यान्वित किया गया है। इसका ब्यौरा प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण में दिया गया है।

4. सहायक कंपनियों की मानीटरिंग :

कंपनी की लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत यथा परिभाषित सहायक कंपनियां या सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार कोई मैटिरियल असूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है। तथापि, सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त आवधिक रूप से कंपनी के बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 16 (ग) तथा 43 के अनुसरण में पावरग्रिड में ''मैटीरियल'' सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए एक नीति तैयार की गई है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई है तथा उसका एक वेब लिंक नीचे दिया गया है।

https://www.powergridindia.com/code-conductpolicies

5. आम सभा की बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों की तारीख, समय और स्थान जहां बैठकें हुई, का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	विशेष संकल्प
2013-14	18 सितम्बर, 2014	11.00 बजे पूर्वाह्न	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली	1
2014-15	15 सितम्बर, 2015	11.00 बजे पूर्वाह्न	मानेकशा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली	2
2015-16	16 सितम्बर, 2016	11.00 बजे पूर्वाह्न	मानेकशा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली	1

डाक मतदान के जरिए पारित संकल्प :

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने अनुमोदन के लिए शेयरधारकों को कोई डाक मतदान परिचालित नहीं किया।

6. प्रकटन

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार में ये शामिल हैं। (I) संयुक्त उद्यम करार के अंतर्गत और कार्य/सेवाओं के लिए संविदाओं हेतु कंपनियों को किए गए भुगतान (ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक और (III) उन सहायक कंपनियों को इक्विटी अंशदान जो कुल मिलाकर कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।संबंधित पक्षकार के संव्यवहारों का विवरण भारतीय लेखांकन मानकों पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार लेखा की टिप्पणियों में शामिल किया गया है।

(ii) कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और निदेशक (वित्त) ने सूचीबद्धता करार के सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) की अनुसूची II के भाग ख के अंतर्गत यथापेक्षित विनिर्दिष्ट मामलों को निदेशक मंडल के लिए प्रमाणित किया है।

(iii) पावरग्रिड के पास कोई वस्तुपरक गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी नही है।

(iv) पावरग्रिड ने सीईओ/सीएफओ अधिप्रमाणन के लिए उद्यम जोखिम प्रबंध ढांचा (फ्रेमवर्क) और आंतरिक नियंत्रण ढांचा गठित कर लिया है। महाप्रबंधक (निगम आयोजना) को कंपनी का मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(v) संबंधित पार्टियों के साथ कोई भी वास्तविक व्यक्तिगत संव्यवहार ऐसे नहीं हैं जो कारोबार के सामान्य स्वरूप के न हों।

(vi) संबंधित पार्टियों या अन्य के साथ कोई भी वास्तविक व्यक्तिगत संव्यवहार ऐसे नहीं हैं जो निकट रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 23 के अनुसरण में पावरग्रिड ने संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों की वास्तविकता (मैटीरियलिटी) संबंधी नीति तैयार कर उसे पावरग्रिड की वेबसाइट पर प्रकट किया है और उसका एक वेब लिंक इस प्रकार दिया गया है।

http://www.powergridindia.com/code-conductpolicies

(vii) कंपनी ने पूर्व सूचीबद्धता करार/सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं और भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों के साथ-साथ सेबी के द्वारा विनिर्धारित विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। पावरग्रिड (i) निदेशक मंडल (ii) लेखापरीक्षा समिति और (iii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संचनना के संबंध में एक गैर-अनुपालक कंपनी हैं, जिसकी वजह पावरग्रिड के निदेशक मंडल में निदेशकों के 6 रिक्त पद हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा भरा जाना है। वर्ष के दौरान पूंजी बाजार संबंधी किसी मामले में अनुपालन न करने के लिए किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई प्रतिकूल दंड नहीं लगाया गया है या कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(viii) कंपनी का अलग से सतर्कता विभाग है जो कर्मचारियों/आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिनिधियों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवाप्रदाताओं या पावरग्रिड से व्यापार करने वाले अन्य पार्टी की धोखाधड़ी या धोखाधडी के संदेह पर कार्रवाई करता है। निदेशक मंडल द्वारा व्हीसल ब्लोअर और जालसाजी निवारण पॉलिसी अनुमोदित कर उसे पावरग्रिड के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। व्हीसल ब्लोअर और जालसाजी निवारण पॉलिसी का वेबलिंक इस प्रकार है :

http://www.powergridindia.com/code-conductpolicies

(ix) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(x) अपनाए गए (और अनुपालन किए गए)/गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को न अपनाए जाने की सूचना अनुबंध-क में दी गई है।

(xi) सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) और विनियम 17 से 27 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट शासन की अपेक्षाओं के अनुपालन को अनिवार्य बनाया गया है।

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) में यथा अपेक्षित श्री इंदु शेखर झा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री के. श्रीकांत, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उक्त विनियम की अनुसूची-II के भाग ख में यथा विनिर्दिष्ट अनुपालन प्रमाणपत्र 29 मई, 2017 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

7. संप्रेषण के साधन

कंपनी अपने शेयरधारकों से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक, समाचार पत्र और वेबसाइट के जरिए प्रकटन के माध्यम से संप्रेषण स्थापित करती है।

कंपनी अपने विश्लेषकों और निवेशकों की बैठकों के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों से संप्रेषण करती है और प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक बैठक की जाती है जिसमें कंपनी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी निवेश करने वाले समुदाय से परस्पर संपर्क करते हैं।

सूचना और अद्यतन जानकारियां तथा कंपनी द्वारा की गई घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट http://www.powergridindia.com पर देखी जा सकती हैं जिसमें निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है :

- तिमाही/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम
- तिमाही शेयरधारिता पैटर्न
- तिमाही कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट
- स्टॉक एक्सचेंजों को समय-समय पर किए गए नैगमिक प्रकटन

वृक्षों और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से महंगे कागज उपयोग करने की आदतें कम करके हमारी कंपनी ने वित्त वर्ष 2010-11 से और उसके बाद ई-मेल के जरिए बड़ी संख्या में स्टेक धारकों को उनकी सहमति लेने के बाद वार्षिक रिपोर्ट और अन्य पत्र भेजना प्रारंभ किया है।

तिमाही परिणाम

समाचार पत्रों में वित्तीय परिणामों का प्रकाशन			
क्र.सं.	समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	प्रकाशन की तारीख/ तारीखें	समाचार-पत्र
	30.06.2016	17.08.2016 तथा 18.08.2016	टाइम्स ऑफ इंडिया, इंकोनॉमिक टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स, मिन्ट, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेसद स्टेट्समैन, हिंदु बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंसियल क्रॉनिकल, अमर उजाला, दिव्य भास्कर, हिंदुस्तान
	30.09.2016	10.11.2016 तथा 11.11.2016	टाइम्स ऑफ इंडिया, इंकोनॉमिक टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स, मिंट, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द टेलीग्राफ, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, फाइनेंसियल एक्सप्रेस
	31.12.2016	10.02.2017 तथा 11.02.2017	टाइम्स ऑफ इंडिया, इंकोनॉमिक टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स, मिंट, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, हिंदू बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, अमर उजाला, दिव्य भास्कर, हिंदुस्तान
	31.03.2017	30.05.1017 तथा 31.05.2017	टाइम्स ऑफ इंडिया, इंकोनॉमिक टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स, मिंट, पायनियर, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, टेलीग्राफ, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता

इन परिणामों को कंपनी की वेबसाइट http://www.powergridindia.com पर भी प्रदर्शित किया गया है।

सरकारी रिलीज और प्रस्तुतियां

कंपनी के सरकारी समाचार रिलीज, अन्य प्रेस कवरेज - संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतीकरण को भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

8. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने दो अलग-अलग संहिता बनाई हैं - कंपनी के मिशन एवं उद्देश्यों के अनुरूप और कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए और दूसरी वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए। ''मंडल सदस्यों के लिए व्यवसाय आचार एवं नैतिकशास्त्र संहिता'' और ''वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए व्यवसाय आचार एवं नैतिकशास्त्र संहिता'' कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(3) के अंतर्गत अपेक्षित घोषणा

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए व्यवसाय आचार एवं नीतिशास्त्र संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(आई. एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली,
दिनांक : 21 जुलाई, 2017

9. इनसाइडर ट्रेडिंग कोड

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी कारोबार निषेध) विनियम, 2013 के अनुसरण में पावरग्रिड बोर्ड ने ''पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भीतरी कारोबार को विनियमित, इसकी मानीटरिंग और रिपोर्टिंग करने की आचार-संहिता एवं अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को स्पष्ट रूप से प्रकट करने की पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं की संहिता'' निर्धारित की है, जिसका उद्देश्य यह है कि ''पदनामित व्यक्ति'' कंपनी के बारे में ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना तक पहुंच करके अथवा इसके कब्जे से कोई लाभ नहीं लेगा अथवा कोई लाभ लेने के लिए दूसरों की सहायता नहीं करेगा, जो जनता के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और जिससे भीतरी सूचना बनती है। कंपनी सचिव को इस संहिता का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है।

10. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

पावरग्रिड के बोर्ड में वर्ष 2016 के दौरान केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चूंकि वित्तीय वर्ष के दौरान केवल एक स्वतंत्र निदेशक था इसलिए पूर्वोक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकी।

11. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचित करवाने का कार्यक्रम

कंपनी विभिन्न कार्यक्रमों और प्रस्तुतीकरणों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी उनकी भूमिकाओं, अधिकारों, कंपनी में उनकी जिम्मेदारी, जिस उद्योग में कंपनी प्रचालन करती है उसकी प्रकृति, कंपनी के व्यापारिक मॉडल की जानकारी आदि देती है। इस प्रकार परिचित करवाने संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किया जाता है और उससे संबंधित एक वेबलिंक नीचे दिया गया है :

https://www.powergridindia.com/familiarisation-programme-independent-Directors

12. सामान्य शेयरधारक सूचना

i) वार्षिक आम बैठक

दिनांक : 19 सितम्बर, 2017

समय : प्रातः 11.00 बजे

स्थान : मानेकशा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली

ii) वित्त वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

iii) बही का समापन

सदस्यों की पंजिका और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां 13 सितम्बर, 2017 से 19 दिसम्बर, 2017 तक (दोनों दिन समावेशित) बंद रहेंगी।

iv) लाभांश का भुगतान

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने '3.35 प्रतिशेयर (33.50 प्रतिशत) के अंतिम लाभांश भुगतान की संस्तुति की है। इसके अलावा एक अंतरिम लाभांश '1 प्रतिशेयर (10 प्रतिशत) 2 मार्च, 2017 को अदा किया गया था। गत वर्ष में अदा किया गया लाभांश '2.31 प्रति शेयर (23.10 प्रतिशत) था।

v) लाभांश के भुगतान के लिए रिकार्ड तारीख 12 सितम्बर, 2017 है।

लाभांश का इतिहास

वर्ष	वर्ष के 31 मार्च को कुल अभिदत्त पूंजी ('करोड में)	वित्तीय वर्ष के दौरान अदा किए गए लाभांश की कुल राशि ('करोड में)	वार्षिक आम सभा की तारीख जिसमें लाभांश घोषित किया गया	अंतिम लाभांश के भुगतान की तारीख
2009-10	4208.84	631.34	24.09.2010	19.10.2010
2010-11	4629.73	810.23	19.09.2011	07.10.2011
2011-12	4629.73	976.87	19.09.2012	08.10.2012
2012-13	4629.73	1,273.17	19.09.2013	10.10.2013
2013-14	5231.59	1,349.75	18.09.2014	09.10.2014
2014-15	5231.59	1,046.32	15.09.2015	06.10.2015
2015-16	5231.59	1,208.50	16.09.2016	06.10.2016
2016-17	5231.59	^523.16	^^09.02.2017	^^^02.03.2017

^ अंतरिम लाभांश की राशि
^^ अंतरिम लाभांश घोषित करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक की तारीख
^^^ अंतरिम लाभांश की अदायगी की तारीख

vi) **स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण**

पावरग्रिड के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं :

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400 0051	**बीएसई लिमिटेड** फीरोज जीजीभाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001
स्क्रिप कोड : पावरग्रिड ईक्यू	**स्क्रिप कोड : 532898**
स्टॉक कोड : आईएसआईएन - आईएनई752ई01010	

वित्तीय वर्ष 2016-17 का वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को किया गया है।

vii) **पावरग्रिड का शेयर बाजार मूल्य डाटा - एनएसई**

	उच्च (₹)	निम्न (₹)	मास के दौरान कारोबार की राशि (₹ लाख में)
अप्रैल, 2016	149.90	138.10	105,358.78
मई, 2016	152.95	139.50	97,588.54
जून, 2016	163.85	148.10	114,673.37
जुलाई, 2016	178.85	160.20	164,965.82
अगस्त, 2016	185.00	172.45	207,980.60
सितम्बर, 2016	187.70	171.55	145,953.39
अक्तूबर, 2016	183.40	172.05	113,212.64
नवम्बर, 2016	196.40	166.95	221,965.46
दिसम्बर, 2016	192.50	176.55	157,887.05
जनवरी, 2017	209.25	182.60	244,714.55
फरवरी, 2017	208.90	191.55	215,872.99
मार्च, 2017	199.90	188.00	221,770.03

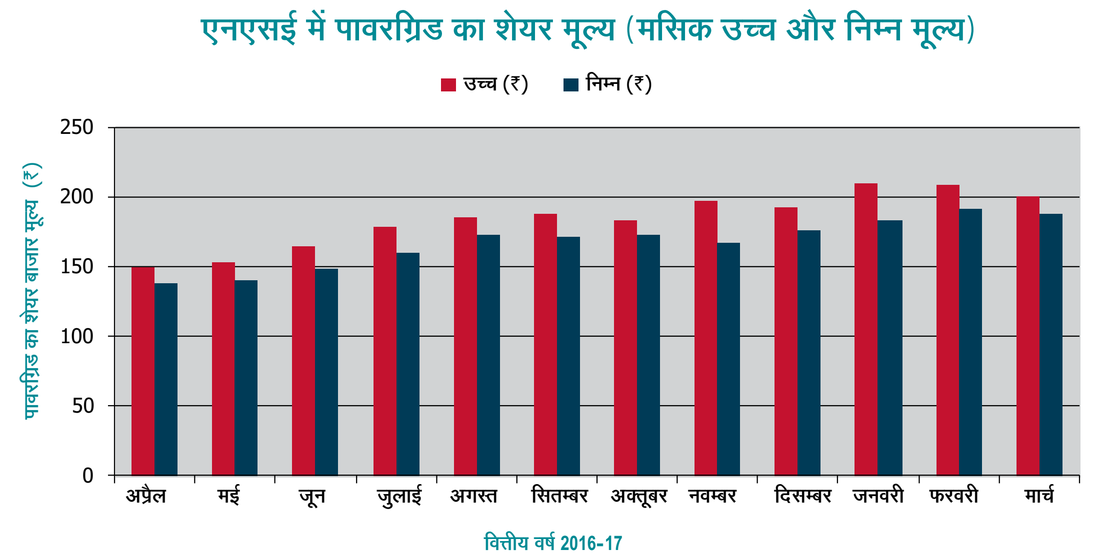

viii) पावरग्रिड का शेयर बाजार मूल्य डाटा - बीएसई

	उच्च (₹)	निम्न (₹)	मास के दौरान कारोबार की राशि (₹ लाख में)
अप्रैल, 2016	149.90	137.50	10,115.22
मई, 2016	152.85	139.55	11,821.81
जून, 2016	163.65	148.05	6,549.23
जुलाई, 2016	178.70	160.30	17,254.50
अगस्त, 2016	185.00	172.60	17,645.72
सितम्बर, 2016	187.70	171.50	8,522.37
अक्तूबर, 2016	183.20	173.00	8,140.31
नवम्बर, 2016	196.40	167.40	11,219.49
दिसम्बर, 2016	192.00	176.65	17,541.13
जनवरी, 2017	208.85	182.90	17,386.06
फरवरी, 2017	209.00	191.00	22,974.87
मार्च, 2017	199.60	188.05	22,957.41

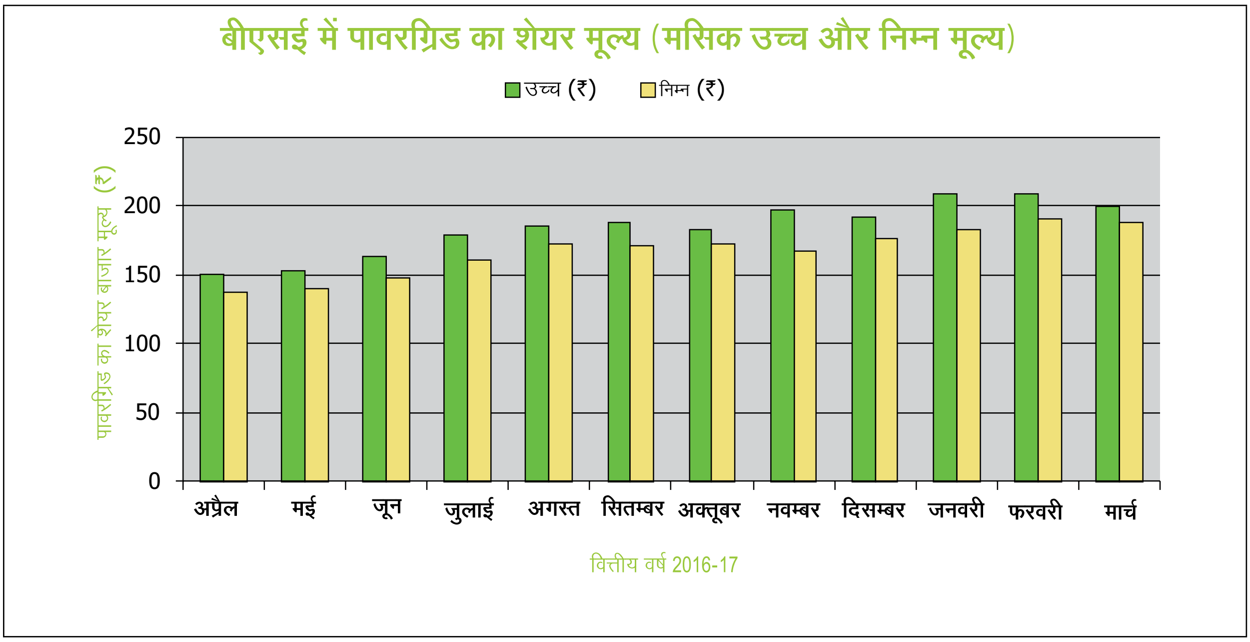

ix) एनएसई निफ्टी, बीएसई सेंसेक्स के सूचकांकों की तुलना में पावरग्रिड का निष्पादन

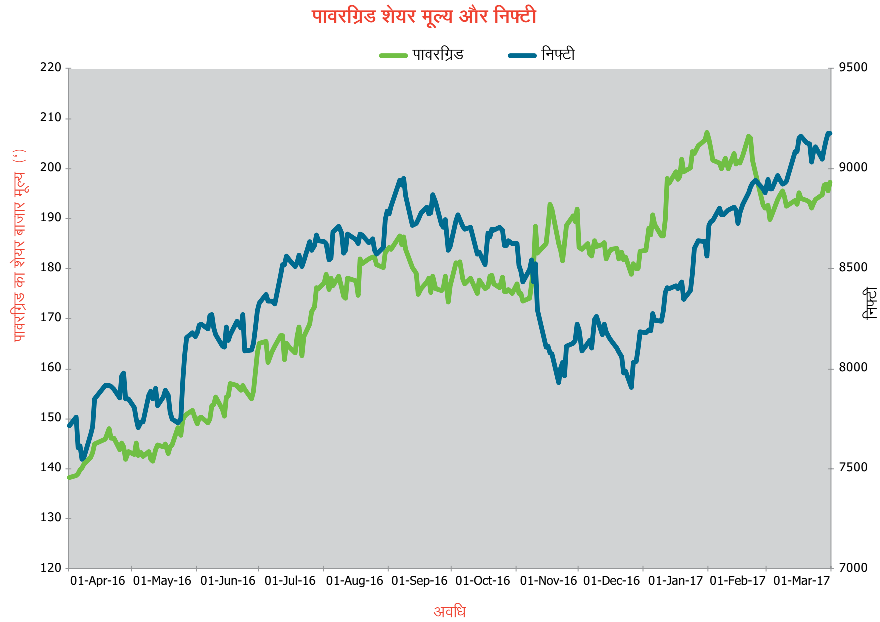

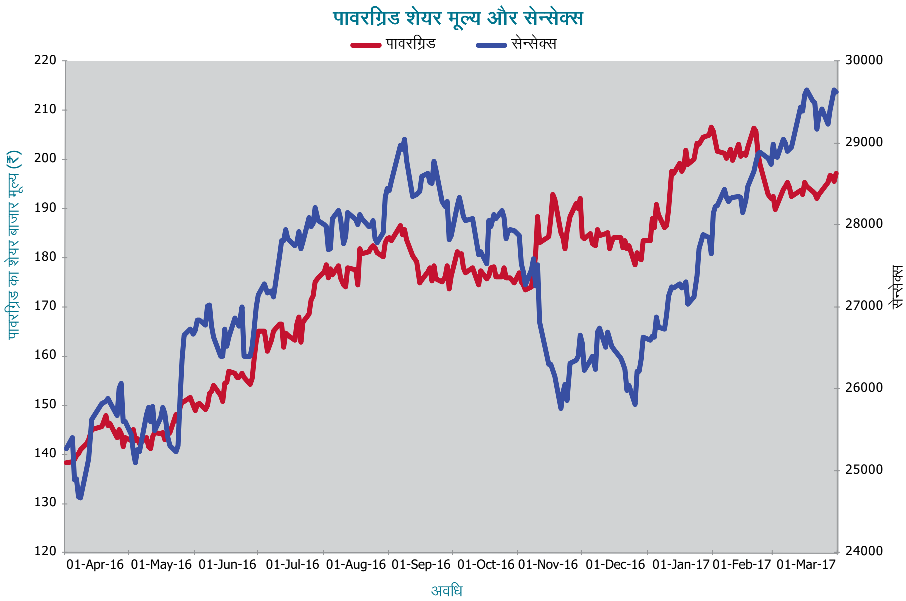

x) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

इक्विटी शेयर	बांड्स
कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलेनियम टावर बी. प्लॉट नं. 31 और 32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032 फोन : +91-40-67162222 फैक्स नं. : +91-40-23420814 टोल फ्री नं: 1800 345 4001 ई-मेल: einward.ris@karvy.com	एमसीएस लिमिटेड एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली -110020 फोन : +011-41406148/49/51 टेलीफैक्स : 011-41406148 ई-मेल : admin@mcsdel.com

xi) शेयर अंतरण प्रणाली

शेयर अंतरण की संपूर्ण गतिविधियां वास्तविक प्रखंड के अंतर्गत कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही हैं। शेयर अंतरण प्रणाली में अंतरण करने वाले व्यक्तियों से अंतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, इसकी जांच, अंतरण ज्ञापन तैयार करना आदि जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। शेयरों का अंतरण/विभाजन/रीमैटीरियलाइजेशन आदि पावरग्रिड के निदेशक मंडल की समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में विहित समय के भीतर कार्यरत कंपनी सचिव के माध्यम से कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर अंतरण की औपचारिकताओं के सम्यक अनुपालन की संपुष्टि के लिए छमाही आधार पर प्रमाणपत्र स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए गए हैं।

xii) 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार शेयरधारण

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणी के शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या तथा धारिता के आकार के अनुसार नीचे दी गई है:

आकार के अनुसार

क) दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता के आकार तथा प्रतिशत के अनुसार, शेयरधारिता का वितरण :

श्रेणी	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	कुल शेयर	कुल राशि (₹)	कुल राशि का प्रतिशत
1 - 5000	607,450	90.49	91,006,075	910,060,750	1.74
5001 - 10000	40,177	5.98	27,619,012	276,190,120	0.53
10001 - 20000	17,787	2.65	22,844,598	228,445,980	0.44
20001 - 30000	2,112	0.31	5,206,875	52,068,750	0.10
30001 - 40000	850	0.13	3,012,478	30,124,780	0.06
40001 -50000	578	0.09	2,671,069	26,710,690	0.05
50001 - 100000	873	0.13	6,174,164	61,741,640	0.11
100001 तथा उससे ऊपर	1,450	0.22	5,073,055,377	50,730,553,770	96.97
कुल	**671,277**	**100.00**	**5,231,589,648**	**523,158,964,80**	**100.00**

ख) दिनांक 31 मार्च, 2017 को शेयरधारिता पैटर्न

क्र.सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	3,028,835,198	57.90
2	एफआईआई/एफसीबी/एफपीआई	1,398,060,722	26.72
3	म्यूचुअल फंड	273,960,101	5.24
4	भारतीय जनता	166,159,670	3.18
5	निगम निकाय	161,403,440	3.09
6	बीमा कंपनियां	131,716,517	2.52
7	बैंक एवं वित्तीय संस्थान	38,191,291	0.73
8	अन्य	29,331,573	0.56
9	अप्रवासी भारतीय/ओसीबी	3,931,136	0.08
कुल		**5,231,589,648**	**100.00**

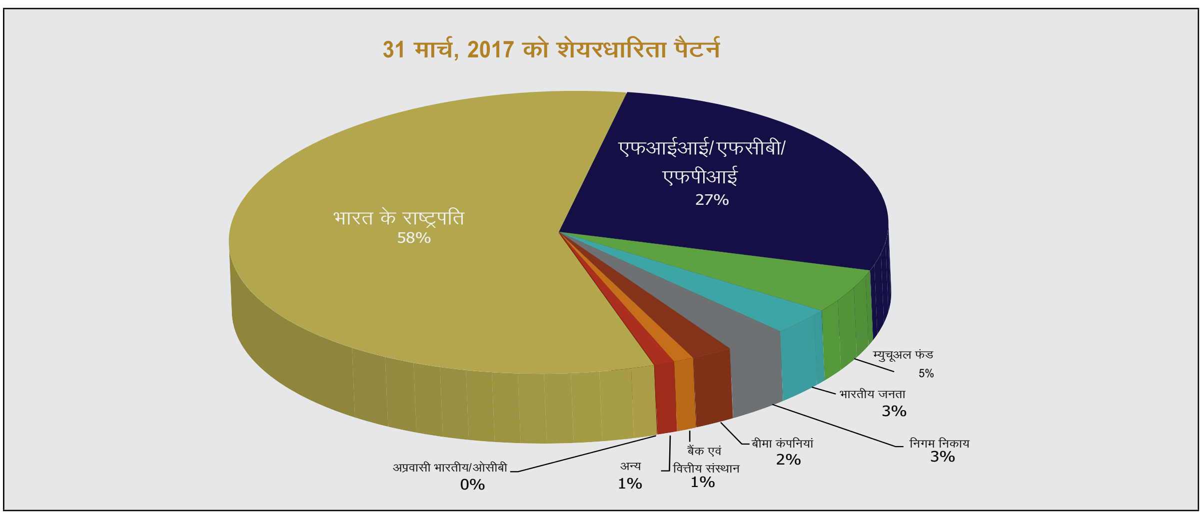

ग. प्रमुख शेयरधारक

दिनांक 31 मार्च, 2017 को कंपनी की अभिदत्त पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	शेयर	इक्विटी का प्रतिशत	श्रेणी
1	भारत के राष्ट्रपति^	2,927,565,398	55.96	पीओआई
2	यूरोपैसीफिक ग्रोथ फंड	19,1947,666	3.67	एफआईआई
3	भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड	121,201,400	2.32	आईएनएस
4	भारत के राष्ट्रपति^^	101,269,800	1.94	पीओआई
5	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड	72,558,444	1.39	एलटीडी
6	कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ एंड इन्कम फंड	64,038,000	1.22	एफआईआई
7	कॉमगेस्ट ग्रोथ पीएलसी-कौमगेस्ट ग्रोथ एमर्जिंग मार्केट्स	63,434,144	1.21	एफपीआई

^ विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व

^^ उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास विभाग (डोनर) के मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व

xiii) शेयरों का डीमैटीरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर अनिवार्य डीमैटीरियलाइज्ड खंड में हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सैंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की कारोबारी प्रणालियों के लिए उपलब्ध हैं।

कार्यरत (प्रैक्टिसिंग) कंपनी सचिव से प्राप्त कंपनी के शेयर पूंजी के मिलान के लिए सचिवीय अर्ध-वार्षिक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित समय में स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत की गई हैं।

डीमैटीरियलाइजेशन और वास्तविक खंड में धारित शेयरों की संख्या :

क्र.सं.	वास्तविक/डीमैट	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल पूंजी का प्रतिशत
1	वास्तविक	27,705	44,112	0.00
2	एनएसडीएल में डीमैटिरियलाइज्ड रूप में धारित	445,045	5,176,891,744	98.95
3	सीडीएसएल में डीमैटिरियलाइज्ड रूप में धारित	198,527	54,653,792	1.05
	जोड़	**671,277**	**5,231,589,648**	**100.00**

डीमैटिरीयलाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या

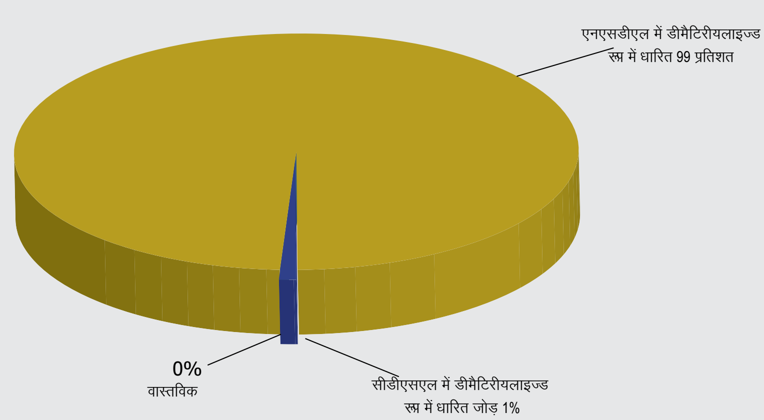

डिपॉजिटरी का नाम और पता नीचे दिया गया है :

1. नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड,
   ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल,
   कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013
2. सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड,
   फिरोज जीजीभोई टॉवर्स,
   17वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400023

xiv) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख एवं इक्विटी पर उसका संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की गई है।

xv) पावरग्रिड संयंत्रों की अवस्थिति

पावरग्रिड का कोई संयंत्र नहीं है क्योंकि यह विद्युत के पारेषण का कारोबार करता है।

xvi) पत्राचार का पता :
पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

	दूरभाष संख्या	**फैक्स संख्या**
पंजीकृत कार्यालय	011-26560112, 26560121, 26564812, 26564892	011-26601081
ई-मेल पता :	investors@powergridindia.com	
जनता के प्रवक्ता (21.05.2012 से) श्री रवि पी. सिंह, निदेशक (कार्मिक)	0124-2571901-02	0124-2571903
ई-मेल पता :	ravipsingh@powergridindia.com	
कंपनी सचिव : श्रीमती दिव्या टंडन	0124-2571968	0124-2571969
ई-मेल पता :	dtandon@powergridindia.com	

इलैक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों का प्रेषण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 और 136 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के उन सभी शेयरधारकों को उक्त दस्तावेजों की साफ्ट प्रतियां भेजना अपेक्षित हैं, जिन्होंने इस प्रयोजन हेतु अपना ई-मेल पता(पते) पंजीकृत किए हैं।

तदनुसार, उक्त दस्तावेजों को उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा जिन्होंने उक्त खंड के अनुसार अपने डीपी/कंपनी में अपना ई-मेल पता (पते) पंजीकृत किए हैं।

अनुबंध-क

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

1. **निदेशक मंडल :** एक कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी का प्रमुख होता है। ऐसा कोई व्यक्ति स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है जो पावरग्रिड के बोर्ड में कुल मिलाकर नौ वर्षों से अधिक की अवधि के लिए निदेशक रहा है।
2. **शेयरधारकों के अधिकार :** 30 सितम्बर, 2016 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय परिणाम टाइम्स ऑफ इंडिया और इकानॉमिक टाइम्स में 10 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित किए गए और वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए गए। तथापि, शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को अलग से छमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। महत्त्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट http://www.powergridindia.com पर उपलब्ध कराया गया है।
3. **लेखापरीक्षा अर्हता :** वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरण की कोई लेखापरीक्षा अर्हता नहीं है, जैसाकि ''स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट'' में उल्लेख किया गया है।
4. **अध्यक्ष और सीईओ का पृथक पद :** पावरग्रिड एक सरकारी कंपनी है इसलिए इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीईओ का अलग से कोई पद नहीं है।
5. **आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्टिंग करना :** आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे ही लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है।

निगम अधिशासन पर प्रमाणपत्र :

निगम अधिशासन पर प्रमाणपत्र को निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से,

(आई. एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 अगस्त, 2017

कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

मैंने 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है जैसाकि स्टॉक एक्सचेंजों और डीपीई दिशानिर्देशों के साथ उक्त निगम के इक्विटी शेयरों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (विनियमों) में विनिर्धारित है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच उसकी प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी जो कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए हैं। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कारपोरेशन के वित्तीय विवरण पर राय को व्यक्त करना है।

मेरी राय और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि निगम ने सामान्यतः विनियमों में यथा निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन की सभी शर्तों का अनुपालन किया है, और जहां कहीं उल्लंघन हुआ है उसको रिपोर्ट में इंगित कर दिया गया है।

मैं और आगे बताना चाहता हूं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के प्रति और न ही कंपनी के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता के प्रति आश्वासन है।

हस्ता/-
(**टी. वी. नारायणस्वामी**)
कंपनी सचिव
सीपी सं. 203

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 अगस्त, 2017

फार्म संख्या एओसी-2

अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) तथा कंपनी (खाता) नियम, 2014 के
नियम 8(2) के अनुसरण में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (i) तथा उसके तृतीय परंतुक के तहत कुछ सामीप्य लेनदेन में संदर्भित पक्षकारों और कंपनी के बीच हुई संविदा और प्रबंधन के विवरणों का प्रकटन करने के लिए फार्म

1	**ऐसी संविदाओं या प्रबंधों या लेनदेनों का ब्यौरा जो समीप्य के आधार पर नहीं है।**	
	क) संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध की प्रकृति	-
	ख) संविदाओं/प्रबंधों/लेनदेनों की प्रकृति	-
	ग) संविदाओं/प्रबंधों/लेनदेनों की अवधि	-
	घ) मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं या प्रबंधों या लेनदेनों की मुख्य विशेषताएं	-
	ड.) ऐसी संविदाएं या प्रबंधों या लेनदेनों में शामिल होने का औचित्य	-
	च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	-
	छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	-
	ज) किस तारीख को आम सभा में संकल्प पारित किया गया जैसाकि धारा 188 के प्रथम परंतुक के तहत आवश्यक है।	-
2	**ऐसी सामग्री संविदाओं या प्रबंधों या लेनदेनों का ब्यौरा जो समीप्य के आधार पर हैं।**	
(क)	**(क) संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध**	1. पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड 2. पावरग्रिड वाइजैग ट्रांसमिशन लिमिटेड 3. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड 4. पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड 5. पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड 6. पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड 7. पावरग्रिड पर्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड 8. पावरग्रिड साउथर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 9. पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरट ट्रांसमिशन लिमिटेड उपरोक्त परियोजना एसपीवी पावरग्रिड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं जिन्हें पावरग्रिड ने प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के तहत अधिग्रहित किया गया है।
	ख) संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/लेनदेनों की प्रकृति	भाग (क) पावरग्रिड, ईसीबी सहित किसी भी प्रकार के ऋण या ऋणों के संबंध में जमानत/गारंटी या लागत से लागत के आधार पर अंतर-नियम ऋण या उनके समुच्चय के लिए ₹13924 करोड़ (तेरह हजार नौ सौ चौबीस ₹ करोड़ मात्र) तक ऋण पूर्वोक्त परियोजना एसपीवी के लिए देगा। तथापि, किए गए करार वर्तमान में निम्नलिखित राशियों के अनुसार ₹13464 करोड़ तक सीमित है : 1. पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 950 करोड़ 2. पावरग्रिड वाइजैग ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 1200 करोड़ 3. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 90 करोड़ 4. पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 300 करोड़ 5. पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 1400 करोड़

		6. पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 2020 करोड़ 7. पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 1780 करोड़ 8. पावरग्रिड साउथर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ₹ 2924 करोड़ 9. पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरट ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 2800 करोड़ भाग (ख) पावरग्रिड क्र.सं. 1 और 2 पूर्वोक्त परियोजना एसपीवी को लागत से लागत आधार पर तथा क्र.सं. 3 से 9 पर परियोजना एसपीवी के लिए वास्तविक परियोजना लागत के यथा व्यवहार्य सेवा कर सहित (आईडीसी एवं परामर्शी शुल्क छोड़कर) 5 प्रतिशत की दर से आवश्यक निविष्टियां और सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। भाग (ग) पावरग्रिड क्र.सं. 1,2,3 पर परियोजना एसपीवी, जिनके घटक/परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, को सीईआरसी द्वारा उपयुक्त परिवर्तनों के साथ अधिसूचित की गई दरों के आधार पर यथा आवश्यक प्रचालन और अनुरक्षण (ओएंडएम) परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा।
	ग) संविदा/प्रबंधन/लेनदेन की अवधि	भाग (क) परस्पर सहमति के अनुसार भाग (ख) टीबीसीबी परियोजना का प्रारंभण जिसमें जुड़ी हुई समायोजन गतिविधियां शामिल हैं। भाग (ग) परस्पर सहमति के अनुसार
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की विशेष शर्तें	संदर्भ (ख)
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	29 मई, 2014; 04 मार्च, 2015 और 27 जनवरी, 2016; 05 अगस्त, 2016 और 29 मार्च, 2017
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	शून्य
(ख)	**क) संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध**	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/लेनेदेनों की प्रकृति	बिहार चरण-IV (भाग-I) में पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अवार्ड दिए जाने से पूर्व तकनीकी प्रबंधकीय सेवाओं के लिए परामर्श
	ग) संविदा/प्रबंधन/लेनदेन की अवधि	जनवरी 2015 से 09 माह (करार के अनुसार स्कोप पूरा होने तक विलंब के मामले में अपने आप विस्तारणीय)
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेनों की विशेष शर्तें	बिहार चरण-IV (भाग-I) में पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु बीजीसीएल के द्वारा एजेंसी/ठेकेदार की नियुक्ति तथा उन्हें अंतिम रूप देने के लिए समस्त सेवाएं उपलब्ध कराना। ₹ 14.0 करोड़ के एक मुश्त सेवा प्रभारों के लिए 21 नवम्बर, 2013 को करार पर हस्ताक्षर किए गए।
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं।
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	जनवरी, 2015 में बीजीसीएल से प्रथम किस्त के लिए ₹ 1.4 करोड़ सहित ₹11.24 करोड़ प्राप्त किए। तथापि, इस ठेके के लिए अग्रिम के रूप में बीजीसीएल को कोई राशि नहीं दी गई थी।
(ग)	**क) संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध**	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/लेनेदेनों की प्रकृति	बिहार-चरण-IV (भाग-I) में पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए अवार्ड देने के बाद तकनीकी प्रबंधकीय सेवाओं (अवार्ड के बाद केवल इंजीनियरी - क्यू ए एंड आई) के लिए परामर्श।
	ग) संविदा/प्रबंधन/लेनदेन की अवधि	मार्च 2015 से 24 माह (करार के अनुसार स्कोप पूरा होने तक विलंब के मामले में अपने आप विस्तारित)
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेनों की विशेष शर्तें	बिहार-चरण-IV (भाग-I) में पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के तहत बीजीसीएल को दिए पैकेजों हेतु अवार्ड के बाद इंजीनियरी, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना। 01 जनवरी, 2015 को करार पर हस्ताक्षर हुए। परियोजना की अनुमानित लागत ₹1700 करोड़ है और परियोजना के लिए वास्तविक क्रियान्वित लागत के 2 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार है।
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	24 दिसम्बर, 2014, (पावरग्रिड के बोर्ड की 308वीं बैठक)
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	वित्त वर्ष 2016-17 में बीजीसीएल से अग्रिम के रूप में ₹10.63 करोड़ प्राप्त हुए। तथापि, इस ठेके के लिए अग्रिम के रूप में बीजीसीएल को कोई राशि नहीं दी गई थी।

(घ)	क) संबंधित पदकार का नाम के नाम और संबंध की प्रकृति	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीपीटीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/लेनेदेनों की प्रकृति	किशनगंज पावरग्रिड एस/एस में 400केवी के 2 एआईएस बेज और 2x63 एमवीएआर रिएक्टरों के निषादन हेतु परामर्श (बाद में एआईएस से जीआईएस में संशोधित स्कोप)
	ग) संविदा/प्रबंधन/लेनदेन की अवधि	मार्च, 2010 से 26 महीने (करार के अनुसार स्कोप के पूरा होने तक विलंब के मामले में अपने आप विस्तारित)
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेनों की विशेष शर्तें	किशनगंज में 400 केवी के दो जीआईएस बेज और 2x63 एमवीएआर रिएक्टरों के परीक्षण और चालू करने सहित सभी सेवाएं अर्थात प्राप्ति, इंजीनियरी, क्रियान्वयन सेवा प्रदान करना। ₹26.78 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत और परियोजना की वास्तविक क्रियान्वित लागत की 15 प्रतिशत की दर से परामर्श फीस संबंधी करार पर 1 सितम्बर, 2009 को हस्ताक्षर किए गए।
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं।
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	टीपीटीएल से 2016-17 में 01.06.2016 को ₹58625000 प्राप्त किए। तथापि, इस ठेके के लिए अग्रिम के रूप में टीपीटीएल को कोई राशि नहीं दी गई थी।
ड.)	क) संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध की प्रकृति	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीपीटीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/लेनेदेनों की प्रकृति	सिक्किम में तीस्ता-III जलविद्युत (1200 मेगावाट) से जुड़ी 400 किलोवाट डी सी तीस्ता-III किशनगंज लाइन (लगभग 211 किलोमीटर) के कार्यान्वयन के लिए इंजीनियरी सेवाओं के लिए परामर्श।
	ग) संविदा/प्रबंधन/लेनदेन की अवधि	परस्पर सहमत (पारेषण लाइन के प्रारंभ से मेल खाते हुए)
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेनों की विशेष शर्तें	सिक्किम में तीस्ता-III जलविद्युत (1200 मेगावाट) से जुड़ी 400 किलोवाट डी सी तीस्ता-III किशनगंज लाइन (लगभग 211 किलोमीटर) के निषादन के लिए टीपीटीएल द्वारा एजेंसी/संविदाकार की नियुक्ति और अंतिम रूप देने, अवार्ड से पूर्व तथा अवार्ड के बाद की इंजीनियरिंग, गुणवत्ता आश्वासन तथा निरीक्षण से जुड़ी सेवाओं (एनआईटी जारी करने, अवार्ड के प्लेसमेंट ठेकेदार को परियोजना लागत के लिए भुगतान, उत्थापन के पर्यवेक्षण, परीक्षण और प्रारंभण को छोड़कर) के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करना। दिनांक 21 अप्रैल, 2009 का कार्य आदेश तथा एकमुश्त परामर्श शुल्क ₹16.00 करोड़ है।
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं।
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	मार्च, 2017 तक टीपीटीएल से अग्रिम के रूप में ₹14.4 करोड़ की राशि प्राप्त की गई। हालांकि टीपीटीएल को इस संविदा के लिए अग्रिम के तौर पर किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया।
(च)	क) संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध की प्रकृति	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी), संयुक्त उद्यम कंपनी।
	ख) संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/लेनेदेनों की प्रकृति	त्रिपुरा में 726.6 मेगावाट पालाटाना जीबीपीपी से जुड़ी 400 केवी डी/सी पालाटाना सिल्वर-बार्नीहाट-बोंगईगांव लाइन (लगभग 661 कि.मी.) के कार्यान्वयन के लिए परामर्श।
	ग) संविदा/प्रबंधन/लेनदेन की अवधि	मई, 2007 से 36 माह (देर होने के मामले में करार के अनुसार स्कोप के पूरा होने तक स्वतः विस्तारित)।
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेनों की विशेष शर्तें	त्रिपुरा में पालाटाना जीबीपीपी से जुड़ी 400 केवी डी/सी पालाटाना-सिल्वर-बाइर्नीहाट, बोंगईगांव लाइन (लगभग 661 कि.मी.) के लिए सभी सेवाएं अर्थात प्रापण, इंजीनियरिंग, परीक्षण और प्रारंभण सहित कार्यान्वयन (अवार्ड के प्लेसमेंट तथा ठेकेदार को परियोजना लागत के भुगतान को छोड़कर) प्रदान करना। करार पर 16 मार्च, 2007 को हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें परियोजना की अनुमानित लागत ₹1195.2 करोड़ तथा परामर्श शुल्क परियोजना के वास्तविक निष्पादित लागत का 10 प्रतिशत था।
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं।
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	वित्त वर्ष 2016-17 में एनईटीसी से अग्रिम के तौर पर ₹73.55 लाख प्राप्त किया। तथापि, इस संविदा के लिए एनईटीसी को अग्रिम के रूप में किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

(छ)	**क) संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध की प्रकृति**	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी), संयुक्त उद्यम कंपनी।
	ख) संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/लेनेदेनों की प्रकृति	400 केवी डी/सी पालाटाना-सिल्चर-बाइर्नीहाट बोंगईगांव लाइन (लगभग 661 कि.मी.) के प्रचालन और रखरखाव के लिए परामर्शी सेवा।
	ग) संविदा/प्रबंधन/लेनदेन की अवधि	जून, 2016 से 3 वर्ष
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेनों की विशेष शर्तें	400 केवी डी/सी पालाटाना-सिलचर-बाइर्नीहाट-बोंगईगांव लाइन (लगभग 661 कि.मी.) के प्रचालन और रखरखाव के लिए सभी सेवाएं प्रदान करना। मूल करार पर 16 जनवरी, 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 30 मई, 2016 को नवीकृत किया गया था। परामर्शदात्री शुल्क सीईआरसी प्रशुल्क मानदंडों के अनसार है।
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं।
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	कोई अग्रिम नहीं प्राप्त किए गए। तथापि उपर्युक्त अनुरक्षण कार्य के लिए बनाए गए बिलों में भुगतान के रूप में ₹5.94 करोड़ प्राप्त किए गए। इस संविदा के लिए अग्रिम के तौर पर एनईटीसी को किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
(ज)	**क) संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध की प्रकृति**	नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी।
	ख) संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/लेनेदेनों की प्रकृति	बीना सब स्टेशन में ऑनलाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट फैसिलिटी की स्थापना के लिए परामर्श।
	ग) संविदा/प्रबंधन/लेनदेन की अवधि	परस्पर सहमति के अनुसार
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेनों की विशेष शर्तें	बीना सब-स्टेशन पर ऑनलाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट फेसिलिटी स्थापित करने के लिए सभी सेवाएं अर्थात संस्थापन हेतु परीक्षण और प्रारंभण सहित प्रापण, इंजीनियरिंग, कार्यान्वयन की सभी सेवाएं उपलब्ध करवाना। 25 नवम्बर, 2010 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिसमें परियोजना की अनुमानित लागत ₹247.06 करोड़ तथा परामर्श शुल्क कार्यान्वित की गई परियोजना के वास्तविक लागत की 10 प्रतिशत की दर से था।
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं।
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	वित्त वर्ष 2016-17 में एनएचपीटीएल से ₹58345527.57 की राशि प्राप्त की गई।
(झ)	**क) संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध की प्रकृति**	पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको), सहायक कंपनी (100 प्रतिशत)
	ख) संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/लेनेदेनों की प्रकृति	5-आरएलडीसी और एनएलडीसी में एससीएडीए/ईएमएस प्रणाली और संबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के विस्तार/प्रतिस्थापन के लिए परामर्श।
	ग) संविदा/प्रबंधन/लेनदेन की अवधि	अप्रैल, 2011 से 5 वर्ष (देर होने के मामले में करार के अनुसार स्कोप के पूरा होने तक स्वतः विस्तारित)।
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेनों की विशेष शर्तें	5 आरएलडीसी और एनएलडीसी में एससीएडीए/ईएमएस प्रणाली और संबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के विस्तार/प्रतिस्थापन के लिए परीक्षण तथा प्रारंभण सहित सभी सेवाएं अर्थात प्रापण, इंजीनियरिंग और कार्यान्वयन उपलब्ध करवाना (ठेकेदारों का परियोजना लागत का भुगतान छोड़कर) 31 मार्च, 2011 को करार पर हस्ताक्षर किए गए और 2 मई, 2012 को इसमें संशोधन किए गए। करार के प्रावधान के अनुसार करार पर हस्ताक्षर करने के बाद परियोजना की परिकलित अनुमानित लागत ₹65.16 करोड़ है तथा परामर्श शुल्क परियोजना की वास्तविक क्रियान्वित लागत का 12 प्रतिशत है।
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं।
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	वित्त वर्ष 2016-17 में पोसोको से ₹1.15 करोड़ प्राप्त हुए। तथापि इस संविदा के लिए पोसोको को अग्रिम के रूप में किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

(ञ)	क)	संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध की प्रकृति	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी।
	ख)	संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/लेनेदेनों की प्रकृति	400 केवी डी/सी मुज्जफ्फरपुर (भारत) - धालकेबार (नेपाल पारेषण लाइन की 400 केवी डी/सी धालकेबार बिट्टामोड (42.1 कि.मी.) सेक्शन (नेपाल का भाग) के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।
	ग)	संविदा/प्रबंधन/लेनदेन की अवधि	13 अगस्त, 2012 से 24 माह (करार के अनुसार स्कोप पूरा होने तक विलंब के मामले में अपने आप विस्तारित)।
	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेनों की विशेष शर्तें	परियोजना प्रबंध परामर्श सेवाएं अर्थात मास्टर एन/डब्ल्यू डिजाइन तैयार करना और इंजीनियरी कार्य, बीओक्यू सहित तकनीकी विशिष्टियां तैयार करना, एनआईटी तथा लागत; अनुमान, तकनीकी और वाणिज्यिक बोली दस्तावेज तैयार करना, मसौदा एनआईटी तैयार करना, बोली मसौदा एलओए का मूल्यांकन, ठेके के बाद इंजीनियरी और परियोजना प्रबंधन कार्यकलाप तथा स्थल कार्य का पर्यवेक्षण, स्थल कार्यालयों को खोलना तथा कार्य के निष्पादन संबंधी अन्य प्रासंगिक कार्य। मूल्य : भारत/नेपाल में लागू करों/शुल्कों सहित परियोजना की अंतिम रूप से वास्तविक निष्पादित लागत का परामर्श शुल्क 10 प्रतिशत होगा।
	ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	06 जनवरी, 2010
	च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	25 जुलाई 2014 को 52,60,000 की राशि प्राप्त की गई। इसके बाद अग्रिम के रूप में किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया
(ट)	क)	संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध की प्रकृति	क्रॉस बोर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी।
	ख)	संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/लेनेदेनों की प्रकृति	400 केवी डी/सी मुज्जफ्फरपुर (भारत) - धालकेबार (नेपाल) ट्रांसमिशन लाइन के 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर -सुरसेंड (86.13 कि.मी.) सेक्शन (भारत का भाग के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना।
	ग)	संविदा/प्रबंधन/लेनदेन की अवधि	10 अगस्त, 2012 से 30 माह (करार के अनुसार स्कोप पूरा होने तक विलंब के मामले में अपने आप विस्तारणीय)।
	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेनों की विशेष शर्तें	परियोजना प्रबंध परामर्श सेवाएं अर्थात मास्टर एन/डब्ल्यू डिजाइन तैयार करना और इंजीनियरी कार्य, बीओक्यू सहित तकनीकी विशिष्टियां तैयार करना, एनआईटी तथा लागत अनुमान; तकनीकी और वाणिज्यिक बोली दस्तावेज तैयार करना, मसौदा एनआईटी तैयार करना, बोली मसौदा एलओए का मूल्यांकन, ठेके का अधिनिर्णय, ठेके के बाद इंजीनियरी और परियोजना प्रबंधन कार्यकलाप तथा स्थल कार्य का पर्यवेक्षण, स्थल कार्यालयों को खोलना तथा कार्य के निष्पादन संबंधी अन्य प्रासंगिक कार्य। मूल्य : भारत/नेपाल में लागू करों/शुल्कों सहित परियोजना की अंतिम रूप से वास्तविक निष्पादित लागत का परामर्श शुल्क 12 प्रतिशत होगा।
	ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	24 अगस्त, 2009
	च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	19 अप्रैल, 2013 को ₹1,31,30,000 की राशि प्राप्त की गई। इसके बाद अग्रिम के रूप में किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया।

फार्म संख्या एओसी-1

[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में]
सहायक कंपनियों या संबद्ध कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशिष्टताओं वाला विवरण

भाग-''क'' सहायक कंपनियां

(राशि ₹ करोड़ में)

1.	क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	सहायक कंपनियों के नाम	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लि.	पावरग्रिड वेमागिरि ट्रांसमिशन लि.	पावरग्रिड वाइजैग ट्रांसमिशन लि.	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लि.	पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लि.	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लि.	पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लि.	पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लि.	पावरग्रिड साउथर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लि.	ग्रिड कंडेक्टर्स लि.	मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लि.
3.	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न होणे पर संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दरें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	162.00	0.05	209.73	12.96	1.05	0.15	25.10	0.10	0.05	0.05	0.01
6.	आरक्षिती और अधिशेष	(21.39)	(19.43)	(25.46)	(0.05)	-	-	1.32	-	(0.02)	(0.05)	-
7.	कुल परिसंपत्तियां	1092.47	0.02	1309.36	79.73	227.91	264.79	852.91	567.53	581.57	-	19.50
8.	कुल देयताएं	951.86	19.40	1125.09	66.82	226.86	264.64	826.49	567.43	581.54	-	19.49
9.	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	कारोबार	18.91	शून्य	67.59	4.08	शून्य	शून्य	3.66	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	कराधान से पूर्व लाभ	(28.97)	शून्य	(30.34)	(0.08)	शून्य	शून्य	3.05	शून्य	(0.02)	(0.02)	शून्य
12.	कराधान के लिए प्रावधान	(10.03)	शून्य	(8.53)	(0.03)	शून्य	शून्य	1.73	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	कराधान के बाद लाभ	(18.94)	शून्य	(21.81)	(0.05)	शून्य	शून्य	1.32	शून्य	(0.02)	(0.02)	शून्य
14.	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	शेयर धारण का प्रतिशत	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

उन सहायक कंपनियों के नाम, जिनका प्रचालन अभी शुरू करना है।

पावरग्रड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड
पावरग्रिड साउथर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
ग्रिड कन्डेक्टर लिमिटेड
मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड

उन सहायक कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान समाप्त हो चुकी हैं या बिक चुकी हैं।

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड

भाग-''ख'' : संबद्ध कंपनियां (एसोसिएट) और संयुक्त उद्यम

एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से जुड़े कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

एसोसिएटों/संयुक्त उद्यमों के नाम	पावर लिंक्स ट्रांसमिशन लि.	टोरेंट पावरग्रिड लि.	जेपी पावरग्रिड लि.	पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लि.	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लि.	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लि.	नेशनल हाइपावर टेस्ट लैबोरेटरी प्रा. लि.	कलिंग विद्युत प्रसारण निगम प्रा. लि.	बिहार ग्रिड कंपनी लि.	क्रांस बोर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	आर आई एन एल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लि.	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लि.
1. अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख	31.03.2017	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	31.03.2017	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	31.03.2017	लेखा परीक्षित नहीं
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित एसोसिएट/संयुक्त उद्यमों के शेयर												
संख्या	229320000	23400000	78000000	70937620	94277820	106964000	30400000	5000	148500000	12612473	3400000	780000
एसोसिएटों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	229.32	23.40	78.00	70.94	94.28	106.96	30.40	0.01	148.50	12.61	3.40	4.88
धारण की सीमा प्रतिशत	49%	26%	26%	26%	26%	26%	20%	50%	50%	26%	50%	26%
3. उल्लेखनीय प्रभाव का विवरण	20% से अधिक शेयरधारण	20% से अधिक शेयरधारण	20% से अधिक शेयरधारण	20% से अधिक शेयरधारण	20% से अधिक शेयरधारण	20% से अधिक शेयरधारण	20% से अधिक शेयरधारण	20% से अधिक शेयरधारण	20% से अधिक शेयरधारण	20% से अधिक शेयरधारण	20% से अधिक शेयरधारण	20% से अधिक शेयरधारण
4. एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम के समेकित न होने के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5. अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयर धारण से प्राप्य निवल पूंजी	408.69	26.48	94.43	92.70	93.65	98.45	29.97	शून्य	147.46	18.19	3.40	7.34
6. वर्ष की लाभ/ हानि												
i. समेकन में विचारित	96.00	0.89	13.06	18.65	0.34	8.17	शून्य	शून्य	(1.05)	3.60	शून्य	2.09
ii. समेकन में न विचारित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ऐसे एसोसिएट या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका प्रचालन अभी शुरू किया जाना है।

नेशनल हाईपावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
कलिंग विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
क्राँस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड

ऐसे एसोसिएट या संयुक्त उद्यमों के नाम, जो वर्ष के दौरान बन्द हो चुकी हैं या बिक चुकी हैं।

एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड (संयुक्त उद्यम नहीं रहा)

उसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001135एन

कृते आर. जी. एन. प्राईस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002785एस

कृते कोठारी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 301178ई

कृते प्रकाश एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001475सी

(दिव्या टंडन)
कंपनी सचिव

(के. श्रीकांत)
निदेशक (वित्त)

(आई एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(सीए एस. के. मित्तल)
साझेदार
सदस्यता सं. 008506

(सीए आर. रंगराजन)
साझेदार
सदस्यता सं. 041883

(सीए मानसी कोठारी)
साझेदार
सदस्यता सं. 064601

(सीए इंद्र पाल सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 410433

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 मई, 2017

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी की सीएसआर नीति को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11.11.2014 को हुई इसकी 307वीं बैठक में अनुमोदित किया था और दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को आयोजित की गई इसकी 323वीं बैठक में इसमें संशोधन किया गया था। नीति का नाम, विजन और मिशन विवरणों को शामिल करना, स्थानीय क्षेत्रों और संचार रणनीति को परिभाषित करते हुए बड़े-बड़े परिवर्तन किए गए थे। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

http://10.100.18.171/sites/default/files/CSR_Policy_2015_0.pdf

1. नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

नीति का नया नाम पावरग्रिड की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत नीति है।

विजन:

ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी बनना जो ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में पहल करते हुए समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास की एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करे और निरंतर पर्यावरणीय पद्धतियों का पालन करें।

मिशन

पर्यावरण संबंधी एवं सामाजिक मुद्दों के बारे में बचाव, न्यूनीकरण और उपशमन के सिद्धांत का पालन करते हुए सतत रूप से व्यवसाय संचालित करने के लिए कारोबार नीति सहित सीएसआर और संभरणीयता नीति बनाना तथा पणधारकों के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय और स्थानीय महत्त्व की अतिप्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरूकरना।

सीएसआर के अंतर्गत गतिविधियां:

सीएसआर के तहत शुरूकिए जाने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3)(क) की अनुसूची-VII में उल्लिखित सभी गतिविधियां शामिल होंगी।

निगम, सीएसआर क्रियाकलापों में उन पणधारियों को प्राथमिकता देगा जो इसके प्रचालनों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हों। चूंकि ऐसे पणधारी आमतौर पर निगम के वाणिज्यिक प्रचालनों की परिधि में स्थित होते हैं, इसलिए पावरग्रिड अपने प्रचालनों के स्थानीय क्षेत्रों और पड़ोसी क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता देगा।

जहां पर पावरग्रिड है, ऐसे जिले की भौगोलिक सीमाओं को सीएसआर और एस कार्यकलापों के लिए ''स्थानीय क्षेत्र'' के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड इससे बाहर के सीएसआर कार्यकलाप भी करेगा। स्थानीय क्षेत्र और बाहर के बीच सीएसआर खर्चों का अनुपात लगभग 75:25 होगा। तथापि, भारत सरकार के निर्देशों के तहत निष्पादित अथवा राष्ट्रीय विकास के एजेंडों में सबसे अधिक सरोकार वाली परियोजनाओं/कार्यकलापों को इस अनुपात में नहीं रखा जाएगा। सीएसआर समिति किसी भी परियोजना को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत है, चाहे निहित राशि अनुपात से अधिक हो।

निगम के प्रचालनों से सीधे प्रभावित होने वाले पणधारियों की सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

केवल भारत में शुरू की गई सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां ही सीएसआर व्यय मानी जाएगी।

कारोबार करने के लिए पहलों के माध्यम से निरंतर विकास को बढ़ावा देने के इस प्रकार प्रयास किए जाएंगे कि यह कारोबार और समाज दोनों के लिए लाभप्रद हो।

सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की रीति :

सीएसआर गतिविधियों को वरीयता परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन आमतौर पर निगम की कार्य और प्रापण नीति द्वारा अवार्ड देकर किया जाएगा। केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, पंचायती राज संस्थाओं आदि की सेवा स्तरों का भी निक्षेप कार्यों के रूप में सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए लाभ उठाया जा सकता है।

सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं/कार्यक्रम किसी पंजीकृत न्यास या पंजीकृत सोसायटी या निगम द्वारा स्थापित किसी कंपनी या इसकी धारक, सहायक या एसोसिएट कंपनी जो कंपनी अधिनियम में उल्लिखित शर्तें पूरी करती हों, के साथ मिलकर शुरूकिए जा सकते हैं।

संचार रणनीति :

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पणधारकों के साथ विस्तृत पत्र व्यवहार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वेबसाइट, ई-मेल, वार्षिक सीएसआर पुस्तिका, वार्षिक रिपोर्ट आदि में प्रदर्शन पावरग्रिड के सीएसआर पहलों का अर्थ निकालने के लिए मुख्य साधन होंगे।

सीएसआर गतिविधियों की वित्त व्यवस्था

निगम को पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रतिवर्ष सीएसआर नीति पर खर्च करना होगा।

2. सीएसआर समिति की संरचना

श्री आई. एस. झा	-	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, समिति के अध्यक्ष
श्री आर. टी. अग्रवाल	-	निदेशक
श्री के. श्रीकांत	-	निदेशक
श्री रवि पी. सिंह	-	निदेशक
श्री आर. पी. ससमल	-	निदेशक
श्री प्रभाकर सिंह	-	निदेशक

श्रीमती ज्योति अरोड़ा	-	निदेशक (सरकारी प्रतिनिधि)
श्री जगदीश आई. पटेल	-	निदेशक (स्वतंत्र)

3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों का कंपनी का औसत निवल लाभ :

₹ 6779 करोड़

4. विहित सीएसआर व्यय का ब्यौरा (उपरोक्त मद 3 में दर्शायी गई राशि का 2 प्रतिशत) :

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर 2 प्रतिशत : ₹135.58 करोड़

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर का ब्यौरा :

क. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली पूरी राशि :

₹147.27 करोड़

ख. खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो :

शून्य

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान किस रीति से राशि खर्च की गई :

वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि **अनुबंध-I** में दी गई है।

6. कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इसके किसी भाग के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत से भी अधिक भाग खर्च किया है।

7. यह उल्लेख किया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मानीटरिंग, सीएसआर लक्ष्यों तथा कंपनी की नीति के अनुरूप है।

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक	**(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)**	**(अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत विनिर्दिष्ट व्यक्ति)**

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट का अनुबंध-I

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स में ''पावरग्रिड विश्राम सदन'' का निर्माण	सामाजिक कल्याण	स्थानीय क्षेत्र	नई दिल्ली	नई दिल्ली	2900	**443.38**	2,817.18	एम्स
2	भारत में 33 स्थानों पर एनएसडीसी के माध्यम से 5000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देना	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	देश के विभिन्न भागों में	देश के विभिन्न भागों में	653	**424.43**	470.73	एन एस डी एफ तथा एन एस डी सी
3	सुविधा विहीन/बेरोजगार युवा वर्ग के अंतर्गत 560 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	औरंगाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, मैसूर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, लखनऊ	महाराष्ट्र, असम, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश	184	**163.20**	163.20	सी आई पी ई टी
4	विकलांग व्यक्तियों को सहायता सामग्री (एड्स) और उपकरण (एपलायंस) वितरित करना	सामाजिक कल्याण	स्थानीय क्षेत्र	त्रिशूर, कोर्बा, आगरा, सिलीगुड़ी, विजयवाड़ा, वर्धा, किशनपुर, जमशेदपुर और बीना	तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश	198	**154.14**	157.40	ए एल आई एम सी ओ
5	एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान), नई दिल्ली में ईआरपी (इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) के डिजीटलीकरण और क्रियान्वयन के लिए लाइसेंसों की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	नई दिल्ली	नई दिल्ली	190	**190.00**	190.00	एम्स

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	सेक्टर 13, पावरग्रिड आवासीय प्रशिक्षण, गुड़गांव (तीसरा बैच) में सुविधा विहीन लड़कियों/महिलाओं को पांच महीने का सिलाई प्रशिक्षण	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	गुड़गांव	हरियाणा	4.45	**3.49**	3.49	पावरग्रिड
7	ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा चित्रकला प्रतिस्पर्धा का आयोजन (2016-17)	पर्यावरण	अन्य	देश के विभिन्न भागों में	देश के विभिन्न भागों में	126.47	**80.57**	125.57	पावरग्रिड
8	गुड़गांव में हरियाली (ग्रीन बेल्ट) का रखरखाव	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	देश के विभिन्न भागों में	देश के विभिन्न भागों में	12.46	**3.94**	3.94	पावरग्रिड
9	बी1 और बी2 सुशांत लोक, गुड़गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर प्रदान करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	गुड़गांव	हरियाणा	4.82	**4.70**	4.70	पावरग्रिड
10	पावरग्रिड टाऊनशिप गुड़गांव, हरियाणा में ''पांच महीने का सिलाई प्रमाणपत्र कार्यक्रम'' संचालित करना (दूसरा बैच)	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	गुड़गांव	हरियाणा	4.36	**3.61**	3.61	पावरग्रिड
11	देश में खेलों के विकास और संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय खेल विकास निधि। (एन एस डी एफ) में अंशदान	खेलकूद	अन्य	नई दिल्ली	नई दिल्ली	50	**50.00**	50.00	राष्ट्रीय खेल विकास निधि
12	विभिन्न स्थानों पर 17.09.2016 को पौधा रोपण और रक्तदान	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	गुड़गांव	हरियाणा	28.63	**0.07**	28.63	पावरग्रिड
13	वंचित व्यक्तियों को 500 कंबलों की खरीद और वितरण	सामाजिक कल्याण	स्थानीय क्षेत्र	गुड़गांव	हरियाणा	2.73	**2.73**	2.73	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	75 प्रतिभाशाली युवा फुटबाल खिलाड़ियों को ''पावरग्रिड सुब्रोतो छात्रवृत्ति''	खेलकूद	स्थानीय क्षेत्र	नई दिल्ली	नई दिल्ली	16.25	**16.25**	16.25	एस एम एस ई एस, भारतीय वायु सेना
15	असम और मणिपुर के 1150 छात्रों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	असम, मणिपुर	असम, मणिपुर	145.38	**100.00**	100.00	एन एफ सी एच
16	गुड़गांव में 500 प्रेशर कुकरों की खरीद और वितरण	पर्यावरण	स्थानीय क्षेत्र	गुड़गांव	हरियाणा	5.36	**5.27**	5.36	पावरग्रिड
17	1500 विकलांग व्यक्तियों को कौशल विकास प्रदान करने के लिए भुगतान का समायोजन	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	देश के विभिन्न भाग	देश के विभिन्न भाग	180	**18.00**	18.00	एन एच एफ डी सी
18	वाराणसी नगरपालिका के 25 वार्डों में ठोस अपशिष्ट का संग्रहण और निपटान	स्वच्छ भारत अभियान	स्थानीय क्षेत्र	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1000	**558.31**	558.31	वाराणसी नगर निगम
19	''स्वच्छ भारत कोष'' में अंशदन	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	नई दिल्ली	नई दिल्ली	3000	**3,000.00**	3000	भारत सरकार
20	''स्वच्छ विद्यालय अभियान'' के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए शेष राशि का भुगतान	स्वच्छ भारत अभियान	स्थानीय क्षेत्र	देश के विभिन्न भाग	देश के विभिन्न भाग	6157.13	**1136.93**	6093.41	मैसर्स इरकॉन आई एस एल, एच पी एल एंड जी वी टी
21	प्रशासनिक ओवरहेड	ओवरहेड	स्थानीय क्षेत्र	देश के विभिन्न भाग	देश के विभिन्न भाग		**517.68**	520.36	पावरग्रिड
22	पावरग्रिड की संस्थापनाओं के परिसर में 97 स्थानों पर ''स्वास्थ्य जांच कैम्प''	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	देश के विभिन्न भाग	देश के विभिन्न भाग	180	**149.85**	151.01	एच एल एल लाइफकेयर लिमिटेड
23	तोपचाची, धनबाद जिले में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	धनबाद	झारखंड	43.64	**4.38**	4.38	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	विभिन्न स्थानों पर 65 हैंडपम्पों का अधिष्ठापन	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	गिरीडीह	झारखंड	45.86	**45.77**	45.77	पावरग्रिड
25	के बी महिला राजकीय महाविद्यालय, हजारीबाग, जिला झारखंड में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ खेल के मैदान का विकास	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	हजारीबाग	झारखंड	155.88	**0.97**	3.24	पावरग्रिड
26	जमशेदपुर (झारखंड) में इंडो-डैनिश टूल रूम्स में 360 युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम सिंहभूम	बिहार	199.92	**87.16**	178.20	आई डी टी आर, जमशेदपुर
27	गरवाह जिला, झारखंड में राजकीय उच्च विद्यालय डांडा ब्लॉक में 01 एम्बुलेंस और स्कूल फर्नीचर प्रदान करना	शिक्षा	अन्य	गरवाह	झारखंड	16.05	**11.73**	11.88	पावरग्रिड
28	बिहार राज्य में सरकारी अस्पतालों में 05 उन्नत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न भागों में	बिहार	134.39	**126.71**	127.71	पावरग्रिड
29	पुर्णिया जिला (बिहार) में 300 सोलर फोटोवोल्टेल एल ई डी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम्स की आपूर्ति और अधिष्ठापन	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	पुर्णिया	बिहार	73.36	**73.36**	73.36	आर ई आई एल
30	आईटीआई माढोवराह, सरन जिला, बिहार में एलएमवी ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल के लिए सिम्युलेटर और वाहन प्रदान करना	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	सरन	बिहार	11.34	**0.82**	10.60	पावरग्रिड
31	बिहार में सीतागढ़ी, जयनगर, मधुवनी और दरभंगा रेलवे स्टेशनों में नम्मा शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	अन्य	दरभंगा	बिहार	106.79	**26.45**	26.45	भारतीय रेल

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
32	बिहार में समस्तीपुर शहर में मथुरापुर में बाजार समिति रोड का निर्माण	ग्रामीण विकास	अन्य	समस्तीपुर	बिहार	101.95	**20.39**	20.39	पावरग्रिड
33	झारखंड राज्य में विभिन्न स्थानों पर सरकारी अस्पतालों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के स्थानांतरण के लिए 20 एम्बुलेंस प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न भागों में	झारखंड	165.69	**164.79**	164.79	पावरग्रिड
34	बिहार राज्य में सरकारी अस्पतालों में मरीजों के स्थानांतरण के लिए 20 एम्बुलेंस प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न भागों में	बिहार	193.65	**193.65**	193.65	पावरग्रिड
35	जिला दरभंगा, बिहार में सरकारी स्कूलों के छात्रों को स्कूल बैग और स्टेशनरी प्रदान करना	शिक्षा	अन्य	दरभंगा	बिहार	0.57	**0.54**	0.54	पावरग्रिड
36	"मिशन शांति दूत" परियोजना के लिए फर्नीचर और अन्य मदों की आपूर्ति	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	गया	बिहार	11.95	**11.95**	11.95	पावरग्रिड
37	औरंगाबाद जिला अस्पाल, बिहार में 4 बिस्तरों के मॉड्यूलर आईसीयू यूनिट के लिए नवीनीकरण और फैब्रिकेशन अवसंरचना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	औरंगाबाद	बिहार	177.68	**168.57**	168.57	एच एल एल लाइफकेयर लि.
38	बोर्ड कालोनी पटना में प्ले ग्राउंड स्टेडियम का निर्माण	खेलकूद	स्थानीय क्षेत्र	पटना	बिहार	50.00	**25.00**	50.00	बी एस पी एच सी एल
39	औरे गांव, समीप लखीसराय एस/एस बिहार में चेक डैम का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	लखीसराय	बिहार	13.19	**13.06**	13.06	पावरग्रिड
40	बिहार के 12 बाढ़ग्रस्त जिलों में तार्पोलिन शीट प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न भागों में	बिहार	23.63	**23.63**	23.63	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
41	पटना में मूक बधिरों के स्कूल में अध्ययन सामग्री का वितरण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	पटना	बिहार	0.50	**0.50**	0.50	पावरग्रिड
42	स्वास्थ्य केंद्र	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न भागों में	बिहार	2.40	**1.34**	1.34	पावरग्रिड
43	पौधा रोपण	पर्यावरण	स्थानीय क्षेत्र	पटना	बिहार	0.60	**0.60**	0.60	पावरग्रिड
44	ट्रांसमिशन लाइन की टावर लगाने में क्षमता निर्माण कार्यक्रम	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	कोकराझार, नागांव, मरियानी, इम्फाल, श्रीकोना, जलपाईगुड़ी, मालदा और दक्षिणी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	761.00	**283.79**	655.77	पावरग्रिड
45	सरकारी एफपी स्कूल, नाचन, दुर्गापुर का नवीनीकरण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	बुर्दवान	पश्चिम बंगाल	16.68	**8.34**	16.68	पावरग्रिड
46	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कितम, दक्षिणी सिक्किम में बहुउद्देशीय हाल का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	दक्षिण सिक्किम	सिक्किम	23.67	**21.91**	23.67	पावरग्रिड
47	बलराम हैट एलपी स्कूल की चारदीवारी के शेष भाग का निर्माण और सेपाइपारा मोड़, जलपाईगुड़ी तक की मौजूदा सड़क के शेष भाग को चौड़ा करना और इसका विकास कार्य	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	14.95	**7.64**	14.95	पावरग्रिड
48	नामथांग पी एच सी, दक्षिण सिक्किम के लिए टेबल युक्त अस्पताल बेड की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	दक्षिण सिक्किम	सिक्किम	6.72	**5.16**	5.16	पावरग्रिड
49	दाबोर मोड़ से मैथोन स्टेशन के समीप ब्रिंदाबोनी गांव तक सड़क की मरम्मत और प्रीमिक्स कार्पेटिंग एरिया एफआरपी	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बुर्दवान	पश्चिम बंगाल	29.36	**26.20**	26.20	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
50	धनगुरी उच्च प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचर के साथ 2 कक्षाओं और शौचालयों का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	बुर्दवान	पश्चिम बंगाल	21.66	**9.15**	21.60	पावरग्रिड
51	रोंगली पी एच सी, पूर्वी सिक्किम के लिए एक एम्बुलेंस प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	पूर्वी सिक्किम	सिक्किम	6.96	**5.38**	6.96	पावरग्रिड
52	मरीजों के लिए अतिरिक्त रोगी वार्ड, प्रयोगशाला कक्ष, एक्सरे कक्ष, ड्रेसिंग रूम, नर्स का कक्ष और शौचालय सहित प्रतीक्षा हॉल का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	25.65	**21.56**	21.56	पावरग्रिड
53	दक्षिणग्राम गांव, मुर्शीदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण सड़क का निर्माण/विकास कार्य	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल	23.38	**21.56**	21.56	पावरग्रिड
54	जलीपूल मोड़ से पावरग्रिड गंगटोक सबस्टेशन परिसर तक क्षतिग्रस्त सड़क और ड्रेन की मरम्मत	ग्रमीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	पूर्वी सिक्किम	सिक्किम	39.33	**36.30**	36.30	पावरग्रिड
55	दक्षिण सिक्किम में आम जनता के लिए एम्बुलेंस प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	दक्षिण सिक्किम	सिक्किम	8.37	**5.20**	5.20	पावरग्रिड
56	बीरपारा पार्क ग्राऊंड में सामुदायिक हॉल सह मैरिज हाल का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	जलपाईपुड़ी	पश्चिम बंगाल	32.93	**17.71**	17.71	पावरग्रिड
57	अमियाबाला बालिका विद्यालय (उच्चतर माध्यमिक), दक्षिण गारिया में फर्नीचर और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला के उपस्कर प्रदान करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	दक्षिण 24 परगना	पश्चिम बंगाल	11.03	**0.50**	11.03	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
58	अमृति और काजीगाम में 13 हैंडपम्प तथा को तवाली जीपी, मालदा में 5 हैंडपम्प प्रदान करते हुए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	मालदा	पश्चिम बंगाल	4.09	**4.09**	4.09	पावरग्रिड
59	कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मैसर्स वेबकॉन एंड मैसर्स हार्डीकॉन को अग्रिम भुगतान का समायोजन	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न भाग	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम	14.99	**14.99**	14.99	पावरग्रिड
60	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग को 26 एम्बलेंस के प्रापण के लिए अग्रिम भुगतान का समायोजन	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न भाग	पश्चिम बंगाल	140.86	**138.33**	138.33	पावरग्रिड
61	पौधारोपण	पर्यावरण	स्थानीय क्षेत्र	बुर्दवान	पश्चिम बंगाल	0.11	**0.11**	0.11	पावरग्रिड
62	पौधारोपण	पर्यावरण	स्थानीय क्षेत्र	मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल	0.15	**0.15**	0.15	पावरग्रिड
63	स्वास्थ्य जांच शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	पूर्वी और दक्षिणी सिक्किम	सिक्किम	0.53	**0.53**	0.53	पावरग्रिड
64	रक्तदान शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	0.43	**0.43**	0.43	पावरग्रिड
65	अलिपुरद्वार में सामुदायिक विकास परियोजनाएं	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	अलिपुरद्वार	पश्चिम बंगाल	70.69	**70.69**	70.69	पावरग्रिड
66	सुंदरगढ़ में स्कूल की चारदीवारी और एप्रोच रोड का निर्माण और कट्टा (तालाब) का नवीनीकरण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	सुंदरगढ़	ओडिशा	11	**2.52**	11.00	बीडीओ/ डीआरडीए
67	फुलपाडा गांव में बेनागाडिया में तालाब के चारों ओर पौधारोपण के लिए चौड़ा तटबंधन बांधना और 2 स्नान घाटों का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	अंगुल	ओडिशा	14.89	**14.89**	14.89	डीआरडीए, अंगुल

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
68	जयपुर में सामुदायिक हेरिटेज सेंटर (धरोहर केंद्र)	राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण	स्थानीय क्षेत्र	जयपुर	ओडिशा	402	**50.00**	50.00	जिला प्रशासन, ओडिशा सरकार
69	तिरिमल गांव, पांडियाबिली में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	खोर्धा	ओडिशा	8.45	**7.50**	7.50	बीडीओ, खोर्धा
70	सम्बलपुर जिले में बेरोजगार जनजातीय युवाओं को भर्ती से पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक प्रशिक्षण	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	सम्बलपुर	ओडिशा	11.75	**9.70**	9.70	पावरग्रिड
71	टकराला उच्च विद्यालय, टकराला, इंद्रावती में विद्युत आपूर्ति कराना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	कालाहांडी	ओडिशा	5.57	**4.68**	4.68	डीआरडीए, कालाहांडी
72	टीपीएस उच्च विद्यालय, बंधापाली, सुंदरगढ़ में वाटर प्योरिफायर के साथ 01 वाटर कूलर प्रदान करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	सुंदरगढ़	ओडिशा	0.58	**0.48**	0.48	पावरग्रिड
73	अंगुल जिले में सामुदायिक विकास पारियोजनाएं	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	अंगुल	ओडिशा	485.25	**312.01**	473.72	डीआरडीए, अंगुल
74	कनिहा, बारीपाडा, बोलांगीर, सुंदरगढ़, राऊरकेला में स्वास्थ्य शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	विभिन्न जिलों में	ओडिशा	1.5	**1.49**	1.49	पावरग्रिड
75	आईटीआई तलचर में 01 सीएनसी खराद मशीन प्रदान करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	तल्चर	ओडिशा	21.51	**18.50**	18.50	पावरग्रिड
76	स्कूल किट का वितरण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	विभिन्न जिलों में	ओडिशा	6.06	**6.06**	6.06	पावरग्रिड
77	सरकारी माध्यमिक स्कूल, रोइंग में जलापूर्ति के लिए आरसीसी स्टेजिंग- कम-ओवरलोड वाटर टैंक का निर्माण तथा साइकिल स्टैंड का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	निचली डिबांग घाटी	अरुणाचल प्रदेश	12	**2.62**	11.82	पीडब्ल्यूडी

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
78	डैमू एमई स्कूल, हरिगांव गांव, समीप सालाकती एस/एस में सीजीआई शीट वाली रूफ ट्रस प्रदान करना और इससे जुड़ा अन्य मरम्मत कार्य	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	कोकराझार	असम	12	**11.70**	11.70	पावरग्रिड
79	कब्रिस्तान की चारदीवारी और इसके समीप प्रतीक्षा शेड का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	कचार	असम	7	**-0.98**	6.53	पावरग्रिड
80	छात्रों के लिए नि:शुल्क हेल्पलाइन और एक वेबसाइट स्थापित करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	समूचा असम	असम	50	**17.96**	49.96	असम सरकार
81	ऊनाकोटी, कुमारघाट, त्रिपुरा में हलाम बस्ती वरिष्ठ बेसिक स्कूल के परिसर में जलापूर्ति उपलब्ध कराना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	कुमारघाट	त्रिपुरा	11	**0.63**	10.33	पावरग्रिड
82	स्वर्गीय गया प्रसाद गौड़ एमई स्कूल सरूपथर, मिसा में 01 पुस्तकालय कक्ष और 02 क्लासरूमों का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	नागांव	असम	20	**4.06**	16.40	पावरग्रिड
83	सुआलकुची फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एसआईएफटी), असम सरकार ,कामरूप जिले में 5 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रायोजन	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	कामरूप	असम	10	**6.04**	6.04	डीसी, कामरूप
84	15 एम्बुलेंस प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	दिमा हसाओ, सोनितपुर, इम्फाल पश्चिम, बिश्नुपुर, थौबाल, चुराचांदपुर, चंदेल, अखरूल, सेनापती, तामेंगलोंग, जिरीबाम	असम, मणिपुर	101	**86.92**	86.92	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
85	अस्पताल में केबिन और बी. चरियाली में सड़क	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	सोनितपुर	असम	10	**9.28**	9.28	पावरग्रिड
86	हाफ्लोंग में छात्रावास और पुस्तकालय का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	दिमा हसाओ	असम	1	**0.65**	0.65	पावरग्रिड
87	18 लि. क्षमता वाले 30 वाटर फिल्टरों की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	हैलाकंडी	असम	1	**0.29**	0.29	पावरग्रिड
88	इम्फाल में चिकित्सा शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	इम्फाल पूर्व, उनाकोटी, पूर्वी जयंतिया पहाड़ियां	मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय	2	**2.19**	2.19	पावरग्रिड
89	पौधा रोपण	पर्यावरण	स्थानीय क्षेत्र	पूर्वी खासी पहाड़ियां नागांव	मेघालय, असम	0	**0.15**	0.15	पावरग्रिड
90	असम के विभिन्न भागों में योग शिविरों का आयोजन	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	सोनितपुर, तुइवामिट, कोकराझार, दिमापुर, जिरीबाम, इम्फाल पश्चिम, पापुम्पारे, नागांव, काचर, पूर्वी खासी पहाड़ियां	असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम	3	**3.09**	3.09	पावरग्रिड
91	स्वतंत्रता दिवस पर सामाजिक कार्य	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	नागांव, काचर, पूर्वी खासी पहाड़ियां, सोनितपुर	असम, मणिपुर, मेघालय	1	**0.56**	0.56	पावरग्रिड
92	डा. बी. बोरूहा कैंसर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी में ''ओन्कोलोजी में क्षमता विकास केंद्र'' का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	कामरूप	असम	398	**104.20**	104.20	डा. बी. बोरूहा कैंसर इंस्टीट्यूट
93	शांतिपुर गांव, जिला दिमा हसाओ, असम में पानी की स्टोरेज टंकी का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	असम, हाफ्लोंग	असम	3	**2.90**	2.90	पावरग्रिड
94	बी. चरियाली, असम में कब्रिस्तान की चारदीवारी और कमरे का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	सोनितपुर	असम	18	**7.54**	17.53	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
95	सामान्य अस्पताल, लोहित जिला, तेजु, अरूणाचल प्रदेश में चिकित्सीय उपस्कर प्रदान करना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	तेजु	असम	12	**4.72**	4.72	जिला अस्पताल, तेजु
96	सोनितपुर जिले के 04 स्कूलों में प्रत्येक में 2 क्लास रूमों का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	सोनितपुर	असम	40	**11.00**	14.20	पावरग्रिड
97	सिमलागुरी गांव, बिश्वनाथ चरियाली में सामुदायिक विकास कार्य	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	सोनितपुर	असम	207	**45.38**	116	पावरग्रिड
98	गांव धाना नरसान के लिए जल वितरण प्रणाली का संवर्द्धन	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	भिवानी	हरियाणा	197.5	**78.55**	78.55	पीएचईडी, भिवानी
99	निमडीवाली गांव, जिला भिवानी (हरियाणा) में फिरनी/रास्ते का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	भिवानी	हरियाणा	49.85	**44.87**	44.865	पंचायती राज, भिवानी
100	उत्तरी क्षेत्र में 10 एम्बुलेंस की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	सीकर, कोटपुतली, जयपुर, कांकरोली, इलाहाबाद, वाराणसी, ओरई, चित्तौड़गढ़, अजमेर	उत्तर प्रदेश, राजस्थान	99.41	**95.15**	95.152	पावरग्रिड
101	एलईडी आधारित सोलर फोटोवोल्टेक स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों की आपूर्ति और स्थापना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बागपत	उत्तर प्रदेश	42.3	**42.30**	42.30	आरईआईएल
102	राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय कन्या एलीमेंटरी स्कूल, खटकर (जिला जींद) में खेलकूद का सामान और फर्नीचर प्रदान करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	जींद	हरियाणा	4.28	**4.28**	4.28	पावरग्रिड
103	गांव नया कुंडा में कंक्रीट की सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	कुंडा	उत्तर प्रदेश	37.67	**18.84**	18.84	आरईडी, शरणपुर

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
104	राजकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टोडा भाटा (बस्सी), समीप जयपुर (राजस्थान) में टेबल और स्टूल प्रदान करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	जयपुर	राजस्थान	1.15	**1.14**	1.14	पावरग्रिड
105	उत्तरखंड सरकार के 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 3 पोर्टेबल चालित प्रयोगशालाएं प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़	उत्तराखंड	13.11	**12.96**	12.96	स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड सरकार
106	योग के लिए नई दिल्ली में पोर्टा केबिन की आपूर्ति और स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	नई दिल्ली	दिल्ली	16.97	**16.97**	16.97	पावरग्रिड
107	नागलमाफी, समीप शिवालिक वन प्रभाग, तहसील बेहर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में सोलर लाइटों की आपूर्ति और स्थापना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	2.1	**2.06**	2.06	पावरग्रिड
108	सरकारी अस्पताल रूड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड में फिजियोथेरैपी उपस्कर का प्रापण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	हरिद्वार	उत्तराखंड	4	**3.91**	3.9	पावरग्रिड
109	रामपुर, उत्तर प्रदेश में दस्तकारी हाट का नवीनीकरण और सौंदर्यकरण	सामाजिक कल्याण	स्थानीय क्षेत्र	रामपुर	उत्तर प्रदेश	30	**15.00**	30	पी डब्ल्यू डी रामपुर
110	नेशनल हाइवे-1क से गांव जटवाल तक लिंक रोड का निर्माण और साम्बा, जम्मू और कश्मीर के जालवाल गांव में आंतरिक सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	साम्बा	जम्मू और कश्मीर	124.75	**9.04**	110.56	पावरग्रिड
111	जिला जम्मू, जम्मू और कश्मीर में कुथार और कनायला के लिए 30 सोलर स्ट्रीट लाइटें प्रदान करना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	7.10	**7.06**	7.06	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
112	जम्मू और कश्मीर में गांव पहरू गांगीपोरा, चट्टरगाम और सुथोसू में प्रशिक्षण के साथ-साथ चार स्कूलों में 20 कम्प्यूटर प्रदान करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	10.12	**10.12**	10.12	पावरग्रिड
113	गांव कोर्गा, जम्मू में यात्री शेड का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	1.70	**1.70**	1.70	पावरग्रिड
114	गांव खार्ता (जम्मू) में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	31.97	**2.50**	2.50	पावरग्रिड
115	सरकारी उच्च विद्यालय, जंदराह (जम्मू) में परीक्षा हाल का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	57.50	**10.15**	10.15	पावरग्रिड
116	जम्मू और कश्मीर में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सीय उपस्कर प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	100.21	**64.53**	64.53	पावरग्रिड
117	जिला लाहौल स्पिति में स्थानीय युवाओं के लिए पर्वतारोहण में कौशल विकास हेतु अवसंरचना का विकास	कौशल विकास	अन्य	लाहौल स्पिति	हिमाचल प्रदेश	33.25	**16.63**	16.63	जिला प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार
118	मोगा सबस्टेशन के नजदीक राजकीय उच्च विद्यालय, सिंघावला में 12 शौचालयों, 4 पेशाब घरों और बोरवेल का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	मोगा	पंजाब	13.27	**2.34**	2.34	पावरग्रिड
119	पावरग्रिड के कैथल सबस्टेशन के समीप 4 राजकीय विद्यालयों में आरओ वाले वाटर कूलरों की आपूर्ति करना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	कैथल	हरियाणा	3.97	**3.89**	3.89	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
120	अब्दुल्लापुर, हरियाणा में पक्का नाला/ ड्रेन का निर्माण	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	अब्दुल्लापुर	हरियाणा	26.88	**4.69**	26.87	पावरग्रिड
121	आगरा में और इसके आसपास 67 सबमर्सिबल पंपों की स्थापना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	आगरा	उत्तर प्रदेश	99.24	**66.70**	66.70	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो लि.
122	आगरा सबस्टेशन के आसपास 06 गांवों में पंचायत घरों का चारदीवारी के साथ निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	आगरा	उत्तर प्रदेश	163.9	**146.77**	146.77	ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग, उत्तर प्रदेश
123	इलाहबाद के फूलपुर गांव में 200 हैंडपंपों की आपूर्ति और स्थापना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	82.6	**41.00**	66.08	उत्तर प्रदेश जल निगम
124	इलाहाबाद के विभिन्न स्थानों पर 10 सोलर पीवी हाई मास्ट लाइटिंग और 27 सोलर पीवी स्ट्रीट लाइट सिस्टम और 02 सोलर सबमर्सिबल पंप का अधिष्ठापन	पर्यावरण	स्थानीय क्षेत्र	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	24.41	**5.91**	19.53	यू पी एन ई डी ए
125	बस्ती में विभिन्न गांवों में 100 सोलर हाई मास्ट लाइटों की आपूर्ति और स्थापना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बस्ती	उत्तर प्रदेश	82	**82.00**	82.00	आर ई आई एल
126	उत्तर प्रदेश में संत रविदास नगर (भदोई) जिले के 6 ब्लॉकों में 450 सोलर लाइटों का प्रापण और अधिष्ठापन	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	भदोई	उत्तर प्रदेश	95.18	**95.18**	95.18	आर ई आई एल
127	उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के गांवों में 139 हैडपम्पों की आपूर्ति और संस्थापना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश	51.51	**51.51**	51.51	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो लि.
128	500 सोलर लाइटों की संस्थापना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	112.2	**55.35**	89.76	यू पी एन ई डी ए

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
129	वाराणसी जिले के विभिन्न गांवों और चंदौली जिले के विभिन्न गांवों में हैंडपम्पों की आपूर्ति और संस्थापना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	चंदौली/ वाराणसी	उत्तर प्रदेश	117.94	**81.85**	94.35	उत्तर प्रदेश जल निगम
130	गाजीपुर के मनिहार ब्लॉक के विभिन्न गांवों में 100 हैंडपम्पों की आपूर्ति और अधिष्ठापन	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	43.6	**35.32**	35.32	उत्तर प्रदेश जल निगम
131	गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में 750 सोलर लाइटों की आपूर्ति और अधिष्ठापन	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	158.63	**140.74**	140.74	आर ई आई एल
132	उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 116 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	310.59	**134.81**	134.81	इरकॉन आईएसएल
133	गोरखपुर जिले के 11 ब्लॉकों और 02 कस्बों में 300 सोलर स्ट्रीट लाइटें प्रदान करना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	67.32	**62.55**	62.55	आर ई आई एल
134	सरकारी जिला अस्पताल कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में गहरे ट्यूबवेल, पंप के साथ 01 ओवरहेड टैंक की आपूर्ति करना और इसे स्थापित करना तथा साथ ही उक्त स्थान पर मौजूदा वितरण प्रणाली तक पाइपलाइन को वितरित करते हुए बिछाना	स्वास्थ्य देखभाल	अन्य	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश	52.23	**44.71**	44.71	उत्तर प्रदेश जल निगम
135	उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के विभिन्न गांवों में 250 इंडिया मार्क्स-II हैंडपम्पों का अधिष्ठापन	पेयजल	अन्य	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश	90.18	**31.34**	31.34	उत्तर प्रदेश जल निगम
136	केजीएमयू कैम्पस चौक, लखनऊ में बड़े कैफेटेरिया/रसोईघर की सुविधा के साथ 142 बिस्तरों वाली धर्मशाला/ रात्रि विश्राम गृह का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	760.63	**76.00**	511.94	किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सिटी

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
137	प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) जिले में 150 हैंडपम्पों और 150. सोलर स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति और संस्थापना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	95.61	**58.22**	58.22	उत्तर प्रदेश जल निगम
138	प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में 134 हैंडपम्पों की आपूर्ति और स्थापना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	55.34	**31.28**	31.28	आर ई आई एल
139	वाराणसी के पुराने काशी क्षेत्र में एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के कार्य के क्रियान्वयन की आंशिक लागत	कला और संस्कृति	स्थानीय क्षेत्र	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	2515.00	**511.94**	511.94	पावरग्रिड
140	अकबरपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में 200 हैंडपम्पों की आपूर्ति और स्थापना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	अकबरपुर, कानपुर	उत्तर प्रदेश	117.76	**11.72**	11.72	उत्तर प्रदेश जल निगम
141	ताज महोत्सव 2017 के दौरान कला और संस्कृति को बढ़ावा	कला और संस्कृति	स्थानीय क्षेत्र	आगरा	उत्तर प्रदेश	4.6	**4.60**	4.60	जिला प्रशासन, आगरा
142	टीबी सप्रू अस्पताल, इलाहाबाद और स्वरूपरानी नेहरूअस्पताल, इलाहाबाद के लिए वाटर कूलर और वाटर प्योरिफायर (आरओ) की आपूर्ति और स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	3	**3.00**	3.00	पावरग्रिड
143	स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद के लिए उच्च गति के छत के पंखों की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	5.43	**5.43**	5.43	पावरग्रिड
144	विभिन्न स्थानों पर योग केंद्र को स्थापित करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली	उत्तर प्रदेश	15.59	**15.59**	15.59	पावरग्रिड
145	रामपुर में दस्तकारी हाट का नवीनीकरण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	रामपुर	उत्तर प्रदेश	15	**15.00**	15.00	पावरग्रिड
146	उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुस्तकों, स्टेशनरी बैगों इत्यादि का वितरण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले	उत्तर प्रदेश	1.18	**1.18**	1.18	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
147	पौधा रोपण	पर्यावरण	स्थानीय क्षेत्र	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	3.1	**3.10**	3.1	
148	आई सी आर आई एस ए टी द्वारा कुर्नूल के समीप ''किसान केंद्रित एकीकृत जलसंभर प्रबंधन'' के माध्यम से ग्रामीण आजीविकाओं में सुधार''	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	कुर्नूल	आंध्र प्रदेश	901.00	**296.68**	677.63	आई सी आर आई एस ए टी, हैदराबाद
149	''एनटीआर सुजला पथाकम'' के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 लि. प्रति घंटा की क्षमता वाली आरओ इकाइयों का अधिष्ठापन	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	कडापा	आंध्र प्रदेश	50.00	**25.00**	50.00	आंध्र प्रदेश सरकार
150	विजी खेलकूद परिसर, विजयनगरम में 2 सिंथेटिक सतह वाली टेनिस कोर्टों की स्थापना	खेलकूद	स्थानीय क्षेत्र	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	30.00	**30.00**	30.00	ए पी एम एस आई डी सी, आंध्र प्रदेश सरकार
151	दिचपल्ली मंडल, तेलंगाना राज्य में निजामाबाद जिले के अनाथ बच्चों के लिए देखभाल केंद्र (केयर सेंटर) हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना	सामाजिक कल्याण	स्थानीय क्षेत्र	दिचपल्ली	तेलंगाना	23.35	**14.80**	14.80	पावरग्रिड
152	आई जी आई ए टी, विशाखापत्तनम में बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	41.98	**38.82**	38.82	आई जी आई ए टी, विशाखापत्तनम
153	रामेशमपेटा और कोट्टामुरूगांव, वेमागिरी, आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों के लिए परिसर दीवार का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	वेमागिरी	आंध्र प्रदेश	11.66	**5.83**	5.83	पी आर विभाग, काकीनाडा
154	कोट्टामुरूगांव, वेमागिरी, आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए शौचालयों और चित्रकला स्कूल बिल्डिंगों का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	12.66	**12.66**	12.66	पी आर विभाग, काकीनाडा

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
155	वेमागिरी, आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों के लिए परिसर दीवार, शौचालयों का निर्माण, बेंच और डेस्क, खेलकूद का सामान और कार्यालय फर्नीचर प्रदान करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	वेमागिरी	आंध्र प्रदेश	31.91	**31.21**	31.21	पी आर विभाग, काकीनाडा
156	सुरमपलेम, आंध्र प्रदेश में सोलर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	सुरमपलेम	आंध्र प्रदेश	27.96	**25.13**	25.13	एन ई आर डी सी ए पी, आंध्र प्रदेश सरकार
157	सुरमपलेम, आंध प्रदेश में पंचायत कार्यालय के चारों ओर परिसर दीवार का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	सुरमपलेम	आंध्र प्रदेश	4.93	**4.93**	4.93	पी आर विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
158	एन पी कुंटा, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में जेड. पी. उच्च विद्यालय की चारदीवारी और सीमेंट कंक्रीट की दीवार का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	13.56	**11.60**	11.60	पी आर विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
159	पौडीवाणी पलेम गांव, काल्लेपल्ली ग्राम पंचायत, कोटा मंडल, विजयनगरम जिला आंध्र प्रदेश में पेयजल सुविधा प्रदान करना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	8.50	**4.25**	4.25	आर डब्ल्यू एस एंड एस आंध्र प्रदेश सरकार
160	करूवाड़ा गांव पंचायत, के काटापाडू मंडल, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	36.55	**10.06**	10.06	ए पी ई डब्ल्यू आई डी सी, आंध्र प्रदेश सरकार
161	आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के 11 मंडलों में 47 सरकारी स्कूलों को 3 सीट वाले 1750 दोहरे डेस्क बेंच प्रदान करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न भागों में	आंध्र प्रदेश	79.72	**79.72**	79.72	सरकारी आईटीआई विज़ाग
162	पसारलापाडू, रेंटा चिंथाला मंडल, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में पेयजल सुविधा प्रदान करना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	20.00	**13.00**	13.00	आर डब्ल्यू एस एंड एस आंध्र प्रदेश सरकार

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
163	एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्र-सह-आपदा प्रबंधन केंद्रों के साथ-साथ सामुदायिक सीसीटीवी सर्विलांस प्रणाली परियोजना	सामाजिक कल्याण	स्थानीय क्षेत्र	हैदराबाद	तेलंगाना	74.98	**74.97**	74.97	पुलिस विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
164	मामिल्लापल्ली (गांव), संतामगुलुरू मंडल/प्रकासन जिला, आंध्र प्रदेश में सामुदायिक हाल का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	प्रकासन	आंध्र प्रदेश	36.55	**31.03**	36.51	पीआर विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार
165	500 ग्रामीण महिलाओं के लिए मैसर्स केवीके, उत्कुरू, कड़पा जिले के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण का संचालन	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	कडापा	आंध्र प्रदेश	19.66	**4.64**	11.16	के वी के आंध्र प्रदेश सरकार
166	मुसुनुरूवारी पलेम, मुल्हुकुर मंडल, नेल्लौर जिला, आंध्र प्रदेश में आंतरिक सड़क बिछाना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	नेल्लौर	आंध्र प्रदेश	85.50	**42.67**	85.42	पी आर विभाग आंध्र प्रदेश सरकार
167	एरियाकोडे पंचायत, कोजिकोड में फुटबाल स्टेडियम के निर्माण के लिए आंशिक वित्तपोषण	खेलकूद	स्थानीय क्षेत्र	मलापुरम	केरल	50.00	**50.00**	50.00	मैसर्स राष्ट्रीय खेल सचिवालय, त्रिवेंद्रम
168	सलेम के अट्टिकाटालनुर गांव में सामुदायिक हाल का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	सलेम	तमिलनाडु	30.00	**21.00**	21.00	डी आर डी ए
169	राजकीय उच्च विद्यालय, सोमना हल्ली, धर्मापुरी, तमिलनाडु में परिसर परिवार के साथ साथ शौचालय परिसर से युक्त स्कूल भवन का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	धर्मापुरी	तमिलनाडु	30.00	**15.00**	30.00	डी आर डी ए, सलेम

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
170	पंचायत यूनियन माध्यमिक स्कूल मल्लापुरम और पंचायत यूनियन माध्यमिक स्कूल सोमनाहल्ली, धर्मापुरी जिला, तमिलनाडु के लिए परिसर दीवार का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	धर्मापुरी	तमिलनाडु	6.00	**3.00**	6.00	डी आर डी ए
171	पाप्परापट्टी, धर्मापुरी जिला, तमिलनाडु में स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम सिवा राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय में नवीकरण कार्य	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	धर्मापुरी	तमिलनाडु	3.73	**1.98**	3.73	डी आर डी ए
172	येलाहंका में सामुदायिक हाल का निर्माण	सामाजिक कल्याण	स्थानीय क्षेत्र	बेंगलुरूशहरी	कर्नाटक	75.00	**30.07**	45.07	निर्मिती केंद्र बेंगलुरू शहरी
173	15 चिकित्सीय एम्बुलेंसों की खरीद और आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	मदुरै, टीवीएम, पलक्कड, कोजिकोड, पोंडि, एर्नाकुलम, दरियद, कोलार, तुमकुर, त्रिचुर, त्रिची, धर्मापुरी, अरियालुर, तिरुपुर	कर्नाटक, तमिलनाडु केरल और पोंडी	117.00	**116.06**	116.06	पावरग्रिड
174	आईसीआरआईएसएटी द्वारा कुडगी एस/एस के समीप ''किसान केंद्रित एकीकृत जलसंभर प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण आजीविकाओं का सुधार''	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बीजापुर	कर्नाटक	901.00	**374.43**	418.43	आई सी आर आई एस ए टी, हैदराबाद
175	आईसीआरआईएसएटी द्वारा कुडगी एस/एस के समीप ''किसान केंद्रित एकीकृत जलसंभर प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण आजीविकाओं का सुधार'' का मध्यावधिक प्रभाव मूल्यांकन	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बीजापुर	कर्नाटक	0.46	**0.46**	0.46	ए एस सी आई, हैदराबाद

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
176	मेडिकेरी में सामुदायिक हाल का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	कोडागू	कर्नाटक	50.00	**20.00**	50.00	निर्मिती केंद्र, मेडिकेरी
177	14 गांवों में पेयजल प्योरिफिकेशन संयंत्रों की स्थापना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	कोलार	कर्नाटक	150.00	**34.41**	34.41	ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग, कोलार
178	सरकारी जिला मुख्यालय अस्पताल, अरियालुर में चिकित्सीय उपस्करों की आपूर्ति और प्रसवरोगी एटेंडर प्रतीक्षा हाल और बहिर्रोगी प्रतीक्षा शेड का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	अरियालुर	तमिलनाडु	38.62	**0.21**	0.21	पावरग्रिड
179	हाई मास्ट लाइट, अलाप्पुजा टाऊन	सामुदायिक विकास	स्थानीय क्षेत्र	अलाप्पुजा	केरल	6.20	**0.09**	5.79	पावरग्रिड
180	चेन्नई तटीय क्षेत्रों में वर्दा चक्रवात राहत ऑपारेशन	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	कांचीपुरम	तमिलनाडु	10.89	**10.89**	10.89	पावरग्रिड
181	एनटीपीसी शक्तिद्वार से तोलाकबेडा गांव तक सड़क को चौड़ा करना, नाले का निर्माण और पुलिया का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	अंगुल	ओडिशा	16.01	**14.00**	14.00	पावरग्रिड
182	काडेगांव तहसील, जिला सांगली में विभिन्न विकास कार्य	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	सांगली और पुणे	महाराष्ट्र	50.97	**7.28**	34.62	पावरग्रिड
183	बामणी (तालुका खानपर) को पाडली (उदगिरी कारखाना) से जोड़ने वाली सड़क का विकास	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	सांगली और पुणे	महाराष्ट्र	74.81	**1.35**	9.25	पावरग्रिड
184	हुतात्मा स्मृति मंदिर - ओडिटोरियम, सोलापुर	कला और संस्कृति	स्थानीय क्षेत्र	सोलापुर	महाराष्ट्र	207.01	**2.78**	167.23	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
185	रायगढ़ जिले के भेंद्रा और बारपाली गांवों में सामुदायिक विकास कार्य	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	रायगढ़	छत्तीसगढ़	33.00	**19.05**	20.51	पावरग्रिड
186	पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के लिए लड़कों के छात्रावास का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	रायपुर	छत्तीसगढ़	400.00	**22.66**	357.66	पावरग्रिड
187	राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय सह-छात्रावास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण सह पुनर्वास संस्थान'' भवन का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	सबनंदगांव	छत्तीसगढ़	350.00	**123.54**	158.54	कलेक्टर, राजनंदगांव
188	छत्तीसगढ के जिला जैशपुर में जिला अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए वाटर एटीएम की आपूर्ति और स्थापना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	जैशपुर	छत्तीसगढ़	22.50	**11.25**	22.50	कलेक्टर, जैशपुर
189	ऊर्ला गांव, दुर्ग, रायपुर, छत्तीसगढ में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	दुर्ग	छत्तीसगढ़	30.00	**0.38**	22.40	पावरग्रिड
190	सालसुर, वर्धा में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	वर्धा	महाराष्ट्र	7.59	**1.30**	1.30	पावरग्रिड
191	खानीवल्ली गांव, भिवांडी में सामान्य शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	रत्नागिरि	महाराष्ट्र	54.50	**15.76**	15.76	पावरग्रिड
192	चंद्रपुर जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में 2000 ट्रांजिस्टर, स्पीकर, एडप्टर इत्यादि की खरीद और आपूर्ति	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	29.96	**27.36**	27.36	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
193	विभिन्न सरकारी अस्पतालों/केंद्रों में 06 एम्बुलेंसों की खरीद और आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	नागपुर, पार्ली, पाडये इत्यादि	महाराष्ट्र	37.93	**37.93**	37.93	पावरग्रिड
194	जलयुक्त शिवर अभियान के तहत सोलापुर में गाद निकालने के लिए 5 जेसीबी की तैनाती	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	सोलापुर	महाराष्ट्र	3.38	**2.48**	2.48	पावरग्रिड
195	765/400 केवी सबस्टेशन के नजदीक, शिकारपुर, पुणे में गानेगांव गांव में 2.5 किमी लंबे बिटुमिनस रोड और आरसीसी पुलिया का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	पुणे	महाराष्ट्र	147.00	**94.46**	94.44	पावरग्रिड
196	765/400 केवी सबस्टेशन के नजदीक, शिकारपुर, पुणे कायरी गांव में श्मशान घाट पर विभिन्न निर्माण कार्य और कान्हुरमेसाई गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	पुणे	महाराष्ट्र	42.50	**40.22**	40.22	पावरग्रिड
197	वर्धा सबस्टेशन के समीप विभिन्न स्थानों पर और टीएलसी, वर्धा में आरओ और यूवी सुविधाओं के साथ वाटर कूलर की आपूर्ति और स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	वर्धा	महाराष्ट्र	4.16	**3.61**	3.61	पावरग्रिड
198	भद्रावती सबस्टेशन के समीप जेडपी विद्यालय घोडपेठ, भद्रावती में फिल्टर के साथ वाटर कूलर की आपूर्ति और स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	भद्रावती	महाराष्ट्र	1.96	**1.37**	1.37	पावरग्रिड
199	भद्रावती में धोतीनिंबाला, मोहाबाला, चेकबरंज और घोडपेठ में हैंडपम्प के साथ 7 बोरवेल तथा सबमर्सिबल पम्प के साथ एक बोरवेल का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	भद्रावती	महाराष्ट्र	5.93	**4.72**	4.72	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
200	भद्रावती सबस्टेशन के समीप घोडपेठ में जेडपी स्कूल में कैंटीन सहित मध्याह्न भोजन के लिए ओपन हाल के निर्माण तथा स्टेज का सुदृढ़ीकरण और स्टेज के सामने फुटपाथ के ब्लॉक लगाना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	भद्रावती	महाराष्ट्र	53.10	**11.43**	11.43	पावरग्रिड
201	2 एएलएस एम्बुलेंसों तथा 01 रोगी स्थानांतरण एम्बुलेंस डब्ल्यूआर-1 की खरीद और आपूर्ति और जीवन बचाव उपस्करों का अधिष्ठापन	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	नागपुर	महाराष्ट्र	59.74	**49.92**	49.92	पावरग्रिड
202	जलयुक्त शिवर अभियान के तहत कटोल, नागपुर में प्रोक्लेन मशीनों की तैनाती	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	नागपुर	महाराष्ट्र	11.00	**11.00**	11.00	पावरग्रिड
203	सेओनी (मध्य प्रदेश) में बाबरिया पोंड की बाड़ का निर्माण और गेट लगाना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	सेवनी	मध्य प्रदेश	10.00	**10.00**	10.00	पावरग्रिड
204	शिवाजी पेठ कोल्हापुर के आसपास हाउसकीपिंग कार्य	स्वच्छ भारत अभियान	स्थानीय क्षेत्र	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	6.00	**5.79**	5.79	पावरग्रिड
205	पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के लिए लड़कों के छात्रावास हेतु फर्नीचर की आपूर्ति	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	रायपुर	छत्तीसगढ	17.26	**17.26**	17.26	रायपुर केंद्रीय जेल
206	पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के लिए लड़कियों के छात्रावास हेतु फर्नीचर की आपूर्ति	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	रायपुर	छत्तीसगढ	18.05	**17.98**	17.98	रायपुर केंद्रीय जेल
207	हरियर छत्तीसगढ़ - छत्तीसगढ़ में पौधा रोपण	पर्यावरण	स्थानीय क्षेत्र	रायपुर	छत्तीसगढ	57.80	**57.79**	57.79	वन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
208	राजनंद गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण	सामाजिक कल्याण	स्थानीय क्षेत्र	राजनंदगांव	छत्तीसगढ	115.39	**13.21**	93.60	कलेक्टर, राजनंदगांव
209	स्वच्छ भारत अभियान के तहत कटोल, नागपुर और रामकृष्ण सरदा मिशन, काम्पटी, नागपुर में लड़कियों के लिए सरकार द्वारा प्रमाणित स्कूल के लिए डस्टबिन (कूड़ेदान) का प्रापण	पर्यावरण	स्थानीय क्षेत्र	नागपुर	महाराष्ट्र	0.49	**0.49**	0.49	पावरग्रिड
210	नियमित योग कक्षाओं के लिए योग चटाई की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	नागपुर	महाराष्ट्र	0.31	**0.31**	0.31	पावरग्रिड
211	भाटापारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रस्व कक्ष का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	भाटापारा	छत्तीसगढ़	4.57	**0.78**	0.78	पावरग्रिड
212	केंद्रीय विद्यालय के लिए फर्नीचर की आपूर्ति और स्थापना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	चम्पा	छत्तीसगढ़	8.76	**8.48**	8.48	पावरग्रिड
213	पौधा रोपण	पर्यावरण	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न भागों में	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा	0.59	**0.59**	0.59	पावरग्रिड
214	विविध शैक्षणिक मदों की आपूर्ति	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न भागों में	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा	0.88	**0.88**	0.88	पावरग्रिड
215	स्वास्थ्य जांच कैंप	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न भागों में	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा	3.59	**3.59**	3.59	पावरग्रिड
216	स्वास्थ्य/रक्तदान शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न भागों में	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा	0.87	**0.87**	0.87	पावरग्रिड
217	पालघर जिला, महाराष्ट्र के बेरिस्ते गांव में जलापूर्ति स्कीम और इससे जुड़ी वितरण प्रणाली की स्थापना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	बोयसर	महाराष्ट्र	69	**45.00**	45.00	जिला प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार
218	तहसील जिला पालघर, महाराष्ट्र में एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रणाली युक्त एम्बुलेंस की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	बोयसर	महाराष्ट्र	25	**11.31**	11.31	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
219	महाराष्ट्र के थाणे जिले के थाणे सर्किल में आने वाले आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर/इसके 6 गांवों में 1250 सोलर लालटेनें प्रदान करना।	पर्यावरण	स्थानीय क्षेत्र	बोयसर	महाराष्ट्र	18	**17.91**	17.91	पावरग्रिड
220	पालघर जिले में वस्त्र बनाने के लिए जनजातीय युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	बोयसर	महाराष्ट्र	49.82	**40.51**	40.51	जिला प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार
221	गांव चौथिया तहसील मुलतई, बेतुल में पार्धी समुदाय के पुनर्वास के लिए पार्धी कालोनी में कंक्रीट रोड का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बेतुल	मध्य प्रदेश	7.69	**7.67**	7.67	पीडब्ल्यूडी बेतुल/ कार्यकारी अभियंता आरईएस
222	मध्य प्रदेश के बेतुल जिले के सेहरा गांव में व्यापक गांव के लिए 4 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, 15 इलैक्ट्रिक स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, 500 मीटर लंबे नाले और समुदाय केंद्र का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बेतुल	मध्य प्रदेश	120	**82.99**	96.99	पावरग्रिड
223	मध्य प्रदेश और गुजरात में पावरग्रिड के अधिष्ठापनों के समीप विभिन्न सरकारी अस्पतालों/सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 12 एम्बुलेंसें प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राज्यों के विभिन्न भागों में	मध्य प्रदेश और गुजरात	187	**82.17**	173.86	पावरग्रिड
224	मध्य प्रदेश में जिला सतना के करसारा और सेमरिया ग्राम पंचायतों में आरसीसी नाले, पीसीसी रोड का निर्माण और हैंडपंप प्रदान करना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	सतना	मध्य प्रदेश	70.86	**52.92**	52.92	सीईओ जिला पंचायत
225	सतना जिले के केल्होरा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	सतना	मध्य प्रदेश	15.6	**3.90**	3.90	एमओयू

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
226	नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा सतना में ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलकूद का आयोजन	खेलकूद	स्थानीय क्षेत्र	सतना	मध्य प्रदेश	13	**12.26**	12.26	पावरग्रिड
227	जिला तापी की डोलवन तहसील के 4 राजकीय विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए सीढ़ियों से युक्त स्कूल कक्षाओं और लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	वापी	गुजरात	42.68	**26.56**	26.56	एमओयू
228	''स्किल इंडिया'' पहल के तहत डीएनएच के संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत दमन और सिल्वासा के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का आधुनिकीकरण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	वापी	गुजरात	54	**44.86**	44.86	पावरग्रिड
229	खंडवा जिले में राजकीय विद्यालयों के लिए 330 स्कूल डेस्कों की आपूर्ति करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	खंडवा	मध्य प्रदेश	17.65	**16.57**	16.57	पावरग्रिड
230	दमोह की परसोरिया ग्राम पंचायत, कुंवरपुर खेजरा ग्राम पंचायत, और बरवानसा ग्राम पंचायत के गांवों में 61 सोलर स्ट्रीट लाइटों (एलईडी) की स्थापना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	दमोह	मध्य प्रदेश	14.5	**13.27**	13.27	पावरग्रिड
231	मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सरकारी बालिका छात्रावासों के लिए 500 धातु के सिंगल बेड उपलब्ध कराना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	दमोह	मध्य प्रदेश	11.4	**8.98**	8.98	पावरग्रिड
232	इंदौर जिले के सानवेर में स्कूली बच्चों के लिए स्कूल फर्नीचर (10 अलमारी, 78 डेस्क, 10 मेजें, 10 कुर्सियां, 10 बुक शेल्फ) प्रदान करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	इंदौर	मध्य प्रदेश	9.6	**7.88**	7.88	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
233	नांदेड, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में फर्नीचर (75 दोहरे डेस्क, 10 अलमारी, 10 कुर्सियां, 10 मेजें) प्रदान करना	शिक्षा	अन्य	उज्जैन	मध्य प्रदेश	6.82	**5.97**	5.97	पावरग्रिड
234	धरमपुरा, हीरापुर बंधा ग्राम पंचायत, जबलपुर, मध्य प्रदेश में दाह संस्कार शेड का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	जबलपुर	मध्य प्रदेश	4.3	**3.16**	3.16	पावरग्रिड
235	जबलपुर जिले के सुखा गांव में 54 सोलर स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध कराना	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	जबलपुर	मध्य प्रदेश	14.96	**11.36**	11.36	पावरग्रिड
236	जिला जबलपुर के खैरी, हीरापुर बंधा और सुखा गांव के प्राथमिक और मिडल स्कूलों को स्कूल फर्नीचर प्रदान करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	जबलपुर	मध्य प्रदेश	6	**4.93**	4.93	पावरग्रिड
237	बीना जिला अस्पताल को 2 शव वाहन प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	बीना	मध्य प्रदेश	8.84	**7.58**	7.58	पावरग्रिड
238	इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर के माध्यम से मध्य प्रदेश और गुजरात में 125 सुविधाविहीन बच्चों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	इंदौर	मध्य प्रदेश	130.58	**87.38**	130.38	आईजीटीआर, इंदौर
239	भोपाल में सरकारी स्कूलों के लिए प्रोजेक्टर उपलब्ध कराना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	भोपाल	मध्य प्रदेश	53.75	**53.75**	53.75	आर के मिशन
240	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सानवेर, इंदौर में 500 लिटर प्रति घंटा क्षमता के आरओ वाटर प्योरिफायर प्लांट और वाटर कूलर लगाना	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र	इंदौर	मध्य प्रदेश	5.1	**3.44**	3.44	पावरग्रिड
241	एसपीवी सोलर प्लांट	पर्यावरण	स्थानीय क्षेत्र	भोपाल	मध्य प्रदेश	58	**1.03**	58.00	केईसी अंतर्राष्ट्रीय
242	40000 लि. का ओवरहेड वाटर टैंक	पेयजल	स्थानीय क्षेत्र		गुजरात	8	**1.50**	7.50	पावरग्रिड

क्र.सं.	सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (₹ लाख में)	वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
243	महाराष्ट्र के पालघर जिले के गांवों में 154 समाज मंदिरों का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	पालघर	महाराष्ट्र	150	**84.70**	84.70	समझौता ज्ञापन
244	डीएनएच के स्वास्थ्य विभाग में मोबाइल डेंटल वाहन	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	दमन	दादरा एवं नगर हवेली	22.81	**6.68**	6.68	पावरग्रिड
245	अहमदाबाद में स्कूल के लिए मील (भोजन) भवन का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	अहमदाबाद	गुजरात	8.55	**1.12**	1.12	पावरग्रिड
246	नागोड, सतना में जलद त्रिमूर्ति कॉलेज के लिए एक स्कूल बस प्रदान करना	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	सतना	मध्य प्रदेश	18.57	**16.30**	16.30	पावरग्रिड
247	नरसिंहपुर में बहुउद्देश्यीय सामुदायिक केंद्र	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	जबलपुर	मध्य प्रदेश	26.29	**1.35**	1.35	पावरग्रिड
248	सरकारी नेत्रहीन विद्यालय, वडोदरा में गददे, तकिए, बिस्तर की चदरें, मच्छरदानी इत्यादि	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र	वडोदरा	गुजरात	0.81	**0.81**	0.81	पावरग्रिड
249	स्वच्छ भारत अभियान	स्वच्छ भारत अभियान	स्थानीय क्षेत्र	देश के विभिन्न भागों में	देश के विभिन्न भागों में	180.45	**127.85**	133.92	पावरग्रिड
कुल						**32062.06**	**14727.96**	**25159.67**	

भारत का विद्युत मानचित्र

पावरग्रिड लाइनें

घोषणा: यहां दिखाए गए स्थान सांकेतिक और केवल जानकारी हेतु। मानचित्र पैमाने में नहीं।

पावरग्रिड

टेलीकॉम बैकबोन नेटवर्क

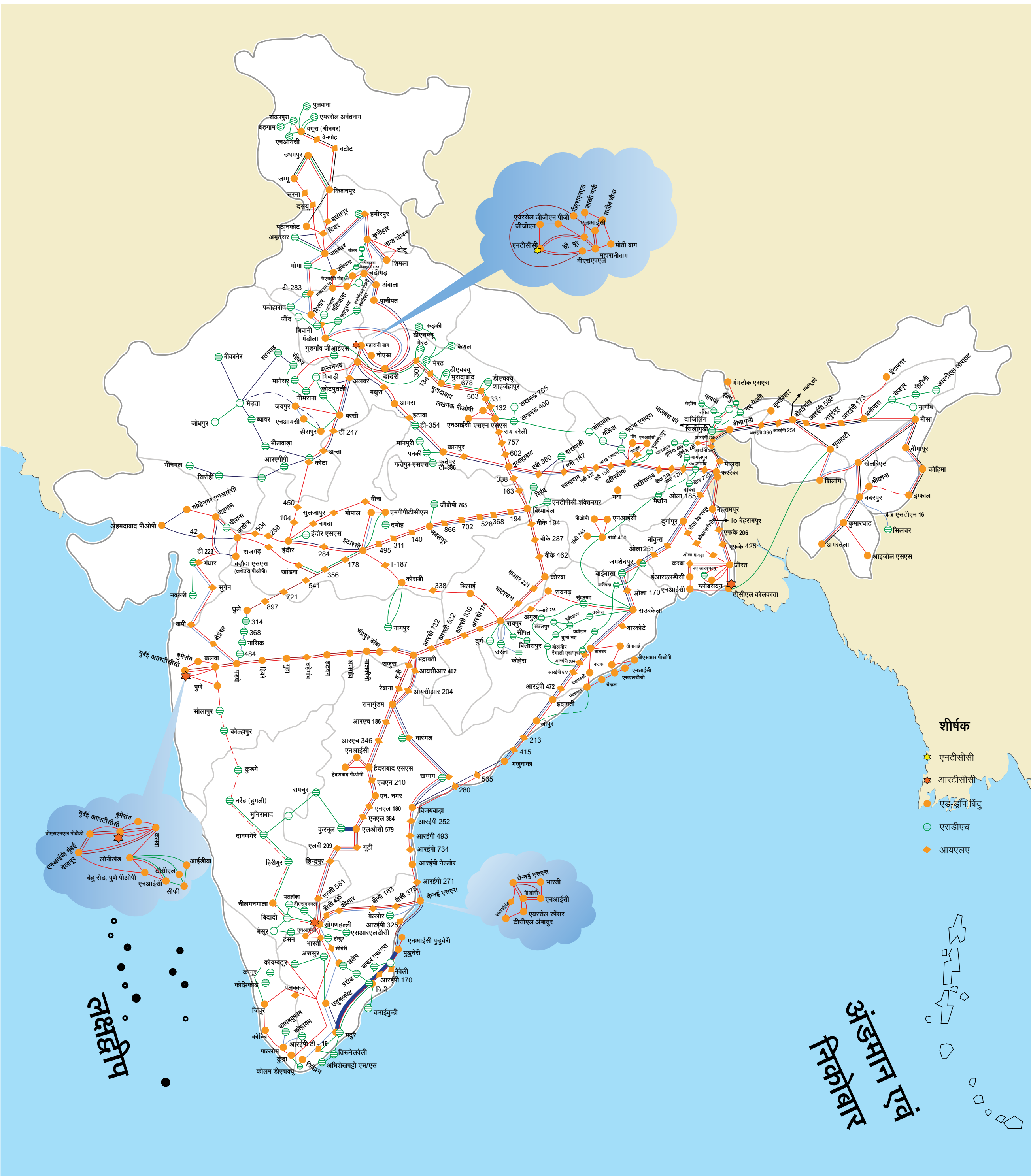

घोषणा: यहां दिखाए गए स्थान सांकेतिक और केवल जानकारी हेतु। मानचित्र पैमाने में नहीं।

लेखा

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
परिसम्पत्तियां				
गैर-चालू परिसम्पत्तियां				
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4	**134252.57**	113991.76	88765.71
(ख) कार्यशील पूंजी	5	**35806.80**	43623.04	52711.12
(ग) निवेश सम्पत्ति	6	**0.03**	0.03	0.03
(घ) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	7	**1255.39**	950.54	783.70
(ङ.) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	8	**77.33**	172.11	211.29
(च) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
(i) निवेश	9	**1355.55**	836.08	826.07
(ii) ऋण	10	**3618.41**	1304.81	370.33
(iii) अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	11	**793.55**	880.78	576.41
(छ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	12	**6347.52**	6960.18	6234.81
		183507.15	168719.33	150479.47
चालू परिसम्पत्तियां				
(क) मालसूची	13	**906.95**	707.43	625.60
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
(i) निवेश	14	**2.50**	5.00	185.43
(ii) व्यापार से प्राप्य	15	**3221.10**	2737.97	2118.65
(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	16	**3228.43**	1540.64	2052.59
(iv) उपरोक्त (iii) से भिन्न बैंक में शेष	17	**112.16**	699.76	10.39
(v) ऋण	18	**35.14**	30.72	25.49
(vi) अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	19	**3334.43**	3361.90	2541.04
(ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	20	**224.00**	538.19	278.72
(घ) बिक्री हेतु धारित वर्गीकृत परिसम्पत्ति	21	**-**	30.64	-
		11064.71	9652.25	7837.91
विनियामक आस्थगन लेखा शेष	22	**107.60**	37.67	37.72
कुल परिसम्पत्तियां		**194679.46**	178409.25	158355.10
इक्विटी एवं देयताएं				
इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	23	**5231.59**	5231.59	5231.59
(ख) अन्य इक्विटी	24	**44575.66**	38579.64	33968.09
		49807.25	43811.23	39199.68
देयताएं				
गैर-चालू देयताए				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधारी	25	**110963.17**	100173.31	89311.79
(ii) अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं	26	**352.24**	870.90	654.31
(ख) प्रावधान	27	**789.56**	650.45	580.23
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	28	**2550.54**	2489.38	2472.16
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	29	**575.20**	431.58	401.05
		115230.71	104615.62	93419.54
चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधारी	30	**1500.00**	2000.00	1200.00
(ii) व्यापार संबंधी देय राशियां	31	**413.98**	313.89	392.97
(iii) अन्य चालू वित्तीय देयताएं	32	**19324.61**	17840.21	16599.75
(ख) अन्य चालू देयताएं	33	**2566.00**	3532.56	2418.10
(ग) प्रावधान	34	**537.21**	297.93	249.74
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	35	**417.33**	299.67	140.47
		24759.13	24284.26	21001.03
आस्थगित राजस्व	36	**4882.37**	5698.14	4734.85
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**194679.46**	178409.25	158355.10

संलग्न टिप्पणियां (1 से 71) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

कृते, निदेशक-मण्डल एवं इसकी ओर से

दिव्या टंडन कम्पनी सचिव	**के. श्रीकान्त** निदेशक (वित्त)	**आई.एस. झा** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन	**कृते, आर.जी.एन. प्राइस एण्ड कं.** सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस	**कृते, कोठारी एण्ड कं.** सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई	**कृते, परख एण्ड कं.** सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी
(सीए एस. के. मित्तल) साझेदार सदस्यता सं. 008506	**(सीए आर. रंगराजन)** साझेदार सदस्यता सं. 041883	**(सीए मनस्वी कोठारी)** साझेदार सदस्यता सं. 064601	**(सीए इन्द्रपाल सिंह)** साझेदार सदस्यता सं. 410433

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 मई, 2017

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	37	**25716.54**	20665.81
II	अन्य आय	38	**864.92**	577.49
III	**कुल राजस्व (I + II)**		**26581.46**	21243.30
IV	**व्यय**			
	कर्मचारी लाभ व्यय	39	**1377.13**	993.72
	वित्त लागत	40	**6303.83**	5134.93
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	41	**7662.80**	6179.80
	अन्य खर्चे	42	**1737.87**	1394.29
	कुल खर्च (IV)		**17081.63**	13702.74
V	**कर से पूर्व लाभ (III - V)**		**9499.83**	7540.56
VI	कर व्यय:			
	वर्तमान कर - वर्तमान वर्ष		**1988.45**	1574.81
	- पूर्ववर्ती वर्ष		**-**	(0.02)
	आस्थगित कर -	28	**2680.23**	1828.64
	घटाएं : आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसंपत्ति		**2619.07**	1811.42
			2049.61	1592.01
VII	**विनियामक आस्थगन लेखा शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ (V-VI)**		**7450.22**	5948.55
VIII	विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल उतार-चढ़ाव - आय/(व्यय)	43	**69.93**	(0.05)
IX	**अवधि हेतु लाभ (VII + VIII)**		**7520.15**	5948.50
X	**अन्य व्यापक आय**			
	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	44	**49.83**	(11.97)
XI	**अवधि हेतु कुल व्यापक आय (IX + X)**		**7569.98**	5936.53
XII	विनियामक आस्थागन लेखा शेष में उतार-चढ़ाव सहित प्रति इक्विटी शेयर आय (सममूल्य ₹10/- प्रत्येक):	65		
	मूल एवं न्यूनीकृत (₹)		**14.37**	11.37
XIII	विनियामक आस्थागन लेखा शेष में उतार-चढ़ाव को छोड़कर प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सम मूल्य ₹10/- प्रत्येक),	65		
	मूल एवं न्यूनीकृत (₹)		**14.24**	11.37

संलग्न टिप्पणियां (1 से 71) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

कृते, निदेशक-मण्डल एवं इसकी ओर से

दिव्या टंडन
कम्पनी सचिव

के. श्रीकान्त
निदेशक (वित्त)

आई.एस. झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन

(सीए एस. के. मित्तल)
साझेदार
सदस्यता सं. 008506

कृते, आर.जी.एन. प्राइस एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस

(सीए आर. रंगराजन)
साझेदार
सदस्यता सं. 041883

कृते, कोठारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई

(सीए मनस्वी कोठारी)
साझेदार
सदस्यता सं. 064601

कृते, परख एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी

(सीए इन्द्रपाल सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 410433

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 मई, 2017

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**चालू कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
	कर पूर्व निवल लाभ	**9569.76**	7540.51
	जोड़ें : अन्य व्यापक आय/(व्यय)	**49.83**	(11.97)
	घटाएं : दर विनियमित आय/(व्यय)	**69.93**	(0.05)
		9549.66	7528.59
	निम्न हेतु समायोजन :		
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**7662.80**	6179.80
	सहायता अनुदानों से अंतरण	**(21.89)**	(21.95)
	आस्थगित राजस्व-मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**(145.85)**	(140.84)
	प्रावधान	**9.02**	7.41
	लाभ एवं हानि के जरिए वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**(47.53)**	(73.65)
	निवेशों की बिक्री पर लाभ	**(50.57)**	-
	सम्पत्ति एवं उपकरण के निपटान/बट्टेखाते में डालने पर निवल हानि	**3.80**	(1.10)
	वित्त लागत	**6303.83**	5134.93
	वापसी प्रावधान	**(3.98)**	(3.90)
	एफईआरवी हानि/(लाभ)	**(27.34)**	4.51
	जमा पर अर्जित ब्याज और सहायक कम्पनियों को बांड और ऋण	**(266.54)**	(123.78)
	प्राप्त लाभांश	**(62.73)**	(84.77)
		13353.02	10876.66
	परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनकारी लाभ	**22902.68**	18405.25
	परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन :		
	सम्पत्ति सूचियों में (वृद्धि)/कमी)	**(196.61)**	(81.83)
	ट्रेड प्राप्यों में (वृद्धि/कमी)	**(485.92)**	(621.61)
	वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**733.08**	(1713.07)
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**(202.47)**	(30.19)
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**314.19**	(259.47)
	देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**8.99**	792.14
	आस्थगित विदेशी मुद्रा घट-बढ़ परिसंपत्ति/देयता (निवल) में (वृद्धि)/कमी	**141.81**	44.13
		313.07	(1869.90)
	प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	**23215.75**	16535.35
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	**(1870.79)**	(1415.59)
	प्रचालनकारी कार्यकलापों से निवल नकद	**21344.96**	15119.76
ख.	**निवेशकारी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
	सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण तथा कार्यशील पूंजी	**(21099.53)**	(20607.81)
	पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम	**(37.73)**	328.77
	अनुदान से आय	**63.02**	58.00
	बिक्री हेतु निर्धारित परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**81.21**	(30.64)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**(513.59)**	170.42
	प्रतिभूतिकरण योजना के तहत दीर्घ अवधि ऋणों में (वृद्धि)/कमी	**7.71**	15.43
	सहायक कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम	**(2326.33)**	(930.02)
	प्राप्य पट्टे से प्राप्त राशियां	**43.94**	(100.03)
	सहायक कम्पनियों की जमाओं बाण्डों एवं ऋणों पर प्राप्त व्यय	**190.87**	106.70
	प्राप्त लाभांश	**62.73**	84.77
	निवेशकारी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(23527.70)**	(20904.41)

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(₹करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
ग.	वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
	वर्ष के दौरान लिए गए ऋण	19342.85	17199.23
	वर्ष के दौरान चुकता किए गए ऋण	(8092.24)	(5774.45)
	प्रदत्त ब्याज एवं वित्त प्रभार	(5802.20)	(4826.80)
	प्रदत्त लाभांश	(1313.12)	(1103.87)
	प्रदत्त लाभांश कर	(264.76)	(221.41)
	वित्तीय कार्यकलापों से निवल नकदी	3870.53	5272.70
घ.	घ. नकदी एवं नकदी सदृशों में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	1687.79	(511.95)
ङ.	नकदी एवं नकदी सदृश (आदि शेष)	1540.64	2052.59
च.	नकदी एवं नकदी सदृश (अन्त शेष)	3228.43	1540.64

टिप्पणी:

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं भी आवश्यक हो पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते, निदेशक-मण्डल एवं इसकी ओर से

दिव्या टंडन
कम्पनी सचिव

के. श्रीकान्त
निदेशक (वित्त)

आई.एस. झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन

(सीए एस. के. मित्तल)
साझेदार
सदस्यता सं. 008506

कृते, आर.जी.एन. प्राइस एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस

(सीए आर. रंगराजन)
साझेदार
सदस्यता सं. 041883

कृते, कोठारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई

(सीए मनस्वी कोठारी)
साझेदार
सदस्यता सं. 064601

कृते, परख एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी

(सीए इन्द्रपाल सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 410433

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 मई, 2017

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2015 को	**5231.59**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31 मार्च, 2016 को	**5231.59**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31 मार्च, 2017 को	**5231.59**

ख. अन्य इक्विटी

(₹करोड़ में)

विवरण	प्रारक्षित निधि अधिशेष						अन्य व्यापक आय	जोड
	प्रतिभूति प्रीमियम प्रा. नि.	बॉण्ड शोधन प्रा. नि.	स्व. बीमा प्रा. नि.	सीएसआर प्रा. नि.	सामान्य प्रा. नि.	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय इक्विटी निवेश के जरिए उचित मूल्य	
1 अप्रैल, 2015 को शेष	**9578.29**	**5870.47**	**387.18**	**129.52**	**17721.13**	**196.42**	**85.08**	**33968.09**
वर्ष हेतु लाभ						5948.50		5948.50
अन्य व्यापक आय						8.31	(20.28)	(11.97)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5956.81**	**(20.28)**	**5936.53**
वर्ष के दौरान समायोजन								
सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित					3500.00	(3500.00)	-	-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि में अन्तरित		1719.88				(1719.88)	-	-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से अन्तरित		(697.93)				697.93	-	-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि में अन्तरित			102.43			(102.43)	-	-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरित			(5.29)		5.29	-	-	-
सीएसआर प्रक्षित निधि में अन्तरित				6.01		(6.01)	-	-
अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2014-15						(685.34)	-	(685.34)
अंतिम लाभांश पर कर, वित्त वर्ष 2014-15						(136.40)	-	(136.40)
अन्तरिम लाभांश : वित्त वर्ष 2015-16						(418.53)	-	(418.53)
अन्तरिम लाभांश पर कर : वित्त वर्ष 2015-16						(85.01)	-	(85.01)
अन्य परिवर्तन					0.30	-	-	0.30
31 मार्च, 2016 को शेष	**9578.29**	**6892.42**	**484.32**	**135.53**	**21226.72**	**197.56**	**64.80**	**38579.64**

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन विवरण (जारी)

(₹करोड़ में)

विवरण	प्रारक्षित निधि अधिशेष						अन्य व्यापक आय	जोड
	प्रतिभूति प्रीमियम प्रा. नि.	बॉण्ड शोधन प्रा. नि.	स्व. बीमा प्रा. नि.	सीएसआर प्रा. नि.	सामान्य प्रा. नि.	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय इक्विटी निवेश के जरिए उचित मूल्य	
1 अप्रैल, 2016 को शेष	9578.29	6892.42	484.32	135.53	21226.72	197.56	64.80	38579.64
वर्ष हेतु लाभ						7520.15		7520.15
अन्य व्यापक आय						10.87	38.96	49.83
कुल व्यापक आय						**7531.02**	**38.96**	**7569.98**
वर्ष के दौरान समायोजन								
सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित					2000.00	(2000.00)		-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि में अन्तरित		2004.95				(2004.95)		-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से अन्तरित		(802.28)				802.28		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि में अन्तरित			193.17			(193.17)		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरित			(0.85)		0.85	-		-
सीएसआर प्रक्षित निधि से अन्तरित				(12.15)	12.15	-		-
अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2015-16						(789.97)		(789.97)
अंतिम लाभांश पर कर, वित्त वर्ष 2015-16						(159.36)		(159.36)
अन्तरिम लाभांश : वित्त वर्ष 2016-17						(523.15)		(523.15)
अन्तरिम लाभांश पर कर : वित्त वर्ष 2016-17						(105.40)		(105.40)
अन्य परिवर्तन			-		3.92			3.92
31 मार्च, 2017 को शेष	**9578.29**	**8095.09**	**676.64**	**123.38**	**23243.64**	**2754.86**	**103.76**	**44575.66**

प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष के स्वरुप एवं घट-बढ़ के लिए टिप्पणी 24 को देखें ।

कृते, निदेशक-मण्डल एवं इसकी ओर से

दिव्या टंडन	**के. श्रीकान्त**	**आई.एस. झा**
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं.	**कृते, आर.जी.एन. प्राइस एण्ड कं.**	**कृते, कोठारी एण्ड कं.**	**कृते, परख एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन	फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस	फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई	फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी
(सीए एस. के. मित्तल)	**(सीए आर. रंगराजन)**	**(सीए मनस्वी कोठारी)**	**(सीए इन्द्रपाल सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 008506	सदस्यता सं. 041883	सदस्यता सं. 064601	सदस्यता सं. 410433

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 मई, 2017

अलग वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियां

1. कॉर्पोरेट एवं सामान्य सूचना

पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') एक सार्वजनिक कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के तहत भारत में स्थापित एवं निगमित है और इसके शेयर भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली, भारत में स्थित है और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय सौदामिनी, प्लॉट नं. 2, सेक्टर, 29, गुडगांव, हरियाणा में स्थित है।

कम्पनी विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी (सीटीयू) के रुप में अधिसूचित है। यह मुख्य रुप से अन्तर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएम); दूरसंचार एवं परामर्शी सेवाओं की योजना बनाने, इसे लागू करने, प्रचालन तथा रखरखाव का कार्य करती है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरण 29.05.2017 को निदेशक-मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अनुमोदित थे।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

i) भारतीय लेखाकरण मानक का अनुपालन

वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133, कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 और कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित सीमा में) के संगत उपबंधों, कंपनी अधिनियम, 1956 (अनुप्रयोज्य सीमा में) और विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध, अनुप्रयोज्य सीमा में तथा इसके बाद यथा-संशोधित रुप में अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (भा. ले. मा.) के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष तक वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए थे, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित सीमा में), कम्पनी अधिनियम, 1956 (अनुप्रयोज्य सीमा में) के संगत उपबंधों के अनुसार हैं तथा इसमें उनके तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक एवं अनुप्रयोज्य सीमा में विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध शामिल हैं।

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखाकरण मानक के तहत कम्पनी के प्रथम वित्तीय विवरण हैं। भारतीय लेखाकरण मानक में पारगमन की तारीख 1 अप्रैल, 2015 है। इस स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणी सं. 70 को देखें कि पूर्ववर्ती जीएएपी से भारतीय लेखाकरण मानक में पारगमन से कंपनी का वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित हुआ है।

ii) मूल्यांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर और निम्नलिखित को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य मूल्यांकित किया गया है, मूल लागत परिपाटी आधार पर तैयार किया गया है :

- उचित मूल्य पर मूल्यांकित कुछेक वित्तीय आस्तियां एवं देयताएं (वित्तीय लिखतों के संबंध में लेखाकरण नीति हेतु टिप्पणी 2.13 को देखें);
- निर्धारित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर मूल्यांकित योजना आस्तियां।

iii) कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में (रुपए अथवा ₹) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है और सभी राशियों को निकटतम करोड़ में और उसके दो दशमलव में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय अन्यथा उल्लिखित के।

iv) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमान और पूर्वानुमान अपेक्षित है जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आस्तियों, देयताओं, राजस्व एवं खर्चों की उल्लिखित राशि को दर्शाते हैं। यद्यपि ऐसे अनुमान और पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए उचित एवं तर्कसंगत आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखाकरण अनुमानों के संशोधन को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में अनुमान को संशोधित किया जाता है, यदि संशोधन केवल उस अवधि में अथवा संशोधन की अवधि में और भावी अवधि में किया जाता है, यदि संशोधन चालू एवं भावी, दोनों वर्षों में किया जाता हो, (महत्वपूर्ण लेखाकरण अनुमानों, पूर्वानुमानों एंव समायोजनों के लिए टिप्पणी-3 को देखें।)

2.2 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

भारतीय लेखाकरण मानक को अन्तरण पर मूल्यांकन

भारतीय लेखाकरण मानक में अंतरण की तारीख को, कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रखाव मूल्य पर पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार विचार किया है, जिसे भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''भारतीय लेखाकरण मानक का प्रथम बार स्वीकरण'' के अनुसार लागत समझा जाता है।

आरंभिक स्वीकरण एवं मूल्यांकन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें आस्ति को स्थान में लाने तथा प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके में इसे प्रचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थिति पर प्रत्यक्ष रुप से खर्च कोई लागत शामिल है। शुरुआती स्वीकरण के बाद सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास/आशोधन एवं संचित अनर्जक क्षति यदि कोई हो, पूरा किया जाता है।

मौजूदा आस्तियों के प्रतिस्थापन के रुप में प्राप्त सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय प्रयोग से हटाए गए/निष्कासित इसके तदनुरुपी प्रतिस्थापित आस्तियों को अस्वीकार किया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित भाग अथवा पहले के निरीक्षण की लागत उपलब्ध न हो, तो सदृश नये भागों/निरीक्षण की अनुमानित लागत को उस लागत के संकेतन के रुप में प्रयोग किया जाता है जो लागत मौजूदा भाग/निरीक्षण की थी, जब मद को प्राप्त किया गया था अथवा निरीक्षण किया गया था।

अधिकृत आस्तियों, निक्षेप कार्यों/संविदा सहित लागत के मामले में, जहां ठकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, वहां पूंजीकरण अंतिम निपटान वर्ष में आवश्यक समायोजनों के अधीन अस्थायी आधार पर किया जाता है।

एक से अधिक ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए सामान्य आस्तियों एवं सिस्टमों को तकनीकी अनुमानों/निर्धारणों के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

ट्रांसमिशन सिस्टम आस्तियों को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार रुप में समझा जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

भूमि की लागत में, जहां कहीं भी भूमि का स्वामित्व लिया गया हो। अस्थायी जमा राशियां, क्षतिपूरण के संबंध में भुगतान/देयताएं, पुनर्वास एवं अन्य खर्चे शामिल हैं।

भूमि को समतल करने, साफ करने तथा ढाल बराबर करने पर व्यय को संबंधित भवनों की लागत के भाग के रुप में पूंजीकृत किया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, जिनकी लागत ₹5,00,000/- और अधिक हो, आपात उपयोगी उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकरण मापदण्ड को पूरा करते हो को पूंजीकृत किया जाता है।

अमान्यकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद को तब अमान्य किया जाता है जब उनके इस्तेमाल से अथवा निपटान करने पर कोई आगामी लाभ प्राप्त न हो।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान अथवा निष्कासन पर उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि को निवल निपटान प्राप्तियों एवं सम्पत्ति की रखाव लागत के बीच अन्तर के रुप में निर्धारित किया जाता है और निपटान अथवा निष्कासन की तारीख को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

2.3 कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)

भारतीय ले.मा. में पारगमन की तारीख को कम्पनी ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी के रखरखाव मूल्य पर विचार किया है, जो भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुसार मानित लागत है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण के लिए उपगत सामग्री लागत, निर्माण खर्च एवं अन्य खर्चों को निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर पूंजीकरण की तारीख तक सीडब्ल्यूआईपी में दर्शाया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण हेतु निर्धारित कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं परियोजनाओं के व्यय की पहचान की जाती है और संबंधित आस्तियों के लागत हेतु एक व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है।

उपरोक्त नीति के अनुसार निर्माण हेतु आबंटित निर्माण के दौरान ब्याज एवं व्यय (निवल) को सीडब्ल्यूआईपी के तहत एक अलग मद के रुप में रखा जाता है और सीडब्ल्यूआईपी के अंत शेष के समानुपात में पूंजीकृत किए गए आस्तियों में संविभाजित किया जाता है।

निक्षेप कार्यों/संविदा सहित लागत को ठेकेदारों से प्राप्त विवरण अथवा पूरे किए गए कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

संविदाओं के मामले में मूल्य परिवर्तन/विनिमय दर परिवर्तन संबंधी अनिष्पादित देयता को संविदाओं के अनुसार अनुमानित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.4 अमूर्त आस्तियां और निर्माणाधीन अमूर्त आस्तियां

भारतीय ले.मा. में पारगमन की तारीख को कम्पनी ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार आमूर्त आस्तियों के रखरखाव मूल्य पर विचार किया है, जो भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुसार मानित लागत है।

अमूर्त आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर आस्मिक मान्यता पर किया जाता है। आरंभिक स्वीकरण के बाद, अमूर्त आस्तियों को लागत घटा किसी संचित परिशोधन एवं संचित अपसामान्य क्षतियों से पूरा किया जाता है।

पहले से पूंजीकृत आस्तियों पर परवर्ती व्यय को तब पूंजीकृत किया जाता है, जब यह मौजूदा आस्ति में अन्तःस्थापित आगामी आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और उत्तरकापी रुप से आशोधित करता है।

आन्तरिक इस्तेमाल हेतु प्राप्त साफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है) तथा इसके नतीजतन महत्वपूर्ण आगामी आर्थिक लाभों को तब अमूर्त आस्ति के रुप में स्वीकार किया जाता है जब यह इस्तेमाल के लिए तैयार हो।

ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए मार्गाधिकार प्राप्त करने हेतु वनरोपण खर्चों को संबंधित ट्रांसिमशन लाइनों के पूंजीकरण की तारीख को अमूर्त आस्तियों के रुप में हिसाब में लिया जाता है।

शीर्ष अमूर्त आस्तियों के तहत पूंजीकरण हेतु मान्य उपगत व्यय को तब तक ''निर्माणाधीन अमूर्त आस्तियां'' के रुप में माना जाता है जब तक ऐसी आस्तियां अपने अभिप्रेत इस्तेमाल के लिए तैयार न हों।

अनुसंधान संबंधी व्यय को व्यय के रुप में तभी स्वीकार किया जाता है जब यह उपगत हो।

विकास संबंधी व्यय को अमूर्त आस्ति के रुप में तभी स्वीकार किया जाएगा, यदि यह भारतीय लेखाकरण मानक 38 ''अमूर्त आस्तियां'' के अनुसार पात्रता मापदण्ड को पूरा करता हो अन्यथा इसे व्यय के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

अमूर्त आस्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ संभव न हो। अमूर्त आस्ति के अस्वीकरण से उत्पन्न अभिलाभों अथवा हानियों का मूल्यांकन निवल निपटान प्राप्तियों एवं आस्ति की रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रुप में किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में तब स्वीकार किया जाता है जब आस्ति आमान्य हो।

2.5 निवेश परिसम्पत्ति

निवेश परिसम्पत्ति में उस भूमि और/अथवा भवन के भाग शामिल हैं, जिन्हें दीर्घ अवधि किराया मुनाफा के लिए और/अथवा मूल्य वृद्धि के लिए रखा जाता है।

भारतीय लेखाकरण मानक में परिवर्तन की तारीख को, कम्पनी ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार निवेश सम्पत्ति के रखरखाव मूल्य पर विचार किया है जो भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुसार मानित लागत है।

निवेश सम्पत्तियों का शुरूआती तौर पर मूल्यांकन लागत पर किया जाता है जिसमें, लेनदेन लागत शामिल होता है। शुरुआती स्वीकरण के बाद, निवेश सम्पत्तियों को लागत घटा संचित मूल्यह्रास और संचित अपसामान्य क्षति, यदि कोई हो, से पूरा किया जाता है।

निवेश सम्पत्ति से अथवा इसें में हस्तान्तरण तभी किया जाता है जब प्रयोग में बदलाव हो।

निवेश सम्पत्तियों को तब अमान्य किया जाता है, जब या तो उनका निपटान किया गया हो या फिर जब उन्हें इस्तेमाल से पूरी तरह से हटाया गया हो और उनके निपटाने से कोई आगामी आर्थिक लाभ संभव न हो। निवल निपटान प्राप्तियों एवं आस्तियों के रखरखाव लागत के बीच अन्तर को अमान्य अवधि में लाभ अथवा हानि के रुप में मान्य किया जाता है।

2.6 मूल्यह्रास/परिशोधन

ट्रांसमिशन कारोबार से संबंधित आस्तियो पर मूल्यह्रास/परिशोधन सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली का पालन करते हुए टैरिफ की वूसली के प्रयोजनार्थ सीधी कटौती प्रणाली पर उपलब्ध है और दूरसंचार एवं परामर्शी कारोबार की आस्तियों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली पर उपलब्ध है, इसमें निम्नलिखित पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट आस्तियां शामिल नहीं हैं।

01 अप्रैल, 2014 से पहले अधिकृत यूएलडीसी आस्तियों को 6.67% प्रति वर्ष की दर पर सीधी कटौती प्रणाली पर मूल्यहासित किया जाता है। 01 अप्रैल, 2014 को अथवा इसके बाद अधिकृत ऐसी आस्तियों को टैरिफ की वसूली के प्रयोजनार्थ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली कर का अनुपालन करते हुए सीधी कटौती प्रणाली पर मूल्यहासित किया जाता है।

निम्नलिखित आस्तियों पर मूल्यह्रास तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर उपलब्ध है।

विवरण		उपयोगी अवधि
क.	कम्प्यूटर एवं बाह्य सामान	3 वर्ष
ख.	सर्वर एवं नेटवर्क संघटक	5 वर्ष

उपरोक्त आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य को शून्य रुप में समझा जाता है।

अमूर्त आस्ति के रुप में पूंजीकृत साफ्टवेयर की लागत को शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ कानूनी प्रयोगधिकार पर अथवा 3 वर्ष, जो भी कम हो, पर आशोधित किया जाता है।

मोबाइबल फोनों को खरीद वर्ष में प्रभारित होते हैं।

एनएलडी लाइसेंस को इसकी उपयोगी अवधि पर आशोधित किया जाता है।

1200 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास पर खर्च को 10 वर्ष की अवधि पर आशोधित किया जाएगा और उपयोगी अवधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाएगी।

वनरोपण खर्चों को सेंट्रल विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली के अनुसार संबंधित ट्रांसमिशन आस्तियों के पूंजीकरण की तारीख से पच्चीस वर्ष में आशोधित किया जाता है।

वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में परिवर्धन/इससे कटौती करने पर मूल्यह्रास/आशोधन को उस तारीख से/तक यथा-अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है जिस तारीख को आस्ति इस्तेमाल/निपटान हेतु उपलब्ध हो।

जहां; अवमूल्यनीय सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत में विनिमय पर घट-बढ़, मूल्य समायोजन, शुल्कों अथवा सदृशकारकों में परिवर्तन के कारण दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों में वृद्धि/कमी के कारण परिवर्तन हुआ हो, वहां, ऐसे आस्ति के अपरिशोधित शेष को उत्तरव्यापी रुप से सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दरों पर कार्य प्रणाली पर मूल्यह्रासित किया जाता है। इसमें दूरसंचार एवं परामर्श कारोबार आस्तियां शामिल नहीं हैं, जहां अवशिष्ट अवधि को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - II में यथाविनिर्दिष्ट सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ), नेयवली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी), जो 1 अप्रैल, 1992 से स्थानान्तरित है, 1 अप्रैल, 1993 से जम्मू एवं कश्मीर लाइनें तथा टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) 1 अगस्त, 1993 से स्थानान्तरित हैं, को सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण के मामले में, मूल्यह्रास, आवश्यक समायोजनों के साथ, जैसा कि अन्तरणकर्ता के बहियों में इंगित है, सकल ब्लॉक आधार पर प्रभारित होता है, ताकि आस्तियों की कार्यक्षमता को, जैसा कि टैरिफ संबंधी सीईआरसी अधिसूचना में निर्धारित है, बनाए रखा जा सके।

निवेश सम्पत्ति के रुप में धारित भवनों पर मूल्यह्रास सीधी कटौती प्रणाली पर उपलब्ध होता है जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट है।

अतिरिक्त पुर्जों, आपात उपयोगी उपकरण तथा सर्विसिंग उपकरण, जो पूंजीकृत हैं, पर मूल्यह्रास उस तारीख से सीधी कटौती प्रणाली पर उपलब्ध होता है जिस तारीख से वे सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली के बाद ट्रांसमिशन कारोबार की संबंधित आस्तियों की उपयोगी कार्यक्षमता बनाए रखने पर इस्तेमाल हेतु उपलब्ध हों।

ट्रांसमिशन कार्य से संबंधित आस्तियों से भिन्न आस्तियों के लिए मूल्यह्रास के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन एवं विधियों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पुनरीक्षा की जाती है और जहां कहीं अपेक्षित हो, उत्तरव्यापी रुप से समायोजित किया जाता है।

₹5,000/- अथवा कम की अचल आस्तियों को अधिग्रहण वर्ष में पूरी तरह मूल्यहासित किया जाता है।

पट्टा भूमि को पट्टा अवधि पर अथवा संबंधित संयंत्र की अवधि पर जो भी सीईआरसी टैरिफ विनियमन में निर्दिष्ट दरों एवं कार्यप्रणाली के अनुसार कम हो, पूरी तरह परिशोधित किया जाता है। चिरस्थायी पट्टे पर प्राप्त पट्टा भूमि को परिशोधित नहीं किया जाता है।

2.7 उधारी लागत

सभी उधार लिए गए निधियों को (कार्यशील पूंजी के लिए अल्प अवधि निधियों को छोड़कर) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उद्दिष्ट किया जाता है। हमारी लागतों को (जिसमें बॉण्ड निर्गम खर्च, ब्याज, बाण्डों पर छूट, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क, गारंटी शुल्क, प्रबंधन शुल्क, आदि शामिल है) इस तरह उद्दृष्ट निधियों के समानुपात में परियोजनाओं को आबंटित किया जाता है।

अधिग्रहण अथवा मान्य आस्तियों को निर्माण से सीधे आबद्ध उधारी लागतों को (निधियों के अस्थायी रुप से नियोजन पर आय का निवल) ऐसी आस्तियों के लागत के भाग के रुप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक आस्तियां अभिप्रेत इस्तेमाल के लिए तैयार न हो।

अन्य उधारी लागतों को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

2.8 मालसूचियों से भिन्न गैर-वित्तीय आस्तियों की क्षति

नकदी उत्पादक यूनिट, जैसा कि भारतीय ले. मा. 36 ''आस्तियों की हानि'' में परिभाषित है, तुलनपत्र तारीख में अभिज्ञात है। तुलनपत्र की तारीख में, यदि इसमें हानि का कोई संकेत हो और नकदी उत्पादक यूनिट की रखरखाव राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो (अर्थात अधिकतम उच्च मूल्य घटा निपटान लागत एवं प्रचालित मूल्य) तो अपसामान्य हानि को मान्य दिया जाता है। रखरखाव राशि को वसूली योग्य राशि में कम किया जाता है और घटौती को लाभ एवं हानि विवरण में अपसामान्य हानि के रुप में मान्य किया जाता है। पूर्व लेखाकरण अवधि में एकीकृत अपसामान्य हानि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में वृद्धि की सीमा में लौटाया जाता है। पश्च अपसामान्य मूल्यह्रास क्षतिग्रस्त आस्ति के संशोधित रखरखाव मूल्य पर अपने उपयोगी अवधि में रहते हुए उपलब्ध होता है।

2.9 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हस्तगत नकदी और बैंक में जमा राशि तथा मांगने पर बैंकों में रखी जमा राशियां, जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से तीन माह अथवा कम है, जिन्हें सहजता से एक ज्ञात नकदी राशि में परिवर्तित किया जाता है और मूल्य में अमहत्वपूर्ण जोखिम परिवर्तन के अध्यधीन हो, शामिल हैं।

2.10 मालसूचियां

मालसूचियों को भारित औसत आधार पर निर्धारित निम्नतर लागत पर एवं निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

इस्तेमाल के स्क्रैप एवं कंडक्टर के स्क्रैप को अनुमानित वसूली योग्य मूल्य अथवा अर्जित मूल्य जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रुप में मान्य मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं, को मालसूचियों के रुप में रिकॉर्ड किया जाता है।

प्रबंधन द्वारा यथा-निर्धारित अतिरिक्त सामग्री को अभिप्रेत प्रयोग के लिए रखा जाता है और मालसूची में शामिल किया जाता है।

अप्रचलित, अनुप्रयोज्य, अतिरिक्त सामानों एवं अतिरिक्त पुर्जों की मूल्य में कमी का पुनरीक्षों पर पता लगाया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है।

2.11 पट्टे

i) पट्टादाता के रुप में

यह निर्धारण करना कि व्यवस्था (अथवा अन्तर्विष्ट) एक पट्टा है, पट्टे के आरम्भ में व्यवस्था के सार पर आधारित है। व्यवस्था एक पट्टा है, अथवा इसमें अन्तर्विष्ट है, यदि व्यवस्था का पालन विशिष्ट आस्ति अथवा आस्तियों पर निर्भर हो और व्यवस्था में आस्ति अथवा आस्तियों का प्रयोगाधिकार निहित हो, मानो कि अधिकार व्यवस्थापन में स्पष्ट रुप से विनिर्दिष्ट न हो।

पट्टे को आरम्भ की तारीख में वित्त पट्टे के रुप में अथवा प्रचालन पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

क) वित्त पट्टे

पट्टा, जो आस्ति के स्वामित्व के लिए महत्वपूर्ण पर्याप्त रुप से सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को हस्तान्तरित करता है, को वित्त पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

राज्य क्षेत्र एकीकृत लोड प्रेषण सेंटर (यूएलडीसी)/फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन आस्तियां (एफओसी)/लाभार्थियों को पट्टे पर दी गई दोतरफा आस्तियों को वित्त पट्टे के रुप में समझा जाता है। इस तरह पट्टे पर दी गई आस्तियों में निवल निवेश को पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के उचित मूल्य से कम पर प्राप्य योग्य रुप में रिकॉर्ड किया जाता है और बाद के वर्षो में वृद्धि के साथ न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य को चालू एवं गैर-चालू अन्य वित्तीय आस्तियों के तहत पट्टा प्राप्यों के रुप में हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं भी राज्य क्षेत्र यूएलडीसी के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया जाता है, वहां पट्टा प्राप्यों को ऐसे निवल अनुदान में हिसाब में लिया जाता है।

पट्टे के ब्याज घटक को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार निवल निवेश पर प्रतिफल को एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाने वाली पद्धति के आधार पर पट्टे पर लाभ एवं हानि विवरण में हिसाब में लिया जाता है।

पट्टाकृत आस्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा ऋणों पर एफईआरवी को पट्टा प्राप्य राशियों में समायोजित किया जाता है और पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। संघटकों से एफईआरवी वसूली (सीईआरसी मानकों के अनुसार) को ऐसे आशोधित राशि के निवल में मान्य किया जाता है।

ख) प्रचालन पट्टे

प्रचालन पट्टा वित्त पट्टे से भिन्न एक पट्टा है। पट्टे, जिसमें स्वामित्व के जोखिमों एवं प्रतिफलों का एक महत्वपूर्ण भाग पट्टादाता द्वारा प्रतिधारित होता है, प्रचालन पट्टे के रुप में वर्गीकृत होते हैं।

प्रचालन पट्टों के लिए आस्ति, सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रुप में पूंजीकृत होती है और यह आर्थिक अवधि पर मूल्यह्रासित होती है। प्रचालन पट्टे से किराया आय को व्यवस्थापन अवधि पर मान्य किया जाता है।

ii) पट्टेदार के रुप में

प्रचालन पट्टे

प्रचालन पट्टों के तहत किए गए भुगतानों को पट्टा अवधि के बाद व्यय के रुप में मान्य किया जाता है।

2.12 कर्मचारी लाभ

निर्धारित पेंशन अंशदान योजना और भविष्य निधि योजना हेतु वर्ष के दौरान प्रदत्त/देय कम्पनी के अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है। इसे निधि को अदा किया जाता है और एक अलग न्यास के जरिए नियंत्रित किया जाता है।

वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन पर वार्षिक रुप से अभिनिश्चित उपदान हेतु देयता को उपलब्ध कराया जाता है और अलग से निधिकित किया जाता है।

प्रतिपूरित अनुपस्थितियों, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति, चिकित्सा लाभों, निपटान भत्ता हेतु देयताओं एवं किन्हीं दीर्घ सेवा प्रतिफलों को वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन पर अभिनिश्चित किया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है।

अल्प अवधि कर्मचारी व्ययों को उस वर्ष में जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हों, लाभ एवं हानि विवरण में छूट नहीं दी गई राशि में मान्य किया जाता है।

निर्धारित लाभ बाध्यताओं से संबंधित पुनर्मूल्यांकनों को तत्काल उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है। पुनर्मूल्यांकनों के बाद अवधियों में लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

2.13 वित्तीय लिखतें

वित्तीय आस्तियां

कम्पनी की वित्तीय आस्तियों में नकदी एवं नकदी समतुल्य, बैंक में शेष, सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों से भिन्न कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कम्पनियों/कर्मचारियों को ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

वर्गीकरण

कमपनी अपने वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है :

- परिशोधित लागत पर
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

- वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन हेतु कम्पनी के व्यावसायिक मॉडल और
- वित्तीय आस्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

आरंभिक स्वीकरण एवं मूल्यांकन

सभी वित्तीय आस्तियों को, व्यापार प्राप्य राशियों को छोड़कर शुरूमें उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है, लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य में रिकॉर्ड नहीं किए गए वित्तीय आस्तियों के मामले में लेन-देन लागतें, यदि कोई हों, जिन्हें वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण के संबंध में समझा जाता है।

कंपनी, अंतर को केवल वहां अभिलाभ अथवा हानि में (जब तक यह किसी अन्य किस्म की आस्ति के रुप में मान्य करने हेतु उपयुक्त न हो) मान्य करता है, जहां उचित मूल्य किसी विशिष्ट आस्ति हेतु एक क्रियाशील बनाने मद्धरित मूल्य द्वारा प्रमाणित होता है अथवा दृष्टिगोचर बाज़ार से केवल डाटा का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन तकनीकी के आधार पर प्रमाणित होता है।

कम्पनी अपने व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन अपने लेन-देन मूल्य पर करती है, यदि व्यापार प्राप्यों में कोई महत्वपूर्ण वित्त संघटक शामिल न हो।

अनुवर्ती मूल्यांकन

आस्तियों का, जिन्हें संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूली के लिए रखा गया हो, जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूल राशि एवं ब्याज के भुगतानों को दर्शाते हों, मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है। ऋण निवेश पर अभिलाभ अथवा हानि, जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, को लाभ अथवा हानि में तब मान्य किया जाता है जब आस्ति को अमान्य अथवा अनर्जक माना गया हो। इन वित्तीय आस्तियों से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए वित्त आय में शामिल किया जाता है।

वित्तीय आस्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, उचित मूल्य संबंधी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है। तथापि, कम्पनी ब्याज आय, अपसामान्य हानि तथा वापसी राशियों एवं विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को आय विवरण में मान्य करती है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 ''वित्तीय लिखतें'' के अनुसार सभी इक्विटी लिखतों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। कम्पनी आरंभिक स्वीकरण पर लिखत-दर-लिखत आधार पर अन्य व्यापक आय में (एफवीओसीआई) उचित मूल्य पर परवर्ती बदलाव को दर्शाने के लिए अप्रतिसंहार्य का चयन कर सकती है।

एफवीओसीआई के रुप में वर्गीकृत इक्विटी लिखतों के लिए लिखत में सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को, जिसमें लाभांश शामिल नहीं है, ओसीआई में मान्य किया जाता है। इसमें निवेश बिक्री पर भी राशियों का ओसीआई से लाभ अथवा हानि में पुनर्निवेश नहीं होता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ अथवा हानि को हस्तान्तरित कर सकती है।

वित्तीय आस्तियों का आमान्यीकरण

वित्तीय आस्तियों को तभी अमान्य किया जाता है, जब

- ग्रुप ने वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार स्थानान्तरित कर दिया हो अथवा
- वित्तीय आस्तियों के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के सांविदात्मक अधिकार को अपने पास रखा हो, परन्तु एक अथवा अधिक को नकदी प्रवाह के भुगतान की सांविदात्मक दायित्व को स्वीकार करता हो।

वित्तीय देयताएं

कम्पनी की वित्तीय देयताएं दूसरी कम्पनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है अथवा ऐसी स्थितियों में दूसरी कम्पनी के साथ वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं की अदलाबदली करने का दायित्व है जो संभवतः कम्पनी के लिए अनुकूल न हो।

कम्पनी की वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधारियां, व्यापार तथा अन्य देयताएं शामिल हैं।

वर्गीकरण, आरंभिक स्वीकरण और मूल्यांकन

वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य घटा लेन-देन लागत पर मान्य किया जाता है, जो सीधे तौर पर वित्तीय देयताओं के निर्णय से संबंधित है। वित्तीय देतयाओं को परिशोधित लागत पर बाद में मूल्यांकित रुप में वर्गीकृत किया जाता है। परिशोधित लागत को अधिग्रहण किसी छूट अथवा प्रीमियम और फीस अथवा लागतों को ध्यान में रखते हुए परिकलित किया जाता है, जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) के अभिन्न भाग हैं। प्राप्तियों (लेन-देन लागतों का निवल) और परिशोधन राशि के बीच किसी अंतर को ईआईआर का प्रयोग करते हुए उधारी अवधि पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुवर्ती मूल्यांकन

शुरुआती स्वीकरण के बाद वित्तीय देयताओं का ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। अभिलाभों एवं हानियों को लाभ अथवा हानि विवरण में मान्य किया जाता है, साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के जरिए देयताओं का मान्य किया जाता है।

ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागतों के रुप में शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यीकरण

वित्तीय देयता को तब अमान्य किया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व पूरा हो जाता है अथवा निरस्त हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है। वित्तीय देयता, जो समाप्त हो गई है अथवा दूसरे पक्ष को हस्तान्तरित हो गई है, के रखरखाव राशि और प्रदत्त प्रतिफल, जिसमें हस्तान्तरित कोई गैर-नकदी आस्तियां अथवा स्वीकृत देयताएं शामिल हैं, के बीच अंतर को अन्य आय अथवा वित्त लागत के रुप में लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

वित्तीय लिखतों का प्रतितुलन

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रतितुलित किया जाता है और निवल राशि का तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है, यदि इसमें स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का वर्तमान में कोई प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो और आस्तियों को क्रियान्वित करने के और साथ ही देयताओं को निपटाने के निवल आधार पर निपटाने की धारणा हो।

2.14 सहायक कम्पनियों में निवेश

सहायक कम्पनी, कम्पनी द्वारा नियंत्रित एक संस्था है। कंट्रोल तब अस्तित्व में होता है जब कम्पनी का संस्था पर अधिकार हो, यह अभिदर्शित हो, अथवा संस्था में अपनी अन्तर्ग्रस्तता से प्रतिफलों को परिवर्तित करने का अधिकार हो और संस्था पर अपने अधिकार का प्रयोग करके उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता हो।

अधिकार को मौजूदा अधिकारों के जरिए प्रदर्शित किया जाता है जो उन संगत कार्यकलापों को निदेशित करने की क्षमता देता है, जो संस्था के प्रतिफलों को विशेष रुप से प्रभावित करते हैं।

सहायक कम्पनियों में निवेश लागत पर किया जाता है। लागत में निवेश प्राप्ति के लिए प्रदत्त मूल्य शामिल होता है और सीधे लागत पर समझा होता है।

भारतीय ले. मा. के पारगमन की तारीख को कम्पनी ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार सहायक कम्पनियों में निवेशक के रखरखाव मूल्य पर विचार किया है जो भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुसार मानित लागत है।

2.15 संयुक्त उद्यमों एवं सहायक कम्पनियों में निवेश

संयुक्त उद्यम एक प्रकार की संयुक्त व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा पक्षों को जिनका व्यवस्था पर संयुक्त कंट्रोल होता है, संयुक्त उद्यम के निवल आस्तियों का अधिकार होता है। संयुक्त कंट्रोल व्यवस्था के कंट्रोल का संविदात्मक रुप से सम्मत शेयरिंग है, जो तभी अस्तित्व में होता है जब संगत कार्यकलापों के बारे में निर्णयों में नियंत्रण शेयरिंग पक्षों की एकमत सहमति आवश्यक हो।

संयुक्त उद्यमों एवं सहायक कम्पनियों में निवेश लागत पर किया जाता है। लागत में निवेश प्राप्ति हेतु प्रदत्त मूल्य शामिल है तथा लागत पर सीधे समझा है।

भारतीय ले. मा. के पारगमन की तारीख को कम्पनी ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार सहायक कम्पनियों में निवेशक के रखरखाव मूल्य पर विचार किया है जो भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुसार मानित लागत है।

2.16 विदेशी मुद्रा अन्तरण

(क) कार्यात्मक एवं प्रतिनिधिक मुद्रा

कम्पनी के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित मदों का मूल्यांकन प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा का प्रयोग करते हुए किया जाता है, जिसमें कम्पनी ऑपरेट होती है (''कार्यात्मक मुद्रा'')। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (रुपए अथवा ₹) में पेश किया जाता है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्रदेय मुद्रा होती है।

(ख) लेनदेन एवं शेष राशियां

विदेशी मुद्रा में लेन-देनों की शुरूमें लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलन पत्र की तारीख को प्रभावी विनियम दरों के संदर्भ में अन्तरित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट गैर-मौद्रिक मदों का लेन-देन की तारीख को प्रभावी दर पर उल्लेख किया जाता है।

कम्पनी ने 31 मार्च, 2016 को बकाया दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं के अन्तरण से उत्पन्न विनियम अंतरों संबंधी लेखाकरण हेतु अपनाई गई नीति को जारी रखने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक 101 में उपलब्ध छूट का लाभ लिया है।

31 मार्च, 2016 को बकाया विदेशी मुद्रा ऋणः

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण/कार्यशील पूंजी से संबंधित ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों के निपटान/अन्तरण पर उत्पन्न विदेशी मुद्रा दर भिन्नता (एफईआरवी) को संबंधित आस्तियों के रखरखाव लागत में समायोजित किया जाता है और 1 अप्रैल 2004 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरपी) के मानकों के अनुसार अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (डीओसीओ), जो भी बाद में हो, वास्तविक भुगतान आधार पर लाभार्थियों से वसूलीयोग्य/देय है। सीईआरसी मानकों के अनुसार

वसूलीय अथवा देय सीमा में उपरोक्त एफईआरवी को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है :

i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण रखरखाव लागत हेतु समायोजित एफईआरवी वसूलीयोग्य/देय राशि को ''विदेशी मुद्रा घट-बढ़ खाते से आस्थगित आय/व्यय'' के तदनुरुपी क्रेडिट/डेबिट के साथ ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट-बढ़ आस्ति/देयता खाते'' के रुप में हिसाब में लिया जाता है।

ii) ''विदेशी मुद्रा घट-बढ़ खाते से आस्थगित आय/व्यय'' को उसी समानुपात में आशोधित किया जाता है जिसमें मूल्यह्रास को ऐसे एफईआरवी पर प्रभारित किया जाता है।

iii) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सीईआरसी मानकों के अनुसार वसूलनीय/देय राशि को कारोबार प्राप्यों के तदनुरुपी डेबिट/क्रेडिट के साथ ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट-बढ़ आस्ति/देयता खाते'' में समायोजित किया जाता है।

लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावित से पहले और टैरिफ के प्रयोजनार्थ पूंजीगत लागत में सम्मिलित एफईआरवी को ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट-बढ़ आस्ति/देयता खाते'' के प्रति समायोजित किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों (विदेशी मुद्रा ऋण से भिन्न) के निपटान/अन्तरण से उत्पन्न एफईआरवी को संबंधित आस्तियों के रखरखाव लागत में समायोजित किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमन के अनुसार पूंजीगत लागत के रुप में लाभार्थियों से वसूलनीय/देय सीमा में विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट मौद्रिक मदों (गैर चालू ऋणों से भिन्न) के निपटान/अन्तरण से निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न एफईआरवी को विनियामक आस्थगन लेखा शेष राशि के रुप में हिसाब में लिया जाता है। ऐसी राशि पर स्वीकृत पारगमन शुल्कों को उपरोक्त खाते में समायोजित किया जाता है। अन्य विनिमय अन्तरों को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हुए हैं, आय अथवा व्यय के रुप में मान्य किया जाता है।

01 अप्रैल, 2016 को अथवा इसके बाद लिया गया विदेशी मुद्रा ऋण :

ब्याज लागतों के समायोजन के रुप में समझी गई सीमा में विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अन्तरों को उधारी लागत के रुप में समझा जाता है। अन्य विनिमय अन्तरों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वसूलनीय सीमा में विनिमय अन्तर को लाभ एवं हानि विवरण के जरिए विनियामक आस्थगन लेखा शेष के रुप में मान्य किया जाता है।

2.17 आय कर

आयकर व्यय, चालू एवं आस्थगित कर के जोड़ को दर्शाता है। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जो इस सीमा को छोड़कर है कि यह सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में स्वीकृत मदों से संबंधित हो। इस मामले में कर को सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में भी मान्य किया जाता है।

चालू आय कर

चालू आय कर आय कर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष हेतु कराधेय लाभ पर आधारित होता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को कम्पनी के वित्तीय विवरणों में आस्तियों एवं देयताओं के रखरखाव राशियों और कराधेय लाभ की संगणना में प्रयुक्त तदनुरुपी कर आधारों के बीच अस्थायी अन्तरों पर मान्य किया जाता है और तुलनपत्र देयता विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के लिए इस सीमा में मान्य किया जाता है कि इसमें यह संभव हो कि आगामी कराधेय लाभ इस संबंध में उपलब्ध होंगे, जिनके संबंध में कटौती योग्य अस्थायी अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त क्रेडिटों को उपयोग में लाया जा सकता हो। आस्थगित कर आस्तियों की रखरखाव लागत की प्रत्येक तुलनपत्र तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और इस सीमा में कम किया जाता है कि संभावना कम हो कि पर्याप्त कराधेय लाभ उस संबंध में प्राप्य होंगे जिनके प्रति अस्थायी अन्तरों को उपयोग किया जा सकता हो।

आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन कर दर पर किया जाता है जिन्हें उस अवधि में लागू किया जा सकता है, जिस अवधि में देयता का कर दर के आधार पर (और कर कानून) निपटान किया जाता है अथवा आस्ति को क्रियान्वित किया जाता हो, जिसे अधिनियमित किया गया हो अथवा तुलनपत्र की तारीख तक पर्याप्त रुप में अधिनियमित किया गया हो।

2.18 दर विनियमित कार्यकलाप

सीईआरसी विनियमनों के तहत स्वीकृत कुछेक व्यय एवं आय के, जिसे भविष्य में लाभार्थियों द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना हो/इनको दिया जाना हो, भारतीय लेखाकरण मानक 114, ''विनियमक आस्थगन लेखा'' के प्रावधानों के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में हिसाब में लिया जाता है। ऐसे खर्च एवं आय को सीईआरसी विनियमनों के तहत टैरिफ के भाग के रुप में वसूलनीय/देय सीमा में विनियामक आस्थगन आस्ति/देयताओं के रुप में समझा जाता है।

कम्पनी निम्न के संबंध में तुलनपत्र में पृथक लाइन मदों को दर्शाती है :

(क) सभी विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष राशियों के जोड़; और

(ख) सभी विनियामक आस्थगन खाता क्रेडिट शेष राशियों के जोड़।

पृथक लाइन मद को सूचना अवधि हेतु सभी विनियामक आस्थगन खाता शेषों में निवल कार्य व्यापार हेतु लाभ एवं हानि विवरण के लाभ अथवा हानि भाग में दर्शाया जाता है।

2.19 राजस्व स्वीकरण एवं अन्य आय

राजस्व का मूल्यांकन प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है। राजस्व के रुप में प्रकटित राशियां प्रतिफलों, व्यापार भत्तों, छूटो एवं मूल्यवर्धित करों के निवल हैं।

पारगमन आय को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। ट्रांसमिशन परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम टैरिफ आदेशों को अभी अधिसूचित किया जाना हो, वहां पारगमन आय को टैरिफ विनियमनों एवं सदृश मामलों में सीईआरसी के आदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। अन्तर, यदि कोई हो, को सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेशों के प्रचालन पर हिसाब में लिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारगमन आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोत्साहन/विफलता को संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों द्वारा उपलब्धता के प्रमाणीकरण के आधार पर तथा सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम, (एएडी) जो ऋणों की चुकौती को सुगम बनाने के लिए ब्लॉक अवधि 2004-09 तक से संबंधित टैरिफ का मुख्य भाग है, को ट्रांसमिशन आय से कम किया गया था और आस्थगित आय के रुप में समझा गया था, जिसे बाद के वर्षों में ट्रांसमिशन आय में शामिल किया जाना है। एएडी के संबंध में बकाया आस्थगित आय को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें आस्ति को अधिकृत किया गया था, बारह वर्ष बाद वर्ष के दौरान टैरिफ में वसूली गई मूल्यह्रास की सीमा में ट्रांसमिशन आय के रुप में मान्य किया जाता है, जो खातों में प्रभारित मूल्यह्रास से कम होता है।

व्यापार प्राप्यों, परिसमाप्त क्षतियों, वारण्टी दावों तथा आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिमों पर व्यय से वसूली योग्य अधिभार को तब मान्य किया जाता है जब प्रमाणिता एवं संग्रहायता के संबंध में महत्वपूर्ण अतिनिश्चतता कायम न हो।

दूरसंचार सेवाओं, निष्क्रिय क्रेडिट के निवल से प्राप्त आय को ग्राहकों से हुए करारों/खरीद आदेशों की शर्तों के आधार पर मान्य किया जाता है।

''लागत - जमा - परामर्शी संविदाओं'' के संबंध में, जिसमें ग्राहक की ओर से निष्पादन शामिल है, आय को निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके में (जहां कहीं भी आरंभिक अग्रिम प्राप्त हुए हो) हिसाब में लिया जाता है :

क) निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस को जारी करने पर 10%

ख) निष्पादन हेतु संविदाएं प्रदान करने पर 5%

ग) शेष 85%, आपूर्तियों सहित वास्तविक कार्य प्रगति के आधार पर।

दूसरे परामर्शी संविदाओं से प्राप्त आय को प्रदान की गई सेवाओं की प्रगति के तकनीकी मूल्यांकन पर हिसाब में लिया जाता है।

सीईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार दीर्घ अवधि खुली सुविधा (एलटीओए) के संबंध में आवेदन शुल्क को प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है।

स्क्रैप, जो स्टील स्क्रैप एवं कंडक्टर स्क्रैप से भिन्न हो, को तभी हिसाब में लिया जाता है जब उसे बेचा जाता है।

लाभांश आय को तब मान्य किया जाता है जब भुगतान प्राप्ति के अधिकार को स्थापित किया जाता है।

2.20 सरकारी अनुदान

केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से परियोजनाओं, पारेषण प्रणालियों की बेहतरी तथा विशिष्ट मूल्यह्रास योग्य आस्तियों के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्राप्त सहायता अनुदानों को आस्थगित आय के रुप में समझा जाता है और संबंधित आस्ति के उपयोगी कार्य अवधि पर उसी समानुपात में, जिसमें इन आस्तियों पर मूल्यह्रास उपलब्ध हुआ है, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

2.21 लाभांश

शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि और जिसमें लाभांश को शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत किया गया हो, देयता के रुप में मान्य किया जाता है। अदा किए गए किसी अन्तरिम लाभांश को निदेशक-मण्डल की मंजूरी पर मान्य किया जाता है। देय लाभांश एवं लाभांश विवरण पर तदनुरुपी कर को सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

2.22 प्रावधान और आकस्मिकताएं

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब कम्पनी के पास पिछले कार्य के परिणामस्वरुप वर्तमान बाध्यता (कानूनी अथवा रचनात्मक) हो, इसमें संभावना होती है कि आर्थिक लाभों को अंतःस्थापित करते हुए संसाधनों का बहिर्गमन बाध्यता के निपटान हेतु आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान बाध्यता की राशि का समय मान महत्वपूर्ण होगा, तो प्रावधानों में छूट दी जाती है। छूट में कमी को वित्त लागत के रुप में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। प्रावधानों की प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और वर्तमान उत्कृष्ट अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) आकस्मिकताएं

आकस्मिक देयताओं को तब प्रकट किया जाता है जब पिछले कार्यों से उत्पन्न कोई संभावित बाध्यता हो, जिसकी मौजूदगी को केवल एक अथवा अधिक अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति अथवा गैर उपस्थिति से निर्धारित किया जाएगा, न कि कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में अथवा वर्तमान बाध्यता में, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है, जहां दोनों में से यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्गमन निपटान हेतु आवश्यक होगा या फिर राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। आकस्मिक देयता संबंधी जानकारी को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

2.23 शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

वर्धनात्मक लागतों को, जो सीधे नये शेयरों के निर्णय हेतु प्राप्य हों, प्राप्तियों से कर के निवल, कटौती के रुप में इक्विटी में दर्शाया जाता है।

स्व-बीमा प्रारक्षित निधि को सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के सकल ब्लॉक पर 0.12% प्रतिवर्ष की दर पर सृजित किया जाता है, जो अबीमाकृत जोखिमों से अगामी हानियों को कम करने के लिए चालू वर्ष के लाभ के विनियोजन द्वारा वर्ष की समाप्ति पर बीमा के अन्तर्गत आने वाले आस्तियों को छोड़कर होता है। इसे ''अन्य इक्विटी'' के अन्तर्गत ''स्व बीमा प्रारक्षित निधि'' के रुप में दर्शाया जाता है।

2.24 पूर्व अवधि मदें

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत किए गए पूर्व अवधि संबंधी तुलनात्मक राशियों का पुनः उल्लेख करके, जिसमें त्रुटि उत्पन्न हुई है, भूतल भी प्रभाव से ठीक किया जाता है अथवा यदि त्रुटि, प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक अवधि से पहले उत्पन्न हो गई हो, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण का पुनः उल्लेख करके ठीक किया जाता है।

2.25 खण्ड रिपोर्टिंग

निदेशक-मण्डल, भारतीय लेखाकरण मानक 108 ''प्रचालन खण्ड'' के संदर्भ में कम्पनी का ''मुख्य प्रचालन निर्णायक'' ''सीओडीएम'' होता है। सीओडीएम संसाधन निर्धारण एवं निष्पादन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ अलग से अपने व्यावसायिक खण्डों के प्रचालन परिणामों को मॉनीटर करता है। खण्ड निष्पादन का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि के आधार पर किया जाता है और सुसंगत रुप में वित्तीय विवरणों में लाभ अथवा हानि में मूल्यांकित किया जाता है।

प्रचालन खण्डों की पहचान उत्पादों/सेवाओं के स्वरुप के आधार पर की गई है।

- खण्ड राजस्व में अन्तर-खण्ड लेन-देनों सहित खण्ड में सीधे अभिज्ञेय/निर्धार्य बिक्रियां और अन्य आय शामिल है।
- व्यय, जो सीधे खण्डों में अभिज्ञेय/निर्धार्य हों, को खण्ड परिणाम के निर्धारण हेतु समझा जाता है। व्यय, जो पूर्णतः कम्पनी से संबंधित हो और खण्डों को आबंटन योग्य न हो, को अनिर्धार्य व्यय में शामिल किया जाता है।
- आय, जो पूर्णतः कम्पनी से संबंधित हो और खण्डों को निर्धार्य नहीं हो, को अनिर्धार्य आय में शामिल किया जाता है।
- खण्ड आस्तियों एवं देयताओं में वे आस्तियां एवं देयताएं शामिल हैं, जो संबंधित खण्डों में सीधे अभिज्ञेय हो। अनिर्धार्य आस्तियां एवं देयताएं उन आस्तियों एवं देयताओं को नियमित करती हैं जो पूर्णतः कम्पनी से संबंधित हो और किसी खण्ड को निर्धार्य नहीं हों।

2.26 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय को वर्ष हेतु शेयर धारकों को प्राप्य निवल लाभ का प्रयोग करते हुए और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है।

प्रति शेयर कम की गई आय को वर्ष हेतु शेयरधारकों को देय निवल लाभ तथा वर्ष के दौरान इक्विटी एवं संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है, सिवाय इसके, जहां परिणाम न्यूनीकृत रोधी हो।

अतिरिक्त रुप से, मूल एवं तनुकृत प्रति शेयर अर्जनों को अर्जन राशियों का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है, जिसमें विनियामक आस्थगन लेखा शेष में घट-बढ़ शामिल नहीं हैं।

2.27 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को भारतीय लेखाकरण मानक 7 ''नकदी प्रवाह विवरण'' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3. महत्वपूर्ण अनुमान एवं मूल्यांकन

वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु लेखाकरण अनुमानों का प्रयोग आवश्यक है, जो वास्तविक परिणामों में खासतौर पर भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन को भी कम्पनी के लेखाकरण नीतियों को लागू करते समय मूल्यांकन के प्रयोग की आवश्यकता हो सकती है।

यह टिप्पणी उन क्षेत्रों की, जिनमें उच्च स्तर का मूल्यांकन अथवा जटिलता शामिल है और उन मदों की अवलोकन की व्यवस्था देती है जिनकी अनुमानों और पूर्वानुमानों के कारण विशेष रुप से समायोजित किए जाने की अधिक संभावना है, जिनका मूल रुप से निर्धारित उन अनुमानों एवं पूर्वानुमानों से भिन्न होना प्रतीत होता है।

महत्वपूर्ण अनुमानों अथवा पूर्वानुमानों वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं :

राजस्व स्वीकारण

पारेषण आय को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में, जहां, अंतिम टैरिफ आदेशों को अभी अधिसूचित किया जाना हो, वहां पारेषण आय को टैरिफ विनियमनों और सदृश मामलों में सीईआरसी के अन्य आदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। अन्तर, यदि कोई हो, को सीईआरसी द्वारा अंतिम आदेशों के प्रचालन पर ही हिसाब में लिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारेषण आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

विनियामक आस्थगन शेष :

विनियामक आस्थगन शेष राशियों के स्वीकरण में महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल है जिनमें आगामी टैरिफ विनियमनों के बारे में मूल्यांकन शामिल हैं, क्योंकि ये भविष्य में टैरिफ के माध्यम से वसूलनीय/देय हेतु संभावित राशियों के अनुमान पर आधारित होते हैं।

निर्धारित लाभ बाध्यता का आकलन

निर्धारित लाभ बाध्यता के आकलन में कुछेक महत्वपूर्ण वास्तविक पूर्वानुमान शामिल हैं, जो टिप्पणी में सूचीबद्ध हैं।

अनुमानों और मूल्यांकनों का आवधिक रुप से मूल्यांकन किया जाता है। वे ऐतिहासिक अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें, आगामी घटनाओं की प्रत्याशाएं शामिल हैं, जिनका कम्पनी पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है और उन्हें परिस्थितियों में उचित होना माना जाता है।

टिप्पणी 4/सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2017 को	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
भूमि												
क) पूर्ण स्वामित्व	1999.84	60.66	-	(2.09)	2062.59	-	-	-	-	-	2062.59	1999.84
ख) पट्टाधारी	237.14	12.91	-	-	250.05	9.44	9.69	-	-	19.13	230.92	227.70
भवन												
क) सब-स्टेशन एवं कार्यालय	677.69	176.29	4.07	(19.98)	869.89	25.13	34.14	0.15	1.14	57.98	811.91	652.56
ख) नगर	409.79	32.67	0.50	-	441.96	20.70	21.23	0.02	-	41.91	400.05	389.09
अस्थायी निर्माण	0.40	0.44	-	-	0.84	0.39	0.44	-	-	0.83	0.01	0.01
सड़क एवं पुल	143.36	11.14	-	-	154.50	7.42	8.23	-	0.53	15.12	139.38	135.94
जल आपूर्ति जल निकासी एवं मल व्यवस्था	81.73	11.19	-	0.01	92.91	4.13	4.52	-	-	8.65	84.26	77.60
संयंत्र एवं उपकरण												
क) ट्रांसमिशन	79112.14	17416.10	27.77	338.05	96162.42	4051.86	4950.14	29.09	(67.16)	9040.07	87122.35	75060.28
ख) सब स्टेशन	35721.54	10525.90	3.85	283.03	45960.56	2015.64	2508.85	5.18	36.23	4483.08	41477.48	33705.90
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	485.43	122.33	-	2.34	605.42	39.83	50.38	-	-	90.21	515.21	445.60
घ) दूरसंचार	834.94	83.23	-	(0.70)	918.87	96.34	96.67	0.12	(0.11)	193.00	725.87	738.60
फर्नीचर फिक्सचर्स	78.31	20.29	0.65	(0.13)	98.08	5.37	7.20	0.04	-	12.53	85.55	72.94
वाहन	1.86	0.88	-	-	2.74	0.32	0.34	-	-	0.66	2.08	1.54
कार्यालय उपकरण	97.61	35.14	0.18	(0.02)	132.59	6.42	8.94	0.03	(0.01)	15.34	117.25	91.19
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	42.12	32.68	0.53	(0.02)	74.29	19.92	16.37	0.24	0.06	35.99	38.30	22.20
निर्माण एवं कार्यशाला उपकरण	210.86	36.96	-	(0.49)	248.31	12.09	13.97	0.01	-	26.05	222.26	198.77
इलेक्ट्रीकल संस्थापन	79.97	1.91	-	(0.46)	82.34	5.81	5.79	0.06	(0.05)	11.59	70.75	74.16
प्रयोगशाला उपकरण	38.96	2.78	-	-	41.74	3.24	3.21	-	-	6.45	35.29	35.72
कार्यशाला एवं जांच उपकरण	66.07	55.56	1.55	(0.23)	120.31	2.26	5.31	0.14	(0.13)	7.56	112.75	63.81
विविध आस्तियां/उपकरण	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.05
जोड़	**120319.81**	**28639.06**	**39.10**	**599.31**	**148320.46**	**6326.31**	**7745.42**	**35.08**	**(29.50)**	**14066.15**	**134254.31**	**113993.50**
घटाएं : निकाले गए आस्तियों हेतु प्रावधान	1.74	-	-	-	1.74	-	-	-	-	-	1.74	1.74
सकल जोड़	**120318.07**	**28639.06**	**39.10**	**599.31**	**148318.72**	**6326.31**	**7745.42**	**35.08**	**(29.50)**	**14066.15**	**134252.57**	**113991.76**

टिप्पणी 4/सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

(₹करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास				निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
भूमि											
क) पूर्ण स्वामित्व	1807.34	191.32	-	(1.18)	1999.84	-	-	-	-	1999.84	1807.34
ख) पट्टाधारी	233.63	5.06	0.36	1.19	237.14	9.53	-	0.09	9.44	227.70	233.63
भवन											
क) सब-स्टेशन एवं कार्यालय	483.32	195.72	-	1.35	677.69	26.28	-	1.15	25.13	652.56	483.32
ख) टाउनशिप	371.69	38.10	-	-	409.79	20.70	-	-	20.70	389.09	371.69
अस्थायी निर्माण	0.01	0.39	-	-	0.40	0.40	-	0.01	0.39	0.01	0.01
सड़क एवं पुल	126.42	16.94	-	-	143.36	7.42	-	-	7.42	135.94	126.42
जल आपूर्ति, जल निकासी एवं मल व्यवस्था	76.11	5.52	-	(0.10)	81.73	4.21	-	0.08	4.13	77.60	76.11
संयंत्र एवं उपकरण											
क) ट्रांसमिशन	55863.41	22333.35	24.15	(939.53)	79112.14	4050.91	0.94	(1.89)	4051.86	75060.28	55863.41
ख) सब स्टेशन	28288.38	7201.88	17.70	(248.98)	35721.54	2008.75	-	(6.89)	2015.64	33705.90	28288.38
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	269.61	215.71	-	(0.11)	485.43	39.83	-	-	39.83	445.60	269.61
घ) दूरसंचार	793.97	40.81	-	(0.16)	834.94	96.39	-	0.05	96.34	738.60	793.97
फर्नीचर फिक्सचर्स	51.23	27.32	0.06	0.18	78.31	5.39	-	0.02	5.37	72.94	51.23
वाहन	2.00	0.08	0.22	-	1.86	0.34	0.02	0.00	0.32	1.54	2.00
कार्यालय उपकरण	62.49	35.65	0.57	(0.04)	97.61	6.45	0.02	0.01	6.42	91.19	62.49
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	30.92	11.23	0.10	(0.07)	42.12	20.31	0.02	0.37	19.92	22.20	30.92
निर्माण एवं कार्यशाला उपकरण	167.71	43.57	-	0.42	210.86	12.09	-	-	12.09	198.77	167.71
इलेक्ट्रीकल स्थापना	77.83	2.27	-	0.13	79.97	5.91	-	0.10	5.81	74.16	77.83
प्रयोगशाला उपकरण	38.62	0.41	0.07	-	38.96	3.24	-	-	3.24	35.72	38.62
कार्यशाला एवं जांच उपकरण	22.70	43.37	-	-	66.07	2.27	-	0.01	2.26	63.81	22.70
विविध आस्तियां/उपकरण	0.04	-	-	(0.01)	0.05	-	-	-	-	0.05	0.04
जोड़	**88767.43**	**30408.70**	**43.23**	**(1186.91)**	**120319.81**	**6320.42**	**1.00**	**(6.89)**	**6326.31**	**113993.50**	**88767.43**
घटाएं : निकाले गए आस्तियों हेतु प्रावधान	1.72	-	-	(0.02)	1.74	-	-	-	-	1.74	1.72
सकल जोड़	**88765.71**	**30408.70**	**43.23**	**(1186.89)**	**120318.07**	**6320.42**	**1.00**	**(6.89)**	**6326.31**	**113991.76**	**88765.71**

टिप्पणी :

कम्पनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''पैरा डी 7एए के भारतीय लेखाकरण मानकों के पहली बार स्वीकरण'' के अनुसार मानित लागत छूट का चयन किया है। तदनुसार, रखरखाव मूल्य अर्थात सकल ब्लॉक घटा संचित मूल्यह्रास को पारगमन की तारीख को अर्थात 1 अप्रैल 2015 को मानित लागत के रुप में समझा गया है। (नीचे अतिरिक्त प्रकटन को देखें)।

टिप्पणी 4/सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

अतिरिक्त प्रकटन :

(₹करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल, 2015 को				
	सकल ब्लॉक	संचित मूल्यह्रास	निवल ब्लॉक	भा.ले.मा. समायोजन	लागत
भूमि					
क) पूर्ण स्वामित्व	1809.52	-	1809.52	(2.18)	1807.34
ख) पट्टाधारी	277.98	46.74	231.24	2.39	233.63
भवन					
क) सब-स्टेशन एवं कार्यालय	721.74	217.74	504.00	(20.68)	483.32
ख) नगर	525.12	155.11	370.01	1.68	371.69
अस्थायी निर्माण	10.43	10.41	0.02	(0.01)	0.01
सड़क एवं पुल	179.19	54.34	124.85	1.57	126.42
जल आपूर्ति जल निकासी एवं मल व्यवस्था	110.58	34.88	75.70	0.41	76.11
संयंत्र एवं उपकरण					
क) ट्रांसमिशन	72501.33	16495.33	56006.00	(142.59)	55863.41
ख) सब स्टेशन	38313.35	10048.19	28265.16	23.22	28288.38
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	646.38	376.77	269.61	-	269.61
घ) दूरसंचार	1431.22	636.57	794.65	(0.68)	793.97
फर्नीचर फिक्सचर्स	96.50	45.34	51.16	0.07	51.23
कार्यालय उपकरण	111.48	48.74	62.74	(60.74)	2.00
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	117.05	86.49	30.56	31.93	62.49
वाहन	4.60	2.60	2.00	28.92	30.92
निर्माण एवं कार्यशाला उपकरण	216.61	49.07	167.54	0.17	167.71
इलेक्ट्रीकल संस्थापन	127.31	49.06	78.25	(0.42)	77.83
प्रयोगशाला उपकरण	75.59	37.20	38.39	0.23	38.62
कार्यशाला एवं जांच उपकरण	39.47	16.68	22.79	(0.09)	22.70
विविध आस्तियां/उपकरण	0.11	0.07	0.04	-	0.04
जोड़	**117315.56**	**28411.33**	**88904.23**	**(136.80)**	**88767.43**
घटाएं : निकाले गए आस्तियों हेतु प्रावधान	10.33	8.61	1.72	-	1.72
सकल जोड़	**117305.23**	**28402.72**	**88902.51**	**(136.80)**	**88765.71**

टिप्पणियां :

क) कम्पनी के पास 7124 हेक्टेयर भूमि है (31 मार्च, 2016 को 6988 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 6704 हेक्टेयर) जो ₹2312.64 करोड़ की है (31 मार्च, 2016 को ₹2236.98 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹2040.97 करोड़) जिसमें 6129 हेक्टेयर भूमि को पूर्ण स्वामित्व में वर्गीकृत किया गया है (31 मार्च, 2016 को 5972 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 5714 हेक्टेयर) जो ₹2062.59 करोड़ की है (31 मार्च, 2016 को ₹1999.84 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹1807.34 करोड़) और पट्टायुक्त भूमि 1045 हेक्टेयर है (31 मार्च, 2016 को 1016 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 990 हेक्टेयर) जो ₹250.05 करोड़ की है (31 मार्च, 2016 को ₹237.14 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹233.63 करोड़) जो उपलब्ध प्रलेखन पर आधारित है।

ख) i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 112.35 हेक्टेयर क्षेत्र में धारित पट्टायुक्त भूमि के रुप में वर्गीकृत भूमि (31 मार्च, 2016 को 112.35 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 112.35 हेक्टेयर) जो ₹57.62 करोड़ की है (31 मार्च, 2016 को ₹57.62 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹97.62 करोड़) को राज्य सरकार द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्राप्त किया है। प्रचलित कानून के अनुसार राज्य सरकार इस तरह अर्जित भूमि की मालिक बनी रहती है और कम्पनी को विशिष्ट प्रयोग हेतु केवल स्वामित्व दिया जाता है।

ii) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित पारेषण प्रणाली को कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 1993 से नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचपीसी) से कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तथा आपसी रुप से सहमत शर्तों पर अपने अधिकार में लिया गया है।

टिप्पणी 4/ सम्पत्ति, सयंत्र और उपकरण (जारी)

ग) कम्पनी द्वारा अधिग्रहित पूर्ण स्वामित्व की भूमि, जिसमें ₹159.75 करोड़ (31 मार्च, 2016 का ₹212.60 करोड़ 01 अप्रैल, 2015 की ₹ 33.71 करोड़) शामिल है, जिसके संबंध में हस्तान्तरण विलेख कम्पनी के पक्ष में लंबित है और ₹130.78 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹ 311.05 करोड़; 01 अप्रैल, 2015 को ₹187.38 करोड़ कम्पनी द्वारा अधिग्रहित भूमि के संबंध में है जिसके लिए राजस्व रिकॉर्डो में परिवर्तन लंबित है।

घ) पट्टाधारी भूमि, जिसमें 2.65 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है (31 मार्च, 2016 को 2.65 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 2.65 हेक्टेयर) जो ₹12.36 करोड़ की है (31 मार्च, 2016 को ₹12.36 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹12.36 करोड़) जो कम्पनी द्वारा एनएचपीसी से अर्जित चम्बा (एचपी) में भूमि के संबंध में है, जिसके संबंध में कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

ड़) पट्टाधारी भूमि में 0.41 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है (31 मार्च, 2016 को 0.41 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 0.41 हेक्टेयर) जो ₹7.64 करोड़ की है (31 मार्च, 2016 को ₹7.64 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹7.64 करोड़) जो शाश्वत पट्टा आधार पर कार्यालय परिसर के लिए अर्जित भूमि के संबंध में है और इसलिए परिशोधित नहीं है।

च) नगर भवन में ₹2.95 करोड़ शामिल हैं (31 मार्च, 2016 को ₹2.95 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹2.95 करोड़) जो मुम्बई में 28 फ्लैटों के संबंध में है, जिसके लिए कम्पनी के पक्ष में पंजीकरण लंबित है।

छ) 5.625 हेक्टेयर भूमि (31 मार्च, 2016 को 5.625 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 5.625 हेक्टेयर) जिसका मूल्य ₹0.04 करोड़ है (31 मार्च, 2016 को ₹0.04 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹0.04 करोड़) जिसे स्वामित्व प्रदान किए बगैर प्रयोगाधिकार पर नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लैब्रोटरी प्रा. लि. को हस्तान्तरित किया गया है।

टिप्पणी 5/कार्यशील पूंजी

(₹करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2017, को
भूमि					
भूमि का विकास	7.79	24.19	-	6.82	**25.16**
भवन					
क) सब-स्टेशन एवं कार्यालय	338.37	193.30	(0.19)	144.90	**386.96**
ख) टाउनशिप	88.05	45.56	34.04	31.98	**67.59**
अस्थायी निर्माण	-		-	-	**-**
सड़क एवं पुल	15.61	19.68	3.02	11.81	**20.46**
जल आपूर्ति, निकासी एवं मल व्यवस्था	2.30	0.76	-	-	**3.06**
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)					
क) ट्रांसमिशन	20117.84	9920.50	1.33	14587.47	**15449.54**
ख) सब-स्टेशन	7609.85	11937.47	2060.85	9228.76	**8257.71**
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	276.37	223.61	5.41	119.57	**375.00**
घ) दूरसंचार	39.96	105.41	40.65	37.73	**66.99**
अन्य कार्यालय उपकरण	16.10	2.40	-	12.01	**6.49**
इलेक्ट्रीकल स्थापना	-	0.55	-	-	**0.55**
निर्माण सामान (निवल प्रावधान)	9859.21	-	2195.03	-	**7664.18**
आबंटन होने तक व्यय		-			
i) सर्वे, जांच, परामर्श सेवा एवं पर्यवेक्षण व्यय	20.91	3.35	-	1.08	**23.18**
ii) विदेशी मुद्रा ऋणों संबंधी विनिमय में अन्तर	640.95	(270.30)	-	301.16	**69.49**
iii) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 45)	4593.37	2355.72	2.05	3552.96	**3394.08**
	43626.68	24562.20	4342.19	28036.25	**35810.44**
घटाएं : अप्रयोज्य आस्तियों संबंधी प्रावधान	3.64	-	-	-	**3.64**
	43623.04	24562.20	4342.19	28036.25	**35806.80**

टिप्पणी 5/कार्यशील पूंजी (जारी)

(₹करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2016, को
भूमि					
भूमि का विकास	4.34	58.41	-	54.96	7.79
भवन					
क) सब-स्टेशन एवं कार्यालय	303.57	306.22	75.50	195.92	338.37
ख) नगर	62.54	44.06	(19.30)	37.85	88.05
अस्थायी निर्माण	0.02		-	0.02	-
सड़क एवं पुल	5.94	10.45	-	0.78	15.61
जल आपूर्ति, निकासी एवं मल व्यवस्था	2.26	0.04	-	-	2.30
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)					
क) ट्रांसमिशन	26,446.33	12,650.48	4.14	18,974.83	20,117.84
ख) सब-स्टेशन	6,224.13	7,367.54	-	5,981.82	7,609.85
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	352.30	143.51	17.18	202.26	276.37
घ) दूरसंचार	47.67	13.34	0.44	20.61	39.96
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	0.15	-	0.15	-	-
अन्य कार्यालय उपकरण	5.04	17.56	-	6.50	16.10
इलेक्ट्रीकल संस्थापन	-	-	-	-	-
निर्माण सामान (निवल प्रावधान)	13,041.96	-	3,182.75	-	9,859.21
आबंटन होने तक व्यय					
i) सर्वे, जांच, परामर्श सेवा एवं पर्यवेक्षण व्यय	25.79	6.32	-	11.20	20.91
ii) विदेशी मुद्रा ऋणों पर विनिमय में अन्तर	817.05	525.95	-	702.05	640.95
iii) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 45)	5,375.67	2825.79	(147.43)	3,755.52	4593.37
	52714.76	**23969.67**	**3113.43**	**29944.32**	**43626.68**
घटाएं : अप्रयोज्य आस्तियों संबंधी प्रावधान	3.64	-	-	-	3.64
	52711.12	**23969.67**	**3113.43**	**29944.32**	**43623.04**

टिप्पणी :

कम्पनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''पैरा डी7 एए के भारतीय लेखाकरण मानक के पहली बार स्वीकरण'' के अनुसार मानित लागत छूट का चयन किया है। तदनुसार रखरखाव मूल्य को पारगमन की तारीख को अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को मानित लागत के रुप में समझा जाता है।

टिप्पणी 5/कार्यशील पूंजी (जारी)
(निर्माण सामानों के ब्यौरे) (लागत पर)

(₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
निर्माण सामान			
टॉवर	**1545.37**	1811.68	2461.98
कंडक्टर	**2117.69**	1770.88	3386.47
अन्य लाइन सामग्रियां	**856.88**	1183.60	1576.19
सब स्टेशन उपकरण	**1999.25**	2182.37	2523.66
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**708.37**	2650.37	2850.07
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**259.03**	186.98	200.78
दूरसंचार सामग्री	**27.32**	15.54	8.39
अन्य	**150.28**	57.81	34.44
	7664.19	9859.23	13041.98
घटाएं : अल्पता एवं अप्रचलित सामग्री हेतु प्रावधान	**0.01**	0.02	0.02
जोड़	**7664.18**	9859.21	13041.96
निर्माण सामान में शामिल है :			
i) मार्गस्थ सामग्री			
टॉवर	**1.67**	13.42	6.39
कंडक्टर	**4.42**	2.23	13.35
अन्य लाइन सामग्रियां	**13.81**	82.53	62.93
सब - स्टेशन उपकरण	**345.57**	94.74	794.03
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**-**	267.35	413.54
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**8.65**	-	11.68
अन्य	**60.17**	-	12.05
जोड़	**434.29**	460.27	1313.97
ii) ठेकेदार के पास सामग्री			
टॉवर	**1543.70**	1798.26	2455.59
कंडक्टर	**2113.26**	1768.65	3373.12
अन्य लाइन सामग्रियां	**843.08**	1101.06	1513.26
सब-स्टेशन उपकरण	**1653.68**	2087.63	1729.63
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**708.37**	2383.01	2436.53
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**250.38**	186.98	189.1
दूरसंचार सामग्री	**27.32**	15.54	8.39
अन्य	**90.10**	57.81	-
जोड़	**7229.89**	9398.94	11705.62
सकल जोड़	**7664.18**	9859.21	13019.59

अगली टिप्पणी :

अधिकृत लाइनों के संबंध में ₹385.80 करोड़ (31.03.2016 को ₹199.95 करोड़ एवं 01.04.2015 को ₹112.34 करोड़) समाधान हेतु लंबित है। तथापि, लेखा समाधान सतत आधार पर किया जाता है।

टिप्पणी 6/निवेश सम्पत्ति

(₹करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2017 को	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	0.02	-	-	-	**0.02**	-	-	-	-	**-**	**0.02**	0.02
भवन	0.01	-	-	-	**0.01**	-		-		**-**	**0.01**	0.01
जोड़	0.03	-	-	-	**0.03**	-	-	-	-	**-**	**0.03**	0.03

(₹करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन				निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	0.02
भवन	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01
जोड़	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.03

6. निवेश सम्पत्ति (जारी)

(i) निवेश परिसम्पत्तियों हेतु लाभ एवं हानि में स्वीकृत राशि

(₹करोड़ में)

	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
किराया आय	**0.64**	0.63
सम्पत्ति से जो किराया आय से उत्पन्न हो, प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	**-**	-
उस सम्पत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय, जो किराय आय से उत्पन्न न हो	**-**	-
मूल्यह्रास से पहले निवेश परिसम्पत्तियों से लाभ	**0.64**	0.63
मूल्य ह्रास	**-**	-
निवेश परिसम्पत्तियों से लाभ	**0.64**	0.63

(ii) संविदात्मक बाध्यताएं

(₹करोड़ में)

	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
आगामी मरम्मत कार्य एवं रखरखाव हेतु संविदात्मक बाध्यता-जो देयता के रुप में मान्य न हो	**शून्य**	शून्य	शून्य

(iii) पट्टे देने संबंधी व्यवस्थाएं

निवेश परिसम्पत्तियों के गैर-निरस्तरणीय प्रचालन पट्टों के तहत प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है :

(₹करोड़ में)

	31 मार्च, 2017* को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
एक वर्ष के भीतर	**0.83**	0.64	0.63
एक वर्ष के बाद परन्तु 5 वर्ष के बाद नहीं	**0.91**	0.83	0.64
5 वर्ष के बाद	**-**	-	-

*पट्टा करार का नवीकरण प्रक्रियाधीन है।

(iv) उचित मूल्य

(₹करोड़ में)

	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
निवेश परिसम्पत्तियां	**2.87**	2.75	2.60

उचित मूल्य का आकलन

निवेश परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य को स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रयुक्त मुख्य इनपुट किराया वृद्धि दर, प्रत्याशित रिक्ति दर, टर्मिनल लाभ और छूट दरें हैं, जो तुलनीय लेनदेनों एवं उद्योग डेटा पर आधारित हैं। निवेश परिसम्पत्तियों के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान लेवल 2 में सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 7/अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां

(₹करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2017 को	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	36.97	5.24	-	-	**42.21**	14.67	15.54	-	-	**30.21**	**12.00**	22.30
मार्गाधिकार - वनरोपण व्यय	981.78	315.63	-	0.07	**1297.34**	53.54	64.97	-	0.07	**118.44**	**1178.90**	928.24
एनएलडी लाइसेंस	-	-	-	(2.50)	**2.50**	-	0.12	-	(1.25)	**1.37**	**1.13**	-
1200 केवी टीएस का विकास*	-	69.41	-	-	**69.41**	-	6.05	-	-	**6.05**	**63.36**	-
जोड़	1018.75	390.28	-	(2.43)	**1411.46**	68.21	86.68	-	(1.18)	**156.07**	**1255.39**	950.54

*आन्तरिक रुप से तैयार की गई अमूर्त आस्ति

विवरण	लागत					संचित परिशोधन				निवल अर्जित मूल्य
	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2016 को
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	34.97	2.00	-	-	36.97	14.71	-	0.04	14.67	22.30
मार्गाधिकार - वनरोपण व्यय	748.73	98.16	-	(134.89)	981.78	53.54	-	-	53.54	928.24
जोड़	783.70	100.16	-	(134.89)	1018.75	68.25	-	0.04	68.21	950.54

टिप्पणी :

कम्पनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''पैरा डी7 एए के भारतीय लेखाकरण मानक के पहली बार स्वीकरण'' के अनुसार मानित लागत छूट का चयन किया है। तदनुसार रखरखाव मूल्य को पारगमन की तारीख को अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को मासिक लागत के रुप में समझ जाता है।

टिप्पणी 7/अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां (जारी)

अतिरिक्त प्रकटन :

(₹करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2015 को				
	सकल ब्लॉक	संचित मूल्यह्रास	निवल ब्लॉक	भारतीय लेखाकरण मानक समायोजन	लागत
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	49.05	14.08	34.97	-	34.97
मार्गाधिकार - वनरोपण व्यय	909.98	161.25	748.73	-	748.73
जोड़	959.03	175.33	783.70	-	783.70

टिप्पणी 8/विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

(₹करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2016 को	परिवर्धन	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2017 को
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	1.46	1.64	0.09	2.94	**0.07**
मार्गाधिकार - वनरोपण व्यय	92.19	66.00	-	96.81	**61.38**
1200 केवी टीएस का विकास	78.46	13.32	6.49	69.41	**15.88**
जोड़	172.11	80.96	6.58	169.16	**77.33**

(₹करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	परिवर्धन	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2017 को
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	0.09	1.67	-	0.30	**1.46**
मार्गाधिकार - वनरोपण व्यय	137.45	52.88	-	98.14	**92.19**
1200 केवी टीएस का विकास	73.75	10.97	6.26	-	**78.46**
जोड़	211.29	65.52	6.26	98.44	**172.11**

टिप्पणी :

कम्पनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''पैरा डी7 एए के भारतीय लेखाकरण मानक के पहली बार स्वीकरण'' के अनुसार मानित लागत छूट का चयन किया है। तदनुसार रखरखाव मूल्य को पारगमन की तारीख को अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को मानित लागत के रुप में समझ जाता है।

टिप्पणी 9/निवेश

(₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
(1) **इक्विटी लिखतों में निवेश (पूर्ण रु प से प्रदत्त)**			
उद्धृत			
अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर निवेश (ओसीआई)			
पीटीसी इंडिया लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 12000006 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016; 12000006, 1 अप्रैल, 2015, 12000006)	**112.08**	76.80	97.08
अनुद्धृत			
क) **लागत पर निवेश (पूर्ण रु प से प्रदत्त)**			
i) सहायक कम्पनियां			
पॉवर सिस्टिम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड			
शून्य (31 मार्च, 2016, शून्य, 1 अप्रैल, 2015 30640000) ₹10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर (टिप्पणी सं. 21 को देखें)	**-**	-	30.64

टिप्पणी 9/ निवेश (जारी)

(₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 134000000 (31 मार्च, 2016 को 24000000, 1 अप्रैल, 2015 को 24000000) इक्विटी शेयर	**134.00**	24.00	24.00
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 50000 (31 मार्च, 2016, 50,000, 1 अप्रैल, 2015 को 50,000) इक्विटी शेयर	**0.05**	0.05	0.05
घटाएं : निवेश मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**0.05**	0.05	0.05
	-	-	-
पॉवरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 209730000 (31 मार्च, 2016 को 54730000, 1 अप्रैल, 2015 को 54730000) इक्विटी शेयर	**209.73**	54.73	54.73
पॉवरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 12961067 (31 मार्च, 2016 को 50,000, 1 अप्रैल 2015 को 50,000) इक्विटी शेयर	**12.96**	0.05	0.05
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 1050,000 (31 मार्च, 2016 को 50,000, 1 अप्रैल, 2015 को 50,000) इक्विटी शेयर	**1.05**	0.05	0.05
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 150000 (31 मार्च, 2016 को ₹50,000, 1 अप्रैल, 2015 को 50,000) इक्विटी शेयर	**0.15**	0.05	0.05
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 25100000 (31 मार्च, 2016 को 50000, 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) इक्विटी शेयर	**25.10**	0.05	-
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 100000 (31 मार्च, 2016 को 50,000, 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) इक्विटी शेयर	**0.10**	0.05	-
पावरग्रिड साउथर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 50,000 (31 मार्च, 2016 को 50,000, 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) इक्विटी शेयर	**0.05**	0.05	-
ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 50000 (31 मार्च, 2016 को शून्य, 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) इक्विटी शेयर	**0.05**	-	-
घटाएं : निवेश मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**0.05**	-	-
	-	-	-
मेदीनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 10,000 (31 मार्च, 2016 को शून्य, 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) इक्विटी शेयर	**0.01**	-	-
	383.15	79.03	109.52
ii) संयुक्त उद्यम कम्पनी			
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 23400000 (31 मार्च, 2016 को 23400000, 1 अप्रैल, 2015 को 23400000) इक्विटी शेयर	**23.40**	23.40	23.40
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 78000000 (31 मार्च, 2016 को 78000000, 1 अप्रैल, 2015 के 78000000) इक्विटी शेयर	**78.00**	78.00	78.00

टिप्पणी 9/निवेश (जारी)

(₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
पार्बती कोलडाम ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 70937620 (31 मार्च, 2016 को 70937620, 1 अप्रैल, 2015 को 70937620) इक्विटी शेयर	**70.94**	70.94	70.94
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 94277820 (31 मार्च, 2016 को 711562, 1 अप्रैल, 2015 को 41011762) इक्विटी शेयर	**94.28**	67.11	41.01
पावरलिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 229320000 (31 मार्च, 2016 को 229320000, 1 अप्रैल, 2015 को 229320000) इक्विटी शेयर	**229.32**	229.32	229.32
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 106964000 (31 मार्च, 2016 को 106964000, 1 अप्रैल, 2015 को 106964000) इक्विटी शेयर	**106.96**	106.96	106.96
इनर्जी इफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के शून्य (31 मार्च, 2016 को 2250000, 1 अप्रैल, 2015 को 22500000) इक्विटी शेयर	**-**	22.50	22.50
(अगली टिप्पणी 5 को देखें)			
नेशनल हाईवे पावर टेस्ट लैबोरेटरी लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 304000000 (31 मार्च, 2016 के 23900000; 1 अप्रैल, 2015 को 23900000) इक्विटी शेयर	**30.40**	23.90	23.90
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 1261244.73 (31 मार्च, 2016 को 10322000, 1 अप्रैल, 2015 को 4940000) इक्विटी शेयर	**12.62**	10.32	4.94
कलिंगा बिदुयत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 5000 (31 मार्च, 2016 को 5000, 1 अप्रैल, 2015 को 5000) इक्विटी शेयर	**0.01**	0.01	0.01
घटाएं : निवेश मूल्य में भी कमी हेतु प्रावधान	**0.01**	-	-
	-	0.01	0.01
बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 148500000 (31 मार्च, 2016 को 40309000, 1 अप्रैल, 2015 को 10025000) इक्विटी शेयर	**148.50**	40.31	10.02
पावर ट्रांसमिशन कम्पनी नेपाल लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 780000 (31 मार्च, 2016 को 780000, 1 अप्रैल, 2015 को 156000) इक्विटी शेयर	**4.88**	4.88	0.98
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 3400000 (31 मार्च, 2016 को 10,000, 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) इक्विटी शेयर	**3.40**	0.10	-
	802.70	677.75	611.98
iii) शेयर आवेदन राशि			
सहायक कम्पनियां			
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (नीचे अगली टिप्पणी 4 को देखें)	**28.00**	-	-
संयुक्त उद्यम कम्पनी			

टिप्पणी 9/निवेश (जारी)

(₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
iv) अन्य			
इम्पलॉयी का.ऑप-सोसाइटी लिमिटेड राउरकेला (₹5000) में ₹10 प्रत्येक के 500 (31 मार्च, 2016 को 500, 1 अप्रैल को शून्य) इक्विटी शेयर,			
भारत ब्रॅडबैंक नेटवर्क लिमिटेड (₹10/-) में ₹10 प्रत्येक के 1 (31 मार्च, 2016 को 1; 1 अप्रैल, 2015 को 1) शेयर			
ख) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर निवेश (ओसीआई)			
इनर्जी इफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 22500000 (31 मार्च, 2016 को शून्य; 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) इक्विटी शेयर	**29.62**	-	-
(अगली टिप्पणी 5 को देखें)			
2) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश			
लागत पर अनुद्धृत निवेश (पूर्णतः प्रदत्त)			
20 अर्धवार्षिक किस्तों में विमोच्य 8.5% राज्य सरकार के बॉण्ड (एक बारगी निपटान योजना के तहत)	**-**	2.50	7.49
जोड़	**1355.55**	836.08	826.07
अगली टिप्पणियां :			
1) क) उद्धृत निवेशों की सकल राशि			
अर्जित मूल्य	**112.08**	76.80	97.08
बाजार मूल्य	**112.08**	76.80	97.08
ख) अनुद्धृत निवेशों की एकल राशि	**1243.47**	759.28	728.99
ग) निवेश मूल्य में सकल हानि राशि	**0.11**	0.05	0.05

2) कम्पनी द्वारा धारित पावरलिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड के 229319997 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016 को 22931999) इक्विटी शेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 229319997 इक्विटी शेयर) पावरलिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के प्रति वित्तीय संकाय संस्थान में प्रतिभूति के रुप में गिरवी है।

3) निवेशों का मूल्यांकन लेखाकरण नीति सं. 2.13, 2.14 एवं 2.15 के अनुसार किया गया है।

4) 10 अप्रैल, 2017 को आबंटित इक्विटी शेयर

5) 25 अप्रैल, 2016 से संयुक्त उद्यम कम्पनी नही है

टिप्पणी : 10/ऋण (शोध्य समझे गए जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹करोड़ में)

प्रतिभूत	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
संबंधित पक्षों को ऋण			
सहायक कम्पनियों को ऋण अप्रतिभूत**	**3486.05**	1159.72	229.70
निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण (केएमपी)			
प्रतिभूत	**0.08**	0.12	0.08
	3486.13	1159.84	229.78
कर्मचारियों को ऋण (उद्धृत ब्याज सहित)			
प्रतिभूत	**114.09**	124.25	122.27
अप्रतिभूत	**18.19**	20.72	18.28
	132.28	144.97	140.55
जोड़	**3618.41**	1304.81	370.33

**संबंधित पक्षों को ऋण के ब्यौरे टिप्पणी 60 पर उपलब्ध हैं

टिप्पणी 11/अन्य गैर-चालू वित्तीय आस्तियां

(शोध्य समझे गए अप्रतिभूत, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015
पट्टा प्राप्य	**635.24**	667.40	576.41
12 माह से अधिक की समय अवधि वाली बैंक जमा राशियां#	**158.23**	213.33	-
संबंधित पक्षों को अग्रिम* (सहायक कम्पनियां एवं आय)			
i) शोध्य समझा गया	**0.08**	0.05	-
ii) अशोध्य समझा गया**	**19.39**	19.39	19.37
	19.47	19.44	19.37
घटाएं : अशोध्य अग्रिमों हेतु प्रावधान**	**19.39**	19.39	19.37
	0.08	0.05	-
जोड़	**793.55**	880.78	576.41

अगली टिप्पणियां :

बैंक में जमा राशि परामर्शी कार्य हेतु नामोदिष्ट खाते के संबंध में है।

* संबंधित पक्षों को अग्रिम के ब्यौरे टिप्पणी 60 में उपलब्ध हैं।

** सीईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 06.04.2015 में याचिका नं. 127/2012, 128/टीएल/2012 एवं 156/एमपी/2012 के संबंध में आदेश दिया है कि वेमागिरी ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (वीएसटीएल) हेतु पीजीसीआईएल द्वारा उपगत अधिग्रहण मूल्य के 80 प्रतिशत को दीर्घअवधि ट्रांसमिशन करार (एनटीए) के लाभार्थियों द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी और शेष 20% को तथा अधिग्रहण की तारीख से कम्पनी के समापन तक वीएसटीएन द्वारा उपगत व्यय को कम्पनी द्वारा प्रतिशत की जाएगा। कम्पनी ने दिनांक 06.04.2015 के आदेश में आशोधन का अनुरोध करते हुए पुनरीक्षा याचिका दायर की है।

टिप्पणी 12/अन्य गैर-चालू आस्तियां

(शोध्य समझे गए अप्रतिभूत, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
पूंजी व्यय हेतु अग्रिम			
i) प्रतिभूत	**-**	-	0.26
ii) अप्रतिभूत			
क. बैंक गारण्टियों के संबंध में	**2919.03**	2822.15	2765.46
ख. अन्य	**138.89**	198.04	583.24
iii) संदिग्ध समझे गए अप्रतिभूत	**2.95**	2.95	3.00
	3060.87	3023.14	3351.70
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	**2.95**	2.95	3.00
	3057.92	3020.19	3348.96
प्रतिभूति जमा	**5.13**	4.89	9.58
संबंधित पक्ष	**33.19**	23.16	18.48
आस्थगित कर्मचारी लागत	**56.30**	51.45	49.71
आस्थगित विदेशी मुद्रा घट-बढ़ आस्ति	**2974.91**	3827.77	2803.82
वस्तु रु प में वसूलनीय अग्रिम अथवा मूल्य में प्राप्त किया जाना			
ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्त्ता	**120.71**	0.33	1.05
कर्मचारी	**0.74**	0.55	-
सीमाशुल्क पत्तन न्यास एवं अन्य प्राधिकरणों में शेष	**76.18**	20.82	-

टिप्पणी 12 - अन्य गैर-चालू आस्तियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
अन्य *	**22.44**	11.02	3.21
	220.07	32.72	4.26
संदग्धि समझा गया	**3.09**	3.59	3.59
	223.16	36.31	7.85
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	**3.09**	3.59	3.59
	220.07	32.72	4.26
जोड़	**6347.52**	6960.18	6234.81

*अन्य में राज्य सरकारों से वसूलनीय राशि, बीमा दावे, पूर्वप्रदत्त व्यय आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 13/मानसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
(मूल्यांकन विधि के लिए टिप्पणी 2.10 को देखें)			
संघटक, पुर्जे एवं अन्य अतिरिक्त पुर्जे	**902.26**	713.04	631.61
खुले औजार	**12.23**	8.56	9.09
खपत योग्य सामान	**9.71**	5.99	5.06
घटाएं : कमी/क्षतियों आदि हेतु प्रावधान	**924.20**	727.59	645.76
	17.25	20.16	20.16
जोड़	**906.95**	707.43	625.60
मालसूची में मार्गस्थ माल शामिल है			
संघटक, पुर्जे एवं अन्य अतिरिक्त पुर्जे	**19.93**	1.96	0.02

टिप्पणी 14/निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
सरकारी प्रतिभूतियां (लागत पर अनुद्धृत)			
लागत पर निवेश (पूर्ण रु प से प्रदत्त)			
20 अर्ध वार्षिक किस्तों में विमोच्य 8.5 प्रतिशत पूर्णरुप से प्रदत्त राज्य सरकार के बाण्ड (एक बारगी निपटान योजना के तहत)	**2.50**	5.00	185.43
जोड़	**2.50**	5.00	185.43
अगली टिप्पणियां :			
क) अनुद्धृत निवेशों की सकल राशि			
अर्जित मूल्य	**2.50**	5.00	185.43

टिप्पणी 15/व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
i) व्यापार प्राप्य			
शोधन समझे गए अप्रतिभूत	**3110.10**	2730.82	2108.1
अशोध्य समझे गए	**32.41**	29.62	27.33
	3142.51	2760.44	2135.43
ii) संबंधित पक्षों से प्राप्तियोग्य*			
शोधन समझे गए अप्रतिभूत	**111.00**	7.15	10.55
	3253.51	2767.59	2145.98
घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान	**32.41**	29.62	27.33
जोड़	**3221.10**	2737.97	2118.65

*संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्यों के ब्यौरे टिप्पणी 60 में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी 16/नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
बैंकों में शेष			
-चालू खातों में	**612.16**	288.70	476.45
- नामोदिष्ट चालू खाते में (परामर्शी एवं अन्य हेतु)	**752.88**	620.17	151.36
मियादी जमाओं में (3 माह से कम की परिपक्वता वाले)*	**1826.86**	631.75	1424.62
हस्तगत ड्राफ्ट/चैक/मार्गस्थ प्रेषित राशियां	**36.51**	-	-
हस्तगत नकदी	**-**	0.01	0.01
अन्य (स्टाम्प एवं पेशगी)	**0.02**	0.01	0.15
जोड	**3228.43**	1540.64	2052.59

*मियादी जमा में परामर्शी सेवा एवं अन्यों के लिए ₹1326.86 करोड़ शामिल है (21 मार्च, 2016 को ₹631.75 करोड़ और 1 अप्रैल, 2015 को ₹1424.62 करोड़)

विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के ब्यौरे (एसबीएन)

(₹ राशि में)

विवरण	विनिर्दिष्ट बैंक नोट	अन्य मूल्य अंक के नोट	जोड़
08.11.2016 को हस्तगत अन्तिम नकदी	37,92,500	3,44,100	41,36,600
(+) अनुमत प्राप्तियां	-	10,000	10,000
(-) अनुमत भुगतान	-	2,12,820	2,12,820
(-) बैंक में जमा राशि	37,92,500	1,41,280	39,33,780
30.12.2016 को हस्तगत अंतिम नकदी	-	-	-

टिप्पणी 17/बैंक में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य से भिन्न)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
बैंक में उद्दिष्ट शेष*	**11.18**	10.29	10.39
मियादी जमा में, जिनमें 3 माह से अधिक परन्तु 12 माह तक की परिपक्वता हो (परामर्शी एवं अन्य सेवाओं के लिए)	**100.98**	689.47	-
जोड़	**112.16**	699.76	10.39

अगली टिप्पणियां :

*बैंक में निर्दिष्ट शेष में अप्रदत्त लाभांश एवं एफपीओ प्राप्तियों की वापसी शामिल है।

टिप्पणी 18/ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
संबंधित पक्षों को ऋण			
निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को ऋण (केएमपी)			
प्रतिभूत	**0.06**	0.06	0.08
अप्रतिभूत शोध्य समझा गया	**0.01**	-	-
	0.07	0.06	0.08
कर्मचारियों को ऋण (उद्भूत ब्याज सहित)			
प्रतिभूत	**22.28**	18.00	14.98
अप्रतिभूत शोध्य समझा गया	**12.79**	12.66	10.39
	35.07	30.66	25.37
अन्य	**-**	-	0.04
जोड़	**35.14**	30.72	25.49

टिप्पणी 19/अन्य चालू वित्तीय आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
पट्टे से प्राप्त योग्य राशियां	**70.94**	82.72	73.68
दीर्घ अवधि अग्रिमों की चालू परिपक्वताएं (प्रतिभूतिकरण योजना के तहत)	**-**	7.71	23.14
बिना बिल के राजस्व*	**2515.82**	3023.89	2232.33
ब्याज उद्भूत, परन्तु देय नहीं			
निवेशों पर उद्भूत ब्याज (बाण्ड)	**0.46**	4.36	12.09
मियादी /सावधि जमाओं पर उद्भूत ब्याज	**0.40**	0.22	0.86
अन्यों पर उद्भूत ब्याज	**1.13**	2.38	-
सहायक कम्पनियों को ऋण पर उद्भूत ब्याज	**104.84**	25.45	-
	106.83	32.41	12.95
संबंधित पक्ष	**2.46**	5.86	24.79
अन्य (अप्रतिभूत)**			
शोध्य समझा गया	**638.38**	209.31	174.15
संदिग्ध समझा गया	**0.86**		
जोड़	**639.24**	209.31	174.15
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	**0.86**	-	-
	638.38	209.31	174.15
जोड़	**3334.43**	3361.90	2541.04

अगली टिप्पणयां :

* बिना बिल वाले राजस्व में वित्तीय वर्ष में मार्च माह में ₹1968.66 करोड़ राशि के ट्रांसमिशन शुल्क शामिल हैं (31 मार्च, 2016 को ₹1578.65 करोड़ और 1 अप्रैल, 2015 को ₹1285.03 करोड़) जिन्हें परवर्ती वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में लाभार्थियों के बिल में लाया गया।

** अन्य में ग्राहकों से वसूलनीय राशि, आवासीय एवं कार्यालय स्थान हेतु अग्रिम किराया, अन्य अग्रिम आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 20/अन्य चालू वित्तीय आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
वस्तु में वसूली योग्य अग्रिमों अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए			
ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्त्ता	**127.79**	158.84	27.78
कर्मचारी	**6.04**	7.95	10.21
सीमाशुल्क पत्तन न्यासों एवं अन्य प्राधिकरणों के पास शेष	**49.81**	88.17	31.98
वसूली योग्य दावे	**1.12**	5.80	3.85
संबंधित पक्षों को अग्रिम	**184.76**	260.76	73.82
सहायक कम्पनियां	**4.06**	137.44	127.10
अन्य *			
शोध्य समझे गए	**35.18**	139.99	77.80
संदिग्ध समझे गए	**0.03**	0.03	-
	35.21	140.02	77.80
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**0.03**	0.03	-
	35.18	139.99	77.80
जोड	**224.00**	538.19	278.72

*अन्य में सीएसआर कार्यकलापों हेतु दिए गए अग्रिम एवं पूर्वप्रदत्त व्यय शामिल हैं।

टिप्पणी 21/बिक्री हेतु धारित वर्गीकृत आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
इक्विटी लिखतों में निवेश (पूर्ण रु प से प्रदत्त)			
सहायक कम्पनी			
पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लि.			
₹10 प्रत्येक के शून्य (31 मार्च, 2016 को 30640000; 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) शेयर	**-**	30.64	-
जोड़	**-**	30.64	-

टिप्पणियां :

विद्युत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 18/02/2015 पीजी, दिनांक 25 मार्च, 2015 और 29 दिसम्बर, 2015 के अनुपालन में निदेशक-मण्डल ने 9 मार्च, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में (₹ करोड़ में)10 प्रत्येक के 30,40,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री एवं हस्तान्तरण (100 प्रतिशत शेयर धारण) स्वीकृत किया था जो कम्पनी द्वारा भारत सरकार के पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) में धारित है। तदनुसार, उपरोक्त इक्विटी शेयरों में निवेशों को भारतीय लेखाकरण मानक-105 ''बिक्री एवं बंद प्रचालनों हेतु धारित गैर-चालू आस्तियों'' के अनुसार 31 मार्च, 2016 को ''बिक्री हेतु धारित आस्तियों'' के रुप में दर्शाया गया था।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 23.09.2016 के अपने आदेश द्वारा 31 मार्च, 2013 को पोसोको के अर्जित मूल्य के आधार पर उपरोक्त इक्विटी शेयरों के हस्तान्तरण हेतु प्रतिफल के संबंध में (₹ करोड़ में)81.21 करोड़ पावर ग्रिड को जारी करने की मंजूरी दी। कम्पनी ने 30 सितम्बर, 2016 को अर्जित मूल्य के आधार पर पोसोको में शेयरों के हस्तान्तरण हेतु प्रतिफल के संबंध में (₹ करोड़ में)113.88 करोड़ के भुगतान हेतु भारत सरकार के साथ बातचीत शुरूकी है।

उपरोक्त शेयरों को ₹81.21 करोड़ प्राप्त होने के बाद 02 जनवरी, 2017 को भारत सरकार को हस्तान्तरित किया गया था तदनुसार ₹50.57 करोड़ की राशि को निवेशों की बिक्री पर लाभ रुप में मान्य किया गया था। ₹32.67 करोड़ की शेष राशि के भुगतान हेतु विद्युत मंत्रालय के साथ मामले पर विचार किया जा रहा है। (अर्थात ₹113.88 करोड़ - ₹81.21 करोड़)।

टिप्पणी 22/विनियामक आस्थागन लेखा शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
आस्तियां			
विदेशी मुद्रा घट बढ़ हेतु	**4.42**	37.67	37.72
कर्मचारी लाभ व्यय हेतु	**103.18**	-	-
जोड़	**107.60**	37.67	37.72

टिप्पणी 55 को देखें

टिप्पणी 23/इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
इक्विटी शेयर पूंजी			
अधिकृत			
₹10 प्रत्येक के सम मूल्य पर 10000000000 (31 मार्च, 2016 को 10000000000; 1 अप्रैल, 2015 को 10000000000) इक्विटी शेयर	**10000.00**	10000.00	10000.00
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त			
₹10 प्रत्येक सम मूल्य पर पूर्ण रुप से प्रदत्त 5231589648 (31 मार्च, 2016 को 5231589648; 1 अप्रैल, 2015 को 5231589648) इक्विटी शेयर	**5231.59**	5231.59	5231.59

अगली टिप्पणी :

1) सूचना अवधि के शुरूमें और अन्त में बकाया शेयर पूंजी की संख्या एवं राशि का मिलान।

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं.	राशि (₹करोड़ में)	शेयरों की सं.	राशि (₹करोड़ में)
वर्ष के शुरूमें बकाया शेयर	**5231589648**	**5231.59**	5231589648	5231.59
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**5231589648**	**5231.59**	5231589648	5231.59

2) कम्पनी के पास केवल एक प्रकार का इक्विटी शेयर है, जिनका ₹10/- प्रतिशेयर अंकित मूल्य है।

3) इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर यथा-घोषित लाभांशों को प्राप्त करने के लिए हकदार हैं और शेयरधारकों को बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात में मत देने का अधिकार है।

4) शेयरधारक, जिसके पास 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर हैं।

विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अपैल, 2015 को	
	शेयरों की सं.	धारित %	शेयरों की सं.	धारित %	शेयरों की सं.	धारित %
i) भारत सरकार	**3028835198**	**57.90**	3028835198	57.90	3028835198	57.90
ii) यूरोपैसीफिक ग्रोथ फण्ड	**-**	**-**	-	-	296023422	5.66

टिप्पणी 24/अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष			
प्रतिभूति प्रीमियम प्रारक्षित निधि	**9578.29**	9578.29	9578.29
बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि	**8095.09**	6892.42	5870.47
स्व-बीमा प्रारक्षित निधि	**676.64**	484.32	387.18
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लक्ष्यपूर्ति प्रारक्षित निधि	**123.38**	135.53	129.52
सामान्य प्रारक्षित निधि	**23243.64**	21226.72	17721.13
प्रतिधारित आय	**2754.86**	197.56	196.42
अन्य प्रारक्षित निधियां			
अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि	**103.76**	64.80	85.08
जोड़	**44575.66**	38579.64	33968.09

24.1 प्रतिभूति प्रीमियम प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरूमें शेष	**9578.29**	9578.29
वर्ष के अंत में शेष	**9578.29**	9578.29

24.2 बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरूमें शेष	**6892.42**	5870.47
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**2004.95**	1719.88
वर्ष के दौरान कटौती	**802.28**	697.93
वर्ष के अंत में शेष	**8095.09**	6892.42

बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि का सृजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार ऋण पत्रों के शोधन के प्रयोजनार्थ किया जाता है।

24.3 स्व-बीमा प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरूमें शेष	**484.32**	387.18
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**193.17**	102.43
वर्ष के दौरान कटौती	**0.85**	5.29
वर्ष के अंत में शेष	**676.64**	484.32

स्व-बीमा प्रारक्षित निधि का सृजन 0.12 प्रतिशत दर पर प्रतिवर्ष (पूर्ववर्ती वर्ष में 0.10 प्रतिशत प्रतिवर्ष) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मूल ब्याज पर किया जाता है जो आगामी क्षतियों को पूरा करने के लिए वर्ष के अंत में बीमा के अन्तर्गत नहीं आते हैं, जो अबीमाकृत जोखिमों से उत्पन्न हो सकते हैं।

24.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लक्ष्यपूर्ति प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरूमें शेष	135.53	129.52
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	6.01
वर्ष के दौरान कटौती	12.15	-
वर्ष के अंत में शेष	123.38	135.53

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रारक्षित निधि का सृजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित राशि की तुलना में किसी वर्ष में वास्तविक व्यय में कमी को देखते हुए किया जाता है।

24.5 सामान्य प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरूमें शेष	21226.72	17721.13
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2000.00	3500.00
वर्ष के दौरान कटौती	-	
जोड़े/(घटाएं) : समायोजन	16.92	5.59
वर्ष के अंत में शेष	23243.64	21226.72

सामान्य प्रारक्षित निधि कम्पनी की प्रतिधारित आय है जिसमें कम्पनी के लाभों से अलग रखा जाता है। यह एक स्वतंत्र प्रारक्षित निधि है, जिसे किसी अज्ञात आगामी आकस्मिकताओं को पूरा करने वाले तथा शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24.6 प्रतिधारित आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरूमें शेष	197.56	196.42
जोड़े : परिवर्धन		
अवधि हेतु निवल लाभ	7520.15	5948.50
अधिशेष में सीधे स्वीकृत आय व्यापक आय की मदें		
- नियोजन बाद लाभ बाध्यताओं का पुनर्मूल्यांकन	10.87	8.31
बाण्ड शोधन प्रारक्षित सीधे से हस्तान्तरण	802.28	697.93
घटाएं : विनियोजन		
सामान्य प्रारक्षित निधि	2000.00	3500.00
बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि	2004.95	1719.88
सीएसआर लक्ष्यपूर्ति प्रारक्षित निधि	-	6.01
स्व-बीमा प्रारक्षित निधि	193.17	102.43
प्रदत्त अन्तरिम लाभांश	523.15	418.53
अंतरिम लाभांश पर कर	105.40	85.01
अंतिम लाभांश (टिप्पणी 64 (ख) को देखें)	789.97	685.34
अंतिम लाभांश पर कर	159.36	136.40
वर्ष के अंत में शेष	2754.86	197.56

24.7 अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरूमें शेष	64.80	85.08
वर्ष के दौरान परिवर्धन	38.96	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	20.28
वर्ष के अंत में शेष	103.76	64.80

टिप्पणी 25/उधारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
क) बाण्ड			
क1) घरेलू			
प्रतिभूत कराधेय, विमोच्य गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय			
क1.1 i) ₹10 लाख प्रत्येक के बाण्ड			
LV निर्गम-21.09.2031 को सम मूल्य पर विमोच्य 7.55%	**1238.62**	-	-
XXXIX निर्गम-29.03.2027 को सम मूल्य पर विमोच्य 9.40%	**1799.36**	1799.44	1799.08
LVIII निर्गम-09.03.2027 को सममूल्य पर विमोच्य 7.89%	**2058.95**	-	-
XXXVIII निर्गम-09.03.2027 को सममूल्य पर विमोच्य 9.25%	**854.48**	854.52	854.36
LVI निर्गम-18.10.2026 को सममूल्य पर विमोच्य 7.36%	**1063.83**	-	-
XLII निर्गम-13.03.2023 को सममूल्य पर विमोच्य 8.80%	**1989.07**	1989.14	1988.77
LVII निर्गम-21.12.2021 को सममूल्य पर विमोच्य 7.20%	**2118.27**	-	-
ii) ₹30 लाख प्रत्येक के बाण्ड, जिसमें 3 (तीन) समान वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर ₹10 लाख प्रत्येक विमोच्य के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं।			
LIV निर्गम-15.07.2021, 15.07.2026 और 15.07.2031 को विमोच्य 7.97%	**2997.11**	-	-
LII निर्गम-23.12.2020, 23.12.2025 और 23.12.2030 को विमोच्य 588.32%	**1396.75**	1396.58	-
XLIX निर्गम-9.03.2020, 09.03.2024 और 09.03.2030 को विमोच्य 8.15%	**1304.38**	1304.44	1304.24
XLVI निर्गम-04.09.2019, 04.09.2020 और 04.09.2029 को विमोच्य 9.30%	**4357.74**	4356.38	4356.05
XLIV निर्गम-15.07.2018, 15.07.2023 और 15.07.2028 को विमोच्य 8.70%	**3962.03**	3961.93	3961.47
iii) ₹1.20 करोड़ प्रत्येक के बाण्ड, जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में ₹10 लाख प्रत्येक के विमोच्य 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं।			
LIII निर्गम-25.04.2020 से विमोच्य 8.13%	**3993.89**	-	-
LI निर्गम-1.09.2019 से विमोच्य 8.40%	**2996.74**	2996.56	-
L निर्गम-27.05.2019 से विमोच्य 8.40%	**2926.13**	2926.18	-
XLVII निर्गम-20.10.2018 से समोच्य 8.93%	**2636.90**	2636.67	2636.55
XLV निर्गम-28.02.2018 से विमोच्य 9.65%	**1831.36**	1998.04	1997.61
XLIII निर्गम-20.05.2017 से विमोच्य 7.93%	**2863.58**	3124.11	3123.67
XLI निर्गम-19.10.2016 से विमोच्य 885%	**2365.63**	2601.96	2838.68
XL निर्गम-28.06.2016 से विमोच्य 9.30%	**3327.43**	3660.13	3992.71
XXXVII निर्गम-26.12.2015 से विमोच्य 9.25%	**1494.70**	1660.54	1826.66
iv) ₹40 लाख प्रत्येक का बॉण्ड, जिसमें 4 (चार) समान किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य ₹10 लाख प्रत्येक के 4 एसटीआरपीपी शामिल है।			
XLVIII निर्गम-23.01.2020, 23.10.2022, 23.01.2025 और 23.01.2030 को विमोच्य 8.20%	**2578.29**	2579.09	2577.90

टिप्पणी 25/उधारियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
v) ₹1.50 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड, जिसमें 15 (पन्द्रह) समान वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य ₹10.00 लाख प्रत्येक के 15 एसटीआरपीपी शामिल हैं।			
XXXVIनिर्गम-29.08.2016 से विमोच्य 9.35%	**2674.67**	2880.26	3086.03
vi) ₹1.5 करोड़ प्रत्येक के बाण्ड जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य ₹12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं।			
XXXV निर्गम-31.5.2015 से विमोच्य 9.64%	**1466.80**	1629.80	1792.53
XXXIV निर्गम-21.10.2014 से विमोच्य 8.84%	**2322.11**	2612.16	2902.34
XXXIII निर्गम-08.07.2014 से विमोच्य 8.64%	**1918.04**	2157.77	2397.28
XXXII निर्गम-29.03.2014 से विमोच्य 8.84%	**603.56**	689.83	775.89
XXXI निर्गम-25.02.2014 से विमोच्य 8.90%	**1193.66**	1363.92	1534.52
XXX निर्गम-29.09.2013 से विमोच्य 8.80%	**1358.84**	1552.85	1746.90
XXIX निर्गम-12.03.2013 से विमोच्य 9.20%	**648.39**	756.51	864.40
XXVIII निर्गम-15.12.2012 से विमोच्य 9.33%	**1198.48**	1398.03	1597.79
XXVII निर्गम-31.03.2012 से विमोच्य 9.47%	**293.65**	352.40	411.04
XXVI निर्गम-07.03.2012 से विमोच्य 9.30%	**415.99**	499.22	582.30
XXV निर्गम-12.06.2011 से विमोच्य 10.10%	**443.23**	531.89	620.46
XXIV निर्गम-26.03.2011 से विमोच्य 9.95%	**266.41**	333.04	399.56
XXIII निर्गम-09.02.2011 से विमोच्य 9.25%	**102.41**	127.99	153.61
XXII निर्गम-07.12.2010 से विमोच्य 8.68%	**229.73**	287.13	344.57
XXI निर्गम-11.10.2010 से विमोच्य 8.73%	**169.77**	212.20	254.64
XX निर्गम-07.07.2010 से विमोच्य 8.93%	**499.29**	624.10	748.91
XIX निर्गम-24.07.2010 से विमोच्य 9.25%	**164.77**	205.97	247.14
XVIII निर्गम-09.03.2010 से विमोच्य 8.15%	**249.63**	332.86	416.00
XV निर्गम-23.02.2008 से विमोच्य 6.68%	**74.95**	149.90	224.88
vii) ₹1.00 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड, जिसमें 10 (दस) समान वार्षिक किस्तों में सम मूल्य पर विमोच्य ₹10.00 लाख प्रत्येक 10 एसटीआरपीपी शामिल है।			
XVII निर्गम-22.9.2009 से विमोच्य 7.39%	**99.84**	199.73	299.63
XVI निर्गम-18.02.2009 से विमोच्य 7.10%	**-**	74.92	149.89
क1.2 ₹1.5 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड, जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में सम मूल्य पर विमोच्य ₹12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं।			
XIII निर्गम-31.07.2006 से विमोच्य 8.63%	**-**	67.36	134.77
क1.3 ₹1.5 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड, जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में सम मूल्य पर विमोच्य ₹12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं।			
XII निर्गम-28.03.2006 से विमोच्य 9.70%	**-**	-	15.36
क1.4 ₹3 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में सम मूल्य पर विमोच्य ₹25 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं।			
XI निर्गम-07.12.2005 से विमोच्य 9.80%	**-**	-	45.13
	68549.46	58885.55	55003.32

टिप्पणी-25/उधारियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
क2) अप्रतिभूत (विदेशी मुद्रा)			
क2.1 विमोच्य विदेशी मुद्रा नोट्स			
17.01.2023 को सम मूल्य पर विमोच्य 3.875% विदेशी मुदा नोट	**3262.79**	3345.53	3153.42
जोड़ (क)	**71812.25**	62231.08	58156.74
ख) मियादी ऋण			
ख1) बैंकों से			
ख1.1 प्रतिभूत			
i) विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रत्याभूत)	**20213.43**	20455.20	19296.01
ii) अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	**2672.65**	2748.04	2595.85
iii) रुपए में ऋण	**12752.00**	12031.00	7600.00
	35638.08	35234.24	29491.86
ख1.2 अप्रतिभूत			
i) विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रत्याभूत)	**1445.26**	587.16	184.91
ii) अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	**1917.58**	2120.83	1478.06
iii) रुपए में ऋण	**150.00**	-	-
	3512.84	2707.99	1662.97
ख2) अन्य वित्तीय संस्थान से			
ख2.1 प्रतिभूत			
i) रुपए में ऋण	**-**	-	0.22
जोड़ (ख	**39150.92**	37942.23	31155.05
जोड़ (क से ख)	**110963.17**	100173.31	89311.79

अगली टिप्पणियां :

चुकौती एवं ब्याज दर की शर्तों के ब्यौरे

1 प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) : जिनमें 6 एम एलआईबीओआर से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। इन ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है।

2 प्रतिभूत अन्य विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें 6 एम एलआईबीओआर/ईयूआरआईबीओआर/एसटीआईबीओआर से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। इन ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है।

3 बैंकों से प्रतिभूत रुपए में ऋण जिसमें 1 वर्ष एमसीएलआर एवं 6 एम एमसीएलआर से जुड़ी अस्थायी दर शामिल है। इन ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है।

4 अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत), जिसमें 1.63% प्रतिवर्ष में 2.30% प्रतिवर्ष की सीमा में स्थायी ब्याज दर हो। इन ऋणों को संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्धवार्षिक वित्त में चुकाया जाता हैं।

5 अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें 6एम एसटीआईबीओआर/ईयूआरबीओआर से जुड़ी अस्थायी ब्याज दर शामिल हैं। ये ऋण 4 से 5 वर्ष की विलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक वित्त में चुकाए जाते हैं।

6 बैंक से अप्रतिभूत रुपए में ऋण, जिसमें 6 माह एमसीएलआर से जुड़ी अस्थायी ब्याज दर शामिल है। ये ऋण 5.5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्त में चुकाए जाते हैं।

प्रतिभूतियों के ब्यौरे

1 क 1.1 में उल्लिखित स्वदेशी बाण्ड जिला वलसाड़ गुजरात में मौजे अम्भेटी तालुका कापराडा में स्थित अचल सम्पत्ति पर समरुप रैंकिंग में पंजीकृत बाण्ड ट्रस्ट डीड द्वारा प्रतिभूत है और कम्पनी की आस्तियों पर प्रचालित प्रभार पर प्रतिभूत हैं।

2 क 1.2 में उल्लिखित स्वदेशी बॉण्ड जिला वलसाड़, गुजरात में मौजे अम्भेटी तालुका कापराडा में स्थित अचल सम्पत्ति पर समरुप रैकिंग में पंजीकृत बॉण्ड ट्रस्ट डीड द्वारा प्रतिभूत होता है और किशेनपुर मोगा एवं दुलहस्ती कंटीजेंसी ट्रांसमिशन सिस्टम की आस्तियों पर बंधक और दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत है।

टिप्पणी 25/उधारियां (जारी)

3 क 1.3 में उल्लिखित स्वदेशी बॉण्ड, कायमकुलम एवं रामागुन्डम, हैदराबाद ट्रांसमिशन सिस्टम की आस्तियों पर जिला वलसाड़ गुजरात में मौजे अम्भेटी तालुका कापराडा में स्थित अचल सम्पत्ति पर समरुप रैंकिंग में पंजीकृत बॉण्ड ट्रस्ट डीड और कायमकुलम एवं रामागुन्डम हैदराबाद ट्रांसमिशन सिस्टम की आस्तियों पर बंधक और दृष्टिबंधक के रुप में प्रतिभूत है।

4 क 1.4 में उल्लिखित स्वदेशी बाण्ड, जिला वलसाड़, गुजरात में मौजे अम्भेटी तालुका कापाराडा में स्थित अचल सम्पत्ति पर समरुप रैंकिंग में पंजीकृत बाण्ड ट्रस्ट डीड अन्तरा, औरिया, मोगा-भिवाडी, चमेरा-किशेनपुर, सासार-इलाहाबाद, सिंगरौली-कानपुर, के एलआईएलओ तथा इलाहाबाद सब स्टेशन की आस्तियों पर बंधक एवं दृष्टि बंधक के रुप में प्रतिभूत हैं।

5 ख 1.1 (i) में प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) ऋणों हेतु प्रतिभूति के रुप में आस्तियों पर सृजित धारणाधिकार में समरुप ब्याज द्वारा प्रतिभूत हैं।

6 बी 1.1 (ii एवं iii) में विदेशी मुद्रा ऋण एवं रुपए ऋण से भिन्न प्रतिभूत कम्पनी की आस्तियों पर समरुप प्रभार के रुप में प्रतिभूत हैं, सिवाय निवेशों भूमि एवं भवन, सड़क एवं पुलों, जल आपूर्ति, जल निकासी एवं मल निकासी तथा चालू आस्तियों के। एनआईबी से ऋण कम्पनी के आस्तियों पर समरुप प्रभार के रुप में प्रतिभूत हैं, सिवाय निवेश एवं चालू आस्तियों के। भारत के बैंक से ऋण कम्पनी की अचल सम्पत्तियों पर अस्थायी प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

7 बी 2.1 में अन्य वित्तीय संस्थान से प्रतिभूत रुपए में ऋण कम्पनी की अचल आस्तियों पर अस्थायी प्रभार के तहत प्रतिभूत हैं।

टिप्पणी 26/अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	**189.67**	486.59	631.43
पूंजीगत व्यय हेतु देयताएं	**162.57**	384.31	22.88
जोड़	**352.24**	870.90	654.31

अगली टिप्पणियां :

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी नं. 52 में दिया गया है।

टिप्पणी 27/प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
कर्मचारी लाभ			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**650.45**	580.23	580.23
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	**139.11**	70.22	-
अन्त शेष	**789.56**	650.45	580.23

कर्मचारी लाभ

छुट्टी नकदीकरण, निपटान भत्ते, और दीर्घ सेवा प्रतिफल एवं अन्य लाभों के प्रयोजनार्थ प्रावधान सृजित किया गया है। कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान से संबंधित विस्तृत प्रकटन, टिप्पणी 68 में दिए गए हैं।

टिप्पणी 28/आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
क. आस्थगित कर देयता			
सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास अन्तर	**11214.62**	8556.83	6779.74
वित्त पट्टा आस्तियां	**90.83**	106.27	78.86
अन्य	**66.30**	59.51	61.88
सब जोड़ (क)	**11371.75**	8722.61	6920.48
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां			
निर्माण अवधि के दौरान आय	**18.69**	92.35	110.25
स्व-बीमा प्रारक्षित निधि	**11.26**	11.67	13.49
भुगतान आधार पर स्वीकार्य प्रावधान	**236.77**	135.59	113.07
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**562.31**	621.41	670.90
अन्य	**123.98**	123.08	102.90
उप-जोड़ (ख)	**953.01**	984.10	1010.61
आस्थगित कर देयता (निवल) (क-ख)	**10418.74**	7738.51	5909.87
घटा : आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित संपत्तियां	**7868.20**	5249.13	3437.71
निवल आस्थगित कर देयता	**2550.54**	2489.38	2472.16

आस्थगित कर देयता में घट-बढ़

(₹ करोड़ में)

विवरण	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं निवेश सम्पत्ति	वित्त पट्टा आस्ति	अन्य	जोड़
1 अप्रैल, 2015 को	6779.74	78.86	61.88	6920.48
(प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)				
-लाभ अथवा हानि में	1777.09	27.41	(2.37)	1802.13
31 मार्च, 2016 को	8556.83	106.27	59.51	8722.61
(प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)				
-लाभ अथवा हानि में	2657.79	(15.44)	6.79	2649.14
31 मार्च, 2017 को	11214.62	90.83	66.30	11371.75

क) ₹61.16 करोड़ का प्रभार (पूर्ववर्ती वर्ष ₹17.22 करोड़) लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

ख) सीईआरसी द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2014-19 के टैरिफ मानक ट्रांसमिशन आय पर वर्ष के दौरान अदा किए गए वास्तविक कर के आधार पर वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर दर के आधार पर इक्विटी पर प्रतिफल को संचालित करने की व्यवस्था देता है तदनुसार, ट्रांसमिशन आय पर 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान उपलब्ध आस्थगित कर को "आस्थगित कर के संबंध में आस्थगित कर सम्पत्ति" के रुप में हिसाब में लिया जाता है। वर्ष हेतु आस्थगित देयता के संबंध में आस्थगित करार-संपत्तियों को उन भावी वर्षों (कर छूट अवधि सहित) में लौटाया जाएगा जब संबंधित आस्थगित कर देयता चालू कर भाग को निरूपित करती हो। यह आईसीएआई द्वारा जारी कर नियंत्रित क्रियाकलापों संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार है।

आस्थगित कर आस्तियों में घट-बढ़

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्माण के दौरान आय	स्व-बीमा प्रारक्षित निधि	प्रावधान एवं 43ख व्यय	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	अन्य	जोड़
1 अप्रैल, 2015 को	110.25	13.49	113.07	670.90	102.90	1010.61
प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)						
-लाभ अथवा हानि में	(17.90)	(1.82)	22.52	(49.49)	20.18	(26.51)
31 मार्च, 2016 को	92.35	11.67	135.59	621.41	123.08	984.10
प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)						
-लाभ अथवा हानि में	(73.66)	(0.41)	101.18	(59.10)	0.90	(31.09)
31 मार्च, 2017 को	**18.69**	**11.26**	**236.77**	**562.31**	**123.98**	**953.01**

टिप्पणी 28/आस्थगित कर देयताएं (निवल) (जारी)
लाभ एवं हानि विवरण में ली गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता में वृद्धि	**2649.14**	1802.13
आस्थगित कर देयता में कमी	**31.09**	26.51
जोड़	**2680.23**	1828.64
घटाएं : आस्थगित कर देयता हेतु आस्थगित आस्तियां	**2619.07**	1811.42
लाभ एवं हानि विवरण में ली गई निवल राशि	**61.16**	17.22

टिप्पणी 29/अन्य गैर-देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
ग्राहकों से अग्रिम (परामर्शी/दूरसंचार संविदा)	**448.16**	431.20	401.03
अन्य*	**127.04**	0.38	0.02
जोड़	**575.20**	431.58	401.05

*अन्य में वसूली पर ग्राहकों को देय राशि शामिल है।

टिप्पणी 30/उधारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
अल्प अवधि - अप्रतिभूत			
बैंकों से	**-**	2,000.00	1,200.00
अन्यों से			
वाणिज्यिक पेपर	**1500.00**	-	-
जोड़	**1500.00**	2000.00	1200.00

टिप्पणी 31/व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
सामान एवं सेवा हेतु	**413.98**	313.89	392.97
जोड़	**413.98**	313.89	392.97

अगली टिप्पणी :

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी नं. 52 में दिया गया है।

टिप्पणी 32/अन्य चालू वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
दीर्घ अवधि उधारियों की चालू परिपक्वताएं			
प्रतिभूत			
बॉण्ड	**3812.37**	3445.94	2791.60
रूपया मियादी ऋण	**454.00**	454.23	101.68
विदेशी मुद्रा ऋण	**1715.36**	1906.71	1489.18
	5981.73	5806.88	4382.46
अप्रतिभूत			
विदेशी मुद्रा ऋण	**253.01**	274.72	86.10
	6234.74	6081.60	4468.56
ब्याज प्रोद्भूत परन्तु निम्न से उधारियों पर देय नहीं			
भारतीय बैंक एवं वित्तीय संस्थान	**-**	-	5.78
विदेशी बैंकों एवं वित्तीय संस्थान	**100.99**	69.18	39.30
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोच्य बाण्ड	**3069.84**	2600.02	2315.99
	3170.83	2669.20	2361.07
अन्य			
पूंजीगत व्यय हेतु देय राशियां	**3546.60**	4173.00	4647.28
कर्मचारी से संबंधित देयताएं	**135.88**	84.97	116.10
अदावेकित लाभांश एवं एफपीओ*	**11.18**	9.31	10.39
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा राशियां/प्रतिधारण राशि	**5449.79**	4483.42	4773.19
संबंधित पक्ष	**40.31**	56.25	51.84
अन्य#	**735.28**	282.46	171.32
	9919.04	9089.41	9770.12
जोड़	**19324.61**	17840.21	16599.75

अगली टिप्पणियां :

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी नं. 52 में दिया गया है।

*निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को भुगतान हेतु। कोई राशि देय नहीं है।

#अन्य में निष्क्रिय चेक, मूल्य परिवर्तन, दीर्घ अवधि सुविधा (एलटीए), अल्प अवधि ओपन सुविधा (एसटीओए) आदि के लिए देयता शामिल है।

टिप्पणी 33/अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
ग्राहकों से अग्रिम	**2495.82**	3431.48	2229.62
सांविधिक देयताएं	**70.18**	101.08	188.48
जोड़	**2566.00**	3532.56	2418.10

34. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
क) कर्मचारी लाभ			
i) प्रोत्साहन से संबंधित वेतन/विशेष प्रोत्साहन			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**182.52**	198.87	121.13
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**168.04**	160.31	106.45
वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित निधि	**240.73**	176.66	28.71
अन्त शेष	**109.83**	182.52	198.87
ii) मजूदरी संशोधन			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**-**	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**265.43**	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/प्रदत्त राशियां	**-**	-	-
अन्त शेष	**265.43**	-	-
iii) अन्य कर्मचारी लाभ (छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ता और दीर्घ सेवा पुरस्कार आदि)			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**46.56**	40.71	37.78
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	**27.30**	5.85	2.93
अन्त शेष	**73.86**	46.56	40.71
जोड़ (क)	**449.12**	229.08	239.58
ख) अन्य			
i) निष्क्रिय सेवा क्रेडिट-टेलीकॉम			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**10.09**	6.78	5.23
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**9.11**	4.06	2.15
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	**4.35**	0.75	0.60
अंत शेष	**14.85**	10.09	6.78
ii) अन्य प्रावधान			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**58.76**	3.38	2.07
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	**14.48**	55.38	1.31
अंत शेष	**73.24**	58.76	3.38
जोड़ (ख)	**88.09**	68.85	10.16
जोड़ (क+ख)	**537.21**	297.93	249.74

टिप्पणियां :

कर्मचारी लाभ

निष्पादन से संबंधित वेतन/विशेष प्रोत्साहन

कार्यपालकों एवं गैर-कार्यपालकों को निष्पादन से संबंधित वेतन हेतु प्रावधान सृजित किया गया है।

मजदूरी संशोधन

कम्पनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी, 2017 से देय है। भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों संबंधी तीसरे वेतन संशोधन की रिपोर्ट के संबंध में वेतन संशोधन के प्रभाव हेतु प्रावधान किया गया है जिसमें उपदान की उच्चतम सीमा में वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार ₹10 लाख की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर ₹20 लाख करना शामिल है।

अन्य कर्मचारी लाभ

छुट्टी नकदीकरण, निपटान भत्ते एवं दीर्घ सेवा प्रतिफल को पूरा करने के प्रयोजनार्थ प्रावधान सृजित किया गया है।

अन्य

अकार्य सेवा क्रेडिट - दूरसंचार

प्रावधान तब सृजित किया जाता है जब वास्तविक अकार्यरत समय अनुमत्य सेवा स्तर करार से अधिक हो, ऐसे मामलों में आवश्यक क्रेडिट को ग्राहक की मांग पर पारित किया जाता है।

तथापि, किसी मामले में, अकार्य समय का ग्राहक द्वारा दावा नहीं किया जाता है तब ऐसे मामलों में अकार्य समय के संबंध में आवश्यक प्रावधान नेशनल टेलीकॉम कंट्रोल सेंटर (एनटीसीसी) से प्राप्त लिंक उपलब्धता रिपोर्टों के अनुसार ग्राहकों को दिए गए गैर-प्रचालन लिंकों को अवधि हेतु लेखा बहियों में किया जाता है। अकार्य समय क्रेडिट का परिकलन विभिन्न ग्राहकों द्वारा हस्ताक्षरित एसएलए के आधार पर होता है।

टिप्पणी 35/चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
कराधान (कर पर ब्याज सहित)			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**4132.97**	4,503.22	4503.22
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**1988.45**	1574.79	-
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	**1275.35**	1945.04	-
जोड़	**4846.07**	4132.97	4503.22
अग्रिम कर एवं टीडीएस के संबंध में निवल छूट	**4428.74**	3,833.30	4,362.75
अन्त शेष	**417.33**	299.67	140.47

टिप्पणी 36/आस्थगित राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम	**1624.81**	1770.66	1911.50
सहायता अनुदान*			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**109.17**	73.12	73.12
वर्ष के दौरान प्राप्त	**63.02**	58.00	-
वर्ष के दौरान समायोजन	**21.89**	21.95	-
अन्त शेष	**150.30**	109.17	73.12
विदेशी मुद्रा घट-बढ़ से आस्थगित आय (निवल)	**3107.26**	3818.31	2750.23
जोड़	**4882.37**	5698.14	4734.85

अगली टिप्पणियां :

*सहायता अनुदानों में ₹63.02 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹58.00 करोड़ तथा 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) शामिल हैं, जो निर्माणाधीन परियोजना हेतु प्राप्त हुई है।

टिप्पणी 37 /प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
सेवाओं की बिक्री		
ट्रांसमिशन व्यवसाय		
ट्रांसमिशन प्रभार	**24265.81**	19591.30
जोड़े : मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम से स्वीकृत राजस्व	**145.85**	140.76
	24411.66	19732.06
अन्य प्रचालन राजस्व	**218.62**	76.04
	24630.28	19808.10
दूरसंचार व्यवसाय	**559.36**	434.92
घटाएं : अन्तर मण्डलीय अन्तरण	**55.53**	42.67
	503.83	392.25
परामर्शी परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण	**582.43**	465.46
जोड़	**25716.54**	**20665.81**

टिप्पणी :

क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 21 फरवरी, 2014 के आदेश के तहत ब्लॉक अवधि 2014-19 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण हेतु ''सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन 2014'' को अधिसूचित किया है।

टिप्पणी 37 /प्रचालनों से राजस्व (जारी)

ख) कम्पनी ने निम्नानुसार वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन आय को स्वीकार किया है :

i) सीईआरसी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश के अनुसार ₹22065.90 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹12622.90 करोड़)

ii) ट्रांसमिशन आस्तियों के संबंध में ₹2345.76 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹7109.16 करोड़) जिसके संबंध में अंतिम टैरिफ आदेश सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार तथा सदृश मामलों में अन्य आदेशों के अनुसार अभी जारी किए जाने हैं।

ग) अन्य प्रचालन आय में अस्थायी एवं अंतिम टैरिफ तथा वित्त पट्टे से आय के बीच विभेदी राशि पर ब्याज शामिल है।

टिप्पणी 38 /अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्न में निवेश से लाभांश आय		
सहायक कम्पनी	**3.56**	20.07
संयुक्त उद्यम	**55.66**	62.06
अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी निवेश	**3.51**	2.64
	62.73	84.77
परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय		
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**0.79**	14.03
भारतीय बैंक	**121.94**	82.51
सहायक कम्पनियों को दिए गए ऋण पर ब्याज	**175.50**	49.23
अन्य*	**16.14**	15.88
	314.37	161.65
ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से ब्याज	**60.38**	57.06
	374.75	218.71
अन्य		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ	**0.03**	1.59
निवेश बिक्री पर लाभ	**50.57**	-
सहायता अनुदान से अन्तरण	**21.89**	21.95
वित्त पट्टे से वित्त आय	**75.99**	59.59
अधिभार	**188.50**	92.91
उपकरणों का किराया शुल्क	**-**	0.03
एफईआरवी अभिलाभ	**27.34**	0.05
छूट	**0.30**	0.32
पुनरांकित प्रावधान	**3.98**	3.90
वित्तीय देयता/निवेश के शुरुआती स्वीकरण पर उचित मूल्य अभिलाभ	**48.22**	74.93
विविध आय	**127.82**	90.91
	544.64	346.18
	982.12	649.66
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में हस्तान्तरित (निवल) - टिप्पणी 45	**117.20**	72.17
जोड़	**864.92**	577.49

अगली टिप्पणियां :

*अन्य ब्याज - अन्य में कर्मचारी ऋणों पर ब्याज एवं कर्मचारी ऋण पर पर वित्त लागत का संकुचन शामिल है।

टिप्पणी 39 /कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरियां, भत्ते और लाभ	1393.10	1155.84
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	357.03	204.89
कर्मचारी कल्याण व्यय (आस्थगित कर्मचारी लागत सहित)	161.47	140.60
	1911.60	1501.33
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) - टिप्पणी 45	534.47	507.61
जोड़	1377.13	993.72

अगली टिप्पणियां :

क) कर्मचारी लाभ व्यय, जिसमें पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों के लिए, निम्नलिखित शामिल है, और जो पूर्व निदेशकों को प्रदत्त बकायों को छोड़कर है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन व भत्ते	2.05	2.31
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों, उपदान और सामूहिक बीमा में अंशदान	0.30	0.35
अन्य लाभ	1.26	0.41

उपर्युक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को ₹2000/- प्रति माह के भुगतान पर स्टाफ कार (प्राइवेट यात्राओं सहित) का प्रयोग की अनुमति है, जैसा कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के का.ज्ञा.सं. 2(23)/11-डीपीई (डब्ल्यूसी) - जीएल-V/13 दिनांक 21.01.2013 में निहित है।

ख) कर्मचारी लाभ व्यय में ₹204.51 करोड़ (निर्माण के दौरान व्यय में स्थानान्तरित निवल राशि) 1 जनवरी, 2017 से कम्पनी के कर्मचारियों को वेतन संशोधन के संबंध में देय है, जिसका ₹107.75 करोड़ उत्पादन की अधिकतम सीमा को ₹10 लाख बढ़ावा ₹20 लाख करने के लिए प्रस्तावित है।

ग) विद्युत मंत्रालय और लोक/ उद्यम विभाग की मंजूरी मिलने तक कठिन और दूरदराज क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत तक विशेष भत्ता, जिसकी राशि वित्त वर्ष 2016-17 (वित्त वर्ष 15.16 के लिए ₹17.67 करोड़) (31 मार्च, 2017 तक ₹126.35 करोड़ को संचयी राशि) के लिए ₹12.34 करोड़ की राशि अदा की जा रही है। उपर्युक्त भत्ता डीपीई कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी) - जीएल-XVI/08, दिनांक 26 नवम्बर, 2008 के अनुसार मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त है।

टिप्पणी 40 /वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
i) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज एवं वित्त प्रभार		
भारतीय बैंक एवं वित्तीय संस्थान	1311.61	1092.87
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	397.31	269.81
प्रतिभूति/अप्रतिभूति विमोच्य बाण्ड	5901.59	5384.18
विदेशी करेंसी बाण्ड	121.62	141.68
ii) वित्तीय देयताओं पर छूट को कम करना	59.89	88.32
iii) ब्याज - अन्य	75.80	80.43
	7867.82	7057.29
अन्य वित्त प्रभार		
वचनबद्धता प्रभार	9.56	12.07
गारण्टी शुल्क	263.30	259.49
अन्य*	34.29	45.99
	307.15	317.55
उधारी लागत के समायोजन के रुप में समझा गया विनिमय अन्तर	(46.23)	-
	260.92	317.55
	8128.74	7374.84
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय हेतु अंतरित (निवल) - टिप्पणी 45	1824.91	2239.91
जोड़	6303.83	5134.93

*अन्य में एजेंसी शुल्क, न्यासी शुल्क आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 41 /मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	7745.42	6320.42
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	86.68	68.25
	7832.10	6388.67
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) टिप्पणी 45	16.17	12.11
	7815.93	6376.56
घटाएं : एफईआरवी समायोजन के कारण परिशोधित मूल्यह्रास	153.13	196.76
लाभ एवं हानि के विवरण पर प्रभारित	7662.80	6179.80

टिप्पणी 42 /अन्य खर्चे

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत और रखरखाव		
भवन	54.97	47.67
संयंत्र और मशीनरी		
सब-स्टेशन	270.54	234.18
ट्रांसमिशन लाइन	173.55	91.53
दूरसंचार उपस्कर	42.60	45.34
अन्य	28.98	25.20
	515.67	396.25
सिस्टम और बाजार प्रचालन प्रभार	9.22	11.13
विद्युत प्रभार	225.86	158.69
घटाएं : ठेकेदारों से वसूली	2.11	0.74
	223.75	157.95
डीजल जेनरेटिंग सेटों के खर्चे	4.54	4.49
उपभुक्त सामान	3.92	4.59
जल प्रभार	4.12	3.24
मार्गाधिकार खर्चे-दूरसंचार	5.20	4.88
पेट्रोलियम खर्चे-दूरसंचार	2.62	1.92
अंतिम चरण की कनेक्टिविटी -दूरसंचार	9.51	6.61
प्रशिक्षण और भर्ती खर्चे	28.95	28.23
धटाएं : प्रशिक्षण और आवेदन करने के लिए शुल्क	1.46	1.01
	27.49	27.22
कानूनी खर्चे	18.83	15.68
व्यावसायिक खर्चे	15.70	12.27
परामर्शदायी खर्चे	1.39	1.70
संचार व्यय	21.58	15.96
अन्तरदेशीय वाहन भाड़ा व्यय	98.92	101.41
विदेश यात्रा	8.30	11.62
	107.22	113.03
निविदा व्यय	28.49	28.80
घटाएं : निविदाओं की बिक्री	3.15	4.19
	25.34	24.61

टिप्पणी 42 /अन्य खर्चे (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
संविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान		
लेखा-परीक्षा शुल्क	**0.90**	0.59
कर लेखा-परीक्षा शुल्क	**0.26**	0.06
अन्य क्षमता में	**1.02**	0.72
बकाया राशियां	**0.66**	-
व्यक्तिगत खर्चे में से	**1.05**	0.94
	3.89	2.31
विज्ञापन और प्रचार	**15.15**	11.85
मुद्रण और लेखन सामग्री	**7.36**	6.90
पुस्तकें, पत्रिकाएं और अखबार	**1.27**	1.27
ईडीपी किराया और अन्य खर्चे	**10.80**	9.32
मनोरंजन संबंधी खर्चे	**2.06**	1.62
दलाली और कमीशन	**0.64**	0.41
अनुसंधान और विकास व्यय	**2.63**	5.40
लागत लेखा-परीक्षा और वास्तविक सत्यापन शुल्क	**1.15**	1.34
किराया	**12.42**	10.33
उन परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है	**-**	0.62
सीईआरसी याचिका और अन्य व्यय	**58.41**	48.85
विविध व्यय	**75.70**	62.29
बागवानी व्यय	**16.96**	14.04
सुरक्षा व्यय	**140.06**	119.87
वाहन को किराए पर लेना	**109.89**	107.41
बीमा	**88.50**	84.34
दरें और कर	**4.92**	6.60
डीओटी को लाइसेंस शुल्क	**44.20**	34.28
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाइबर पट्टा व्यय (दूरसंचार) आदि	**23.66**	22.14
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीय विकास व्यय	**142.59**	114.06
मार्गस्थ निवास व्यय	**14.57**	11.21
घटाएं : मार्गस्थ निवास से आय	**1.10**	1.15
	13.47	10.06
विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन	**-**	4.56
प्रावधान	**9.02**	7.41
	1835.82	1536.48
घटाएं : निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (निवल)-टिप्पणी 45	**101.78**	142.68
	1734.04	1393.80
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान/बट्टे खाते डालने पर हानि	**3.83**	0.49
जोड़	**1737.87**	**1394.29**

टिप्पणी 43 /विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट-बढ़ आय/(व्यय)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
विदेशी मुद्रा घट-बढ़ हेतु	(33.25)	(0.05)
कर्मचारी लाभ-व्यय हेतु	103.18	-
जोड़	69.93	(0.05)

टिप्पणी 55 को देखें

टिप्पणी 44 /अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
इक्विटी में निवेश के मूल्यांकन पर अभिलाभ/(हानि)	38.96	(20.28)
बीमाकंन मूल्यांकन हेतु प्रावधान	15.28	12.66
	54.24	(7.62)
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय हेतु आस्थगित (निवल) - टिप्पणी-45	4.41	4.35
जोड़	49.83	(11.97)

टिप्पणी 45 /निर्माण के दौरान व्यय (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क. कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ		
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	409.73	407.99
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	105.14	79.40
कल्याण व्यय	19.60	20.22
जोड़ (क)	534.47	507.61
ख. अन्य व्यय		
मरम्मत और अनुरक्षण	3.38	22.23
विद्युत खर्चे	10.06	3.63
घटाएं : ठेकेदारों से वसूली गई राशि	1.72	0.24
	8.34	3.39
डीजल जेनरेटिंग सेटों पर खर्चे	0.37	0.35
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	1.43	2.28
कानूनी खर्चे	0.78	2.25
व्यावसायिक खर्चे	4.08	4.89
परामर्शदायी खर्चे	0.04	0.31
संचार व्यय	2.32	1.97
यात्रा और वाहन यात्रा व्यय (विदेश यात्रा सहित)	26.01	33.78
निविदा व्यय	5.41	6.96
घटाएं : निविदाओं की बिक्री	2.88	4.03
	2.53	2.93
लेखापरीक्षकों को भुगतान	0.01	0.03
विज्ञापन और प्रचार	1.09	1.35
मुद्रण और लेखन सामग्री	0.63	0.62
पुस्तकें, पत्रिकाएं और जरनल	0.02	0.02

टिप्पणी 45/ निर्माण के दौरान व्यय (निवल) (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
ईडीपी किराया और अन्य खर्चे	**0.27**	0.28
मनोरंजन संबंधी खर्चे	**0.25**	0.03
दलाली और कमीशन	**0.06**	0.07
किराया	**3.69**	3.11
विविध व्यय	**10.30**	13.80
बागवानी व्यय	**0.90**	0.59
सुरक्षा व्यय	**14.55**	16.78
वाहनों को किराए पर लेना	**19.29**	30.52
बीमा	**0.03**	0.05
दरें और कर	**0.13**	0.44
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाइबर पट्टा व्यय (दूरसंचार)	**0.24**	0.15
मार्गस्थ निवास व्यय	**1.05**	0.47
घटाएं : मार्गस्थ निवास से आय	**0.01**	0.01
	1.04	0.46
जोड़ (ख)	**101.78**	**142.68**
ग. मूल्यह्रास/परिशोधन	**16.17**	**12.11**
घ. वित्त लागत		
क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज एवं वित्त प्रभार		
भारत सरकार		
भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थान	**455.19**	541.73
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	**100.14**	94.23
सुरक्षित/असुरक्षित विमोच्य बांड	**1156.92**	1447.28
विदेशी मुद्रा बांड	**26.36**	59.21
अन्य	**62.78**	-
	1801.39	2142.45
ख) अन्य वित्त लागत		
वचनबद्धता प्रभार	**9.44**	11.67
गारंटी शुल्क	**43.63**	65.27
अन्य	**12.97**	18.38
	66.04	95.32
ग) उधारी लागत हेतु एफईआरवी समायोजन	**(42.52)**	2.14
जोड़ (घ)	**1824.91**	2239.91
ड.. घटाएं : अन्य आय		
निम्न से ब्याज		
भारतीय बैंक	**31.69**	21.99
ठेकेदार	**56.87**	44.80
अन्य	**23.77**	0.28
	112.33	67.07
विविध आय	**4.87**	5.10
जोड़ (ड)	**117.20**	72.17
च. घटाएं : अन्य व्यापक आय		
अन्य व्यापक आय	**4.41**	4.35
सकल जोड़ (क+ख+ग+घ-ड.-च)	**2355.72**	2825.79

46. ईस्ट-साऊथ-इंटरकनेक्टर-II पारेषण परियोजना (ईएसआई) और सासाराम पारेषण परियोजना (एसटीपी) के लिए प्रभावित आपूर्तियों के संबंध में ₹209.99 करोड़ के मानित निर्यात लाभ के समतुल्य नकदी वर्ष 2002-2003 के दौरान विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के निर्देशों पर विश्व बैंक से ईएसआई परियोजना के संबंध में संपूर्ण आपूर्ति तथा एसटीपी के संबंध में मार्च, 2000 से पूर्व की गई आपूर्ति के लिए ऋण नहीं होने के कारण सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को अदा की गई थी और इसे लेखा बहियों में पूंजीकृत किया गया था। उसके बाद विश्व बैंक ने ईएसआई परियोजना और एसटीपी परियोजना, दोनों को वित्त पोषित किया, जैसा कि मूल रुप से संकल्पित है और वे मानित निर्यात लाभों के लिए पात्र हुए। परिणामतः कंपनी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास दावे प्रस्तुत किए हैं।

इस संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2017 तक प्राप्त हुई संचयी राशि और विपूंजीकृत राशि ₹12.12 करोड़ (31 मार्च, 2016 ₹12.12 करोड़ तथा 1 अप्रैल, 2015 को ₹12.12 करोड़) है। कम्पनी संबंधित संपत्तियों/परियोजनाओं के पूंजी मूल्य के रुप में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से इसकी प्राप्ति होने तक तथा 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार ₹197.87 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹197.87 करोड़ एवं 1 अप्रैल, 2015 को ₹197.87 करोड़) दर्शाती रही है।

47. क) व्यापारिक प्राप्यों की अधिशेष राशि और परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दशाई गई वसूलनीय राशि तथा देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई व्यापारिक और अन्य राशि में ऐसी अधिशेष राशि शामिल है जो कि ऋण और अग्रिमों और व्यापार देयताओं में कतिपय शेष पुष्टिकरण और परिणामी समायोजन, यदि कोई है, के अधीन है। तथापि, लेखा समाधान सतत आधार पर किया जाता है।

ख) प्रबंधन की राय में सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण को छोड़कर किसी सम्पत्ति का मूल्य और व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली गैर-वर्तमान से भिन्न किसी भी परिसम्पत्तियों का मूल्य, जिन पर इन्हें तुलन पत्र में वर्णित किया जाता है, से कम नहीं होगा।

48. लागत जमा परामर्शदायी संविदाओं के संबंध में सूचना को उसी रुप में मानते हुए जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (11) ''निर्माण संविदाओं'' को ध्यान में रखते हुए परामर्शदायी कारोबार को माना गया है, जो कि निम्नानुसार उपलब्ध है। :

(₹करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	लागत जमा परामर्शदायी संविदा कार्यों पर मानी गई राजस्व की राशि	494.82	360.02
ii)	**स्वीकृत संविदा राजस्व को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया**	लेखांकन निति -2.19	लेखांकन निति -2.19
	निष्पादन एजेंसियों के लिए ठेका देने के चरण तक कुल परामर्श शुल्क का 15 प्रतिशत (जिसमें से निविदा आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करने तक 10 प्रतिशत) आपूर्ति सहित कार्य की प्रगति पर 85 प्रतिशत (कार्य के प्रगति प्रभारी इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित मानी जाती है)		
iii)	निर्माण संविदाओं पर उपगत लागतों की संचयी राशि	18426.50	16057.72
iv)	वर्ष के अंत में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की संचयी राशि	20715.04	18167.29
v)	वर्ष के अंत में ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	16.01	14.95
vi)	वर्ष के अंत में परिसम्पत्ति के रुप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों के पास सकल राशि	162.29	25.97
vii)	वर्ष के अंत में देयता के रुप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों को देय सकल राशि	2274.79	2289.82

49. कंपनी को 1 जुलाई, 2011 से लागू पीओसी (प्वाइंट ऑफ कनेक्शन) प्रभार तंत्र के माध्यम से सभी अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइसेंस धारकों (आईएसटीएस) की ओर से, जो विद्युत मंत्रालय द्वारा मेगावाट पावर आबंटन पर आधारित पुराने तंत्र के स्थान में पावर स्वीकृत प्राप्ति/अन्तरदेयता पर आधारित बिलिंग में शामिल हैं, ट्रांसमिशन खर्चों की बिलिंग वसूली और संवितरण (बीसीडी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तंत्र द्वारा कंपनी का राजस्व अप्रभावित रहेगा।

पीओसी तंत्र से व्यथित कुछ लाभार्थियों ने भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपीलें दायर की हैं। कंपनी द्वारा दायर अपील पर उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ऐसी सभी अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दी गई हैं और कंपनी ने मामले का निपटान होने तक नई तिथि के अनुसार सभी आंदोलनकारी राज्यों को पूरे पारेषण प्रभार अदा करने के निदेश देने का भी अनुरोध किया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी लाभार्थियों को भुगतान जारी करने का निदेश दिया और तदनुसार लाभार्थियों ने उक्त निदेशों के अनुसार भुगतान करना शुरूकर दिया है।

50. (i) ₹810.37 करोड़ के एफईआरवी की अभिलाभ (जो कि विगत वर्ष ₹1841.03 करोड़ थी) को सम्पत्ति, संयंत्र एवं कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)/पट्टा प्राप्यों की संबंधित रखाव राशि में समायोजित कर दिया गया है।

(ii) ₹31.05 करोड़ के एफईआरवी की अभिलाभ (जब कि विगत वर्ष ₹4.55 करोड़ था) को लाभ और हानि के विवरण स्वीकृत किया गया है।

51. भारतीय एएस 23 ''उधारी लागतों'' के अनुसार वर्ष के दौरान पूंजीगत उधार लागत ₹1824.91 करोड़ है (जब कि विगत वर्ष ₹2239.91 करोड़ थी), जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूईपी) की संबंधित रखरखाव राशि में है।

52. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदायक ऐसे हैं जो सूक्ष्म/लघु, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत सूक्ष्म/लघु, छोटे और मध्यम उद्यम के रुप में पंजीकृत हैं। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 द्वारा यथा-अपेक्षित सूक्ष्म/लघु, छोटे और मध्यम उद्यमों के संबंध में सूचना निम्नानुसार हैं :

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1.	प्रत्येक लेखाकरण वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त मूलधन और उस पर देय शेष ब्याज :		
	मूलधन	0.50	Nil
	ब्याज	शून्य	शून्य
2.	प्रत्येक लेखाकरण वर्ष के दौरान निश्चित वित्त से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा अदा किए गए ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
3.	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और अदायगी योग्य ब्याज की राशि (जिसे अदा किया गया है, लेकिन वर्ष के दौरान निश्चित दिन के बाद अदा किया गया) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
4.	प्रत्येक लेखाकरण वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि और जो अप्रदत्त रही राशि है।	शून्य	शून्य
5.	ऐसी तारीख तक उत्तरवर्ती वर्ष में भी देय और भुगतान शेष और ब्याज की राशि जब उपरोक्त अनुसार देय ब्याज को वास्तव में एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रुप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए छोटे उद्यम को देय ब्याज को जाता है।	शून्य	शून्य

53. भारतीय ले.मा.-17 ''पट्टे'' के अनुसार प्रकटन

क) वित्त पट्टे :

अन्य गैर चालू वित्तीय आस्तियों एवं अन्य चालू वित्तीय आस्तियों में पट्टा प्राप्य राशियां शामिल हैं, जो राज्य क्षेत्र यूएलडीसी के संबंध में संघटकों के साथ कंपनी द्वारा किए गए वित्त पट्टा लेन-देनों पर प्राप्य राशियां का भावी पट्टा किरायों के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (एएस) 17 ''पट्टे'' के अनुसार अपेक्षाओं का प्रकटन नीचे दिया गया हैं :

(i) पट्टा प्राप्य राशियों का समाधान (टैरिफ अधिनियम के लिए सीईआरसी को प्रस्तुत/इसके द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत डाटा के अनुसार) निम्नानुसार है

(₹करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
	वर्ष के प्रारंभ में अधिग्रहीत और पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों का सकल मूल्य	**1493.26**	1353.88	1299.36
जोड़ें	वर्ष के प्रारंभ में पूर्व अधिग्रहीत परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य के लिए समायोजन	**1.26**	(18.13)	21.92
	वर्ष के प्रारंभ में परिसंपत्तियों का संशोधित सकल मूल्य	**1494.52**	1335.75	1321.28
घटाएं	वर्ष के प्रारंभ तक उपलब्ध कराई गई पूंजी वसूली	**869.44**	782.26	706.45
जोड़ें	वर्ष के प्रारंभ से पूर्व अधिग्रहीत परिसम्पत्तियों के लिए पूंजी वसूली	**1.51**	(1.30)	6.65
	वर्ष के प्रारंभ तक उपलब्ध कराई गई संशोधित पूंजी वसूली	**870.95**	780.96	713.10
	विगत वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को बकाया पूंजी वसूली	**623.57**	554.79	608.18
जोड़ें	चालू वित्तीय वर्ष में अधिग्रहीत और पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों का सकल मूल्य	**87.19**	157.51	32.60
घटाएं	वर्तमान वर्ष के लिए पूंजी वसूली	**99.64**	88.49	69.16
	वर्ष के अंत में पट्टे से प्राप्य राशियां	**611.12**	623.81	571.62

53. भारतीय ले.मा.-17 ''पट्टे'' के अनुसार प्रकटन (जारी)

(ii) वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम भुगतानों का पट्टा विलेख मूल्य में सकल निवेश और अप्राप्त वित्त आय के ब्यौरे निम्नवत हैं :

(₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
पट्टे में सकल निवेश	**1982.50**	1778.67	1535.98
अनर्जित वित्त आय	**1371.38**	1154.86	964.37
न्यूनतम पट्टे के भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	**611.12**	623.81	571.62

(iii) ऐसे पट्टों की संविदात्मक परिपक्वता का मूल्य निम्नवत हैं :

(₹करोड़ में)

विवरण	पट्टे में सकल निवेश			एमएलपी का वर्तमान मूल्य		
	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015 को
एक वर्ष के बाद नहीं	**143.99**	162.37	116.93	**70.94**	82.72	73.68
एक वर्ष के बाद और पांच वर्ष के बाद नहीं	**468.22**	415.23	415.45	**177.27**	189.70	212.84
पांच वर्ष के बाद	**1370.29**	1201.07	1003.60	**362.91**	351.39	285.10
जोड़	**1982.50**	1778.67	1535.98	**611.12**	623.81	571.62

(iv) निम्न के संबंध में लेखाओं और टैरिफ रिकॉर्डों के अनुसार वर्ष के अंत में शेष पट्टा प्राप्यों में अंतर हैं :

(क) ₹66.41 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹68.52 करोड़ तथा 1 अप्रैल, 2015 को ₹17.73 करोड़) की राशि की अमुक्त देयताएं। ऐसी लागत केवल ऐसी देयताओं के निर्वहन पर परियोजना लागत बन जाती है।

(ख) ₹28.65 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹57.79 करोड़ तथा 1 अप्रैल, 2015 को ₹61.14 करोड) की राशि की पट्टा प्राप्यों में शामिल ऋण पर अपरिशोधित एफईआरवी। ऐसी एफईआरवी को वास्तविक भुगतान के आधार पर टैरिफ के भाग के रुप में वसूले जाने की अनुमति है।

ख) प्रचालनरत पट्टे :

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टे की व्यवस्था, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए, कार्यालय और अतिथि गृह/मार्गस्थ शिविर के लिए परिसरों के प्रचालन पट्टों के संदर्भ में है, उन्हें प्रायः बातचीत कर इनका नवीनीकरण किया जाता है लेकिन वे रद्द करने योग्य नहीं है। पट्टे के भुगतान, निवल वसूली, कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध में कर्मचारी लाभ व्यय में ₹40.49 करोड़ (पिछले वर्ष ₹40.59 करोड़) शामिल है। कार्यालय के लिए परिसर और अतिथि गृह/मार्गस्थ शिविर के संबंध में ₹12.42 करोड़ का पट्टा भुगतान (जो कि विगत वर्ष ₹10.33 करोड़ का था), जिसे किराया टिप्पणी 42 अन्य व्यय में किराया शीर्ष में दर्शाया गया है।

54. विदेशी मुद्रा प्रकटन

व्युत्पन्न लिखत द्वारा प्रतिरक्षित नहीं अथवा अन्यथा

विवरण		विदेशी मुद्रा में राशि (₹ करोड़ में)			राशि (₹करोड़ में)		
		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
उधारियां	यूएसडी	418.09	416.87	412.01	27481.07	27888.87	26034.82
	ईयूआरओ	24.26	11.17	4.33	1710.32	848.22	297.12
	एसईके	300.85	314.14	250.27	2220.25	2591.68	1841.97
	जेपीवाई	181.77	199.95	218.13	107.01	119.47	115.04
ब्याज उद्भूत परन्तु उस पर देय नहीं जिसमें एजेंसी फीस, वचनबद्धता फीस और अन्य शुल्क शामिल है	यूएसडी	1.81	1.33	0.94	118.78	88.86	59.54
	ईयूआरओ	0.10	0.02	0.02	7.03	1.64	1.04
	एसईके	1.04	0.60	1.16	7.69	4.97	8.51
	जेपीवाई	0.46	0.52	0.55	0.27	0.31	0.29
व्यापार देयताएं/जमा राशियां और प्रतिधारण राशि	यूएसडी	13.65	8.50	10.79	727.10	568.85	679.18
	ईयूआरओ	1.01	1.70	7.92	40.12	128.85	543.53
	एसईके	23.42	19.81	114.61	172.14	163.40	843.58
	सीएचएफ	0.19	0.00	0.03	12.23	0.00	1.51
	जीबीपी	-	1.19	0.64	-	114.64	58.71

54. विदेशी मुद्रा प्रकटन (जारी)

विवरण		विदेशी मुद्रा में राशि (₹ करोड़ में)			राशि (₹करोड़ में)		
		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
व्यापार से प्राप्त राशियां और बैंक शेष	यूएसडी	0.08	0.08	0.22	4.90	5.37	13.78
	एनपीआर	0.05	0.09	0.07	0.03	0.06	0.04
	ईयूआरओ	0.01	-	-	0.53	-	-
संविदाओं की अवनिष्पादित राशि जिसे निष्पादित किया जाना है	यूएसडी	35.16	49.79	23.44	2305.00	3331.02	1480.92
	ईयूआरओ	28.53	8.15	10.00	1996.27	618.45	685.64
	एसईके	165.46	0.40	25.80	1174.80	3.30	189.89
	सीएचएफ	0.01	0.12	0.90	0.87	8.62	54.14
	जीबीपी	12.47	15.38	18.66	993.76	1481.71	1709.07
	जीपीवाय	866.45	-	-	507.74	-	-

55. विनियामक आस्थागन लेखा शेषों से संबंधित प्रकटन

कंपनी मुख्यतया विद्युत का ट्रांसमिशन करने के कार्य में लगी हुई है। विद्युत का ट्रांसमिशन के लिए टैरिफ को विनियमों के अनुसार सीईआरसी द्वारा किया जाता है। टैरिफ सीईआरसी द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत पर आधारित होता है और वार्षिक निर्धारित लागत की पारेषण प्रभार वसूली की व्यवस्था देता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिफल, ऋण पूंजी पर व्यय, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन एवं रखरखाव व्यय शामिल है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार पूंजी लागत के रुप में लाभार्थियों से वसूलनीय/इन्हें देय सीमा में विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मौद्रिक मदों (गैर-चालू ऋण से भिन्न) के निपटान/पारेषण हेतु निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न एफईआरवी को विनियामक आस्थगन लेखा शेष के रुप में हिसाब में लिया जाता है। 1 अप्रैल, 2016 को अथवा इसके बाद लिए गए दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में सीईआरसी टैरिफ के अनुसार वसूलनीय सीमा में विनिमय अन्तर को विनियामक आस्थगन लेखा शेष के रुप में मान्य किया जाता है। कम्पनी इन राशियों को आस्ति की अवधि की समाप्ति पर टैरिफ के मूल्यह्रास संघटक के जरिए अथवा ऋण की चुनौती पर विनिमय दर परिवर्तन के रुप में वसूल करना चाहती है।

1 जनवरी, 2017 से प्रभावी वेतन संशोधन का प्रभाव पर सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2014 के तहत प्रचालन एवं रखरखाव खर्च की वसूली संबंधी मानकों को निर्धारित करते समय ध्यान में रखा गया है, जो 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए मान्य है। भारतीय लेखाकरण मानक 114 ''विनियामक आस्थगन लेख'' सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2014 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने विनियामक आस्थगन लेखा शेष के तहत परवर्ती अवधियों में लाभार्थियों से वसूलनीय ₹103.18 करोड़ की राशि मान्य की है। इन शेषों को उस वर्ष में समाजित करना चाहिए जिसमें वे सीईआरसी मंजूरी के अनुसार लाभार्थियों से वसूली योग्य हैं।

विनियामक आस्थगन लेखा, जिसे भावी अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने योग्य राशि को बहियों में स्वीकार किया गया है, निम्नानुसार है :

विवरण		विनियमित परिसम्पत्तियां (₹ करोड़ में)
क.	1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार अथशेष	37.72
ख.	वर्ष के दौरान संवर्धन/(कटौती)	(0.05)
ग.	वर्ष के दौरान प्राप्त हुई/लौटाई गई राशि	शून्य
घ.	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत विनियमित आय/(व्यय)	(0.05)
ङ.	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अंतशेष	37.67
च.	1 अप्रैल, 2016 को अथशेष	37.67
छ.	वर्ष के दौरान परिवर्धन/(कटौती)	69.93
ज.	वर्ष के दौरान संग्रहीत/लौटाई गई राशि	शून्य
झ.	लाभ व हानि विवरण में मान्य विनियमित आय/(व्यय)	69.93
ञ.	31 मार्च, 2017 को अन्त शेष	107.60

31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू टैरिफ अवधि के बाद टैरिफ विनियमनों में किसी परिवर्तन का विनियामक आस्थगन लेखा शेषों की वसूली पर प्रभाव पड़ सकता है।

56. एसईबीआई (सूचीयन का दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुच्छेद 34 (3) द्वारा यथा-अपेक्षित प्रकटन :

क. ऋण के स्वरु प में ऋण और अग्रिम

1. सहायक कंपनियों को-

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	निम्नोक्त तारीख को बकाया शेष		निम्नोक्त के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	**31 मार्च, 2017 को**	31 मार्च, 2016 को
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**839.25**	535.50	**839.25**	535.50
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**720.33**	532.36	**720.33**	532.36
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**54.44**	26.12	**54.44**	26.12
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**204.59**	30.31	**204.59**	30.31
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**204.06**	2.34	**204.06**	2.34
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**675.43**	12.17	**675.43**	12.17
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**445.39**	5.28	**445.39**	5.28
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**342.56**	15.64	**342.56**	15.64
जोड़	**3486.05**	1159.72	**3486.05**	1159.72

2. ऐसी फर्मे/कंपनियां, जिनमें निदेशक इच्छुक है : : शून्य

3. जहां सात वर्षो के बाद कोई चुकौती अनुसूची अथवा चुकौती नहीं है अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार ब्याज अथवा हित नहीं है :. : ₹ 3486.05 करोड़ (विगत वर्ष ₹1159.72 करोड़) (चुकौती अनुसूची सात वर्ष के बाद है)।

ख. पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में ऋणी द्वारा निवेश (जैसा कि ऊपर विस्तार में दिया गया है) : शून्य

57. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ-साथ कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निति) नियमावली, और 2014 के साथ पठित डीपीई दिशानिर्देश संख्या एक संख्या 15 (13)/2013-डीपीई (जीएम) के अनुसार कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उसकी सीएसआर नीति के अनुसार तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के दौरान कंपनी द्वारा उपार्जित औसत निवल लाभ के न्यूनतम दो प्रतिशत भाग का उपयोग, सामाजिक दायित्वों को निभाने में करना अपेक्षित है। वर्ष के दौरान सीएसआर के व्यय के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	**31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	**135.12**	121.79
ख.	सीएसआर पर खर्च की गई राशि - राजस्व व्यय	**98.00**	88.17
	- पूंजीगत व्यय	**49.27**	27.61
ग.	सीएसआर के रिजर्व में विनियोजित की गई कम/(अधिक) राशि	**(12.15)**	6.01
घ.	सीएसआर पर खर्च की गई राशि के ब्यौरे - (टिप्पणी 42)		
1.	शिक्षा और कौशल विकास पर व्यय	**17.87**	53.53
2.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय	**6.95**	4.44
3.	स्वास्थ्य और स्वच्छता पर व्यय	**61.89**	27.71
4.	खेल, कला और संस्कृति पर व्यय	**0.98**	0.46
5.	ऐतिहासिक महत्व के भवन एवं साइटों के पुनर्उत्थापन सहित राष्ट्रीय सम्पत्ति कला एवं संस्कृति का संरक्षण	**4.99**	-
6.	अन्य सीएसआर कार्यकलाप	**0.64**	0.31
7.	पूंजीगत व्यय	**49.27**	27.61
	जोड़	**142.59**	114.06
8.	कंपनी के निजी सीएसआर कार्मिकों का वेतन, मजदूरियां और अन्य लाभ जिन की सीमा सीएसआर पर खर्च की जाने वाली कुल अपेक्षित राशि का 5 प्रतिशत तक सीमित होगी (टिप्पणी 39)	**4.68**	1.72
	जोड़	**147.27**	115.78

सीएसआर पर खर्च की गई राशि

ङ. 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार ₹147.27 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹115.78 करोड़) ₹145.37 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹115.26 करोड़) कुल राशि नकद खर्च की गई है और ₹1.90 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹0.52 करोड़) का अभी भुगतान किया जाना है।

58. सामान्य कर अदा करने की अनिश्चितता पर विचार करते हुए व्यवसाय के व्यापक विस्तारण को देखते हुए मैट क्रेडिट को आस्ति के रुप में मान्य नहीं किया जाता है।

59. उचित मूल्य निर्धारण

(₹ करोड़ में)

श्रेणीगत वित्तीय लिखतें	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को	
	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियां						
निवेश						
इक्विटी लिखतें						
-पीटीसी इंडिया लिमिटेड						
(₹10 प्रत्येक के 12000006 शेयर)*	**112.08**	**-**	76.80	-	97.08	-
- इनर्जी इफिसिएंसी सर्विस लिमिटेड (₹10 प्रत्येक के 22500000 शेयर)**	**29.62**	**-**	-	-	-	-
सरकारी प्रतिभूति						
-8.5% बॉण्ड	**-**	**2.50**		7.50	-	192.92
व्यापार प्राप्य	**-**	**3221.10**	-	2737.97	-	2118.65
ऋण	**-**	**3653.55**	-	1335.53	-	395.82
नकदी एवं नकदी समतुल्य	**-**	**3228.43**	-	1540.64	-	2052.59
बैंक में शेष	**-**	**270.39**	-	913.09	-	10.39
अन्य वित्तीय आस्तियां						
चालू	**-**	**3335.29**		3361.90	-	2541.04
गैर-चालू	**-**	**635.32**		667.45	-	576.41
कुल वित्तीय आस्तियां	**141.70**	**14346.58**	**76.80**	**10564.08**	**97.08**	**7887.82**
वित्तीय देयताएं						
उधारी	**-**	**121868.74**	-	110924.11	-	97341.42
व्यापार देयताएं	**-**	**413.98**	-	313.89	-	392.97
अन्य वित्तीय देयताएं						
चालू	**-**	**9919.04**	-	9089.41	-	9770.12
गैर - चालू	**-**	**352.24**	-	870.90	-	654.31
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**132554.00**	**-**	**121198.31**	**-**	**108158.82**

* पीटीसी लि. के लिए निवेश, जो सूचीबद्ध इक्विटी लिखत है, एक स्तर 1 उचित मूल्य अनुक्रम है।

** इनर्जी इफिसिएंसी सर्विस लिमिटेड में निवेश एक स्तर 2 उचित मूल्य अनुक्रम है।

यह अनुभाग लिखतों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए अनुमानों एवं आकलनों को स्पष्ट करते हैं, जो परिशोधित लागत पर मूल्यांकित है और जिसके संबंध में उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त इनपुटों की विश्वसनीयता के बारे में संकेतन प्रदान करने के लिए कम्पनी ने अपने वित्तीय लिखतों को लेखाकरण मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण सारणी के नीचे दिया गया है।

59. उचित मूल्य निर्धारण (जारी)

(₹ करोड़ में)

आस्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है जिनके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3	जोड़
31 मार्च, 2017 को				
वित्तीय आस्तियां				
निवेश				
8.5% बॉण्ड	-	2.55	-	2.55
ऋण				
सहायक कम्पनियों को ऋण	-	3607.95	-	3607.95
कर्मचारियों को ऋण	-	195.27	-	195.27
कुल वित्तीय आस्तियां	**-**	**3805.77**	**-**	**3805.77**
वित्तीय देयताएं				
उधारी	-	128946.98	-	128946.98
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	-	364.20	-	364.20
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**129311.18**	**-**	**129311.18**

(₹ करोड़ में)

आस्तियां एवं देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है जिनके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3	जोड़
31 मार्च, 2016 को				
वित्तीय आस्तियां				
निवेश				
8.5% बॉण्ड	-	7.69	-	7.69
ऋण				
सहायक कम्पनियों को ऋण	-	1167.23	-	1167.23
कर्मचारियों को ऋण	-	188.97	-	188.97
कुल वित्तीय आस्तियां	-	1363.89	-	1363.89
वित्तीय देयताएं				
उधारी	-	115659.89	-	115659.89
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	-	826.50	-	826.50
कुल वित्तीय देयताएं	-	116486.39	-	116486.39

(₹ करोड़ में)

आस्तियां एवं देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है जिनके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3	जोड़
31 मार्च, 2015 को				
वित्तीय आस्तियां				
निवेश				
8.5% बॉण्ड	-	206.80	-	206.80
ऋण				
सहायक कम्पनियों को ऋण	-	230.70	-	230.70
कर्मचारियों को ऋण	-	175.30	-	175.30
कुल वित्तीय आस्तियां	-	612.80	-	612.80
वित्तीय देयताएं				
उधारी	-	101819.45	-	101819.45
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	-	603.22	-	603.22
कुल वित्तीय देयताएं	-	102422.67	-	102422.67

59. उचित मूल्य निर्धारण (जारी)

स्तर 1 : स्तर 1 क्रम में उद्धृत मूल्यों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकित वित्तीय लिखतें शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी बॉण्ड शामिल है, जो शेयर बाजार में सक्रिय हैं, सूचना अवधि के अनुसार अंतिम मूल्य का प्रयोजन करते हुए मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य, जो क्रियाशील बाजार में सक्रिय नहीं है (उदाहरणार्थ, लेन-देन वाले बाण्ड) को मूल्यांकन तकनीकियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है जो उल्लेखनीय बाजार के प्रयोग को बढ़ाता है और विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम आश्रित रहता है। यदि लिखत के उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय है तो लिखत स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधारित न हो, तो लिखत स्तर 3 में शामिल होता है। यह स्तर 3 में सम्मिलित असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक प्रतिफलों तथा क्षतिपूरण आस्ति का मामला है।

वर्ष के दौरान स्तर 1 और 2 के बीच कोई अन्तरण नहीं है :

कम्पनी की नीति सूचना अवधि के अन्त में उचित मूल्य अनुक्रम स्तरों में अन्तरणों को मान्य करना और इस अनुक्रम से बाहर अन्तरणों को मान्य करना है।

उचित मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकी

वित्तीय लिखतों के मूल्य के लिए प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकियों में निम्न शामिल हैं :

- उद्धृत बाजार मूल्यों का प्रयोग अथवा डीलर सदृश लिखतों के लिए उद्धृत करता है;
- शेष वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य को छूट प्राप्त नकदी प्रवाह विश्लेषण का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है।

सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान स्तर 2 में सम्मिलित किए जाते हैं जो पीटीसी इंडिया लिमिटेड के इक्विटी लिखतों से अलग होते हैं, जिन्हें स्तर 1 उचित मूल्य अनुक्रम में शामिल किया जाता है।

इनर्जी इफिसिएंसी सर्विस लिमिटेड के उचित मूल्य को तुलनीय सूचीबद्ध मूल्यों व्यापार बहुविध, जैसे कि पी/ई, ईवी/ईबीआईटीडीए में गुणात्मक समायोजन करके निर्धारित किया गया है। इसे स्तर 2 उचित मूल्य अनुक्रम में शामिल किया गया है।

वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य को स्वतंत्र मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया गया है।

वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य को परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को	
	रख-रखाव राशि	उचित मूल्य	रख-रखाव राशि	उचित मूल्य	रख-रखाव राशि	रख-रखाव राशि
वित्तीय आस्तियां						
निवेश						
सरकारी प्रतिभूतियां						
8.5% बॉण्ड	**2.50**	**2.55**	7.50	7.69	192.92	206.80
ऋण						
सहायक कम्पनियों को ऋण	**3486.05**	**3607.95**	1159.72	1167.23	229.70	230.70
कर्मचारियों को ऋण	**167.50**	**195.27**	175.81	188.97	166.08	175.30
कुल वित्तीय आस्तियां	**3656.05**	**3805.77**	1343.03	1363.89	588.70	612.80
वित्तीय देयताएं						
उधारी	**121868.74**	**128946.98**	110924.11	115659.89	97341.42	101819.45
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमाराशियां/प्रतिधारण राशि	**352.24**	**364.20**	870.90	826.50	654.31	603.22
कुल वित्तीय देयताएं	**122220.98**	**129311.18**	111795.01	116486.39	97995.73	102422.67

व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयताओं, नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य चालू वित्तीय देयताओं की रखरखाव राशियों को अपनी अल्प अवधि स्वरुप के कारण उनके उचित मूल्य के रुप में होना समझा जाता है।

वित्तीय आस्तियों के लिए, जिन्हें उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। रखरखाव राशियां उचित मूल्य के बराबर होती हैं।

60. संबंधित पक्ष लेन-देन

(क) सहायक कम्पनियां

कम्पनी का नाम	कारबार का स्थान/निगमन देश	स्वामित्वहित का भाग		
		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
पॉवरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%	100%
पॉवरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%	100%
पॉवरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%	100%
पॉवरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%	100%
पॉवरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%	100%
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%	लागू नहीं
पॉवरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%	लागू नहीं
पॉवरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%	लागू नहीं
पॉवरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%	100%
पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड**	भारत	**लागू नहीं**	100%	100%
ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड	भारत	**100%**	100%	100%
मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड##	भारत	**100%**	लागू नहीं	लागू नहीं

**2 जनवरी, 2017 से सहायक कम्पनी नही है।

##28 मार्च, 2017 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड की 100% इक्विटी।

ख) संयुक्त उद्यम

कम्पनी का नाम	कारबार का स्थान/निगमन देश	स्वामित्वहित का भाग		
		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**49%**	49%	49%
टोरेंट पॉवरग्रिड लिमिटेड	भारत	**26%**	26%	26%
जेपी पॉवरग्रिड लिमिटेड	भारत	**26%**	26%	26%
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	**26%**	26%	26%
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	**26%**	26%	26%
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	**26%**	26%	26%
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	**20%**	21.64%	20%
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिज लिमिटेड*	भारत	**4.87%**	13.63%	25%
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	भारत	**50%**	500%	50%
कलिंगा बिदुयत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड	भारत	**50%**	50%	50%
क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	**26%**	26%	26%
आरआईएनएल पॉवरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	**50%**	50%	0%
पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी नेपाल लि.	नेपाल	**26%**	26%	26%

* 25 अप्रैल, 2016 से संयुक्त उद्यम नही है।

60. संबंधित पक्ष लेन देन (जारी)

(ग) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम
श्री आई.एस झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर.टी. अग्रवाल	निदेशक (वित्त) - 31 अगस्त, 2016 को सेवानिवृत्त
श्री के. श्रीकान्त	निदेशक (वित्त) - 1 सितम्बर, 2016 से
श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)
श्री आर. पी. ससमाल	निदेशक (प्रचालन)
श्री प्रभाकर सिंह	निदेशक (परियोजना) - 8 फरवरी, 2017 से
डा. प्रदीप कुमार	सरकारी नामिती
श्रीमती ज्योति अरोड़ा	सरकारी नामिती
श्री जगदीश ईश्वर भाई पटेल	स्वतंत्र निदेशक
श्री त्से तेन डोरजी	स्वतंत्र निदेशक
सुश्री ज्योतिका कालरा	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती दिव्या टण्डन	कंपनी सचिव

(घ) आय संबंधित पक्षों की सूची

कम्पनी का नाम	कार्य स्थान/निगमन देश	संबंध का स्वरु प
पॉवरग्रिड कर्मचारी पी.एफ. ट्रस्ट	भारत	पॉवरग्रिड की नियोजन बाद लाभ योजना
पॉवरग्रिड स्वतः अंशदायी अधिवर्षिता लाभ (पेंशन) फण्ड ट्रस्ट	भारत	पॉवरग्रिड की नियोजन बाद लाभ योजना
पॉवरग्रिड कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट	भारत	पॉवरग्रिड की नियोजन बाद लाभ योजना

(ड.) सरकार से संबंधित कम्पनियां

कंम्पनी भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, इसे भारत सरकार का जारी एवं प्रदत्त 57.90% इक्विटी शेयर हैं (पूर्ववर्ती वर्ष 57.90%)।

कम्पनी का दूसरी कम्पनियों के साथ पूंजीगत उपकरण, अतिरिक्त पुर्जे एवं सेवाओं के प्रापण हेतु भारत सरकार द्वारा नियंत्रित व्यापार लेनदेन है। इन कम्पनियों के साथ लेन देन खुली निविदाओं के प्रति पारदर्शी मूल्य खोज प्रक्रिया के जरिए आर्म्स लेंथ आधार पर बाजार शर्तों पर किए जाते हैं, जो अत्यावश्यकता, सुसंगता अथवा अन्य कारणों से स्वामित्व मदों/एकल निविदा आधार पर मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) से अतिरिक्त पुर्जो/सेवाओं के कुछ मामलों को छोड़ कर है। ऐसे एकल निविदा प्रापण उन्हीं/सदृश मदों के उपलब्ध मूल्य डेटा के संबंध में मूल्य मानक के साथ वार्ता प्रक्रिया के जरिए भी किया जाता है।

उपरोक्त लेन देन समान्य दिन-प्रतिदिन के कार्य प्रचालन की प्रक्रिया में है और आकार को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण होना नहीं समझा जाता है, जो या तो व्यक्तिगत रुप से होता है या फिर सामूहिक रुप से।

(च) सामान एवं सेवाओं की बिक्री/खरीद से उत्पन्न बकाया शेष

निम्नलिखित शेष संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों के संबंध में सूचना अवधि की समाप्ति पर बकाया है।

(₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015
व्यापार देयताएं (सामान एवं सेवाओं की खरीद)			
सहायक कम्पनियां			
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड**	**-**	-	3.61
संयुक्त उद्यम			
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	**-**	0.09	0.09
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**-**	5.36	-
पॉवरलिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	2.78	2.78
बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	**-**	-	3.28
क्रॉस बॉर्डर पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमटेड	**9.53**	7.58	1.70
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**30.78**	40.44	40.38
संबंधित पक्षों को कुल देयताएं	**40.31**	56.25	51.84

**2 जनवरी, 2017 से सहायक कम्पनी नही है।

60. संबंधित पक्ष लेन देन (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015
व्यापार प्राप्य (सामान एवं सेवाओं की बिक्री)			
पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां			
पॉवर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड**	**-**	57.15	47.12
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**19.39**	19.37	19.37
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**31.67**	4.30	23.26
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**16.31**	4.47	50.19
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**3.52**	0.42	2.95
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**9.37**	0.04	4.08
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**10.69**	18.71	18.34
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमटेड	**15.99**	18.57	-
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**11.76**	18.87	-
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**15.18**	19.18	-
ग्रिड कंडकटर्स लिमिटेड	**-**	0.08	-
मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	**19.23**	-	-
संयुक्त उद्यम			
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.36**	-	0.01
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**5.22**	21.50	22.21
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**4.67**	-	4.19
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	**-**	0.13	0.25
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	**4.92**	9.19	7.08
कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड	**0.85**	0.85	0.84
क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**-**	-	0.30
पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी नेपाल लिमिटेड	**-**	0.03	-
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	**0.08**	0.08	-
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.97**	0.06	0.10
संबंधित पक्षों को कुल प्राप्य	**170.18**	193.00	200.29

**2 जनवरी, 2017 से सहायक कम्पनी बंद है।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
ऋण	**0.15**	0.18	0.16

संबंधित पक्षों को ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
सहायक कंपनियों को ऋण	**839.25**	535.50	91.34
पॉवरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**720.33**	532.36	138.36
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**54.44**	26.12	-
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**204.59**	30.31	-
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**204.06**	2.34	-
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**675.43**	12.17	-
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**445.39**	5.28	-
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**342.56**	15.64	-
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड जोड़	**3486.05**	1159.72	229.70

60. संबंधित पक्ष लेन देन (जारी)

ऋण पर उद्भूत ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
सहायक कंपनियां			
पॉवरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**33.88**	14.29	1.17
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**23.75**	9.08	2.24
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**2.54**	0.64	-
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**4.72**	1.44	-
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**5.05**	-	-
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**16.15**	-	-
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**9.99**	-	-
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**8.76**	-	-
जोड़	**104.84**	25.45	3.41

अन्य संबंधित पक्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
कर्मचारी लाभ व्यय में बकाया शेष			
पॉवरग्रिड कर्मचारी पी.एफ. न्यास	**-**	4.79	(3.89)
पॉवरग्रिड स्वतः अंशदायी अधिवर्षिता लाभ (पेंशन) निधि न्यास	**-**	(10.41)	(7.91)
पॉवरग्रिड कर्मचारी उपदान निधि न्यास	**56.67**	29.21	(1.78)
जोड़	**56.67**	23.59	(13.58)

(छ) संबंधित पक्षों के साथ लेन देन

संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित लेन देन हुआ है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
कम्पनी द्वारा प्राप्त सेवाएं		
सहायक कम्पनियां		
पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड**	**9.22**	11.13
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**-**	1.81
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विस लिमिटेड	**0.49**	-
जोड़	**9.71**	12.94
कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं		
सहायक कम्पनियां		
पावरग्रिड सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड**	**5.91**	7.30
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**11.39**	-
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.10**	-
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.05**	-
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**0.13**	29.42
पावरलिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.28**	0.08
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विस लिमिटेड	**-**	0.15
पावर ट्रांसमिशन कम्पनी नेपाल लिमिटेड	**3.10**	2.41

60. संबंधित पक्ष लेन देन (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	0.28	-
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2.96	3.94
बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	0.12	30.38
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	0.37	-
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.58	16.93
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	8.12	12.18
टोरेंट पावरग्रड लिमिटेड	1.29	-
जोड़	34.68	102.79

**2जनवरी, 2017 से सहायक कम्पनी बंद है।

अन्य संबंधित पक्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के दौरान किया गया अंशदान		
पावरग्रिड कर्मचारी पी. एफ. न्यास	89.47	84.57
पावरग्रिड स्व अंशदायी अधिवर्षिता लाभ (पेंशन) निधि न्यास	109.83	102.19
पावरग्रिड कर्मचारी उपदान निधि न्यास	26.85	28.66
जोड़	226.15	215.42

वर्ष के दौरान किया गया निवेश (इक्विटी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	138.00*	-
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	155.00	-
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.00	-
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.10	-
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	25.05	0.05
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
पावरग्रिड साउदर्न ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	0.05
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.91	-
मेदीनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड	0.05	-
संयुक्त उद्यम		
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	27.17	26.10
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-	-
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	6.50	-
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	108.19	30.29
क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2.30	5.38
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	3.30	0.10
पावर ट्रांसमिशन कम्पनी नेपाल लिमिटेड	-	3.90
जोड़	479.63	65.92

*10 अप्रैल, 2017 को आबंटित ₹28 करोड़ की शेयर आवेदन राशि शामिल है।

60. संबंधित पक्ष लेन देन (जारी)

परामर्श से आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
सहायक कम्पनियां		
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमटेड	2.70	0.12
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमटेड	8.11	0.26
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमटेड	11.39	2.03
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमटेड	29.92	7.48
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमटेड	22.68	4.52
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमटेड	11.92	14.86
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	33.95	-
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमटेड	27.74	-
जोड़	148.41	29.27

ऋण पर ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
सहायक कम्पनियां		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	62.32	24.09
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमटेड	56.79	22.83
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमटेड	3.94	0.70
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमटेड	5.93	1.60
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमटेड	5.75	-
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमटेड	18.68	-
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमटेड	11.42	-
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमटेड	10.67	0.01
जोड़	175.50	49.23

प्राप्त लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
सहायक कम्पनियां		
पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड**	3.56	20.07
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	38.99	44.72
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	13.26	4.68
टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	1.64	1.29
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	-	10.69
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-	0.68
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	1.77	-
जोड़	59.22	82.13

** 2 जनवरी, 2017 से सहायक कम्पनी नही है।

60. संबंधित पक्ष लेन देन (जारी)

कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में वसूली

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
संयुक्त उद्यम		
जेपी पॉवरग्रिड लिमिटेड	**0.11**	-
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	**-**	0.35
जोड़	**0.11**	**0.35**

निबंधन एवं शर्तें

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को ऋण उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर दिया जाता है, जो अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं।

अन्य सभी लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों एवं शर्तों पर तथा बाजार दरों पर किए गए थे। सभी बकाया शेष राशियां प्रतिशत हैं और नकदी में चुकौती योग्य हैं।

संबंधित पक्षों के साथ सेंट्रल ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू) की क्षमता में लेन-देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
सहायक कम्पनियां		
पावर विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**48.26**	1.18
संयुक्त उद्यम		
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	**162.46**	163.13
टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	**52.71**	57.62
पवरलिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड	**262.14**	260.98
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**195.56**	170.69
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	**321.43**	401.29
जोड़	**1042.56**	**1054.89**

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को परिश्रमिक ₹3.61 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹3.07 करोड़) है और 31 मार्च, 2017 को कम्पनी की बकाया देयताओं की राशि ₹0.15 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹0.18 करोड़) 1 अप्रैल, 2015 को ₹0.16 करोड़) है।

61. खण्ड सूचना

क) व्यावसायिक खण्ड

निदेशक मण्डल कम्पनी का मुख्य प्रचालन निर्णायक होता है जो संसाधन आबंटन एवं निष्पादन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ अलग से अपने व्यावसायिक खण्डों के परिचालन परिणामों को मॉनीटर करता है। उत्पाद/सेवाओं के आधार पर तीन महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान की गई है।

- **ट्रांसमिशन -** कम्पनी का मुख्य व्यवसाय भारत के अलग-अलग राज्यों में थोक विद्युत का पारेषण है।
- **दूरसंसचार-** पावरग्रिड के देशव्यापी ट्रांसमिशन अवसंरचना को उन्नत बनाना और बिन्दुवार बैंडविड्थ लीसिंग व्यवसाय में तटस्थ वाहक के रुप में काम करता है।
- **परामर्शी सेवा-** ट्रांसमिशन, वितरण एवं दूरसंचार क्षेत्रों में आन्तरिक विशेषज्ञता प्रदान करता है, जिसमें प्लनिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग, लोड डिस्पैच, अन्तर राज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क पर ओपीजीडब्ल्यू, प्रापण प्रबंधन, प्रचालन एवं रखरखाव, वित्त पोषण और परियोजना प्रबंधन शामिल हैं।

ख) कम्पनी के प्रचालन मुख्य रु प से देश के भीतर किए जाते हैं और इसलिए इसमें उल्लेखनीय भौगोलिक खण्ड नहीं है।

खण्ड राजस्व और व्यय

खंड में दिखाए गए प्रत्यक्ष राजस्व को खंड राजस्व के रुप में माना गया है। खंडों में दिखाए गए प्रत्यक्ष व्यय और युक्तिसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय खंड व्यय के रुप में माने गए हैं।

खण्ड परिसम्पत्तियां और देयताएं

खंड परिसम्पत्तियों में सभी प्रचालनात्मक परिसम्पत्तियां शामिल है जिनमें निवल अचल परिसम्पत्तियां चालू संपत्तियां तथा ऋण और अग्रिम शामिल है। चालू निर्माण कार्य, निर्माण भण्डार और अग्रिमों तथा निवेशों को अनाबंटित सम्पत्तियों में शामिल किया गया है। खंड देयताओं में ऋण देयताएं चाले देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।

61. खण्ड सूचना (जारी)

खण्ड रिपोर्टिंग

(₹ करोड़ में)

	पारेषण			परामर्शी सेवा			दूरसंचार			विलोपन			जोड़		
	31मार्च, 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को	31मार्च, 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को	31मार्च, 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को	31मार्च, 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को	31मार्च, 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
राजस्व:															
प्रचालनों से राजस्व (आबंटन योग्य अन्य आय सहित)	25111.35	20137.25		590.56	477.39		503.83	392.25		-	-		26205.74	21006.89	
अंतर खंड राजस्व							55.53	42.67		(55.53)	(42.67)		-	-	
प्रचालनों से निवल राजस्व	25111.35	20137.25		590.56	477.39		559.36	434.92		(55.53)	(42.67)		26205.74	21006.89	
खंड परिणाम	14835.51	11942.29		408.36	334.79		254.00	161.95					15497.87	12439.03	
अनाबंटित ब्याज और अन्य आय													375.72	236.41	
अनाबंटित वित्त लागत													6303.83	5134.93	
कर पूर्व लाभ													9569.76	7540.51	
करों के लिए प्रावधान													2049.61	1592.01	
कर-पश्चात लाभ													7520.15	5948.50	
अन्य सूचना :															
खंड परिसम्पत्तियां	146173.12	125733.88	97427.88	2128.67	1703.82	1135.07	861.20	816.71	800.39				149162.99	128254.41	99363.34
अनाबंटित परिसम्पत्तियां													45516.47	50154.84	58991.76
कुल परिसम्पत्तियां													194679.46	178409.25	158355.10
खंड देयताएं	7722.37	8096.84	6703.91	2361.41	2776.43	1877.92	654.16	586.26	544.76				10737.94	11459.53	9126.59
अनाबंटित अन्य देयताएं (ऋण सहित)													134134.27	123138.49	110028.83
कुल देयताएं													144872.21	134598.02	119155.42
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	7570.39	6088.30		1.20	0.90		91.21	90.60					7662.80	6179.80	
मूल्यह्रास से भिन्न गैर-नकदी व्यय	2.38	0.49		1.55	2.88		8.92	4.53					12.85	7.90	
पूंजीगत व्यय	20338.83	22623.08		2.00	(0.43)		141.51	37.50					20482.34	22660.15	

62. पूंजी एवं अन्य प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
संविदाओं की अनुमानित राशि, जिन्हें पूंजीगत खाते में निष्पादित किया जाना है और उपलब्ध नहीं हो (निवल अग्रिम)	**32544.86**	23502.87	24189.22
संयुक्त उद्यम कम्पनियों में और निवेश के संबंध में कम्पनी की प्रतिबद्धताएं	**39.24**	336.24	427.61
सहायक कम्पनियों में और निदेशक के संबंध में कम्पनी की प्रतिबद्धता	**13541.81**	12260.25	4261.42

63. आकस्मिक देयताएं और आकारिमक आरित्तयां

आकस्मिक देयताएं

1. कम्पनी के संबंध में दावे जो निम्न के संबंध में ऋणों के रु प में स्वीकार न हो :

(i) पूंजीगत कार्य :

कुछ ठेकेदारों ने हमारी परियोजनाओं में उपकरणों की आपूर्ति एवं संस्थापन हेतु तथा कार्यों के निष्पादित हेतु कम्पनी में दावे प्रस्तुत किए है, जिसका उद्देश्य संविदा मूल्य को बढ़ाना, मूल्य छिपाव वाली कार्य अनुसूची का संशोधन, विस्तारित कार्य अवधि के लिए क्षतिपूर्ण अनावश्यक खर्चों की क्षतिपूरण करना की है। इन दावों को कम्पनी द्वारा अमान्य किया गया है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों की शर्तों में स्वीकार्य नहीं है।

कम्पनी के पास इन दावों के निपटान हेतु संविदा में उपलब्ध विवाद समाधान प्रणाली के तहत कई विकल्प हैं। ऐसे मामलों में आकस्मिक देयता ₹1381.17 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹1666.86 करोड़, 1 अप्रैल, 2015 को ₹219.14 करोड़) का अनुमान है।

(ii) भूमि क्षतिपूरण मामले

परियोजनाओं के लिए प्राप्त भूमि के संबंध में भूमि खोने वालों ने विभिन्न प्राधिकरणों/न्यायालयों में अत्यधिक क्षतिपूरण का दावा किया है, जिन्हें अभी निपटाया जाना है। ऐसे मामलों में ₹2671.53 करोड़ की आकस्मिक देयता (31 मार्च, 2016 को ₹4041.30 करोड़) तथा 1 अप्रैल, 2015 को ₹2253.11 करोड़) अनुमानित है।

(iii) अन्य दावे

विभिन्न राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों/प्राधिकरणों द्वारा भवन परमिशन शुल्क, कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोग में परिवर्तन कर अर्थदण्ड, नाला कर, वाटर रॉयल्टी आदि एवं अन्यों द्वारा किए गए दावों के निबंध में ₹4.00 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹28.66 करोड़ और 1 अप्रैल, 2015 को ₹44.09 करोड़) की आकस्मिक देयता का अनुमान है।

(iv) विवादित आयकर/बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/नगर कर मामले

₹388.38 करोड़ राशि की (31 मार्च, 2016 को ₹399.03 करोड़, 1 अप्रैल, 2015 को ₹391.22 करोड़) विवादित आय कर/बिक्रीकर/उत्पाद शुल्क/नगर कर मामले विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित हैं। इनमें से कई मामलों को कम्पनी के पक्ष में निपटा दिया गया है परन्तु संबंधित विभागों द्वारा उच्च प्राधिकरणों में विवादित है।

(v) अन्य

क) ₹201.32 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹342.33 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹303.56 करोड़) की अन्य आकस्मिक देयता राशि।

ख) कुछ लाभार्थियों ने सीईआरसी के टैरिफ अदेशों के विरुद्ध अपील दायर की है। इस संबंध में आकस्मिक देयता की राशि का पता नहीं है।

ग) पावरलिंक ट्रांसमिशन लि. के साथ ट्रांसमिशन सर्विस करार (टीएसए) के तहत कम्पनी की टीएसए के अनुसार निर्धारित बाइआउट मूल्य पर जेवी कम्पनी (पावरलिंक ट्रांसमिशन लि.) को है यदि जेवी कम्पनी (पावरलिंक ट्रांसमिशन लि.) टीएसए के तहत निर्धारित ''पावरग्रिड दोषपूर्ण घटना'' अथवा ''अप्रत्याशित घटना'' दोनों में से किसी भी पर भी टर्मिनेशन नोटिस भेजती है। इस संबंध में कोई आकस्मिक देयता नहीं समझी गई है क्योंकि यह निश्चेय नहीं है।

63. आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक आस्तियां (जारी)

2. क) कम्पनी द्वारा एसपीवी कम्पनियों की ओर से दी गई बैंक गारण्टियों के ब्यौरे, जिन्हें सौंपे गए कार्य निष्पादन के संबंध में टैरिफ आधारित बोलियों के तहत सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए अधिकार में लिया गया था, निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

एसपीवी का नाम	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	45.00	45.00
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**43.59**	45.00	45.00
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**2.17**	5.40	5.40
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**5.96**	5.96	5.96
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**31.50**	31.50	31.50
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**62.10**	62.10	-
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**63.90**	63.90	-
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रासंमिशन सिस्टम लिमिटेड	**110.04**	110.04	-
मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	**141.89**	लागू नही	लागू नही

ख) कम्पनी ने पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी बाण्ड के संबंध में ₹290 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹290 करोड; 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) राशि को बाध्यता की देयताओं एवं समयनिष्ठ भुगतान एवं निर्वहन हेतु गारण्टी दी है।

64. पूंजी प्रबंधन

क) जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के उद्देश्य जब प्रबंधकीय पूंजी

- शेयरधारक मूल्य से अधिक हो;
- एक चालू के रुप में इसकी क्षमता की रक्षोपाय करती हो;
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए ईष्टतम पूंजी ढांचे को बनाए रखती हो।

कम्पनी के पूंजी प्रबंधन के प्रयोजनार्थ, इक्विटी पूंजी में जारी इक्विटी पूंजी। प्रतिभूति प्रीमियम प्रारक्षित विधि एवं कम्पनी के इक्विटी धारकों पर आरोप्य सभी अन्य इक्विटी प्रारक्षित निधियां शामिल हैं। कम्पनी अपने पूंजी ढांचे को व्यवस्थित रखती है और आर्थिक स्थितियों, विनियामक ढांचे तथा साहूकारों के साथ वित्तीय प्रतिज्ञा पत्रों की जरूरतों में बदलाव को देखते हुए समयोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने अथवा समायोजित करने के लिए कम्पनी शेयर धारकों के लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, निवेशों को नई परियोजनाओं में विनियमित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है अथवा नये शेयर जारी कर सकती है। कम्पनी ऋण-इक्विटी अनुपात का प्रयोग करते हुए पूंजी को मॉनीटर करती है, जो कुल निवल मूल्य का दीर्घ अवधि का अनुपात है। नीति ऋण-इक्विटी अनुपात को, जिसमें ऋण नियोजित कुल पूंजी के 75% से कम है (अर्थात 75:25 से कम इक्विटी अनुपात का ऋण) मकें रखने की है। कम्पनी में दीर्घ अवधि ऋण ब्याज धारित ऋण एवं उधारितों तथा दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वताएं शामिल हैं।

कम्पनी की ऋण -इक्विटी अनुपात निम्नानुसार हैं :

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
दीर्घ अवधि ऋण (₹ करोड़ में)	**117197.91**	106254.91	93780.35
इक्विटी (₹ करोड़ में)	**49807.25**	43811.23	39199.68
इक्विटी अनुपात में दीर्घ अवधि ऋण	**70:30**	71:29	71:29

प्रमुख उधारी सुविधाओं की शर्तों में, कम्पनी को वित्तीय प्रतिज्ञापत्रों का पालन करना आवश्यक है। वित्तीय प्रतिज्ञापत्रों का उल्लंघन साहूकारों को तत्काल ऋण एवं उधारी लेने के लिए अनुमत होगा। इसमें चालू सूचना अवधि में किसी ब्याज धारित ऋण होगा। इसमें चालू सूचना अवधि में किसी ब्याज धारित ऋण एवं उधारियां के वित्तीय प्रतिज्ञापत्रों में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्षों में पूंजी प्रबंधन उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

64. पूंजी प्रबंधन (जारी)

ख) लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
(i) इक्विटी शेयर		
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश (31 मार्च 2015, ₹1.31) ₹1.51 प्रतिपूर्ण प्रदत्त शेयर	**789.97**	685.34
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश (31 मार्च, 2016, ₹0.80) ₹1.00 प्रतिपूर्ण प्रदत्त शेयर	**523.15**	418.53

सूचना अवधि की समाप्ति पर मान्य नहीं किया गया लाभांश :

उपरोक्त लाभांश के अलावा, निदेशक मण्डल ने 29 मई, 2017 को ₹3.35 प्रति पूर्णपदत्त इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अध्यधीन है।

65. प्रति शेयर आय

(₹ करोड़ में)

(क) कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय प्रतिशेष मूल एवं कम आय	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
विनियामक आस्थगन शेषों में घट-बढ़ सहित	**14.37**	11.37
विनियामक आस्थगन शेषों में घट-बढ़ को छोड़कर	**14.24**	11.37
कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय प्रति शेयर मूल एवं कम आय	**14.37**	11.37

(₹ करोड़ में)

(ख) प्रति शेयर आय परिकलन में प्रयुक्त अर्जनों का मिलान	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
विनियामक आस्थगन शेषों में घट-बढ सहित कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय आय	**7520.15**	5948.50
विनियामक आस्थगन शेषों में घट बढ़ को छोड़कर कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय आय	**7450.22**	5948.55
कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय कुल आय	**7520.15**	5948.50

(₹ करोड़ में)

(ग) डिनो मिनेटर के रु प में प्रयुक्त भारित औसत शेयर संख्या	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
प्रति शेयर मूल आय के परिकलन में डेनोमिनेटर के रुप में प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयर संख्या	**5231589648**	5231589648
प्रति शेयर कम की गई आय के परिकलन हेतु समायोजन	**-**	-
प्रति शेयर मूल आय के परिकलन में डिनोमिनेटर के रु प में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की कुल भारित औसत शेयर संख्या	**5231589648**	5231589648

66. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कम्पनी की मूल वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधारियां शामिल हैं, जो भारतीय रुपए में अथवा विदेशी मुद्राओं में, व्यापार देयताओं में और अन्य देयताओं में मूल्यवर्ग के हैं। कम्पनी ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा जारी बॉण्डों के संबंध में भी वित्तीय गारण्टी प्रदान की है। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य प्रयोजन कम्पनी के पूंजीगत निवेशों एवं प्रचालनों को वित्तपोषित करना है।

कम्पनी के मूल वित्तीय आस्तियों में ऋण एवं अग्रिम, व्यापार एवं अन्य प्राप्य तथा नकदी एवं नकदी समतुल्य शामिल हैं, जो इसके प्रचालनों से उत्पन्न होते हैं।

कम्पनी के कार्यकलापों में निम्नलिखित वित्तीय जोखिम दिखाई देते हैं, नामतः

क) क्रेडिट जोखिम

ख) नकदी जोखिम

ग) मार्केट जोखिम

यह टिप्पणी इन जोखिमों के मूल्यांकन एवं व्यवस्थापन हेतु कम्पनी की स्थिति, उद्देश्यों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में सूचना को दर्शाती है।

66. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

जोखिम प्रबंधन ढांचा

कम्पनी की एक विधिवता रुप से गठित जोखिम प्रबंधन समिति है जिसका प्रमुख निदेशक (प्रचालन) होता है तथा निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (कार्मिक) सदस्य के रुप में होते हैं। अनिश्चितताएं, का जिन जो उद्यम के सामने आती है, का मूल्यांकन करने तथा व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे को कम्पनी में लागू किया गया है। ढांचा जोखिमों की पहचान करने, निर्धारण करने, मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन हेतु संरचित, सुसंगत एवं एक सतत प्रक्रिया है। इस ढांचे के अनुसार, महत्वपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं/जोखिमों को विभिन्न मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के जरिए मॉनीटर एवं नियंत्रित किया जाता है। समिति की नियमित अन्तरालों पर बैठकें होती हैं और केपीआई की पुनरीक्षा करती हैं और लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड को नवीनतम जानकारी देती हैं।

वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन को कम्पनी द्वारा नीचे संक्षेप में दिया गया है :

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है कि प्रति पार्टी किसी द्वितीय वित्तीय लिखित या ग्राहक संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगी, जिसके फलस्वरुप वित्तीय हानि होती है। कंपनी व्यापार प्राप्यों और ऋणों तथा अग्रिमों के कारण प्रचालन गतिविधियों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जमा के कारण इसकी वित्तीय गतिविधियों, विदेशी विनिमय लेन-देनों ओर अन्य वित्तीय साधनों और राज्य सरकार बांडों में निवेश के कारण इसकी निवेश गतिविधियों के लिए क्रेडिट जोखिम के प्रति अनाश्रित है।

वित्तीय परिसम्पत्ति पर चूक तब होती है जब प्रति पार्टी उनके देय होने पर 3 वर्ष के भीतर संविदात्मक भुगतान करने में विफल रहती है। चूक की परिभाषा व्यवसाय परिवेश, जिसमें कंपनी प्रचालन करती है और अन्य मेक्रो-आर्थिक कारकों पर विचार करते हुए निर्धारित की जाती है।

परिसंपत्तियों को बट्टेखाते डाल दिया जाता है जब वसूली की समुचित संभावना नहीं होती, जैसे कि कर्जदार दिवालिया होना घोषित करता है या कंपनी के पास वापसी-अदायगी योजना लाने में विफल रहता है। जहां ऋण और प्राप्य बट्टे खाते डाल दिए गए हैं, कंपनी देय प्राप्य की वसूली के प्रयास के लिए प्रवर्तन गतिविधि जारी रखती है।

(i) व्यापार प्राप्य

कंपनी मुख्यतः अन्तरराज्यीय पारेषण सेवा ग्राहकों (डीआईसी) को पारेषण सेवाएं देती है जिसमें मुख्यतः राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली राज्य उपयोगिताएं शामिल हैं। कंपनी के पास त्रिपक्षीय करारों (टीपीए) द्वारा समर्पित साख पत्रों (एलसी) के रुप में मजबूत सुरक्षा तंत्र है। टीपीए, भारत सरकार द्वारा 2001-02 के दौरान राज्य बिजली बोर्ड देयता की एकमुश्त निपटान स्कीम, जो अक्टूबर, 2016 तक वैध थी, के बाद भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अलग-अलग राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। भारत सरकार ने इन टीपीए को और आगे 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ाने को अनुमोदित किया है। अधिकांश राज्यों ने टीपीए के विस्तार के लिए करार निष्पन्न किए हैं और शेष राज्यों के पास मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।

टीपीए के प्रावधानों के अनुसार ग्राहकों को पिछले 12 महीनों के लिए कंपनी की औसत मासिक बिलिंग के 105 प्रतिशत को कवर करते हुए एलसी स्थापित करना अपेक्षित होती है। टीपीए में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य उपयोगित द्वारा चालू देयता के भुगतान में कोई चूक होती है तो राज्य के आरबीआई खाते से बकाया देयता को काटा जा सकता है और संबंधित सीपीएसयू को अदा किया जाता है। देयता का भुगतान न करने और एलसी स्थापित न करने के मामले में कंपनी द्वारा विद्युत के विनिमय के लिए भी प्रावधान है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमन बिल की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर पारेषण प्रभारों के प्रति मासिक बिलों के लिए भुगतान और 60 दिन के बाद देरी से भुगतान पर अधिभार लगाने की अनुमति देते हैं।

व्यापार प्राप्यों में ट्रांसमिशन सेवाओं से संबंधित प्राप्य शामिल हैं, जो ₹2835.17 करोड़ (31 मार्च, 2016; ₹2608.39 करोड़, 1 अप्रैल, 2015; ₹2014.3 करोड़) है, ₹315.92 करोड़ (31 मार्च, 2016; ₹77.10 करोड, 1 अप्रैल, 2015; ₹81.03 करोड़) की परामर्श सेवाओं से संबंधित प्राप्य है, ₹102.42 करोड़ (31 मार्च, 2016, 83.10 करोड़, 1 अप्रैल, 2015, ₹50.82 करोड़) के दूरसंचार व्यवसाय से सबंधित प्राप्य हैं।

(ii) अन्य वित्तीय आस्तियां (व्यापार प्राप्यों को छोड़कर)

- **नकद और नकदी समकक्ष**

कंपनी की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास ₹1401.57 करोड़ (31 मार्च, 2016; ₹908.89 करोड़, 1 अप्रैल, 2015; ₹627.97 करोड़) की जमा राशि थी। नकद और नकदी समकक्ष सरकारी क्षेत्र के बैंकों और उच्च दर वाले निजी क्षेत्र के बैंकों के पास रखे जाते हैं और कोई उल्लेखनीय जोखिम नहीं होता है।

- **बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास जमा**

कंपनी की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास 2097.25 करोड़ (31 मार्च, 2016; ₹1544.84 करोड़, 1 अप्रैल, 2015 को ₹1435.01 करोड़) की जमा राशि थी। सावधि जमा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में रखी जाती है और नगण्य क्रेडिट जोखिम होता है।

- **निवेश**

कंपनी की एकमुश्त स्कीम के तहत 8.5% कर मुक्त राज्य सरकार के बांडों में ₹2.50 करोड़ (31 मार्च, 2016;₹7.50, 1 अप्रैल, 2015, 192.92 करोड़) का निवेश है। कंपनी प्रति पार्टी से इसके दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की आशा नहीं करती और इन निवेशों के संबंध में किसी हानि का अनुभव नहीं किया गया है।

66. जोखिम प्रबंधन ढांचा (जारी)

- **ऋण**

कंपनी ने कर्मचारियों, सहायक कंपनियों और अन्य पार्टियों को ऋण दिए हैं। कर्मचारियों को मकान निर्माण ऋण और सवारी अग्रिम मकान सम्पत्तियों के रेहन या वाहनों के दृष्टि बंधक के विरुद्ध सुरक्षित है, जिनके लिए ऐसे ऋण कंपनी की नीति के अनुरुप हैं। समूह कंपनियों को दिए गए ऋण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली रूट के तहत परियोजनाओं के लिए हैं। इन ऋणों के संबंध में चूक का जोखिम नगण्य है।

- **क्रेडिट जोखिम के लिए प्रकटन**

वित्तीय आस्तियों को आगे ले जाए जाने वाली राशि अधिकतम क्रेडिट एक्सपोजर दर्शाती है। रिपोर्टिंग तारीख को क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम एक्सपोजर निम्नलिखित था :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
वित्तीय आस्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को 12 महीने की संभावित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) का प्रयोग करके मापा जाता है			
गैर-चालू निवेश	**-**	2.50	7.49
गैर-चालू ऋण	**3618.41**	1304.81	370.33
अन्य गैर-चालू वित्तीय आस्तियां	**635.32**	667.45	576.41
चालू निवेश	**2.50**	5.00	185.43
नकद और नकदी समकक्ष	**1401.57**	908.89	627.97
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास जमा	**2097.25**	1544.84	1435.01
चालू ऋण	**35.14**	30.72	25.49
अन्य चालू वित्तीय आस्तियां	**3335.29**	3361.90	2541.04
कुल	**11125.48**	7826.11	5769.17
वित्तीय आस्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को 12 महीने की संभावित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) का प्रयोग करके मापा जाता है			
व्यापार प्राप्य	**3253.51**	2767.59	2145.98

- **संभावित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान**

(क) वित्तीय आस्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को 12 महीने की संभावित हानियों का प्रयोग करके मापा जाता है।

कंपनी के पास आस्तियां हैं जिनमें प्रति-पार्टी के पास दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और जिनमें चूक का जोखिम बहुत कम है प्रारंभिक पहचान में वित्तीय आस्तियों (व्यापार प्राप्यों को छोड़कर) को नगण्य क्रेडिट जोखिम वाला माना जाता है और जोखिम पहली पहचान से बढ़ता नहीं है। इसलिए संभावित क्रेडिट हानि का प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

(ख) वित्तीय आस्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को जीवन के समय में संभावित हानियों का प्रयोग करके मापा जाता है।

दूरसंचार और परामर्श से व्यापार प्राप्यों के संबंध में ग्राहक क्रेडिट जोखिम बकाया प्राप्यों की नियमित रुप से मानीटर द्वारा प्रबंध किया जाता है और उगाही के लिए ग्राहक के पास अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

पारेषण खंड के संबंध में कंपनी के पास ऐसे ग्राहक हैं जो दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के साथ राज्य सरकार उपयोगिताएं हैं, इसलिए चूक का जोखिम नगण्य है, इसके अलावा, प्रबंधन विश्वास करता है कि अक्षत राशियां जो देय तारीख से 30 दिन पुरानी हैं, अभी भुगतान सुरक्षा तंत्र और ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर संग्रहण योग्य हैं।

उपर्युक्त कारकों और प्रचालित विनियमों पर विचार करते हुए व्यापार प्राप्यों की प्रारंभिक पहचान और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को नगण्य क्रेडिट जोखिम रहता है।

66. वित्तिय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(ग) व्यापार प्राप्यों का काल-प्रभावन विश्लेषण

व्यापार प्राप्यों का काल-प्रभावन विश्लेषण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

काल-प्रभावन	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय के 31-60 दिन बाद	देय के 61-90 दिन बाद	देय के 91-120 दिन बाद	देय के 120 से अधिक दिन बाद	कुल
31 मार्च, 2017 को आगे ले जाए जाने की सकल राशि	28.58	1661.57	808.28	145.53	257.70	351.85	3253.51
31 मार्च, 2016 को आगे ले जाने की सकल राशि	6.08	1536.58	782.10	77.27	139.19	226.37	2767.59
1 अप्रैल, 2015 को आगे ले जाने की सकल राशि	3.71	1268.28	399.55	185.17	13.80	275.47	2145.98

(घ) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय आस्तियों के संबंध में क्षति के लिए गुंजाइश में घट बढ़ निम्नानुसार थी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	निवेश	ऋण	अग्रिम	वसूली योग्य दावे	कुल
1 अप्रैल, 2015 को शेष	27.33	-	-	19.37	-	46.70
पहचानी गई क्षति हानि	2.29	-	-	0.02	-	2.31
बट्टे खाते डाली गई राशि	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2016 को शेष	29.62	-	-	19.39	-	49.01
पहचानी गई क्षति हानि	2.79	-	-	0.86	-	3.65
बट्टे खाते डाली गई राशि	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 को शेष	**32.41**	**-**	**-**	**20.25**	**-**	**52.66**

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर कंपनी विश्वास करती है कि उपर्युक्त के अलावा किसी अन्य आस्ति के लिए किसी क्षति की गुंजाइश नहीं है क्योंकि राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

ख) नकदू जोखिम

नकदी जोखिम का तात्पर्य पर्याप्त नकद और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना है और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियन की उपब्धता है। कंपनी तरलता योजना साधन का प्रयोग करके निधियों की कमी के जोखिम को मानीटर करती है। कंपनी की निधियन के भिन्न स्रोतों जैसे कि वाणिज्यिक पेपर, बैंक ऋण, बांड और बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए पहुंच है और वचनबद्ध क्रेडिट लाइन के तहत उपलब्धता को बनाए रखकर निधियन में लचीलापन रखती है।

प्रबंधन नीचे दी गई अप्राप्त उधारी सुविधाओं और संभावित नकदी प्रवाहों के आधार पर नकद और नकदी समकक्ष शामिल करके कंपनी की तरलता की स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमान को मानीटर करता है।

कंपनी कार्यशील प्रदान करने और पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए तरलता के आंतरिक और बाह्य स्रोतों दोनों पर निर्भर करती है।

i) वित्तीय व्यवस्था

कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित निकासी न की गई उधार सुविधाओं के लिए पहुंच थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
1 वर्ष के भीतर समाप्त होने वाले (बैंक ओवर ड्राफ्ट और अन्य सुविधाएं)	**5134.38**	-	113.74
1 वर्ष के परे समाप्त होने वाले (बैंक ऋण)	**7730.51**	11343.55	18268.15

बैंक ओवर ड्राफ्ट सुविधाओं की निकासी किसी भी समय की जा सकती है और बिना नोटिस के बैंक द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। संतोषजनक क्रेडिट रेटिंग को जारी रखने के अध्यधीन बैंक ऋण किसी भी समय लिया जा सकता है और इसकी शेष उपलब्धता अवधि 1 से 5 वर्ष (2016 में 2 से 4 वर्ष और 2015 में 1 से 5 वर्ष) होती है।

66. वित्तीय प्रबंधन जोखिम (जारी)

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे की तालिका सभी गैर-डेरीवेटिव वित्तीय देयताओं के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर संबद्ध परिपक्वता समूहीकरण में कंपनी वित्तीय देयताओं का विश्लेषण करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशि बिना बट्टे के संविदात्मक नकदी प्रवाह है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता	एक वर्ष के भीतर	1-5 वर्ष के भीतर	5 वर्ष से परे	कुल
31 मार्च, 2017				
उधार (ब्याज बहिर्गमन सहित)	15781.65	65767.33	92633.85	174182.83
व्यापार देय	413.98	-	-	413.98
अन्य वित्तीय देयताएं	9919.04	352.24	-	10271.28
कुल	**26114.67**	**66119.57**	**92633.85**	**184868.09**
31 मार्च, 2016				
उधार (ब्याज बहिर्गमन सहित)	15271.14	57053.67	86467.68	158792.49
व्यापार देय	313.89	-	-	313.89
अन्य वित्तीय देयताएं	9089.41	870.90	-	9960.31
कुल	**24674.44**	**57924.57**	**86467.68**	**169066.69**
1 अप्रैल, 2015				
उधार (ब्याज बहिर्गमन सहित)	11921.30	50178.99	79,369.72	141470.01
व्यापार देय	392.97	-	-	392.97
अन्य वित्तीय देयताएं	9770.12	654.31	-	10424.43
कुल	**22084.39**	**50833.30**	**79369.72**	**152287.41**

ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय साधन का भविष्य में नकदी के प्रवाह का उचित मूल्य बाजार मूल्यों में परिवर्तनों के कारण घटे बढ़ेगा। बाजार जोखिम में तीन किस्म के जोखिम शामिल हैं :

i. करेंसी जोखिम

ii. ब्याज दर जोखिम

iii. अन्य मूल्य जोखिम, जैसे कि मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम

i) करेंसी जोखिम

कंपनी मुख्यतः विदेशी करेंसी में मूल्यवर्थीत ऋण और उधार और माल और सेवाओं का प्रापण, जिनका खरीद प्रतिफल विदेशी करेंसी में मूल्यवर्गित होता है, के संबंध करेंसी जोखिम के लिए अनाश्रित हैं। पारेषण टैरिफ सीईआरसी द्वारा विनियमित होते हैं। ब्लाक 2014-19 के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार कंपनी विदेशी करेंसी ऋण पर ब्याज और पारेषण प्रणाली के लिए गए विदेशी ऋण की वापसी अदायगी के संबंध में एक्सपोजर को अपने विवेक से भाग में या पूर्ण रुप से बचाव कर सकती है और संबद्ध वर्ष में नियामक विदेशी ऋण के तदनुरुपी विदेशी विनिमय दर में घटबढ़ की बचाव करने की लागत को वसूल सकती है।

यदि विदेशी करेंसी एक्सपोजर का बचाव नहीं किया जाता तो नियामक विदेशी करेंसी ऋण के तदनुरुपी ब्याज भुगतान और ऋण की वापसी अदायगी के प्रति अतिरिक्त रूपया देनदारी को पारेषण टैरिफ के भाग के रुप में संबद्ध वर्ष में वसूल करने की अनुमति है, बशर्ते कि यह उत्पादन करने वाली कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या इसके आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों के कारण न हो। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए कोई बचाव नहीं किया गया था। पूंजीगत निवेश के लिए खरीदे गए माल और सेवाओं के संबंध में पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए विनिमय दर में घटबढ़ परियोजना लागत का हिस्सा होती है। प्रचालन गतिविधियों के लिए खरीदे गए माल और सेवाओं के संबंध में करेंसी जोखिम महत्वपूर्ण नहीं होता है।

कंपनी का भारतीय रुपए में व्यक्त किया गया रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी करेंसी जोखिम के प्रति एक्सपोजर नोट सं. 54 में दिया गया है।

संवेदनशीलता

चूंकि, लाभ और हानि के विवरण पर अमरीकी डालर, यूरो, जापानी येन और अन्य करेंसियों के विरुद्ध भारतीय रुपए के मजबूत या कमजोर होने का प्रभाव बहुत उल्लेखनीय नहीं होगा; इसलिए करेंसी जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण प्रकट नहीं किया गया है।

66. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

ii) ब्याज दर जोखिम

कंपनी मुख्यतः फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ दीर्घकालीन उधारों से उठने वाले ब्याज दर जोखिम के लिए अनाश्रित हैं। कंपनी ब्याज दर जोखिम के लिए अनाश्रित है क्योंकि फ्लोटिंग दर उधारों के साथ संबद्ध नकदी प्रवाह ब्याज दरों में परिवर्तनों के साथ घटे बढ़ेंगे। कंपनी ब्याज दर जोखिमों का प्रबंध घरेलू और विदेशी करेंसियों में स्थिर और फ्लोटिंग दर उधारों के मिश्रण वाला कर्ज पोर्टफोलियों रख कर करती है।

रिपोर्टिंग तारीख पर कंपनी के परिवर्ती ब्याज दर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
ब्याज की फ्लोटिंग दर के साथ दीर्घकालीन कर्ज		
- घरेलू	**13356.00**	12485.00
- विदेशी	**26752.78**	27485.43
उप-योग	**40108.78**	39970.43
ब्याज की निश्चित दर के साथ दीर्घकालीन कर्ज		
- घरेलू	**72361.84**	62331.71
- विदेशी	**4727.29**	3952.77
उप-योग	**77089.13**	66284.48
कुल दीर्घकालीन कर्ज	**117197.91**	106254.91
कुल दीर्घकालीन कर्ज के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर कर्ज का प्रतिशत	**34.22%**	37.62%

ब्याज दर जोखिम के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

सीईआरसी विनियमों के अनुसार टैरिफ के प्रयोजन के लिए निर्माण के दौरान ऋण पर ब्याज परियोजना लागत का भाग बनता है और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात ऋणों पर ब्याज वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के ब्याज की भारांशित औसत दर को लागू करके वर्ष के नियामक औसत ऋण पर परिकलित टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है।

तदनुसार कंपनी के ब्याज दर जोखिम को उल्लेखनीय नहीं समझा गया है, अतः जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण प्रकट नहीं किया गया है।

iii) अन्य मूल्य जोखिम

कंपनी का इक्विटी प्रतिभूति मूल्य जोखिम के लिए एक्सपोजर कंपनी द्वारा धारित निवेशों से उठता है और उसे ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रुप में तुलन पत्र में वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी निवेशों के परिणामों पर विचार करते हुए किसी उल्लेखनीय जोखिम के उठने की आशा नहीं है।

67. आय कर व्यय

यह नोट कंपनी के आयकर व्यय के विश्लेषण को प्रदान करता है और कैसे कर व्यय गैर-निर्धारणीय और गैर-कटौती योग्य मदों द्वारा प्रभावित होता है। यह कंपनी का कर स्थिति के संबंध में किए गए उल्लेखनीय अनुमानों को स्पष्ट करता है।

(क) आय कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
चालू कर		
वर्ष के लिए लाभों पर चालू कर	**1988.45**	1574.79
पूर्व अवधियों के चालू कर के लिए समायोजन	**-**	-
कुल चालू कर व्यय	**1988.45**	1574.79
आस्थगित कर		
आस्थगित कर आस्तियों में कमी (वृद्धि)	**68.56**	24.82
आस्थगित कर देयताओं में कमी (वृद्धि)	**(7.40)**	(7.60)
कुल आस्थगित कर व्यय/लाभ	**61.16**	17.22
आय कर व्यय	**2049.61**	1592.01

67. आय कर व्यय (जारी)

(ख) कर व्यय का मिलान और भारत की कर दर से गुणा करके लाभ लेखांकन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
आय कर व्यय से पूर्व लाभ	**9499.83**	7540.56
21.3416 प्रतिशत (2015-16 - 21.3416 प्रतिशत) की भारतीय कर दर से	**2027.42**	1609.28
कराधेय आय के परिकलन में राशियां, जो कटौती योग्य नहीं है (गैर-कर योग्य), का कर प्रभाव		
किया गया प्रावधान	**1.93**	1.63
मूल्यह्रास के विरुद्ध अग्रिम	**(31.13)**	(30.50)
पुनरांकित प्रावधान	**(0.85)**	(1.59)
छूट प्राप्त बांड ब्याज और लाभांश आय	**(13.27)**	(20.71)
भा.ले.मा. अपनाने/पुनः वर्गीकरण हेतु निर्धारित समायोजन	**4.95**	16.68
ईईएसएल शेयरों की प्राप्ति	**(0.73)**	-
अन्य	**0.13**	-
आस्थगित कर	**61.16**	17.22
आयकर व्यय	**2049.61**	1592.01

68. कर्मचारी हित लाभ दायित्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017			31 मार्च, 2016			1 अप्रैल, 2015		
	चालू	गैर-चालू	कुल	चालू	गैर-चालू	कुल	चालू	गैर-चालू	कुल
छुट्टी दायित्व	**59.60**	**430.37**	**489.97**	33.37	336.24	369.61	27.64	305.16	332.80
सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)	**9.28**	**331.00**	**340.28**	7.25	288.11	295.36	6.55	250.25	256.80
अन्य कर्मचारी हितलाभ/लंबी सेवा का पुरस्कार	**0.97**	**12.36**	**13.33**	1.35	11.55	12.90	1.08	10.86	11.94
उपदान	**76.07**	**549.48**	**625.55**	37.72	439.76	477.48	34.94	433.92	468.86
अन्य आस्थगित सेवानिवृत्ति लाभ (ओआरडीबी)/ असबाब भत्ता	**1.81**	**15.83**	**17.64**	1.47	14.55	16.02	1.18	13.96	15.14
कुल कर्मचारी हितलाभ दायित्व	**147.73**	**1339.04**	**1486.77**	81.16	1090.21	1171.37	71.39	1014.15	1085.54

(i) दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ

छुट्टी दायित्व

कंपनी, कंपनी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश हितलाभ (जिसमें प्रतिपूरक अनुपस्थिति शामिल है) और अर्ध-वेतन अवकाश, जो वार्षिक रुप से क्रमशः 30 दिन और 20 दिन उपार्जित होता है, प्रदान करती है। सेवा में रहते हुए अर्जित अवकाश नकद किया जा सकता है। अर्ध-वेतन अवकाश केवल 55 वर्ष की आयु से परे अलग होने पर अधिकतम 300 दिन (एचपीएल) तक नकद किया जा सकता है। तथापि, सेवानिवृत्ति पर नकद की जाने वाली छुट्टी की कुल संख्या को 300 दिन के लिए प्रतिबंधित किया गया है और अर्ध वेतन अवकाश के रुपांतरण की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए देयता की बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर पहचान की गई है।

(ii) नियोजन पश्चात दायित्व (परिभाषित कर्मचारी हितलाभ/अंशदान) अंशदान स्कीमें)

क. सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी की सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को पैनल में अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वे कंपनी द्वारा निश्चित अधिकतम सीमा के अध्यधीन बाहरी-रोगी के रुप में उपचार का लाभ भी ले सकते हैं। यह स्कीम वित्तपोषित नहीं है और इसके लिए देयता को वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तारीख को पहचान की जाती है।

68. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

ख. अन्य कर्मचारी हितलाभ -लंबी सेवा का पुरस्कार

यह लाभ कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों (निदेशक और सीएमडी को छोड़कर), जो सेवा के कम से कम 10 वर्ष पूरा करने के पश्चात सेवानिवृत्ति हुए हैं, के लिए प्रयोज्य है।

ग. उपदान

कंपनी की परिभाषित हितलाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या अधिक लगातार सेवा दी है सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, समापन, अशक्तता या मृत्यु पर 10 लाख रुपए के अधिकतम के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूरा किए गए वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26 × अंतिम लिए गए बुनियादी वेतन और मंहगाई भत्ता) पर उपदान प्राप्त करने का पात्र है। सीपीएसई के लिए तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के अनुसार सीमा को 1 जनवरी, 2017 से ₹20 लाख तक संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए देयता को वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तारीख को पहचाना जाता है।

घ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओआरडीबी)/असबाब भत्ता

कंपनी की सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों और आश्रितों के लिए गृह नगर में सेवानिवृत्ति के समय पुनर्वास के लिए स्कीम है। यह स्कीम वित्तपोषित नहीं है और इसके लिए देयता को वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलनपत्र की तारीख को पहचाना जाता है।

ड. भविष्य निधि

कंपनी अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि को निश्चित अंशदान अदा करती है, जो अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। परिवार पेंशन स्कीम के लिए अंशदान उचित प्राधिकारियों को अदा किए जाते हैं। वर्ष के लिए ₹89.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹84.57 करोड़) की राशि निधि और ईपीसी को दिए गए अंशदान की व्यय के रुप में पहचान की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है और यह सुनिश्चित करना होता है कि भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट सदस्यों से अंशदान पर ब्याज की न्यूनतम दर प्राप्त हो। बीमांकिक की रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर ब्याज आय और संचित आधिक्य सांविधिक ब्याज भुगतान अपेक्षा से अधिक है। अतः और किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है। चूंकि कंपनी का पीएफ कार्पस पर कोई बेशर्त अधिकार नहीं है, इसलिए आधिक्य की तुलनपत्र में पहचान नहीं की गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017			31 मार्च, 2016			1 अप्रैल, 2015		
	चालू	गैर-चालू	कुल	चालू	गैर-चालू	कुल	चालू	गैर-चालू	कुल
भविष्य निधि (पीएफ)	**429.30**	**1892.65**	**2321.95**	292.30	1757.63	2049.93	281.75	1534.02	1815.77

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्ति का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2015	1815.77	1827.62	(11.85)
सेवा लागत	81.43	-	81.43
ब्याज व्यय (आय)	145.26	172.21	(26.95)
कुल	**226.69**	**172.21**	**54.48**
पुनः मापन			
ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/ हानियां	7.49	-	7.49
कुल	**7.49**	**-**	**7.49**
कर्मचारी अंशदान	108.44	189.86	(81.42)
हितलाभ भुगतान	(108.45)	(108.45)	-
31 मार्च, 2016	**2049.94**	**2081.24**	**(31.30)**

68. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्ति का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2016	2049.94	2081.24	(31.30)
सेवा लागत	84.19	-	84.19
ब्याज व्यय (आय)	163.99	189.54	(25.55)
कुल	**248.18**	**189.54**	**58.64**
पुनः मापन	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	15.50	-	15.50
कुल	**15.50**	**-**	**15.50**
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-
कर्मचारी अंशदान	113.17	197.36	(84.19)
हितलाभ भुगतान	(104.84)	(104.84)	-
31 मार्च, 2017	**2321.95**	**2363.30**	**(41.35)**

भविष्य निधि से संबंधित उपर्युक्त प्रकट की गई निवल देयता निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीएफ		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2,321.95	2,049.94	1,815.77
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,363.30	2,081.24	1,827.62
वित्तपोषित योजना का घाटा/(आधिक्य)	**(41.35)**	**(31.30)**	**(11.85)**

भविष्य निधि का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीएफ
बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2321.95
- 0.5% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.22)
- 0.5% की कमी के कारण प्रभाव	0.22

योजना आस्तियों (पीएफ) की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017				31 मार्च, 2016				1 अप्रैल, 2015			
	कोटिड	अनकोटिड	कुल	% में	कोटिड	अनकोटिड	कुल	% में	कोटिड	अनकोटिड	कुल	% में
इक्विटी निवेश (ईटीएफ)	34.49	-	34.49	2%	15.37	-	15.37	1%	-	-	-	
ऋण साधन												
सरकारी/राज्य बांड	1261.14	-	1261.14	53%	1090.32	-	1090.32	52%	950.66	-	950.66	52%
पीएसयू और निजी बांड	997.75	-	997.75	42%	904.46	-	904.46	43%	809.11	-	809.11	44%
बैंक शेष	9.65	-	9.65	0%	11.17	-	11.17	1%	14.56	-	14.56	1%
अन्य प्राप्य	60.27	-	60.27	3%	59.92	-	59.92	3%	53.29	-	53.29	3%
कुल	**2363.30**	**-**	**2363.30**		**2081.24**	**-**	**2081.24**		**1827.62**	**-**	**1827.62**	

68. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

कंपनी के स्वयं के हस्तांतरणीय वित्तीय साधनों का उचित मूल्य 31 मार्च, 2017 को ₹113.27 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹119.98 करोड़) (1 अप्रैल, 2015 को ₹130.50 करोड़) है।

भविष्य निधि का संभावित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	2-5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2017	429.31	160.06	457.77	1,274.81	2,321.95
31 मार्च, 2016	292.30	111.25	367.47	1,278.91	2,049.94
1 अप्रैल, 2015	281.75	99.22	336.35	1,098.45	1,815.77

च. पेंशन

कंपनी की कर्मचारी परिभाषित अंशदान की स्कीम है। कंपनी का अंशदान एक अलग ट्रस्ट को अदा किया जाता है। वर्ष के लिए अदा/देय अंशदान की राशि ₹109.8 करोड़ (पिछले वर्ष ₹102.19 करोड़) है जिसे व्यय के रुप में माना गया है और लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित किया गया है।

विभिन्न कर्मचारी हितलाभ दायित्वों की सारांश में स्थिति निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			ओडीआरबी			छुट्टियां			पीएमआरएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2015	**468.86**	**467.08**	**1.78**	**15.14**	**-**	**15.14**	**332.80**	**-**	**332.80**	**256.80**	**-**	**256.80**
सेवा लागत	25.54	-	25.54	0.78	-	0.78	21.27	-	21.27	9.45	-	9.45
ब्याज व्यय (आय)	37.51	37.37	0.14	1.21	-	1.21	26.62	-	26.62	20.54	-	20.54
लाभ तथा हानि में मानी गई कुल राशि	**63.05**	**37.37**	**25.68**	**1.99**	**-**	**1.99**	**47.89**	**-**	**47.89**	**29.99**	**-**	**29.99**
पुनः मापन												
ब्याज व्यय (आय) में शामिल राशि को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	-	4.05	(4.05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन के (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	(23.99)	-	(23.99)	(0.26)	-	(0.26)	48.85	-	48.85	16.22	-	16.22
अन्य विस्तृत आय में पहचान की गई कुल राशि	**(23.99)**	**4.05**	**(28.04)**	**(0.26)**	**-**	**(0.26)**	**48.85**	**-**	**48.85**	**16.22**	**-**	**16.22**
कर्मचारी अंशदान	-	28.66	(28.66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हितलाभ भुगतान	30.44	(30.44)	-	(0.85)	-	(0.85)	(59.93)	-	(59.93)	(7.65)		(7.65)
31 मार्च, 2016	**477.48**	**506.72**	**(29.24)**	**16.02**	**-**	**16.02**	**369.61**	**-**	**369.61**	**295.36**	**-**	**295.36**

68. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			ओडीआरबी			छुट्टियां			पीएमआरएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2016	**477.48**	**506.72**	**(29.24)**	**16.02**	**-**	**16.02**	**369.61**	**-**	**369.61**	**295.36**	**-**	**295.36**
सेवा लागत	163.24	-	163.24	0.87	-	0.87	29.55	-	29.55	10.32	-	10.32
ब्याज व्यय (आय)	38.20	40.54	(2.34)	1.28	-	1.28	29.57	-	29.57	23.63	-	23.63
लाभ तथा हानि में मानी गई कुल राशि	**201.44**	**40.54**	**160.90**	**2.15**	**-**	**2.15**	**59.12**	**-**	**59.12**	**33.95**	**-**	**33.95**
पुनः मापन												
ब्याज व्यय (आय) में शामिल राशि को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	-	5.16	(5.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से (लाभ)/ हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	19.51	-	19.51	0.61	-	0.61	19.05	-	19.05	24.77	-	24.77
अनुभव (लाभ)/हानि	(46.89)	-	(46.89)	(1.22)	-	(1.22)	101.40	-	101.40	(6.01)	-	(6.01)
अन्य विस्तृत आय में पहचान की गई कुल राशि	**(27.38)**	**5.16**	**(32.54)**	**(0.61)**	**-**	**(0.61)**	**120.45**	**-**	**120.45**	**18.76**	**-**	**18.76**
अधिग्रहण समायोजन	1.44	-	1.44	0.08	-	0.08	0.95	-	0.95	0.76	-	0.76
कर्मचारी अंशदान	-	26.85	(26.85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(27.44)	(27.44)	-	-	-	-	(60.16)	-	(60.16)	(8.55)	-	(8.55)
31 मार्च, 2017	**625.54**	**551.83**	**73.71**	**17.64**	**-**	**17.64**	**489.97**	**-**	**489.97**	**340.28**	**-**	**340.28**

उपर्युक्त निवल प्रकटन वित्तपोषित और वित्तपोषित न की गई योजनाओं के लिए निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			ओडीआरबी			छुट्टियां			पीएमआरएफ		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	625.54	477.48	468.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	551.83	506.72	467.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तपोषित योजना का घाटा/(आधिक्य)	**73.71**	**(29.24)**	**1.78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वित्तपोषित न की गई योजनाएं	**-**	**-**	**-**	**17.64**	**16.02**	**15.14**	**489.97**	**369.61**	**332.80**	**340.28**	**295.36**	**256.80**

कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान उपदान ट्रस्ट को ₹39.61 करोड़ का अंशदान दिया जा सकता है।

68. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

(iii) नियोजन पश्चात हितलाभ के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक अनुमान :

आर्थिक अनुमान

विवरण	उपदान, ओडीआरबी, पेंशन, पीएमआरएफ, पीएफ		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
बट्टा दर	7.5%	8.0%	8.0%
वेतन वृद्धि दर (पीएफ के लिए छोड़कर)	6.5%	6.5%	6.5%

जनसांख्यिकीय अनुमान

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
i) सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
i) अशक्तता के लिए प्रावधान सहित मृत्यु-दर	आईएएलएम का 100 प्रतिशत (2006-08)	
i) आयु		
	निकासी दर प्रतिशत	निकासी दर प्रतिशत
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष	2	2
44 वर्ष से ऊपर	1	1

निर्धारित आयु के लिए मृत्यु दर

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
15	0.000614	45	0.002874	75	0.039637
20	0.000888	50	0.004946	80	0.060558
25	0.000984	55	0.007888	85	0.091982
30	0.001056	60	0.011534	90	0.138895
35	0.001282	65	0.017009	95	0.208585
40	0.001803	70	0.025855	100	0.311628

(iv) परिभाषित हितलाभ दायित्व के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान	ओडीआरबी	छुट्टी	पीएमआरएफ
क) बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	625.55	17.64	489.97	340.28
- 0.5% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(19.51)	(0.61)	(19.05)	(19.75)
- 0.05% की कमी के कारण प्रभाव	20.91	0.62	20.59	20.11
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	625.55	-	489.97	-
- 0.5% की वृद्धि के कारण प्रभाव	7.51	-	20.69	-
- 0.5% की कमी के कारण प्रभाव	(7.81)	-	(19.31)	-

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं है, अतः परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित नहीं किया गया है।

मुद्रास्फीति की दर के लिए संवेदनशीलता, भुगतान में पेंशनों की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त हितलाभ होने के कारण सेवानिवृत्ति से पहले पेंशनों की वृद्धि दर और जीवन की प्रत्याशा प्रयोज्य नहीं है।

68. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

(v) योजना आस्तियों (उपदान) की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017				31 मार्च, 2016				1 अप्रैल, 2015			
	कोटिड	अनकोटिड	कुल	% में	कोटिड	अनकोटिड	कुल	% में	कोटिड	अनकोटिड	कुल	% में
इक्विटी साधन (ईटीएफ)	**5.94**	**-**	**5.94**	**1%**	2.57	-	2.57	0.5%	-	-	-	
ऋण साधन												
सरकारी/राज्य बांड	**269.34**	**-**	**269.34**	**48%**	238.70	-	238.70	45.9%	222.56	-	222.56	47%
पीएसयू और निजी बांड	**289.76**	**-**	**289.76**	**51%**	279.22	-	279.22	53.6%	254.38	-	254.38	53%
कुल	**565.04**	**-**	**565.04**		520.49	-	520.49		476.94	-	476.94	
घटाएं : पोसोको से संबंधित योजना आस्तियां	**13.21**	**-**	**13.21**		13.77	-	13.77		9.86	-	9.86	
कुल	**551.83**	**-**	**551.83**		506.72	-	506.72		467.08	-	467.08	

योजना आस्तियों के रुप में धारित कंपनी के स्वयं के हस्तांतरणीय वित्तीय साधनों का उचित मूल्य 31 मार्च, 2017 को ₹103.38 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹112.94 करोड़) (1 अप्रैल, 2015 को ₹127.37 करोड़) हैं।

(vi) जोखिम एक्सपोजर का विवरण

मूल्यांकन कतिपय अनुमानों पर आधारित है जो स्वरुप में गतिशील हैं और समय के दौरान भिन्न हैं। इस प्रकार कंपनी निम्नानुसार जोखिमों के लिए अनाश्रित है।

क) वेतन वृद्धि (पीएफ के लिए छोड़कर) - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता को बढ़ा देगी। वेतन में वृद्धि भविष्य में मूल्यांकन में अनुमान देयता में वृद्धि कर देंगे।

ख) निवेश जोखिम - यदि योजना वित्तपोषित है तो देयता में बेमेल और आस्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल पिछली मूल्यांकन तारीख पर अनुमानित बट्टा दर से कम है तो देयता को प्रभावित कर सकती है।

ग) छूट दर-परवर्ती मूल्यांकन छूट दर में घटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

घ) मृत्यु दर संख्या और अशक्तता - वास्तविकता मृत्यु और अशक्तता मामले मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक प्रमाणित होने पर देयताओं पर प्रभाव डाल सकते हैं।

ड.) निकासी - वास्तविक निकासियों के अनुमानित निकासियों से अधिक या कम प्रमाणित होने पर और बाद के मूल्यांकनों में निकासी की दरें योजना की देयता को प्रभावित कर सकती है।

(vii) परिभाषित हितलाभ देयता और कर्मचारी का अंशदान

परिभाषित हितलाभ दायित्वों की भारांशित औसत अवधि 43.08 वर्ष (2015-16 - 42.85 वर्ष, 2014-15 - 42.99 वर्ष) है। बिना बट्टे के पेंशन, उपदान, अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ और नियोजन पश्चात चिकित्सा हितलाभ का संभावित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	2-5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2017					
परिभाषित हितलाभ देयता (उपदान)	76.06	68.00	178.52	302.96	625.54
नियोजन पश्चात चिकित्सा हितलाभ	9.28	10.06	36.16	284.80	340.30
ओडीआरबी	1.81	1.16	4.47	10.20	17.64
अन्य कर्मचारी चिकित्सा हितलाभ (एलएसए)	0.97	0.65	2.59	9.12	13.33
कुल	**88.12**	**79.87**	**221.74**	**607.08**	**996.81**
31 मार्च, 2016					
परिभाषित चिकित्सा हितलाभ देयता (उपदान)	37.72	37.57	112.58	289.62	477.49
नियोजन पश्चात चिकित्सा हितलाभ	7.25	7.87	28.25	251.99	295.36
ओडीआरबी	1.47	1.43	4.09	9.03	16.02
अन्य कर्मचारी चिकित्सा हितलाभ (एलएसए)	1.35	1.27	3.56	6.71	12.89
कुल	**47.79**	**48.14**	**148.48**	**557.35**	**801.76**
1 अप्रैल, 2015					
परिभाषित हितलाभ देयता (उपदान)	34.94	31.21	111.58	291.13	468.86
नियोजन पश्चात हितलाभ	6.55	7.11	25.53	217.60	256.79
ओडीआरबी	1.18	1.21	3.80	8.94	15.13
अन्य कर्मचारी हितलाभ (एलएसए)	1.08	1.05	3.25	6.56	11.94
जोड़	**43.75**	**40.58**	**144.16**	**524.23**	**752.72**

69. हाल की लेखांकन घोषणाएं

मानक जारी किए गए परन्तु अभी प्रभावी नहीं

मार्च, 2017 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 'नकद प्रवाह का विवरण' इंड एएस 7 के लिए संशोधन अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2017) जारी किए। संशोधन 'नकद प्रवाह का विवरण', आईएएस 7 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा किए गए हाल के संशोधनों के अनुसार हैं। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से कम्पनी पर लागू हैं।

इंड एएस 7 'नकद प्रवाह का विवरण' का संशोधन :

इंड एएस 7 'नकद प्रवाह का विवरण' के लिए संशोधन कंपनियों को ऐसे प्रकटन प्रदान करने की अपेक्षा करता है जो नकद प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तनों दोनों सहित वित्तीय गतिविधियों से उठने वाली देयताओं में परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को समर्थ बनाएगा, प्रकटन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उठने वाली देयताओं के लिए तुलनपत्र में अथ और बंद शेषों के बीच मिलान को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

70. इंड एएस को पहली बार अपनाना

इंड एएस में परिवर्तन

ये भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण हैं। नोट 2 में बतायी गई लेखांकन नीतियों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू किया गया है, 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणों में और 1 अप्रैल, 2015 (परिवर्तन की तारीख) को अथ इंड एएस तुलनपत्र तैयार करने में तुलनात्मक सूचना प्रस्तुत की गई है। अथ इंड एएस तुलनपत्र तैयार करने में कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) और अधिनियम (पूर्ववर्ती जीएएपी या भारतीय जीएएपी) के अन्य संगत प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में पहले सूचित राशियों को समायोजित किया है।

31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 को इक्विटी का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	पहली बार अपनाने के लिए नोट	31 मार्च, 2016	01 अप्रैल, 2015
पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारक की निधि)		42733.97	38166.59
समायोजन			
निवेशों का उचित मूल्य	I	64.80	85.08
परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की पहचान के लिए नीति में परिवर्तन	XII	(21.15)	(42.37)
उधार - लेन-देन की लागत का समायोजन	III	38.49	45.28
कर्मचारी ऋणों का उचित मूल्यांकन	VII	(1.35)	0.00
वित्त पट्टे के रुप में द्विपक्षीय लाइन	XI	(3.98)	0.00
प्रतिधारण धन संशोधन	X	49.66	63.29
लाभांश (लाभांश कर सहित)	V	950.79	821.74
पूर्व अवधि के मूल्यह्रास को दोबारा बताना	XIII	-	60.07
कर समायोजन	II	-	-
कुल समायोजन		1077.26	1033.09
भा.ले.मा. के अनुसार कुल इक्विटी		**43811.23**	**39199.68**

70. भा.ले.मा. को पहली बार अपनाना (जारी)

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	पहली बार अपनाने के नोट	पूर्ववर्ती जीएएपी	समायोजन	भा.ले.आ.
पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार कर पश्चात लाभ		6026.72		
समायोजन				
परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की पहचान के लिए नीति में परिवर्तन	XII		21.22	
नियोजन पश्चात हितलाभ दायित्वों का पुनः मापन	VI		(8.31)	
उधार-लेनदेन की लागत समायोजित	III		(6.81)	
कर्मचारी ऋणों का उचित मूल्यांकन	VII		(1.35)	
वित्त पट्टे के रुप में द्विपक्षीय लाइन	XI		(3.98)	
प्रतिधारण धन समायोजन	X		(13.63)	
स्वयं-बीमा प्रारक्षित भंडार	XIV		(5.29)	
पूर्व अवधि की त्रुटि के कारण दोबारा बताना	XIII		(60.07)	
कर समायोजन	II		-	
कुल समायोजन			**(78.22)**	
इंड एएस के अनुसार कर पश्चात लाभ				**5948.50**
अन्य विस्तृत आय	IX			(11.97)
इंड एएस के अनुसार कुल विस्तृत आय				**5936.53**

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाहों के विवरणों पर इंड एएस अपनाने का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्ववर्ती जीएएपी	समायोजन	इंड एएस
प्रचालन गतिविधि से निवल नकद प्रवाह	16151.11	(1,031.35)	15119.76
निवेश करने की गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	(21147.61)	243.20	(20904.41)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	5387.24	(114.54)	5272.70
नकद और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी)	**390.74**	**(902.69)**	**(511.95)**
1 अप्रैल, 2015 को नकद और नकदी समकक्ष	2062.98	(10.39)	2052.59
31 मार्च, 2016 को नकद और नकदी समकक्ष	2453.72	(913.08)	1540.64

क. पहली बार अपनाने के लिए नोट

नोट I: उचित मूल्य निवेश

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत इक्विटी साधनों में निवेश की अभिप्रेत धारण अवधि और प्राप्ति पर आधारित दीर्घकालीन या चालू निवेशों के रुप में वर्गीकृत किया जाता था। दीर्घकालीन निवेशों को ऐसे निवेशों के मूल्य में अस्थायी कमी को छोड़कर के लिए लागत रहित प्रावधानों पर आगे ले जाया जाता था। चालू निवेशों को लागत के कम और उचित मूल्य पर आगे ले जाया जाता था। इंड-एएस के तहत इन निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना अपेक्षित है।

एफवीओसीआई के रुप में नामित इक्विटी साधनों में निवेश के संबंध में उचित मूल्य परिवर्तनों को परिवर्तन की तारीख को अन्य विस्तृत आय में पहचाना गया है और बाद में 31 मार्च, 2016 हुए वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय में माना गया है। इसने अन्य व्यापक प्रारक्षित भंडार को 31 मार्च, 2016 को ₹64.80 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 को ₹85.08 करोड़) तक दिया।

उपर्युक्त के फलस्वरुप, कुल इक्विटी 31 मार्च, 2016 को ₹64.80 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 को ₹85.08 करोड़) तक बढ़ गई और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय ₹20.28 करोड़ बढ़ गई।

70. भा.ले.मा. को पहली बार अपनाना (Contd.)

नोट - II : आस्थगित कर

इंड एएस में परिवर्तन पर आस्थगित कर को किए गए समायोजनों में पहचाना गया है।

नोट-III : उधार :

एंड एएस 109 'वित्तीय साधन' में प्रारंभिक पहचान पर उधारों की आगे ले जाए जाने वाली राशि से उधार के लिए खर्च की गई लेन-देन लागतों को घटाना अपेक्षित है। इन लागतों को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करके ब्याज व्यय के भाग के रुप में उधार की अवधि के दौरान लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत इन लेन-देन की लागतों को किए जाने पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता था। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 को उधार अन्य इक्विटी, प्रगति पर पूंजी कार्य और परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए तदनुरुपी संशोधन के साथ ₹66.50 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 ₹64.21 करोड़) तक कम हो गए। कुल इक्विटी समान राशि से बढ़ गई। अतिरिक्त ब्याज व्यय के फलस्वरुप 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ ₹6.81 करोड़ तक कम हो गया।

नोट - IV : निवेश परिसम्पत्ति

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत निवेश परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के भाग के रुप में प्रस्तुत किया जाता था। इंड एएस के तहत निवेश परिसम्पत्तियों को तुलनपत्र के मुख पर अलग से प्रस्तुत किया जाता है। कुल इक्विटी पर और इस समायोजन के फलस्वरुप लाभ पर कोई प्रभाव नहीं है।

नोट - V : प्रस्तावित लाभांश

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत तुलनपत्र की तारीख के पश्चात परन्तु वित्तीय अनुमोदनों के पूर्व निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को समायोजित करने की घटना माना जाता था। तदनुसार, प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान को देयता के रुप में माना जाता था। इंड एएस के तहत ऐसे लाभांशों की पहचान तब की जाती है जब इन्हें आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार, प्रावधान के तहत शामिल 31 मार्च, 2016 को ₹950.79 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 ₹821.74 करोड़) के प्रस्तावित लाभांश के लिए देयता को प्रतिधारित अर्जनों के लिए तदनुरुपी समायोजन से उल्ट दिया गया है। परिणामतः कुल इक्विटी समान राशि द्वारा बढ़ गई।

नोट - VI : नियोजन पश्चात हितलाभ दायित्वों का पुनः मापन

इंड एएस के तहत पुनः मापन अर्थात निवल परिभाषित हितलाभ देयता पर निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल और बीमांकिक लाभ और हानियों को लाभ या हानि की बजाए अन्य विस्तृत आय में पहचाना जाता है। पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत ये पुनः मापन वर्ष के लिए लाभ या हानि का भाग बनते थे। इस परिवर्तन के फलस्वरुप 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्श के लिए लाभ में ₹8.31 करोड़ तक की कमी हुई। 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं है।

नोट - VII : कर्मचारी ऋणों का उचित मूल्यांकन

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत रियायती दरों पर कर्मचारी ऋणों को उनके लेन-देन के मूल्य पर दर्ज किया जाता है। इंड एएस के तहत इनको उचित मूल्य पर पहचानना अपेक्षित है। उचित मूल्य और कर्मचारी ऋणों के लेन-देन के मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लागत के रुप में माना गया है। परिवर्तन के फलस्वरुप 31 मार्च, 2016 को कर्मचारी ऋणों की राशि ₹52.73 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 ₹49.71 करोड़) तक कम हो गई। 31 मार्च, 2016 को आस्थगित कर्मचारी लागत ₹51.45 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 ₹49.71 करोड़) तक बढ़ गई।

31 मार्च, 2016 को आस्थगित कर्मचारी लागत के परिशोधन के कारण वर्ष के लिए लाभ और कुल इक्विटी 31 मार्च, 2016 को ₹1.35 करोड़ तक कम हो गई जो आंशिक रुप से कर्मचारी ऋणों पर पहचानी गई ब्याज आय द्वारा प्रति संतुलित हो गई।

नोट-VIII : प्रतिधारित अर्जन

उपर्युक्त इंड एएस परिवर्तन समायोजनों के फलस्वरुप 1 अप्रैल, 2015 को प्रतिधारित अर्जनों को समायोजित किया गया है।

नोट -IX : अन्य विस्तृत आय

आय और व्यय की मदें जिनकी लाभ या हानि में पहचान नहीं की जाती परन्तु 'अन्य व्यापक आयट, जिसमें परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन, एफवीओसीआईz इक्विटी साधनों पर लाभ या (हानि) का उचित मूल्य, शामिल है, के रुप में लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है। पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत अन्य व्यापक आय की अवधारणा मौजूदा नहीं थी।

नोट - X : प्रतिधारण धन का समायोजन

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत पूंजीगत व्यय पर प्रतिधारण धन को अंकित मूल्य पर दर्ज किया जाता है। इंड एएस के तहत यदि समय मूल्य महत्वपूर्ण है तो वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है। तदनुसार, प्रतिधारण धन को अन्य इक्विटी और प्रगति पर पूंजीगत कार्य में तदनरुपी वृद्धि के साथ उनके वर्तमान मूल्य के लिए कम किया गया है। इस परिवर्तन नें 1 अप्रैल, 2015 को अन्य इक्विटी और प्रगति पर पूंजीगत कार्य में ₹63.29 करोड़ और ₹1.57 करोड़ और 31 मार्च, 2016 को ₹49.66 करोड़ और ₹4.29 करोड़ की तदनरुपी वृद्धि से प्रतिधारण धन की देयता को 1 अप्रैल, 2015 और 31 मार्च, 2016 को ₹64.87 करोड़ और ₹53.95 करोड़ तक कम किया है। 31 मार्च, 2016 को प्रतिधारण धन देयता पर सांकेतिक ब्याज में परिवर्तन के कारण 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ में ₹13.63 करोड़ की कमी हुई।

नोट - XI : वित्त पट्टों के रु प में द्विपक्षीय लाइन की पहचान

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत द्विपक्षीय लाइनों को परिसम्पत्ति, संयंत्र ओर उपस्कर के तहत कंपनी की बहियों में आस्ति के रुप में दर्ज किया जाता है। इंड एएस 17 'पट्टेट

70. भा.ले.मा. को पहली बार अपनाना (जारी)

का परिशिष्ट ग ने किसी व्यवस्था के आरंभ पर सिफारिश करने के लिए पद्धति निर्दिष्ट की है, क्या व्यवस्था में पट्टा शामिल है। इंड एएस 101 'भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनानाट के अनुसार कंपनियां, परिवर्तन की तारीख को मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उन व्यवस्थाओं के लिए इंड एएस 17 'पट्टेट की अपेक्षाओं को लागू करके इंड एएस में पट्टों के लिए परिवर्तन की तारीख को क्या व्यवस्थाएं मौजूद थीं, निर्धारित कर सकती हैं। तदनुसार, ऐसी द्विपक्षीय लाइनों को कंपनी द्वारा वित्त पट्टों के रुप में निर्धारित किया है और वित्त पट्टों (पट्टादाता) के रुप में दर्ज किया जाता है।

नोट - XII : परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की पहचान के लिए नीति में परिवर्तन

परिवर्तन की तारीख को इंड एएस 16 'परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अनुसार आस्ति के रुप में अर्हता प्राप्त करने वाले फालतू पुर्जों के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव को अन्य प्रारक्षित भंडारों में पहचाना गया है और इसके पश्चात लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है। इससे 1 अप्रैल, 2015 को माल सूची में ₹88.43 करोड़ और ₹112.59 करोड़ और अन्य इक्विटी में ₹42.35 करोड़ तक की कमी से 1 अप्रैल, 2015 और 31 मार्च, 2016 को परिसम्पत्ति, संयंत्र ओर उपस्कर में क्रमशः ₹46.07 करोड़ और ₹45.32 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ ₹21.22 करोड़ तक बढ़ गया।

नोट - XIII : पूर्व अवधि की त्रुटि के कारण पुनः विवरण

इंड एएस 8 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तनट के तहत महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की त्रुटि को भूतलक्षी पुनः विवरण द्वारा सही किया जाएगा। पूर्व अवधि आय वित्त वर्ष 2015-16 में पहचानी गई थी जिसे 1 अप्रैल, 2015 को पुनः बताया गया था। इसमें 1 अप्रैल, 2015 को कुल इक्विटी में तदनुरुपी वृद्धि से संचित मूल्यह्रास को ₹60.07 करोड़ तक कम कर दिया गया। 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ को ₹60.07 करोड़ कम कर दिया।

नोट - XIV : स्वयं बीमा प्रारक्षित भंडार

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत स्थिर आस्ति की हानि के मामले में राशि को आय के रुप में लाभ और हानि के विवरण में अंतरित कर दिया जाता था। इंड एएस - स्वयं बीमा प्रारक्षित भंडार को आय के रुप में लेने के बजाए सामान्य प्रारक्षित भंडार को अंतरित करना होता है। इस कारण से 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ ₹5.29 करोड़ कम हो गया।

71. क) आंकड़ों को दो दशमलव तक करोड़ में निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

ख) पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जब भी आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

कृते, निदेशक-मण्डल एवं इसकी ओर से

दिव्या टंडन	**के. श्रीकान्त**	**आई.एस. झा**
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं.	**कृते, आर.जी.एन. प्राइस एण्ड कं.**	**कृते, कोठारी एण्ड कं.**	**कृते, परख एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन	फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस	फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई	फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी
(सीए एस. के. मित्तल)	**(सीए आर. रंगराजन)**	**(सीए मनस्वी कोठारी)**	**(सीए इन्द्रपाल सिंह)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 008506	सदस्यता सं. 041883	सदस्यता सं. 064601	सदस्यता सं. 410433

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 मई, 2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

पावरग्रिड कापरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न बेहतरीन भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है; और इसकी जिसमें 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलपन पत्र और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ तथा हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) के समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और उल्लेनीय लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके पश्चात ''समेकित'' इंड एएस वित्तीय विवरणों'' के रुप में कहा जाएगा) शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक-मंडल इन समेकित भारतीय लेखा. मा. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, जिसमें व्यापक आय, नकदी प्रवाह और कम्पनी की इक्विटी में परिवर्तन शामिल है, सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक (''इंड एएस'') शामिल है, जो इसके तहत जारी संगत नियमों के साथ पठित है।

इस जिम्मेदारी में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कम्पनी के आपत्तियों के रक्षोपाय के लिए और धोखाधड़ियों अन्य अनियमितताओं, को रोकने एवं पता लगाने के लिए तथा उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन करने एवं लागू करने; राय एवं अनुमान लगने के लिए उपयुक्त लेखाकरण रिकॉर्डों का रखरखाव भी शामिल है; जो उचित एवं प्रासंगिक हैं तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोलों को लागू करना एवं रख-रखाव शामिल हैं, जो लेखाकरण रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं परिपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से प्रचालन में थे। जो बेहतरीन भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष राय देते हैं और महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा चूक के कारण।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की है।

हमने लेखा परीक्षा करते समय अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इन नीतिपरक अपेक्षाओं एवं प्लान का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त है।

लेखापरीक्षा में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूलयांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है। उन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक एवं समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतिकरण पर धारित कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, तैयार की जा सकें। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और धारित कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ-साथ एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ले.प. साक्ष्य एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर हमारी मान्य लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोच्च जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त एकल इंड एएस वित्तीय विवरण इस प्रकार अपेक्षित ढंग से अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण नियमों की अनुरुपता में 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के मामलों की दशा (वित्तीय स्थिति) अन्य व्यापक आय सहित इसके वित्तीय निष्पादन, और उनके उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उनके समेकित नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तनों की सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

मामले का महत्व

हम एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोटों में निम्नलिखित मामलों के प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं :

(क) पारेषण आस्तियों में राजस्व की पहचान के संबंध में नोट सं. 37(ख)(ii), जिनके लिए सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेश अभी जारी किए जाने हैं;

(ख) व्यापार प्राप्य और वसूली योग्य और व्यापार और अन्य देय की शेष का पुष्टिकरण, मिलान और परिणामी संशोधनों, यदि कोई हो, के संबंध में नोट सं. 47(क)।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय को अशोधित नहीं किया गया है।

अन्य मामले

(क) इन एकल इंड एएस वित्तीय विरणों में शामिल 1 अप्रैल, 2015 को परिवर्तन की तारीख को अथ तुलन पत्र के लिए कंपनी की तुलनात्मक सूचना कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार पहले जारी एकल विवरणों पर आधारित है, जिनकी पूर्व लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिनकी 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिनांक 30 मई, 2015 की रिपोर्ट उन तुलनात्मक वित्तीय विवरणों पर योग्य राय प्रस्तुत की थी, इंड एएस में परिवर्तन पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखाकरण सिद्धान्तों में अंतरों के लिए यथा समायोजित की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

(ख) इन एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय सूचना पहले जारी सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित है, जिन्हें कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार तैयार किया गया था, जिसकी हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी और हमारी रिपोर्ट ने उन एकल वित्तीय विवरणों पर अशोधित राय व्यक्त की थी, इंड एएस में परिवर्तन पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखाकरण सिद्धान्तों में अंतरों के लिए यथा समायोजित की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) की उप-धारा की शर्तों में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित है, हम अनुप्रयोज्य सीमा में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध-1 में देते हें।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उपरोक्त भाग के तहत जारी निर्देशों पर एक विवरण अनुबंध-2 में देते हैं।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के तहत अपेक्षित है, हम रिपोर्ट देते हैं कि :

(क) हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कम्पनी द्वारा विधि द्वारा यथा के तहत अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं जहां तक कि उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलपन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण (जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है) नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण संबद्ध लेखा बहियों के अनुरुप हैं।

(घ) हमारी राय में उपरोक्त एकल इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जो उसके तहत जारी संगत नियमों के साथ पठित हैं;

(ड.) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वरा जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(अ) दिनांक 5 जून, 2015 के द्वारा दी गई छूट को देखते हुए निदेशकों की अयोग्यता के सबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभाविता के लिए 'अनुबंध-3ट में हमारी पृथक रिपोर्ट को देखें।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार;

i. कम्पनी एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्मों के चुनाव को प्रकट किया है (एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट 49 से 63 को देखें)।

ii. कम्पनी की डेरीवेटिव संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं है जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण भविष्यगामी हानियों के लिए हो;

iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशियों को अंतरित करने में कोई देरी की गई है।

iv. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान धारण के साथ-साथ निर्दिष्ट बैंक नोट में लेन-देन के लिए एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटन उपलब्ध किए हैं। लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन की प्रस्तुतियों पर विश्वास करते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रकटन कम्पनी द्वारा रखे गए खाताबहियों के अनुसार और जैसा हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उन के रिपोर्टों के अनुसार हैं। देखें नोट 16 ।

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं.	**कृते, परख एण्ड कं.**	**कृते, कोठारी एंड कंपनी**	**कृते, आर.जी.एन. प्राइज एंड कं.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन	फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी	फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई	फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस
(सीए एस. के. मित्तल)	**(सीए इन्द्रपाल सिंह)**	**(सीए मनस्वी कोठारी)**	**(सीए आर. रंगराजन)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 008506	सदस्यता सं. 410433	सदस्यता सं. 064601	सदस्यता सं. 041883

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल मा. ले. मा. वित्तीय विवरणों पर पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में जैसा उल्लिखित किया गया है, हम सूचित करते हैं किः

(i) क) कंपनी ने सामान्यतया रिकॉर्डों का रख-रखाव किया हुआ है, जिनमें मात्रात्मक ब्यौरे और अचल परिसम्पत्तियों (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्थिति सहित संपूर्ण विवरण दर्शाए गए हैं।

ख) वर्ष के दौरान बाह्य एजेंसियों द्वारा अचल परिसम्पत्तियों (सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) की वास्तविक रुप से जांच की गई है। हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी कारोबार की प्रकृति के संबंध में उनकी निरन्तर जांच करना युक्तिसंगत है। ऐसी जांच में कोई आर्थिक कमी का पता नहीं चला है।

ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर निम्नोक्त परिसम्पत्तियों की छोड़ कर कंपनी के नाम पर अंचल परिसम्पत्तियों के हकदारी के विलेख हैं :

	मामलों की संख्या	लागत (₹करोड़ में)	निवल ब्लॉक (₹करोड़ में)
पट्टे पर भूमि	10	51.86	42.15
फ्रीहोल्ड भूमि	22	159.75	159.75
भवन (मुम्बई में फ्लैट)	28	2.95	2.31

(ii) वर्ष के दौरान बाहरी एजेंसियों द्वारा मालसूचियों की वास्तविक जांच की गई है। हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति के संबंध में उनकी निरंतर जांच करना युक्तिसंगत हैं ऐसी जांच में कोई आर्थिक कमी का पता नहीं चला है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 189 के अंतर्गत बना कर रखे गए रजिस्टर में शामिल उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों को प्रतिभूत रहित ऋण स्वीकृत किए हैं।

क) अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत शामिल की गई उधार लेने वाली कंपनियों को जिन शर्तो पर ऋण स्वीकृत किए गए हैं, उनसे प्रथम दृष्टया ऐसा पता चलता है कि ये कंपनी के हित प्रतिकूल हैं।

ख) मूलधन और ब्याज का भुगतान करने की प्रतिदान की अनुसूची निर्धारित की गई है तथा की प्रतिदान और प्राप्तियां नियमित हैं।

ग) अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत बना कर रखें गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों को स्वीकृत किए ऋणों के संबंध में 90 दिनों से अधिक का कोई बकाया राशि नहीं है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋणों निवेशों गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 में उल्लिखित प्रावधानों तथा अन्य संबद्ध प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए अन्य नियमों के अनुसार जनता से कोई जमा राशि स्वीकृत नहीं की है। तदनुसार आदेश का पेरा 3(V) कंपनी पर लागू होता है।

(vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित और कंपनी द्वारा बना कर रखे गए लागत संबंधी रिकॉर्डों की कंपनी के ट्रांसमिशन और दूरसंचार प्रचालनों की मोटे तौर पर पुनरीक्षा की है तथा हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित रिकॉर्ड बनाए हुए है और उनको संभाल कर रखा हुआ है। तथापि, यह निर्धारित करने के विचार से कि क्या वे सही या पूरे हैं, हमने लागत संबंधी रिकॉर्डों की विस्तार से जांच नहीं की है।

(vii) क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सामान्यतया भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, सीमा, शुल्क, उत्पाद शुलक, मूल्यवर्धित कर, उपकर और कंपनी पर लागू होने वाले अन्य सांविधिक शुल्क सहित अविवादित सांविधिक देनदारियों को जमा करने में नियमित है और दिनांक 31 मार्च, 2017 को जिस दिन देय हो उससे 6 महीने से अधिक की कोई सांविधिक देनदारी बकाया नहीं है। जैसा हमें सूचित किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निम्न विवादित बकाया सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क जिसे जमा नहीं किया गया है विवादित देयताएं नहीं है। तथापि, आय कर अथवा बिक्री कर अथवा सेवा कर अथवा मूल्य वर्धित कर अथवा उपकर देयताओं की निम्नलिखित विवादित मांगों को जमा नहीं किया गया है :

विधान का नाम	देयताओं का स्वरुप	राशि* (₹करोड़ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	40.00	वित्त वर्ष 2004-05, 2005-06 2010-11 के लिए	आईटीएटी, दिल्ली
आय कर	आय कर		2012-13, एवं 2013-14 के लिए	आय कर आयुक्त (ऊ) दिल्ली
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	6.16		टीएएन के अधिकारिक मूल्यांकन अधिकारी
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	0.03		दिल्ली के अधिकारिक मूल्यांकन अधिकारी
छत्तीसगढ़ प्रविष्टि कर अधिनियम, 1976	प्रविष्टि कर	67.94	वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए	सहा. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, ड्रग
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1.57	वित्त वर्ष 2003-04 के लिए	सीईएसटीएटी, कोलकाता

विधान का नाम	देयताओं का स्वरुप	राशि* (₹करोड़ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
गोवा भवन एवं अन्य निर्माण कार्य अधिनियम एवं उसके तहत नियम	बीओसीडब्ल्यू	0.04	वित्त वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए	-
भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उप कर अधिनियम, 1996	बीओसीडब्ल्यू	4.23	वित्त वर्ष 2007-08 के लिए	माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश शिमला
आय कर अधिनियम, 1961	पर्कस पर टीडीएस ब्याज	0.03	वित्त वर्ष 2010-11, 2011-12 के लिए	सीआईटी (अपील) शिलांग
जे एंड के जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	47.87	वित्त वर्ष 1996-97 से 2001-02 के लिए	बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, जम्मू और कश्मीर
जे एंड के जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	115.38	वित्त वर्ष 2002-03 से 2011-12 के लिए	उप आयुक्त बिक्री कर (अपील) जम्मू और कश्मीर
पंजाब वैट अधिनियम, 2005 (प्रविष्टि कर)	प्रवेश कर	9.64	वित्त वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए	माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा
यूपी वैट	बिक्री कर मांग	0.10	वित्त वर्ष 2016-17	माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय
कुल		**259.36**		

*मांग राशि जिसमें ब्याज, बचाव अधीन प्रदत्त निवल राशि शामिल है।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने वित्तीय संस्थानों, बैंकों को ऋण का प्रतिदान करने तथा बॉण्ड धारकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है।

(ix) हमारी राय मे और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने आवधिक ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है जिसमें उनके द्वारा इस प्रयोजनार्थ बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त की गई निधियां शामिल हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण संबंधी प्रपत्र (बांड) जारी करके निधियां जुटाई है। कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक या आगे पब्लिक पेशकश करने के तरीके से धनराशि नहीं जुटाई है।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

(xi) अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015, जिसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, के तहत दी गई छूट को देखते हुए अधिनियम की अनुसूची 5 के सथ पठित उसकी धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अधिदेश आवश्यक अनुमोदन के अनुसार कंपनी द्वारा प्रबंधकीय पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xi) कम्पनी पर लागू नहीं हे।

(xii) अधिनियम की धारा 406 के तहत जैसा निर्धारित है, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार जहां कहीं भी लागू हाता है, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी कारोबार अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुसार किए जाते हैं तथा इनके ब्यौरों के प्रकटीकरण, लागू लेखाकरण मानकों द्वारा यथा अपेक्षित एकल भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डो की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों का पूर्णतया अथवा आंशिक रुप से कोई प्राथमिक आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार पैराग्राफ 3(xiv) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डो की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने निदेशकों और उनसे संबंधित व्यक्तियों के सथ कोई गैर-नकदी कारोबार नहीं किया है। तदनुसार पैराग्राफ 3(xv) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं। तदनुसार आदेश को पैरा 3(xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन

(सीए एस. के. मित्तल)
भागीदार
सदस्यता सं. 008506

कृते, परख एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी

(सीए इन्द्रपाल सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 410433

कृते, कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई

(सीए मनस्वी कोठारी)
भागीदार
सदस्यता सं. 064601

कृते, आर.जी.एन. प्राइज एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस

(सीए आर. रंगराजन)
भागीदार
सदस्यता सं. 041883

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

अनुलग्नक '2'

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों पर **पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के सदस्यों के लिए हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्रम सं.	निर्देश	लेखाकार की टिप्पणियां	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई	एकल भा. ले. मा. वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए क्रमशः स्पष्ट हकदारी/पट्टा विलेख है? यदि नहीं, तो कृपया ऐसे फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके लिए हकदारों/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के पास ₹159.75 मूल्य की 326.84 हेक्टेयर तथा ₹51.86 करोड़ मूल्य की 190.75 हेक्टेयर फ्रीहोल्ड और ₹2.95 करोड़ मूल्य के 21674 वर्ग फीट के लिए के फ्लैट को छोड़कर है।	कंपनी ऐसी फ्रीहोल्ड ओर लीजहोल्ड भूमि के लिए स्पष्ट हकदारी प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठा रही है।	शून्य
2.	यह कि क्या छूट/उधार/ऋण/ब्याज आदि को बट्टेखाते डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो उसके कारण और निहित राशि बताएं।	हमें प्रदत्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार छूट/ उधार/ऋण/ब्याज ब्याज आदि को बट्टे खाते डालने का कोई मामला नहीं है। सिवाय, ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड से वसूलनीय ₹0.04 करोड़ के (जो पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी है) जो इसकी ओर से किए गए खर्चो की वसूलनीय राशि को छूट से संबंधित है।	लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित।	वर्ष हेतु लाभ ₹0.04 करोड़ कम है और अन्य चालू वित्तीय आस्तियां ₹0.04 करोड़ कम हैं।
3.	यह कि क्या तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी मालसूचियों और सरकार या अन्यों से उपहार और अनुदान (अनुदानों) के रुप में प्राप्त परिसम्पत्तियों के कागजात संबंधी उचित रिकॉर्डों का रख-रखाव किया जाता है?	कंपनी ने तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी मालसूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार और अनुदान (अनुदानों) के रुप में प्राप्त परिसम्पत्तियों के पर्याप्त रिकॉर्डों का रख-रखाव किया हुआ है। कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रुप में कोई परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई है।	उचित रिकॉर्ड का रख-रखाव किया जाता है।	शून्य

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन

(सीए एस. के. मित्तल)
भागीदार
सदस्यता सं. 008506

कृते, परख एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी

(सीए इन्द्रपाल सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 410433

कृते, कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई

(सीए मनस्वी कोठारी)
भागीदार
सदस्यता सं. 064601

कृते, आर.जी.एन. प्राइज एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस

(सीए आर. रंगराजन)
भागीदार
सदस्यता सं. 041883

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

अनुलग्नक '3'

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों पर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट यथा उल्लिखित।

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के एकल भा. ले. मा. वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन से की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा ''इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)'' द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित अत्यावश्यक आंतरिक नियंत्रण के संघटकों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो कि कारोबार का सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहे थे, जिनमें अधिनियम में यथापेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और गलतियों की रोकथाम करना, जैसा कि अधिनियम के तहत अपेक्षित है। एवं उनका पता लगाने, लेखाकरण रिकॉर्डों की परिशुद्धता और संपूर्णाता तथा जैसा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर रखेजाने वाले कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय प्रकट करना है। हम वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शी टिप्पणी'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा का संचालन करते हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माने गए हैं, जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षा करने के लिए लागू होते हैं, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और ये दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में हमसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं ओर योजना का अनुपालन करेंगे तथा ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करेंगे कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया था और उनको बना कर रखा गया था तथा क्या ऐसा नियंत्रण सभी वस्तुगत पहलुओं पर प्रभावशाली ढंग से रखा गया था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी प्रचालन की प्रभावकारिता की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का अनुपालन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना कि वस्तुगत कमजोरी विद्यमान है तथा मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन ओर प्रचालनात्मक प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों की वस्तुगत गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा गलती से हो, का मूल्यांकन करना शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा के लिए जो साक्ष्य हमने प्राप्त किए है, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा करने और अपनी राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि सामान्यतया स्वीकृतत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन दिया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में ऐसी निम्नोक्त नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं :

(1) जो कि रिकॉर्डों का रखरखाव करने से संबंधित हैं जिनमें से कंपनी की परिसम्पत्तियों के लेन-देन और निपटान के संबंधित उचित ब्यौरे, परिशुद्धता और सत्यता परिलक्षित होती है;

(2) जो ऐसा उचित आश्वासन देती है कि लेन-देन के रिकार्ड को उतना रखा गया है जो कि सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक है तथा कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की स्वीकृति से किए जाते हैं; और

(3) जो कि कंपनी की परिसम्पत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा प्रबंधन की रोकथाम करने और उनका समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन देती है, जिसका भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्भूत सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतरभूत सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों पर सांठ-गांठ अनुचित प्रबंधन की संभावना होना तथा ऐसी गलती या धोखाधड़ी होने के कारण जिसका पता नहीं चल सकता था, के बारे में वस्तुगत गलत बयानी करना शामिल है। साथ ही, परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपन इस जोखिम के अध्यधीन होता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल स्थितियों बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन करने की सीमा घट सकती है।

राय

हमारी राय में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)'' द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार ऐसी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से प्रचालन में थे।

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं.	**कृते, परख एण्ड कं.**	**कृते, कोठारी एंड कंपनी**	**कृते, आर.जी.एन. प्राइज एंड कं.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन	फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी	फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई	फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस
(सीए एस. के. मित्तल)	**(सीए इन्द्रपाल सिंह)**	**(सीए मनस्वी कोठारी)**	**(सीए आर. रंगराजन)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 008506	सदस्यता सं. 410433	सदस्यता सं. 064601	सदस्यता सं. 041883

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

समेकित
वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार समेकित तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
परिसम्पत्तियां				
गैर-चालू परिसम्पत्तियां				
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4	**136422.44**	114143.64	88795.24
(ख) कार्यशील पूंजी	5	**38187.00**	45438.84	53230.69
(ग) निवेश सम्पत्ति	6	**0.03**	0.03	0.03
(घ) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	7	**1255.39**	950.54	790.65
(ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	8	**77.34**	172.12	211.29
(च) इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में किए गए संयुक्त उद्यमों में निवेश	9A	**1020.76**	834.22	734.73
(छ) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
(i) निवेश	9	**141.70**	79.30	104.57
(ii) ऋण	10	**132.36**	145.09	146.17
(iii) अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	11	**793.55**	880.78	576.41
(ज) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	12	**6517.32**	7006.93	6405.04
		184547.89	169651.49	150994.82
चालू परिसम्पत्तियां				
(क) मालसूची	13	**906.95**	707.43	625.60
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
(i) निवेश	14	**2.50**	5.00	185.43
(ii) व्यापार से प्राप्य	15	**3131.93**	2739.47	2132.06
(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	16	**3241.45**	1543.59	2491.19
(iv) उपरोक्त (iii) से भिन्न बैंक में शेष	17	**112.18**	699.76	341.95
(v) ऋण	18	**39.82**	30.72	26.97
(vi) अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	19	**3254.57**	3341.65	2558.95
(ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	20	**300.11**	453.74	159.83
(घ) बिक्री हेतु धारित वर्गीकृत परिसम्पत्ति	21	**-**	81.21	-
		10989.51	9602.57	8521.98
विनियामक आस्थगन लेखा शेष	22	**107.60**	37.67	37.72
कुल परिसम्पत्तियां		**195645.00**	179291.73	159554.52
इक्विटी एवं देयताएं				
इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	23	**5231.59**	5231.59	5231.59
(ख) अन्य इक्विटी	24	**44633.91**	38738.34	34287.11
		49865.50	43969.93	39518.70
देयताएं				
गैर-चालू देयताए				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधारी	25	**111253.17**	100463.31	89311.79
(ii) अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं	26	**474.60**	870.99	655.41
(ख) प्रावधान	27	**789.56**	650.45	609.51
(ग) आस्थिगित कर देयताएं (निवल)	28	**2535.98**	2518.78	2481.72
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	29	**575.20**	431.58	401.61
		115628.51	104935.11	93460.04
चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधारी	30	**1500.00**	2000.00	1200.00
(ii) व्यापार संबंधी देय राशियां	31	**413.98**	313.89	392.97
(iii) अन्य चालू वित्तीय देयताएं	32	**19809.94**	18236.85	16725.76
(ख) अन्य चालू देयताएं	33	**2589.08**	3538.91	3113.74
(ग) प्रावधान	34	**537.21**	298.15	266.69
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	35	**418.41**	300.75	140.47
		25268.62	24688.55	21839.63
आस्थगित राजस्व	36	**4882.37**	5698.14	4736.15
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**195645.00**	179291.73	159554.52

संलग्न टिप्पणियां (1 से 72) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

कृते, निदेशक-मण्डल एवं इसकी ओर से

दिव्या टंडन
कम्पनी सचिव

के. श्रीकान्त
निदेशक (वित्त)

आई.एस. झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन

(सीए एस. के. मित्तल)
साझेदार
सदस्यता सं. 008506

कृते, आर.जी.एन. प्राइस एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस

(सीए आर. रंगराजन)
साझेदार
सदस्यता सं. 041883

कृते, कोठारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई

(सीए मनस्वी कोठारी)
साझेदार
सदस्यता सं. 064601

कृते, परख एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी

(सीए इन्द्रपाल सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 410433

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	37	25703.91	20652.08
II	अन्य आय	38	583.81	466.29
III	कुल राजस्व (I + II)		26287.72	21118.37
IV	व्यय			
	कर्मचारी लाभ व्यय	39	1377.13	993.74
	वित्त लागत	40	6203.55	5086.23
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	41	7722.25	6181.82
	अन्य खर्चे	42	1739.47	1400.23
	कुल खर्च (IV)		17042.40	13662.02
V	इक्विटी विधि एवं कर (III-IV) का प्रयोग करते हुए हिसाब में किए गए संयुक्त उद्यमों में निवेशों के निवल लाभ का शेयर से पूर्व लाभ		9245.32	7456.35
VI	इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में किए गए निवेशों के निवल लाभ का शेयर		141.75	115.24
VII	कर से पूर्व लाभ		9387.07	7571.59
VIII	कर व्यय:			
	वर्तमान कर - वर्तमान वर्ष		1989.07	1575.89
	- पूर्ववर्ती वष		-	(0.02)
	आस्थगित कर -	28	2636.27	1848.48
	घटाएं : आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसंपत्ति		2619.07	1811.42
			2006.27	1612.93
IX	विनियामक आस्थगन लेखा शेष (VII-VIII) से पहले की अवधि के लिए लाभ		7380.80	5958.66
X	विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल उतार-चढ़ाव - आय/(व्यय)	43	69.93	(0.05)
XI	अवधि (IX + X) हेतु लाभ		7450.73	5958.61
XII	अन्य व्यापक आय			
	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	44	49.83	(11.97)
	इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में किए गए संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का शेयर		0.01	0.03
			49.84	(11.94)
XIII	अवधि (XI + XIII) हेतु कुल व्यापक आय		7500.57	5946.67
XIV	विनियामक आस्थागन लेखा शेष में उतार-चढ़ाव सहित प्रति इक्विटी शेयर आय (सममूल्य ₹10/- प्रत्येक):	65		
	मूल एवं न्यूनीकृत (₹)		14.24	11.39
XV	विनियामक आस्थागन लेखा शेष में उतार-चढ़ाव को छोड़कर प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सम मूल्य ₹10/- प्रत्येक)	65		
	मूल एवं न्यूनीकृत (₹)		14.11	11.39

संलग्न टिप्पणियां (1 से 72) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

कृते, निदेशक-मण्डल एवं इसकी ओर से

दिव्या टंडन	के. श्रीकान्त	आई.एस. झा
कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं.	कृते, आर.जी.एन. प्राइस एण्ड कं.	कृते, कोठारी एण्ड कं.	कृते, परख एण्ड कं.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन	फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस	फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई	फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी
(सीए एस. के. मित्तल)	(सीए आर. रंगराजन)	(सीए मनस्वी कोठारी)	(सीए इन्द्रपाल सिंह)
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 008506	सदस्यता सं. 041883	सदस्यता सं. 064601	सदस्यता सं. 410433

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 मई, 2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**चालू कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
	कर पूर्व निवल लाभ	**9457.00**	7571.54
	जोड़ें : आय व्यापक आय/(व्यय)	**49.84**	(11.94)
	घटाएं : दर विनियमित आय/(व्यय)	**69.93**	(0.05)
		9436.91	7559.65
	निम्न हेतु समायोजन :		
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**7722.25**	6181.82
	सहायता अनुदानों से अंतरण	**(21.89)**	(23.25)
	आस्थगित राजस्व-मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**(145.85)**	(140.84)
	अन्य इक्विटी हेतु समायोजन	**-**	(157.53)
	प्रावधान	**9.05**	7.41
	लाभ एवं हानि के जरिए वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**(47.53)**	(73.65)
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान/बट्टे खाते में डालने पर निवल हानि	**3.82**	5.62
	वित्त लागत	**6203.55**	5086.23
	पुनारांकित प्रावधान	**(3.98)**	(3.90)
	एफईआरवी हानि/(लाभ)	**(27.34)**	4.73
	जमा पर अर्जित ब्याज और सहायक कम्पनियों को बांड और ऋण	**(85.79)**	(68.96)
	प्राप्त लाभांश	**(7.07)**	(22.71)
		13599.22	10794.97
	परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनकारी लाभ	**23036.13**	18354.62
	निम्न हेतु समायोजन :		
	सम्पत्ति सूचियों में (वृद्धि)/कमी)	**(196.61)**	(81.83)
	ट्रेड प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	**(395.25)**	(609.70)
	वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**274.65**	(1304.68)
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**(192.66)**	75.76
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**587.58**	(357.84)
	देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**229.99**	303.21
	आस्थगित विदेशी मुद्रा घट-बढ़ परिसंपत्ति/देयता (निवल) में (वृद्धि)/कमी (निवल)	**141.81**	44.13
		449.51	(1930.95)
	प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	**23485.64**	16423.67
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	**(1871.41)**	(1415.59)
	प्रचालनकारी कार्यकलापों से निवल नकदी	**21614.23**	15008.08
ख.	**निवेशकारी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा कार्यशील पूंजी	**(23754.29)**	(22026.00)
	पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम	**(170.09)**	346.48
	अनुदान से आय	**63.02**	58.00
	बिक्री हेतु निर्धारित परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**81.21**	(81.21)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**(56.47)**	205.70
	इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिए गए निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**(186.54)**	(99.49)
	प्रतिभूतिकरण योजना के तहत दीर्घ अवधि ऋणों में (वृद्धि)/कमी	**7.71**	15.43
	पट्टों से प्राप्य	**43.94**	(100.03)
	बाण्डों पर अर्जित ब्याज और सहायक कम्पनियों को ऋण	**89.51**	81.91
	प्राप्त लाभांश	**7.07**	22.71
	निवेशकारी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(23874.93)**	(21576.50)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
ग.	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के दौरान लिए गए ऋण	**19342.85**	17489.24
	वर्ष के दौरान चुकता किए गए ऋण	**(8092.24)**	(5772.15)
	प्रदत्त ब्याज एवं वित्त प्रभार	**(5699.95)**	(4758.35)
	प्रदत्त लाभांश	**(1313.12)**	(1103.87)
	प्रदत्त लाभांश कर	**(278.98)**	(234.05)
	वित्तीय कार्यकलापों से निवल नकदी	**3958.56**	5620.82
घ.	नकदी एवं नकदी सदृशों में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	**1697.86**	(947.60)
ड.	नकदी एवं नकदी सदृश (आदि शेष)	**1543.59**	2491.19
च.	नकदी एवं नकदी सदृश (अन्त शेष)	**3241.45**	1543.59

टिप्पणः
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते, निदेशक-मण्डल एवं इसकी ओर से

दिव्या टंडन
कम्पनी सचिव

के. श्रीकान्त
निदेशक (वित्त)

आई.एस. झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन
(सीए एस. के. मित्तल)
साझेदार
सदस्यता सं. 008506

कृते, आर.जी.एन. प्राइस एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस
(सीए आर. रंगराजन)
साझेदार
सदस्यता सं. 041883

कृते, कोठारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई
(सीए मनस्वी कोठारी)
साझेदार
सदस्यता सं. 064601

कृते, परख एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी
(सीए इन्द्रपाल सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 410433

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2015 को	5231.59
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31 मार्च, 2016 को	5231.59
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31 मार्च, 2017 को	5231.59

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	प्रारक्षित एवं अधिशेष								अन्य व्यापक आय	
	प्रतिभूति प्रीमियम प्रा. नि.	बॉण्ड शोधन प्रा. नि.	स्व. बीमा प्रा. नि.	सीएसआर प्रा. नि.	सामान्य प्रा. नि.	लोड प्रेषण एवं संचार (एलडीसी) विकास निधि	आरईसी निधि	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय इक्विटी निवेश के जरिए उचित मूल्य	जोड
1 अप्रैल, 2015 को शेष	9578.29	5870.47	387.18	129.52	17835.23	158.96	10.64	231.74	85.08	34287.11
वर्ष हेतु लाभ								5958.61		5958.61
अन्य व्यापक आय								8.34	(20.28)	(11.94)
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-			5966.95	(20.28)	5946.67
वर्ष के दौरान समायोजन										
सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित					3500.00			(3500.00)	-	-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि में अन्तरित		1720.62						(1720.62)	-	-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से अन्तरित		(697.93)						697.93	-	-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि में अन्तरित			102.58					(102.58)	-	-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरित			(5.29)		5.29			-	-	-
सीएसआर प्रशिक्षत निधि में अन्तरित				6.01				(6.01)	-	-
अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2014-15								(685.34)	-	(685.34)
अंतिम लाभांश पर कर वित्त वर्ष 2014-15								(149.04)	-	(149.04)
अन्तरिम लाभांश : वित्त वर्ष 2015-16								(418.53)	-	(418.53)
अन्तरिम लाभांश पर कर : वित्त वर्ष 2015-16								(85.01)	-	(85.01)
बिक्री हेतु रखे आस्तियों के कारण निवल मूल्य में परिवर्तन						(158.96)	(10.64)			(169.60)
बिक्री हेतु रखे आस्ति हेतु आस्थगित कर समायोजन								0.00		0.00
इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हितलाभ में लिए गए निवेश के निवल लाभों का शेयर								40.58		40.58
सामान्य प्रा.नि. से अन्तरण					(28.82)			0.00		(28.82)
अन्य समायोजन					0.30	-	-	0.02	-	0.32
31 मार्च, 2016 को शेष	9578.29	6893.16	484.47	135.53	21312.00	-	-	270.09	64.80	38738.34

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

	प्रारक्षित एवं अधिशेष								अन्य व्यापक आय	
	प्रतिभूति प्रीमियम प्रा. नि.	बॉण्ड शोधन प्रा. नि.	स्व. बीमा प्रा. नि.	सीएसआर प्रा. नि.	सामान्य प्रा. नि.	लोड प्रेषण एवं संचार (एलडीसी) विकास निधि	आरईसी निधि	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय इक्विटी निवेश के जरिए उचित मूल्य	जोड
1 अप्रैल, 2016 को शेष	**9578.29**	**6893.16**	**484.47**	**135.53**	**21312.00**			**270.09**	**64.80**	**38738.34**
वर्ष हेतु लाभ								7450.73		7450.73
अन्य व्यापक आय								10.88	38.96	49.84
कुल व्यापक आय								**7461.61**	**38.96**	**7500.57**
वर्ष के दौरान समायोजन										
सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित					1989.71			(2000.00)		(10.29)
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि में अन्तरित		2004.95						(2004.95)		-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से अन्तरित		(802.28)						802.28		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि में अन्तरित			194.17					(194.17)		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरित			(0.85)		-			-		(0.85)
सीएसआर प्रशिक्षत निधि से अन्तरित				(12.15)	-			-		(12.15)
अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2015-16								(789.97)		(789.97)
अंतिम लाभांश पर कर वित्त वर्ष 2016-17								(173.58)		(173.58)
अन्तरिम लाभांश : वित्त वर्ष 2016-17								(523.15)		(523.15)
अन्तरिम लाभांश पर कर : वित्त वर्ष 2015-16								(105.40)		(105.40)
अन्य समायोजन			-		10.30			0.09		10.39
31 मार्च, 2016 को शेष	**9578.29**	**8095.83**	**677.79**	**123.38**	**23312.01**	**-**	**-**	**2742.85**	**103.76**	**44633.91**

प्रारक्षित निधि एवं अतिरिक्त राशि के स्वरुप एवं घट-बढ़ हेतु टिप्पण सं. 24 को देखे

कृते, निदेशक-मण्डल एवं इसकी ओर से

दिव्या टंडन
कम्पनी सचिव

के. श्रीकान्त
निदेशक (वित्त)

आई.एस. झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते, एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001135 एन
(सीए एस. के. मित्तल)
साझेदार
सदस्यता सं. 008506

कृते, आर.जी.एन. प्राइस एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस
(सीए आर. रंगराजन)
साझेदार
सदस्यता सं. 041883

कृते, कोठारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 301178 ई
(सीए मनस्वी कोठारी)
साझेदार
सदस्यता सं. 064601

कृते, परख एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001475 सी
(सीए इन्द्रपाल सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 410433

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 मई, 2017

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियां

1. कॉरपोरेट एवं सामान्य सूचना

पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') एक सार्वजनिक कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के तहत भारत में स्थापित एवं निगमित है और इसके शेयर भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएलई) और बीएसटी लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली, भारत में स्थित है और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय सौदामिनी, प्लॉट नं., 2, सेक्टर, 29, गुडगांव, हरियाणा में स्थित है।

कम्पनी, विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी (सीटीयू) के रूप में अधिसूचित है। यह मुख्य रूप से अन्तर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएम); दूरसंचार एवं परामर्शी सेवाओं की योजना बनाने, इसे लागू करने, प्रचालन तथा रखरखाव का कार्य करता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरण 29.05.2017 को निदेशक-मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अनुमोदित थे।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

ग्रुप समेकित वित्तीय विवरणों में कम्पनी के, इसकी सहायक कम्पनियों के और (इसके संयुक्त उद्यमों में ग्रुप के हित शामिल हैं।

2.1 तैयार करने का आधार

i) भारतीय लेखाकरण मानक का अनुपालन

वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133, कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 और कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित सीमा में) के संगत उपबंधों, कंपनी अधिनियम, 1956 (अनुप्रयोज्य सीमा में) और विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध, अनुप्रयोज्य सीमा में तथा इसके बाद यथा-संशोधित रूप में अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (भा. ले. मा.) के अनुसार तैयार किया जाता है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष तक वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए थे, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित सीमा में), कम्पनी अधिनियम, 1956 (अनुप्रयोज्य सीमा में) के संगत उपबंधों के अनुसार हैं तथा इसमकें उनके तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक एवं अनुप्रयोज्य सीमा में बिजली अधिनियम, 2003 के उपबंध शामिल है।

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखाकरण मानक के तहत कम्पनी के प्रथम वित्तीय विवरण हैं। भारतीय लेखाकरण मानक में परिवर्तन की तारीख 1 अप्रैल, 2015 है। इस स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणी सं. 70 को देखें कि पूर्ववर्ती जीएएपी से भारतीय लेखाकरण मानक में पारगमन से कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित हआ है।

ii) मूल्यांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार और निम्नलिखित को छोड़कर जिन्हें उचित मूल्य मूल्यांकित किया गया है, मूल लागत परिपाटी आधार पर तैयार किया गया है :

- उचित मूल्य पर मूल्यांकित कुछेक वित्तीय आस्तियां एवं देयताएं (वित्तीय लिखतों के संबंध में लेखाकरण नीति हेतु टिप्पणी 2.13 को देखें);
- निर्धारित लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर मूल्यांकित योजना आस्तियां।

iii) कार्यात्मक एवं प्रतिनिधिक करेंसी

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में (रुपए अथवा ₹) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कम्पनी का कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है और सभी राशियों को निकटतम करोड़ में और उसके दो दशमलव में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय अन्यथा उल्लिखित थे।

iv) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमान और पूर्वानुमान अपेक्षित है जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आस्तियों, देयताओं, राजस्व एवं खर्चों की उल्लिखित राशि को दर्शाते हैं। यद्यपि ऐसे अनुमान और पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए उचित एवं तर्कसंगत आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखाकरण अनुमानों के संशोधन को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में अनुमान को संशोधित किया जाता है, यदि संशोधन केवल उस अवधि में अथवा संशोधन की अवधि में और भावी अवधि में किया जाता है, यदि संशोधन चालू एवं भावी, दोनों वर्षों को प्रभावित करता है (महत्वपूर्ण लेखाकरण अनुमानों, पूर्वानुमानों एंव समायोजनों के लिए टिप्पणी-3 को देखें।)

2.2 समेकन के नियम और इक्विटी लेखाकरण सहायक कम्पनियां

सहायक कम्पनियां, वे संस्थाएं हैं, जिन पर कम्पनी का नियंत्रण हो। कम्पनी संस्था पर तब नियंत्रण करती है जब कम्पनी को परिवर्तनीय प्रतिफलों को अपनी अन्तग्रस्तता से संस्था में प्रदश्रित करना हो अथवा प्रदर्शित करने का अधिकार हो और उन प्रतिप्यों को अपने अधिकार के जरिए संस्था को संगत कार्यकलापों को निदेशित करने की

योग्यता हो। सहायक कम्पनियां उस तारीख से जिस तारीख को कंट्रोल कम्पनी को हस्तान्तरित होता है, पूर्ण रूप से समाहित होती है। वे उस तारीख से असमहित होती है जब कंट्रोल समाप्त हो जाता है।

लेखाकरण की अधिग्रहण विधि को ग्रुप द्वारा कारबार संयोजन को हिसाब में लेने के लिए प्रयोग किया जाता है।

कम्पनी सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरण को आस्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय एवं खर्चों जैसी मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति जोड़कर के संयोजित करती है। अन्तर कंपनी लेन देनों, शेषों एवं कम्पनियों के बीच लेनदेनों पर नहीं वसूले गए लाभों को हटा देती है। नहीं वसूली गई हानियों को भी हटाया जाता है, जब तक कि लेन देन में स्थानान्तरित आस्ति की क्षति का प्रमाण उपलब्ध न हो। सहायक कम्पनियों की लेखाकरण नीतियों को वहां बदल दिया गया है जहां कम्पनी द्वारा अपनाई गई नीतियों में सुसंगतता निश्चित करना आवश्यक हो।

समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखाकरण मानक (भा.ले.मा.) 110- ''समेकित वित्तीय विवरण'' और ''भारतीय लेखाकरण मानक'' (भा. ले.मा.) 28- ''सहायक कम्पनियां एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश'' के अनुसार तैयार किया गया है।

संयुक्त व्यवस्था

भारतीय लेखाकरण मानक 111, संयुक्त व्यवस्थाओं के तहत संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश को या तो संयुक्त प्रचालन या फिर संयुक्त उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकार एवं बाध्यता पर निर्भर करता है, न कि संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे पर कम्पनी के पास केवल संयुक्त उद्यम है।

संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम में ब्याज को समेकित तुलन पत्र में लागत पर शुरू में मान्य करने के बाद इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है।

इक्विटी विधि

इक्विटी लेखाकरण विधि के तहत निवेशों को आरंभिक तौर पर लागत पर मान्य किया जाता है और इसके बाद लाभ एवं हानि विवरण में निवेशी कम्पनी के अधिग्रहण बाद लाभों अथवा हानियों के कम्पनी के शेयर को और अन्य व्यापक आय में निवेशी कम्पनी की अन्य व्यापक आय के कम्पनी के शेयर को मान्य करने के लिए समायोजित किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांशों को निवेश की रखरखाव राशि में घटौती के रूप में मान्य किया जाता है।

जब इक्विटी विधि के तहत हिसाब में लिए गए निवेश में कम्पनी के हानि शेयर संस्था में इसके ब्याज के बराबर हो अथवा इससे अधिक हो, जिसमें कोई अन्य अप्रतिभूत दीर्घ अवधि प्राप्य राशि शामिल हो, तो कम्पनी और हानियों को मान्य नहीं करती; जब तक कि इसने संयुक्त उद्यम कम्पनियों की ओर से कोई बाध्यता उपगत न हो अथवा भुगतान नहीं किए गए हो।

कम्पनी और इसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेन-देनों पर नहीं वसूले गए अभिलाभों को इन संस्थाओं में कम्पनी के हित की सीमा में हटाया जाता है। नहीं वसूले गए हानियों को भी हटाया जाता है, जब तक कि लेन-देन स्थानान्तरित आस्ति की क्षति का प्रमाण नहीं उपलब्ध कराता इक्विटी की लेखाकरण नीतियों को, जो निवेशियों के संबंध में है, जहां भी आवश्यक हो, बदल दिया गया है।

समेकन में सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को उसी रिपोर्टिंग तारीख में तैयार किया जाता है जिसमें कम्पनी की जाती है।

लेखाकरण नीतियों में अन्तर एवं उन पर प्रभाव :

कुछेक मदों के लिए कम्पनी और संयुक्त उद्यम कम्पनियों ने अलग-अलग लेखाकरण नीतियों का पालन किया है। तथापि, इसका प्रभाव वास्तविक नहीं हैं।

2.3 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

भारतीय ले. मा. में अन्तरण पर मूल्यांकन

भारतीय ले. मा. में परिवर्तन की तारीख को, कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रखाव मूल्य को पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार विचार किया है, जिसे भारतीय ले. मा. 101 ''भारतीय लेखाकरण मानक का पृथ्वी बार स्वीकरण'' के अनुसार लागत समझा जाता है।

आरंभिक स्वीकरण एवं मूल्यांकन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें आस्ति को स्थान में लाने तथा प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके में इसे प्रचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थिति पर प्रत्यक्ष रूप से खर्च कोई लागत शामिल है। शुरुआती स्वीकरण के बाद सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास/आशोधन एवं संचित अनर्जक क्षति यदि कोई हो, पूरा किया जाता है।

मौजूदा आस्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में प्राप्त सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय प्रयोग से हटाए गए/निष्कासित इसके तदनुरूपी प्रतिस्थापित आस्तियों को अस्वीकार किया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित भाग अथवा पहले के निरीक्षण की लागत उपलब्ध न हो, तो सदृश नये भागों/नरीक्षण की अनुमानित लागत उस लागत के संकेतन के रूप में प्रयोग किया जाता जो लागत मौजूदा भाग/निरीक्षण की थी, जब मद को प्राप्त किया गया था अथवा निरीक्षण किया गया था।

अधिकृत आस्तियों, निक्षेप कार्यों/संविदा सहित लागत के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, वहां पूंजीकरण अंतिम निपटान वर्ष में आवश्यक समायोजनों के अधीन अस्थायी आधार पर किया जाता है।

एक से अधिक ट्रांसिमशन सिस्टम के लिए सामान्य आस्तियों एवं सिस्टमों को तकनीकी अनुमानों/निर्धारणों के आधार पूंजीकृत किया जाता है।

ट्रांसमिशन सिस्टम आस्तियों को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार रूप में समझा जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

भूमि की लागत में, अस्थायी जमा राशियां, क्षतिपूरण के संबंध में भुगतान/देयताएं, पुनर्वास एवं अन्य खर्चे शामिल हैं, जहां कहीं भी भूमि का स्वामित्व लिया गया हो।

भूमि को समतल करने, साफ करने तथा ढाल बराबर करने पर व्यय को संबंधित भवनों की लागत को भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, जिनकी लागत ₹5,00,000/- और अधिक हो, आपात उपयोगी उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकरण मापदण्ड को पूरा करते हें, को पूंजीकृत किया जाता है।

अमान्यकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद को तब अमान्य किया जाता है जब उनके इस्तेमाल से अथवा निपटान करने पर कोई आगामी लाभ प्राप्त न हो।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान अथवा निष्कासन पर उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि को निवल निपटान प्राप्तियों एवं सम्पत्ति की रखाव लागत के बीच अन्तर के रूप में निर्धारित किया जाता है और निपटान अथवा निष्कासन की तारीख को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

2.4 कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)

भारतीय ले.मा. में परिवर्तन की तारीख को कम्पनी ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी के रखरखाव मूल्य पर विचार किया है, जो भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुसार मानित लागत है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण के लिए उपगत सामग्री लागत, निर्माण खर्च एवं अन्य खर्चों को निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर पूंजीकरण की तारीख तक सीडब्ल्यूआईपी में दर्शाया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण हेतु निर्धारित कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं परियोजनाओं के व्यय की पहचान की जाती है और संबंधित आस्तियों के लागत हेतु एक व्यवस्थित आधार पर आबंटित किए जाता है।

उपरोक्त नीति के अनुसार निर्माण हेतु आबंटित निर्माण के दौरान ब्याज एवं व्यय (निवल) को सीडब्ल्यूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और सीडब्ल्यूआईपी के अंत शेष के समानुपात में पूंजीकृत किए गए आस्तियों में संविभाजित किया जाता है।

निक्षेप कार्यों/संविदा सहित लागत को ठेकेदारों से प्राप्त विवरण अथवा पूरे किए गए कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

संविदाओं के मामले में मूल्य परिवर्तन/विनिमय दर परिवर्तन संबंधी अनिष्पादित देयता को संविदाओं के अनुसार अनुमानित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.5 अमूर्त आस्तियां और निर्माणाधीन अमूर्त आस्तियां

भारतीय ले.मा. में परिवर्तन की तारीख को कम्पनी ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार आमूर्त आस्तियों के रखरखाव मूल्य पर नियत किया है, जो भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुसार मानित लागत है।

अमूर्त आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। आरंभिक स्वीकरण के बाद, अमूर्त आस्तियों को लागत घटा किसी संचित परिशोधन एवं संचित अपसामान्य क्षतियों पर पूरा किया जाता है।

पहले से पूंजीकृत आस्तियों पर परवर्ती व्यय को तब पूंजीकृत किया जाता है, जब यह मौजूदा आस्ति में अन्तःस्थापित आगामी आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और उत्तरव्यापी रूप से आशोधित करता है।

आन्तरिक इस्तेमाल हेतु प्राप्त साफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है) तथा इसके नतीजातन महत्वपूर्ण आगामी आर्थिक लाभों को तब अमूर्त आस्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब यह इस्तेमाल के तैयार हो।

ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए मार्गाधिकार प्राप्त करने हेतु वनरोपण खर्चों को संबंधित ट्रांसिमशन लाइनों के पूंजीकरण की तारीख को अमूर्त आस्तियों के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

शीर्ष अमूर्त आस्तियों के तहत पूंजीकरण हेतु मान्य उपगत व्यय को तब तक ''निर्माणाधीन अमूर्त आस्ति'' के रूप में माना जाता है जब तक ऐसी आस्तियां अपने अभिप्रेत इस्तेमाल के लिए तैयार न हो।

अनुसंधान संबंधी व्यय को व्यय के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब यह उपगत हों।

विकास संबंधी व्यय को अमूर्त आस्ति के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, यदि यह लेखाकरण मानक 38 ''अमूर्त आस्ति'' के अनुसार पात्रता मापदण्ड को पूरा करता हो अन्यथा इसे व्यय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

अमूर्त आस्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ संभव न हो। अमूर्त आस्ति के अस्वीकरण से उत्पन्न अभिलाभों अथवा हानियों का मूल्यांकन निवल निपटान प्राप्तियों एवं आस्ति की रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में तब स्वीकार किया जाता है जब आस्ति आमान्य हो।

2.6 निवेश परिसम्पत्ति

निवेश परिसम्पत्ति में उस भूमि और/अथवा भवन के भाग शामिल हैं, जिन्हें दीर्घ अवधि किराया मुनाफा के लिए और/अथवा मूल्य वृद्धि के लिए रखा जाता है।

भारतीय लेखाकरण मानक में परिवर्तन की तारीख को, कम्पनी ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार निवेश सम्पत्ति के रखरखाव मूल्य पर विचार किया है जो भारतीय लेखाकरण मानक 101 के अनुसार मानित लागत है।

निवेश सम्पत्तियों का शुरुआती तौर पर मूल्यांकन लागत पर किया जाता है जिसमें, लेनदेन लागत शामिल है। शुरुआती स्वीकरण के बाद, निवेश सम्पत्तियों को लागत घटा संचित मूल्यह्रास और संचित अपसामान्य क्षति, यदि कोई हो, पर पूरा किया जाता है।

निवेश सम्पत्ति से अथवा इसमें हस्तान्तरण तभी किया जाता है जब प्रयोग में परिवर्तन हो।

निवेश सम्पत्तियों को तब अमान्य किया जाता है, या तो जब उनका निपटान किया गया हो या फिर जब उन्हें इस्तेमाल से पूरी तरह से हटाया गया हो और उनके निपटाने कोई आगामी आर्थिक लाभ संभव न हो। निवल निपटान प्राप्तियों एवं आस्तियों के रखरखाव लागत के बीच अन्तर को अमान्य अवधि में लाभ अथवा हानि के रुप में मान्य किया जाता है।

2.7 मूल्यह्रास/परिशोधन

ट्रांसमिशन कारोबार से संबंधित आस्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली का पालन करते हुए टैरिफ की वसूली के प्रयोजनार्थ सीधी कटौती प्रणाली पर उपलब्ध है और दूरसंचार एवं परामर्शी कारोबार की आस्तियों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली पर उपलब्ध है, इसमें निम्नलिखित पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट आस्तियां शामिल नहीं हैं।

01 अप्रैल, 2014 से पहले अधिकृत यूएलडीसी आस्तियों को 6.67% प्रति वर्ष की दर पर सीधी कटौती प्रणाली पर मूल्यहासित किया जाता है। 01 अप्रैल, 2014 को अथवा इसके बाद अधिकृत ऐसी आस्तियों को टैरिफ की वसूली के प्रयोजनार्थ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली कर का अनुपालन करते हुए सीधी कटौती प्रणाली पर मूल्यहासित किया जाता है।

निम्नलिखित आस्तियों पर मूल्यह्रास तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर उपलब्ध है:

विवरण		उपयोगी अवधि
क.	कम्प्यूटर एवं बाह्य सामान	3 वर्ष
ख.	सर्वर एवं नेटवर्क संघटक	5 वर्ष

उपरोक्त आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य को शून्य रुप में समझा जाता है।

अमूर्त आस्ति के रूप में पूंजीकृत साफ्टवेयर की लागत को शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ कानूनी प्रयोगाधिकार पर अथवा 3 वर्ष, जो भी कम हो, पर आशोधित किया जाता है।

मोबाइल फोनों को खरीद वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

एनएलडी लाइसेंस को इसकी उपयोगी अवधि पर आशोधित किया जाता है।

1200 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास पर खर्च को 10 वर्ष की अवधि पर आशोधित किया जाएगा और उपयोगी अवधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाएगी।

वनरोपण खर्चों को सेंट्रल विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमनों द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली के बाद संबंधित ट्रांसमिशन आस्तियों के पूंजीकरण की तारीख से पच्चीस वर्ष में आशोधित किया जाता है।

वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में परिवर्धन/इससे कटौती करने पर मूल्यह्रास/आशोधन को उस तारीख से/तक यथा-अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है जिस तारीख को आस्ति इस्तेमाल/निपटान हेतु उपलब्ध हो।

जहां; अवमूल्यनीय समम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत में विनिमय पर घट-बढ़, मूल्य समायोजन, शुल्कों अथवा सदृशकारकों में परिवर्तन के कारण दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों में वृद्धि/कमी के कारण परिवर्तन हुआ हो, वहां ऐसे आस्ति के अपरिशोधित शेष को उत्तरव्यापी रूप से सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दरों पर कार्य प्रणाली पर मूल्यहासित किया जाता है। इसमें दूरसंचार एवं परामर्श कारोबार आस्तियां शामिल नहीं है, जहां अवशिष्ट अवधि को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - II में यथाविनिर्दिष्ट सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ), नेयवली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) जो 1 अप्रैल, 1992 से स्थानान्तरित है, 1 अप्रैल, 1993 से जम्मू एवं कश्मीर लाइनें तथा टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) 1 अगस्त, 1993 से स्थानन्तरित हैं, को सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण के मामले में, मूल्यह्रास आवश्यक समायोजनों के साथ जैसा कि अन्तरणकर्ता के बहियों में इंगित है, सकल ब्लॉक आधार पर प्रभारित होता है, ताकि आस्तियों की कार्यक्षमता को, जैसा कि टैरिफ संबंधी सीईआरसी अधिसूचना में निर्धारित है, बनाए रखा जा सके।

निवेश सम्पत्ति के रूप में धारित भवनों पर मूल्यह्रास सीधी कटौती प्रणाली पर उपलब्ध होता है जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट है।

अतिरिक्त पुर्जो, आपात उपयोगी उपकरण तथा सर्विसिंग उपकरण, जो पूंजीकृत हैं, पर मूल्यह्रास उस तारीख से सीधी कटौती प्रणाली पर उपलब्ध होता है जिस तारीख से वे सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली के बाद ट्रांसमिशन कारोबार की संबंधित आस्तियों की उपयोगी कार्यक्षमता बनाए रखने पर इस्तेमाल हेतु उपलब्ध हो।

ट्रांसमिशन कार्य से संबंधित आस्तियों से भिन्न आस्तियों के लिए मूल्यह्रास के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन एवं विधियों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पुनरीक्षा की जाती है और जहां कहीं अपेक्षित हो, उत्तरव्यापी रूप से समायोजित किया जाता हो।

₹5000/- अथवा कम की अचल आस्तियों को अधिग्रहण वर्ष में पूरी तरह मूल्यहासित किया जाता है।

पट्टा भूमि को पट्टा अवधि पर अथवा संबंधित संयंत्र की अवधि पर जो भी सीईआरसी टैरिफ विनियमन में निर्दिष्ट दरों एवं कार्यप्रणाली के अनुसार कम हो, पूरी तरह परिशोधित किया जाता है। चिरस्थायी पट्टे पर प्राप्त पट्टा भूमि को परिशोधित नहीं किया जाता है।

2.8 उधारी लागत

सभी उधार लिए गए निधियों को (कार्यशील पूंजी के लिए अल्प अवधि निधियों को छोड़कर) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उद्दिष्ट किया जाता है। हमारी लागतों को (जिसमें बॉण्ड निर्गम खर्च, ब्याज, बाण्डों पर छूट, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क, गारंटी शुल्क, प्रबंधन शुल्क, आदि शामिल है) इस तरह उद्दृष्ट निधियों के समानुपात में परियोजनाओं को आबंटित किया जाता है।

अधिग्रहण अथवा मान्य आस्तियों को निर्माण से सीधे आबद्ध उधारी लागतों को (निधियों के अस्थायी रूप से नियोजन पर आय का निवल) ऐसी आस्तियों के लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक आस्तियां अभिप्रेत इस्तेमाल के लिए तैयार न हो।

अन्य उधारी लागतों को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

2.9 मालसूचियों से भिन्न गैर-वित्तीय आस्तियों की क्षति

नकदी उत्पादक यूनिट, जैसा कि भारतीय ले. मा. 36 ''आस्तियों की हानि'' में परिभाषित है, तुलनपत्र तारीख में अभिज्ञात है। तुलनपत्र की तारीख में, यदि इसमें हानि का कोई संकेत हो और नकदी उत्पादक यूनिट की रखाव राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो (अर्थात अधिकतम उच्च मूल्य घटा निपटान लागत एवं प्रचालित मूल्य) तो अपसामान्य हानि को मान्य दिया जाता है। रखरखाव राशि को वसूली योग्य राशि में कम किया जाता है और घटौती को लाभ एवं हानि विवरण में अपसामान्य हानि के रूप में मान्य किया जाता है। पूर्व लेखाकरण अवधि में एकीकृत अपसामान्य हानि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में वृद्धि की सीमा में लौटाया जाता है। पश्च अपसामान्य मूल्यह्रास क्षतिग्रस्त आस्ति के संशोधित रखाव मूल्य पर अपने उपयोगी अवधि में रहते हुए उपलब्ध होता है।

2.10 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हस्तगत नकदी और बैंक में जमा राशि तथा मांगने पर बैंकों में रखी जमा राशियां, जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से तीन माह अथवा कम है, जिन्हें सहजता से एक ज्ञात नकदी राशि में परिवर्तित किया जाता है और मूल्य में अमहत्वपूर्ण जोखिम परिवर्तन के अध्यधीन हो, शामिल हैं।

2.11 मालसूचियां

मालसूचियों को भारित औसत आधार पर निर्धारित निम्नतर लागत पर एवं निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

इस्तेमाल के स्क्रैप एवं कंडक्टर के स्क्रैप को अनुमानित वसूली योग्य मूल्य अथवा अर्जित मूल्य जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं, को मालसूचियों के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

प्रबंधन द्वारा यथा-निर्धारित अतिरिक्त सामग्री को अभिप्रेत प्रयोग के लिए रखा जाता है और मालसूची में शामिल किया जाता है।

अप्रचलित, अनुप्रयोज्य, अतिरिक्त सामानों एवं अतिरिक्त पुर्जों की मूल्य में कमी का पुनरीक्षा पर पता लगाया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है।

2.12 पट्टे

i) पट्टादाता के रूप में

यह निर्धारण करना कि व्यवस्था (अथवा अन्तर्विष्ट) एक पट्टा है, पट्टे के आरम्भन में व्यवस्था के सार पर आधारित है। व्यवस्था एक पट्टा है, अथवा इसमें अन्तर्विष्ट है, यदि व्यवस्था का पालन विशिष्ट आस्ति अथवा आस्तियों पर निर्भर हो और व्यवस्था में आस्ति अथवा आस्तियों का प्रयोगाधिकार निहित हो, मानो कि अधिकार व्यवस्थापन में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न हो।

पट्टे को आरम्भन की तारीख में वित्त पट्टे के रूप में अथवा प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क) वित्त पट्टे

पट्टा, जो आस्ति के स्वामित्व के लिए महत्वपूर्ण पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों हस्तान्तरित करता है, को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

राज्य क्षेत्रक एकीकृत लोड प्रेषण सेंटर (यूएलडीसी)/फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन आस्तियां (एफओसी)/लाभार्थियों को पट्टे पर दी गई दोतरफा आस्तियों को वित्त पट्टे के रूप में समझा जाता है। इस तरह पट्टे पर दी गई आस्तियों में निवल निवेश को पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के उचित मूल्य से कम पर प्राप्य

योग्य रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और बाद के वर्षों में वृद्धि के साथ न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य को चालू एवं गैर-चालू अन्य वित्तीय आस्तियों के तहत पट्टा प्राप्यों के रूप में हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं भी राज्य क्षेत्र यूएलडीसी के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया जाता है, वहां पट्टा प्राप्यों को ऐसे निवल अनुदान में हिसाब में लिया जाता है।

पट्टे के ब्याज घटक को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार निवल निवेश पर प्रतिफल को एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाने वाली पद्धति के आधार पर पट्टे पर लाभ एवं हानि विवरण में हिसाब में लिया जाता है।

पट्टाकृत आस्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा ऋणों पर एफईआरवी को पट्टा प्राप्य राशियों में समायोजित किया जाता है और पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। संघटकों से एफईआरवी वसूली (सीईआरसी मानकों के अनुसार) को ऐसे आशोधित राशि के निवल में मान्य किया जाता है।

ख) प्रचालन पट्टे

प्रचालन पट्टा वित्त पट्टे से भिन्न एक पट्टा है। पट्टे, जिसमें स्वामित्व के जोखिमों एवं प्रतिफलों का एक महत्वपूर्ण भाग पट्टादाता द्वारा प्रतिधारित होता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत होते हैं।

प्रचालन पट्टों के लिए आस्ति, सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकृत होती है और यह आर्थिक अवधि पर मूल्यहासित होती है। प्रचालन पट्टे से किराया आय को व्यवस्थापन अवधि पर मान्य किया जाता है।

ii) पट्टेदार के रूप में

प्रचालन पट्टे

प्रचालन पट्टों के तहत किए गए भुगतानों को पट्टा अवधि के बाद व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

2.13 कर्मचारी लाभ

निर्धारित पेंशन अंशदान योजना और भविष्य निधि योजना हेतु वर्ष के दौरान प्रदत्त/देय कम्पनी के अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है। इसे निधि को अदा किया जाता है और एक अलग न्यास के जरिए नियंत्रित किया जाता है।

वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन पर वार्षिक रूप से अभिनिश्चित उपदान हेतु देयता को उपलब्ध कराया जाता है और अलग से निधिकित किया जाता है।

प्रतिपूरित अनुपस्थितियों, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति, चिकित्सा लाभों, निपटान भत्ता हेतु देयताओं एवं किन्हीं दीर्घ सेवा प्रतिफलों को वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन पर अभिनिश्चित किया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है।

अल्प अवधि कर्मचारी व्ययों को उस वर्ष में जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हों, लाभ एवं हानि विवरण में छूट नहीं दी गई राशि में मान्य किया जाता है।

निर्धारित लाभ बाध्यताओं से संबंधित पुनर्मूल्यांकनों को तत्काल उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है। पुनर्मूल्यांकनों के बाद अवधियों में लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

2.14 वित्तीय लिखतें

वित्तीय आस्तियां

कम्पनी की वित्तीय आस्तियों में नकदी एवं नकदी समतुल्य, बैंक में शेष, सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों से भिन्न कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कम्पनियों/कर्मचारियों को ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

वर्गीकरण

कंपनी अपने वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है :

- परिशोधित लागत पर
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

- वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन हेतु कम्पनी के व्यावसायिक मॉडल; और
- वित्तीय आस्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं।

आरंभिक स्वीकरण एवं मूल्यांकन

सभी वित्तीय आस्तियों को, व्यापार प्राप्य राशियों को छोड़कर शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है, लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य में रिकॉर्ड नहीं किए गए वित्तीय आस्तियों के मामले में लेन-देन लागतें, यदि कोई हो, जिन्हें वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण के संबंध में समझा जाता है।

कंपनी, अंतर को केवल वहां अभिलाभ अथवा हानि में (जब तक यह किसी अन्य किस्म की आस्ति के रूप में मान्य करने हेतु उपयुक्त न हो) मान्य करता है, जहां उचित मूल्य किसी विशिष्ट आस्ति हेतु एक क्रियाशील बनाने में उद्धृत मूल्य द्वारा प्रमाणित होता है अथवा दृष्टिगोचर बाजार से केवल डाटा का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन तकनीकी के आधार पर प्रमाणित होता है।

कम्पनी अपने व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन अपने लेन-देन मूल्य पर करती है, यदि व्यापार प्राप्यों में कोई महत्वपूर्ण वित्त संघटक शामिल न हो।

अनुवर्ती मूल्यांकन

आस्तियों का, जिन्हें संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूली के लिए रखा गया हो, जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूल राशि एवं ब्याज के भुगतानों को दर्शाते हों, मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है। ऋण निवेश पर अभिलाभ अथवा हानि, जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, को लाभ अथवा हानि में तब मान्य किया जाता है जब आस्ति को अमान्य अथवा अनर्जक माना गया हो। इन वित्तीय आस्तियों से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए वित्त आय में शामिल किया जाता है।

वित्तीय आस्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, उचित मूल्य संबंधी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आज (ओसीआई) में मान्य किया जाता है। तथापि, कम्पनी ब्याज आय, अपसामान्य हानि तथा वापसी राशियों एवं विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को आय विवरण में मान्य करती है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 ''वित्तीय लिखतें'' के अनुसार सभी इक्विटी लिखतों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। कम्पनी आरंभिक स्वीकरण पर लिखत-दर-लिखत आधार पर अन्य व्यापक आय में (एफवीओसीआई) उचित मूल्य पर परवर्ती बदलाव को दर्शाने के लिए अप्रतिसंहार्य का चयन कर सकती है।

एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी लिखतों के लिए लिखत में सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को, जिसमें लाभांश शामिल नहीं है, ओसीआई में मान्य किया जाता है। इसमें निवेश बिक्री पर भी राशियों का ओसीआई से लाभ अथवा हानि में पुनर्निवेश नहीं होता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ अथवा हानि को हस्तान्तरित कर सकती है।

वित्तीय आस्तियों का आमान्यीकरण

वित्तीय आस्ति को तभी अमान्य किया जाता है, जब

- ग्रुप ने वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार स्थानान्तरित कर दिया हो अथवा
- वित्तीय आस्तियों के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के सांविदात्मक अधिकार को अपने पास रखा हो, परन्तु एक अथवा अधिक को नकदी प्रवाह के भुगतान की सांविदात्मक दायित्व को स्वीकार करता हो।

वित्तीय देयताएं

कम्पनी की वित्तीय देयताएं दूसरी कम्पनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय आस्ति प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है अथवा ऐसी स्थितियों में दूसरी कम्पनी के साथ वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं की अदलाबदली करने का दायित्व है, जो संभवतः कम्पनी के लिए अनुकूल न हो।

कम्पनी की वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधारियां, व्यापार तथा अन्य देयताएं शामिल हैं।

वर्गीकरण, आरंभिक स्वीकरण और मूल्यांकन

वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य घटा लेन-देन लागत पर मान्य किया जाता है, जो सीधे तौर पर वित्तीय देयताओं के निर्णय से संबंधित है। वित्तीय देतयाओं को परिशोधित लागत पर बाद में मूल्यांकित रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिशोधित लागत को अधिग्रहण किसी छूट अथवा प्रीमियम और फीस अथवा लागतों को ध्यान में रखते हुए परिकलित किया जाता है, जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) के अभिन्न भाग हैं। प्राप्तियों (लेन-देन लागतों का निवल) और परिशोधन राशि के बीच किसी अंतर को ईआईआर का प्रयोग करते हुए उधारी अवधि पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुवर्ती मूल्यांकन

शुरुआती स्वीकरण के बाद वित्तीय देयताओं का ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। अभिलाभों एवं हानियों को लाभ अथवा हानि विवरण में मान्य किया जाता है, साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के जरिए देयताओं का मान्य किया जाता है।

ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागतों के रूप में शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यीकरण

वित्तीय देयता को तब अमान्य किया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व पूरा हो जाता है अथवा निरस्त हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है। वित्तीय देयता, जो समाप्त हो गई है अथवा दूसरे पक्ष को हस्तान्तरित हो गई है, के रखरखाव राशि और प्रदत्त प्रतिफल, जिसमें हस्तान्तरित कोई गैर-नकदी आस्तियां अथवा स्वीकृत देयताएं शामिल हैं, के बीच अनतर को अन्य आय अथवा वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

वित्तीय लिखतों का प्रतितुलन

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रतितुलित किया जाता है और निवल राशि का तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है, यदि इसमें स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का वर्तमान में कोई प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो और आस्तियों को वसूल करने के और साथ ही देयताओं को निपटाने की निवल आधार पर निपटाने की धारणा हो।

2.15 विदेशी मुद्रा अन्तरण

(क) कार्यात्मक एवं प्रदेय मुद्रा

कम्पनी के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित मदों का मूल्यांकन प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा का प्रयोग करते हुए किया जाता है, जिसमें कम्पनी ऑपरेट होती है (''कार्यात्मक मुद्रा'')। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (रुपए अथवा ₹) में पेश किया जाता है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्रदेय मुद्रा होती है।

(ख) लेनदेन एवं शेष राशियां

विदेशी मुद्रा में लेन-देनों की शुरू में लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलनपत्र की तारीख को प्रभावी विनियम दरों के संदर्भ में अन्तरित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट गैर-मौद्रिक मदों का लेन-देन की तारीख को प्रभावी दर पर उल्लेख किया जाता है।

कम्पनी ने 31 मार्च, 2016 को बकाया दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं के अन्तरण से उत्पन्न विनियम अंतरों संबंधी लेखाकरण हेतु अपनाई गई नीति को जारी रखने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक 101 में उपलब्ध छूट का लाभ लिया है।

31 मार्च, 2016 को बकाया विदेशी मुद्रा ऋण

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण/कार्यशील पूंजी से संबंधित ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों के निपटान/अन्तरण पर उत्पन्न विदेशी मुद्रा दर भिन्नता (एईईआरवी) को संबंधित आस्तियों के रखरखाव लागत में समायोजित किया जाता है और 1 अप्रैल 2004 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) मानकों के अनुसार अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (डीओसीओ), जो भी बाद में हो, वास्तविक भुगतान आधार पर लाभार्थियों से वसूलीयोग्य/देय है। सीईआरसी मानकों के अनुसार वसूलीय अथवा देय सीमा में उपरोक्त एफईआरवी को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है :

i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की रखरखाव लागत है। समायोजित वसूलीय/देय एफईआरवी को ''विदेशी मुद्रा घट-बढ़ खाते से आस्थगित आय/व्यय'' के तदनुरुपी क्रेडिट/डेबिट के साथ ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट-बढ़ आस्ति/देयता खाते'' के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ii) ''विदेशी मुद्रा घट-बढ़ खाते से आस्थगित आय/व्यय'' को उसी समानुपात में आशोधित किया जाता है जिसमें मूल्यह्रास को ऐसे एफईआरवी पर प्रभारित किया जाता है।

iii) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सीईआरसी मानकों के अनुसार वसूलनीय/देय राशि को कारोबार प्राप्यों के तप्तुरूपी डेबिट/क्रेडिट के साथ ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट-बढ़ आस्ति/देयता खाते'' में समायोजित किया जाता है।

    लाभ एवं हानि विरण को प्रभारित करने और टैरिफ के प्रयोजनार्थ पूंजीगत लागत में सम्मिलित करने से पहले एफईआरवी को ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट बढ़ आस्ति/देयता खाते'' के प्रति समायोजित किया जाता है।

    सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों (विदेशी मुद्रा ऋण से भिन्न) के निपटान/अन्तरण से उत्पन्न एफईआरवी को संबंधित आस्तियों के रखरखाव लागत में समायोजित किया जाता है।

    सीईआरसी टैरिफ विनियमन के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों से वसूलनीय/देय सीमा में विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट मौद्रिक मदों (गैर चालू ऋणों से भिन्न) के निपटान/अन्तरण से निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न एफईआरवी को विनियामक आस्थगन लेखा शेष राशि के रूप में हिसाब में लिया जाता है। ऐसी राशि पर स्वीकृत पारगमन शुल्कों को उपरोक्त खाते में समायोजित किया जाता है। अन्य विनिमय अन्तरों को उस अवधि में जिसमें वे उत्पन्न हुए हैं, आय अथवा व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

01 अप्रैल, 2016 को अथवा इसके बाद लिया गया विदेशी मुद्रा ऋण :

ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में समझी गई सीमा में विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अन्तरों को उधारी लागत के रूप में समझा जाता है। अन्य विनिमय अन्तरों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वसूलनीय सीमा में विनिमय अन्तर को लाभ एवं हानि विवरण के जरिए विनियामक आस्थगन लेखा शेष के रूप में मान्य किया जाता है।

(ग) विदेशी ग्रुप कम्पनियां

विदेशी प्रचालों के परिणामों एवं वित्तीय स्थिति को (जिसमें से कोई भी अति मुद्रास्फीती अर्थव्यवस्था की करेंसी नही हैं) जिसकी प्रदेय करेंसी से भिन्न एक कार्यात्मक करेंसी है, निम्नानुसार प्रदेय करेंसी में अन्तरित किया जाता है :

i) आस्तियों और देयताओं को उस तुलनपत्र पत्र की तारीख में लेखाबन्दी दर पर अन्तरित किया जाता है;

ii) आय एवं व्यय को औसत विनिमय दरों पर अन्तरित किया जाता है (जब तक कि लेन देन तारीख को प्रचलित दरों को संचयी प्रभाव कर उचित अनुमान नहीं लगाया गया हो जिस मामले में आय एवं व्यय को लेन-देन की तारीख में आन्तरित किया जाता है; और

iii) समस्त विनिमय अन्तर को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है।

2.16 आय कर

आय कर व्यय, चालू एवं आस्थगित कर के जोर को दर्शाता है। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जो इस सीमा को छोड़कर है कि यह सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में स्वीकृत मदों से संबंधित हो। इस मामले में कर को सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में भी मान्य किया जाता है।

चालू आय कर

चालू आय कर आय कर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष हेतु कराधेय लाभ पर आधारित होता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को कम्पनी के वित्तीय विवरणों में आस्तियों एवं देयताओं के रखरखाव राशियों और कराधेय लाभ की संगणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अन्तरों पर मान्य किया जाता है और तुलपनपत्र देयता विधि का प्रयोग करते हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के लिए इस सीमा में मान्य किया जाता है कि यह संभव हो कि आगामी कराधेय लाभ इस संबंध में उपलब्ध होंगे जिनके संबंध में कटौती योग्य अस्थायी अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त क्रेडिटों को उपयोग में लाया जा सकता हो। आस्थगित कर आस्तियों की रखरखाव लागत की प्रत्येक तुलनपत्र तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और इस सीमा में कम किया जाता है कि यह कम संभव हो कि पर्याप्त कराधेय लाभ उस संबंध में प्राप्य होंगे जिनके प्रति अस्थायी अन्तरों को उपयोग किया जा सकता हो।

आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन कर दर किया जाता है जिन्हें उस अवधि में लागू किया जा सकता है, जिस अवधि में देयता का कर दर के आधार पर (और कर कानून) निपटान किया जाता है अथवा आस्ति क्रियान्वित किया जाता हो, जिसे अधिनियमित किया गया हो अथवा तुलनपत्र की तारीख तक पर्याप्त रूप में अधिनियमित किया गया हो।

आस्थगित कर देयताओं को रखरखाव लागत और सहायक कम्पनियों में निवा कर आधारों के बीच अस्थायी अन्तरों हेतु मान्य नहीं किया जाता है, जहां ग्रुप अस्थायी अन्तरों की वापसी के समय-निर्धारण पर कंट्रोल करने में सक्षम हो और यह संभावना हो कि अन्तर निकट भविष्य में वापस नहीं होगा।

2.17 दर विनियमित कार्यकलाप

सीईआरसी विनियमनों के तहत स्वीकृत कुछेक व्यय एवं आय के, जिसे भविष्य में लाभार्थियों द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना हो/इनको दिया जाना हो, भारतीय लेखाकरण मानक ''विनियमक आस्थगन लेखा'' के प्रावधानों के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में हिसाब में लिया जाता है। ऐसे खर्च एवं आय को सीईआरसी विनियमनों के तहत टैरिफ के भाग के रूप में वसूलनीय/देय सीमा में विनियामक आस्थगन आस्ति/देयताओं के रूप में समझा जाता है।

कम्पनी निम्न के संबंध में तुलनपत्र में पृथक लाइन मदों को दर्शाती है :

(क) सभी विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष राशियों के जोड़; और

(ख) सभी विनियामक आस्थगन खाता क्रेडिट शेष राशियों के जोड़।

पृथक लाइन मद को सूचना अवधि हेतु सभी विनियामक आस्थगन खाता शेषों में निवल कार्य व्यापार हेतु लाभ एवं हानि विवरण के लाभ अथवा हानि भाग में दर्शाया जाता है।

2.18 राजस्व स्वीकरण एवं अन्य आय

राजस्व का मूल्यांकन प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है। राजस्व के रूप में प्रकटित राशियां प्रतिफलों, व्यापार भत्तों, छूटो एवं मूल्यवर्धित करों के निवल हैं।

पारगमन आय को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। ट्रांसमिशन परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम टैरिफ आदेशों को अभी अधिसूचित किया जाना हो, वहां पारगमन आय को टैरिफ विनियमनों एवं सदृश मामलों में सीईआरसी के आदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। अन्तर, यदि कोई हो, को सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेशों के प्रचालन पर हिसाब में लिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारगमन आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर हिसाब लिया जाता है।

पारगमन सिस्टम प्रोत्साहन/विफलता को संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों द्वारा उपलब्धता के प्रमाणीकरण के आधार पर तथा सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम, (एएडी), जो ऋणों की चुकौती को सुगम बनाने के लिए ब्लॉक अवधि 2004-09 तक से संबंधित टैरिफ का अंग भाग है, को ट्रांसमिशन आय से कम किया गया था और आस्थगित आय के रूप में समझा गया था, जिसे बाद के वर्षों में ट्रांसमिशन आय में शामिल किया जाना है। एएडी के संबंध में बकाया आस्थगित आय को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें आस्तित को अधिकृत किया गया था, बारह वर्ष बाद वर्ष के दौरान टैरिफ में वसूली गई मूल्यह्रास की सीमा में ट्रांसमिशन आय के रूप में मान्य किया जाता है, जो खातों में प्रभारित मूल्यह्रास से कम होता है।

व्यापार प्राप्यों, परिसमाप्त क्षतियों, वारण्टी दावों तथा आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिमों पर व्यय से वसूली योग्य अधिकार को तब मान्य किया जाता है जब प्रमाणिता एवं संग्रहायता के संबंध में महत्वपूर्ण अतिनिश्चतता मौजूद न हो।

दूरसंचार सेवाओं, अकार्यरत क्रेडिट के निवल से प्राप्त आय को ग्राहकों से हुए करारों/खरीद आदेशों की शर्तों के आधार पर मान्य किया जाता है।

''लागत - जमा - परामर्शी संविदाओं'' के संबंध में, जिसमें ग्राहक की ओर से निष्पादन शामिल है, आय को निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके में (जहां नहीं भी आरंभिक अग्रिम प्राप्त हुए हो) हिसाब में लिया जाता है :

क) निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस को जारी करने पर 10%

ख) निष्पादन हेतु संविदाएं प्रदान करने पर 5%

ग) शेष 85%, आपूर्तियों सहित वास्तविक कार्य प्रगति के आधार पर।

दूसरे परामर्शी संविदाओं से प्राप्त आय को प्रदान की गई सेवाओं की प्रगति के तकनीकी मूल्यांकन पर हिसाब में लिया जाता है।

सीईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार दीर्घ अवधि खुली सुविधा (एलटीओए) के संबंध में आवेदन शुल्क को प्राप्त होने पर हिसाब में किया जाता है।

स्क्रैप, जो स्टील स्क्रैप एवं कंडक्टर स्क्रैप से भिन्न हो, को तभी हिसाब में लिया जाता है जब उसे बेचा जाता है।

लाभांश आय को तब मान्य किया जाता है जब भुगतान प्राप्ति का अधिक स्थापित हो।

2.19 सरकारी अनुदान

केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से परियोजनाओं, पारेषण प्रणालियों की बेहतरी तथा विशिष्ट मूल्यह्रास-योग्य आस्तियों के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्राप्त सहायता अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में समझा जाता है और संबंधित आस्ति के उपयोगी कार्य अवधि पर उसी समानुपात में, जिसमें इन आस्तियों पर मूल्यह्रास उपलब्ध हुआ है, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

2.20 लाभांश

शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में जिसमें लाभांश को शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत किया गया हो, देयता के रूप में मान्य किया जाता है। अदा किए गए किसी अन्तरिम लाभांश को निदेशक-मण्डल की मंजूरी पर मान्य किया जाता है। देय लाभांश एवं लाभांश विवरण पर तदनुरूपी कर को सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

2.21 प्रावधान और आकस्मिकताएं

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब कम्पनी के पास पिछले कार्य के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता (कानूनी अथवा रचनात्मक) हो, संभावना है कि आर्थिक लाभों को अंतःस्थापित करते हुए संसाधनों का बर्हिगमन बाध्यता के निपटान हेतु आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान बाध्यता की राशि का समय मान महत्वपूर्ण हो, तो प्रावधानों में छूट दी जाती है। छूट में कमी को वित्त लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और वर्तमान उत्कृष्ट अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) आकस्मिकताएं

आकस्मिक देयताओं को तब प्रकट किया जाता है जब पिछले कार्यों से उत्पन्न कोई संभावित बाध्यता हो, जिसकी मौजूदगी को केवल एक अथवा अधिक अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति अथवा गैर उपस्थिति से निर्धारित किया जाएगा, न कि कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में अथवा वर्तमान बाध्यता में, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है, जहां दोनों में से यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बर्हिगमन निपटान हेतु आवश्यक होगा या फिर राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आकस्मिक देयता संबंधी जानकारी को वित्तीय विवरणों को टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

2.22 शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वर्धनात्मक लागतों को, जो सीधे नये शेयरों के निर्णय हेतु प्राप्य हो, प्राप्तियों से कर के निवल, कटौती के रूप मं इक्विटी में दर्शाया जाता है।

स्व-बीमा प्रारक्षित निधि को सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के सकल ब्लॉक पर 0.12% प्रतिवर्ष की दर पर सृजित किया जाता है, जो अबीमाकृत जोखिमों से अगामी हानियों को कम करने के लिए चालू वर्ष के लाभ के विनियोजन द्वारा वर्ष की समाप्ति पर बीमा के अन्तर्गत आने वाले आस्तियों को छोड़कर है। इसे ''अन्य इक्विटी'' के अन्तर्गत ''स्व बीमा प्रारक्षित निधि'' के रूप में दर्शाया जाता है।

2.23 पूर्व अवधि मदें

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत किए गए पूर्व अवधि संबंधी तुलनात्मक राशियों का पुनः उल्लेख करके, जिसमें त्रुटि उत्पन्न हुई है, भूतली प्रभाव से ठीक किया जाता है अथवा यदि त्रुटि प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक अवधि से पहले उत्पन्न हो गई हो, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण का पुनः उल्लेख करके ठीक किया जाता है।

2.24 खण्ड रिपोर्टिंग

निदेशक-मण्डल, भारतीय लेखाकरण मानक 108 ''प्रचालन खण्ड'' के संदर्भ में कम्पनी का ''मुख्य प्रचालन निर्णायक'' ''सीओडीएम'' होता है। सीओडीएम संसाधन निर्धारण एवं निष्पादन मूल्यांकन के बारे में निणर्य लेने के प्रयोजनार्थ अलग से अपने व्यावसायिक खण्डों के प्रचालन परिणामों को मॉनीटर करता है। खण्ड निष्पादन

का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि के आधार पर किया जाता है और सुसंगत रूप में वित्तीय विवरणों में लाभ अथवा हानि में मूल्यांकित किया जाता है।

प्रचालन खण्डों की पहचान उत्पादों/सेवाओं के स्वरूप के आधार पर की गई है।

- खण्ड राजस्व में अन्तर-खण्ड लेन-देनों सहित खण्ड में सीधे अभिज्ञेय/निर्धार्य बिक्रियां और अन्य आय शामिल है।
- व्यय, जो सीधे खण्डों में अभिज्ञेय/निर्धाय हो, को खण्ड परिणाम के निर्धारण हेतु समझा जाता है। व्यय, जो पूर्णतः कम्पनी से संबंधित हो और खण्डों को आबंटन योग्य न हो, को अनिर्धार्य व्यय में शामिल किया जाता है।
- आय, जो पूर्णतः कम्पनी से संबंधित हो और खण्डों को निर्धार्य नहीं हो, को अनिर्धार्य आय में शामिल किया जाता है।
- खण्ड आस्तियों एवं देयताओं में वे आस्तियां एवं देयताएं शामिल हैं, नई संबंधित खण्डों में सीधे अभिज्ञेय हो। अनिर्धार्य आस्तियां एवं देयताएं उन आस्तियों एवं देयताओं को नियमित करती है जो पूर्णतः कम्पनी से संबंधित हो और किसी खण्ड को निर्धार्य नहीं हो।

2.25 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय को वर्ष हेतु शेयरधारकों को प्राप्य निवल लाभ का प्रयोग करते हुए और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है।

प्रतिशेष कम की गई काम को वर्ष हेतु शेयरधारकों को देय निवल लाभ तथा वर्ष के दौरान इक्विटी एवं संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है, सिवाय इसके जहां परिणाम न्यूनकृत रोधी हो।

अतिरिक्त रूप से, मूल एवं तनुकृत प्रति शेयर अर्जनों को अर्जन राशियों का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है, जिसमें विनियामक आस्थगन लेखा शेष में घट-बढ़ शामिल नहीं है।

2.26 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह निवारण को भारतीय लेखाकरण मानक 7 ''नकदी प्रवाह विवरण'' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3. महत्वपूर्ण अनुमान एवं मूल्यांकन

वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु लेखाकरण अनुमानों का प्रयोग आवश्यक है, जो वास्तविक परिणामों में खासतौर पर भिन्न हो सकता है। प्रबंधन को भी कम्पनी के लेखाकरण नीतियों को लागू करते समय मूल्यांकन के प्रयोग की आवश्यकता हो सकती है।

यह टिप्पणी उन क्षेत्रों की, जिनमें उच्च स्तर का मूल्यांकन अथवा जटिलता शामिल है और उन मदों की, अवलोकन की व्यवस्था देती है जिनकी अनुमानों और पूर्वानुमानों के कारण विशेष रूप से समायोजित किए जाने की अधिक संभावना है, जिनका मूल रूप से निर्धारित उन अनुमानों एवं पूर्वानुमानों से भिन्न होना प्रतीत होता है।

महत्वपूर्ण अनुमानों अथवा पूर्वानुमानों वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं :

राजस्व स्वीकारण

पारेषण आय को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में, जहां, अंतिम टैरिफ आदेशों को अभी अधिसूचित किया जाना हो, वहां पारेषण आय को टैरिफ विनियमनों और सदृश मामलों में सीईआरसी के अन्य आदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। अन्तर, यदि काई हो, को सीईआरसी द्वारा अंतिम आदेशों के प्रचालन पर ही हिसाब में लिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारेषण आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

विनियामक आस्थगन शेष

विनियामक आस्थगन शेष राशियों के स्वीकरण में महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल है, जिनमें आगामी टैरिफ विनियमनों के बारे में मूल्यांकन शामिल हैं, क्योंकि ये भविष्य में टैरिफ के माध्यम से वसूलनीय/देय हेतु संभावित राशियों के अनुमान पर आधारित होते हैं।

निर्धारित लाभ बाध्यता का अनुमान

निर्धारित लाभ बाध्यता के अनुमान में कुछेक महत्वपूर्ण वास्तविक पूर्वानुमान शामिल हैं, जो टिप्पणी में सूचीबद्ध हैं।

अनुमानों और मूल्यांकनों का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। वे ऐतिहासिक अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें, आगामी घटनाओं की प्रत्याशाएं शामिल हैं, जिनका कम्पनी पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है और उन्हें परिस्थितियों में उचित होना माना जाता है।

टिप्पणी 4/सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2017 को	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
भूमि												
क) पूर्ण स्वामित्व	2002.83	86.12	-	(2.09)	**2091.04**	-	-	-	-	**-**	**2091.04**	2002.83
ख) पट्टाधारी	237.14	12.91	-	-	**250.05**	9.44	9.69	-	-	**19.13**	**230.92**	227.70
भवन		-					-					
क) सब-स्टेशन एवं कार्यालय	677.69	176.31	4.07	(19.98)	**869.91**	25.13	34.14	0.15	1.14	**57.98**	**811.93**	652.56
ख) नगर	409.79	32.67	0.50	-	**441.96**	20.70	21.23	0.02	-	**41.91**	**400.05**	389.09
अस्थायी निर्माण	0.40	0.44	-	-	**0.84**	0.39	0.44	-	-	**0.83**	**0.01**	0.01
सड़क एवं पुल	143.36	11.14	-	-	**154.50**	7.42	8.23	-	0.53	**15.12**	**139.38**	135.94
जल आपूर्ति, जल निकासी एवं मल व्यवस्था	81.73	11.19	-	0.01	**92.91**	4.13	4.52	-	-	**8.65**	**84.26**	77.60
संयंत्र एवं उपकरण		-					-					
क) ट्रांसमिशन	79262.98	19463.79	27.77	338.05	**98360.95**	4053.86	5009.46	29.09	(67.16)	**9101.39**	**89259.56**	75209.12
ख) सब स्टेशन	35721.54	10529.89	3.85	283.03	**45964.55**	2015.64	2508.97	5.18	36.23	**4483.20**	**41481.35**	33705.90
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	485.44	122.33	-	2.34	**605.43**	39.83	50.38	-	-	**90.21**	**515.22**	445.61
घ) दूरसंचार	834.94	83.23	-	(0.70)	**918.87**	96.34	96.67	0.12	(0.11)	**193.00**	**725.87**	738.60
फर्नीचर फिक्सचर्स	78.32	20.51	0.65	(0.13)	**98.31**	5.37	7.21	0.04	-	**12.54**	**85.77**	72.95
वाहन	1.86	0.88	-	-	**2.74**	0.32	0.34	-	-	**0.66**	**2.08**	1.54
कार्यालय उपकरण	97.61	35.19	0.18	(0.02)	**132.64**	6.42	8.94	0.03	(0.01)	**15.34**	**117.30**	91.19
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	42.16	32.68	0.53	(0.02)	**74.33**	19.94	16.38	0.24	0.06	**36.02**	**38.31**	22.22
निर्माण एवं कार्यशाला उपकरण	210.87	36.98	-	(0.49)	**248.34**	12.09	13.97	0.01	-	**26.05**	**222.29**	198.78
इलेक्ट्रीकल संस्थापन	79.97	1.91	-	(0.46)	**82.34**	5.81	5.79	0.06	(0.05)	**11.59**	**70.75**	74.16
प्रयोगशाला उपकरण	38.96	2.78	-	-	**41.74**	3.24	3.21	-	-	**6.45**	**35.29**	35.72
कार्यशाला एवं जांच उपकरण	66.07	55.56	1.55	(0.23)	**120.31**	2.26	5.31	0.14	(0.13)	**7.56**	**112.75**	63.81
विविध आस्तियां/उपकरण	0.05	-	-	-	**0.05**	-	-	-	-	**-**	**0.05**	0.05
जोड़	**120473.71**	**30716.51**	**39.10**	**599.31**	**150551.81**	**6328.33**	**7804.88**	**35.08**	**(29.50)**	**14127.63**	**136424.18**	**114145.38**
घटाएं : निकाले गए आस्तियों हेतु प्रावधान	1.74		-	-	**1.74**	-				**-**	**1.74**	1.74
सकल जोड़	**120471.97**	**30716.51**	**39.10**	**599.31**	**150550.07**	**6328.33**	**7804.88**	**35.08**	**(29.50)**	**14127.63**	**136422.44**	**114143.64**

टिप्पणी 4/सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास				निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
भूमि											
क) पूर्ण स्वामित्व	1807.34	194.31	-	(1.18)	2002.83	-	-	-	-	2002.83	1807.34
ख) पट्टाधारी	233.63	5.06	0.36	1.19	237.14	9.53	-	0.09	9.44	227.70	233.63
भवन											
क) सब-स्टेशन एवं कार्यालय	493.93	195.72	-	11.96	677.69	26.28	-	1.15	25.13	652.56	493.93
ख) नगर	371.69	38.10	-	-	409.79	20.70	-	-	20.70	389.09	371.69
अस्थायी निर्माण	0.01	0.39	-	-	0.40	0.40	-	0.01	0.39	0.01	0.01
सड़क एवं पुल	126.42	16.94	-	-	143.36	7.42	-	-	7.42	135.94	126.42
जल आपूर्ति, जल निकासी एवं मल व्यवस्था	76.17	5.52	-	(0.04)	81.73	4.21	-	0.08	4.13	77.60	76.17
संयंत्र एवं उपकरण											
क) ट्रांसमिशन	55863.41	22484.19	24.15	(939.53)	79262.98	4052.91	0.94	(1.89)	4053.86	75209.12	55863.41
ख) सब स्टेशन	28288.38	7201.88	17.70	(248.98)	35721.54	2008.75	-	(6.89)	2015.64	33705.90	28288.38
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	277.23	215.71	-	7.50	485.44	39.83	-	-	39.83	445.61	277.23
घ) दूरसंचार	793.97	40.81	-	(0.16)	834.94	96.39	-	0.05	96.34	738.60	793.97
फर्नीचर फिक्सचर्स	54.69	27.33	0.06	3.64	78.32	5.39	-	0.02	5.37	72.95	54.69
वाहन	2.01	0.08	0.22	0.01	1.86	0.34	0.02	0.00	0.32	1.54	2.01
कार्यालय उपकरण	64.30	35.65	0.57	1.77	97.61	6.45	0.02	0.01	6.42	91.19	64.30
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	36.06	11.23	0.10	5.03	42.16	20.33	0.02	0.37	19.94	22.22	36.06
निर्माण एवं कार्यशाला उपकरण	167.71	43.58	-	0.42	210.87	12.09	-	-	12.09	198.78	167.71
इलेक्ट्रीकल संस्थापन	78.63	2.27	-	0.93	79.97	5.91	-	0.10	5.81	74.16	78.63
प्रयोगशाला उपकरण	38.62	0.41	0.07	-	38.96	3.24	-	-	3.24	35.72	38.62
कार्यशाला एवं जांच उपकरण	22.70	43.37	-	-	66.07	2.27	-	0.01	2.26	63.81	22.70
विविध आस्तियां/उपकरण	0.06	-	-	0.01	0.05	-	-	-	-	0.05	0.06
जोड़	**88796.96**	**30562.55**	**43.23**	**(1157.43)**	**120473.71**	**6322.44**	**1.00**	**(6.89)**	**6328.33**	**114145.38**	**88796.96**
घटाएं : निकाले गए आस्तियों हेतु प्रावधान	1.72	-		(0.02)	1.74	-			-	1.74	1.72
सकल जोड़	**88795.24**	**30562.55**	**43.23**	**(1157.41)**	**120471.97**	**6322.44**	**1.00**	**(6.89)**	**6328.33**	**114143.64**	**88795.24**

टिप्पणी :

कम्पनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''पैरा डी 7एए के भारतीय लेखाकरण मानकों के पहली बार स्वीकरण'' के अनुसार मानित लागत छूट का चयन किया है। तदनुसार, रखरखाव मूल्य अर्थात सकल ब्लॉक घटा संचित मूल्यह्रास को पारगमन की तारीख को अर्थात 1 अप्रैल 2015 को मानित लागत के रूप में समझा गया है। (नीचे अतिरिक्त प्रकटन को देखें)।

टिप्पणी 4/सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

अतिरिक्त प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल, 2015 को				
	सकल ब्लॉक	संचित मूल्यहास	निवल ब्लॉक	भा.ले.मा. समायोजन	लागत
भूमि					
क) पूर्ण स्वामित्व	1809.52	-	1809.52	(2.18)	1807.34
ख) पट्टाधारी	277.98	46.74	231.24	2.39	233.63
भवन					
क) सब-स्टेशन एवं कार्यालय	721.74	217.74	504.00	(10.07)	493.93
ख) नगर	525.12	155.11	370.01	1.68	371.69
अस्थायी निर्माण	10.49	10.47	0.02	(0.01)	0.01
सड़क एवं पुल	179.19	54.34	124.85	1.57	126.42
जल आपूर्ति, जल निकासी एवं मल व्यवस्था	110.65	34.88	75.77	0.40	76.17
संयंत्र एवं उपकरण					
क) ट्रांसमिशन	72501.33	16495.33	56006.00	(142.59)	55863.41
ख) सब स्टेशन	38326.63	10050.86	28275.77	12.61	28288.38
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	702.53	425.31	277.22	0.01	277.23
घ) दूरसंचार	1431.22	636.57	794.65	(0.68)	793.97
फर्नीचर फिक्सचर्स	104.34	49.72	54.62	0.07	54.69
कार्यालय उपकरण	4.61	2.60	2.01	-	2.01
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	114.69	50.14	64.55	(0.25)	64.30
वाहन	129.23	93.57	35.66	0.40	36.06
निर्माण एवं कार्यशाला उपकरण	216.66	49.09	167.57	0.14	167.71
इलेक्ट्रीकल संस्थापन	128.26	49.21	79.05	(0.42)	78.63
प्रयोगशाला उपकरण	75.59	37.20	38.39	0.23	38.62
कार्यशाला एवं जांच उपकरण	39.47	16.68	22.79	(0.09)	22.70
विविध आस्तियां/उपकरण	0.23	0.17	0.06	-	0.06
जोड़	**117409.48**	**28475.73**	**88933.75**	**(136.79)**	**88796.96**
घटाएं : निकाले गए आस्तियों हेतु प्रावधान	10.33	8.61	1.72	-	1.72
सकल जोड़	**117399.15**	**28467.12**	**88932.03**	**(136.79)**	**88795.24**

टिप्पणियां :

क) कम्पनी के पास 7265 हेक्टेयर भूमि है (31 मार्च, 2016 को 6996 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 6704 हेक्टेयर) जो ₹2341.09 करोड़ की है (31 मार्च, 2016 को ₹2239.97 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹2040.97 करोड़) जिसमें 6220 हेक्टेयर भूमि को पूर्ण स्वामित्व में वर्गीकृत किया गया है (31 मार्च, 2016 को 5980 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 5714 हेक्टेयर) जो ₹2091.04 करोड़ की है (31 मार्च, 2016 को ₹2002.83 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹1807.34 करोड़) और पट्टायुक्त भूमि 1045 हेक्टेयर है (31 मार्च, 2016 को 1016 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 990 हेक्टेयर) जो ₹250.05 करोड़ की है (31 मार्च, 2016 को ₹237.14 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹233.63 करोड़) जो उपलब्ध प्रलेखन पर आधारित है।

ख) i) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 112.35 हेक्टेयर क्षेत्र में धारित पट्टायुक्त भूमि के रूप में वर्गीकृत भूमि (31 मार्च, 2016 को 112.35 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 112.35 हेक्टेयर) जो ₹57.62 करोड़ की है (31 मार्च, 2016 को ₹57.62 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹57.62 करोड़) को राज्य सरकार द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्राप्त किया है। प्रचलित कानून के अनुसार राज्य सरकार इस तरह अर्जित भूमि की मालिक बनी रहती है और कम्पनी को विशिष्ट प्रयोग हेतु केवल स्वामित्व दिया जाता है।

ii) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित पारेषण प्रणाली को कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 1993 से नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचपीसी) से कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तथा आपसी रूप से सहमत शर्तों पर अपने अधिकार में लिया है।

टिप्पणी 4/सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

ग) कम्पनी द्वारा अर्जित पूर्ण स्वामित्व की भूमि में ₹159.75 करोड़ शामिल हैं (31 मार्च, 2016 को ₹212.60 करोड़; 1 अप्रैल 2015 को ₹33.71 करोड़) जिसके संबंध में कंपनी के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख लंबित है और कम्पनी द्वारा अर्जित भूमि के संबंध में ₹148.41 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹310.10 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹197.38 करोड़) जिसके लिए राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण लंबित है।

घ) पट्टाधारी भूमि, जिसमें 2.65 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है (31 मार्च, 2016 को 2.65 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 2.65 हेक्टेयर) जो ₹12.36 करोड़ की है (31 मार्च, 2016 को ₹12.36 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹12.36 करोड़) जो कम्पनी द्वारा एनएचपीसी से अर्जित चम्बा (एचपी) में भूमि के संबंध में है, जिसके संबंध में कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

ड.) पट्टाधारी भूमि में 0.41 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है (31 मार्च, 2016 को 0.41 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 0.41 हेक्टेयर) जो ₹7.64 करोड़ की है (31 मार्च, 2016 को ₹7.64 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹7.64 करोड़) जो शाश्वत पट्टा आधार पर कार्यालय परिसर के लिए अर्जित भूम के संबंध में है और इसलिए परिशोधित नहीं है।

च) नगर भवन में ₹2.95 करोड शामिल हैं (31 मार्च, 2016 को ₹2.95 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹2.95 करोड़) जो मुम्बई में 28 फ्लैटों के संबंध में है, जिसके लिए कम्पनी के पक्ष में पंजीकरण लंबित है।

छ) 5.625 हेक्टेयर भूमि (31 मार्च, 2016 को 5.625 हेक्टेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 5.625 हेक्टेयर) जिसका मूल्य ₹0.04 करोड़ है (31 मार्च, 2016 को ₹0.04 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹0.04 करोड़) जिसे स्वामित्व प्रदान किए बगैर प्रयोगाधिकार पर नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लैब्रोरेटरी प्रा. लि. को हस्तान्तरित किया गया है।

टिप्पणी 5/कार्यशील पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2017 को
भूमि					
भूमि का विकास	8.88	40.62	1.02	23.29	**25.19**
भवन		-	-	-	
क) सब-स्टेशन एवं कार्यालय	338.37	201.20	(0.19)	144.90	**394.86**
ख) नगर	88.05	45.56	34.04	31.98	**67.59**
अस्थायी निर्माण	-	-	-	-	**-**
सड़क एवं पुल	15.61	19.68	3.02	11.81	**20.46**
जल आपूर्ति, निकासी एवं मल व्यवस्था	2.30	0.76	-	-	**3.06**
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)					
क) ट्रांसमिशन	21407.93	11639.93	1.33	16438.06	**16608.47**
ख) सब-स्टेशन	7610.84	11956.81	2060.85	9228.76	**8278.04**
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	276.37	223.61	5.41	119.57	**375.00**
घ) दूरसंचार	39.96	105.41	40.65	37.73	**66.99**
अन्य कार्यालय उपकरण	16.10	2.40	-	12.01	**6.49**
इलेक्ट्रीकल संस्थापन	-	0.55	-	-	**0.55**
निर्माण सामान (निवल प्रावधान)	10208.89	596.05	2443.95	4.73	**8589.34**
आबंटन होने तक व्यय					
i) सर्वे, जांच, परामर्श सेवा एवं पर्यवेक्षण व्यय	21.81	3.66	0.03	1.91	**23.53**
ii) विदेशी मुद्रा ऋणों संबंधी विनिमय में अन्तर	640.95	(270.30)	-	301.16	**69.49**
iii) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 45)	4766.42	2500.37	(147.96)	3753.17	**3661.58**
	45442.48	**27066.31**	**4442.15**	**30109.08**	**38190.64**
घटाएं : अप्रयोज्य संबंधी आस्तियों संबंधी प्रावधान	3.64	-	-	-	**3.64**
	45438.84	**27066.31**	**4442.15**	**30109.08**	**38187.00**

टिप्पणी 5/कार्यशील पूंजी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2017, को
भूमि					
भूमि का विकास	4.34	59.50	-	54.96	8.88
भवन					
क) सब-स्टेशन एवं कार्यालय	303.57	306.22	75.50	195.92	338.37
ख) नगर	62.54	44.06	(19.30)	37.85	88.05
अस्थायी निर्माण	0.02	-	-	0.02	-
सड़क एवं पुल	5.94	10.45	-	0.78	15.61
जल आपूर्ति, निकासी एवं मल व्यवस्था	2.26	0.04	-	-	2.30
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)					
क) ट्रांसमिशन	26692.31	13845.43	4.14	19125.67	21407.93
ख) सब-स्टेशन	6224.13	7368.53	-	5981.82	7610.84
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	400.65	143.51	65.53	202.26	276.37
घ) दूरसंचार	47.67	13.34	0.44	20.61	39.96
फर्नीचर एवं फिक्सचर	0.15	-	0.15	-	-
अन्य कार्यालय उपकरण	5.58	17.56	0.54	6.50	16.10
इलेक्ट्रीकल संस्थापन					
निर्माण सामान (निवल प्रावधान)	13200.15	191.49	3182.75	-	10208.89
आबंटन होने तक व्यय					
i) सर्वे, जांच, परामर्श सेवा एवं पर्यवेक्षण व्यय	26.31	6.70	-	11.20	21.81
ii) विदेशी मुद्रा ऋणों संबंधी विनिमय में अन्तर	817.05	525.95	-	702.05	640.95
iii) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 45)	5441.66	2940.23	(140.05)	3755.52	4766.42
	53234.33	**25473.01**	**3169.70**	**30095.16**	**45442.48**
घटाएं : अप्रयोज्य संबंधी आस्तियों संबंधी प्रावधान	3.64	-	-	-	3.64
	53230.69	**25473.01**	**3169.70**	**30095.16**	**45438.84**

टिप्पणी :

कम्पनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''पैरा डी7 एए के भारतीय लेखाकरण मानक के पहली बार स्वीकरण'' के अनुसार मानित लागत छूट हेतु चयन किया है। तदनुसार रखरखाव मूल्य को पारगमन की तारीख को अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को मासिक लागत के रूप में समझ जाता है।

टिप्पणी 5/कार्यशील पूंजी (जारी)

(निर्माण सामानों के ब्यौरे) (लागत पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
निर्माण सामान			
टॉवर	**1891.39**	1916.62	2526.92
कंडक्टर	**2585.46**	1935.64	3400.65
अन्य लाइन सामग्रियां	**913.86**	1263.58	1655.26
सब स्टेशन उपकरण	**2048.04**	2182.37	2523.66
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**708.37**	2650.37	2850.07
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**260.37**	186.98	200.78
दूरसंचार सामग्री	**27.32**	15.54	8.39
अन्य	**154.54**	57.81	34.44
	8589.35	10208.91	13200.17
घटाएं : अल्पता एवं अप्रचलित सामग्री हेतु प्रावधान	**0.01**	0.02	0.02
जोड़	**8589.34**	10208.89	13200.15
निर्माण सामान में शामिल है :			
i) मार्गस्थ सामग्री			
टॉवर	**1.67**	15.80	6.39
कंडक्टर	**4.42**	2.23	13.35
अन्य लाइन सामग्रियां	**18.63**	82.53	62.93
सब-स्टेशन उपकरण	**345.57**	94.74	794.03
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**-**	267.35	413.54
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**8.65**	-	11.68
अन्य	**63.09**	-	12.05
जोड़	**442.03**	462.65	1313.97
ii) ठेकेदार के पास सामग्री			
टॉवर	**1848.76**	1900.82	2520.53
कंडक्टर	**2551.44**	1932.95	3387.3
अन्य लाइन सामग्रियां	**888.22**	1181.04	1592.33
सब-स्टेशन उपकरण	**1664.50**	2087.63	1729.63
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**708.37**	2383.01	2436.53
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**251.71**	186.98	189.1
दूरसंचार सामग्री	**27.32**	15.54	8.39
अन्य	**90.10**	57.81	-
जोड़	**8030.42**	9745.78	11863.81
सकल जोड़	**8472.45**	10208.43	13177.78

अगली टिप्पणी :

अधिकृत लाइनों के संबंध में ₹385.80 करोड़ (31.03.2016 को ₹199.55 करोड़ एवं 01.04.2015 को ₹112.34 करोड़) समाधान हेतु लंबित है। तथापि लेखा समाधान सतत आधार पर किया जाता है।

टिप्पणी 6/निवेश सम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2017 को	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	0.02	-	-	-	**0.02**	-	-	-	-	**-**	**0.02**	0.02
भवन	0.01	-	-	-	**0.01**	-		-		**-**	**0.01**	0.01
जोड़	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.03**	0.03

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन				निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	0.02
भवन	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01
जोड़	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.03**	**0.03**

6. निवेश सम्पत्ति (जारी)

(i) निवेश परिसम्पत्तियों हेतु लाभ एवं हानि में स्वीकृत राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
किराया आय	**0.64**	0.63
सम्पत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय जो किराया आय से उत्पन्न हो,	**-**	-
उस सम्पत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय, जो किराया आय से उत्पन्न न हो	**-**	-
मूल्यह्रास से पहले निवेश परिसम्पत्तियों से लाभ	**0.64**	0.63
मूल्य ह्रास	**-**	-
निवेश परिसम्पत्तियों से लाभ	**0.64**	0.63

(ii) संविदात्मक बाध्यताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
आगामी मरम्मत कार्य एवं रखरखाव हेतु संविदात्मक बाध्यता-जो देयता के रूप में मान्य न हो	**शून्य**	शून्य	शून्य

(iii) पट्टे पर देने संबंधी व्यवस्थाएं

निवेश परिसम्पत्तियों के गैर-निरस्तरणीय प्रचालन पट्टों के तहत प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2017* को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
एक वर्ष के भीतर	**0.83**	0.64	0.63
एक वर्ष के बाद परन्तु 5 वर्ष के बाद नहीं	**0.91**	0.83	0.64
5 वर्ष के बाद	**-**	-	-

*पट्टा करार का नवीकरण प्रक्रियाधीन है।

(iv) उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
निवेश परिसम्पत्तियां	**2.87**	2.75	2.60

उचित मूल्य का आकलन

निवेश परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य को स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रयुक्त मुख्य इनपुट किराया वृद्धि दर, प्रत्याशित रिक्ति दर, टर्मिनल लाभ और छूट दरें हैं जो तुलनीय लेनदेनों एवं उद्योग डेटा पर आधारित हैं। निवेश परिसम्पत्तियों के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान लेवल 2 में सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 7/अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2017 को	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	36.97	5.24	-	-	**42.21**	14.67	15.54	-	-	**30.21**	**12.00**	22.30
मार्गाधिकार-वनरोपण व्यय	981.78	315.63	-	0.07	**1297.34**	53.54	64.97	-	0.07	**118.44**	**1178.90**	928.24
एनएलडी लाइसेंस	-	-	-	(2.50)	**2.50**	-	0.12	-	(1.25)	**1.37**	**1.13**	-
1200 केवी टीएस का विकास*	-	69.41	-	-	**69.41**	-	6.05	-	-	**6.05**	**63.36**	-
जोड़	**1018.75**	**390.28**	**-**	**(2.43)**	**1411.46**	**68.21**	**86.68**	**-**	**(1.18)**	**156.07**	**1255.39**	**950.54**

*आन्तरिक रूप से तैयार की गई अमूर्त आस्ति

विवरण	लागत					संचित परिशोधन				निवल अर्जित मूल्य
	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2016 को
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	41.07	2.00	-	6.10	36.97	14.71	-	0.04	14.67	22.30
मार्गाधिकार - वनरोपण व्यय	748.73	98.16	-	(134.89)	981.78	53.54	-	-	53.54	928.24
स्काडा सॉफ्टवेयर	0.85	-	-	0.85	-	-	-	-	-	-
जोड़	**790.65**	**100.16**	**-**	**(127.94)**	**1018.75**	**68.25**	**-**	**0.04**	**68.21**	**950.54**

टिप्पणी :

कम्पनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''पैरा डी7 एए के भारतीय लेखाकरण मानक के पहली बार स्वीकरण'' के अनुसार मानित लागत छूट हेतु चयन किया है। तदनुसार रखरखाव मूल्य को पारगमन की तारीख को अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को मासिक लागत के रूप में समझा जाता है।

टिप्पणी 7/अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां (जारी)

अतिरिक्त प्रकटन :

विवरण	1 अप्रैल 2015 को				
	सकल ब्लॉक	संचित मूल्यह्रास	निवल ब्लॉक	भारतीय लेखाकरण मानक समायोजन	लागत
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	253.51	212.44	41.07	-	41.07
मार्गाधिकार - वनरोपण व्यय	909.98	161.25	748.73	-	748.73
स्काडा साफ्टवेयर	0.85		0.85		0.85
जोड़	1164.34	373.69	790.65	-	790.65

टिप्पणी 8/विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2016 को	परिवर्धन	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2017 को
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	1.46	1.64	0.09	2.94	**0.07**
मार्गाधिकार - वनरोपण व्यय	92.20	66.00	-	96.81	**61.39**
1200 केवी टीएस का विकास	78.46	13.32	6.49	69.41	**15.88**
जोड़	172.12	80.96	6.58	169.16	**77.34**

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	परिवर्धन	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2016 को
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	0.09	1.67	-	0.30	1.46
मार्गाधिकार - वनरोपण व्यय	137.45	52.89	-	98.14	92.20
1200 केवी टीएस का विकास	73.75	10.97	6.26	-	78.46
जोड़	211.29	65.53	6.26	98.44	172.12

टिप्पणी :

कम्पनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''पैरा डी7 एए के भारतीय लेखाकरण मानक के पहली बार स्वीकरण'' के अनुसार मानित लागत छूट हेतु चयन किया है। तदनुसार, रखरखाव मूल्य को परिवर्तन की तारीख को अर्थात 1 अप्रैल, 2015 को मासिक लागत के रूप में समझा जाता है।

टिप्पणी 9क/इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया गया निवेश

इक्विटी लिखतों में निवेश (पूर्ण रूप से प्रदत्त)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
अनुद्यृत			
संयुक्त उद्यम कम्पनी			
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 23400000 (31 मार्च, 2016 को 23400000, 1 अप्रैल, 2015 को 23400000) इक्विटी शेयर	**26.48**	27.56	27.01
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 78000000 (31 मार्च, 2016 को 78000000; 1 अप्रैल, 2015 के 78000000)इक्विटी शेयर	**94.43**	97.33	89.57
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 70937620 (31 मार्च, 2016 को 70937620; 1 अप्रैल, 2015 को 70937620) इक्विटी शेयर	**92.70**	76.19	72.31

टिप्पण: 9क/ इक्विटीविधिका प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया गया निवेश (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 94277820 (31 मार्च, 2016 को 2016, 67115620; 1 अप्रैल, 2015 को 41011762) इक्विटी शेयर	**93.65**	66.15	46.69
पावरलिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 229320000 (31 मार्च, 2016 को 229320000; 1 अप्रैल, 2015 को 229320000) इक्विटी शेयर	**408.69**	359.62	353.77
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 106964000 (31 मार्च, 2016 को 1069640000; 1 अप्रैल, 2015 को 106964000) इक्विटी शेयर	**98.45**	90.32	78.75
इनर्जी इफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के शून्य (31 मार्च, 2016 को 22500000; 1 अप्रैल, 2015 को 22500000) इक्विटी शेयर, (अगली टिप्पणी 2 को देखें)	**-**	32.75	27.85
नेशनल हाइवे पावर टेस्ट लैबोरेटरी लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 304000000 (31 मार्च, 2016 के 23900000; 1 अप्रैल, 2015 को 23900000) इक्विटी शेयर	**29.97**	23.44	21.66
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 126124473 (31 मार्च, 2016 को 10322000; 1 अप्रैल, 2015 को 4940000) इक्विटी शेयर	**18.19**	15.20	6.10
कलिंगा बिदुयत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 5000 (31 मार्च, 2016 को 5000; 1 अप्रैल, 2015 को 5000) इक्विटी शेयर	**0.01**	0.01	0.01
घटाएं : निवेश मूल्य में भी कमी हेतु प्रावधान	**0.01**	-	-
	-	0.01	0.01
बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 148500000 (31 मार्च, 2016 को 40309000, 1 अप्रैल, 2015 को 10025000) इक्विटी शेयर	**147.46**	40.31	10.03
पावर ट्रांसमिशन कम्पनी नेपाल लिमिटेड			
नेपाली ₹10 प्रत्येक के 780000 (31 मार्च, 2016 को 780000; 1 अप्रैल, 2015 को 156000) इक्विटी शेयर	**7.34**	5.24	0.98
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 3400000 (31 मार्च, 2016 को 10,0000; 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) इक्विटी शेयर	**3.40**	0.10	-
जोड़	**1020.76**	834.22	734.73

1) कम्पनी द्वारा धारित पावरलिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड के 229319997 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016 को 22931997) इक्विटी शेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 229319997 इक्विटी शेयर पावर लिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के प्रति वित्तीय संकाय संस्थान में प्रतिभूति के रूप में गिरवी है।

2) 25 अप्रैल, 2016 से संयुक्त उद्यम नहीं है।

टिप्पणी 9/निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
(1) इक्विटी लिखतों में निवेश (पूर्ण रूप से प्रदत्त)			
उद्घृत			
अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर निवेश (ओसीआई)			
पीटीसी इंडिया लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 12000006 इक्विटी (31 मार्च, 2016; 12000006, 1 अप्रैल, 2015, 12000006) इक्विटी शेयर	**112.08**	76.80	97.08

टिप्पणी 9/निवेश (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
अनुद्धृत			
क) लागत पर निवेश (पूर्ण रूप से प्रदत्त)			
अन्य			
इम्पलॉयी का.ऑप-सोसाइटी लिमिटेड राउरकेला (₹5000) में ₹10 प्रत्येक के 500 (31 मार्च, 2016 को 500, 1 अप्रैल को शून्य) इक्विटी शेयर	-	-	-
भारत ब्रांडबैंक नेटवर्क लिमिटेड (₹10/-) में इक्विटी शेयर 10 प्रत्येक के 1 (31 मार्च, 2016 को 1; 1 अप्रैल, 2015 को 1) शेयर	-	-	-
ख) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर निवेश (ओसीआई)			
इनर्जी इफिसिंएसी सर्विसेज लिमिटेड			
₹10 प्रत्येक के 22500000 (31 मार्च, 2016 को शून्य; 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) इक्विटी शेयर (अगली टिप्पणी 4 को देखें)	29.62	-	-
2) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश			
लागत पर अद्धृत निवेश (पूर्णतः प्रदत्त)			
20 अर्धवार्षिक किस्तों में विभोचन 8.5% राज्य सरकार के बॉण्ड (एक बारगी निपटान योजना के तहत)	-	2.50	7.49
जोड़	141.70	79.30	104.57
अगली टिप्पणियां :			
1) क) **अद्धृत** निवेशों की सकल राशि			
अर्जित मूल्य	112.08	76.80	97.08
बाजार मूल्य	112.08	76.80	97.08
ख) अनद्धृत निवेशों की सकल राशि	29.62	2.50	7.49
ग) निवेश मूल्य में सकल हानि राशि	-	-	-

2) कम्पनी द्वारा धारित पावरलिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड के 229319997 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016 को 22931997) इक्विटी शेयर; 1 अप्रैल, 2015 को 229319997 इक्विटी शेयर) पावरलिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के प्रति वित्तीय संकाय संस्थान में प्रतिभूति के रूप में गिरवी है।

3) निवेशों का मूल्यांकन लेखाकरण नीति 2.14 के अनुसार किया गया है।

4) 25 अप्रैल, 2016 से संयुक्त उद्यम कम्पनी नहीं है।

टिप्पणी : 10/ऋण (शोध्य समझे गए जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
संबंधित पक्षों को ऋण			
निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण (केएमपी)			
प्रतिभूत	0.08	0.12	0.08
	0.08	0.12	0.08
कर्मचारियों को ऋण (उद्धूत ब्याज सहित)			
प्रतिभूत	114.09	124.25	127.50
शोध्य समझा गया अप्रतिभूत	18.19	20.72	18.59
संदिग्ध समझाया गया अप्रतिभूत	-	-	0.07
	132.28	144.97	146.16
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध हेतु प्रावधान	-	-	0.07
	132.28	144.97	146.09
जोड़	132.36	145.09	146.17

*संबंधित पक्षों को ऋण के ब्यौरे टिप्पणी 61 पर उपलब्ध हैं

टिप्पणी 11/अन्य गैर-चालू वित्तीय आस्तियां

(शोध्य समझे गए प्रतिभूत जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
पट्टा प्राप्य	**635.24**	667.40	576.41
12 माह से अधिक की समय अवधि वाली बैंक जमा राशियां#	**158.23**	213.33	-
संबंधित पक्षों को अग्रिम* (सहायक कम्पनियां एवं अन्य)	**0.08**	0.05	-
जोड़	**793.55**	880.78	576.41

अगली टिप्पणीयां :

बैंक में जमा राशि परामर्शी कार्य हेतु नामोदिष्ट खाते के संबंध में है।

* संबंधित पक्षों को अग्रिम के ब्यौरे टिप्पणी 61 में उपलब्ध है।

टिप्पणी 12/अन्य गैर-चालू आस्तियां

(अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया जब तक अन्यथा उल्लेखन हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
पूंजी व्यय हेतु अग्रिम			
i) प्रतिभूत	**-**	-	0.26
ii) अप्रतिभूत			
क. बैंक गारण्टियों के संबंध में	**3095.99**	2866.75	2827.72
ख. अन्य	**138.89**	198.04	583.24
iii) संदिग्ध समझे गए, अप्रतिभूत	**2.95**	2.95	3.00
	3237.83	3067.74	3413.96
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	**2.95**	2.95	3.00
	3234.88	3064.79	3411.22
प्रतिभूति जमा	**5.13**	4.89	9.89
संबंधित पक्ष	**17.07**	23.16	
आस्थगित कर्मचारी लागत	**56.30**	51.45	49.71
आस्थगित विदेशी मुद्रा घट-बढ़ आस्ति	**2974.91**	3827.77	2803.82
वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम अथवा मूल्य में प्राप्त किया जाना			
ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्त्ता	**120.71**	0.33	46.08
कर्मचारी	**0.74**	0.55	0.56
सीमाशुल्क पत्तन न्यास एवं अन्य प्राधिकरणों में शेष	**77.00**	21.61	-
कर अग्रिम एवं स्रोत पर काटा गया कर	**4436.84**	3834.66	4443.1
घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान	**4428.74**	3833.30	4362.75
	8.10	1.36	80.35
अन्य *	**22.48**	11.02	3.41
	229.03	34.87	130.40
संदिग्ध समझा गया	**3.09**	3.59	3.72
	232.12	38.46	134.12
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	**3.09**	3.59	3.72
	229.03	34.87	130.40
जोड़	**6517.32**	7006.93	6405.04

*अन्य में राज्य सरकारों से वसूलनीय राशि, बीमा दावे, पूर्वप्रदत्त व्यय आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 13/मालसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
(मूल्यांकन विधि के लिए टिप्पणी 2.11 को देखें)			
संघटक, पुर्जे एवं अन्य अतिरिक्त पुर्जे	**902.26**	713.04	631.61
खुले औजार	**12.23**	8.56	9.09
खपत योग्य सामान	**9.71**	5.99	5.06
	924.20	727.59	645.76
घटाएं : कमी/क्षतियों आदि हेतु प्रावधान	**17.25**	20.16	20.16
जोड़	**906.95**	707.43	625.60
मालसूची में मार्गस्थ सामग्री शामिल है			
संघटक पुर्जे/अन्य अतिरिक्त पुर्जे	**19.93**	1.96	0.02

टिप्पणी 14/निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
सरकारी प्रतिभूतियां (लागत पर अनुधृत)			
लागत पर निवेश (पूर्ण रूप से प्रदत्त)			
सरकारी प्रतिभूतियां (लागत पर अनुधृत) लागत पर निवेश (पूर्ण रूप से प्रदत्त) 8.5 प्रतिशत पूर्णरूप से प्रदत्त राज्य सरकार के बाण्ड (एक बारगी निपटान योजना के तहत)	**2.50**	5.00	185.43
जोड़	**2.50**	5.00	185.43
अगली टिप्पणियां :			
क) अनुधृत निवेशों की सकल राशि			
अर्जित मूल्य	**2.50**	5.00	185.43

टिप्पणी 15/व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
i) **व्यापार प्राप्य**			
शोधन समझे गए, अप्रतिभूत	**3131.93**	2732.32	2121.87
संदिग्ध समझे गए	**32.41**	29.62	27.33
	3164.34	2761.94	2149.20
ii) **संबंधित पक्षों से प्राप्तियोग्य राशि***			
अप्रतिभूत शोध्य समझा गया	**-**	7.15	10.19
	3164.34	2769.09	2159.39
घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान	**32.41**	29.62	27.33
जोड़	**3131.93**	2739.47	2132.06

*संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्यों के ब्यौरे टिप्पणी 61 में उपलब्ध है।

टिप्पणी 16/नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
बैंकों में शेष			
- चालू खातों में	**625.18**	291.65	800.36
- नामोदि चालू खाते में (परामर्शी एवं अन्य हेतु)	**752.88**	620.17	151.36
- एलडीसी विकास खाते में	**-**	-	114.69
मियादी जमाओं में (3 माह से कम की परिपक्वता वाले)*	**1826.86**	631.75	1424.62
हस्तगत ड्राफ्ट/चैक/मार्गस्थ प्रेषित राशियां	**36.51**	-	-
हस्तगत नकदी	**-**	0.01	0.01
अन्य (स्टाम्प एवं पेशगी)	**0.02**	0.01	0.15
जोड़	**3241.45**	1543.59	2491.19

* मियादी जमा में परामर्शी सेवा एवं अन्यों के लिए ₹1326.86 करोड़ शामिल है (31 मार्च, 2016 को ₹631.75 करोड़ और 1 अप्रैल, 2015 को ₹1424.62 करोड़)

विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के ब्यौरे (एसबीएन)

(₹ राशि में)

विवरण	विनिर्दिष्ट बैंक नोट	अन्य मूल्य अंक के नोट	जोड़
08.11.2016 को हस्तगत अन्तिम नकदी	3792500	344100	4136600
(+) अनुमत प्राप्तियां	-	10000	10000
(-) अनुमत भुगतान	-	212820	212820
(-) बैंक में जमा राशि	3792500	141280	3933780
30.12.2016 को हस्तगत अंतिम नकदी	-	-	-

टिप्पणी 17/बैंक में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य से भिन्न)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
बैंक में उद्दिष्ट शेष*	**11.18**	10.29	10.39
मियादी जमा में, जिनमें 3 माह से अधिक परन्तु 12 माह तक की परिपक्वता हो (परामर्शी एवं अन्य सेवाओं के लिए)	**101.00**	689.47	-
-सीईआरसी के अनुसार प्रचालित नामोदिष्ट चालू खाता/फ्लेक्सी जमा खाता	**-**	-	48.33
-चालू खाते में			
I) सीटीयू	**-**	-	47.52
II) एसटीयू	**-**	-	38.13
पीएसडीएफ वितरण खाता	**-**	-	185.46
फ्लेक्सी जमा आरईसी में	**-**	-	12.12
जोड़	**112.18**	699.76	341.95

चालू खाते के शेष में शामिल है :

*बैंक में निर्दिष्ट शेष में अप्रदत्त लाभांश एवं एफपीओ प्राप्तियों की वापसी शामिल है।

टिप्पणी 18/ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
संबंधित पक्षों को ऋण			
निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को ऋण (केएमपी)			
प्रतिभूत	**0.06**	0.06	0.08
आरक्षित शोध्य समझा गया	**0.01**	-	-
	0.07	0.06	0.08
कर्मचारियों को ऋण (उद्भूत ब्याज सहित)			
प्रतिभूत	**22.28**	18.00	16.19
अप्रतिभूत शोध्य समझा गया	**12.79**	12.66	10.66
	35.07	30.66	26.85
अन्य	**4.68**	-	0.04
जोड़	**39.82**	30.72	26.97

टिप्पणी 19/अन्य चालू वित्तीय आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
पट्टे से प्राप्त योग्य राशियां	**70.94**	82.72	73.68
दीर्घ अवधि अग्रिमों की चालू परिपक्वताएं (प्रतिभूतिकरण योजना के तहत)	**-**	7.71	23.14
बिना बिल के राजस्व*	**2542.29**	3029.00	2245.34
ब्याज उद्भूत, परन्तु देय नहीं			
निवेशों पर उद्भूत ब्याज (बाण्ड)	**0.46**	4.36	8.68
मियादी /सावधि जमाओं पर उद्भूत ब्याज	**0.40**	0.22	8.85
अन्यों पर उद्भूत ब्याज	**1.20**	2.38	0.24
	2.06	6.96	17.77
संबंधित पक्ष	**-**	5.86	24.79
अन्य (अप्रतिभूत)**			
शोध्य समझा गया	**639.28**	209.40	174.23
संदिग्ध समझा गया	**0.86**	-	-
जोड़	**640.14**	209.40	174.23
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	**0.86**	-	-
	639.28	209.40	174.23
जोड़	**3254.57**	3341.65	2558.95

अगली टिप्पणयां :

* बिना बिल वाले राजस्व में वित्तीय वर्ष में मार्च माह में ₹1968.66 करोड़ राशि के ट्रांसमिशन शुल्क शामिल है (31 मार्च, 2016 को ₹1578.65 करोड़ और 1 अप्रैल, 2015 को ₹1285.03 करोड़) जिन्हें परवर्ती वित्तीय वर्ष ने अप्रैल माह में लाभार्थियों के जिस बिल में लाया गया।

** अन्य में ग्राहकों से वसूलनीय राशि, आवासीय एवं कार्यालय स्थान हेतु अग्रिम किराया, अन्य अग्रिम आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 20/अन्य चालू वित्तीय आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
वस्तु में वसूली योग्य अग्रिमों अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए			
ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्त्ता	**206.41**	159.01	33.83
कर्मचारी	**6.04**	7.97	11.13
कस्टम पत्तन न्यासों एवं अन्य प्राधिकरणों के पास शेष	**51.36**	88.17	31.98
वसूली योग्य दावे	**1.12**	5.80	3.85
	264.93	260.95	80.79
संबंधित पक्षों को अग्रिम			
सहायक कम्पनियां	**-**	33.38	-
अन्य *			
शोध्य समझे गए	**35.18**	159.41	79.04
संदिग्ध समझे गए	**0.03**	0.03	-
	35.21	159.44	79.04
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**0.03**	0.03	-
	35.18	159.41	79.04
जोड	**300.11**	453.74	159.83

*अन्य में सीएसआर कार्यकलायों हेतु दिए गए अग्रिम एवं पूर्वप्रदत्त व्यय शामिल हैं।

टिप्पणी 21/बिक्री हेतु धारित वर्गीकृत आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
इक्विटी लिखतों में निवेश (पूर्ण रूप से प्रदत्त)			
सहायक कम्पनी			
पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लि.			
₹10 प्रत्येक के शून्य (31 मार्च, 2016 को 30640000; 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) शेयर	**-**	81.21	-
जोड़	**-**	81.21	-

टिप्पणियां :

विद्युत मंत्रालय के पत्र कार्यालय ज्ञापन सं. 18/02/2015 पीजी दिनांक 25 मार्च, 2015 और 29 दिसम्बर, 2015 के अनुपालन में निदेशक मण्डल ने 9 मार्च, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में ₹10 प्रत्येक के 3,06,40,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री एवं हस्तान्तरण (100 प्रतिशत शेयर धारण) स्वीकृत किया था जो कम्पनी द्वारा भारत सरकार के पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) में धारित है। तदनुसार, उपरोक्त इक्विटी शेयरों में निवेशों को भारतीय लेखाकरण मानक-105 ''बिक्री एवं बंद प्रचालनों हेतु धारित गैर-चालू आस्तियों'' के अनुसार 31 मार्च, 2016 को 11 ''बिक्री हेतु धारित आस्तियों'' के रूप में दर्शाया गया था।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 23.09.2016 के अपने आदेश द्वारा 31 मार्च, 2013 को पोसोको के अर्जित मूल्य के आधार पर उपरोक्त इक्विटी शेयरों के हस्तान्तरण हेतु प्रतिफल के संबंध में ₹81.21 करोड़ पावरग्रिड को जारी करने की मंजूरी दी। कम्पनी ने 30 सितम्बर, 2016 को अर्जित मूल्य के आधार पर पोसोको में शेयरों के हस्तान्तरण हेतु प्रतिफल के संबंध में ₹113.88 करोड़ के भुगतान हेतु भारत सरकार के साथ शुरू किया है।

उपरोक्त शेयरों को ₹81.21 करोड़ प्राप्त होने के बाद 02 जनवरी, 2017 को भारत सरकार को हस्तान्तरित किया जाता था। ₹32.67 करोड़ की शेष राशि के भुगतान हेतु विद्युत मंत्रालय के साथ मामले पर विचार किया जा रहा है। (अर्थात ₹113.88 करोड़ - ₹81.21 करोड़)।

टिप्पणी 22/विनियामक आस्थगन लेखा शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
आस्तियां			
विदेशी मुद्रा घट बढ़ हेतु	**4.42**	37.67	37.72
कर्मचारी लाभ व्यय हेतु	**103.18**	-	-
जोड़	**107.60**	37.67	37.72

टिप्पणी सं. 56 को देखें

टिप्पणी 23/इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
इक्विटी शेयर पूंजी			
अधिकृत			
₹10 प्रत्येक के सम मूल्य पर 10000000000 (31 मार्च, 2016 को 10000000000; 1 अप्रैल, 2015 को 10000000000) इक्विटी शेयर	**10000.00**	10000.00	10000.00
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त			
₹10 प्रत्येक सम मूल्य पर पूर्ण रूप से प्रदत्त 5231589648 (31 मार्च, 2016 को 5231589648; 1 अप्रैल, 2015 को 5231589648) इक्विटी शेयर	**5231.59**	5231.59	5231.59

अगली टिप्पणी :

1) सूचना अवधि के शुरू में और अन्त में बकाया शेयर पूंजी की संख्या एवं राशि का मिलान।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की सं.	राशि (₹करोड़ में)
वर्ष के शुरू में बकाया शेयर	**5231589648**	**5231.59**	5231589648	5231.59
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**5231589648**	**5231.59**	5231589648	5231.59

2) कम्पनी के पास केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर हैं, जिनका ₹10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य है।

3) इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर यथा-घोषित लाभांशों को प्राप्त करने के लिए हकदार है और शेयरधारकों की बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात में मत देने का अधिकार है।

4) शेयरधारक, जिनके पास 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अपैल, 2015 को	
	शेयरों की सं.	धारित %	शेयरों की सं.	धारित %	शेयरों की सं.	धारित %
i) भारत सरकार	**3028835198**	**57.90**	3028835198	57.90	3028835198	57.90
ii) यूरोफैसीफिक ग्रोथ फण्ड	**-**	**-**	-	-	296023422	5.66

टिप्पणी 24/अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष			
प्रतिभूति प्रीमियम प्रारक्षित निधि	**9578.29**	9578.29	9578.29
बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि	**8095.83**	6893.16	5870.47
स्व-बीमा प्रारक्षित निधि	**677.79**	484.47	387.18
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लक्ष्यपूर्ति प्रारक्षित निधि	**123.38**	135.53	129.52
सामान्य प्रारक्षित विधि	**23312.01**	21312.00	17835.23
लोड प्रेषण एवं संचार (एलडीसी) विकास निधि	**-**	-	158.96
आरईसी निधि	**-**	-	10.64
प्रतिधारित आय	**2742.85**	270.09	231.74
अन्य प्रारक्षित निधियां			
अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि	**103.76**	64.80	85.08
जोड़	**44633.91**	38738.34	34287.11

24.1 प्रतिभूति प्रीमियम प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरू में शेष	**9578.29**	9578.29
वर्ष के अंत में शेष	**9578.29**	9578.29

24.2 बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरू में शेष	**6893.16**	5870.47
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**2004.95**	1720.62
वर्ष के दौरान कटौती	**802.28**	697.93
वर्ष के अंत में शेष	**8095.83**	6893.16

बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि का सृजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार ऋण पत्रों के शोधन के प्रयोजनार्थ किया जाता है।

24.3 स्व-बीमा प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरू में शेष	**484.47**	387.18
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**194.17**	102.58
वर्ष के दौरान कटौती	**0.85**	5.29
वर्ष के अंत में शेष	**677.79**	484.47

स्व-बीमा प्रारक्षित निधि का सृजन 0.12 प्रतिशत प्रतिवर्ष दर पर (पूर्ववर्ती वर्ष में 0.10 प्रतिशत) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मूल ब्याज पर किया जाता है जो आगामी क्षतियों को पूरा करने के लिए वर्ष के अंत में बीमा के अन्तर्गत नहीं आते हैं जो अबीमाकृत जोखिमों से उत्पन्न हो सकते हैं।

24.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लक्ष्यपूर्ति प्रा. नि.

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरू में शेष	**135.53**	129.52
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**-**	6.01
वर्ष के दौरान कटौती	**12.15**	-
वर्ष के अंत में शेष	**123.38**	135.53

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रारक्षित निधि का सृजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित राशि की तुलना में किसी वर्ष में वास्तविक व्यय में कमी को देखते हुए किया जाता है।

24.5 सामान्य प्ररक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरू में शेष	**21312.00**	17835.23
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**2,000.00**	3500.00
वर्ष के दौरान कटौती	**10.29**	28.82
जोड़े/(घटाएं) : समायोजन	**10.30**	5.59
वर्ष के अंत में शेष	**23312.01**	21312.00

सामान्य प्रारक्षित निधि कम्पनी की प्रतिधारित आय है जिसे कम्पनी के लाभों से अलग रखा जाता है। यह एक स्वतंत्र प्रारक्षित निधि है, जिसे किसी अज्ञात आगामी आकस्मिकताओं को पूरा करने वाले तथा शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24.6 लोड प्रेषण एवं संचार (एलडीसी) विकास निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरू में शेष	-	158.96
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	158.96
जोड़ें/(घटाएं) : भा.ले.मा. समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-

24.7 आरईसी निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरू में शेष	-	10.64
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	10.64
जोड़ें/(घटाएं) : भा.ले.मा. समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-

24.8 प्रतिधारित आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरू में शेष	270.09	231.74
जोड़े : परिवर्धन	-	-
अवधि हेतु निवल लाभ	7450.74	5958.64
अधिशेष में सीधे स्वीकृत आय व्यापक आय की मदें		
- नियोजन बाद लाभ बाध्यताओं का पुनर्मूल्यांकन	10.87	8.31
बाण्ड शोधन प्रारक्षित सीधे से हस्तान्तरण	802.28	697.93
बिक्री हेतु धारित आस्ति के रूप में स्वीकरणों के संबंध समायोजन	0.00	40.58
अन्य समायोजन	0.09	0.02
घटाएं : विनियोजन		
सामान्य प्रारक्षित निधि	2000.00	3500.00
बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि	2004.95	1720.62
सीएसआर लक्ष्यपूर्ति प्रारक्षित निधि	-	6.01
स्व-बीमा प्रा. नि.	194.17	102.58
प्रदत्त अन्तरिम लाभांश	523.15	418.53
अंतरिम लाभांश पर कर	105.40	85.01
अंतिम लाभांश (टिप्पणी 65 (ख) को देखें)	789.97	685.34
अंतिम लाभांश पर कर	173.58	149.04
वर्ष के अंत में शेष	2742.85	270.09

24.9 अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के शुरू में शेष	64.80	85.08
वर्ष के दौरान परिवर्धन	38.96	0.00
वर्ष के दौरान कटौती	-	20.28
वर्ष के अन्त में शेष	103.76	64.80

टिप्पणी 25/उधारियां

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
क) बाण्ड			
क1) घरेलू			
प्रतिभूत कराधेय, विभोच्य गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय			
क1.1 i) ₹ 10 लाख प्रत्येक के बाण्ड			
LV निर्गम-21.09.2031 को सम मूल्य पर विमोच्य 7.55%	**1238.62**	-	-
XXXIX निर्गम-29.03.2027 को सम मूल्य पर विमोच्य 9.40%	**1799.36**	1,799.44	1,799.08
LVIII निर्गम-09.03.2027 को सममूल्य पर विमोच्य 7.89%	**2058.95**	-	-
XXXVIII निर्गम-09.03.2027 को सममूल्य पर विमोच्य 9.25%	**854.48**	854.52	854.36
LVI निर्गम-18.10.2026 को सममूल्य पर विमोच्य 7.36%	**1063.83**	-	-
XLII निर्गम-13.03.2023 को सममूल्य पर विमोच्य 8.80%	**1989.07**	1,989.14	1,988.77
LVII निर्गम-21.12.2021 को सममूल्य पर विमोच्य 7.20%	**2118.27**	-	-
ii) ₹30 लाख प्रत्येक के बाण्ड जिसमें 3 (तीन) समान वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर ₹10 लाख प्रत्येक विमोच्य के 3 एसटीआरपीपी शामिल है।			
LIV निर्गम-15.07.2021, 15.07.2026 और 15.07.2031 को विमोच्य 7.97%	**2997.11**	-	-
LII निर्गम-23.12.2020, 23.12.2025 और 23.12.2030 को विमोच्य 8.32%	**1396.75**	1396.58	-
XLIX निर्गम-9.03.2020, 09.03.2025 और 09.03.2030 को विमोच्य 8.15%	**1304.38**	1304.44	1304.24
XLVI निर्गम-04.09.2019, 04.09.2020 और 04.09.2029 को विमोच्य 9.30%	**4357.74**	4356.38	4356.05
XLIV निर्गम-15.07.2018, 15.07.2023 और 15.07.2028 को विमोच्य 8.70%	**3962.03**	3961.93	3961.47
iii) ₹1.20 करोड़ प्रत्येक के बाण्ड, जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में '10 लाख प्रत्येक के विमोच्य 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं।			
LIII निर्गम-25.04.2020 से विमोच्य 8.13%	**3993.89**	-	-
iv) ₹0.10 करोड़ प्रत्येक के 5 वर्ष की समाप्ति पर सम मूल्य पर विमोच्य			
बाण्ड 05.03.2020 को विमोच्य 2900 बाण्ड-8.90%	**290.00**	290.00	-
v) ₹1.20 करोड़ प्रत्येक के बाण्ड, जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में '10 लाख प्रत्येक के विमोच्य 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं।			
LI निर्गम-14.09.2019 से विमोच्य 8.40%	**2996.74**	2996.56	-
L निर्गम-27.05.2019 से विमोच्य 8.40%	**2926.13**	2926.18	-
XLVII निर्गम-20.10.2018 से समोच्य 8.93%	**2636.90**	2636.67	2636.55
XLV निर्गम-28.02.2018 से विमोच्य 9.65%	**1831.36**	1998.04	1997.61
XLIII निर्गम-20.05.2017 से विमोच्य 7.93%	**2863.58**	3124.11	3123.67

टिप्पणी 25/ उधारियां (जारी)

विवरण		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
	XLI निर्गम-19.10.2016 से विमोच्य 8.85%	**2365.63**	2601.96	2838.68
	XL निर्गम-28.06.2016 से विमोच्य 9.30%	**3327.43**	3660.13	3992.71
	XXXVII निर्गम-26.12.2015 से विमोच्य 9.25%	**1494.70**	1660.54	1826.66
vi)	**₹40 लाख प्रत्येक का बॉण्ड, जिसमें 4 (चार) समान किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य ₹10 लाख प्रत्येक के 4 एसटीआरपीपी शामिल है।**			
	XLVIII निर्गम-23.01.2020, 23.01.2022, 23.01.2025 और 23.01.2030 को विमोच्य 8.20%	**2578.29**	2579.09	2577.90
vii)	**₹1.50 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड, जिसमें 15 (पन्द्रह) समान वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य '10.00 लाख प्रत्येक के 15 एसटीआरपीपी शामिल है।**			
	XXXVIनिर्गम-29.08.2016 से विमोच्य 9.35%	**2674.67**	2880.26	3086.03
viii)	**₹1.5 करोड़ प्रत्येक के बाण्ड जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य ₹12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल है।**			
	XXXV निर्गम-31.5.2015 से विमोच्य 9.64%	**1466.80**	1629.80	1792.53
	XXXIV निर्गम-21.10.2014 से विमोच्य 8.84%	**2322.11**	2612.16	2902.34
	XXXIII निर्गम-08.07.2014 से विमोच्य 8.64%	**1918.04**	2157.77	2397.28
	XXXII निर्गम-29.03.2014 से विमोच्य 8.84%	**603.56**	689.83	775.89
	XXXI निर्गम-25.02.2014 से विमोच्य 8.90%	**1193.66**	1363.92	1534.52
	XXX निर्गम-29.09.2013 से विमोच्य 8.80%	**1358.84**	1552.85	1746.90
	XXIX निर्गम-12.03.2013 से विमोच्य 9.20%	**648.39**	756.51	864.40
	XXVIII निर्गम-15.12.2012 से विमोच्य 9.33%	**1198.48**	1398.03	1597.79
	XXVII निर्गम-31.03.2012 से विमोच्य 9.47%	**293.65**	352.40	411.04
	XXVI निर्गम-07.03.2012 से विमोच्य 9.30%	**415.99**	499.22	582.30
	XXV निर्गम-12.06.2011 से विमोच्य 10.10%	**443.23**	531.89	620.46
	XXIV निर्गम-26.03.2016 से विमोच्य 9.95%	**266.41**	333.04	399.56
	XXIII निर्गम-09.02.2011 से विमोच्य 9.25%	**102.41**	127.99	153.61
	XXII निर्गम-07.12.2010 से विमोच्य 8.68%	**229.73**	287.13	344.57
	XXI निर्गम-11.10.2010 से विमोच्य 8.73%	**169.77**	212.20	254.64
	XX निर्गम-07.09.2010 से विमोच्य 8.93%	**499.29**	624.10	748.91
	XIX निर्गम-24.07.2010 से विमोच्य 9.25%	**164.77**	205.97	247.14
	XVIII निर्गम-09.03.2010 से विमोच्य 8.15%	**249.63**	332.86	416.00
	XV निर्गम-23.02.2008 से विमोच्य 6.68%	**74.95**	149.90	224.88
ix)	**'1.00 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड, जिसमें 10 (दस) समान वार्षिक किस्तों में सम मूल्य पर विमोच्य ₹10.00 लाख प्रत्येक 10 एसटीआरपीपी शामिल है।**			

टिप्पणी 25/ उधारियां (जारी)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
XVII निर्गम-22.9.2009 से विमोच्य 7.39%	**99.84**	199.73	299.63
XVI निर्गम-18.02.2009 से विमोच्य 7.10%	**-**	74.92	149.89
क1.2 ₹1.5 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में सम मूल्य पर विमोचय ₹12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं।			
XIII निर्गम-31.07.2006 से विमोच्य 8.63%	**-**	67.36	134.77
क1.3 ₹1.5 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में सम मूल्य पर विमोचय ₹12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं।			
XII निर्गम-28.03.2006 से विमोच्य 9.70%	**-**	-	15.36
क1.4 ₹3 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में सम मूल्य पर विमोचय ₹25 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं।		-	-
XII निर्गम-07.12.2005 से विमोच्य 9.80%	**-**	-	45.13
	68839.46	**59175.55**	**55003.32**
क2) अप्रतिभूत (विदेशी मुद्रा)			
क2.1 विमोच्य विदेशी मुद्रा नोट्स			
17.01.2023 को सम मूल्य पर विमोच्य 3.875% विदेशी मुदा नोट	**3262.79**	3345.53	3153.42
जोड़ (क)	**72102.25**	62521.08	58156.74
ख) मियादी ऋण			
ख1) बैंकों से			
ख1.1 प्रतिभूत			
i) विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रत्याभूत)	**20213.43**	20455.20	19296.01
ii) अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	**2672.65**	2748.04	2595.85
iii) रुपए में ऋण	**12752.00**	12031.00	7600.00
	35638.08	35234.24	29491.86
ख1.2 अप्रतिभूत			
i) विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रत्याभूत)	**1445.26**	587.16	184.91
ii) अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	**1917.58**	2120.83	1478.06
iii) रुपए ऋण	**150.00**	-	-
	3512.84	2707.99	1662.97
ख2) अन्य वित्तीय संस्थान से			
ख2.1 प्रतिभूत			
i) रुपए में ऋण	**-**	-	0.22
जोड़ ख	**39150.92**	**37942.23**	**31155.05**
जोड़ (क से ख)	**111253.17**	**100463.31**	**89311.79**

अगली टिप्पणियां :

चुकौती एवं ब्याज दर की शर्तों के ब्यौरे

1. प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) : जिनमें 6 एम एलआईबीओआर से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। इन ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है।
2. प्रतिभूत अन्य विदेशी मुद्रा ऋण जिसमें 6 एम एलआईबीओआर/ईयूआरआईबीओआर/एसटीआईबीओआर से जुड़ी ब्याज की अस्थायी पर शामिल है। इन ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है।
3. बैंकों से प्रतिभूत रुपए में ऋण जिसमें 1 वर्ष एमसीएलआर एवं 6 एम एमसीएलआर से जुड़े ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। इन ऋणों को 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है।

Note 25/ Borrowings (Contd.)

4. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्यभूत) जिसमें 1.63% प्रतिवर्ष में 2.30% प्रतिवर्ष की सीमा में स्थायी ब्याज दर हो। इन ऋणों को संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्धवार्षिक किस्त में चुकाया जाता है।
5. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें 6एम एसटीआईबीओआर/ईयूआरबीओआर से जुड़ी अस्थायी ब्याज दर शामिल हैं। ये ऋण 4 से 5 वर्ष की विलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक वित्त में चुकाए जाते हैं।
6. बैंक से अप्रतिभूत रुपए में ऋण जिसमें 6 माह एमसीएलआर से जुड़ी अस्थायी ब्याज दर शामिल है। ये ऋण 5.5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ, संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्त में चुकाए जाते हैं।

प्रतिभूतियों के ब्यौरे

1. क 1.1 पर उल्लिखित स्वदेशी बाण्ड जिला वलसाड़ गुजरात में मौजे अम्भेटी तालुका कापराडा में स्थित अचल सम्पत्ति पर समरूप रैंकिंग में पंजीकृत बाण्ड ट्रस्ट डीड द्वारा और कम्पनी की आस्तियों पर प्रचालित प्रभार पर प्रतिभूत हैं।
2. क 1.2 उल्लिखित स्वदेशी बॉण्ड जिला वलसाड़, गुजरात में मौजे अम्भेटी तालुका कापराडा में स्थित अचल सम्पत्ति पर समरूप रैकिंग में पंजीकृत बॉण्ड ट्रस्ट डीड द्वारा प्रतिभूत है और किशेनपुर मोगा एवं दुलहस्ती कंटींजेंसी ट्रांसमिशन सिस्टम की आस्तियों पर बंधक और दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत है।
3. क 1.3 में उल्लिखित स्वदेशी बॉण्ड कायम कुलम एवं रामागुन्डम हैदराबाद ट्रांसमिशन सिस्टम की आस्तियों पर जिला वलसाड़ गुजरात में मौजे अम्भेटी तालुका कापराडा में स्थित अचल सम्पत्ति पर समरूप रैंकिंग में पंजीकृत बॉण्ड ट्रस्ट डीड और कायमकुलम एवं रामागुन्डम हैदराबाद ट्रांसमिशन सिस्टम की आस्तियों पर बंधक और दृष्टिबंधक के रूप में प्रतिभूत है।
4. क 1.4 में उल्लिखित स्वदेशी बाण्ड जिला वलसाड़, गुजरात में मौजे अम्भेटी तालुका कापाराडा में स्थित अचल सम्पत्ति पर समरूप रैंकिंग में पंजीकृत बाण्ड ट्रस्ट डीड और अन्तर, औरिया, मोगा-भिवाडी, चमेरा-किशेनपुर, सासारण-इलाहाबाद, सिंगरौली-कानपुर, के एलआईएलओ तथा इलाहाबाद सब स्टेशन की आस्तियों पर बंधक एवं दृष्टबंधक के रूप में प्रतिभूत हैं।
5. ख 1.1 (i) में प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में आस्तियों पर सृजित धारणाधिकार में समरूप ब्याज द्वारा प्रतिभूत हैं।
6. बी 1.1 (ii एवं iii) में विदेशी मुद्रा ऋण एवं रुपए ऋण से भिन्न प्रतिभूत कम्पनी की आस्तियों पर समरूप प्रभार के रूप में प्रतिशत होते हैं, सिवाय निवेशों भूमि एवं भवन, सड़क एवं पुलों, जल आपूर्ति, जल निकासी एवं मल निकासी तथा चालू आस्तियों के। एनआईबी से ऋण कम्पनी के आस्तियों पर समरूप प्रभार के रूप में प्रतिभूत होते हैं, सिवाय निवेश एवं चालू आस्तियों के। भारत के बैंक से ऋण कम्पनी की अचल सम्पत्तियों पर अस्थायी प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।
7. बी 2.1 में अन्य वित्तीय संस्थान से प्रतिभूत रुपए में ऋण कम्पनी की अचल आस्तियों पर अस्थायी प्रभार के तहत प्रतिभूत हैं।

टिप्पणी 26/अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	**284.34**	486.68	631.82
पूंजीगत व्यय हेतु देयताएं	**190.26**	384.31	23.59
जोड़	**474.60**	870.99	655.41

अगली टिप्पणियां :

सूक्ष्म एवं लघु उसको के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है। टिप्पणी सं. 53 में दिया गया है।

टिप्पणी 27/प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
कर्मचारी लाभ			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**650.45**	609.51	610.06
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	**139.11**	40.94	(0.55)
अन्त शेष	**789.56**	650.45	609.51

कर्मचारी लाभ

छुट्टी नकदीकरण, निपटान भत्ते, और दीर्घ सेवा प्रतिफल एवं अन्य लाभों के प्रयोजनार्थ प्रावधान सृजित किया जाता है। कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान से संबंधित विस्तृत प्रकटन,

टिप्पणी 69 में दिए गए हैं।

टिप्पणी 28/आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
आस्थगित कर देयता			
सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास अन्तर	**11257.94**	8558.08	6784.59
वित्त पट्टा आस्तियां	**90.83**	106.27	78.86
अन्य	**66.30**	59.51	61.88
संयुक्त उद्यमों में अवितारित लाभांश का शेयर	**46.55**	33.44	30.67
सहायक कम्पनी के अवितरित लाभांश का शेयर		0.72	4.21
बिक्री हेतु धारित आस्तियां		7.99	
सब जोड़ (क)	**11461.62**	**8766.01**	**6960.21**
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां			
निर्माण अवधि के दौरान आय	**18.69**	92.35	110.25
स्व-बीमा प्रारक्षित निधि	**11.26**	11.67	13.49
भुगतान आधार पर स्वीकार्य प्रावधान	**236.77**	135.59	113.14
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**562.31**	621.41	670.90
अन्य	**228.41**	137.08	133.00
उप-जोड़ (ख)	**1057.44**	998.10	1040.78
आस्थगित कर देयता (निवल) (क-ख)	**10404.18**	7767.91	5919.43
घटा : आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित संपत्तियां	**7868.20**	5249.13	3437.71
निवल आस्थगित कर देयता	**2535.98**	2518.78	2481.72

आस्थगित कर देयता में घट-बढ़

(₹ करोड़ में)

विवरण	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में मूल्यह्रास अन्तर	वित्त पट्टा आस्ति	अन्य	संयुक्त उद्यमों में अवितरित लाभांश	सहायक कम्पनी में अवितरित लाभांश	बिक्री हेतु धारित आस्तियां	जोड़
1 अप्रैल, 2015 को	**6784.59**	**78.86**	**61.88**	**30.67**	**4.21**	**-**	**6960.21**
(प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)							
-लाभ अथवा हानि में	1773.49	27.41	(2.37)	2.77	(3.49)	7.99	1805.8
-अन्य व्यापक आय में	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2016 को	**8558.08**	**106.27**	**59.51**	**33.44**	**0.72**	**7.99**	**8766.01**
(प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)							
-लाभ अथवा हानि में	2699.86	(15.44)	6.79	13.11	(0.72)	(7.99)	2695.61
-अन्य व्यापक आय में	-	-	-	-	-		-
31 मार्च, 2017 को	**11257.94**	**90.83**	**66.3**	**46.55**	**-**	**-**	**11461.62**

क) ₹17.20 करोड़ का प्रभार (पूर्ववर्ती वर्ष ₹37.06 करोड़) लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

ख) सीईआरसी द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2014-19 के टैरिफ मानक ट्रांसमिशन आय पर वर्ष के दौरान अदा किए गए वास्तविक कर के आधार पर वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर दर के आधार पर इक्विटी पर प्रतिफल को संचालित करने की व्यवस्था देता है तदनुसार, ट्रांसमिशन आय पर 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान उपलब्ध आस्थगित कर को ''आस्थगित कर के संबंध में आस्थगित कर सम्पत्ति'' के रूप में हिसाब में लिया जाता है। वर्ष हेतु आस्थगित देयता के संबंध में आस्थगित

करार-संपत्तियों को उन भावी वर्षों (कर छूट अवधि सहित) में लौटाया जाएगा जब संबंधित आस्थगित कर देयता चालू कर भाग को निरूपित करती हो। यह आईसीएआई द्वारा जारी कर नियंत्रित क्रियाकलापों संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार है।

टिप्पणी 28/आस्थगित कर देयताएं (निवल)(जारी)

आस्थगित कर आस्तियों में घट-बढ

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्माण के दौरान आय	स्व-बीमा प्रारक्षित निधि	प्रावधान एवं 43ख व्यय	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	अन्य	जोड़
1 अप्रैल, 2015 को	**110.25**	**13.49**	**113.14**	**670.90**	**133.00**	**1040.78**
प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)						
-लाभ अथवा हानि में	(17.90)	(1.82)	22.45	(49.49)	4.08	(42.68)
31 मार्च, 2016 को	**92.35**	**11.67**	**135.59**	**621.41**	**137.08**	**998.10**
प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)						
-लाभ अथवा हानि में	(73.66)	(0.41)	101.18	(59.10)	91.33	59.34
31 मार्च, 2017 को	**18.69**	**11.26**	**236.77**	**562.31**	**228.41**	**1057.44**

लाभ एवं हानि विवरण में ली गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता में वृद्धि	**2,695.61**	**1805.80**
आस्थगित आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	**(59.34)**	42.68
जोड़	**2636.27**	1848.48
घटाएं : आस्थगित कर देयता हेतु आस्थगित आस्तियां	**2619.07**	1811.42
लाभ एवं हानि विवरण से ली गई निवल राशि	**17.20**	**37.06**

टिप्पणी 29/अन्य गैर-चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
ग्राहकों से अग्रिम (परामर्शी/दूरसंचार संविदा)	**448.16**	431.20	401.03
अन्य*	**127.04**	0.38	0.58
जोड़	**575.20**	431.58	401.61

*अन्य में वसूली पर ग्राहकों को देय राशि शामिल है।

टिप्पणी 30/उधारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
अल्प अवधि - अप्रतिभूत			
बैंकों से	-	2,000.00	1,200.00
अन्यों से			

वाणिज्यिक पेपर	1500.00	-	-
जोड़	1500.00	2000.00	1200.00

टिप्पणी 31/व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
सामान एवं सेवा हेतु	413.98	313.89	392.97
जोड़	413.98	313.89	392.97

अगली टिप्पणी :

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी सं. 53 में दिया गया है।

टिप्पणी 32/अन्य चालू वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
दीर्घ अवधि उधारियों की चालू परिपक्वताएं			
प्रतिभूत			
बॉण्ड	3812.37	3445.94	2791.60
रुपया मियादी ऋण	454.00	454.23	101.68
विदेशी मुद्रा ऋण	1715.36	1906.71	1489.18
	5981.73	5806.88	4382.46
अप्रतिभूत			
विदेशी मुद्रा ऋण	253.01	274.72	86.10
	6234.74	6081.60	4468.56
ब्याज प्रोद्भूत परन्तु निम्न से उधारियों पर देय नहीं			
भारतीय बैंक एवं वित्तीय संस्थानों	-	-	5.78
विदेशी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों	124.76	78.26	41.32
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोच्य बाण्डों	3067.45	2610.35	2313.63
	3192.21	2688.61	2360.73
अन्य			
पूंजीगत व्यय हेतु देय राशियां	3793.43	4422.09	4729.45
कर्मचारी से संबंधित देयताएं	135.88	85.02	116.10
अदावेकित लाभांश एवं एफपीओ*	11.18	9.31	10.39
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमाराशियां/प्रतिधारण राशि	5648.99	4611.49	4820.97
संबंधित पक्ष	40.31	56.25	48.23
अन्य#	753.20	282.48	171.33
	10382.99	9466.64	9896.47
जोड़	19809.94	18236.85	16725.76

अगली टिप्पणियां :

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी सं. 53 में दिया गया है।

*निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को भुगतान हेतु कोई राशि देय नहीं है।

#अन्य में निष्क्रिय चेक, मूल्य परिवर्तन, दीर्घ अवधि सुविधा (एलटीए), अल्प अवधि ओपन सुविधा (एसटीओए) आदि के लिए देयता शामिल है।

टिप्पणी 33/अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
ग्राहकों से अग्रिम	**2,495.83**	3,431.48	2,397.14
सांविधिक देयताएं	**93.25**	107.43	195.10
ट्रंग-अप के कारण देयता	**-**	-	180.31
अन्य देयता-तीसरा पक्ष	**-**	-	55.94
एसटीयू	**-**	-	85.65
पीएसडीएफ ग्राण्ट	**-**	-	185.46
कर्मचारी के संबंधित देयता	**-**	-	0.27
अन्य	**-**	-	13.87
जोड़	**2589.08**	3538.91	3113.74

टिप्पणी 34/प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
क) कर्मचारी लाभ			
i) प्रोत्साहन से संबंधित वेतन/विशेष प्रोत्साहन			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**182.52**	213.13	133.19
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**168.04**	160.31	117.12
वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	**240.73**	190.92	37.18
अन्त शेष	**109.83**	182.52	213.13
ii) मजूदरी संशोधन			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**-**	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**265.43**	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/प्रदत्त राशियां	**-**	-	-
अन्त शेष	**265.43**		-
ii) अन्य कर्मचारी लाभ			
(छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ता और दीर्घ सेवा पुरस्कार आदि)			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**46.56**	43.39	40.68
वर्ष के दौरान परिवर्धन (समायोजन)	**27.30**	3.17	2.71
अन्त शेष	**73.86**	46.56	43.39
जोड़ (क)	**449.12**	229.08	256.52
ख) अन्य			
i) कम समय सेवा क्रेडिट-टेलीकॉम			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**10.10**	6.78	5.23
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**9.11**	4.07	2.15
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	**4.36**	0.75	0.60
अंत शेष	**14.85**	10.10	6.78
ii) अन्य प्रावधान			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**58.97**	3.39	2.13
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	**14.27**	55.58	1.26
अंत शेष	**73.24**	58.97	3.39

जोड़ (ख)	**88.09**	69.07	10.17
जोड़ (क+ख)	**537.21**	298.15	266.69

टिप्पणी 34/ पावधान (जारी)

टिप्पणियां :

कर्मचारी लाभ

निष्पादन से संबंधित वेतन/विशेष प्रोत्साहन

कार्यपालकों एवं गैर-कार्यपालकों को निष्पादन से संबंधित वेतन हेतु प्रावधान सृजित किया जाता है।

मजदूरी संशोधन

कम्पनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी, 2017 से देय है। भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों संबंधी तीसरे वेतन संशोधन कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में वेतन संशोधन के प्रभाव हेतु प्रावधान किया गया है जिसमें उपदान की उच्चतम सीमा में वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार ₹10 लाख की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर ₹20 लाख करना शामिल है।

अन्य कर्मचारी लाभ

छुट्टी नकदीकरण, भत्ते एवं दीर्घ सेवा प्रतिफल के निपटान को पूरा करने के प्रयोजनार्थ प्रावधान सृजित किया जाता है।

अन्य

अकार्यरत सेवा क्रेडिट - दूरसंचार

प्रावधान तब सृजित किया जाता है जब वास्तविक अकार्यरत समय अनुमत्य सेवा स्तर करार से अधिक हो, ऐसे मामलों में आवश्यक क्रेडिट को ग्राहक की मांग पर पारित किया जाता है।

तथापि, किसी मामले में, अल्प समय का ग्राहक द्वारा दावा नहीं किया जाता है तब ऐसे मामलों में अकार्य समय के संबंध मकें आवश्यक प्रावधान नेशनल टेलीकॉम कंट्रोल सेंटर (एनटीसीसी) से प्राप्त लिंक उपलब्धता रिपोर्टों के अनुसार ग्राहकों को दिए गए गैर-प्रचालन लिंकों को अवधि हेतु लेखा बहियों में किया जाता है। अकार्य समय क्रेडिट का परिकलन विभिन्न ग्राहकों द्वारा हस्ताक्षरित एसएलए के आधार पर होता है।

टिप्पणी 35/चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
कराधान (कर पर ब्याज सहित)			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**4134.05**	4,503.22	4503.22
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**1989.07**	1575.89	-
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	**1275.97**	1945.06	-
जोड़	**4847.15**	4134.05	4503.22
अग्रिम कर एवं टीडीएस के संबंध में निवल छूट	**4428.74**	3,833.30	4,362.75
अन्त शेष	**418.41**	300.75	140.47

टिप्पणी 36/आरथगित राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम	**1624.81**	1770.66	1911.50
सहायता अनुदान*			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**109.17**	74.42	74.33
वर्ष के दौरान प्राप्त	**63.02**	58.00	0.33
वर्ष के दौरान समायोजन	**21.89**	23.25	0.24
अन्त शेष	**150.30**	109.17	74.42
विदेशी मुद्रा घट-बढ़ से आरथगित आय (निवल)	**3107.26**	3818.31	2750.23
जोड़	**4882.37**	5698.14	4736.15

अगली टिप्पणयां :

*सहायता में ₹63.02 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹58.00 करोड़ तथा 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) शामिल हैं, जो निर्माणाधीन परियोजना हेतु प्राप्त हुई है।

टिप्पणी 37 /प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवाओं की बिक्री		
ट्रांसमिशन व्यवसाय		
ट्रांसमिशन प्रभार	**24,360.05**	19,599.11
जोड़े : मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम से स्वीकृत राजस्व	**145.85**	140.76
	24505.90	19739.87
अन्य प्रचालन राजस्व	**218.62**	76.04
	24724.52	19815.91
दूरसंचार व्यवसाय	**559.36**	434.92
घटाएं : अन्तर मण्डलीय अन्तरण	**55.53**	42.67
	503.83	392.25
परामर्शी परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण	**475.56**	443.92
जोड़	**25703.91**	20652.08

टिप्पणी :

क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 21 फरवरी, 2014 के आदेश के तहत ब्लॉक अवधि 2014-19 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण हेतु ''सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2014'' को अधिसूचित किया है।

ख) कम्पनी ने निम्नानुसार वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन आय को स्वीकार किया है :

i) सीईआरसी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश के अनुसार ₹22160.14 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹12630.71 करोड़)

ii) ट्रांसमिशन आस्तियां के संबंध में ₹2345.75 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹7109.16 करोड़) जिसके संबंध में अंतिम टैरिफ आदेश सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार तथा सदृश मामलों में अन्य आदेशों के अनुसार अभी जारी किए जाने है।

ग) अन्य प्रचालन आय में अस्थायी एवं अंतिम टैरिफ तथा वित्त पट्टे से आय के बीच विभेदी राशि पर ब्याज शामिल है।

टिप्पणी 38 /अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्न में निवेश से लाभांश आय		
अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी निवेश	**3.51**	2.64
बिक्री हेतु धारित आस्ति में इक्विटी निवेश	**3.56**	20.07
	7.07	22.71
परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय		
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**0.79**	14.03
भारतीय बैंक	**121.94**	82.51
अन्य*	**16.16**	15.88
	138.89	112.42
ठेकेदारों को अग्रिम से ब्याज	**70.41**	64.12
	209.30	176.54
अन्य		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ	**0.03**	1.59
निवेश के पुनर्वर्गीकरण पर लाभ	**3.44**	-
सहायता अनुदान से अन्तरण	**21.89**	21.96
वित्त पट्टे से वित्त आय	**75.99**	59.59

टिप्पणी 38/ अन्य आय (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
अधिभार	**188.50**	92.91
उपकरणों को किराया शुल्क	**-**	0.03
एफईआरवी अभिलाभ	**27.34**	0.05
छूट	**0.30**	0.32
पुनरांकित प्रावधान	**3.98**	3.90
वित्तीय देयता/निवेश के शुरुआती स्वीकरण पर उचित मूल्य अभिलाभ	**57.44**	74.93
विविध आय	**128.02**	93.20
	506.93	348.48
	723.30	547.73
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में हस्तान्तरित (निवल) - टिप्पणी 45	**139.49**	81.44
जोड़	**583.81**	466.29

अगली टिप्पणी :

*अन्य ब्याज - अन्य में कर्मचारी ऋणों पर ब्याज एवं कर्मचारी ऋण पर पर वित्त लागत का फैलाव शामिल है।

टिप्पणी 39 /कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरियां, भत्ते और लाभ	**1393.10**	1157.44
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	**357.03**	205.09
कर्मचारी कल्याण व्यय (आस्थगित कर्मचारी लागत सहित)	**161.47**	140.66
	1911.60	1503.19
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) - टिप्पणी 45	**534.47**	509.45
जोड़	**1377.13**	993.74

अगली टिप्पणियां :

क) कर्मचारी लाभ व्यय जिसमें पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों के लिए, निम्नलिखित शामिल है, और जो पूर्व निदेशकों को प्रदत्त बकायों को छोड़कर है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन व भत्ते	**2.05**	2.31
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान उपदान और सामूहिक बीमा	**0.30**	0.35
अन्य लाभ	**1.26**	0.41

उपर्युक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को ₹2000/- प्रति माह के भुगतान पर स्टाफ कार (प्राइवेट यात्राओं सहित) का प्रयोग की अनुमति है, जैसा कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के का.ज्ञा.सं. 2(23)/11-डीपीई (डब्ल्यूसी) - जीएल-V/13 दिनांक 21.01.2013 में निहित हैं।

ख) कर्मचारी लाभ व्यय में ₹204.51 करोड़/निर्माण के दौरान व्यय में स्थानान्तरित निवल राशि) 1 जनवरी, 2017 से कम्पनी के कर्मचारियों को वेतन संशोधन के संबंध में देय है, जिसका ₹107.75 करोड़ उत्पादन की अधिकतम सीमा को ₹10 लाख बढ़ावा ₹20 लाख करने के लिए प्रस्तावित है।

ग) विद्युत मंत्रालय और लोक विभाग की मंजूरी मिलने तक कठिन और दूरदराज क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत तक विशेष भत्ता जिसकी राशि वित्त वर्ष 2016-17 (वित्त वर्ष 15-16 के लिए ₹17.67 करोड़) (31 मार्च, 2017 तक ₹126.35 करोड़ को संचयी राशि) के लिए ₹12.34 करोड़ की राशि अदा की जा रही है। उपर्युक्त भत्ता डीपीई कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी) - जीएल-XVI/08, दिनांक 26 नवम्बर, 2008 के अनुसार मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त है।

टिप्पणी 40 /वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
i) **परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज एवं वित्त प्रभार**		
भारतीय बैंक वित्तीय संस्थान	**1311.61**	1092.88
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	**397.31**	269.81
प्रतिभूतित/अप्रतिभूतित विमोच्य बाण्ड	**5927.22**	5405.03
विदेशी करेंसी बाण्ड	**121.62**	141.68
ii) **वित्तीय देयताओं पर छूट को कम करना**	**60.82**	88.32
iii) **ब्याज - अन्य**	**75.80**	80.43
	7894.38	7078.15
अन्य वित्त प्रभार		
वचनबद्धता प्रभार	**9.56**	12.07
गारण्टी शुल्क	**263.30**	259.49
अन्य*	**35.66**	47.01
	308.52	318.57
उधारी लागत के समायोजन के रूप में समझाया विनिमय अन्तर	**(46.23)**	
	262.29	318.57
	8156.67	7396.72
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय हेतु अंतरित (निवल) - टिप्पणी 45	**1953.12**	2310.49
जोड़	**6203.55**	5086.23

*अन्य में एजेंसी शुल्क, न्यासी शुलक आदि शामिल है

टिप्पणी 41 /मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	**7804.88**	6322.45
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	**86.68**	68.25
	7891.56	6390.70
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) टिप्पणी 45	**16.18**	12.12
	7875.38	6378.58
घटाएं : एफईआरवी समायोजन के कारण परिशोधित मूल्यह्रास	**153.13**	196.76
लाभ एवं हानि के विवरण पर प्रभारित	**7722.25**	6181.82

टिप्पणी 42 /अन्य खर्चे

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत और रखरखाव		
भवन	**54.98**	47.67
संयंत्र और मशीनरी		
सब-स्टेशन	**270.55**	234.18
ट्रांसमिशन लाइन	**174.91**	91.53
दूरसंचार उपस्कर	**42.60**	45.34
अन्य	**28.98**	25.2
	517.04	396.25
सिस्टम और बाजार प्रचालन प्रभार	**9.37**	11.13
विद्युत प्रभार	**226.01**	158.79
घटाएं : ठेकेदारों से वसूली	**2.11**	0.74

टिप्पणी 42/ अन्य व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
	223.90	158.05
डीजल जेनरेटिंग सेटों के खर्चे	**4.55**	4.49
उपभुक्त सामान	**3.92**	4.59
जल प्रभार	**4.12**	3.24
मार्गाधिकार खर्चे-दूरसंचार	**5.20**	4.88
पेट्रोलियम खर्चे-दूरसंचार	**2.62**	1.92
अंतिम चरण की कनेक्टिविटी-दूरसंचार	**9.51**	6.61
प्रशिक्षण और भर्ती खर्चे	**28.95**	28.25
धटाएं : प्रशिक्षण और आवेदन करने के लिए शुल्क	**1.46**	1.01
	27.49	27.24
कानूनी खर्चे	**19.04**	15.82
व्यावसायिक खर्चे	**15.76**	29.95
परामर्शदायी खर्चे	**33.02**	30.20
संचार व्यय	**21.58**	15.96
अन्तरदेशीय वाहन भाड़ा व्यय	**99.62**	102.16
विदेश यात्रा	**8.30**	11.62
	107.92	113.78
निविदा व्यय	**28.71**	28.90
घटाएं : निविदाओं की बिक्री	**3.15**	4.49
	25.56	24.41
संविधिक लेखापरीक्षको को भुगतान		
लेखा-परीक्षा शुल्क	**0.94**	0.65
कर लेखा-परीक्षा शुल्क	**0.26**	0.14
अन्य क्षमता में	**1.03**	0.74
बकाया राशियां	**0.66**	-
व्यक्तिगत खर्चे में से	**1.05**	0.94
	3.94	2.47
विज्ञापन और प्रचार	**15.67**	12.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	**7.41**	6.92
पुस्तकें, पत्रिकाएं और अखबार	**1.27**	1.27
ईडीपी किराया और अन्य खर्चे	**10.81**	9.33
मनोरंजन संबंधी खर्चे	**2.06**	1.62
दलाली और कमीशन	**0.64**	0.41
अनुसंधान और विकास व्यय	**2.63**	5.40
लागत लेखा-परीक्षा और वास्तविक सत्यापन शुल्क	**1.15**	1.34
किराया	**12.44**	10.36
उन परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है	**-**	0.62
सीईआरसी याचिका और अन्य व्यय	**59.15**	49.02
विविध व्यय	**76.60**	63.05
बागवानी व्यय	**16.96**	14.04
सुरक्षा व्यय	**140.11**	119.90
वाहन को किराए पर लेना	**111.75**	108.74
बीमा	**88.50**	84.34
दरें और कर	**6.43**	7.44
डीओटी को लाइसेंस शुल्क	**44.20**	34.28
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाइबर पट्टा व्यय (दूरसंचार) आदि	**23.66**	22.14
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सतत विकास व्यय	**142.63**	114.06
मार्गस्थ निवास व्यय	**14.58**	11.22
घटाएं : मार्गस्थ निवास से आय	**1.10**	1.15
	13.48	10.07

टिप्पणी 42/ अन्य व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन	-	4.56
प्रावधान	9.05	7.41
	1876.12	1586.98
घटाएं : निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (निवल)-टिप्पणी 45	140.50	193.96
	1735.62	1393.02
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान/बट्टेखाते डालने पर हानि	3.85	7.21
जोड़	1739.47	1400.23

टिप्पणी 43 /विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट-बढ़ आय/(व्यय)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
विदेशी मुद्रा घट-बढ़ हेतु	(33.25)	(0.05)
कर्मचारी लाभ-व्यय हेतु	103.18	-
जोड़	69.93	(0.5)
टिप्पणी 56 को देखे		

टिप्पणी 44 /अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
- इक्विटी में निवेश के मूल्यांकन पर अभिलाभ/(हानि)	38.96	(20.28)
- बीमाकंन मूल्यांकन हेतु प्रावधान	15.28	12.66
	54.24	(7.62)
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय हेतु आस्थगित (निवल) - टिप्पणी-45	4.41	4.35
जोड़	49.83	(11.97)

टिप्पणी 45 /निर्माण के दौरान व्यय (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क. कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ		
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	409.73	409.57
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	105.14	79.60
कल्याण व्यय	19.60	20.28
जोड़ (क)	534.47	509.45
ख. अन्य व्यय		
मरम्मत और अनुरक्षण	3.51	22.23
विद्युत खर्चे	10.21	3.73
घटाएं : ठेकेदारों से वसूली गई राशि	1.72	0.24
	8.49	3.49
डीजल जेनरेटिंग सेटों पर खर्चे	0.37	0.35
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	1.44	2.28
कानूनी खर्चे	0.94	2.38
व्यावसायिक खर्चे	17.20	22.27
परामर्शदायी खर्चे	20.36	29.99
संचार व्यय	2.32	1.97

टिप्पणी 45/ निर्माण के दौरान व्यय (निवल) (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा और वाहन यात्रा व्यय (विदेश यात्रा सहित)	26.54	34.57
निविदा व्यय	5.63	7.04
घटाएं : निविदाओं की बिक्री	2.88	4.33
	2.75	2.71
लेखापरीक्षकों को भुगतान	0.05	0.15
विज्ञापन और प्रचार	1.60	1.54
मुद्रण और लेखन सामग्री	0.66	0.64
पुस्तकें, पत्रिकाएं और अखबार	0.02	0.02
ईडीपी किराया और अन्य खर्चे	0.27	0.30
मनोरंजन संबंधी खर्चे	0.25	0.03
दलाली और कमीशन	0.06	0.07
किराया	3.70	3.14
विविध व्यय	11.62	14.64
बागवानी व्यय	0.90	0.59
सुरक्षा व्यय	14.58	16.81
वाहनों का किराए पर लेना	20.75	31.84
बीमा	0.03	0.05
दरें और कर	0.80	1.28
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाइबर पट्टा व्यय (दूरसंचार)	0.24	0.15
मार्गस्थ निवास व्यय	1.06	0.48
घटाएं : मार्गस्थ निवास से आय	0.01	0.01
	1.05	0.47
जोड़ (ख)	140.50	193.96
ग. मूल्यह्रास/परिशोधन	16.18	12.12
घ. वित्त लागत		
क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज एवं वित्त प्रभार		
भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थान	455.19	541.74
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	100.14	94.23
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोच्य बांड	1253.48	1516.88
विदेशी मुद्रा बांड	26.36	59.21
अन्य	92.73	-
	1927.90	2212.06
ख) अन्य वित्त प्रभार		
वचनबद्धता प्रभार	9.44	11.67
गारंटी शुल्क	43.63	65.27
अन्य	14.67	21.49
	67.74	98.43
ग) उधारी लागत हेतु एफईआरवी समायोजन	(42.52)	-
जोड़ (घ)	1953.12	2,310.49
ड. . घटाएं : अन्य आय		
निम्न से ब्याज		
भारतीय बैंक	36.94	27.58
ठेकेदारों	72.05	48.45
अन्य	25.43	0.28
	134.42	76.31
विविध आय	5.07	5.13
जोड़ (ङ)	139.49	81.44
च. घटाएं : अन्य व्यापक आय		
अन्य व्यापक आय	4.41	4.35
सकल जोड़ (क + ख + ग + घ -ड़. - च)	2500.37	2940.23

46. अन्य कंपनियों में हित

46.1 सहायक कंपनियां :

31 मार्च, 2017 को कंपनी की सहायक कंपनियां नीचे दी गई हैं। जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो, शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर शामिल है जो कंपनी द्वारा सीधे धारित हैं और स्वामित्व हित का अनुपात कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकारों के बराबर है :

कंपनी		व्यवसाय का स्थान	निम्न को शेयरधारिता का अनुपात (%)			मुख्य गतिविधियां
			31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल 2015	
1	पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको)*	भारत	.	100%	100%	ग्रिड आपरेशन
2	ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड**	भारत	100%	100%	-	कंडक्टर का निर्माण
3	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	100%	पारेषण
4	पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	100%	पारेषण
5	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	100%	पारेषण
6	पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	-	पारेषण
7	पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन लि.	भारत	100%	100%	-	पारेषण
8	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लि.	भारत	100%	100%	100%	पारेषण
9	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लि.	भारत	100%	100%	100%	पारेषण
10	पावरग्रिड विज़ाग ट्रांसमिशन लि.	भारत	100%	100%	100%	पारेषण
11	पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लि.	भारत	100%	100%	-	पारेषण
12	मेदनीपुर जीराट ट्रांसमिशन लि.***	भारत	100%	-	-	पारेषण

* 2 जनवरी, 2017 से सहायक कंपनी नहीं है

** अप्रैल, 2016 में ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड में ₹0.05 करोड़ की शेयर पूंजी अदा की गई है। तथापि, पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में निदेशक मंडल की संरचना के नियंत्रण के आधार पर कंपनी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में माना गया है।

*** दिनांक 28 मार्च, 2017 को पीएफसी कन्सल्टिंग लिमिटेड से मेदनीपुर जीराट ट्रांसमिशन लि. में शत-प्रतिशत इक्विटी का अधिग्रहण किया गया है।

ग्रिड कंडक्टर लि. को छोड़कर समेकन के लिए प्रयुक्त वित्तीय विवरण अनअंकेक्षित हैं।

46.1.1 दिनांक 25 मार्च, 2015 और 29 दिसम्बर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन 18/02/2015-पीजी द्वारा विद्युत मंत्रालय के सम्प्रेषण के अनुसरण में निदेशक मंडल ने 9 मार्च, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में पावर सिस्टम आपरेशन कार्पोरेशन लि. (पोसोको) में कंपनी द्वारा धारित ₹10 प्रत्येक के 3,06,40,000 इक्विटी शेयरों (शत-प्रतिशत शेयरधारिता) को भारत सरकार को बेचने और अंतरित करने का अनुमोदन दिया था। तदनुसार, ''बिक्री और बंद किए गए प्रचालन के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पत्तियां'' इंड-एएस 105 के अनुसार उपर्युक्त इक्विटी शेयरों में निवेश को 31 मार्च, 2016 को 'बिक्री के लिए धारित परिसम्पत्तियों' के रूप में दर्शाया गया था।

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 23.09.2016 के आदेश द्वारा 31 मार्च, 2013 को पोसोको के बही मूल्य पर उपर्युक्त इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिए प्रतिफल के प्रति पावरग्रिड को ₹81.21 करोड़ जारी करने के लिए स्वीकृति संसूचित की। कंपनी ने 30 सितम्बर, 2016 को बही मूल्य पर आधारित पोसोको में शेयरों के अंतरण के लिए प्रतिफल को प्रति ₹113.88 करोड़ के भुगतान के लिए भारत सरकार के पास उठाया है।

उपर्युक्त शेयरों को ₹81.21 करोड़ की प्राप्ति के पश्चात 2 जनवरी, 2017 को भारत सरकार को अंतरित कर दिया गया था। ₹32.67 करोड़ (अर्थात ₹113.38 करोड़ ₹81.21 करोड़) की शेष राशि के भुगतान के लिए विद्युत मंत्रालय के पास मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।

46.1.2 वर्ष के दौरान कंपनी ने मेदनीपुर-जीराट ट्रांसमिशन लि. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में ₹0.01 करोड़ का निवेश किया है। कंपनी का पीएफसी कन्सल्टिंग लि. से अधिग्रहण टैरिफ आधारित बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को चलाने के लिए दिनांक 28 मार्च, 2017 के शेयर खरीद करार द्वारा किया गया था। अंतरण के पश्चात मेदनीपुर जीराट ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

46.1.3 कंपनी ने पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लि., जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, में ₹25.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.05 करोड़) का और निवेश किया है।

46.1.4 कंपनी ने पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लि., जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी है, में ₹0.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.05 करोड़) और निवेश किया है।

46.1.5 कंपनी ने पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लि., जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, में ₹155.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) का और निवेश किया है।

46. अन्य कंपनियों में हित (जारी)

46.1.6 कंपनी ने पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लि., जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, में ₹1.00 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ शून्य करोड़) का और निवेश किया है।

46.1.7 कंपनी ने पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लि., जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, में ₹0.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) का और निवेश किया है।

46.1.8 कंपनी ने पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, में ₹12.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) का और निवेश किया है।

46.1.9 वर्ष के दौरान कंपनी ने ग्रिड कंडक्टर लि., जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, में ₹0.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) का निवेश किया है। तथापि, पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा निदेशक मंडल की संरचना के नियंत्रण के आधार पर कंपनी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी माना गया था।

46.1.10 कंपनी ने पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लि., जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, में ₹138.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) का और निवेश किया है। उपर्युक्त निवेश में ₹28 करोड़ की शेयर आवेदन राशि शामिल है।

46.2 संयुक्त उद्यम :

31 मार्च, 2017 को कंपनी के संयुक्त उद्यम नीचे दिए गए हैं, जो प्रबंधन की राय में कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं। नीचे सूचीबद्ध कंपनियों की शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं जो इसमें स्वामित्व हित द्वारा सीधे धारित, धारित मतदान अधिकारों के अनुपात में हैं :

(₹ करोड़ में)

कंपनी		व्यवसाय का स्थान	31 मार्च को शेयरधारिता का अनुपात (%)			31 मार्च को आगे ले जाए जाने वाली राशि			गतिविधि का स्वरूप
			2017	2016	2015	2017	2016	2015	
1	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	49	49	49	408.69	359.62	353.77	भूटान में ताला एचईपी के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली - अगस्त, 2016 से सफल प्रचालन के तहत
2	टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	भारत	26	26	26	26.48	27.56	27.01	सूरत में 1100 मेगावाट सुगन जेनरेटिंग परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली - मार्च, 2011 में क्रमिक रूप से चालू किया गया
3	जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	भारत	26	26	26	94.43	97.33	89.57	एचपी में करचाम-वांगटू में 1000 मेगावाट विद्युत परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली अप्रैल, 2012 से क्रमिक रूप से चालू किया गया
4	पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26	26	26	92.70	76.19	72.31	पार्बती-II (800 मेगावाट) और कोलडैम (800 मेगावाट) एचईपी से संबद्ध पारेषण लाइनें - नवम्बर, 2015 में क्रमिक रूप से चालू किया गया
5	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	26	26	26	93.65	66.15	46.69	सिक्किम में 1200 मेगावाट तीस्ता-III एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली
6	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26	26	26	98.45	90.32	78.75	त्रिपुरा में पल्लाताना में 726.6 मेगावाट गैस आधारित कम्बाइन्ड साइकिल विद्युत परियोजना से पारेषण प्रणाली फरवरी, 2015 में क्रमिक रूप के चालू किया गया।
7	नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लिमिटेड	भारत	20	21.64	20	29.97	23.44	21.66	उच्च विद्युत शार्ट सर्किट जांच सुविधा का सृजन करने के लिए
8	एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिज लिमिटेड*	भारत	-	13.63	25	-	32.75	27.85	ऊर्जा कुशलता, ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित व्यवसाय को करने और बढ़ावा देने के लिए

46. अन्य कंपनियों में हित (जारी)

(₹ करोड़ में)

कंपनी		व्यवसाय का स्थान	31 मार्च को शेयरधारिता का अनुपात (%)			31 मार्च को आगे ले जाए जाने वाली राशि			गतिविधि का स्वरूप
			2017	2016	2015	2017	2016	2015	
9	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	भारत	50	50	50	147.46	40.31	10.03	बिहार राज्य में अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली की स्थापना
10	कलिंग विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	भारत	50	50	50	-	0.01	0.01	ओडिशा राज्य में अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली की स्थापना
11	क्रास बार्डर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	26	26	26	18.19	15.20	6.10	मुज्जफरपुर से सुरसांद तक भारत-नेपाल क्रास बार्डर पारेषण लाइन के भारतीय भाग की स्थापना
12	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लिमिटेड	भारत	50	50	-	3.40	0.10	-	पारेषण लाइन टावर भाग संयंत्र के निर्माण की स्थापना
13	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	नेपाल	26	26	26	7.34	5.24	0.98	धालकेबर से बिट्टामोड तक भारत-नेपाल क्रास बार्डर पारेषण लाइन के नेपाल भाग की स्थापना

* 25 अप्रैल, 2016 से संयुक्त उद्यम नहीं रहा

(i) सभी संयुक्त उद्यम कंपनियां असूचीबद्ध कंपनियां है।

(ii) नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लि., पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड और आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लिमिटेड को छोड़कर समेकन के लिए प्रयुक्त वित्तीय विवरण अनअंकेक्षित हैं।

46.3.1 कंपनी ने बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड में ₹108.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹30.29 करोड़) का और निवेश किया है, संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें 50 प्रतिशत शेयर कंपनी द्वारा धारित है और शेष 50% शेयर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित हैं।

46.3.2 कंपनी ने क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में ₹2.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.38 करोड़) का और निवेश किया है, संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें कंपनी द्वारा 25% शेयर धारित है और शेष 74% शेयर आईएल एण्ड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी द्वारा धारित हैं।

46.3.3 कंपनी ने तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹27.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹26.10 करोड़) का और निवेश किया है, संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें कंपनी द्वारा 26% शेयर धारित हैं और शेष 74% शेयर तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड द्वारा धारित हैं।

46.3.4 कंपनी ने नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्रा. लिमिटेड में ₹6.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) का और निवेश किया है, संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें 20% शेयर कंपनी द्वारा धारित है, शेष 20% एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा धारित है, 20% शेयर एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा धारित हैं, 20% शेयर दामोदर वैली कार्पोरेशन द्वारा धारित है और 20% शेयर सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा धारित हैं।

46.3.5 कंपनी ने आरआईएनएल पावरग्रिड टीएनटी प्रा. लिमिटेड में ₹3.30 करोड़ (पिछले ₹0.10 करोड़) का और निवेश किया है, संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें 50% शेयर कंपनी द्वारा धारित हैं और शेष 50% शेयर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा धारित हैं।

46.3.6 वर्ष के दौरान, कपंनी ने एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) में आगे निवेश नहीं किया है जबकि अन्य अद्यमों ने अपना निवेश बढ़ाया है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की शेयरधारिता 13.63% से घटकर 4.87% (पिछले वर्ष 25.00% से 13.63%) रह गई है और ईईएसएल के बोर्ड में पावरग्रिड द्वारा नामंकित निदेशक ईईएसएल के बोर्ड के सदस्य नहीं रहें। इसलिए, 31 मार्च, 2017 को ईईएसएल संयुक्त नियंत्रित इकाई नहीं रही और इसे ओसीआई के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापा गया है। तदनुसार 31 मार्च, 2017 को समेकन करते समय इक्विटी लेखांकन के लिए विचार नहीं किया गया।

46.3.7 संयुक्त उद्यम के संबंध में वचनबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
संयुक्त उद्यमों का हिस्सा			
वचनबद्धता	220.21	493.84	579.59
आकस्मिक देयताएं	55.18	40.48	31.55
कुल वचनबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं	**275.39**	**534.32**	**611.14**

46.3.8 संयुक्त उद्यमों के लिए संक्षेप में वित्तीय सूचना

नीचे की तालिका में इन संयुक्त उद्यमों के लिए संक्षेप में वित्तीय सूचना प्रदान की गई है जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकट की गई सूचना संबद्ध संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई राशियों को दर्शाती है।

46. अन्य कंपनियों में हित (जारी)

संक्षेप में तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड			टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड			जेपी पावरग्रिड लिमिटेड			पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
चालू परिसम्पत्तियां												
नकद और नकद समकक्ष	0.08	0.29	2.61	0.41	1.23	0.60	2.99	4.73	14.51	43.99	26.99	20.18
अन्य परिसम्पत्तियां	265.65	219.57	220.37	37.42	32.94	26.83	58.88	61.75	58.98	93.84	39.47	58.87
कुल चालू परिसम्पत्तियां	**265.73**	**219.86**	**222.98**	**37.83**	**34.17**	**27.43**	**61.87**	**66.48**	**73.49**	**137.83**	**66.46**	**79.05**
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियां	**914.53**	**983.93**	**1,059.49**	**205.00**	**221.44**	**237.89**	**847.08**	**886.90**	**912.95**	**844.26**	**877.31**	**892.37**
चालू देयताएं												
वित्तीय देयताएं	118.68	124.54	108.00	30.45	21.95	21.97	67.85	71.06	84.69	74.40	112.32	115.97
अन्य देयताएं	38.61	28.02	27.52	0.56	0.58	0.52	19.09	0.29	6.15	1.88	1.31	1.93
कुल चालू देयताएं	**157.29**	**152.56**	**135.52**	**31.01**	**22.53**	**22.49**	**86.94**	**71.35**	**90.84**	**76.28**	**113.63**	**117.90**
गैर-चालू देयताएं												
वित्तीय देयताएं	156.64	176.78	267.32	81.66	102.02	122.38	363.24	422.65	481.43	542.09	536.57	574.91
अन्य देयताएं	32.26	140.54	157.65	28.30	25.05	16.55	95.59	85.04	69.68	7.17	0.53	0.49
कुल गैर-चालू देयताएं	188.90	317.32	424.97	109.96	127.07	138.93	458.83	507.69	551.11	549.26	537.10	575.40
निवल परिसम्पत्तियां	834.07	733.91	721.98	101.86	106.01	103.90	363.18	374.34	344.49	356.55	293.04	278.12

(₹ करोड़ में)

विवरण	नार्थ ईस्ट ट्रांसमेशन लिमिटेड			नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्र. लिमिटेड			एनर्जी एफिसिएंसी सर्विस लिमिटेड		बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड			कलिंगा बिदुयत प्रसारण निगम प्रा. लि.		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
चालू परिसम्पत्तियां														
नकद और नकद समकक्ष	55.28	230.49	229.21	0.57	9.22	-	244.97	35.20	16.44	16.72	0.26	0.01	0.01	0.01
अन्य परिसम्पत्तियां	182.40	33.01	13.46	43.27	2.76	24.11	637.91	128.51	2.66	2.64	1.13	-	-	-
कुल चालू परिसम्पत्तियां	**237.68**	**263.50**	**242.67**	**43.84**	**11.98**	**24.11**	**882.88**	**163.71**	**19.10**	**19.36**	**1.39**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियां	1,803.70	1,912.25	2,001.68	326.98	258.80	210.31	610.71	148.23	1,362.49	568.30	66.44	1.17	1.16	1.16
चालू देयताएं														
वित्तीय देयताएं	195.29	248.08	209.42	-	-	-	690.13	99.37	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताएं	0.33	0.28	39.02	47.57	16.58	6.29	30.79	6.63	257.60	205.01	9.29	1.17	1.16	1.16
कुल चालू देयताएं	**195.62**	**248.36**	**248.44**	**47.57**	**16.58**	**6.29**	**720.92**	**106.00**	**257.60**	**205.01**	**9.29**	**1.17**	**1.16**	**1.16**
गैर-चालू देयताएं														
वित्तीय देयताएं	1,414.05	1,527.18	1,640.24	173.30	145.23	119.82	331.39	91.60	826.70	302.04	38.49	-	-	-
अन्य देयताएं	53.02	52.83	52.79	0.12	0.66	-	2.98	2.95	2.38	-	-	-	-	-
कुल गैर-चालू देयताएं	**1,467.07**	**1,580.01**	**1,693.03**	**173.42**	**145.89**	**119.82**	**334.37**	**94.55**	**829.08**	**302.04**	**38.49**	**-**	**-**	**-**
निवल परिसम्पत्तियां	**378.69**	**347.38**	**302.88**	**149.83**	**108.31**	**108.31**	**438.30**	**111.39**	**294.91**	**80.61**	**20.05**	**0.01**	**0.01**	**0.01**

46. अन्य कंपनियों में हित (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	क्रॉस बार्डर ट्रांसमिशन लिमिटेड			आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लिमिटेड			पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड			तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
चालू परिसम्पत्तियां												
नकद और नकद समकक्ष	22.56	2.08	4.40	0.16	0.17	-	11.21	0.64	6.99	46.67	93.11	51.34
अन्य परिसम्पत्तियां	53.23	48.69	5.24	-	-	-	2.81	3.63	3.63	6.82	6.79	1.38
कुल चालू परिसम्पत्तियां	75.79	50.77	9.64	0.16	0.17	-	14.02	4.27	10.62	53.49	99.90	52.72
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियां	**210.01**	**221.65**	**151.94**	**7.69**	**0.65**	**-**	**82.39**	**73.55**	**30.61**	**1308.04**	**963.35**	**723.07**
चालू देयताएं												
वित्तीय देयताएं	28.85	61.98	26.75	-	-	-	7.44	11.71	14.68	43.29	94.27	0.86
अन्य देयताएं	9.88	0.76	0.73	1.05	0.62	-	2.17	0.36	-	88.29	44.21	40.90
कुल चालू देयताएं	**38.73**	**62.74**	**27.48**	**1.05**	**0.62**	**-**	**9.61**	**12.07**	**14.68**	**131.58**	**138.48**	**41.76**
गैर-चालू देयताएं												
वित्तीय देयताएं	172.74	146.80	106.00	-	-	-	54.58	45.58	14.36	869.40	670.00	536.24
अन्य देयताएं	4.36	4.43	1.22	-	-	-	-	-	-	0.36	0.34	18.21
कुल गैर-चालू देयताएं	177.10	151.23	107.22	-	-	-	54.58	45.58	14.36	869.76	670.34	554.45
निवल परिसम्पत्तियां	69.97	58.45	26.88	6.80	0.20	-	32.22	20.17	12.19	360.19	254.43	179.58

आगे ले लाए जाने वाली राशियों के लिए मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड		जेपी पावरग्रिड लिमिटेड		पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लिमिटेड		तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अथ निवल परिसम्पत्तियां	733.91	721.98	106.01	103.90	374.34	344.49	293.04	278.12	347.38	302.88	108.31	108.31	254.43	179.58
जेवी साझीदारों द्वारा निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.52	-	104.47	75.23
वर्ष के लिए लाभ	195.78	121.76	3.45	8.07	50.24	51.49	71.79	14.88	31.56	93.97	-	-	1.29	(0.38)
अन्य विस्तृत आय	0.14	(0.01)	(0.02)	0.00	(0.02)	0.04	(0.07)	0.04	(0.12)	0.06	-	-	-	-
अदा किया गया लाभांश	95.76	109.82	7.58	5.96	61.38	21.68	8.21	-	-	49.53	-	-	-	-
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.13)	-	-	-	-	-
बंद निवल परिसपत्तियां	834.07	733.91	101.86	106.01	363.18	374.34	356.55	293.04	378.69	347.38	149.83	108.31	360.19	254.43
समूह का हिसा % में	49%	49%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	20%	21.64%	26%	26%
भारतीय रुपए में समूह का हिस्सा	408.69	359.62	26.48	27.56	94.43	97.33	92.70	76.19	98.45	90.32	29.97	23.44	93.65	66.15
आगे ले जाने वाली राशि	408.69	359.62	26.48	27.56	94.43	97.33	92.70	76.19	98.45	90.32	29.97	23.44	93.65	66.15

46. अन्य कंपनियों में हित (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिस लिमिटेड	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		कलिंग विद्युत प्रसारण निगम प्रा. लि.		क्रांस बार्डर ट्रांसमिशन लिमिटेड		आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलआी प्रा. लिमिटेड		पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लि.	
	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अथ निवल परिसम्पत्तियां	111.39	80.61	20.05	0.01	0.01	58.45	26.88	0.20	0.00	20.17	12.19
जेवी साझीदारों द्वारा निवेश	273.00	216.39	60.56	-	-	8.81	17.25	6.6	0.2	4	6.56
वर्ष के लिए लाभ	57.20	(2.09)	-	-	-	13.86	14.32	-	-	8.05	1.42
अन्य विस्तृत आय	(0.02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अदा किया गया लाभांश	3.29	-	-	-	-	11.15	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बंद निवल परिसपत्तियां	438.30	294.91	80.61	0.01	0.01	69.97	58.45	6.80	0.20	32.22	20.17
समूह का हिसा % में	13.63%	50%	50%	50%	50%	26%	26%	50%	50%	26%	26%
भारतीय रुपए में समूह का हिस्सा	32.75	147.46	40.31	0.01	0.01	18.19	15.20	3.40	0.10	7.34	5.24
आगे ले जाने वाली राशि	32.75	147.46	40.31	0.00	0.01	18.19	15.20	3.40	0.10	7.34	5.24

लाभ और हानि का संक्षेप में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड		जेपी पावरग्रिड लिमिटेड		पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लिमिटेड	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
प्रचालनों के राजस्व	150.66	164.09	38.98	54.24	171.41	171.14	160.28	147.04	384.71	402.69	-	-
अन्य आय	12.12	14.36	2.26	2.52	3.81	2.87	70.16	5.45	9.80	15.69	-	-
कुल आय	162.78	178.45	41.24	56.76	175.22	174.01	230.44	152.49	394.51	418.38	-	-
व्यापार में स्टाक की खरीद												
कर्मचारी हितलाभ व्यय	7.07	6.68	1.19	1.01	3.26	3.13	3.70	3.38	2.86	2.10	-	-
वित्त लागतें	20.96	30.77	11.41	14.53	54.03	62.39	103.14	78.85	229.13	201.47	-	-
मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	-	-	16.45	16.45	53.04	53.11	28.02	47.81	114.31	112.50	-	-
पारेषण, प्रशासन और अन्य व्यय	7.93	11.28	3.14	3.29	4.21	5.16	3.86	3.59	9.62	8.34	-	-
कुल व्यय	35.96	48.73	32.19	35.28	114.54	123.79	138.72	133.63	355.92	324.41	-	-
कर व्यय	(68.96)	7.96	5.60	13.41	10.44	(1.27)	19.93	3.98	7.03		-	-
वर्ष के लिए लाभ	195.78	121.76	3.45	8.07	50.24	51.49	71.79	14.88	31.56	93.97	-	-
अन्य विस्तृत आय	0.14	(0.01)	(0.02)	-	(0.02)	0.04	(0.07)	0.04	(0.12)	0.06	-	-
कुल विस्तृत आय	195.92	121.75	3.43	8.07	50.22	51.52	71.72	14.92	31.44	94.03	-	-
प्राप्त लाभांश	46.92	53.82	1.97	1.55	15.96	5.63	2.13	-	-	10.69	-	-

46. अन्य कंपनियों में हित (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिस लिमिटेड	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		कलिंगा बिदुयत प्रसारण निगम प्रा. लिमिटेड		क्रॉस बार्डर ट्रांसमिशन लिमिटेड		आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लिमिटेड		पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लि.		तीस्तावैली ट्रांसमिशन लिमिटेड	
	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
प्रचालनों के राजस्व	806.81	0.76	-	-	-	5.60	96.25	-	-	16.14	2.16	5.87	-
अन्य आय	23.23	0.01	-	-	-	35.58	19.84	-	-	0.10	-	0.05	-
कुल आय	830.04	0.77	-	-	-	41.18	116.09	-	-	16.24	2.16	5.92	-
व्यापार में स्टाक की खरीद	482.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
कर्मचारी हितलाभ व्यय	12.78	0.02	-	-	-	1.20	1.19	-	-	0.37	0.04	-	-
वित्त लागतें	13.88	0.16	-	-	-	18.35	15.00	-	-	2.75	0.27	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	17.55	0.23	-	-	-	0.01	0.02	-	-	1.31	-	-	-
पारेषण, प्रशासन और अन्य व्यय	233.45	0.01	-	-	-	4.00	81.89	-	-	0.38	0.07	4.31	0.38
कुल व्यय	760.30	0.42	-	-	-	23.56	98.10	-	-	4.81	0.38	4.31	0.38
कर व्यय	12.54	2.44	-	-	-	3.76	3.67	-	-	3.38	0.36	0.32	-
वर्ष के लिए लाभ	57.20	(2.09)	-	-	-	13.86	14.32	-	-	8.05	1.42	1.29	(0.38)
अन्य विस्तृत आय	(0.02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल विस्तृत आय	57.18	(2.09)	-	-	-	13.86	14.32	-	-	8.05	1.42	1.29	(0.38)
प्राप्त लाभांश	-	-	-	-	-	2.90	-	-	-	-	-	-	-

47. ईस्ट साउथ इन्टर कनेक्टर-II ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट (ईएसआई) और सासाराम ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट (एसटीपी) के लिए की गई आपूर्ति के संबंध में ₹209.99 करोड़ का माने गए निर्यात के नकद समकक्ष का लाभ लिया गया था, ईएसआई परियोजना के संबंध में संपूर्ण आपूर्ति और एसटीपी परियोजना के संबंध में मार्च, 2000 से पूर्व आपूर्ति के लिए विश्व बैंक ऋण की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 2002-03 के दौरान विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार से निदेश के अनुसार सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को अदा कर दिया गया था और इसे खाता बहियों में पूंजीकृत किया गया था। उसके पश्चात विश्व बैंक ने ईएसआई और एसटीपी दोनों परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जैसा कि मूल रूप से परिकल्पना की गई थी और वे माने गए निर्यात लाभ के लिए पात्र हो गए। इसके फलस्वरूप, कंपनी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास दावे दायर किए हैं।

इस संबंध में 31 मार्च, 2017 तक प्राप्त संचयी राशि और विपूंजीकृत राशि ₹12.12 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹12.12 करोड, 1 अप्रैल, 2015 को ₹12.12 करोड़) है। कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को ₹197.87 करोड़ के शेष (31 मार्च, 2016 को ₹197.87 करोड; 1 अप्रैल, 2015 को ₹197.87 करोड़) सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से इसकी संबंधित परिसम्पत्तियों/परियोजना की लंबित प्राप्ति को पूंजीगत लागत में दर्शाना जारी रखा।

48. क) परिसम्पत्तियों के तहत दर्शाए गए व्यापार प्राप्य और वसूली योग्य और देयताओं के तहत दर्शाए गए अन्य देय के शेषों में पुष्टि/मिलान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन शेष शामिल हैं, तथापि, मिलान जारी आधार पर किए जा रहे है।

ख) प्रबंधन की राय में परिसिम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर को छोड़कर किन्हीं परिसम्पत्तियों का मूल्य और व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्राप्ति पर गैर-चालू निवेश मूल्य से कम नहीं होंगे जिस पर उन्हें तुलनपत्र में बताया गया है।

49. लागत जमा परामर्शी संविदाओं के संबंध में सूचना, इनको ''निर्माण संविदा'' इंड एएस-11 के तहत तथा अपेक्षित परामर्शी व्यवसाय के रूप में मानते हुए, निम्नानुसार प्रदान की गई है :

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i)	लागत जमा परामर्शी संविदा कार्यों पर पहचानी गई राजस्व की राशि	494.82	360.02
ii)	**पहचान किए गए संविदा राजस्व को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त विधियां** निष्पादनकारी एजेंसियों को अवार्ड चरण तक कुल परामर्शी फीस का 15% (जिसमें से 10% तक निविदाएं आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करने), आपूर्ति सहित कार्य की प्रगति के साथ 85% (कार्य की प्रगति को प्रभारी इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित लिया जाता है)।	लेखांकन नीति -2.18	लेखांकन नीति -2.18
iii)	निर्माण संविदाओं पर लागत खर्च की संचयी राशि	18426.50	16057.72
iv)	वर्ष के अंत में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की संचयी राशि	20715.04	18167.29
v)	वर्ष के अंत में ग्राहकों के पास प्रतिधारण धन की राशि	16.01	14.95
vi)	वर्ष के अंत में परिसम्पत्ति के रूप में संविदा कार्यों के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि	162.29	25.97
vii)	वर्ष के अंत में देयता के रूप में संविदा कार्यों के लिए ग्राहकों को देय सकल राशि	2274.79	2289.82

50. कंपनी को 01 जुलाई, 2011 से शुरू किए गए पीओसी (कनेक्शन का बिन्दु) प्रभारों के तंत्र के माध्यम से सभी आईएसटीएस (अन्तरराज्यीय पारेषण प्रणाली) लाइसेंसधारियों की ओर से पारेषण प्रभारों की बिलिंग संग्रहण और संवितरण (बीसीडी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसमें विद्युत मंत्राय द्वारा विद्युत के मेगावाट आवंटन पर आधारित पुराने तंत्र के स्थान पर अनुमोदित निकासी/इंजेक्शन पर आधारित बिलिंग शामिल है। इस तंत्र द्वारा कंपनी का राजस्व अप्रभावित बना रहेगा।

पीओसी तंत्र द्वारा रुष्ट कुछ लाभभोगियों ने भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपील दायर की है। कंपनी द्वारा अपील पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार ऐसी सभी अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय को अंतरित कर दी गई हैं और कंपनी ने विरोध करने वाले राज्यों को मामले का निपटान लंबित होने तक नई रूपात्मकता के अनुसार पूरे पारेषण प्रभार अदा करने के लिए निदेश हेतु अनुरोध किया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त सभी लाभभोगियों को भुगतान जारी करने का निदेश दिया है और तदनुसार, लाभभोगियों ने उक्त निदेशों के अनुसार भुगतान करना शुरू कर दिया है।

51. (i) ₹810.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1841.03 करोड़ की हानि) के एफईआरवी लाभ को परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर/प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) है प्राप्यों की संबंधित आगे ले जाए जाने वाले राशि में समायोजित किया गया है।

(ii) ₹31.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.51 करोड़ की हानि) के लाभ की लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई है।

52. ₹31.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.51 करोड़ की हानि) के लाभ की लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई है।

53. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर कुछ आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत सूक्ष्म, लघु या माध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत हैं। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 द्वारा यथा अपेक्षित सूक्ष्म उद्यमों के संबंध में सूचना निम्नानुसार दी जाती हैं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त रही मूलधन राशि और इस पर देय ब्याज :		
	मूलधन	0.50	शून्य
	ब्याज	शून्य	शून्य
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत दिन के परे आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि सहित एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
3	एमएसएमईडी अधिनियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने में देरी की अवधि (जो अदा किया गया है परन्तु वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) के लिए बकाय और देय ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित और अदत्त रहे ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
5	अगले वर्षों में भी बकाया और देय और ब्याज की राशि ऐसी तारीख तब जब उपरोक्तानुसार लघु उद्यम को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत घटाने योग्य व्यय के रूप में अस्वीकार करने प्रयोजन से वास्तविक रूप से अदा किए जाते हैं	शून्य	शून्य

54. इंड एएस 17-''पट्टे'' के अनुसार प्रकटन

क) वित्त पट्ट

अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां और अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में पट्टा प्राप्य शामिल हैं जो राज्य क्षेत्र के यूएलडीसी के संबंध में संघटकों के साथ कंपनी द्वारा किए गए वित्त लेन-देनों पर भविष्य के पट्टा किराया प्राप्यों के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित इंड एएस-17''पट्टों'' की अपेक्षाओं का प्रकटन निम्नानुसार दिया गया है :

(i) पट्टा प्राप्यों का मिलान (प्रस्तुत परियोजना लागत डाटा/टैरिफ निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अनुमोदित) निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
	अधिग्रहीत और वर्ष में पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों का सकल मूल्य	1493.26	1353.88	1299.36
जोड़े	वर्ष के शुरू में से पूर्व अधिग्रहित परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य के लिए समायोजन	1.26	(18.13)	21.92
	वर्ष के शुरू में परिसम्पत्तियों का संशोधित सकल मूल्य	1494.52	1335.75	1321.28
घटाएं	वर्ष के शुरू तक प्रदान की गई पूंजी वसूली	869.44	782.26	706.45
जोड़े	वर्ष के शुरू से पूर्व अधिग्रहीत परिसम्पत्तियों के लिए पूंजी वसूली	1.51	(1.30)	6.65
	वर्ष के शुरू तक प्रदान की गई संशोधित पूंजी वसूली	870.95	780.96	713.10
	पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को बकाया पूंजी वसूली	623.57	554.79	608.18
जोड़े	चालू वर्ष के दौरान अधिग्रहीत और पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों का सकल मूल्य	87.19	157.51	32.60
घटाएं	चालू वर्ष के लिए पूंजी वसूली	99.64	88.49	69.16
	वर्ष के अंत में पट्टा प्राप्य	611.12	623.81	571.62

(ii) पट्टे में सकल निवेश के ब्यौरे और वित्तीय वर्ष अंत में न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
पट्टे में सकल निवेश	1982.50	1778.67	1535.98
अनुपार्जित वित्त आय	1371.38	1154.86	964.37
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	611.12	623.81	571.62

(iii) ऐसे पट्टों की संविदात्मक परिपक्वता का मूल्य निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	पट्टे में सकल निवेश			एमएलपी का वर्तमान मूलय		
	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	143.99	162.37	116.93	70.94	82.72	73.68
एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं	468.22	415.23	415.45	177.27	189.70	212.84
पांच वर्ष से अधिक	1370.29	1201.07	1003.60	362.91	351.39	285.10
कुल	**1982.50**	**1778.67**	**1535.98**	**611.12**	**623.81**	**571.62**

(iv) लेखा और रिकॉर्ड के अनुसार निम्न के कारण वर्ष के अंत में प्राप्य पट्टा शेष में ये अंतर हैं :

(क) ₹66.41 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹68.52 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹17.33 करोड़) की अभुक्त देयताएं : इस तरह की लागत ऐसी देयताओं के निर्वहन पर ही परियोजना लागत का बनेगी।

(ख) पट्टा प्राप्य में शामिल ₹28.65 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹57.79; 1 अप्रैल, 2015 को ₹61.14 करोड़) के ऋणों पर अपरिशोधित एफईआरवी। ऐसी एफईआरवी की वास्तविक भुगतान आधार पर टैरिफ के रूप में वसूल किए जाने की अनुमति है।

ख) प्रचालनरत पट्टे :

कंपनी की उल्लेखनीय व्यवस्था कर्मचारियों के रिहायशी प्रयोग के लिए परिसर, कार्यालय और अतिथि गृह/मार्गस्थ कैम्प के प्रचालनरत पट्टों के संबंध में है जो आमतौर से परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं परन्तु गैर-रद्द करने योग्य नहीं है। कर्मचारी हितलाभ व्यय में कर्मचारियों के रिहायशी प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतान, वसूलियों को घटाकर ₹40.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹40.59 करोड़) शामिल हैं। कार्यालयों के लिए परिसर और अतिथि गृह/मार्गस्थ कैम्प के संबंध में ₹12.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹10.36 करोड़) के पट्टा भुगतानों को नोट 42 - अन्य व्यय में किराया शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।

55. विदेशी करेंसी एक्सपोजर

डेरीवेटिव लिखित या अन्यथा द्वारा बचाव नहीं किया गया है

विवरण		विदेशी करेंसी में राशि (करोड़ में)			राशि (₹ करोड़ में)		
		31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
उधार	अमरीकी डालर	418.09	416.87	412.01	27481.07	27888.87	26034.82
	यूरो	24.26	11.17	4.33	1710.32	848.22	297.12
	एसईके	300.85	314.14	250.27	2220.25	2591.68	1841.97
	जापानी येन	181.77	199.95	218.13	107.01	119.47	115.04
एजेंसी फीस, वचनबद्धता फीस और अन्य प्रभार सहित उपार्जित ब्याज परन्तु उस पर देय नहीं	अमरीकी डालर	1.81	1.33	0.94	118.78	88.86	59.54
	यूरो	0.10	0.02	0.02	7.03	1.64	1.04
	एसईके	1.04	0.60	1.16	7.69	4.97	8.51
	जापानी चेन	0.46	0.52	0.55	0.27	0.31	0.29
व्यापार देय/जमा और प्रतिधारण धन	अमरीकी डालर	13.70	8.54	10.79	7230.26	571.16	679.18
	यूरो	1.01	1.70	7.92	40.12	128.85	543.53
	एसईके	23.42	19.81	114.61	172.14	163.40	843.58
	सीएचएफ	0.19	0.00	0.03	12.23	0.00	1.51
	जीबीपी	-	1.19	0.64	-	114.64	58.71
व्यापार प्राप्य और बैंक शेष	अमरीकी डालर	0.08	0.08	0.22	4.90	5.37	13.78
	एनपीआर	0.05	0.09	0.07	0.03	0.06	0.04
	यूरो	0.01	-	-	0.53	-	-
निष्पन्न किए जाने वाले शेष संविदाओं की राशि	अमरीकी डालर	36.24	50.18	23.44	2376.17	3357.27	1480.92
	यूरो	28.53	8.15	10.00	1996.27	618.45	685.64
	एसईके	165.46	0.40	25.80	1174.80	3.30	189.89
	सीएचएफ	0.01	0.12	0.90	0.87	8.62	54.14
	जीबीपी	12.47	15.38	18.66	993.76	1481.71	1709.07
	जेपीवाई	866.45	-	-	507.74	-	-

56. विनियामककारी आस्फगित खाता शेषों से संबंधित प्रकटन

कंपनी मुख्यतः विद्युत के पारेषण का व्यवसाय कर रही है। विद्युत के पारेषण के लिए टैरिफ, टैरिफ विनियमों के माध्यम से सीआईआरसी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। टैरिफ सीईआरसी द्वारा स्वीकार्य पूंजी लागत पर आधारित हैं और ये पूंजी पर प्रतिफल, ऋण पूंजी पर ब्याज, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन तथा अनुरक्षण व्ययों की वार्षिक निश्चित लागत के पारेषण प्रभार वसूली के लिए प्रावधान करते हैं।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार पूंजी लागत के रूप में लाभभोगियों के वसूली योग्य/देय सीमा तक विदेशी करेंसी में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों (गैर-चालू ऋणों को छोड़कर) के निपटान/ट्रांसमिशन के लिए निर्माण अवधि के दौरान उठने वाले एफईआरवी को विनियामककारी आस्थगित खाता शेषों के रूप में हिसाब में लिया जाता है। 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात निकासी किए गए दीर्घकालिक विदेशी करेंसी ऋणों के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूली योग्य सीमा तक विनिमय अंतर को विनियामककारी आस्थगित खाता शेषों के रूप में पहचान जाता है। कंपनी ऋण की वापसी-अदायगी पर विनिमय दर घट-बढ़ के रूप में या परिसम्पत्ति के जीवन के दौरान टैरिफ के मूल्यह्रास के संघटक के माध्यम से इन राशियों को वसूल करने की आशा करती है।

56. विनियामककारी आस्पगित खाता शेषों से संबंधित प्रकटन जारी

1 जनवरी, 2017 से प्रभावी वेतन संशोधन के प्रभाव पर सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014 के तहत प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रभारों की वसूली के लिए मानदण्ड निर्धारित करते समय विचार नहीं किया गया था, जो 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए वैध हैं। इंड एएस 114 'विनियामककारी आस्थगित खाते सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014 के प्रावधानों के ध्यान में रखते हुए कंपनी ने विनियामककारी आस्थगित खाता शेषों के तहत बाद की अवधियों में लाभभोगियों से वसूली योग्य के रुप में ₹103.18 करोड़ पहचान की है। इन शेषों को सीईआरसी के अनुमोदन के अनुसार लाभभोगियों से वर्ष, जिसमें वे वसूली योग्य हो जाते हैं, में समायोजित किया जाना होता है।

भविष्य की अवधियों में लाभभोगियों से वसूल किए जाने वाले विनियामक आस्थगित खाता शेषों (परिसम्पत्तियों) की खातों में पहचान की जाती है, निम्नानुसार हैं :

विवरण	विनियमित परिसम्पत्तियां (₹ करोड़ में)
क. 1 अप्रैल, 2015 को अथ शेष	37.72
ख. वर्ष के दौरान वृद्धि/(कटौती)	(0.05)
ग. वर्ष के दौरान एकत्रित/प्रतिदाय की गई राशि	शून्य
घ. लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई विनियमित आय/(व्यय)	(0.05)
ङ 31 मार्च, 2016 को बंद शेष	37.67
च. 1 अप्रैल, 2016 को अथ शेष	37.67
छ. वर्ष के दौरान वृद्धि/(कटौती)	69.93
ज. वर्ष के दौरान एकत्रित/प्रतिदाय की गई राशि	शून्य
झ. लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई विनियमित आय/(व्यय)	69.93
झ. 31 मार्च, 2017 को बंद शेष	107.60

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली टैरिफ अवधि से परे टैरिफ विनियमों में किसी परिवर्तन का विनियामककारी आस्थगित खाता शेषों की वसूली पर प्रभाव हो सकता है।

57. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय (सीएसआर)

डीपीआई दिशानिर्देश सं. एफ. सं. 15(13)/2013-डीपीई(जीएम) के साथ पठित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियम, 2014 सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार इसकी सीएसआर नीति के अनुसार कंपनी को तत्काल तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बनाए गए कंपनी के औसत निवल लाभों का कम से कम दो प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर ₹147.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹115.78 करोड़) खर्च किए हैं।

58. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के तहत यथा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना :

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल परिसम्पत्तियां अर्थात कुल देयताएं घटाकर परिसम्पत्तियां						लाभ या हानि में हिस्सा				अन्य विस्तृत आय में हिस्सा				कुल विस्तृत आय में हिस्सा			
	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016		1 अप्रैल, 2015		2016-17		2015-16		2016-17		2015-16		2016-17		2015-16	
	समेकित निवल परिसम्पत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसम्पत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसम्पत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित ओसीआई % के रूप में	राशि	समेकित ओसीआई के % के रूप में	राशि	समेकित कुल विस्तृत आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल विस्तृत आय के % के रूप में	राशि
मूल																		
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	97.26%	48498.56	97.97%	43075.61	97.34%	38469.38	98.63%	7348.50	98.02%	5840.48	99.98%	49.83	100.25%	(11.97)	98.64%	7398.33	98.01%	5828.51
सहायक कंपनियां																		
भारतीय																		
पावर सिस्टम आपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड*	-	-	-	-	0.65%	257.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	(0.07)	-	-	0.00%	(0.02)	0.00%	(0.07)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.02)	0.00%	(0.07)
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.15	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	1.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लि.	0.28%	140.61	0.05%	21.55	0.05%	21.55	(0.25%)	(18.94)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	(0.25%)	(18.94)	0.00%	-
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.10	0.00%	0.05	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
पावरग्रिड साऊदर्न इन्टरकनेक्टर ट्रांसमिशन लि.	0.00%	0.03	0.00%	0.05	-	-	0.00%	(0.02)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.02)	0.00%	-
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लि.	0.03%	12.90	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	(0.05)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.05)	0.00%	-
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लि.	(0.04%)	(19.38)	(0.04%)	(19.38)	(0.05%)	(19.37)	0.00%	-	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.04%	-	0.00%	-	0.00%	(0.01)
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लि.	0.37%	184.27	0.13%	57.70	0.14%	54.73	(0.29%)	(21.81)	0.05%	2.97	0.00%	-	0.00%	-	-0.29%	(21.81)	0.05%	2.97
पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लि.	0.05%	26.42	0.00%	0.05	-	-	0.02%	1.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.02%	1.32	0.00%	-
मेदिनीपुर जीराट ट्रांसमिशन लि.	0.00%	0.01	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

58. कम्पनी अधिसमेत, 2013 की अनुसूची III के तहत अथा-अपेक्षित अतिरिक्त सूचक

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल परिसम्पत्तियां अर्थात कुल देयताएं घटाकर परिसम्पत्तियां						लाभ या हानि में हिस्सा				अन्य विस्तृत आय में हिस्सा				कुल विस्तृत आय में हिस्सा			
	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016		1 अप्रैल, 2015		2016-17		2015-16		2016-17		2015-16		2016-17		2015-16	
	समेकित निवल परिसम्पत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसम्पत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसम्पत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित ओसीआई % के रूप में	राशि	समेकित ओसीआई के % के रूप में	राशि	समेकित कुल विस्तृत आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल विस्तृत आय के % के रूप में	राशि
भारतीय																		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.	0.82%	408.69	0.82%	359.62	0.90%	353.77	1.29%	95.93	1.00%	59.66	0.14%	0.07	0.00%	-	1.28%	96.00	1.00%	59.66
टोरेंट पावरग्रिड लि.	0.05%	26.48	0.06%	27.56	0.07%	27.01	0.01%	0.90	0.04%	2.10	(0.02%)	(0.01)	0.00%	-	0.01%	0.89	0.04%	2.10
जेपी पावरग्रिड लि.	0.19%	94.43	0.22%	97.33	0.23%	89.57	0.18%	13.06	0.22%	13.39	6.02%	(0.01)	0.00%	0.01	0.17%	13.05	0.23%	13.40
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लि.	0.19%	92.70	0.17%	76.19	0.18%	72.31	0.25%	18.67	0.06%	3.87	(0.02%)	(0.01)	(0.08%)	0.01	0.25%	18.66	0.07%	3.88
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लि.	0.19%	93.65	0.15%	66.15	0.12%	46.69	0.00%	0.34	0.00%	(0.10)			0.00%	-	0.00%	0.34	0.00%	(0.10)
नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लि.	0.20%	98.45	0.21%	90.32	0.20%	78.75	0.11%	8.21	0.41%	24.43	(0.08%)	(0.03)	(0.17%)	0.02	0.11%	8.17	0.41%	24.45
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लि.	0.06%	29.97	0.05%	23.44	0.05%	21.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेस लि.**	0.00%	-	0.07%	32.75	0.07%	27.85	0.00%	-	0.13%	7.80	0.00%	-	0.08%	(0.01)	0.00%	-	0.13%	7.79
बिहार ग्रिड कंपनी लि.	0.30%	147.46	0.09%	40.31	0.03%	10.03	(0.01%)	(1.05)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	(0.01%)	(1.05)	0.00%	-
कलिंगा बिदुयत प्रसारण निगम प्रा. लि.	0.00%	0.00	0.00%	0.01	0.00%	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
क्रास बार्डर ट्रांसमिशन लि.	0.04%	18.19	0.03%	15.20	0.02%	6.10	0.05%	3.60	0.06%	3.72	0.00%	-	0.00%	-	0.05%	3.60	0.06%	3.72
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लि.	0.01%	3.40	0.00%	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
विदेशी																		
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लि.	0.01%	7.34	0.01%	5.24	0.00%	0.98	0.03%	2.09	0.01%	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.03%	2.09	0.01%	0.37
कुल	**100.00%**	**49865.50**	**100.00%**	**43969.93**	**100.00%**	**39518.70**	**100.00%**	**7450.73**	**100.00%**	**5958.61**	**100.00%**	**49.84**	**100.00%**	**(11.94)**	**100.00%**	**7500.57**	**100.00%**	**5946.67**

*2 जनवरी, 2017 से सहायक कंपनी नहीं है

** 25 अप्रैल, 2016 से संयुक्त उद्यम नहीं है।

59. जिसमें सामान्य कर मै क्रेडिट का भुगतान करने की अनिश्चितता को ध्यान में रखा गयी हो, अस्ति के रुप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

60. उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016		1 अप्रैल, 2015	
श्रेणी द्वारा वित्तीय लिखतें	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां						
निवेश						
इक्विटी साधन						
- पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹10 प्रत्येक के 12000006 शेयर)*	112.08	-	76.80	-	97.08	-
- एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिस लि. (₹10 प्रत्येक के 22500000 शेयर)**	29.62	-	-	-	-	-
सरकारी प्रतिभूतियां						
- 8.5% बांड	-	2.50	-	7.50	-	192.92
व्यापार प्राप्य	-	3131.93	-	2739.47	-	2132.06
ऋण	-	172.18	-	175.81	-	173.14
नकद और नकदी समकक्ष	-	3241.45	-	1543.59	-	2491.19
बैंक शेष	-	270.41	-	913.09	-	341.95
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां						
चालू	-	3254.57	-	3341.65	-	2558.95
गैर-चालू	-	635.32	-	667.45	-	576.41
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**141.70**	**10708.36**	**76.80**	**9388.56**	**97.08**	**8466.62**
वित्तीय देयताएं						
उधार	-	122180.12	-	111233.52	-	97341.08
व्यापार देय	-	413.98	-	313.89	-	392.97
अन्य वित्तीय देयताएं						
चालू	-	10382.99	-	9466.64	-	9896.47
गैर-चालू	-	474.60	-	870.99	-	655.41
कुल वित्तीय देयताएं	-	**133451.69**	**-**	**121885.04**	**-**	**108285.93**

* पीटीसी लि. में निवेश सूचीबद्ध इक्विटी होने के कारण स्तर-1 उचित मूल्य अनुक्रम है।

** एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिस लि. में निवेश स्तर-2 उचित मूल्य अनुक्रम है।

यह अनुभाग वित्तीय लिखतें, जो परिशोधित पर मापी जाती हैं, के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में निर्णयों और अनुमानों की व्याख्या करता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य प्रकट किए जाते हैं। उचित मूल्य निर्धारित करने में प्रयुक्त इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत प्रदान करने के लिए कंपनी ने लेखांकन मानक के तहत विनिर्धारित तीन स्तरों में अपनी वित्तीय लिखतों को वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका के नीचे दिया गया है।

60. उचित मूल्य मापन (जारी)

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियां और देयताएं जो परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किए जाते हैं	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
31 मार्च, 2017 को				
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
निवेश				
8.5% बांड	-	2.55	-	2.55
ऋण				
कर्मचारियों को ऋण	-	195.27	-	195.27
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**197.82**	**-**	**197.82**
वित्तीय देयताएं				
उधार	-	129289.13	-	129289.13
ठेकेदारों और अन्यों से जमा/प्रतिधारण धन		490.71		490.71
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**129779.84**	**-**	**129779.84**

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियां और देयताएं जो परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किए जाते हैं	स्तर 1	स्तर 2	स्तरर 3	कुल
31 मार्च, 2016 को				
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
निवेश				
8.5% बांड	-	7.69	-	7.69
ऋण				
कर्मचारियों को ऋण	-	188.97	-	188.97
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**196.66**	**-**	**196.66**
वित्तीय देयताएं				
उधार	-	115993.40	-	115993.40
ठेकेदारों और अन्यों से जमा/प्रतिधारण धन	-	826.58	-	826.58
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**116819.98**	**-**	**116819.98**

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियां और देयताएं जो परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किए जाते हैं	स्तर 1	स्तर 2	स्तरर 3	कुल
1 अप्रैल, 2015 को				
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
निवेश				
8.5% बांड	-	206.80	-	206.80
ऋण				
कर्मचारियों को ऋण	-	176.78	-	176.78
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**383.58**	**-**	**383.58**
वित्तीय देयताएं				
उधार	-	101822.52	-	101822.52
ठेकेदारों और अन्यों से जमा/प्रतिधारण धन	-	604.23	-	604.23
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**102426.75**	**-**	**102426.75**

स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रम में कोटिड मूल्यों का प्रयोग करके मापे गए वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी बांड शामिल हैं जो स्टाक एक्सचेंजों में ट्रेड होते हैं, उनका मूल्य निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि को बंद मूल्य का प्रयोग करके किया गया है।

स्तर 2: वित्तीय साधनों, जो सक्रिय बाजार (उदाहरण के लिए टेड किए गए बांड) का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डाटा के प्रयोग को अधिकतम करता है और कंपनी - विशेष के अनुमानों पर कम से कम संभव पर निर्भर करता है। यदि किसी साधन के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी उल्लेखनीय इनपुट अवलोकन योग्य हैं तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

60. उचित मूल्य आय (जारी)

स्तर 3: यदि उल्लेखनीय इनपुट का एक या अधिक अवलोकन योग्य बाजार डाटा पर आधारित न हो तो साधन को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। असूचीबद्ध इक्विटी के लिए यह मामला है, आकस्मिक मान्यता और क्षतिपूरण परिसम्पत्तियां स्तर 3 में शामिल की जाती हैं।

वर्ष के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 में कोई अंतरण नहीं है।

कंपनी की नीति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य अनुक्रम स्तरों में अंतरण और से बाहर अंतरण की पहचान करना है।

उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधन के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्न शामिल हैं :

- कोटिड बाजार मूल्य या समान साधनों के लिए डीलर कोट का प्रयोग
- शेष वित्तीय साधनों का उचित मूल्य बट्टागत नकद प्रवाह विश्लेषण का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है।

पीटीसी इंडिया लिमिटेड के इक्विटी साधन, जिसे उचित मूल्य के अनुक्रम में स्तर 1 में शामिल किया गया है, के अलावा सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमानों को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिस लिमिटेड के उचित मूल्य का निर्धारण तुलीनीय सूचीबद्ध मूल्यों के ट्रेडिंग गुणकों जैसे कि पी/ई, ईवी/इबीटडा के लिए गुणात्मक समायोजन करके किया गया है। इसे स्तर 2 उचित मूल्य अनुक्रम शामिल किया गया है।

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया गया है।

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य

	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016		1 अप्रैल, 2015	
विवरण	**आगे ले जाने की राशि**	**उचित मूल्य**	**आगे ले जाने की राशि**	**उचित मूल्य**	**आगे ले जाने की राशि**	**उचित मूल्य**
वित्तीय परिसम्पत्तियां						
निवेश						
सरकारी प्रतिभूतियां						
8.5% बांड	2.50	2.55	7.50	7.69	192.92	206.80
ऋण						
कर्मचारियों को ऋण	167.50	195.27	175.81	188.97	173.10	176.78
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**170.00**	**197.82**	**183.31**	**196.66**	**366.02**	**383.58**
वित्तीय देयताएं						
उधार	122180.12	129289.13	111233.52	115993.40	97341.08	101822.52
ठेकेदारों और अन्यों से जमा/प्रतिधारण धन	474.60	490.71	870.99	826.58	655.41	604.23
कुल वित्तीय देयताएं	**122654.72**	**129779.84**	**112104.51**	**116819.98**	**97996.49**	**102426.75**

व्यापार प्राप्यों, व्यापार देय, नकद और नकदी समकक्ष और अन्य चालू वित्तीय देयताओं को आगे ले जायी जाने वाली राशियों को उनके अल्पकालीन स्वरूप के कारण उनके उचित मूल्य के समान होना माना जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए, जो उचित मूल्य पर मापी जाती हैं, आगे ले जाने की राशियां उचित मूल्यों के बराबर हैं।

61. संबंधित पार्टी लेन-देन

(क) संयुक्त उद्यम

		स्वामित्व हित में अनुपात		
कंपनी का नाम	**व्यवसाय का स्थान/निगमन का देश**	**31 मार्च, 2017**	**31 मार्च, 2016**	**1 अप्रैल, 2015**
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	49%	49%	49%
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	भारत	26%	26%	26%
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	भारत	26%	26%	26%
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%	26%
तिस्तावैली पावॅर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	26%	26%	26%
नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	भारत	26%	26%	26%

61. संबंधित पक्ष-लेन-देन (जारी)

		स्वामित्व हित में अनुपात		
कंपनी का नाम	**व्यवसाय का स्थान/निगमन का देश**	**31 मार्च, 2017**	**31 मार्च, 2016**	**1 अप्रैल, 2015**
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लि.	भारत	20%	21.64%	20%
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिस लि.*	भारत	-	13.63%	25%
बिहार ग्रिड कंपनी	भारत	50%	50%	50%
कलिंगा बिदुयत प्रसारण निगम प्रा. लि.	भारत	50%	50%	50%
क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	भारत	26%	26%	26%
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लि.	भारत	50%	50%	-
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लि.	नेपाल	26%	26%	26%

*25 अप्रैल, 2016 से संयुक्त उद्यम नहीं है।

(ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	**पदनाम**
श्री आई.एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर. टी. अग्रवाल	निदेशक (वित्त) - 31 अगस्त, 2016 को सेवानिवृत्त
श्री के. श्रीकांत	निदेशक (वित्त) - 1 सितम्बर, 2016 से
श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)
श्री आर. पी. ससमाल	निदेशक (प्रचालन)
श्री प्रभाकर सिंह	निदेशक (परियोजना) - 8 फरवरी, 2017 से
डा. प्रदीप कुमार	सरकारी नामिती
श्रीमती ज्योति अरोड़ा	सरकारी नामिती
श्री जगदीश ईश्वर भाई पटेल	स्वतंत्र निदेशक
श्री त्से तेन दोरजी	स्वतंत्र निदेशक
सुश्री ज्योतिका कालरा	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती दिव्या टंडन	कंपनी सचिव

(ग) अन्य संबंधित पक्षों की सूची

कंपनी का नाम	**व्यवसाय का स्थान/निगमन का देश**	**संबंध का स्वरूप**
पावरग्रिड कर्मचारी पी.एफ. ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना
पावरग्रिड स्वयं अंशदायी सेवानिवृत्ति हितलाभ (पेंशन) फंड ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना
पावरग्रिड कर्मचारी उपदान फंड ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना

(घ) सरकार से संबंधित कंपनियां

विद्युत मंत्रालय के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) होने के कारण कंपनी भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है और जारी इक्विटी शेयर पूंजी और चुकता का 57.90% (पिछले वर्ष 57.90%) भारत सरकार द्वारा धारित है।

पूंजीगत उपस्कर, फालतू पुर्जे और सेवाओं के प्रापण के लिए भारत सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के साथ कंपनी के व्यावसायिक लेन-देन हैं। इन कंपनियों के साथ लेन-देन तात्कालिकता या अन्य कारणों को छोड़कर खुली निविदा के विरुद्ध पारदर्शी मूल्य खोज प्रोसेस के माध्यम से थोड़ी दूरी पर बाजार शर्तों पर किए जाते हैं। ऐसे एकल निविदा प्रापण उसी/समान मदों के उपलब्ध मूल्य डाटा के विरुद्ध मूल्य बैंच मार्क से बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से भी किया जाते हैं।

उपर्युक्त लेन-देन सामान्य दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय प्रचालनों के होते हैं और या तो अलग-अलग या सामूहिक रूप से आकार को देखते हुए महत्वपूर्ण नहीं समझे जाते हैं।

61. संबंधित पक्ष-लेन-देन (जारी)

(ड.) वस्तु और सेवाओं की बिक्री/खरीद से उठने वाले बकाया शेष

संबंधित पार्टियां के साथ लेन-देन के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेष निम्नलिखित हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
व्यापार देय (माल और सेवाओं की खरीद)			
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लि.	-	0.09	0.09
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लि.	-	5.36	-
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.	-	2.78	2.78
बिहार ग्रिड कंपनी लि.	-	-	3.28
क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	9.53	7.58	1.70
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	30.78	40.44	40.38
संबंधित पार्टियों को कुल देय	**40.31**	**56.25**	**48.23**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
व्यापार प्राप्य (माल और सेवाओं की बिक्री)			
सहायक कंपनी			
पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड		57.15	
संयुक्त उद्यम			
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.36	-	0.01
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	5.22	21.50	22.21
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लि.	4.67	-	4.19
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिस लिमिटेड	-	0.13	0.25
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	4.92	9.19	7.08
कलिंगा बिदुयत प्रसारण निगम प्रा. लि.	0.85	0.85	0.84
क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	-	-	0.30
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लि.	-	0.03	-
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लि.	0.08	0.08	-
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.97	0.06	0.10
संबंधित पार्टियों को कुल प्राप्य	**17.07**	**88.99**	**34.98**

(च) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
ऋण	0.15	0.18	0.16

अन्य संबंधित पार्टियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
कर्मचारी हितलाभ ट्रस्ट के पास बकाया शेष			
पावरग्रिड कर्मचारी पी.एफ. ट्रस्ट	-	4.79	(3.89)
पावरग्रिड स्वयं अंशदायी सेवानिवृत्ति हितलाभ (पेंशन) फंड ट्रस्ट	-	(10.41)	(7.91)
पावरग्रिड कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट	56.67	29.21	(1.78)
कुल	**56.67**	**23.59**	**(13.58)**

61. संबंधित पक्ष-लेन-देन (जारी)

(छ) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित लेन-देन हुए :

अन्य संबंधित पक्षत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्ष के दौरान किए गए अंशदान		
पावरग्रिड कर्मचारी पी.एफ. ट्रस्ट	89.47	84.57
पावरग्रिड स्वयं अंशदायी सेवानिवृत्ति हितलाभ (पेंशन) फंड ट्रस्ट	109.83	102.19
पावरग्रिड कर्मचारी उपदान फंड ट्रस्ट	26.85	28.66
कुल	**226.15**	**215.42**

वर्ष के दौरान किए गए निवेश (इक्विटी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
संयुक्त उद्यम		
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लि.	27.16	26.11
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लि.	-	-
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लि.	6.50	-
बिहार ग्रिड कंपनी लि.	108.19	30.28
क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	2.29	5.38
आरआईएनएल पावरग्रिड एलटी प्रा. लि.	3.30	0.10
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लि.	-	3.90
कुल	**147.44**	**65.77**

कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए वसूली

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
संयुक्त उद्यम		
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	0.11	-
क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-	0.35
कुल	**0.11**	**0.35**

शर्तें और निबंधन

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को ऋण शर्तों और अनुबंधनों पर हैं जैसा कि अन्य सभी कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य हैं।

अन्य सभी लेन-देन सामान्य शर्तों और निबंधनों और बाजार दरों पर किए गए थे। सभी बकाया शेष असुरक्षित हैं और नकद में चुकाए जाने हैं।

संबंधित पक्षों के साथ केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) की क्षमता में लेन-देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
संयुक्त उद्यम		
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	162.46	163.13
टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	52.71	57.62
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लि.	262.14	260.98
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	195.56	170.69
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	321.43	401.29
कुल	**994.03**	**1053.71**

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक ₹3.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3.07 करोड़) और 31 मार्च, 2017 को कंपनी को बकाया देय की राशि ₹0.15 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹0.18 करोड़) (1 अप्रैल, 2015 को ₹0.16 करोड़) है।

62. खंड सूचना

क) व्यवसाय खंड

निदेशक मंडल कंपनी का मुख्य प्रचालन निर्णय लेता है जो संसाधन आवंटन और निष्पादन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के प्रयोजन से अलग-अलग व्यवसाय खंडों के प्रचालनरत परिणामों को मानीटर करता है। उत्पाद/सेवाओं के आधार पर तीन रिपोर्ट योग्य खंडों की पहचान की गई है।

- **पारेषण-** कंपनी का मुख्य व्यवसाय भारत के विभिन्न राज्यों के बीच थोक विद्युत का पारेषण है।
- **दूरसंचार** -पावरग्रिड की राष्ट्रव्यापी अवसंरचना शक्ति है और बिन्दु से बिन्दु बैंडविडथ लीजिंग व्यवसाय में निष्क्रिय वाहक के रूप में प्रचालन करता है।
- **परामर्श** - डिजाइन योजना, इंजीनियरी, लोड प्रेषण, अतंरराज्यीय पारेषण नेटवर्क पर ओपीजीडब्ल्यू, प्रापण प्रबंध, प्रचालन और अनुरक्षण, वित्तपोषण और परियोजना प्रबंध सहित पारेषण, वितरण और दूरसंचार क्षेत्रों में आंतरिक विशेषज्ञता प्रदान करता है।

ख) कंपनी के प्रचालन मुख्यतः देश के भीतर किए जाते हैं, इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

खंड राजस्व एवं व्यय

खंड में दिखाए गए प्रत्यक्ष राजस्व को खंड राजस्व के रूप में माना गया है। खंडों में दिखाए गए प्रत्यक्ष व्यय और युक्तिसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय खंड व्ययों के रूप में माने गए हैं।

खंड परिसंपत्तियां एवं देयताएं

खंड परिसंपत्तियों मे सभी प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिसमें निवल परिसंपत्तियां, चालू निर्माण कार्य, निर्माण भंडार और अग्रिमों और निवेशों को अनावंटित संपत्तियों में शामिल किया गया है। खंड देयताओं में ऋण देयताएं, चालू देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।

खंड रिपोर्टिंग

62. खंड सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

	पारेषण			परामर्श			दूरसंचार			निरसन			कुल		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
राजस्व :															
प्रचालनों से राजस्व (आवंटन योग्य अन्य आय सहित)	25214.81	20147.33		483.69	455.85		503.83	392.25		-	-		26202.33	20995.43	
अंतर खंड राजस्व				106.87	21.54		55.53	42.67		(162.40)	(64.21)		-	-	
प्रचालनों से निवल राजस्व	25214.81	20147.33		590.56	477.39		559.36	434.92		(162.40)	(64.21)		26202.33	20995.43	
खंड परिणाम	14911.95	12021.56		408.70	350.97		254.51	162.30					15575.16	12534.83	
अनावंटित ब्याज और अन्य आय													85.39	122.94	
अनावंटित वित्त लागत													6203.55	5086.23	
कर पूर्व लाभ													9457.00	7571.54	
करों के लिए प्रावधान													2006.27	1612.93	
कर-पश्चात लाभ													7450.73	5958.61	
अन्य सूचना :															
खंड परिसंपत्तियां	148357.28	125811.95	98195.25	2128.67	1703.82	1135.07	861.20	816.71	800.39				151347.15	128332.48	100130.71
अनावंटित परिसंपत्तियां													44297.85	50959.25	59423.81
कुल परिसंपत्तियां													195645.00	179291.73	159554.52
खंड देयताएं :	7763.37	8103.48	7444.04	2361.41	2776.43	1877.92	654.16	586.26	544.76				10778.94	11466.17	9866.72
अनावंटित अन्य देयताएं (ऋणों सहित)													135000.56	123855.63	110169.10
कुल देयताएं													145779.50	135321.80	120035.82
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	7629.84	6090.32		1.20	0.90		91.21	90.60					7722.25	6181.82	
मूल्यह्रास को छोड़कर गैर-नकदी व्यय	2.46	7.21		1.55	2.88		8.92	4.53					12.93	14.62	
पूंजीगत व्यय	22980.66	24036.74		2.00	(0.43)		141.51	37.50					23124.17	24073.81	

63. पूंजी और अन्य वचनबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
पूंजी खाते में निष्पादन किए जाने वाले संविदा की अनुमानित राशि और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों को घटाकर)	36911.35	26066.78	25521.31
संयुक्त उद्यम कंपनियों में और निवेश के प्रति कंपनी की वचनबद्धता	39.24	336.24	427.61

64. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक देयताएं

1. **कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें निम्न के संबंध में ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :**

(i) **पूंजी कार्य**

हमारी परियोजनाओं में उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठान एवं कार्य निष्पादन हेतु कुछ संविदाओं में संविदा मूल्य के संवर्धन, मूल्यवृद्धि के साथ कार्य अनुसूची का संशोधन विस्तारित कार्य अवधि के लिए क्षतिपूरण, निरर्थक खर्चे आदि की मांग करते हुए कंपनी पर दावे दर्ज किए हैं। इन दावों को कंपनी द्वारा संविधान संविदाओं के उपबंधों के संबंध में स्वीकार्य नहीं होने से अमान्य किया जा रहा है।

कंपनी इन दावों के निपटान हेतु संविदा में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। ऐसे मामलों में ₹1381.17 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹1666.86; 1 अप्रैल 2015 को ₹219.14 करोड़) का आकस्मिक अनुमान लगाया गया है।

(ii) **भूमि क्षतिपूरण मामले**

परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में, भूमि खोने वालों ने विभिन्न प्राधिकरण/न्यायालयों में अत्यधिक क्षतिपूरण का दावा किया है, जिन्हें अभी निपटाया जाना है। ऐसे मामलों में, ₹2671.53 करोड़ (31 मार्च, 2016 से ₹4041.30 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹2253.11 करोड़) की आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

(iii) **अन्य दावे**

विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार के विभागों/प्राधिकरणों द्वारा भवन अनुमति शुल्क, कृषि भूमि से गैर कृषीय भूमि में विपथन पर अर्थदण्ड, नाला कर, जल रायल्टी आदि पर एवं अन्यों द्वारा किए गए दावों के संबंध में, ₹4.00 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹28.66 करोड; 1 अप्रैल, 2015 को ₹44.09 करोड़) की आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

(iv) **विवादित आयकर/बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/नगरपालिका कर मामले**

विवादित आय कर/बिक्रीकर/उत्पाद शुल्क/नगरपालिका कर के मामले विभिन्न अपीलीय अधिकरणों में लंबित हैं, जिनमें ₹388.38 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹359.03 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹900.46 करोड़) की राशि शामिल है और विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों में विवादित है। इसमें से कई मामलों को कंपनी के पक्ष में निपटाया गया है परन्तु संबंधित विभागों द्वारा उच्च प्राधिकरणों में विवादित है।

(v) **अन्य**

क) ₹201.80 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹345.42 करोड़; 1 अप्रैल, 2015 को ₹312.59 करोड़) की अन्य आकस्मिक देयता राशियां।

ख) कुछ लाभार्थियों ने सीआईआरसी के टैरिफ आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की है। इस संबंध में आकस्मिक देयता की राशि अभिनिश्चेय नहीं है।

ग) पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ हुए पारेषण सेवा करार (टीएसए) के तहत कंपनी का टीएसए के अनुसार निर्धारित खरीद कीमत पर संयुक्त उद्यम कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) की खरीद करने का दायित्व है। ऐसे दायित्व के कारण यदि संयुक्त उद्यम कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमि.) ''पावरग्रिड की चूक की घटना'' अथवा ''अप्रत्याशित घटना'' होने पर टीएसए के तहत निर्धारित एक समाप्ति नोटिस भेजा जा सकता है। इस संबंध में किसी आकस्मिक देयता पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसका पता नहीं लगाया जा सकता।

2. क) एसपीवी कंपनियों की ओर से दी गई बैंक गारंटियों के ब्यौरे, जिनका अधिग्रहण टैरिफ आधारित बोली के तहत व्यवसाय को करने के लिए किया गया था, यह दिए गए कार्य के प्रति निष्पादन निम्नानुसार हैं :

एसपीवी का नाम	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	-	45.00	45.00
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	43.59	45.00	45.00
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	2.17	5.40	5.40
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमि.	5.96	5.96	5.96
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमि.	31.50	31.50	31.50

64. आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक अस्तियां (जारी)

एसपीवी का नाम	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमि.	62.10	62.10	-
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमि.	63.90	63.90	-
पावरग्रिड साऊदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमि.	110.04	110.04	-
मेदीनीपुर जीराट ट्रांसमिशन लिमिटेड	141.89	लागू नहीं	लागू नहीं

ख) कंपनी ने पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी बांड के विरुद्ध ₹290 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹290 करोड; 1 अप्रैल, 2015 को शून्य) के दायित्वों के निर्वहन और देयता और समय पर भुगतान के लिए गारंटी दी है।

65. पूंजी प्रबंध

क) जोखिम प्रबंध

पूंजी का प्रबंध करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्न हैं

- शेयरधारक के मूल्य को अधिकतम करना;
- जारी कंपनी के रूप में जारी करने के लिए इसकी योग्यता को सुरक्षित करना;
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखना।

कंपनी के पूंजी प्रबंध के प्रयोजन के लिए, इक्विटी पूंजी में जारी इक्विटी पूंजी, प्रतिभूति प्रीमियम प्रारक्षित भंडार और कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी प्रारक्षित भंडार शामिल हैं। कंपनी अपनी पूंजी की संरचना का प्रबंध करती है और बदलती आर्थिक स्थितियों, विनियामककारी ढांचे और देनदारों के साथ वित्तीय प्रसंविदा की अपेक्षाओं को देखते हुए समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान में समायोजन, नई परियोजनाओं में निवेशों को विनियमित, शेयरधारकों को पूंजी की वापसी या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी ऋण-इक्विटी अनुपात का प्रयोग करके पूंजी को मानीटर करती है, जो दीर्घकालीन ऋण के लिए कुल निवल मूल्य का अनुपात है। नीति ऋण इक्विटी अनुपात इतना है जिसमें ऋण कुल नियोजित पूंजी का 75 प्रतिशत से कम हो (अर्थात ऋण के लिए इक्विटी अनुपात 75:25 से कम)। कंपनी दीर्घकालीन ऋण के भीतर सब्याज ऋण और उधार और दीर्घकालीन ऋण की चालू परिपक्वताएं शामिल करती है।

कंपनी का ऋण - इक्विटी अनुपात निम्नानुसार था :

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
दीर्घकालीन ऋण (₹ करोड़ में)	**117487.91**	106544.91	93780.35
इक्विटी (₹ करोड़ में)	**49865.50**	43969.93	39518.70
दीर्घकालीन ऋण के लिए इक्विटी अनुपात	**70:30**	71:29	70:30

प्रमुख उधार सुविधाओं की शर्तों के अनुसार कंपनी को वित्तीय प्रसंविदा का अनुपालन करना अपेक्षित है। वित्तीय प्रसंविदा को पूरा करने को भंग करना उधारदाताओं को तत्काल ऋणों और उधारों को वापिस लेने की अनुमति देगा। चालू रिपोर्टिंग अवधि में किसी सब्याज ऋणों और उधारों में कोई विच्छेद नहीं हुआ है।

31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंध के लिए उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

ख) लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i) इक्विटी शेयर		
31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹1.51 का अंतिम लाभांश		
(31 मार्च, 2015 - ₹1.31) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर	**789.97**	685.34
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹1.00 का अंतरिम लाभांश		
(31 मार्च, 2016 - ₹0.80) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर	**523.15**	418.53

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश की पहचान नहीं की गई

उपर्युक्त लाभांश के अलावा निदेशक मंडल ने 29 मई, 2017 को भारतीय रुपया 3.35 प्रति पूर्ण दत्त इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की। प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

66. प्रति शेयर आय

(₹ में)

(क) कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के संबंध में प्रति शेयर बुनियादी और तनुकृत अर्जन	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
विनियामककारी आस्थगित शेषों में घट-बढ़ सहित	**14.24**	11.39
विनियामककारी आस्थगित शेषों में घट-बढ़ को छोड़कर	**14.11**	11.39
कंपनी के इक्विटी धारकों के संबंध में कुल बुनियादी और तनुकृत प्रति शेयर अर्जन	**14.24**	11.39

(₹ करोड़ में)

(ख) प्रति शेयर अर्जन को परिकलित करने में प्रयुक्त अर्जनों का मिलान	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
विनियामककारी आस्थगित शेषों में घट बढ़ सहित कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों के संबंध में अर्जन	**7450.73**	5958.61
विनियामककारी आस्थगित शेषों में घटबढ़ को छोड़कर कंपनी के इक्विटी धारकों के संबंध में अर्जन	**7380.80**	5958.66
कंपनी के इक्विटी धारकों के संबंध में कुल अर्जन	**7450.73**	5958.61

(ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारांशित औसत संख्या	31 मार्च, 2017 (शेयर संख्या)	31 मार्च, 2016 (शेयर संख्या)
प्रति शेयर बुनियादी अर्जनों को परिकलित करने में विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारांशित औसत संख्या	**5231589648**	5231589648
प्रति शेयर तनुकृत अर्जनों के परिकलन के लिए समायोजन	**-**	-
प्रति शेयर बुनियादी अर्जनों को परिकलित करने में विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की कुल भारांशित औसत संख्या	**5231589648**	5231589648

67. वित्तीय जोखिम प्रबंध

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में भारतीय रुपयों या विदेशी करेंसियों में मूल्यवर्गित ऋण ओर उधार, व्यापार देय या अन्य देय शामिल हैं। कंपनी में इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा जारी बांडों के संबंध में वित्तीय गारंटी भी प्रदान की है। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य प्रयोजन कंपनी के पूंजी निवेशों और प्रचालनों को वित्तपोषित करना है।

कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और नकदी समकक्ष, जो इसके प्रचालनों को पैदा होते हैं, शामिल हैं।

कंपनी की गतिविधियां इसे निम्नलिखित जोखिमों को प्रकट करती है, नामतः,

क) क्रेडिट जोखिम

ख) तरलता जोखिम

ग) बाजार जोखिम

यह नोट इन जोखिमों को मापने और प्रबंध करने के लिए कंपनी के एक्सपोजर, उद्देश्यों, नीतियों ओर प्रक्रियाओं के संबंध में सूचना प्रस्तुत करता है।

जोखिम प्रबंध ढांचा

कंपनी ने सदस्यों के रूप में निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक) के साथ निदेशक (प्रचालन) की अध्यक्षता में यथोचित रूप से जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है। उद्यम द्वारा सामना की जा रही अनिश्चितताओं का मूल्यांकन और प्रबंध करने के प्रयोजन से कंपनी में उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे को क्रियान्वित किया गया है। ढांचा जोखिमों की पहचान, निर्धारण, मॉनीटरिंग और प्रबंधन के लिए संरचित, सुंसगत ओर लगातार प्रक्रिया है। इस ढांचे के अनुसार उल्लेखनीय व्यवसाय प्रोसेसों/जोखिमों को मानीटर किया जाता है और विभिन्न महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। समिति की बैठक नियमित अंतराल पर होती है और केपीआई की समीक्षा करती है और लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड को अद्यतन जानकारी प्रदान करती है।

कंपनी द्वारा वित्तीय जोखिम प्रबंधन का सार नीचे दिया गया है :

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है कि प्रति पार्टी किसी द्वितीय वित्तीय लिखित या ग्राहक संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगी, जिसके फलस्वरूप वित्तीय हानि होती है। कंपनी व्यापार प्राप्यों और ऋणों तथा अग्रिमों के कारण प्रचालन गतिविधियों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जमा के कारण इसकी वित्तीय गतिविधियों, विदेशी विनिमय लेन-देनों ओर अन्य वित्तीय साधनों और राज्य सरकार बांडों में निवेश के कारण इसकी निवेश गतिविधियों के लिए क्रेडिट जोखिम के प्रति अनाश्रित है।

67. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

वित्तीय परिसम्पत्ति पर चूक तब होती है जब प्रति पार्टी उनके देय होने पर 3 वर्ष के भीतर संविदात्मक भुगतान करने में विफल रहती है। चूक की परिभाषा व्यवसाय परिवेश, जिसमें कंपनी प्रचालन करती है और अन्य मेक्रो-आर्थिक कारकों पर विचार करते हुए निर्धारित की जाती है।

परिसंपत्तियों को बट्टेखाते डाल दिया जाता है जब वसूली की समुचित संभावना नहीं होती, जैसे कि कर्जदार दिवालिया होना घोषित करता है या कंपनी के पास वापसी-अदायगी योजना लाने में विफल रहता है। जहां ऋण और प्राप्य बट्टे खाते डाल दिए गए हैं, कंपनी देय प्राप्य की वसूली के प्रयास के लिए प्रवर्तन गतिविधि जारी रखती है।

(i) व्यापार प्राप्य

कंपनी मुख्यतः अन्तरराज्यीय पारेषण सेवा ग्राहकों (डीआईसी) को पारेषण सेवाएं देती है जिसमें मुख्यतः राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली राज्य उपयोगिताएं शामिल हैं। कंपनी के पास त्रिपक्षीय करारों (टीपीए) द्वारा समर्पित साख पत्रों (एलसी) के रूप में मजबूत सुरक्षा तंत्र है। टीपीए, भारत सरकार द्वारा 2001-02 के दौरान राज्य बिजली बोर्ड देयता की एकमुश्त निपटान स्कीम, जो अक्टूबर, 2016 तक वैध थी, के बाद भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अलग-अलग राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। भारत सरकार ने इन टीपीए को और आगे 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ाने को अनुमोदित किया है। अधिकांश राज्यों ने टीपीए के विस्तार के लिए करार निष्पन्न किए हैं और शेष राज्यों के पास मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।

टीपीए के प्रावधानों के अनुसार ग्राहकों को पिछले 12 महीनों के लिए कंपनी की औसत मासिक बिलिंग के 105 प्रतिशत को कवर करते हुए एलसी स्थापित करना अपेक्षित होती है। टीपीए में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य उपयोगित द्वारा चालू देयता के भुगतान में कोई चूक होती है तो राज्य के आरबीआई खाते से बकाया देयता को काटा जा सकता है और संबंधित सीपीएसयू को अदा किया जाता है। देयता का भुगतान न करने और एलसी स्थापित न करने के मामले में कंपनी द्वारा विद्युत के विनिमय के लिए भी प्रावधान है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमन बिल की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर पारेषण प्रभारों के प्रति मासिक बिलों के लिए भुगतान और 60 दिन के परे देरी से भुगतान पर अधिभार लगाने की अनुमति देते हैं। कम्पनी द्वारा 60 दिन के भीतर किए गए भुगतान के लिए श्रेणीबद्ध 62 उपलब्ध है।

व्यापार प्राप्यों में ये शामिल हैं : ₹2857 करोड़ (31 मार्च, 2016; ₹2608.89 करोड़, 1 अप्रैल, 2015; ₹2027.90 करोड़) के पारेषण प्रभारों से संबंधित प्राप्य, ₹204.92 करोड़ (31 मार्च, 2016; ₹77.10 करोड़, 1 अप्रैल, 2015; ₹80.67 करोड़) की परामर्श सेवाओं से संबंधित प्राप्य, ₹102.42 करोड़ (31 मार्च, 2016, 83.10 करोड़, 1 अप्रैल, 2015, ₹50.82 करोड़) के दूरसंचार व्यवसाय से सबंधित प्राप्य।

(ii) अन्य वित्तीय आस्तियां (व्यापार प्राप्यों को छोड़कर)

- **नकद और नकदी समकक्ष**

  कंपनी की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास ₹1414.59 करोड़ (31 मार्च, 2016; ₹911.84 करोड़, 1 अप्रैल, 2015; ₹1066.57 करोड़) की जमा राशि थी। नकद और नकदी समकक्ष सरकारी क्षेत्र के बैंकों और उच्च दर वाले निजी क्षेत्र के बैंकों के पास रखे जाते हैं और कोई उल्लेखनीय जोखिम नहीं होता है।

- **बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास जमा**

  कंपनी की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास 2097.27 करोड़ (31 मार्च, 2016; ₹1544.84 करोड़, 1 अप्रैल, 2015 ₹1766.57 करोड़) की जमा राशि थी। सावधि जमा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में रखी जाती है और नगण्य क्रेडिट जोखिम होता है।

- **निवेश**

  कंपनी की एकमुश्त स्कीम के तहत 8.5% कर मुक्त राज्य सरकार के बांडों में ₹2.50 करोड़ (31 मार्च, 2016; ₹7.50, 1 अप्रैल, 2015, 192.92 करोड़) का निवेश है। कंपनी प्रति पार्टी से इसके दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की आशा नहीं करती और इन निवेशों के संबंध में किसी हानि का अनुभव नहीं किया गया है।

- **ऋण**

  कंपनी ने कर्मचारियों, सहायक कंपनियों और अन्य पार्टियों को ऋण दिए हैं। कर्मचारियों को मकान निर्माण ऋण और सवारी अग्रिम मकान सम्पत्तियों के रेहन या वाहनों के दृष्टि बंधक के विरुद्ध सुरक्षित है, जिनके लिए ऐसे ऋण कंपनी की नीति के अनुरूप हैं। समूह कंपनियों को दिए गए ऋण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली रूट के तहत परियोजनाओं के लिए हैं। इन ऋणों के संबंध में चूक का जोखिम नगण्य है।

67. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

- **क्रेडिट जोखिम के लिए एक्सपोजर**

वित्तीय आस्तियों को आगे ले जाए जाने वाली राशि अधिकतम क्रेडिट एक्सपोजर दर्शाती है। रिपोर्टिंग तारीख को क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम एक्सपोजर निम्नलिखित था :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
वित्तीय आस्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को 12 महीने की संभावित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) का प्रयोग करके मापा जाता है			
गैर-चालू निवेश	-	2.50	7.49
गैर-चालू ऋण	132.36	145.09	146.17
अन्य गैर-चालू वित्तीय आस्तियां	635.32	667.45	576.41
चालू निवेश	2.50	5.00	185.43
नकद और नकदी समकक्ष	1414.59	911.84	1066.57
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास जमा	2097.27	1544.84	1766.57
चालू ऋण	39.82	30.72	26.97
अन्य चालू वित्तीय आस्तियां	3254.57	3341.65	2558.95
कुल	**7576.43**	**6649.09**	**6334.56**
वित्तीय आस्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को 12 महीने की संभावित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) का प्रयोग करके मापा जाता है			
व्यापार प्राप्य	3164.34	2769.09	2159.39

- **संभावित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान**

(क) **वित्तीय आस्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को 12 महीने की संभावित हानियों का प्रयोग करके मापा जाता है।**

कंपनी के पास आस्तियां हैं जिनमें प्रति-पार्टी के पास दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और जिनमें चूक का जोखिम बहुत कम है प्रारंभिक पहचान में वित्तीय आस्तियों (व्यापार प्राप्यों को छोड़कर) को नगण्य क्रेडिट जोखिम वाला माना जाता है और जोखिम पहली पहचान से बढ़ता नहीं है। इसलिए संभावित क्रेडिट हानि का प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

(ख) **वित्तीय आस्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को जीवन के समय में संभावित हानियों का प्रयोग करके मापा जाता है।**

दूरसंचार और परामर्श से व्यापार प्राप्यों के संबंध में ग्राहक क्रेडिट जोखिम बकाया प्राप्यों की नियमित रूप से मानीटर द्वारा प्रबंध किया जाता है और उगाही के लिए ग्राहक के पास अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

पारेषण खंड के संबंध में कंपनी के पास ऐसे ग्राहक हैं जो दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के साथ राज्य सरकार उपयोगिताएं हैं, इसलिए चूक का जोखिम नगण्य है, इसके अलावा, प्रबंधन विश्वास करता है कि अक्षत राशियां जो देय तारीख से 30 दिन पुरानी हैं अभी भुगतान सुरक्षा तंत्र ओर ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर संग्रहण योग्य हैं।

उपर्युक्त कारकों और प्रचालित विनियमों पर विचार करते हुए व्यापार प्राप्यों की प्रारंभिक पहचान और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को नगण्य क्रेडिट जोखिम रहता है।

(ग) **व्यापार प्राप्यों का काल-प्रभावन विश्लेषण**

व्यापार प्राप्यों का काल-प्रभावन विश्लेषण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

काल-प्रभावन	देय नहीं	देय से 0-30 दिन बाद	देय के 31-60 दिन बाद	देय के 61-90 दिन बाद	देय के 91-120 दिन बाद	देय के 120 से अधिक दिन बाद	कुल
31 मार्च, 2017 को आगे ले जाए जाने की सकल राशि	28.58	1572.40	808.28	145.53	257.70	351.85	**3164.34**
31 मार्च, 2016 को आगे ले जाने की सकल राशि	6.08	1538.08	782.10	77.27	139.19	226.37	**2769.09**
1 अप्रैल, 2015 को आगे ले जाने की सकल राशि	3.71	1281.69	399.55	185.17	13.80	275.47	**2159. 39**

67. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(घ) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय आस्तियों के संबंध में क्षति के लिए गुंजाइश में घट बढ़ निम्नानुसार थी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	निवेश	ऋण	अग्रिम	वसूली योग्य दावे	कुल
1 अप्रैल, 2015 को शेष	**27.33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.33**
पहचानी गई क्षति हानि	2.29	-	-	-	-	2.29
बट्टे खाते डाली गई राशि	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2016 को शेष	**29.62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.62**
पहचानी गई क्षति हानि	2.79	-	-	0.86	-	3.65
बट्टे खाते डाली गई राशि	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 को शेष	**32.41**	**-**	**-**	**0.86**	**-**	**33.27**

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर कंपनी विश्वास करती है कि उपर्युक्त के अलावा किसी अन्य आस्ति के लिए किसी क्षति की गुंजाइश नहीं है क्योंकि राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

ख) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम का तात्पर्य पर्याप्त नकद और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना है और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियन की उपब्धता है। कंपनी तरलता योजना साधन का प्रयोग करके निधियों की कमी के जोखिम को मानीटर करती है। कंपनी की निधियन के भिन्न स्रोतों जैसे कि वाणिज्यिक पेपर, बैंक ऋण, बांड और बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए पहुंच है और वचनबद्ध क्रेडिट लाइन के तहत उपलब्धता को बनाए रखकर निधियन में लचीलापन रखती है।

प्रबंधन नीचे दी गई निकासी न की गई उधार सुविधाओं और संभावित नकदी प्रवाहों के आधार पर नकद और नकदी समकक्ष शामिल करके कंपनी की तरलता की स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमान को मानीटर करता है।

कंपनी कार्यशील पूंजी प्रदान करने और पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए तरलता के आंतरिक और बाह्य स्रोतों दोनों पर निर्भर करती है।

i) वित्तीय व्यवस्था

कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित निकासी न की गई उधार सुविधाओं के लिए पहुंच थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
1 वर्ष के भीतर समाप्त होने वाले (बैंक ओवर ड्राफ्ट और अन्य सुविधाएं)	5134.38	-	113.74
1 वर्ष के परे समाप्त होने वाले (बैंक ऋण)	7730.51	11343.55	18268.15

बैंक ओवर ड्राफ्ट सुविधाओं की निकासी किसी भी समय की जा सकती है और बिना नोटिस के बैंक द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। संतोषजनक क्रेडिट रेटिंग को जारी रखने के अध्यधीन बैंक ऋण किसी भी समय लिया जा सकता है और इसकी शेष उपलब्धता अवधि 1 से 5 वर्ष (2016 में 2 से 4 और 2015 में 1 से 5 वर्ष) होती है।

ii) वित्तीय देयताओं की अवधि समाप्ति

नीचे की तालिका सभी गैर-डेरीवेटिव वित्तीय देयताओं के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर संबद्ध परिपक्वता समूहीकरण में कंपनी वित्तीय देयताओं का विश्लेषण करती है।

67. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

तालिका में प्रकट की गई राशि बिना बट्टे के संविदात्मक नकदी प्रवाह है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता	एक वर्ष के भीतर	1-5 वर्ष के भीतर	5 वर्ष से परे	कुल
31 मार्च, 2017				
उधार (ब्याज बहिर्गमन सहित)	15807.46	66134.76	92633.85	**174576.07**
व्यापार देय	413.98	-	-	**413.98**
अन्य वित्तीय देयताएं	10382.99	474.60	-	**10857.58**
कुल	**26604.43**	**66609.36**	**92633.85**	**185847.63**
31 मार्च, 2016				
उधार (ब्याज बहिर्गमन सहित)	15296.95	57446.91	86467.68	**159211.54**
व्यापार देय	313.89	-	-	**313.89**
अन्य वित्तीय देयताएं	9466.64	870.99	-	**10337.63**
कुल	**25077.48**	**58317.90**	**86467.68**	**169863.06**
1 अप्रैल, 2015				
उधार (ब्याज बहिर्गमन सहित)	11921.30	50178.99	79369.72	**141470.01**
व्यापार देय	392.97	-	-	**392.97**
अन्य वित्तीय देयताएं	9896.47	655.41	-	**10551.88**
कुल	**22210.74**	**50834.40**	**79369.72**	**152414.86**

ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय साधन का भविष्य में नकदी के प्रवाह का उचित मूल्य बाजार मूल्यों में परिवर्तनों के कारण घटे बढ़ेगा। बाजार जोखिम में तीन किस्म के जोखिम शामिल हैं :

i. करेंसी जोखिम

ii. ब्याज दर जोखिम

iii. अन्य मूल्य जोखिम, जैसे कि मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम

i. करेंसी जोखिम

कंपनी मुख्यतः विदेशी करेंसी में मूल्यवर्गित ऋण और उधार और माल और सेवाओं का प्रापण, जिनका खरीद प्रतिफल विदेशी करेंसी में मूल्यवर्गित होता है, के संबंध करेंसी जोखिम के लिए अनाश्रित हैं। पारेषण टैरिफ सीईआरसी द्वारा विनियमित होते हैं। ब्लाक 2014-19 के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार कंपनी विदेशी करेंसी ऋण पर ब्याज और पारेषण प्रणाली के लिए गए विदेशी ऋण की वापसी अदायगी के संबंध में एक्सपोजर को अपने विवेक से भाग में या पूर्ण रूप से बचाव कर सकती है और संबद्ध वर्ष में नियामक विदेशी ऋण के तदनुरूपी विदेशी विनिमय दर में घटबढ़ की बचाव करने की लागत को वसूल सकती है।

यदि विदेशी करेंसी एक्सपोजर का बचाव नहीं किया जाता तो नियामक विदेशी करेंसी ऋण के तदनुरूपी ब्याज भुगतान और ऋण की वापसी अदायगी के प्रति अतिरिक्त रुपया देनदारी को पारेषण टैरिफ के भाग के रूप में संबद्ध वर्ष में वसूल करने की अनुमति है, बशर्ते कि यह उत्पादन करने वाली कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या इसके आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों के कारण न हो। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए कोई बचाव नहीं किया गया था। पूंजीगत निवेश के लिए खरीदे गए माल और सेवाओं के संबंध में पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए विनिमय दर में घटबढ परियोजना लागत का हिस्सा होती है। प्रचालन गतिविधियों के लिए खरीदे गए माल और सेवाओं के संबंध में करेंसी जोखिम महत्वपूर्ण नहीं होता है।

कंपनी का भारतीय रुपए में व्यक्त किया गया रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी करेंसी जोखिम के प्रति एक्सपोजर नोट सं. 54 में दिया गया है।

संवेदनशीलता

चूंकि लाभ और हानि के विवरण पर अमरीकी डालर, यूरो, जापानी येन और अन्य करेंसियों के विरुद्ध भारतीय रुपए के मजबूत या कमजोर होने का प्रभाव बहुत उल्लेखनीय नहीं होगा; इसलिए करेंसी जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण प्रकट नहीं किया गया है।

ii. ब्याज दर जोखिम

कंपनी मुख्यतः फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ दीर्घकालीन उधारों से उठने वाले ब्याज दर जोखिम के लिए अनाश्रित हैं। कंपनी ब्याज दर जोखिम के लिए अनाश्रित है क्योंकि फ्लोटिंग दर उधारों के साथ संबद्ध नकदी प्रवाह ब्याज दरों में परिवर्तनों के साथ घटे बढ़ेंगे। कंपनी ब्याज दर जोखिमों का प्रबंध घरेलू और विदेशी करेंसियों में स्थिर और फ्लोटिंग दर उधारों के मिश्रण वाला कर्ज पोर्टफोलियों रख कर करती है।

67. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

रिपोर्टिंग तारीख पर कंपनी के परिवर्ती ब्याज दर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
ब्याज की फ्लोटिंग दर के साथ दीर्घकालीन कर्ज		
- घरेलू	13356.00	12485.00
- विदेशी	26752.78	27485.43
उप-योग	**40108.78**	**39970.43**
ब्याज की निश्चित दर के साथ दीर्घकालीन कर्ज		
- घरेलू	72651.84	62621.71
- विदेशी	4727.29	3952.77
उप-योग	**77379.13**	**66574.48**
कुल दीर्घकालीन कर्ज	**117487.91**	**106544.91**
कुल दीर्घकालीन कर्ज के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर कर्ज का प्रतिशत	**34.14%**	**37.52%**

ब्याज दर जोखिम के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

सीईआरसी विनियमों के अनुसार टैरिफ के प्रयोजन के लिए निर्माण के दौरान ऋण पर ब्याज परियोजना लागत का भाग बनता है और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात ऋणों पर ब्याज वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के ब्याज की भारांशित औसत दर को लागू करके वर्ष के नियामक औसत ऋण पर परिकलित टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है।

तदनुसार कंपनी के ब्याज दर जोखिम को उल्लेखनीय नहीं समझा गया है, अतः जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण प्रकट नहीं किया गया है।

iii) **अन्य मूल्य जोखिम**

कंपनी का इक्विटी प्रतिभूति मूल्य जोखिम के लिए एक्सपोजर कंपनी द्वारा धारित निवेशों से उठता है और उसे ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में तुलन पत्र में वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी निवेशों के परिणामों पर विचार करते हुए किसी उल्लेखनीय जोखिम के उठने की आशा नहीं है।

68. आय कर व्यय

यह नोट कंपनी के आय कर व्यय के विश्लेषण को प्रदान करता है और कैसे कर व्यय गैर-निर्धारणीय और गैर-कटौती योग्य मदों द्वारा प्रभावित होता है। यह कंपनी का कर स्थिति के संबंध में किए गए उल्लेखनीय अनुमानों को स्पष्ट करता है।

(क) आय कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
चालू कर		
वर्ष के लिए लाभों पर चालू कर	1989.07	1575.87
पूर्व अवधियों के चालू कर के लिए समायोजन	-	-
कुल चालू कर व्यय	**1989.07**	**1575.87**
आस्थगित कर		
आस्थगित कर आस्तियों में कमी (वृद्धि)	(21.88)	40.99
आस्थगित कर देयताओं में कमी (वृद्धि)	39.08	(3.93)
कुल आस्थगित कर व्यय/लाभ	**17.20**	**37.06**
आय कर व्यय	**2006.27**	**1612.93**

(ख) कर व्यय का मिलान और भारत की कर दर से गुणा करके लाभ लेखांकन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
आय कर व्यय से पूर्व लाभ	9387.07	7571.17
21.3416 प्रतिशत (2015-16 - 21.3416 प्रतिशत) की भारतीय कर दर से	**2003.35**	**1615.81**
कराधेय आय के परिकलन में राशियां, जो कटौती योग्य नहीं है (गैर-कर योग्य), का कर प्रभाव		
किया गया प्रावधान	1.93	1.63
मूल्यह्रास के विरुद्ध अग्रिम	(31.13)	(30.50)

68. आय कर व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
पुनरांकित प्रावधान	(0.85)	(1.59)
छूट प्राप्त बांड ब्याज और लाभांश आय	(13.27)	(20.72)
अपनाने/पुनः वर्गीकरण के समायोजन	4.95	16.68
ईईएसएल शेयरों की प्राप्ति	(0.73)	-
अन्य	24.82	(5.44)
आस्थगित कर	17.20	37.06
आय कर व्यय	**2006.27**	**1612.93**

(ग) पहचान न किए गए अस्थायी अंतर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
सहायक कंपनियों में निवेश, जिनके लिए आस्थगित कर देयताओं की पहचान नहीं की गई है, से संबंधित अस्थायी अंतर : अवितरित अर्जन	1.32	2.97
उपर्युक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित पहचान न की गई आस्थगित कर देयताएं	0.27	0.60

69. कर्मचारी हित लाभ दायित्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017			31 मार्च, 2016			1 अप्रैल, 2015		
	चालू	गैर-चालू	कुल	चालू	गैर-चालू	कुल	चालू	गैर-चालू	कुल
छुट्टी दायित्व	59.60	430.37	489.97	33.37	336.24	369.61	27.64	305.16	332.80
सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)	9.28	331.00	340.28	7.25	288.11	295.36	6.55	250.25	256.80
अन्य कर्मचारी हितलाभ/लंबी सेवा का पुरस्कार	0.97	12.36	13.33	1.35	11.55	12.90	1.08	10.86	11.94
उपदान	76.07	549.48	625.55	37.72	439.76	477.48	34.94	433.92	468.86
अन्य आस्थगित सेवानिवृत्ति लाभ (ओआरडीबी)/असबाब भत्ता	1.81	15.83	17.64	1.47	14.55	16.02	1.18	13.96	15.14
कुल कर्मचारी हितलाभ दायित्व	**147.73**	**1339.04**	**1486.77**	**81.16**	**1090.21**	**1171.37**	**71.39**	**1014.15**	**1085.54**

(i) दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ

छुट्टी दायित्व

कंपनी, कंपनी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश हितलाभ (जिसमें प्रतिपूरक अनुपस्थिति शामिल है) और अर्ध-वेतन अवकाश, जो वार्षिक रूप से क्रमशः 30 दिन और 20 दिन उपार्जित होता है, प्रदान करती है। सेवा में रहते हुए अर्जित अवकाश नकद किया जा सकता है। अर्ध-वेतन अवकाश केवल 55 वर्ष की आयु से परे अलग होने पर अधिकतम 300 दिन (एचपीएल) तक नकद किया जा सकता है। तथापि, सेवानिवृत्ति पर नकद की जाने वाली छुट्टी की कुल संख्या को 300 दिन के लिए प्रतिबंधित किया गया है और अर्ध वेतन अवकाश के रूपांतरण की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए देयता की बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर पहचान की गई है।

(ii) नियोजन पश्चात दायित्व (परिभाषित कर्मचारी हितलाभ/अंशदान) अंशदान स्कीमें

क. सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी की सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को पैनल में अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वे कंपनी द्वारा निश्चित अधिकतम सीमा के अध्यधीन बाहरी-रोगी के रूप में उपचार का लाभ भी ले सकते हैं। यह स्कीम वित्तपोषित नहीं है और इसके लिए देयता को वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलनपत्र की तारीख को पहचान की जाती है।

ख. अन्य कर्मचारी हितलाभ -लंबी सेवा का पुरस्कार

यह लाभ कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों (निदेशक और सीएमडी को छोड़कर), जो सेवा के कम से कम 10 वर्ष पूरा करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं, के लिए प्रयोज्य है।

69. **कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)**

ग. उपदान

कंपनी की परिभाषित हितलाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या अधिक लगातार सेवा दी है सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, समापन, अशक्तता या मृत्यु पर 10 लाभ रुपए के अधिकतम के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूरा किए गए वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26 × अंतिम लिए गए बुनियादी वेतन और मंहगाई भत्ता) पर उपदान प्राप्त करने का पात्र है। सीपीएसई के लिए तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के अनुसार सीमा को 1 जनवरी, 2017 से ₹20 लाख तक संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए देयता को वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तारीख को पहचाना जाता है।

घ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी)/असबाब भत्ता

कंपनी की सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों और आश्रितों के लिए गृह नगर में सेवानिवृत्ति के समय पुनर्वास के लिए स्कीम है। यह स्कीम वित्तपोषित नहीं है और इसके लिए देयता को वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलनपत्र की तारीख को पहचाना जाता है।

ङ. भविष्य निधि

कंपनी अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि को निश्चित अंशदान अदा करती है, जो अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। परिवार पेंशन स्कीम के लिए अंशदान उचित प्राधिकारियों को अदा किए जाते हैं। वर्ष के लिए ₹89.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹84.57 करोड़) की राशि निधि और ईपीसी को दिए गए अंशदान की व्यय के रूप में पहचान की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है और यह सुनिश्चित करना होता है कि भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट सदस्यों से अंशदान पर ब्याज की न्यूनतम दर प्राप्त हो। बीमांकिक की रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर ब्याज आय और संचित आधिक्य सांविधिक ब्याज भुगतान अपेक्षा से अधिक है। अतः और किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है। चूंकि कंपनी का पीएफ कार्पस पर कोई बेशर्त अधिकार नहीं है, इसलिए आधिक्य की तुलनपत्र में पहचान नहीं की गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017			31 मार्च, 2016			1 अप्रैल, 2015		
	चालू	गैर-चालू	कुल	चालू	गैर-चालू	कुल	चालू	गैर-चालू	कुल
भविष्य निधि (पीएफ)	429.30	1892.65	2321.95	292.30	1757.63	2049.93	281.75	1534.02	1815.77

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्ति का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2015	**1815.77**	**1827.62**	**(11.85)**
सेवा लागत	81.43	-	81.43
ब्याज व्यय (आय)	145.26	172.21	(26.95)
कुल	**226.69**	**172.21**	**54.48**
पुनः मापन			
ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/ हानि	7.49	-	7.49
कर्मचारी अंशदान	**7.49**	**-**	**7.49**
हितलाभ भुगतान	108.44	189.86	(81.42)
31 मार्च, 2016	(108.45)	(108.45)	-
31 मार्च, 2016	**2049.94**	**2081.24**	**(31.30)**

69. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्ति का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2016	2049.94	2081.24	(31.30)
सेवा लागत	84.19	-	84.19
ब्याज व्यय (आय)	163.99	189.54	(25.55)
कुल	**248.18**	**189.54**	**58.64**
पुनः मापन	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	15.50	-	15.50
कुल	**15.50**	**-**	**15.50**
अर्जन समायोजन	-	-	-
कर्मचारी अंशदान	113.17	197.36	(84.19)
हितलाभ भुगतान	(104.84)	(104.84)	-
31 मार्च, 2017	**2321.95**	**2363.30**	**(41.35)**

भविष्य निधि से संबंधित उपर्युक्त प्रकट की गई निवल देयता निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीएफ		
	31 मार्च, 2017	**31 मार्च, 2016**	**1 अप्रैल, 2015**
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2321.95	2049.94	1815.77
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2363.30	2081.24	1827.62
वित्तपोषित योजना का घाटा/(आधिक्य)	**(41.35)**	**(31.30)**	**(11.85)**

भविष्य निधि का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	**पीएफ**
क) बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2321.95
- 0.5% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.22)
- 0.5% की कमी के कारण प्रभाव	0.22

योजना आस्तियों (पीएफ) की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017				31 मार्च, 2016				1 अप्रैल, 2015			
	कोटिड	अनकोटिड	कुल	% में	कोटिड	अनकोटिड	कुल	% में	कोटिड	अनकोटिड	कुल	% में
इक्विटी निवेश	34.49	-	34.49	2%	15.37	-	15.37	1%	-	-	-	
ऋण साधन												
सरकारी/राज्य बांड	1261.14	-	1261.14	53%	1090.32	-	1090.32	52%	950.66	-	950.66	52%
पीएसयू और निजी बांड	997.75	-	997.75	42%	904.46	-	904.46	43%	809.11	-	809.11	44%
बैंक शेष	9.65	-	9.65	0%	11.17	-	11.17	1%	14.56	-	14.56	1%
अन्य प्राप्य	60.27	-	60.27	3%	59.92	-	59.92	3%	53.29	-	53.29	3%
कुल	**2363.30**	**-**	**2363.30**		**2081.24**	**-**	**2081.24**		**1827.62**	**-**	**1827.62**	

कंपनी के स्वयं के हस्तांतरणीय वित्तीय साधनों का उचित मूल्य 31 मार्च, 2017 को ₹113.27 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹119.98 करोड़) (1 अप्रैल, 2015 को ₹130.50 करोड़) है।

69. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

भविष्य निधि का संभावित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	2-5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2017	429.31	160.06	457.77	1,274.81	2,321.95
31 मार्च, 2016	292.30	111.25	367.48	1,278.91	2,049.94
1 अप्रैल, 2015	281.75	99.22	336.35	1,098.45	1,815.77

च. पेंशन

कंपनी की कर्मचारी परिभाषित अंशदान की स्कीम है। कंपनी का अंशदान एक अलग ट्रस्ट को अदा किया जाता है। वर्ष के लिए अदा/देय अंशदान की राशि ₹109.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹102.19 करोड़) है जिसे व्यय के रूप में माना गया है और लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित किया गया है।

विभिन्न कर्मचारी हितलाभ दायित्वों की सारांश में स्थिति निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			ओडीआरबी			छुट्टियां			पीएमआरएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2015	**468.86**	**467.08**	**1.78**	**15.14**	**-**	**15.14**	**332.80**	**-**	**332.80**	**256.80**	**-**	**256.80**
सेवा लागत	25.54	-	25.54	0.78	-	0.78	21.27	-	21.27	9.45	-	9.45
ब्याज व्यय (आय)	37.51	37.37	0.14	1.21	-	1.21	26.62	-	26.62	20.54	-	20.54
लाभ तथा हानि में मानी गई कुल राशि	**63.05**	**37.37**	**25.68**	**1.99**	**-**	**1.99**	**47.89**	**-**	**47.89**	**29.99**	**-**	**29.99**
पुनः मापन												
ब्याज व्यय (आय) में शामिल राशि को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	-	4.05	(4.05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन के (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	(23.99)	-	(23.99)	(0.26)	-	(0.26)	48.85	-	48.85	16.22	-	16.22
अन्य विस्तृत आय में पहचान की गई कुल राशि	**(23.99)**	**4.05**	**(28.04)**	**(0.26)**	**-**	**(0.26)**	**48.85**	**-**	**48.85**	**16.22**	**-**	**16.22**
कर्मचारी अंशदान	-	28.66	(28.66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हितलाभ भुगतान	30.44	(30.44)	-	(0.85)	-	(0.85)	(59.93)	-	(59.93)	(7.65)		(7.65)
31 मार्च, 2016	**477.48**	**506.72**	**(29.24)**	**16.02**	**-**	**16.02**	**369.61**	**-**	**369.61**	**295.36**	**-**	**295.36**

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			ओआरडीबी			छुट्टियां			पीएमआरएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
1 अप्रैल, 2016	477.48	506.72	(29.24)	16.02	-	16.02	369.61	-	369.61	295.36	-	295.36
सेवा लागत	163.24	-	163.24	0.87	-	0.87	29.55	-	29.55	10.32	-	10.32
ब्याज व्यय (आय)	38.20	40.54	(2.34)	1.28	-	1.28	29.57	-	29.57	23.63	-	23.63
लाभ तथा हानि में मानी गई कुल राशि	**201.44**	**40.54**	**160.90**	**2.15**	**-**	**2.15**	**59.12**	**-**	**59.12**	**33.95**	**-**	**33.95**
पुनः मापन												
ब्याज व्यय (आय) में शामिल राशि को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल	-	5.16	(5.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

69. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

विवरण	उपदान			ओआरडीबी			छुट्टियां			पीएमआरएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	19.51	-	19.51	0.61	-	0.61	19.05	-	19.05	24.77	-	24.77
अनुभव (लाभ)/हानि	(46.89)	-	(46.89)	(1.22)	-	(1.22)	101.40	-	101.40	(6.01)	-	(6.01)
अन्य विस्तृत आय में पहचान की गई कुल राशि	**(27.38)**	**5.16**	**(32.54)**	**(0.61)**	**-**	**(0.61)**	**120.45**	**-**	**120.45**	**18.76**	**-**	**18.76**
अर्जन समायोजन	1.44	-	1.44	0.08	-	0.08	0.95	-	0.95	0.76	-	0.76
कर्मचारी अंशदान	-	26.85	(26.85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(27.44)	(27.44)	-	-	-	-	(60.16)	-	(60.16)	(8.55)	-	(8.55)
31 मार्च, 2017	**625.54**	**551.83**	**73.71**	**17.64**	**-**	**17.64**	**489.97**	**-**	**489.97**	**340.28**	**-**	**340.28**

उपर्युक्त निवल प्रकटन वित्तपोषित और वित्तपोषित न की गई योजनाओं के लिए निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			ओडीआरबी			छुट्टियां			पीएमआरएफ		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	625.54	477.48	468.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	551.83	506.72	467.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तपोषित योजना का घाटा/(आधिक्य)	**73.71**	**(29.24)**	**1.78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वित्तपोषित न की गई योजनाएं	**-**	**-**	**-**	**17.64**	**16.02**	**15.14**	**489.97**	**369.61**	**332.80**	**340.28**	**295.36**	**256.80**

कंपनी वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान उपदान ट्रस्ट को ₹39.61 करोड़ का अंशदान देने की आशा करती है।

(iii) नियोजन पश्चात हितलाभ के लिए उल्लेखनीय बीमांकिक अनुमान :

आर्थिक अनुमान

विवरण	उपदान, ओडीआरबी, पेंशन, पीएमआरएफ, पीएफ		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
बट्टा दर	7.5%	8.0%	8.0%
वेतन वृद्धि (पीएफ के लिए छोड़कर)	6.5%	6.5%	6.5%

जनसांख्यिकीय अनुमान

विवरण	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017
i) सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
ii) अशक्तता के लिए प्रावधान सहित मृत्यु-दर	आईएएलएम का 100 प्रतिशत (2006-08)	
iii) आयु		
	निकासी दर प्रतिशत	निकासी प्रतिशत
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष	2	2
44 वर्ष से ऊपर	1	1

69. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

नमूना आयु के लिए मृत्यु दर

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
15	0.000614	45	0.002874	75	0.039637
20	0.000888	50	0.004946	80	0.060558
25	0.000984	55	0.007888	85	0.091982
30	0.001056	60	0.011534	90	0.138895
35	0.001282	65	0.017009	95	0.208585
40	0.001803	70	0.025855	100	0.311628

(iv) परिभाषित हितलाभ दायित्व के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान	ओडीआरबी	छुट्टी	पीएमआरएफ
क) बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	625.55	17.64	489.97	340.28
0.5% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(19.51)	(0.61)	(19.05)	(19.75)
0.05% की कमी के कारण प्रभाव	20.91	0.62	20.59	20.11
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	625.55	-	489.97	-
0.5% की वृद्धि के कारण प्रभाव	7.51	-	20.69	-
0.5% की कमी के कारण प्रभाव	(7.81)	-	(19.31)	-

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं है, अतः परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित नहीं किया गया है।

मुद्रास्फीति की दर के लिए संवेदनशीलता, भुगतान में पेंशनों की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त हितलाभ होने के कारण सेवानिवृत्ति से पहले पेंशनों की वृद्धि दर और जीवन की प्रत्याशा प्रयोज्य नहीं है।

(v) योजना आस्तियों (उपदान) की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2017				31 मार्च, 2016				1 अप्रैल, 2015			
विवरण	**कोटिड**	**अनकोटिड**	**कुल**	**% में**	**कोटिड**	**अनकोटिड**	**कुल**	**% में**	**कोटिड**	**अनकोटिड**	**कुल**	**% में**
इक्विटी साधन (ईटीएफ)	5.94	-	5.94	1%	2.57	-	2.57	0.5%	-	-	-	
ऋण साधन												
सरकारी/राज्य बांड	269.34	-	269.34	48%	238.70	-	238.70	45.9%	222.56	-	222.56	47%
पीएसयू और निजी बांड	289.76	-	289.76	51%	279.22	-	279.22	53.6%	254.38	-	254.38	53%
कुल	**565.04**	**-**	**565.04**		**520.49**	**-**	**520.49**		**476.94**	**-**	**476.94**	
घटाएं : पोसोको से संबंधित योजना आस्तियां	13.21	-	13.21		13.77	-	13.77		9.86	-	9.86	
कुल	**551.83**	**-**	**551.83**		**506.72**	**-**	**506.72**		**467.08**	**-**	**467.08**	

योजना आस्तियों के रूप में धारित कंपनी के स्वयं के हस्तांतरणीय वित्तीय साधनों का उचित मूल्य 31 मार्च, 2017 को ₹103.38 करोड़ (31 मार्च, 2016 को ₹112.94 करोड़) (1 अप्रैल, 2015 को ₹127.37 करोड़) हैं।.

(vi) जोखिम एक्सपोजर का विवरण

मूल्यांकन कतिपय अनुमानों पर आधारित है जो स्वरूप में गतिशील हैं और समय के दौरान भिन्न हैं। इस प्रकार कंपनी निम्नानुसार जोखिमों के लिए अनाश्रित है।

क) वेतन वृद्धि (पीएफ के लिए छोड़कर) - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता को बढ़ा देगी। वेतन में वृद्धि भविष्य में मूल्यांकन में अनुमान देयता में वृद्धि कर देंगे।

ख) निवेश जोखिम - यदि योजना वित्तपोषित है तो देयता में बेमेल और आस्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल पिछली मूल्यांकन तारीख पर अनुमानित बट्टा दर से कम है तो देयता को प्रभावित कर सकती है।

ग) छूट दर - परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कमी प्लान देयता को ब़ढा सकती है।

घ) मृत्यू की दर और अशक्तता - वास्तविकता मृत्यु और अशक्तता मामले मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक प्रमाणित होने पर देयताओं पर प्रभाव डाल सकते हैं:

ङ) निकासी - वास्तविक निकासियों के अनुमानित निकासियों से अधिक या कम प्रमाणित होने पर और बाद के मूल्यांकानों में निकासी की दरें योजना की देयता को प्रभावित कर सकती है।

69. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

(vii) परिभाषित हितलाभ देयता और कर्मचारी का अंशदान

परिभाषित हितलाभ दायित्वों की भारांशित औसत अवधि 43.08 वर्ष (2015-16 - 42.85 वर्ष, 2014-15 - 42.99 वर्ष) है। बिना बट्टे के पेंशन, उपदान, अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ और नियोजन पश्चात चिकित्सा हितलाभ का संभावित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	2-5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2017					
परिभाषित हितलाभ देयता (उपदान)	76.06	68.00	178.52	302.96	625.54
नियोजन पश्चात हितलाभ	9.28	10.06	36.16	284.80	340.30
ओडीआरबी	1.81	1.16	4.47	10.20	17.64
अन्य कर्मचारी हितलाभ (एलएसए)	0.97	0.65	2.59	9.12	13.33
कुल	**88.12**	**79.87**	**221.74**	**607.08**	**996.81**
31 मार्च, 2016					
परिभाषित हितलाभ देयता (उपदान)	37.72	37.57	112.58	289.62	477.49
नियोजन पश्चात चिकित्सा हितलाभ	7.25	7.87	28.25	251.99	295.36
ओडीआरबी	1.47	1.43	4.09	9.03	16.02
अन्य कर्मचारी हितलाभ (एलएसए)	1.35	1.27	3.56	6.71	12.89
कुल	**47.79**	**48.14**	**148.48**	**557.35**	**801.76**
1 अप्रैल, 2015					
परिभाषित हितलाभ देयता (उपदान)	34.94	31.21	111.58	291.13	468.86
नियोजन पश्चात चिकित्सा हितलाभ	6.55	7.11	25.53	217.60	256.79
ओडीआरबी	1.18	1.21	3.80	8.94	15.13
अन्य कर्मचारी हितलाभ (एलएसए)	1.08	1.05	3.25	6.56	11.94
कुल	**43.75**	**40.58**	**144.16**	**524.23**	**752.72**

70. हाल की लेखांकन घोषणाएं

मानक जारी किए गए परन्तु अभी प्रभावी नहीं

मार्च, 2017 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 'नकद प्रवाह का विवरण' इंड एएस 7 के लिए संशोधन अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन नियम, 2017) जारी किए। संशोधन 'नकद प्रवाह का विवरण', आईएस 7 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा किए गए हाल के संशोधनों के अनुसार हैं। 1 अप्रैल, 2017 से यह संशोधन कंपनी पर लागू गै।

इंड एएस 7 'नकद प्रवाह का विवरणट के लिए संशोधन :

इंड एएस 7 'नकद प्रवाह का विवरण' के लिए संशोधन कंपनियों को ऐसे प्रकटन प्रदान करने की अपेक्षा करता है जो नकद प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तनों दोनों सहित वित्तीय गतिविधियों से उठने वाली देयताओं में परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को समर्थ बनाएगा, प्रकटन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उठने वाली देयताओं के लिए तुलनपत्र में अथ और बंद शेषों के बीच मिलान को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। कम्पनी संशोधन की अपेक्षाओं का और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

71. इंड एएस को पहली बार अपनाना

इंड एएस में परिवर्तन

ये इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण हैं। नोट 2 में बतायी गई लेखांकन नीतियों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू किया गया है, 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणों में और 1 अप्रैल, 2015 (परिवर्तन की तारीख) को अथ इंड एएस तुलन पत्र तैयार करने में तुनात्मक सूचना प्रस्तुत की गई है। अथ इंड एएस तुलन पत्र तैयार करने में कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) और अधिनियम (पूर्ववर्ती जीएएपी या भारतीय जीएएपी) के अन्य संगत प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में पहले सूचित राशियों को समायोजित किया है।

71. इंड एएस को पहली बार अपनाना (जारी)

31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 को इक्विटी का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	पहली बार अपनाने के लिए नोट	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारक की निधि)		42967.68	38438.73
समायोजन			
निवेशों का उचित मूल्य	I	64.80	85.08
परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की पहचान के लिए नीति में परिवर्तन	XII	(21.15)	(42.37)
उधार - लेन-देन की लागत का समायोजन	III	38.49	45.28
कर्मचारी ऋणों का उचित मूल्यांकन	VII	(1.35)	0.00
वित्त पट्टे के रूप में द्विपक्षीय लाइन	XI	(3.98)	0.00
प्रतिधारण धन संशोधन	X	49.66	63.29
लाभांश (लाभांश कर सहित)	V	950.79	840.12
पूर्व अवधि के मूल्यह्रास को दोबारा बताना	XIII	2.44	62.28
कर समायोजन	II	(28.15)	(28.17)
इंड एएस समायोजनों का प्रभाव-संयुक्त उद्यम	XV	(49.30)	54.46
कुल समायोजन		1002.25	1079.97
इंड एएस के अनुसार कुल इक्विटी		**43969.93**	**39518.70**

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	पहली बार अपनाने के नोट	पूर्ववर्ती जीएएपी	समायोजन	इंड एएस
पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार कर पश्चात लाभ		6014.56		
समायोजन				
परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की पहचान के लिए नीति में परिवर्तन	XII		21.22	
नियोजन पश्चात हितलाभ दायित्वों का पुनः मापन	VI		(8.31)	
उधार-लेनदेन की लागत समायोजित	III		(6.81)	
कर्मचारी ऋणों का उचित मूल्यांकन	VII		(1.35)	
वित्त पट्टे के रूप में द्विपक्षीय लाइन	XI		(3.98)	
प्रतिधारण धन समायोजन	X		(13.63)	
स्वयं-बीमा प्रारक्षित भंडार	XIV		(5.29)	
पूर्व अवधि की त्रुटि के कारण दोबारा बताना	XIII		(60.07)	
कर समायोजन	II		(0.02)	
इंड एएस समायोजनों का प्रभाव - संयुक्त उद्यम	XV		22.29	
कुल समायोजन			**(55.95)**	
इंड एएस के अनुसार कर पश्चात लाभ				**5958.61**
अन्य विस्तृत आय	IX			(11.94)
इंड एएस के अनुसार कुल विस्तृत आय				**5946.67**

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाहों के विवरणों पर इंड एएस अपनाने का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्ववर्ती जीएएपी	समायोजन	इंड एएस
प्रचालन गतिविधि से निवल नकद प्रवाह	16900.00	(1891.92)	15008.08
निवेश करने की गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	(22021.24)	444.74	(21576.50)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	5720.55	(99.73)	5620.82
नकद और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी)	**599.31**	(1,546.91)	**(947.60)**
1 अप्रैल, 2015 को नकद और नकदी समकक्ष	2988.55	(497.36)	2491.19
31 मार्च, 2016 को नकद और नकदी समकक्ष	3587.86	(2,044.27)	1543.59

71. इंड एएस को पहली बार अपनाना (जारी)

क. पहली बार अपनाने के लिए नोट

नोट I: उचित मूल्य निवेश

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत इक्विटी साधनों में निवेश की अभिप्रेत धारण अवधि और प्राप्ति पर आधारित दीर्घकालीन या चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। दीर्घकालीन निवेशों को ऐसे निवेशों के मूल्य में अस्थायी कमी को छोड़कर के लिए लागत रहित प्रावधानों पर आगे ले जाया जाता था। चालू निवेशों को लागत के कम और उचित मूल्य पर आगे ले जाया जाता था। इंड-एएस के तहत इन निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना अपेक्षित है।

एफवीओसीआई के रूप में नामित इक्विटी साधनों में निवेश के संबंध में उचित मूल्य परिवर्तनों को परिवर्तन की तारीख को अन्य विस्तृत आय में पहचाना गया है और बाद में 31 मार्च, 2016 हुए वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय में माना गया है। इसने अन्य व्यापक प्रारक्षित भंडार को 31 मार्च, 2016 को ₹64.80 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 को ₹85.08 करोड़) तक दिया।

उपर्युक्त के फलस्वरूप, कुल इक्विटी 31 मार्च, 2016 को ₹64.80 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 को ₹85.08 करोड़) तक बढ़ गई और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय ₹20.28 करोड़ कम हो गई।

नोट - II : आस्थगित कर

इंड एएस में परिवर्तन पर आस्थगित कर को किए गए समायोजनों में पहचाना गया है। इसके अलावा कंपनी ने संयुक्त उद्यमों ओर सहायक कंपनियों की प्रेषित न किए अर्जनों पर ₹7.27 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 ₹34.88 करोड़) की आस्थगित कर देयता का सृजन किया है और इन्ट्रा समूह परामर्श सेवाओं पर उठने वाले प्राप्त न किए गए लाभ पर ₹7.29 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 ₹6.71 करोड़) आस्थगित कर देयता का सृजन किया है।

नोट-III : उधार :

इंड एएस 109 'वित्तीय साधन' में प्रारंभिक पहचान पर उधारों की आगे ले जाए जाने वाली राशि से उधार के लिए खर्च की गई लेन-देन लागतों को घटाना अपेक्षित है। इन लागतों को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करके ब्याज व्यय के भाग के रूप में उधार की अवधि के दौरान लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत इन लेन-देन की लागतों को किए जाने पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता था। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 को उधार अन्य इक्विटी, प्रगति पर पूंजी कार्य और परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए तदनुरूपी संशोधन के साथ ₹ 66.50 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 ₹ 64.21 करोड़) तक कम हो गए। कुल इक्विटी समान राशि से बढ़ गई। अतिरिक्त ब्याज व्यय के फलस्वरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ ₹6.81 करोड़ तक कम हो गया।

नोट - IV : निवेश परिसम्पत्ति

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत निवेश परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इंड एएस के तहत निवेश परिसम्पत्तियों को तुलनपत्र के मुख पर अलग से प्रस्तुत किया जाता है। कुल इक्विटी पर और इस समायोजन के फलस्वरूप लाभ पर कोई प्रभाव नहीं है।

नोट - V : प्रस्तावित लाभांश

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत तुलपनपत्र की तारीख के पश्चात परन्तु वित्तीय अनुमोदनों के पूर्व निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को समायोजित करने की घटना माना जाता था। तदनुसार, प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान को देयता के रूप में माना जाता था। इंड एएस के तहत ऐसे लाभांशों की पहचान तब की जाती है जब इन्हें आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार, प्रावधान के तहत शामिल 31 मार्च, 2016 को ₹950.79 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 ₹840.12 करोड़) के प्रस्तावित लाभांश के लिए देयता को प्रतिधारित अर्जनों के लिए तदनुरूपी समायोजन से उल्ट दिया गया है। परिणामतः कुल इक्विटी समान राशि द्वारा बढ़ गई।

नोट - VI : नियोजन पश्चात हितलाभ दायित्वों का पुनः मापन

इंड एएस के तहत पुनः मापन अर्थात निवल परिभाषित हितलाभ देयता पर निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना आस्तियों पर प्रतिफल और बीमांकिक लाभ और हानियों को लाभ या हानि की बजाए अन्य विस्तृत आय में पहचाना जाता है। पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत ये पुनः मापन वर्ष के लिए लाभ या हानि का भाग बनते थे। इस परिवर्तन के फलस्वरुप 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्श के लिए लाभ में ₹8.31 करोड़ तक की कमी हुई। 31 मार्च, 2016 को कुल इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं है।

नोट - VII : कर्मचारी ऋणों का उचित मूल्यांकन

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत रियायती दरों पर कर्मचारी ऋणों को उनके लेन-देन के मूल्य पर दर्ज किया जाता है। इंड एएस के तहत इनको उचित मूल्य पर पहचानना अपेक्षित है। उचित मूल्य और कर्मचारी ऋणों के लेन-देन के मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लागत के रूप में माना गया है। परिवर्तन के फलस्वरूप 31 मार्च, 2016 को कर्मचारी ऋणों की राशि ₹52.80 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 ₹49.71 करोड़) तक कम हो गई। 31 मार्च, 2016 को आस्थगित कर्मचारी लागत ₹51.45 करोड़ (1 अप्रैल, 2015 ₹49.71 करोड़) तक बढ़ गई।

31 मार्च, 2016 को आस्थगित कर्मचारी लागत के परिशोधन के कारण वर्ष के लिए लाभ और कुल इक्विटी 31 मार्च, 2016 को ₹1.35 करोड़ तक कम हो गई जो आंशिक रुप से कर्मचारी ऋणों पर पहचानी गई ब्याज आय द्वारा प्रति संतुलित हो गई।

71. इंड एएस को पहली बार अपनाना (जारी)

नोट-VIII : प्रतिधारित अर्जन

उपर्युक्त इंड एएस परिवर्तन समायोजनों के फलस्वरूप 1 अप्रैल, 2015 को प्रतिधारित अर्जनों को समायोजित किया गया है।

नोट -IX : अन्य विस्तृत आय

आय और व्यय की मदें जिनकी लाभ या हानि में पहचान नहीं की जाती परन्तु 'अन्य व्यापक आय', जिसमें परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन, एफवीओसीआई इक्विटी साधनों पर लाभ या (हानि) का उचित मूल्य, शामिल है, के रूप में लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है। पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत अन्य व्यापक आय की अवधारणा मौजूदा नहीं थी।

नोट - X : प्रतिधारण धन का समायोजन

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत पूंजीगत व्यय पर प्रतिधारण धन को अंकित मूल्य पर दर्ज किया जाता था। इंड एएस के तहत यदि समय मूल्य महत्वपूर्ण है तो वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है। तदनुसार, प्रतिधारण धन को अन्य इक्विटी और प्रगति पर पूंजीगत कार्य में तदनुरुपी वृद्धि के साथ उनके वर्तमान मूल्य के लिए कम किया गया है। इस परिवर्तन नें 1 अप्रैल, 2015 को अन्य इक्विटी और प्रगति पर पूंजीगत कार्य में ₹63.29 करोड़ और ₹1.57 करोड़ और 31 मार्च, 2016 को ₹49.66 करोड़ और ₹4.29 करोड़ की तदनुरूपी वृद्धि से प्रतिधारण धन की देयता को 1 अप्रैल, 2015 ओर 31 मार्च, 2016 को ₹60.59 करोड़ और ₹53.95 करोड़ तक कम किया है। 31 मार्च, 2016 को प्रतिधारण धन देयता पर सांकेतिक ब्याज में परिवर्तन के कारण 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ में ₹13.63 करोड़ की कमी हुई।

नोट - XI : वित्त पट्टों के रूप में द्विपक्षीय लाइन की पहचान

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत द्विपक्षीय लाइनों को परिसम्पत्ति, संयंत्र ओर उपस्कर के तहत कंपनी की बहियों में आस्ति के रूप में दर्ज किया जाता है। इंड एएस 17 'पट्टे' का परिशिष्ट ग ने किसी व्यवस्था के आरंभ पर सिफारिश करने के लिए पद्धति निर्दिष्ट की है, क्या व्यवस्था में पट्टा शामिल है। इंड एएस 101 'भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना' के अनुसार कंपनियां, परिवर्तन की तारीख को मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उन व्यवस्थाओं के लिए इंड एएस 17 'पट्टे' की अपेक्षाओं को लागू करके इंड एएस में पट्टों के लिए परिवर्तन की तारीख को क्या व्यवस्थाएं मौजूद थीं, निर्धारित कर सकती हैं। तदनुसार, ऐसी द्विपक्षीय लाइनों को कंपनी द्वारा वित्त पट्टों के रूप में निर्धारित किया है और वित्त पट्टों (पट्टादाता) के रूप में दर्ज किया जाता है।

नोट - XII : परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की पहचान के लिए नीति में परिवर्तन

परिवर्तन की तारीख को इंड एएस 16 'परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर' के अनुसार आस्ति के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले फालतू पुर्जों के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव को अन्य प्रारक्षित भंडारों में पहचाना गया है और इसके पश्चात लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है। इससे 1 अप्रैल, 2015 को माल सूची में ₹88.43 करोड़ ओर ₹112.59 करोड़ और अन्य इक्विटी में ₹42.35 करोड़ तक की कमी से 1 अप्रैल, 2015 और 31 मार्च, 2016 को परिसम्पत्ति, संयंत्र ओर उपस्कर में क्रमशः ₹46.07 करोड़ और ₹45.32 करोड़ की वृद्धि हो गई। 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ ₹21.22 करोड़ तक बढ़ गया।

नोट - XIII : पूर्व अवधि की त्रुटि के कारण पुनः विवरण

इंड एएस 8 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तनट के तहत पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटि को भूतलक्षी पुनः विवरण द्वारा सही किया जाएगा। पूर्व अवधि आय वित्त वर्ष 2015-16 में पहचानी गई थी जिसे 1 अप्रैल, 2015 को पुनः बताया गया था। इसमें 1 अप्रैल, 2015 को कुल इक्विटी में ₹62.28 करोड़ की तदनुरूपी वृद्धि से मूल्यह्रास को ₹60.07 करोड़ तक कम कर दिया और सीडब्ल्यूआईपी और अन्य देनदारी को ₹14.07 करोड़ और ₹16.51 करोड़ तक बढ़ा दिया। 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ को ₹60.07 करोड़ कम कर दिया।

नोट - XIV : स्वयं बीमा प्रारक्षित भंडार

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत स्थिर आस्ति की हानि के मामले में राशि को आय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में अंतरित कर दिया जाता था। इंड एएस - स्वयं बीमा प्रारक्षित भंडार को आय के रूप में लेने के बजाए सामान्य प्रारक्षित भंडार को अंतरित करना होता है। इस कारण से 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ ₹5.29 करोड़ कम हो गया।

नोट - XV :इंड एएस समायोजनों का प्रभाव - संयुक्त उद्यम और बिक्री के लिए धारित आस्ति

इसमें संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा इंड एएस समायोजनों का प्रभाव शामिल है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ ₹22.29 करोड़ कम हो गया और अन्य इक्विटी ₹103.76 करोड़ कम हो गई।

नोट - XVI :संयुक्त उद्यम का समेकन

पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों को समानुपातिक समेकन विधि के प्रयोग के लिए हिसाब में लिया जाता था। इंड एएस के तहत इन कंपनियों को संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इक्विटी विधि के प्रयोग के लिए हिसाब में लिया जाता है क्योंकि ये कंपनियां सीमित देयता कंपनियां हैं जिनका कानूनी रूप निवेशकों से कंपनी को अलग प्रस्तुत करता है। संयुक्त व्यवस्था के लिए पार्टियों का इन कपंनियों की आस्तियों और देयताओं के लिए सीधा अधिकार नहीं होता है।

इक्विटी विधि को लागू करने के प्रयोजन से परिवर्तन की तारीख को इन कंपनियों में निवेश को आस्तियां और देयताओं, जिन्हें कंपनी ने पहले समानुपातिक रूप में समेकित किया था, के आगे ले जाए जाने वाली राशियों के कुल के रूप में मापा जाता है।

71. इंड एएस को पहली बार अपनाना (जारी)

(i) संयुक्त उद्यमों की निम्नलिखित आस्तियों और देयताओं को पहले पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत समानुपातिक रूप से समेकित किया गया था :

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड		जेपी पावरग्रिड लिमिटेड		पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लिमिटेड	
	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
गैर-चालू आस्तियां														
परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	-	57.57	61.85	207.13	220.55	225.19	211.70	0.04	0.03	483.59	506.03	0.08	0.02
अन्य गैर-चालू आस्तियां	482.13	519.15	-	-	23.46	16.82	2.91	20.32	251.06	188.60	13.59	14.41	55.92	42.04
कुल गैर चालू आस्तियां	482.13	519.15	57.57	61.85	230.59	237.36	228.10	232.02	251.10	188.64	497.19	520.44	56.00	42.06
चालू आस्तियां														
माल सूची	-	-	0.17	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	14.26	12.19	2.10	2.41	11.51	11.51	10.08	15.25	-	-	-	-	-	-
नकद और नकदी समकक्ष	0.14	1.28	0.32	0.16	1.23	3.77	7.02	5.25	24.21	13.35	59.93	59.59	2.00	-
अन्य चालू आस्तियां	93.33	95.79	6.30	4.42	4.55	3.82	0.18	0.05	1.77	0.36	8.58	3.50	0.60	4.82
कुल चालू आस्तियां	107.73	109.26	8.88	7.13	17.29	19.11	17.28	20.55	25.98	13.71	68.51	63.09	2.60	4.82
कुल आस्तियां	589.86	628.41	66.46	68.98	247.88	256.47	245.38	252.57	277.08	202.35	565.70	583.53	58.60	46.88
गैर-चालू देयताएं														
उधार	86.62	130.99	26.53	31.82	109.89	125.17	139.50	149.47	168.03	139.42	397.06	426.46	31.43	23.87
कर्मचारी हितलाभ दायित्व	0.52	0.57	0.01	0.02	0.02	0.02	0.14	0.13	0.09	0.08	0.02	0.01	-	-
अन्य गैर-चालू देयताएं	68.34	76.68	6.50	4.28	22.09	18.10	-	-	6.17	4.66	13.72	13.72	0.14	0.10
कुल गैर-चालू देयताएं	155.48	208.24	33.04	36.12	132.00	143.29	139.64	149.60	174.29	144.16	410.80	440.19	31.57	23.97
चालू देयताएं														
उधार	-	-	-	-	2.90	6.49	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	1.58	1.52	-	-	0.11	0.10	0.07	0.07	0.46	0.10	23.53	28.38	3.59	1.24
व्यापार चालू देयताएं	73.18	64.88	5.86	5.85	15.54	17.02	29.48	30.59	35.55	10.76	41.05	36.21	-	0.02
कुल चालू देयताएं	74.76	66.40	5.86	5.85	18.55	23.61	29.55	30.65	36.00	10.86	64.58	64.59	3.59	1.26
पहचान न की गई निवल आस्तियां	359.62	353.77	27.56	27.01	97.33	89.57	76.19	72.31	66.78	47.33	90.32	78.75	23.44	21.65
इक्विटी विधि के तहत मानी गई निवल आस्तियों का हिस्सा	359.62	353.77	27.56	27.01	97.33	89.57	76.19	72.31	66.78	47.33	90.32	78.75	23.44	21.65

71. इंड एएस को पहली बार अपनाना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिस लिमिटेड		बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		कलिंगा बिदुयत प्रसारण निगम प्रा. लिमिटेड		क्रॉस बार्डर ट्रांसमिशन लि.		आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लिमिटेड		पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	
	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
गैर-चालू आस्तियां												
परिसम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	37.79	13.95	2.07	1.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.03	0.03
अन्य गैर-चालू आस्तियां	45.45	23.11	282.09	32.22	0.58	0.58	57.62	39.50	0.33	-	19.09	7.93
कुल गैर-चालू आस्तियां	83.24	37.06	284.16	33.23	0.58	0.58	57.63	39.51	0.33	-	19.12	7.96
चालू आस्तियां												
माल सूची	24.47	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापक प्राप्य	49.14	9.17	-	-	-	-	0.22	-	-	-	0.56	-
नकद और नकदी समकक्ष	33.39	8.80	8.36	0.13	0.01	0.01	0.54	1.14	0.09	-	0.17	1.82
अन्य चालू आस्तियां	13.34	22.93	1.32	0.56	-	-	12.44	1.36	-	-	0.38	0.94
कुल चालू आस्तियां	120.34	40.93	9.68	0.69	0.01	0.01	13.20	2.50	0.09	-	1.11	2.76
कुल आस्तियां	203.58	77.99	293.84	33.92	0.59	0.59	70.83	42.01	0.42	-	20.23	10.72
गैर-चालू देयताएं												
उधार	41.06	21.94	151.02	19.25	-	-	38.17	27.56	-	-	11.85	3.73
कर्मचारी हितलाभ दायित्व	0.05	0.13	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
अन्य गैर-चालू देयताएं	4.47	1.57	-	-	-	-	1.13	0.32	-	-	-	-
कुल गैर-चालू देयताएं	45.58	23.64	151.02	19.25	-	-	39.32	27.88	-	-	11.85	3.73
चालू देयताएं												
उधार	38.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	33.06	19.36	-	-	-	-	13.83	6.39	-	-	3.04	3.82
अन्य चालू देयताएं	53.34	7.14	102.51	4.64	0.58	0.58	2.48	1.65	0.31	-	0.09	2.19
कुल चालू देयताएं	125.25	26.50	102.51	4.64	0.58	0.58	16.31	8.04	0.31	-	3.13	6.01
मानी नहीं गई निवल आस्तियां	32.75	27.85	40.31	10.03	0.01	0.01	15.20	6.09	0.11	-	5.25	0.98
इक्विटी विधि के तहत मानी गई निवल आस्तियों का हिस्सा	32.75	27.85	40.31	10.03	0.01	0.01	15.20	6.09	0.11	-	5.25	0.98

71. इंड एएस को पहली बार अपनाना (जारी)

(ii) आप एवं कम की निम्नलिखित मदें 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए पूर्ववती जीएए पीके तहत पहले से उपयुक्त रुप से समेकित थीं

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	तीस्तावेली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लिमिटेड	एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिस लिमिटेड	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	कलिंग विद्युत प्रसारण निगम प्रा. लिमिटेड	क्रॉस बार्डर ट्रांसमिशन लिमिटेड	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लिमिटेड	पावर ट्रांसमिशन कंपनी, नेपाल लिमिटेड
राजस्व	87.44	14.76	45.24	39.65	-	108.78	-	113.13	-	-	30.18	-	0.56
व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्मचारी हितलाभ व्यय	3.27	0.26	0.81	0.88	-	0.55	-	1.74	-	-	0.31	-	0.01
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	4.28	13.81	12.43	-	29.25	-	2.39	-	-	0.01	-	-
वित्त लागत	15.08	3.78	16.22	20.50	-	52.38	-	1.89	-	-	3.90	-	0.07
अन्य व्यय	5.53	0.86	1.34	0.93	0.10	2.17	-	97.60	-	-	21.29	-	0.02
चालू कर व्यय	3.90	3.49	(0.33)	1.03	-	-	-	1.71	-	-	0.95	-	0.09
कर पश्चात लाभ	59.66	2.10	13.39	3.87	(0.10)	24.43	-	7.80	-	-	3.72	-	0.37

(iii) इंड एएस के तहत संयुक्त उद्यम के इक्विटी लेखांकन के कारण प्रभाव :

(₹ करोड़ में)

इक्विटी विधि के अनुसार माना गया संयुक्त उद्यम के लाभ का हिस्सा	59.66	2.10	13.40	3.88	(0.10)	24.45	-	7.79	-	-	3.72	-	0.37
इक्विटी विधि के अनुसार अन्य व्यापक आय (पुनः मापी गई) का हिस्सा	-	-	-	0.01	-	0.02	-	(0.01)	-	-	-	-	-

(iv) नकद प्रवाह के समेकित विवरण में इंड एएस के तहत न लिए गए 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह का संक्षिप्त विवरण :

(₹ करोड़ में)

अथ नकद और नकदी समकक्ष 1 अप्रैल, 2015	1.28	1.86	3.77	5.25	24.21	59.59	4.59	1.56	0.13	0.01	1.14	-	1.82
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	105.79	12.95	26.87	41.12	13.47	84.83	1.97	7.39	231.03	-	(13.19)	0.31	1.93
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह	6.70	1.36	-	(16.30)	(22.93)	(3.39)	(9.66)	(17.29)	(253.09)	-	0.08	(0.33)	(2.64)
वित्तपाणीय गतिविधियों से नकद प्रवाह	(113.63)	(10.62)	(29.41)	(26.65)	(2.61)	(81.10)	5.18	(13.11)	30.29	-	12.51	0.10	(0.95)
बंद नकद और नकदी समकक्ष 31 मार्च, 2016	0.14	5.54	1.23	3.42	12.13	59.92	2.07	4.77	8.36	0.01	0.54	0.09	0.17

72. क) आंकड़ों को दो दशमलव तक करोड़ में निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

ख) पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जब भी आवश्यक समझा गया, समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

कृते एवं निदेशक - मंडल की ओर से

दिव्या टंडन	**के. श्रीकांत**	**आई. एस. झा**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.	**कृते आर. जी. एन. प्राइस एंड कं.**	**कृते कोठारी एंड कंपनी**	**कृते परख एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001135एन	फर्म पंजीकरण सं. 002785एस	फर्म पंजीकरण सं. 301178ई	फर्म पंजीकरण सं. 001475सी
(**सीए एस. के. मित्तल**)	(**सीए आर. रंगराजन**)	(**सीए मानस्वी कोठारी**)	(**सीए इंद्रपाल सिंह**)
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 008506	सदस्यता सं. 041883	सदस्यता सं. 064601	सदस्यता सं. 410433

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 29 मई, 2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

पावरग्रिड कापरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके पश्चात ''धारित कंपनी'' के रूप में कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियों (धारित कंपनी और इसकी सहायक कंपयों को इकट्ठे ''समूह'' के रूप में कहा जाएगा) और संयुक्त उद्यमों के संलग्न इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलपन पत्र और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ तथा हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) के समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और उल्लेनीय लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके पश्चात ''समेकित'' इंड एएस वित्तीय विवरणों'' के रूप में कहा जाएगा) शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारित कंपनी का निदेशक-मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात ''अधिनियम'' कहा जाएगा) की अपेक्षाओं के अनुसार इन समेकित एंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित नकदी प्रवाहों का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक शामिल है, जो यथा संशोधित (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित है। समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के संबंध निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों के रक्षोपाय हेतु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण रिकॉर्डो का रख-रखाव करने के लिए जिम्मेदार है और धोखाधड़ियों अन्य अनियमितताएं, को रोकने एवं पता लगाने के लिए तथा उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन एवं लागू करना; राय एवं अनुमान लगाना शामिल है, जो उचित एवं प्रासंगिक हैं तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोलों को लागू करना एवं रख-रखाव शामिल हैं, जो लेखाकरण रिकॉर्डो की परिशुद्धता एवं परिपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन में थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष राय देते हैं ओर महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा चूक के कारण जिनका कंपनी, जैसा ऊपर कहा गया है, निदेशकों के द्वारा समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की है। हमने लेखा परीक्षा करते समय अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इन नीतिपरक अपेक्षाओं एवं प्लान का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त है।

लेखापरीक्षा में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूलयांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है। उन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक एवं समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतिकरण पर धारित कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, तैयार की जा सकें। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और धारित कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य और नीचे के अन्य मामलों के पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित उनकी रिपोर्टो के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी मान्य लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोच्च जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग इंड एएस वित्तीय विवरणों और सहायक कंपनियों की अन्य वित्तीय सूचना पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टो के विचार के आधार पर उपरोक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण इस प्रकार अपेक्षित ढंग से अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2017 को समूह और इसके संयुक्त उद्यमों की समेकित मामलों की दशा (वित्तीय स्थिति) और उनके उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ (अन्य विस्तृत आय सहित वित्तीय निष्पादन), उनके समेकित नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तनों के समेकित विवरण के भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

मामले का महत्व

हम समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोटों में निम्नलिखित मामलों के प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं :

(क) पारेषण आस्तियों में राजस्व की पहचान के संबंध में नोट सं. 37(ख)(ii), जिनके लिए सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेश अभी जारी किए जाने हैं;

(ख) व्यापार प्राप्य और वसूली योग्य और व्यापार और अन्य देय की शेष का पुष्टिकरण, मिलान और परिणामी संशोधनों, यदि कोई हो, के संबंध में नोट सं. 48(क)।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय को अशोधित नहीं किया गया है।

अन्य मामले

(क) इन समेकित इंड एएस वित्तीय विरणों में शामिल 1 अप्रैल, 2015 को परिवर्तन की तारीख को अथ तुलन पत्र के लिए कंपनी की तुलनात्मक सूचना कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2016 के अनुसार पहले जारी समेकित विवरणों पर आधारित है, जिनकी पूर्व लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिनकी 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिनांक 30 मई, 2015 की रिपोर्ट उन तुलनात्मक वित्तीय विवरणों पर योग्य राय प्रस्तुत की थी, इंड एएस में परिवर्तन पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखाकरण सिद्धान्तों में अंतरों के लिए यथा समायोजित की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

(ख) इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय सूचना पहले जारी सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित है, जिन्हें कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किया गया था की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी और हमारी रिपोर्ट ने उन समेकित वित्तीय विवरणों पर अशोधित राय व्यक्त की थी, इंड एएस में परिवर्तन पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखाकरण सिद्धान्तों में अंतरों के लिए यथा समायोजित की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

(ग) हमने निम्नलिखित सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की, जिसके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2017 को कुल आस्तियों और निवल आस्तियों के नीचे दिए गए ब्यौरे दशाते हैं, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकद प्रवाह इस सीमा तक जिस तक वे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं :

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	कुल आस्तियां	निवल आस्तियां	कुल राजस्व	निवल नकद अंतर्वाह/ (बहिर्गमन)
ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

समेकित इंड एएस वित्तीय विरणों में निम्न संयुक्त उद्यमों, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की है, के संबंध में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में यथा विचार किए गए 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समूह के हिस्से का निवल लाभ/हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) शामिल है।

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम	समूह का हिस्सा निवल लाभ/(हानि)
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	8.17
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	96.00
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लिमिटेड	0.00
कुल	**104.17**

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा 26 मई, 2017 तक प्रस्तुत की गई हैं और समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण, जहां तक कि ये इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटनों से संबंधित हैं, पर हमारी राय और अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक कि वह उपरोक्त सहायक कंपनियों और उद्यमों से संबंधित है, महत्व सहित किसी अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का प्रयोग करना पर अंकेषण (एसए 600) पर मानक की अपेक्षा पर विचार करने के पश्चात अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरी तरह आधारित है।

(घ) हमने निम्नलिखित सहायक कंपनियों, के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2017 को कुल आस्तियां और निवल आस्तियां, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकद प्रवाहों को उस सीमा तक दर्शाते हैं जिस सीमा तक उन्हें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	कुल आस्तियां	निवल आस्तियां	राजस्व	निवल नकदी अंतर्वाह/ (बर्हिगमन)
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लि.	264.79	0.15	-	(0.16)
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लि.	227.91	1.05	-	0.03
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लि.	1092.47	140.61	19.15	(0.01)
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लि.	567.54	0.10	-	0.20
पवरग्रिड सदर्न इन्टरकनेक्टर ट्रांसमिशन लि.	581.58	0.03	-	1.74
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लि.	79.73	12.91	4.08	7.16
पावरग्रिड विमगिरि ट्रांसमिशन लि.	0.02	(19.38)	-	-

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	कुल आस्तियां	निवल आस्तियां	राजस्व	निवल नकदी अंतर्वाह/(बर्हिगमन)
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लि.	1309.34	184.27	67.97	-
पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लि.	852.91	26.42	3.66	0.81
मेदनीपुर जीराट ट्रांसमिशन लि.	19.50	0.01	-	0.29
कुल	**4995.79**	**346.17**	**94.86**	**10.06**

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित संयुक्त उद्यमों, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है, के संबंध में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में यथा विचार किए गए 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) का समूह का हिस्सा शामिल है।

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम	निवल लाभ/(हानि) का समूह का हिस्सा
बिहार ग्रिड कंपनी लि.	(1.05)
क्रॉस बार्डर ट्रांसमिशन लि.	3.60
जेपी पावरग्रिड लि.	13.06
कलिंग विद्युत प्रसारण निगम प्रा. लि.	-
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्रा. लि.	-
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लि.	18.65
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लि.	0.34
टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	0.89
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लि.*	2.09
कुल	**37.58**

*भारत से बाहर स्थित

इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और इन्हें नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और समेकित इंड एएस विवरणों हमारी राय जहां तक ये इन संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के अनुसार, जहां तक ये उपरोक्त उद्यमों से संबंधित है, हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से ऐसे लेखापरीक्षा न किए गए वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर आधारित है। उपरोक्तानुसार एक संयुक्त उद्यम भारत के बाहर स्थित है, जिसके संबंध में नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन ने भारत में आमतौर से स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरण हमें प्रदान किए हैं। हमारी राय में और नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

समेकित इंड एएस विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य विनियामककारी और कानूनी अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें और नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना के संबंध में उपर्युक्त मामलों के संबंध में अशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1- जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा और अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और अन्य मामला पैराग्राफ में यथा नोट की गई सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर हम जिस सीमा तक प्रयोज्य है, सूचित करते हैं कि :

क) हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी पूर्वोक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित विधि द्वारा यथा अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं जहां तक कि उन बहियों की जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलपन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरण समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ रखी गई संबद्ध लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में उपरोक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानकों) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

ड.) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(ई) द्वारा दी गई छूट को देखते हुए निदेशकों की अयोग्यता के सबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान नियंत्रक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यम, भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों का कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च, 2017 को अयोग्य नहीं है।

च) नियंत्रक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियां और भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभाविता के लिए 'अनुबंध-1' में हमारी पृथक रिपोर्ट को देखें।

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ओर 'अन्य मामलों के पैराट में यथा नोट की गई सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय सूचना के विचार के आधार पर :

i. समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्मों के प्रकार को प्रकट करते हैं (समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट 50 से 64 देखें)।

ii. डेरीवेटिव संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण भविष्यगामी हानियों के लिए प्रयोज्य या भारतीय लेखाकरण मानकों के तहत यथा अपेक्षित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है।

iii. समूह द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान धारण के साथ-साथ निर्दिष्ट बैंक नोट में लेन-देन के लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटन समूह ने प्रदान किए हैं। अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन की प्रस्तुतियों पर विश्वास करते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रकटन समूह द्वारा बनायी गई खाताबहियों और जैसा हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए के अनुसार हैं। देखें नोट 16 ।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं. चार्टर्ड एकाउटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. 001135एन	**कृते परख एण्ड कं.** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. 001475सी	**कृते कोठारी एंड कं.** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. 301178ई	**कृते आर.जी.एन. प्राइस एंड कं.** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. 002785सी
(**सीए एस. के. मित्तल**) भागीदार सदस्यता सं. 008506	(**सीए इंद्रपाल सिंह**) भागीदार सदस्यता सं. 410433	(**सीए मनस्वी कोठारी**) भागीदार सदस्यता सं. 064601	(**सीए आर. रंगराजन**) भागीदार सदस्यता सं. 041883

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

अनुबंध-1

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में उसी तारीख की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के क्लॉज (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए और उसी तारीख को कंपनी के इडं एएस समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में हमने पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (इसके बाद इसे ''धारित कंपनी'' कहा गया है) और इसकी सहायक तथा इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों, जो कि 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार भारत में निगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय सूचना के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारित कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों, जो कि भारत में निगमित हैं, के संबंधित निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय सूचना के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गनिर्देशन नोट में यथा उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों के परिरक्षण, जालसाजी व चूकों के निवारण करने और पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने सहित इसकी कारोबार के समुचित और कुशल संचालन का सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से पूरी की जा रही थी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय सूचना पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने की है। हम अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा लेखापरीक्षा संबंधी मार्गनिर्देशन और (''मार्गनिर्देशक नोट'') तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने गए लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार करते हैं, जहां तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं; जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गनिर्देशक नोट में यह अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं ओर लेखा परीक्षा की योजना तथा निष्पादन करते है ताकि इस सबंध में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय सूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और अनुरक्षण किया गया है और क्या सभी महत्वपूर्ण संबंधों में नियंत्रण का प्रभावी प्रचालन हुआ है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय सूचना और उनकी प्रचालनीय प्रभावकारिता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय सूचना पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता की जांच व मूल्यांकन शामिल है। इसमें चयनित प्रक्रिया चाहे धोखाधाड़ी व चूक के कारण इंड एएस वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हम यह विश्वास करते हैं कि हमने प्राप्त किए लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय सूचना पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय प्रणाली के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय सूचना पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय सूचना और समान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। वित्तीय सूचना पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कंपनी की परिसंपत्तियों के सौदों पर निपटान के लिए कंपनी की ऐसी वित्तीय नीतियां और प्रक्रियाए शामिल हैं :

i. जो अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित हैं, जिनमें दिए गए समुचित ब्यौरों से कंपनी की परिसंपत्तियों के सौदों और उनके प्रबंधन की सही और स्पष्ट जानकारी मिले;

ii. जो उचित आश्वासन प्रदान करे कि लेन-देन को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किए गए है और यह कंपनी की प्राप्तियों तथा व्यय को कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकार से और कंपनी के निदेशकों के निर्देशों से किए जा रहे हैं, तथा

iii. जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा प्रबंधन की रोकथाम अथवा समय पर जानकारी के संबंध में समुचित आश्वासन दे, जिसके वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो।

वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाएं

वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों से हटकर अनुचित प्रबंधन अथवा मिलीभगत की संभावना शामिल है, चूक अथवा हेराफेरी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता न चलता हो। सथ ही, भावी अवधियों की वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की परिकल्पना ऐसे जोखिम के अधीन होती है कि वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकती है अथवा यह कि नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुरूप परिणाम में खराबी हो सकती है।

राय

हमारी राय में, नियंत्रक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के पास सभी महत्वपूर्ण मामले में वित्तीय सूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय सूचना पर यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गनिर्देशन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार प्रभावी रूप से संचालित हो रहा था।

अन्य मामले

जहां तक एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो कि भारत में निगमित एक कंपनी है, का संबंध है, वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट भारत में निगमित ऐसी एक कंपनी की अनुरूपी रिपोर्ट पर आधारित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट जहां तक कि यह भारत में निगमित इस सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, से संबंधित है इस वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं, तथापि नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं. चार्टर्ड एकाउटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. 001135एन	**कृते परख एण्ड कं.** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. 001475सी	**कृते कोठारी एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. 301178ई	**कृते आर.जी.एन. प्राइज एंड कं.** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. 002785सी
(**सीए एस. के. मित्तल**) भागीदार सदस्यसता सं. 008506	(**सीए इंद्रपाल सिंह**) भागीदार सदस्यता सं. 410433	(**सीए मनस्वी कोठारी**) भागीदार सदस्यता सं. 064601	(**सीए आर. रंगराजन**) भागीदार सदस्यता सं. 041883

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2017

पावरग्रिड

इंदु
अध्यक्ष एवं

सतर्कता

वी.के. सक्सेना
मुख्य सतर्कता अधिकारी

यू. पाण्डे
का.नि. एवं उप. मु. स. अ.

वित्त

के. श्रीकांत
निदेशक

- **एफ एंड ए एवं आई ए**
  - एस. वैथिलिंगम, का. निदेशक
  - आर. राज गोपालन, म.प्र.
  - रंजन कुमार श्रीवास्तव, का.नि.
  - एम. ताज मुकर्रम, म.प्र.
  - के.एस.आर. मूर्ति, का.नि.
  - प्रमोद कुमार, म.प्र.
- **वाणिज्यिक एवं एवं आर सी**
  - अभय चौधरी, का. नि.
  - राकेश प्रसाद, म.प्र.

परियोजना

प्रभाकर सिंह
निदेशक

- **तकनीकी विकास**
  - बी. एन. डे भौमिक, म.प्र.
- **ईआरपी एवं आईटी सेल**
  - पकंज कुमार, का.नि
  - पी. वी. नाथ, म.प्र.
- **इंजी-एचवीडीसी**
  - आर. के. चौहान, का.नि.
  - एम. एम. गोस्वामी, म.प्र.
- **क्यू ए एवं आई, एफ क्यू ए**
  - एस. के. मिश्रा, का.नि. #
  - के. ए. मोहन, म.प्र.
  - एफ क्यू ए: आर. राय, म.प्र.
- **सीटीयू, स्मार्ट ग्रिड**
  - डॉ. सुबीर सेन, का.नि.
  - सीटीसू: अशोक पाल, म.प्र.
  - मुकेश खन्ना, म.प्र.
  - स्मार्ट ग्रिड: एस. वी. पी. सिल्वाकुमार, म.प्र.
- **इंजी-एसएस/ टी एल/सिविल**
  - डी. के. वलेचा, का.नि.
  - सिविल: के. रघुराम, म.प्र.
  - एस/एस: कैलाश राठोड, म.प्र.
  - टीएल: अनीष आनन्द, म.प्र
  - एस/एस: ए. के. कक्कर, म.प्र.
- **सीएमजी**
  - संजीव सिंह, का.नि.
  - पी. के. गुप्ता, म.प्र.
  - आर. नागपाल, म.प्र.
  - पी. आर. पति, म.प्र.
- **डीएमएस**
  - राजेश कुमार, म.प्र. (आई/सी)
  - एस. के. पालित, म.प्र.
- **ईएसएमडी, एलएसी**
  - एस. के. गुप्ता, का.नि.**
  - आर. के. श्रीवास्तव, म.प्र.
- **टीबीसीबी सेल**
  - ए. के. सिंघल, का.नि

स्वतंत्र परियोजनाएं

- **ओडीशा**
  - एस. गुप्ता, का.नि.
  - एएम: आर.पी. रथ, म.प्र.
  - परियोजनाएं: अनुप कुमार, म.प्र.
  - आरई: के.के. श्रीवास्वत, म.प्र.
- **पश्चिमी/ उत्तरी इंटर कनेक्टर**
  - राकेश कुमार, म.प्र(आई/सी)
  - कुरुक्षेत्र: एम. के. सिंह, म.प्र.
  - चम्पा: एस. के. धाम्बरे, म.प्र.
- **उत्तरपूर्वी -उत्तर / पश्चिमी इंटर कनेक्टर**
  - भोज पॉल, का.नि.
  - अलीपुरद्वार: ए. बारत, म.प्र.
- **रायगढ़ - पुगलुर प्रोजेक्ट**
  - आर. एन. सिंह, का.नि.
  - त्रिचुर: पी. जयचंद्रन, म.प्र.
  - रायगढ़: एन. के. जैन, म.प्र.
- **एन ई आर पी एस आय पी**
  - राजीव कुमार, का.नि
  - एस. सी. अग्रवाल, म.प्र.

पावरग्रिड की सहायक कम्पनियां
पीकेएटीएल; पीडब्ल्यूटीएल; पीव्हीटीएल; पीपीटीएल; पीएनएमटीएल; पीजेटीएल; पीयूटीएल; पावरग्रिड वीटीएल; पीएसआयटीएसएल; एमजेटीएल; जीसीएल

श्री. एस.के. मिश्रा, द्वैत रिपोटिंग, का.नि. (क्यू एवं आई, एफक्यूए) एवं प्रभारी सीएमडी समन्वय प्रकोष्ठ
** श्री. एस. के. गुप्ता, द्वैत रिपोर्टिंग, का.नि.(ईएसएमडी, एलएसी) एवं का.नि.(सीएसआर)
^ स्थानांतरन के अधीन

अन्य वरिष्ठ कार्यपालक (म.प्र.)
श्री. राजेश श्रीवास्तव; म.प्र. (बिहार ग्रिड कंपनी लि. मे
श्री. एन. के. जैन; म.प्र. (जेपी पावरग्रिड लिमि. में प्रति
श्री. ए. के. मिश्रा; म.प्र. (एनएसजीएम-पीएमयू)

अन्य वरिष्ठ कार्यपालक (का.नि.)
श्री. जे. पी. सिंह; का.नि. (प्रतिनियुक्त - तीस्तावैली प
श्री. अश्वनी जैन; का.नि. (नॉर्थ ईस्ट ट्रांस कं. लि. में
श्री. टी. पाण्डे; का.नि. (बिहार ग्रिड कंपनी लि. में. प्रति
श्री. आर. के. सरकार; का.नि. (टोरेंट पावरग्रिड लि.
श्री. पी. एन. प्रसाद; का.नि. (क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांस.
श्री. संजय गर्ग; का.नि. (विद्युत मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति

ड संगठन चार्ट

सितम्बर, 2017 के अनुसार

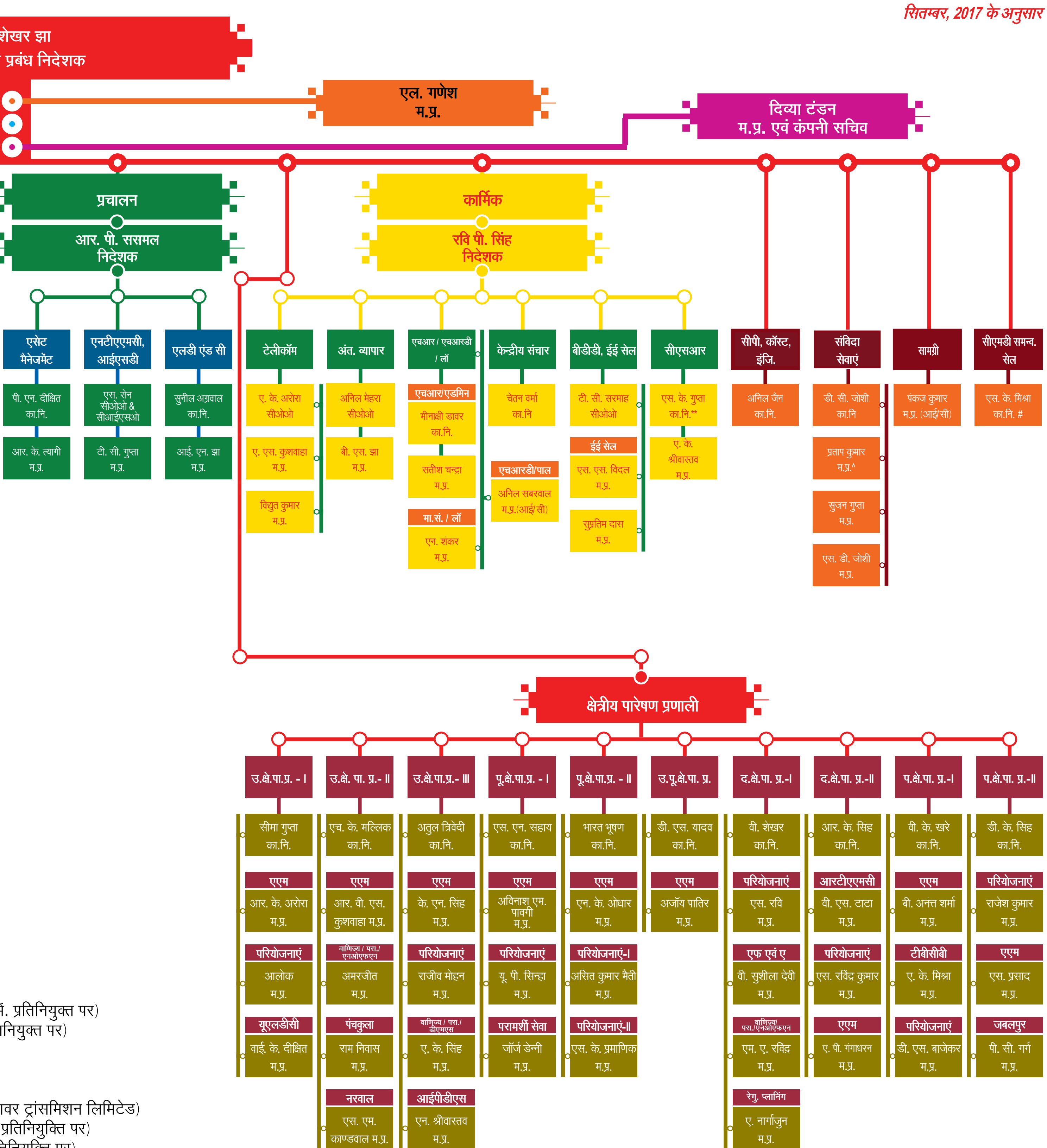

ां. प्रतिनियुक्त पर)
नियुक्त पर)

ावर ट्रांसमिशन लिमिटेड)
प्रतिनियुक्ति पर)
तिनियुक्ति पर)
में प्रतिनियुक्ति पर)
में प्रतिनियुक्ति पर)
त पर)

100 प्रतिशत उपभोक्ता उपभुक्त अपशिष्ट फाइबर से निर्मित 100 प्रतिशत पुनर्चक्रित कागज, एफएससी पुनर्चक्रित प्रमाणित, ईयू इकोलेबल प्रमाणित

पावरग्रिड

पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : बी-9 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय नई दिल्ली - 110 016
केन्द्रीय कार्यालय : ''सौदामिनी'', प्लॉट संख्या 2, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा - 122 001

CIN:L40101DL1989GOI038121

www.sapprints.com